मासा, खंड 29, अंक 14

बुधवार, 5 सितम्बर, 2007
14 भाद्रपद, 1929 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

ग्यारहवां सत्र
(चौदहवीं लोक सभा)

(खंड 29 में अंक 11 से 17 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : अस्सी रुपये

सम्पादक मण्डल

पी.डी.टी. आचारी
महासचिव
लोक सभा

ए.के. सिंह
संयुक्त सचिव

हरनाम दास टक्कर
निदेशक

प्रतिमा श्रीवास्तव
संयुक्त निदेशक-I

सरिता नागपाल
संयुक्त निदेशक-II

अरुणा वशिष्ट
सम्पादक

(अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा।)

विषय-सूची

[चतुर्दश माला, खंड 29, ग्यारहवां सत्र, 2007/1929 (शक)]

अंक 14, बुधवार, 5 सितम्बर, 2007/14 भाद्रपद, 1929 (शक)

विषय	कॉलम
अध्यक्ष द्वारा उल्लेख	
(एक) 2 सितम्बर, 2007 को सतीश धवन अंतरिक्ष केन्द्र, श्री हरिकोटा से प्रक्षेपण यान (जी एस एल वी-एफ 04) द्वारा संचार उपग्रह, इनसैट-4 सी आर का सफल प्रक्षेपण	1
(दो) भूतपूर्व राष्ट्रपति डा. सर्वपल्ली राधाकृष्णन को उनके जन्म दिवस पर श्रद्धांजलि तथा शिक्षक दिवस पर संपूर्ण शिक्षक वर्ग को बधाई	1-2
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या 281 से 300 (3.9.2007)	6-87
301 से 320 (5.9.2007)	87-149
अतारांकित प्रश्न संख्या 2752 से 2940 (3.9.2007)	149-461
2941 से 3146 (5.9.2007)	461-774
अल्प सूचना प्रश्न संख्या 1 (5.9.2007)	774-776
सभा पटल पर रखे गए पत्र	777-780
सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति	780-782
अधीनस्थ विधान संबंधी समिति	
सत्रहवां प्रतिवेदन	781
श्रम संबंधी स्थायी समिति	
तेईसवां और चौबीसवां प्रतिवेदन	782
परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी स्थायी समिति	
एक सौ तेईसवां प्रतिवेदन	783
कार्य मंत्रणा समिति	
इकतालीसवां प्रतिवेदन	783
मंत्रियों द्वारा वक्तव्य	783-785
(एक) कृषि और सहकारिता विभाग, कृषि मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2007-08) के बारे में कृषि संबंधी स्थायी समिति के सत्ताइसवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति	
डा. अखिलेश प्रसाद सिंह	783-784

विषय	कॉलम
(दो) 2 सितम्बर, 2007 को जी.एस.एल.वी.-एफ 04) इनसैट-4 सी.आर. का सफल प्रक्षेपण	
श्री पृथ्वीराज चव्हाण	784–785
समिति का चुनाव	
अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की कोर्ट	785
भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण विधेयक, 2007.	786–787
नियम 377 के अधीन मामले.	787
(एक) झारखंड में सिंदरी उर्वरक कारखाने को पुनः शीघ्र चालू किए जाने की आवश्यकता	
श्री चन्द्र शेखर दुबे	787
(दो) पांडिचेरी के कराईकल में कावेरी एसेट के अन्य पिछड़े वर्ग के कर्मचारियों के हितों की रक्षा किए जाने की आवश्यकता	
श्री एस.के. खारवेनथन	788
(तीन) सौराष्ट्र के मूंगफली उत्पादकों को फसल बीमा की बकाया राशि का भुगतान किए जाने की आवश्यकता	
श्री वी.के. दुम्मर	789
(चार) हुबली-अंकोला रेल लाइन परियोजना और चामराजनगर कानपुर-बंगलोर नई रेल के संबंध में कर्नाटक सरकार द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों पर शीघ्र कार्यवाही किए जाने की आवश्यकता	
श्री इकबाल अहमद सरडगी	789–790
(पांच) पालनपुर और गांधीधाम के बीच स्थानीय रेल सेवा बहाल किए जाने, गुजरात मेल को पालनपुर तक बढ़ाए जाने और माउंट आबू तथा अहमदाबाद के बीच डीएमयू रेल सेवा शुरू किए जाने की आवश्यकता	
श्री हरिसिंह चावड़ा	790–791
(छह) देश में बाल मृत्यु की बढ़ती घटनाओं की जांच कराए जाने की आवश्यकता	
सुश्री इन्ग्रिड मैक्लोड	791
(सात) अरुणाचल प्रदेश के सभी प्रशासनिक केन्द्रों को जोड़े जाने तथा तेजपुर (असम) से तवांग (अरुणाचल प्रदेश) तक डिफेंस रोड को चौड़ा किए जाने के लिए आवश्यक धनराशि उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता	
श्री किरेन रिजीजू	791–792
(आठ) हरियाणा को भाखड़ा नहर के जल का उपयोग करने से रोके जाने और रावी-व्यास नदी का शेष 0.17 एम.ए.फ. जल राजस्थान को दिए जाने की आवश्यकता	
श्री राम सिंह कस्वां	792

विषय		कॉलम
(नौ)	राजस्थान के समग्र विकास हेतु राज्य को अतिरिक्त धनराशि उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता	
	श्री गिरधारी लाल भार्गव	793
(दस)	उत्तर प्रदेश के जालौन संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में राष्ट्रीय सम विकास योजना के तहत कार्यों के असंतोषजनक कार्यान्वयन की जांच किए जाने की आवश्यकता	
	श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा	793
(ग्यारह)	अजमेर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में विभिन्न जल योजनाओं के लिए धनराशि की लंबित किस्तें जारी किए जाने की आवश्यकता	
	प्रो. रासा सिंह रावत	793–794
(बारह)	बंगाल के महान स्वतंत्रता सेनानी श्री वीरेन्द्र नाथ ससमाल के सम्मान में स्मारक टिकट जारी किए जाने की आवश्यकता	
	श्री प्रशान्त प्रधान	794–795
(तेरह)	वैज्ञानिक पद्धति से गरीबी की रेखा से नीचे आने वाले परिवारों की पहचान के लिए तथा सभी पात्र परिवारों को इसमें शामिल किए जाने की दृष्टि से मानकों की पुनरीक्षा किए जाने की आवश्यकता	
	श्री पी. करूणाकरन	795
(चौदह)	उत्तर प्रदेश के सलेमपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में एक केन्द्रीय विद्यालय स्थापित किए जाने की आवश्यकता	
	श्री हरिकेवल प्रसाद	795–796
(पन्द्रह)	बिहार के पटना विश्वविद्यालय को केन्द्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिए जाने की आवश्यकता	
	श्री राम कृपाल यादव	796
(सोलह)	गैर-सरकारी संगठनों के माध्यम से गुजरात के परभनी जिले में "कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय" योजना का कार्यान्वयन किए जाने की आवश्यकता	
	श्री तुकाराम गणपतराव रेंगे पाटील	797
(सत्रह)	नीलांचल इस्पात निगम लिमिटेड को यथाशीघ्र स्टील आथोरिटी आफ इंडिया लिमिटेड के साथ मिलाए जाने की आवश्यकता	
	श्री भर्तृहरि महताब	797–798
(अठारह)	भारत के पूर्व उप प्रधानमंत्री स्व. श्री वाई.बी. चव्हाण की महाराष्ट्र के सतारा जिले में स्थापित समाधि को संरक्षित किए जाने की आवश्यकता	
	श्री श्रीनिवास दादासाहेब पाटील	798
(उन्नीस)	झारखंड में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 80 के अनुरक्षण और सुधार के लिए धनराशि जारी किए जाने की आवश्यकता	
	श्री हेमलाल मुर्मू	798–799

विषय	कॉलम
(बीस) देश में राष्ट्रीय राजमार्गों की दशा में सुधार लाए जाने की आवश्यकता	
श्री रामदास आठवले	799–800
अनुबंध-I	
तारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका (3.9.2007)	801
तारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका (5.9.2007)	802
अतारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका (3.9.2007)	803–808
अतारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका (5.9.2007)	808–814
अनुबंध-II	
तारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका (3.9.2007)	815–816
अतारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका (5.9.2007)	815–816
अतारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका (3.9.2007)	815–818
अतारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका (5.9.2007)	817–820

लोक सभा के पदाधिकारी

अध्यक्ष

श्री सोमनाथ चटर्जी

उपाध्यक्ष

श्री चरणजीत सिंह अटवाल

सभापति तालिका

श्री गिरिधर गमांग

डा. सत्यनारायण जटिया

श्रीमती सुमित्रा महाजन

डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय

श्री बालासाहिब विखे पाटील

श्री वरकला राधाकृष्णन

श्री अर्जुन सेठी

श्री मोहन सिंह

श्रीमती कृष्णा तीरथ

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव

महासचिव

श्री पी.डी.टी. आचारी

विषय	कॉलम
(बीस) देश में राष्ट्रीय राजमार्गों की दशा में सुधार लाए जाने की आवश्यकता	
श्री रामदास आठवले	799–800
अनुबंध-I	
तारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका (3.9.2007)	801
तारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका (5.9.2007)	802
अतारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका (3.9.2007)	803–808
अतारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका (5.9.2007)	808–814
अनुबंध-II	
तारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका (3.9.2007)	815–816
अतारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका (5.9.2007)	815–816
अतारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका (3.9.2007)	815–818
अतारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका (5.9.2007)	817–820

लोक सभा के पदाधिकारी

अध्यक्ष
श्री सोमनाथ चटर्जी

उपाध्यक्ष
श्री चरणजीत सिंह अटवाल

सभापति तालिका
श्री गिरिधर गमांग
डा. सत्यनारायण जटिया
श्रीमती सुमित्रा महाजन
डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय
श्री बालासाहिब विखे पाटील
श्री वरकला राधाकृष्णन
श्री अर्जुन सेठी
श्री मोहन सिंह
श्रीमती कृष्णा तीरथ
श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव

महासचिव
श्री पी.डी.टी. आचारी

लोक सभा

बुधवार, 5 सितम्बर, 2007/14 भाद्रपद, 1929 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत हुई

[अध्यक्ष महोदय *पीठासीन* हुए]

अध्यक्ष द्वारा उल्लेख

(एक) 2 सितम्बर, 2007 को सतीश धवन अंतरिक्ष केन्द्र, श्री हरिकोटा से प्रक्षेपण यान (जी.एस.एल.वी.-एफ 04) द्वारा संचार उपग्रह, इनसैट-4 सी.आर. का सफल प्रक्षेपण

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्यों, यह बड़े गर्व की बात है कि भारत के सबसे भारी, 2130 किलोग्राम वजन वाले संचार उपग्रह इनसैट-4 सीआर को 2 सितम्बर, 2007 को इसकी जियो-सिंक्रनस (भू-तुल्यकाली) कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित किया गया है। इस उपग्रह का प्रक्षेपण सतीश धवन अंतरिक्ष केन्द्र, श्री हरिकोटा से किया गया और इसे प्रक्षेपण यान जीएसएलवी-एफ04 द्वारा इसकी कक्षा में भेजा गया। इस उपग्रह का सफल प्रक्षेपण भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) के वैज्ञानिकों की महान उपलब्धि है और इस क्षेत्र में भारत की बढ़ती क्षमता का परिचायक है।

मैं अपनी और सभा की ओर से इस उपग्रह के प्रक्षेपण से जुड़े इसरो के वैज्ञानिकों, तकनीकीविदों और अन्य कर्मचारियों को बधाई देता हूं और हम सभी कामना करते हैं कि वे भविष्य में भी अपने प्रयासों में सफल हों।

पूर्वाह्न 11.02 बजे

(दो) भूतपूर्व राष्ट्रपति डा. सर्वपल्ली राधाकृष्णन को उनके जन्म दिवस पर श्रद्धांजलि तथा शिक्षक दिवस पर संपूर्ण शिक्षक वर्ग को बधाई

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्यों, आज हमारे पूर्व राष्ट्रपति और प्रख्यात शिक्षाविद् डा. सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्मदिन भी है। उनके सम्मान में हमारे देश में यह दिन "शिक्षक दिवस" के रूप में मनाया जाता है। हमारे समाज में शिक्षकों को राष्ट्र के प्रति उनकी नि:स्वार्थ और समर्पित सेवा के लिए सर्वोच्च सम्मान और आदर देने की परम्परा रही है।

आज के इस पावन दिवस पर हम डा. सर्वपल्ली राधाकृष्णन को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं और सभी शिक्षक बन्धुओं के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं क्योंकि उनके अथक योगदान के बिना कोई भी देश प्रगति और समृद्धि के लक्ष्य प्राप्त नहीं कर सकता है।

मैं केवल यह आशा करता हूं कि कम से कम शिक्षक दिवस पर आप शिक्षक की बात सुनेंगे।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री श्रीचन्द कृपलानी (चित्तौड़गढ़): अध्यक्ष महोदय, यह राष्ट्रहित का मामला है।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मैं सभी सदस्यों को बोलने की अनुमति दूंगा। मैं जानता हूं कि आप कुछ मुद्दे उठाना चाहते हैं जिन्हें आप महत्वपूर्ण मानते हैं। मेरी महत्वपूर्ण मुद्दों को उठाने को अवसर देने के लिए माननीय नेताओं अथवा सदस्यों को इनकार करने की कोई मंशा नहीं है। जैसे ही प्रश्नकाल समाप्त होता है, मैं उन्हें बोलने की अनुमति दूंगा।

[हिन्दी]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा (दक्षिण दिल्ली): अध्यक्ष जी, सदन का सारा काम सदन के बाहर हो रहा है, सदन को पूरी तरह से एक ओर्नामेंट बना दिया गया है और सदन का कोई औचित्य नहीं रह गया है। सदन से बाहर सारा काम हो रहा है, सारी योजनाएं बाहर बनाई जा रही हैं तो फिर इस सदन में काम करने का अर्थ क्या है? यह इस सदन का अपमान है, अपोजीशन का अपमान है और सदन की अवमानना है। अगर कमेटी बनानी है। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में शामिल नहीं कीजिये।

*...(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: मैं जानता हूं कि आप परेशान हैं और मैं सच्ची भावना से सभी माननीय नेताओं को अपील कर रहा हूं कि मैं मुद्दों को उठाने के लिये आपको अनुमति दूंगा। मैं इससे इन्कार नहीं कर रहा हूं, मैं आपको अवसर दूंगा।

[हिन्दी]

आपके लीडर बोल रहे हैं और आप सब लोग जोइन करते जा रहे हैं। आपके लीडर को हम सुन रहे हैं।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मैं आप सभी से अपने मुद्दों को मध्याह्न 12.00 बजे उठाने हेतु अनुरोध करता हूं। अब से केवल 55 मिनट है।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: अध्यक्ष महोदय, सारा देश सवाल पूछ रहा है। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मैं आपको बुलाऊंगा।

[अनुवाद]

मैं प्रश्नकाल के बाद आपका नाम पुकारूंगा।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: मैं किसकी बात सुनूं, कैसे सुनूं, आप ही बताइए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: आप मेरे कमरे में आकर बात कीजिए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: मैंने किसी को उनका मुद्दा उठाने से इंकार नहीं किया, लेकिन मैं कह रहा हूं कि प्रश्नकाल बहुत महत्वपूर्ण है।

[अनुवाद]

बच्चों में एड्स, विद्युत परियोजनाओं आदि जैसे विषयों पर चर्चा करने हेतु अनेक महत्वपूर्ण प्रश्न है। मैं केवल इतना चाहता हूं कि प्रश्नकाल समाप्त हो जाये। मैं आपको प्रश्नकाल के समाप्त होने के पश्चात् अनुमति दूंगा। मल्होत्रा जी, मैं वचन देता हूं कि मैं आपका नाम पुकारूंगा।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: अगर आप हाउस नहीं चलाना चाहते, तो ठीक है।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: सभा आज पूर्वाह्न 11.30 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

पूर्वाह्न 11.07 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा पूर्वाह्न 11.30 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

पूर्वाह्न 11.30 बजे

लोक सभा पूर्वाह्न 11.30 बजे पुन: समवेत हुई।

[अध्यक्ष महोदय *पीठासीन हुए*]

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह (महाराजगंज, बिहार): अध्यक्ष महोदय, हमने आपको प्रश्न काल निलम्बित करने का नोटिस दिया है क्योंकि अखबारों में आ रहा है कि 15 लोगों की एक समिति बना

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

दी गयी है। उस दिन जब इस सदन में चर्चा हुई थी तब सारे विपक्ष और सहयोगी दलों ने कहा था कि ऐसे सवाल पर जेपीसी बनायी जाये। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मैं आपको इसे आधे घंटे पश्चात् अर्थात् प्रश्नकाल के पश्चात् उठाने की अनुमति दूंगा।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह: अध्यक्ष महोदय, इस सरकार ने बिल्कुल नकारात्मक ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: प्रश्नकाल के अंत में मैं आपको अनुमति दूंगा।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह: अध्यक्ष महोदय, जब तक सरकार इस सवाल पर जेपीसी नहीं बनायेगी तब तक सदन की कार्यवाही चलाने का क्या मतलब है? ...*(व्यवधान)* यह मामला देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप लोग बैठिये।

...*(व्यवधान)*

श्री प्रभुनाथ सिंह: पार्लियामैंट का माखौल उड़ाया जा रहा है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: केवल आधा घंटा शेष है। यहां पर कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है। कृपया अनुमति दीजिए।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मैं आपको इसे आधे घंटे में उठाने की अनुमति दूंगा।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: हम आपको बोलने का मौका देंगे।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मैं आपको इसे उठाने की अनुमति दूंगा।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: केवल आधे घंटे का समय शेष है।

[हिन्दी]

बारह बजे क्वेश्चन आवर खत्म हो जायेगा। रोज-रोज ऐसा होगा, तो काम कैसे चलेगा?

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: यहां पर बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। मैं सच्चे दिल से आप सभी से यह अपील करता हूं कि कृपया आप प्रश्नकाल चलने दीजिये।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आज बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न सूचीबद्ध है। महत्वपूर्ण मामले पर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव सूचीबद्ध है। नियम 193 के अंतर्गत महत्वपूर्ण मामले संबंधी चर्चा है।

...*(व्यवधान)*

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[अनुवाद]

उर्वरकों के नमूनों की जांच

***281. श्री बृज किशोर त्रिपाठी:** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा देश भर में कृषि में उपयोग किए जाने वाले उर्वरकों और कीटनाशकों के नमूनों की जांच की जाती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त प्रयोजनार्थ विभिन्न राज्यों में स्थित प्रयोगशालाओं के नाम क्या हैं;

(घ) देश में गत तीन वर्षों के दौरान उर्वरकों के नमूनों की जांच के लिए प्रत्येक प्रयोगशाला हेतु निर्धारित और उनके द्वारा प्राप्त किए गए लक्ष्यों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इन प्रयोगशालाओं की स्थिति में सुधार करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद पवार): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) देश में 68 उर्वरक परीक्षण प्रयोगशालाएं हैं जिसमें केन्द्र सरकार की चार प्रयोगशालाएं हैं जिनकी विश्लेषण क्षमता प्रतिवर्ष 1.28 लाख नमूनों की है। ब्यौरे संलग्न विवरण-I में हैं।

21 राज्यों और एक संघ शासित क्षेत्रों में स्थित 49 राज्य कीटनाशी प्रयोगशालाओं द्वारा कीटनाशियों के नमूनों का परीक्षण किया जाता है जिनकी वार्षिक विश्लेषण क्षमता 51440 नमूनों की है। केन्द्र सरकार के नियंत्रणाधीन दो क्षेत्रीय कीटनाशी परीक्षण प्रयोगशालाएं कानपुर और चंडीगढ़ में स्थित है जो कीटनाशियों के परीक्षण के लिए राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों के प्रयासों को बढ़ाती हैं। केन्द्रीय कीटनाशी प्रयोगशाला, फरीदाबाद अभियोजन संबंधी मामलों के लिए संदर्शी विश्लेषण का सांविधिक कार्य करती हैं। कीटनाशी परीक्षण प्रयोगशालाओं के नाम संलग्न विवरण-II पर दिए गए हैं।

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान लक्ष्यों एवं उपलब्धियों सहित उर्वरक प्रयोगशालाओं का ब्यौरा अनुबंध-I में दिया गया है।

(ङ) उर्वरकों के गुणवत्ता संबंधी मानकों के विश्लेषण के तरीके, न्यूनतम प्रयोगशाला उपकरण एवं अन्य प्रयोगशाला संबंधी सुविधाएं तथा उर्वरक विश्लेषक की शैक्षणिक योग्यता संबंधी ब्यौरे उर्वरक नियंत्रण आदेश (एफसीओ), 1985 में निर्धारित किए गए हैं। राज्यों को भी सलाह दी गई है कि वे वृहद प्रबन्धन स्कीम के जरिए गुणवत्ता नियंत्रण प्रणाली को मजबूत बनाएं।

मौजूदा कीटनाशी प्रयोगशालाओं में सुविधाओं को सुदृढ़ करने और नई राज्य कीटनाशी परीक्षण प्रयोगशालाओं की स्थापना के लिए भी राज्यों को सहायक अनुदान राशि प्रदान की गई है। नई राज्य कीटनाशी परीक्षण प्रयोगशालाओं के मामले में, भारत सरकार प्रयोगशालाओं के निर्माण के लिए 45.00 लाख रु. और उपकरणों की खरीद के लिए 25.00 लाख रु. प्रदान करती है।

विवरण I

वर्ष 2003-04 से 2006-07 के दौरान निर्धारित और प्राप्त किए गए उर्वरक नमूनों के परीक्षण के लक्ष्यों के ब्यौरे (राज्य/प्रयोगशाला-वार)

क्र.सं.	प्रयोगशाला का नाम	2004-05			2005-06			2006-07		
		लक्ष्य	उपलब्धि	उपयोगिता % क्षमता	लक्ष्य	उपलब्धि	उपयोगिता % क्षमता	लक्ष्य	उपलब्धि	उपयोगिता % क्षमता
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	असम									
1.	उलुबारी, गुवाहाटी	250	167	66.8	250	28	11.20	500	19	3.80
	बिहार									
2.	पटना	2000	881	44.05	2000	1432	71.60	2000	1285	64.25
	झारखंड									
3.	रांची	1500	677	45.13	2015	515	25.56	2015	688	34.14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	उड़ीसा									
4.	भुवनेश्वर	2050	1145	55.85	2050	1157	56.44	2050	1726	84.19
5.	सम्बलपुर	1450	1284	88.55	1450	1308	90.21	1450	1150	79.31
	पश्चिम बंगाल									
6.	टोलीगंज	2500	1722	68.88	2500	1270	50.80	2500	1738	69.52
7.	बहरामपुर	1200	900	75.00	1200	801	66.75	1200	681	56.75
8.	मिदनापुर	800	664	83.00	800	528	66.00	800	584	73.00
	मिजोरम									
9.	आइजोल	250	0	0	250	5	2.00	250	12	4.8
	गुजरात									
10.	गांधीनगर	2500	2629	105.16	2500	2579	103.16	2500	2003	80.12
11.	जूनागढ़	2270	2851	103.67	2500	3062	122.48	2500	2228	89.12
12.	बारडोली	2500	2726	109.04	2500	2781	111.24	2500	2098	83.92
	मध्य प्रदेश									
13.	जबलपुर	3910	1162	29.72	3910	1444	36.93	3910	1444	36.93
14.	भोपाल	2270	1807	79.60	2270	1613	71.06	2270	1613	71.06
15.	ग्वालियर	1330	1633	122.78	1330	1458	109.62	1330	1458	109.62
16.	इंदौर	1640	786	47.92	1640	982	59.88	1640	982	59.88
	छत्तीसगढ़									
17.	रायपुर	2843	1933	67.99	2843	2570	90.39	2843	2570	90.39
	महाराष्ट्र									
18.	पुणे	3050	3151	103.31	2843	2569	90.36	4200	3075	73.21
19.	अमरावती	24500	2285	93.26	2450	2079	84.86	3600	2244	62.33
20.	औरंगाबाद	3350	1686	50.33	3350	1769	52.81	3100	2041	65.84
21.	नासिक	2150	1984	92.28	2150	1851	86.09	2500	1948	77.92
	राजस्थान									
22.	दुर्गापुर	2000	1988	99.40	2000	1874	93.70	2000	1380	69.00
23.	जोधपुर	2000	1277	63.85	2000	1085	54.25	2000	1056	52.80

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24.	उदयपुर	2000	1357	67.85	2000	2006	100.30	2000	2427	12135
25.	भरतपुर	–	–	–	–	–	–	2000	153	7.65
	हरियाणा									
26.	करनाल	1700	1413	83.12	1700	1219	71.71	1650	1140	69.10
27.	हिसार	1605	1388	86.48	1605	1306	81.37	1650	1064	64.48
	पंजाब									
28.	लुधियाना	2000	2009	100.45	2000	2003	100.15	2000	2003	100.15
29.	फरीदकोट	1500	1504	100.27	1500	1512	100.8	1500	1512	100.8
	जम्मू-कश्मीर									
30.	श्रीनगर	600	822	64.22	600	926	72.34	600	332	55.33
31.	जम्मू	680			680			680	565	83.09
	हिमाचल प्रदेश									
32.	सुन्दरनगर	1000	1019	101.90	1000	628	62.80	1000	683	68.30
33.	हमीरपुर	1000	743	74.30	1000	815	81.50	1000	787	78.70
	उत्तर प्रदेश									
34.	मेरठ	15000	1651	110.06	1500	1737	115.80	1500	2268	151.20
35.	वाराणसी	1500	2053	136.86	1500	2492	166.33	1500	2389	189.26
36.	लखनऊ	3000	5857	195.23	3000	5047	168.23	3000	5541	184.74
	क्षेत्रीय मृदा परीक्षण प्रयोगशाला, रेहमनखेड़ा	2000	585	29.25	2000	655	32.75	2000	490	24.50
	क्षेत्रीय मृदा परीक्षण प्रयोगशाला	2000	701	35.05	2000	804	40.20	2000	745	37.25
	उत्तरांचल									
37.	यू.एस. नगर	400	308	77.00	400	244	61.00	400	278	69.50
38.	श्रीनगर (पौढ़ी)	400	129	32.25	400	209	52.25	400	206	51.50
	आंध्र प्रदेश									
39.	राजेन्द्र नगर	3062	3018	9856	3062	3159	103.16	3062	2500	81.64
40.	वारंगल	3162	2326	73.56	3162	2733	86.43	3162	2340	74.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
41.	अनन्तपुर	2870	2470	86.06	2870	2712	94.49	2870	2490	86.76
42.	बापताला	2914	3263	111.98	2914	2517	86.37	2914	2840	97.46
43.	तेदेपल्लीगेडम	2992	2480	82.89	2992	2675	89.40	2992	2100	70.19
	कर्नाटक									
44.	बंगलौर	1850	1533	82.86	1850	1340	72.43	1850	1312	70.92
45.	बेलथेंनगोडी	1850	1062	57.40	1850	510	27.56	660	315	47.73
46.	धारवाड़	2600	1824	70.15	2600	2017	77.57	2600	1764	67.85
47.	गंगावथी	1850	1337	72.27	1850	1523	82.32	1850	1348	72.86
	केरल									
48.	तिरूअनंतपुरम	2500	2193	87.72	2500	2212	88.48	2500	2266	90.64
49.	पटटम्बी	2500	2016	80.64	2500	2026	77.92	2500	2261	90.44
	पांडिचेरी									
50.	पांडिचेरी	700	682	97.43	700	601	85.86	700	705	100.72
	तमिलनाडु									
51.	कोयम्बटूर	420	564	134.28	420	710	169.04	438	715	163.24
52.	कोयलपट्टी	840	832	99.05	840	881	104.88	876	910	103.88
53.	मदूरै	2100	2202	104.86	2100	2138	101.81	2190	2260	103.19
54.	त्रिलची	1680	1687	100.42	1680	1710	101.79	1752	1714	97.83
55.	परामकुडी	1260	1322	104.92	1260	1346	106.83	1314	1320	100.46
56.	कांचीपुरम	2100	2162	102.95	2100	1702	81.05	2172	1800	82.87
57.	डिन्डीगुल	1260	1261	100.08	1260	1339	106.27	1314	1340	101.98
58.	विल्लुपुरम	1260	1291	102.46	1260	1344	106.70	1314	1280	97.41
59.	सेलम	1260	1271	100.87	1260	1298	103.02	1314	1290	98.17
60.	धर्मपुरी	840	1271	151.31	840	1021	121.55	876	870	99.31
61.	कुम्बाकोनम	840	876	104.28	840	910	108.33	876	912	104.11
62.	त्रिवरूर	420	361	85.95	420	145	34.52	436	275	63.07
63.	नागरकोयल	1260	1266	100.48	1260	1290	102.38	1314	1230	93.61
64.	उंटी	1260	835	66.27	1260	1226	97.30	1314	1310	99.69

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	भारत सरकार									
65.	सीएफक्यूसीएंडटीआई, फरीदाबाद	4000	3361	84.03	4000	4570	114.25	4000	3713	92.82
66.	आरएफसीएल, चेन्नई	1500	2430	162.00	1500	2263	150.86	1500	3614	240.93
67.	आरएफसीएल, नवी मुंबई	1500	2555	170.33	1500	3294	219.60	1500	3536	235.73
68.	आरएफसीएल, कल्याणी	1500	2743	182.87	1500	4062	270.86	1500	4024	282.66
	कुल	124730	108859	87.28	122488	111745	91.23	128318	107542	83.80

विवरण II

राज्य/संघ शासित क्षेत्रों में कीटनाशी परीक्षण प्रयोगशालाएं

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	प्रयोगशालाओं की संख्या	स्थान
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	5	राजेन्द्र नगर, गुन्टुर, अनन्तपुर, तेदेपल्लीगुडेम और वारंगल
2.	असम	1	गुवाहाटी
3.	बिहार	1	पटना
4.	गुजरात	2	जूनागढ़ एवं गांधीनगर
5.	हरियाणा	2	करनाल एवं सिरसा
6.	हिमाचल प्रदेश	1	शिमला
7.	जम्मू-कश्मीर	2	श्रीनगर और जम्मू
8.	कर्नाटक	5	बंगलौर, बेलेरी, धारवाड़, शिमोगा एवं कोटनूर
9.	केरल	1	त्रिवेन्द्रम
10.	मध्य प्रदेश	1	जबलपुर
11.	महाराष्ट्र	4	पुणे, अमरावती, थाने और औरंगाबाद
12.	मणिपुर	1	मन्तरीपुखरी
13.	उड़ीसा	1	भुवनेश्वर
14.	पंजाब	3	अमृतसर, लुधियाना और भटिंडा
15.	राजस्थान	2	जयपुर, बीकानेर

1	2	3	4
16.	तमिलनाडु	9	कोयम्बटूर, कोविलपट्टी, इरोड, मदूरै, त्रिची, अधुथरै, सलेम, कुड्डालोर और कांचीपुरम
17.	त्रिपुरा	1	अगरतल्ला
18.	उत्तर प्रदेश	4	मेरठ, लखनऊ (2एसपीटीएल) और वाराणसी
19.	उत्तरांचल	1	रूद्रपुर
20.	पश्चिम बंगाल	1	मिदनापुर
21.	पांडिचेरी	1	पांडिचेरी
	योग	49	
	ख. क्षेत्रीय कीटनाशी परीक्षण प्रयोगशालाएं		
1.	सभी राज्य/संघ शासित क्षेत्र	2	कानपुर
			चंडीगढ़
	ग. केन्द्रीय कृमिनाशी प्रयोगशालाएं		
1.	सभी राज्य/संघ शासित क्षेत्र	1	फरीदाबाद

खान अधिनियम, 1952 में संशोधन

*282. **श्री मोहन रावले:** क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या खान अधिनियम, 1952 में संशोधन का प्रस्ताव काफी समय से मंत्रालय के पास लंबित है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इस प्रस्ताव पर शीघ्र कार्रवाई करने हेतु कोई समय-सीमा निर्धारित की गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ऑस्कर फर्नांडीस): (क) से (घ) 1996 में, श्रम और रोजगार मंत्रालय से संबद्ध परामर्शदात्री समिति की एक उप-समिति ने सरकार को रिपोर्ट प्रस्तुत की। इस रिपोर्ट तथा तीन अन्य स्रोतों अर्थात् (1) विभिन्न आपदाओं पर जांच समिति की सिफारिशों; (2) विभिन्न सुरक्षा सम्मेलनों और योजना आयोग द्वारा गठित व्यावसायिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य संबंधी कार्यदल की सिफारिशों; तथा (3) खानों में सुरक्षा एवं स्वास्थ्य से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अभिसमय 176 से और आगे के इनपुटों के आधार पर खान अधिनियम, 1952 में संशोधन संबंधी प्रस्ताव तैयार किये गये थे। इन्हें अक्टूबर, 2001 में भिन्न-भिन्न मंत्रालयों तथा पणधारी समूहों को परिचालित किया गया था। इन प्रस्तावों के दूरगामी निहितार्थों को ध्यान में रखते हुए, मंत्रालयों एवं पणधारी समूह के विचारों में व्यापक रूप से भिन्नता पायी गयी थी, मतभेदों को दूर करने के लिए गहन परामर्श तथा बैठकें आवश्यक थीं। परामर्श प्रक्रिया सक्रिय रूप से चल रही है और श्रम संबंधी संसदीय स्थायी समिति द्वारा 11.1.2007 को तथा परामर्शदात्री समिति द्वारा 15.2.2007 को इस मुद्दे पर भी विचार किया गया है। तथापि, चूंकि प्रस्ताव से संबंधित आपत्तियों पर पहले ही व्यापक रूप से विचार एवं चर्चा की जा चुकी है, अत: ऐसी अपेक्षा की जाती है कि इन संशोधनों को लाने के लिये एक वर्ष की और अवधि पर्याप्त होगी।

[हिन्दी]

गेहूं का आबंटन

*283. **श्री धावरचन्द गेहलोत:** क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार को सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) और अन्य कल्याण योजनाओं हेतु प्रतिवर्ष कितनी मात्रा में गेहूं की आवश्यकता होती है;

(ख) गत पांच वर्षों के दौरान पीडीएस और अन्य कल्याण योजनाओं के अंतर्गत गेहूं की मांग और आबंटन का वर्ष-वार और राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) केन्द्रीय पूल में पिछले सीजन के गेहूं का कितना स्टाक है; और

(घ) गत पांच वर्षों के दौरान उक्त योजनाओं के अंतर्गत सरकार द्वारा किन-किन देशों से कितना और किस किस्म के गेहूं का आयात किया गया?

कृषि मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद पवार): (क) और (ख) 1993-94 के लिए योजना आयोग ने गरीबी अनुमानों और 1.3.2000 की स्थिति के अनुसार भारत के महा पंजीयक के आबादी अनुमानों के आधार पर लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन खाद्यान्नों का आबंटन करने के लिए सरकार द्वारा स्वीकृत परिवारों की लक्षित संख्या 6.52 करोड़ है। मार्च, 2000 में देश में परिवारों की कुल संख्या 18.04 करोड़ थी। लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली अनुपूरक स्वरूप की है और इसका उद्देश्य 35 किलोग्राम प्रति परिवार प्रति माह की दर पर गरीबी रेखा से नीचे और अंत्योदय अन्न योजना परिवारों के लिए राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को आबंटित किए जा रहे चावल और गेहूं की मात्रा के जरिए प्रत्येक परिवार की अनाज की आधी जरूरत को पूरा करना है। तथापि, इस मात्रा पर 18.04 करोड़ परिवारों के लिए चावल और गेहूं की वार्षिक आवश्यकता लगभग 76 मिलियन टन होगी जो केन्द्रीय पूल में रखे स्टाक से काफी अधिक होगी। अत: गरीबी रेखा से ऊपर के परिवारों के लिए आबंटन पिछले वर्षों के उठान के साथ जोड़ते हुए केन्द्रीय पूल में गेहूं और चावल की उपलब्धता पर निर्भर करते हुए किया जा रहा है।

लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली और कल्याण योजनाओं के लिए वर्तमान वर्ष के दौरान गेहूं की प्रत्याशित आवश्यकता लगभग 14 मिलियन टन है। पिछले पांच वर्षों के दौरान लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली और अन्य कल्याण योजनाओं के अधीन गेहूं के आबंटन और उठान के ब्यौरे विवरण-I से IX में दिए गए हैं।

(ग) 1.4.2006 से गेहूं के स्टाक की स्थिति निम्नानुसार है:-

(लाख टन में)

तारीख	गेहूं का स्टाक
1.4.2006	20.19
1.7.2006	82.07
1.10.2006	64.12
1.1.2007	54.28
1.4.2007	47.00
1.7.2007	129.27

(घ) सरकारी खाते पर वर्ष 2003-04, 2004-05 और 2005-06 के दौरान गेहूं का कोई आयात नहीं किया गया। वर्ष 2006-07 के दौरान 54.54 लाख टन गेहूं आयात किया गया था। देश में केवल पादप स्वच्छता और गुणवत्ता संबंधी अन्य विनिर्दिष्टियों के अनुरूप गेहूं का ही आयात किया जाता है। इन मात्राओं के वर्षवार ब्यौरे नीचे दिए गए हैं-

क्र.सं.	जिससे गेहूं आयात किया गया	मात्रा (लाख टन में)
1.	आस्ट्रेलिया	14.28
2.	रूस	16.71
3.	कनाडा	11.86
4.	अर्जेन्टिना	1.52
5.	फ्रांस	2.60
6.	यूक्रेन	1.72
7.	बुलगारिया	0.37
8.	रोमानिया	0.67
9.	हंगरी	4.10
10.	चेक गणराज्य	0.71
	योग	54.54

उस मात्रा और उन देशों के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं जहां से वर्ष 2007-08 के दौरान जिन देशों से आयात के आर्डर दिए गए उनके नाम तथा आयातित मात्रा का विवरण नीचे दिया गया है:-

क्र.सं.	देश	मात्रा (लाख टन में)
1.	कनाडा	2.56
2.	रूस	1.25
3.	कोई भी देश*	1.30
	योग	5.11

*आयातित गेहूं की आमद होने के बाद ही उसके मूल के वास्तविक देश का पता चलेगा।

विवरण I

लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत वर्ष 2003-04 से 2007-08 तक के लिए के तहत गेहूं का राज्यवार आवंटन और उठान

(आंकड़े हजार टन में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2003-04		2004-05		2005-06		2006-07		2007-08 (जून 2007 तक)	
		आवंटन	उठान	आवंटन	उठान	आवंटन	उठान	आवंटन	उठान	आवंटन	उठान
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	आंध्र प्रदेश	153.67	15.08	153.67	35.62	153.67	50.73	81.15	55.59	20.26	8.09
2.	अरुणाचल प्रदेश	14.45	11.07	11.55	11.11	9.78	7.40	11.59	5.14	3.26	0.21
3.	असम	260.00	218.24	410.00	403.04	337.02	280.24	254.23	250.05	65.09	62.17
4.	बिहार	2958.42	806.46	2958.42	934.77	2662.96	807.77	1132.10	494.65	223.04	119.08
5.	छत्तीसगढ़	547.39	125.53	535.37	125.93	437.96	132.48	120.65	55.98	17.14	11.34
6.	दिल्ली	836.80	453.47	836.80	432.06	825.77	366.57	486.30	400.94	118.53	97.61
7.	गोवा	45.36	3.04	45.36	0.00	40.78	3.83	11.53	5.57	2.10	1.93
8.	गुजरात	2396.57	436.31	2389.97	533.15	2379.93	605.78	824.37	468.15	144.46	104.23
9.	हरियाणा	1335.87	373.22	1342.78	437.33	1093.23	257.03	463.72	248.72	92.24	63.40
10.	हिमाचल प्रदेश	217.32	129.40	204.82	155.79	204.82	160.77	172.68	178.17	60.50	50.92
11.	जम्मू-कश्मीर	238.46	183.63	239.99	210.51	219.00	223.26	243.26	228.77	66.41	63.92
12.	झारखंड	498.03	300.09	497.34	297.48	460.12	360.74	348.39	285.97	85.76	70.84
13.	कर्नाटक	676.97	321.14	676.98	361.58	617.18	376.52	367.87	298.50	95.18	69.80
14.	केरल	479.60	161.18	569.66	294.97	559.29	377.42	330.18	281.98	80.22	65.86
15.	मध्य प्रदेश	3367.45	1179.42	3627.67	1368.06	3304.51	1554.92	1614.27	1348.31	352.29	312.12
16.	महाराष्ट्र	4834.26	1296.08	4748.56	1553.82	4704.87	1563.47	2071.72	1381.12	397.97	291.78
17.	मणिपुर	17.76	17.76	18.97	16.72	20.26	18.14	11.59	8.24	2.72	1.54
18.	मेघालय	7.78	6.29	7.78	8.19	7.78	6.97	7.70	7.29	2.19	1.63
19.	मिजोरम	12.12	11.01	12.12	11.78	12.12	7.55	10.36	8.99	2.77	1.88
20.	नागालैंड	57.75	52.68	88.25	91.41	54.76	63.06	34.71	34.19	9.05	8.69
21.	उड़ीसा	360.00	141.75	360.00	153.52	351.11	108.35	155.73	132.29	35.38	31.27

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22.	पंजाब	1669.78	153.00	1669.78	157.80	1341.84	95.73	353.03	118.31	42.37	17.98
23.	राजस्थान	3645.78	900.18	3645.86	1183.53	3042.55	953.62	1335.72	915.41	270.31	233.87
24.	सिक्किम	6.40	2.40	10.20	4.77	7.20	4.65	5.35	5.38	1.64	1.34
25.	तमिलनाडु	120.00	47.53	120.00	59.94	120.00	77.98	98.58	90.18	30.10	23.85
26.	त्रिपुरा	23.65	15.26	47.94	21.28	47.94	29.94	26.96	21.47	6.41	5.26
27.	उत्तर प्रदेश	7262.25	1990.81	7124.58	2240.79	5386.13	1616.39	2080.88	1497.25	388.41	384.46
28.	उत्तराखंड	294.82	81.39	294.82	83.44	209.74	103.99	143.30	128.28	58.15	36.56
29.	पश्चिम बंगाल	4511.80	1221.65	4511.80	1701.03	2941.28	1822.70	1603.71	1290.94	379.54	344.34
30.	अं. व नि. द्वीपसमूह	11.10	6.46	11.10	0.89	10.96	4.31	5.95	4.70	1.89	1.13
31.	चण्डीगढ़	71.34	0.63	69.34	0.00	62.07	0.00	9.39	0.00	0.25	0.58
32.	दा. न. हवेली	3.00	0.99	3.00	0.00	3.03	0.75	1.60	0.36	0.58	0.00
33.	दमन व दीव	1.61	0.29	1.61	0.00	1.57	0.19	0.73	0.12	0.19	0.01
34.	लक्षद्वीप	0.50	0.00	0.50	0.00	0.23	0.03	0.43	0.05	0.15	0.00
35.	पांडिचेरी	1.20	0.48	1.20	0.06	1.20	1.01	2.05	1.41	0.45	0.28
	योग	36939.24	10663.87	37247.76	12890.36	31632.66	12044.28	14418.79	10252.47	3056.99	2487.95

विवरण II

संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना के तहत गेहूं का आवंटन और उठान

(आंकड़े हजार टन में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2003-04		2004-05		2005-06		2006-07		2007-08 (जुलाई 2007 तक)	
		आवंटन	उठान	आवंटन	उठान	आवंटन	उठान	आवंटन	उठान	आवंटन	उठान
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	आंध्र प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	अरुणाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	असम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.42	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	बिहार	0.00	0.00	0.00	5.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	छत्तीसगढ़	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.	दिल्ली	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.	गोवा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8.	गुजरात	223.36	300.77	141.33	63.48	85.80	32.14	53.19	54.71	21.25	8.51
9.	हरियाणा	60.75	53.97	61.53	56.36	45.20	48.38	36.82	36.80	17.24	3.74
10.	हिमाचल प्रदेश	10.96	7.11	12.07	13.53	8.07	10.81	0.00	0.87	1.47	0.11
11.	जम्मू-कश्मीर	7.92	7.30	7.71	8.06	6.28	7.06	0.00	0.01	1.40	0.38
12.	झारखंड	75.88	42.27	88.21	51.85	75.50	81.81	0.00	5.80	0.00	0.00
13.	कर्नाटक	23.78	18.36	37.60	33.58	29.26	33.12	0.00	0.00	7.16	0.69
14.	केरल	20.56	12.31	30.61	33.40	21.89	26.97	0.00	0.53	0.00	0.00
15.	मध्य प्रदेश	633.38	567.92	229.26	358.30	170.22	249.88	41.69	45.22	24.80	9.78
16.	महाराष्ट्र	713.85	560.86	222.68	597.31	175.05	166.87	0.00	42.08	32.88	0.00
17.	मणिपुर	0.00	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18.	मेघालय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19.	मिजोरम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20.	नागालैंड	3.92	5.93	7.26	8.31	7.16	5.00	0.00	0.30	0.69	0.00
21.	उड़ीसा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22.	पंजाब	46.38	47.01	67.83	61.32	50.28	35.97	30.00	31.27	9.48	17.57
23.	राजस्थान	1582.60	2144.63	160.70	195.14	111.12	552.16	76.34	259.78	27.29	3.05
24.	सिक्किम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.49	0.00	0.13	0.00	0.00
25.	तमिलनाडु	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00
26.	त्रिपुरा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27.	उत्तर प्रदेश	508.88	462.68	606.70	458.96	453.45	288.20	244.87	0.83	122.41	0.00
28.	उत्तराखंड	23.16	40.57	25.56	28.02	18.58	19.29	6.41	7.61	3.31	0.00
29.	पश्चिम बंगाल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30.	अं. व नि. द्वीपसमूह	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31.	चण्डीगढ़	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32.	दा. न. हवेली	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33.	दमन व दीव	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34.	लक्षद्वीप	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35.	पांडिचेरी	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	योग	3935.38	4273.04	1699.05	1973.00	1257.86	1570.86	489.32	476.94	269.38	43.83

विवरण III

संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना के विशेष घटक के तहत गेहूं का आवंटन और उठान

(आंकड़े हजार टन में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2003-04		2004-05		2005-06		2006-07		2007-08 (जुलाई 2007 तक)	
		आवंटन	उठान	आवंटन	उठान	आवंटन	उठान	आवंटन	उठान	आवंटन	उठान
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	आंध्र प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	अरुणाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	असम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	बिहार	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	छत्तीसगढ़	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	दिल्ली	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.	गोवा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8.	गुजरात	79.00	197.46	0.00	92.44	0.00	60.01	0.00	0.00	0.00	0.00
9.	हरियाणा	0.00	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.	हिमाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00
11.	जम्मू-कश्मीर	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12.	झारखंड	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13.	कर्नाटक	0.00	0.00	0.00	1.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14.	केरल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15.	मध्य प्रदेश	349.78	0.65	100.00	1.41	38.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16.	महाराष्ट्र	492.64	0.00	300.00	111.00	26.00	79.08	0.00	0.00	0.00	0.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17.	मणिपुर	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18.	मेघालय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19.	मिजोरम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20.	नागालैंड	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.78	0.00	0.00	0.00	0.00
21.	उड़ीसा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22.	पंजाब	0.00	0.00	0.00	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.91
23.	राजस्थान	1357.63	1966.17	718.00	574.19	650.00	839.78	160.40	14.14	0.00	160.40
24.	सिक्किम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25.	तमिलनाडु	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00
26.	त्रिपुरा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27.	उत्तर प्रदेश	0.00	12.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28.	उत्तराखंड	0.00	12.94	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	6.54	0.00	0.00
29.	पश्चिम बंगाल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30.	अं. व नि. द्वीपसमूह	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31.	चण्डीगढ़	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32.	दा. न. हवेली	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33.	दमन व दीव	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00
34.	लक्षद्वीप	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35.	पांडिचेरी	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	योग	2279.05	2189.43	1118.00	790.04	714.80	982.34	170.40	20.68	0.00	164.31

विवरण IV

मध्याह्न भोजन योजना के तहत गेहूं का आवंटन और उठान

(आंकड़े हजार टन में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2003-04		2004-05		2005-06		2006-07		2007-08 (जुलाई 2007 तक)	
		आवंटन	उठान	आवंटन	उठान	आवंटन	उठान	आवंटन	उठान	आवंटन	उठान
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	आंध्र प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	अरुणाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.	असम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	बिहार	156.33	118.91	164.34	50.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	छत्तीसगढ़	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	दिल्ली	17.99	5.26	10.78	5.74	10.08	7.25	9.79	8.12	9.79	0.98
7.	गोवा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8.	गुजरात	30.05	19.40	30.11	24.53	33.96	29.59	37.74	31.09	33.74	5.79
9.	हरियाणा	22.94	20.65	23.04	12.53	14.34	6.93	16.45	8.02	16.45	1.91
10.	हिमाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.	जम्मू-कश्मीर	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12.	झारखंड	4.36	2.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13.	कर्नाटक	10.26	5.35	5.63	3.10	5.03	2.55	5.04	3.63	0.00	0.00
14.	केरल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15.	मध्य प्रदेश	128.08	116.88	120.91	103.93	144.62	125.24	144.64	124.13	144.64	25.48
16.	महाराष्ट्र	0.00	0.00	0.00	2.53	0.00	0.00	0.00	0.38	0.00	0.00
17.	मणिपुर	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18.	मेघालय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19.	मिजोरम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20.	नागालैंड	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.38	0.00	0.00
21.	उड़ीसा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22.	पंजाब	45.49	23.24	43.22	28.88	15.26	5.71	14.77	11.98	14.97	2.68
23.	राजस्थान	170.08	136.90	165.90	119.94	137.28	90.40	93.32	70.95	113.52	17.57
24.	सिक्किम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25.	तमिलनाडु	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26.	त्रिपुरा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27.	उत्तर प्रदेश	318.60	269.03	169.97	239.82	110.87	95.61	115.37	90.99	115.37	23.50
28.	उत्तराखंड	3.11	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29.	पश्चिम बंगाल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30.	अं. व नि. द्वीपसमूह	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31.	चण्डीगढ़	0.98	0.20	0.97	0.00	1.01	0.00	0.61	0.00	0.61	0.25
32.	दा. न. हवेली	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33.	दमन व दीव	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34.	लक्षद्वीप	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35.	पांडिचेरी	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	योग	908.27	720.00	734.87	592.13	472.45	363.28	437.73	349.67	449.09	78.16

विवरण V

कल्याण योजनाओं और छात्रावासों के तहत गेहूं का आवंटन और उठान

(आंकड़े हजार टन में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2003-04		2004-05		2005-06		2006-07		2007-08 (जुलाई 2007 तक)	
		आवंटन	उठान	आवंटन	उठान	आवंटन	उठान	आवंटन	उठान	आवंटन	उठान
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	आंध्र प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00	13.84	0.03	0.00	0.56	0.00	0.00
2.	अरुणाचल प्रदेश	0.24	0.00	0.23	0.00	0.10	0.00	0.08	0.00	0.03	0.00
3.	असम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	0.02	0.00	0.00	0.01
4.	बिहार	66.60	0.00	66.60	0.00	26.40	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	छत्तीसगढ़	6.48	0.03	5.65	5.87	2.12	0.59	0.60	0.00	0.20	0.01
6.	दिल्ली	5.64	0.00	5.61	0.00	2.04	0.00	0.32	0.03	0.11	0.04
7.	गोवा	0.24	1.41	0.24	0.00	0.17	0.00	0.12	0.00	0.05	0.00
8.	गुजरात	27.84	1.10	26.99	27.09	15.64	2.27	7.80	6.07	2.60	1.71
9.	हरियाणा	13.08	0.13	13.56	0.38	5.59	0.13	0.13	0.02	0.05	0.01
10.	हिमाचल प्रदेश	2.88	0.93	2.76	0.42	1.56	1.41	0.59	0.07	0.19	0.05
11.	जम्मू-कश्मीर	3.12	0.00	3.04	0.00	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12.	झारखंड	17.16	0.00	16.20	0.00	7.08	0.00	0.04	0.03	0.01	0.01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13.	कर्नाटक	29.39	3.40	10.00	3.34	8.21	3.11	21.01	4.37	2.27	0.36
14.	केरल	0.00	0.00	6.28	1.13	2.39	0.08	0.73	0.19	0.25	0.07
15.	मध्य प्रदेश	51.00	2.93	57.20	15.69	28.07	6.39	5.28	2.64	1.75	0.41
16.	महाराष्ट्र	75.48	11.54	67.11	16.53	39.32	9.32	17.64	9.68	5.87	3.09
17.	मणिपुर	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.06	0.12	0.10	0.05	0.05
18.	मेघालय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19.	मिजोरम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20.	नागालैंड	0.48	0.48	0.36	0.37	0.52	0.50	0.49	0.64	0.17	0.18
21.	उड़ीसा	0.00	0.01	0.00	0.02	2.68	0.00	0.00	0.03	0.00	0.00
22.	पंजाब	8.28	0.11	8.28	0.00	3.30	0.00	0.02	0.00	0.01	0.00
23.	राजस्थान	39.72	0.27	35.88	1.20	16.08	0.49	0.36	0.25	0.12	0.05
24.	सिक्किम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00
25.	तमिलनाडु	0.00	0.00	0.00	0.00	7.76	0.91	0.00	0.47	0.00	0.00
26.	त्रिपुरा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27.	उत्तर प्रदेश	124.80	0.00	109.20	0.06	40.10	1.10	0.18	0.09	0.07	0.05
28.	उत्तराखंड	3.24	0.50	3.24	0.00	1.22	0.00	0.08	0.00	0.00	0.00
29.	पश्चिम बंगाल	42.60	0.00	41.32	3.27	17.41	0.00	0.96	0.00	0.32	0.01
30.	अं. व नि. द्वीपसमूह	0.12	0.00	0.12	0.00	0.06	0.06	0.02	0.00	0.01	0.00
31.	चण्डीगढ़	0.48	0.00	0.24	0.00	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32.	दा. न. हवेली	0.00	0.04	0.06	0.00	0.03	0.12	0.01	0.00	0.00	0.00
33.	दमन व दीव	0.00	0.00	0.02	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34.	लक्षद्वीप	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35.	पांडिचेरी	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12	0.00	0.03	0.00
	योग	518.87	22.88	480.19	75.37	243.85	26.63	56.72	25.24	14.16	6.11

विवरण VI

गेहूं आधारित पोषाहार कार्यक्रम के तहत गेहूं का आवंटन और उठान

(आंकड़े हजार टन में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2003-04		2004-05		2005-06		2006-07		2007-08 (जुलाई 2007 तक)	
		आवंटन	उठान	आवंटन	उठान	आवंटन	उठान	आवंटन	उठान	आवंटन	उठान
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	आंध्र प्रदेश	32.73	26.67	29.00	26.60	28.00	27.73	16.00	14.53	20.00	0.86
2.	अरुणाचल प्रदेश	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	असम,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	बिहार	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	छत्तीसगढ़	50.00	45.51	39.57	33.48	29.46	36.73	41.33	38.47	0.00	0.00
6.	दिल्ली	0.00	0.00	0.00	0.00	0.76	0.97	0.00	0.01	0.00	0.00
7.	गोवा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
8.	गुजरात	31.00	30.49	40.00	27.93	31.50	10.04	20.00	21.90	35.00	4.53
9.	हरियाणा	0.90	7.67	1.72	56.23	0.87	2.19	1.00	1.01	0.70	0.14
10.	हिमाचल प्रदेश	1.10	0.81	1.10	0.63	1.60	1.28	2.90	2.89	2.50	0.02
11.	जम्मू-कश्मीर	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00
12.	झारखंड	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13.	कर्नाटक	35.00	3.42	19.20	5.46	3.10	4.70	10.00	2.21	11.00	0.00
14.	केरल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15.	मध्य प्रदेश	80.00	49.73	72.00	118.91	80.00	55.13	82.00	82.95	70.00	1.80
16.	महाराष्ट्र	0.00	0.90	0.00	3.98	0.00	23.12	0.00	4.53	0.00	0.00
17.	मणिपुर	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18.	मेघालय	1.81	1.71	2.26	1.94	0.92	0.92	1.44	0.00	0.00	0.00
19.	मिजोरम	8.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20.	नागालैंड	5.00	0.36	0.00	0.00	0.00	0.22	4.00	4.00	0.00	0.00
21.	उड़ीसा	0.00	47.12	68.88	57.80	20.69	19.90	21.26	13.64	19.00	2.32
22.	पंजाब	13.31	11.40	0.00	0.00	1.50	3.11	7.82	3.58	0.00	0.06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23.	राजस्थान	0.00	1.79	4.00	4.67	3.10	4.72	4.30	3.94	2.70	0.22
24.	सिक्किम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00
25.	तमिलनाडु	1.55	11.17	12.50	16.80	5.52	12.70	10.37	17.17	0.00	0.00
26.	त्रिपुरा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27.	उत्तर प्रदेश	106.14	8.52	51.66	0.00	73.54	48.31	87.40	80.52	140.00	22.43
28.	उत्तराखंड	3.00	0.00	0.00	0.00	0.98	6.57	10.00	0.00	11.00	0.83
29.	पश्चिम बंगाल	0.00	0.00	0.00	1.85	0.00	11.42	0.00	2.00	0.00	0.00
30.	अं. व नि. द्वीपसमूह	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31.	चण्डीगढ़	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.51	0.00	0.00
32.	दा. न. हवेली	0.06	0.01	0.05	0.00	0.08	0.00	0.14	0.00	0.00	0.00
33.	दमन व दीव	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34.	लक्षद्वीप	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35.	पांडिचेरी	0.00	0.00	0.00	0.59	0.00	0.00	0.12	0.00	0.03	0.00
	योग	372.45	247.28	341.94	356.87	281.62	273.47	319.96	293.86	311.90	33.21

विवरण VII

अन्नपूर्णा के तहत गेहूं का आवंटन और उठान

(आंकड़े हजार टन में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2003-04		2004-05		2005-06		2006-07		2007-08 (जुलाई 2007 तक)	
		आवंटन	उठान	आवंटन	उठान	आवंटन	उठान	आवंटन	उठान	आवंटन	उठान
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	आंध्र प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	अरुणाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	असम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.85	0.00	0.00
4.	बिहार	11.99	9.30	12.00	8.89	12.00	11.16	12.00	8.75	12.00	1.64
5.	छत्तीसगढ़	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	दिल्ली	0.02	0.00	0.02	0.00	0.02	0.00	0.02	0.00	0.02	0.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.	गोवा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8.	गुजरात	0.00	0.00	1.00	0.53	1.00	0.51	1.00	0.80	1.00	0.33
9.	हरियाणा	0.00	1.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.	हिमाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.	जम्मू-कश्मीर	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12.	झारखंड	0.00	0.00	0.00	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13.	कर्नाटक	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14.	केरल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15.	मध्य प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16.	महाराष्ट्र	0.00	0.00	9.00	6.43	9.00	8.36	9.00	7.08	9.00	1.04
17.	मणिपुर	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18.	मेघालय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19.	मिजोरम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20.	नागालैंड	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21.	उड़ीसा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22.	पंजाब	0.00	1.86	0.00	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.	राजस्थान	12.64	12.35	12.64	12.26	12.64	0.00	12.60	11.52	12.64	3.18
24.	सिक्किम	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	10.61	0.00	0.00	0.00	0.00
25.	तमिलनाडु	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26.	त्रिपुरा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27.	उत्तर प्रदेश	42.00	38.26	42.00	39.62	42.00	39.23	42.00	0.00	42.00	0.00
28.	उत्तराखंड	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29.	पश्चिम बंगाल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30.	अं. व नि. द्वीपसमूह	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31.	चण्डीगढ़	0.00	0.00	0.06	0.00	0.06	0.00	0.06	0.00	0.06	0.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32.	दा. न. हवेली	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33.	दमन व दीव	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34.	लक्षद्वीप	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35.	पांडिचेरी	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	योग	66.95	63.76	76.72	68.15	76.72	69.87	76.68	29.00	76.72	6.19

विवरण VIII

किशोरियों के लिए पोषाहार कार्यक्रम के तहत गेहूं का आवंटन और उठान

(आंकड़े हजार टन में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2002-2003		2003-2004		2005-2006		2006-2007	
		आवंटन	उठान	आवंटन	उठान	आवंटन	उठान	आवंटन	उठान
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आंध्र प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	अरुणाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	असम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	बिहार	5.73	0.00	0.00	0.00	9.00	1.40	0.55	0.00
5.	छत्तीसगढ़	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	दिल्ली	0.70	0.00	2.80	0.07	1.15	0.06	0.16	0.06
7.	गोवा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
8.	गुजरात	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9.	हरियाणा	1.27	0.00	5.10	0.00	2.00	1.33	0.60	0.53
10.	हिमाचल प्रदेश	0.93	0.00	0.00	0.93	1.50	1.50	0.79	0.82
11.	जम्मू-कश्मीर	0.00	0.00	5.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12.	झारखंड	1.90	0.00	0.00	0.00	3.05	0.00	0.65	0.00
13.	कर्नाटक	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14.	केरल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15.	मध्य प्रदेश	3.03	0.87	0.00	0.00	4.75	1.10	0.60	1.04
16.	महाराष्ट्र	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.38

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
17.	मणिपुर	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18.	मेघालय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19.	मिजोरम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20.	नागालैंड	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21.	उड़ीसा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22.	पंजाब	1.30	0.00	1.20	0.11	2.10	0.00	0.75	0.46
23.	राजस्थान	2.57	0.00	13.70	0.00	4.05	1.95	1.54	1.55
24.	सिक्किम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25.	तमिलनाडु	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26.	त्रिपुरा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27.	उत्तर प्रदेश	3.40	0.00	1.10	0.50	5.30	0.86	1.01	0.00
28.	उत्तराखंड	1.10	0.00	0.00	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00
29.	पश्चिम बंगाल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30.	अं. व नि. द्वीपसमूह	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31.	चण्डीगढ़	0.30	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.11	0.00
32.	दा. न. हवेली	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33.	दमन व दीव	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34.	लक्षद्वीप	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35.	पांडिचेरी	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	योग	22.23	0.87	29.00	1.61	35.20	8.20	6.76	6.92

विवरण IX

काम के बदले अनाज के राष्ट्रीय कार्यक्रम के तहत गेहूं का आवंटन और उठान

(आंकड़े हजार टन में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2004-2005		2005-2006		2006-2007	
		आवंटन	उठान	आवंटन	उठान	आवंटन	उठान
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	अरुणाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

1	2	3	4	5	6	7	8
3.	असम	0.00	0.00	0.00	3.39	0.00	0.13
4.	बिहार	0.00	0.00	2.37	0.00	0.00	0.00
5.	छत्तीसगढ़	0.00	0.00	0.00	13.41	0.00	0.44
6.	दिल्ली	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.	गोवा	0.00	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00
8.	गुजरात	41.04	17.15	13.36	55.44	0.00	0.27
9.	हरियाणा	2.89	0.00	1.04	3.93	0.00	0.00
10.	हिमाचल प्रदेश	1.39	0.30	1.67	1.72	0.00	0.00
11.	जम्मू-कश्मीर	1.49	0.00	1.80	0.07	0.00	0.00
12.	झारखंड	66.56	2.44	27.76	37.63	0.00	3.31
13.	कर्नाटक	6.01	0.82	2.17	6.03	0.00	0.55
14.	केरल	1.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15.	मध्य प्रदेश	107.79	0.00	126.89	112.39	0.00	4.31
16.	महाराष्ट्र	83.66	9.86	19.02	73.74	0.00	6.94
17.	मणिपुर	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30
18.	मेघालय	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00	0.30
19.	मिजोरम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20.	नागालैंड	1.49	0.00	0.00	0.49	0.00	0.00
21.	उड़ीसा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22.	पंजाब	7.36	20.20	2.66	0.22	0.00	4.02
23.	राजस्थान	36.27	4.91	43.66	34.60	0.00	0.00
24.	सिक्किम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25.	तमिलनाडु	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26.	त्रिपुरा	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.04
27.	उत्तर प्रदेश	213.26	1.49	9.31	54.07	0.00	0.00
28.	उत्तराखंड	3.49	0.80	0.99	2.62	0.00	0.00
29.	पश्चिम बंगाल	0.00	0.00	0.00	8.27	0.00	0.86
30.	अं. व नि. द्वीपसमूह	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

1	2	3	4	5	6	7	8
31.	चण्डीगढ़	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32.	दा. न. हवेली	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33.	दमन व दीव	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34.	लक्षद्वीप	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35.	पांडिचेरी	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	योग	574.57	65.34	252.70	408.32	0.00	2.47

कृषि उपजों हेतु लाभकारी मूल्य

***284. डा. सत्यनारायण जटिया:**
श्रीमती रूपाताई डी. पाटील:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कृषि उपजों हेतु लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा किन नीतियों और उपायों को अपनाया गया और इनके क्या परिणाम निकले हैं;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान और उसके बाद गेहूं के आयात मूल्य, खरीद मूल्य और बोनस तथा विक्रय मूल्य के तुलनात्मक आंकड़े क्या हैं;

(ग) क्या किसानों को लाभकारी मूल्य प्रदान करने और पर्याप्त खरीद सुनिश्चित करने के लिए गेहूं की खरीद हेतु अदा किए गए खरीद मूल्य और बोनस की समीक्षा की जा रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या अन्य कृषि उपजों हेतु भी बोनस के भुगतान पर विचार किया जा रहा है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसमें अब तक कितनी प्रगति हुई है?

कृषि मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद पवार): (क) से (च) 2006-07 हेतु गेहूं के लिए 50 रुपए प्रति क्विंटल की दर से 650 रुपए प्रति क्विंटल के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर अतिरिक्त बोनस दिया गया। 2007-08 के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य को 750 रुपए तक बढ़ा दिया गया तथा 100 रुपए प्रति क्विंटल की दर से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर बोनस दिया गया।

रबी विपणन मौसम 2007-08 के दौरान प्रापण मूल्य तथा गेहूं के प्रापण के लिए दिए गए बोनस की पुनर्वीक्षा हेतु कोई प्रस्ताव नहीं है। 2007-08 के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 40 रुपए प्रति क्विंटल की दर से खरीफ दालों यथा अरहर, मूंग तथा उड़द पर बोनस की घोषणा की गयी।

[अनुवाद]

फसलों की उत्पादकता

***285. श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया:** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान तथा उसके बाद देश में और अन्य विकसित देशों में चावल, गेहूं, मक्का, दालों, तिलहनों तथा ज्वार जैसी प्रमुख फसलों की उत्पादकता के रूझान का तुलनात्मक ब्यौरा क्या है; और

(ख) देश में इन फसलों की उत्पादकता में वृद्धि करने और इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक लाने के लिए सरकार द्वारा क्या प्रयास किए जा रहे हैं?

कृषि मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद पवार): (क) धान, गेहूं, दालों यथा चना, लेन्टिल तथा सूखे बीन्स, तिलहनों यथा मूंगफली, सोयाबीन तथा रेपसीड एवं सरसों तथा मिलेट्स की उत्पादकता में प्रवृत्ति के तुलनात्मक विवरण भारत तथा अन्य विकासशील देशों में, 2001 से 2005 तक (नवीनतम उपलब्ध) संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) अनाजों की उत्पादकता बढ़ाने के लिए अक्तूबर, 2000 से "चावल, गेहूं तथा मोटे अनाजों में एकीकृत अनाज विकास कार्यक्रम (आई.सी.डी.पी.)" केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमें कार्यान्वित

की जा रही है। स्कीम के अंतर्गत भारत सरकार तथा राज्य सरकारों के बीच 90:10 के आधार पर उन्नत/हाइब्रीड उत्पादन प्रौद्योगिकी, कीट प्रबन्धन, कृषि संबंधी उपकरण, छिड़काव सिंचाई प्रणाली आरम्भ करना, किस्मीय बदलाव तथा प्रमाणित बीजों के उत्पादन के प्रचार के लिए सहायता प्रदान की जाती है। इसी प्रकार तिलहनों, दालों तथा मक्का की उत्पादकता में वृद्धि लाने के लिए एक केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम "तिलहन, दालों, पाम आयल तथा मक्का पर केन्द्रीय प्रायोजित एकीकृत स्कीम" 1.4.2004 से कार्यान्वयन में है। इस स्कीम के अंतर्गत, नस्ली बीज/फाउंडेशन बीज/प्रमाणित बीजों का उत्पादन, गुणवत्ता बीज उत्पादन के लिए क्रेश कार्यक्रम, प्रमाणित बीजों तथा मिनीकिट्स का वितरण, बुनियादी ढांचे का विकास तथा एकीकृत कीट प्रबंधन के लिए, भारत सरकार तथा राज्य सरकारों के बीच 75:25 के आधार पर सहायता प्रदान की जाती है।

भारत सरकार ने अभी हाल ही में दो स्कीमों की मंजूरी प्रदान कर दी है यथा (1) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, खाद्यान्नों का उत्पादन तथा उत्पादकता बढ़ाने हेतु, तथा (2) अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता स्कीम, कृषि क्षेत्र में और अधिक निवेश जिससे कि क्षेत्र की सम्पूर्ण वृद्धि सम्भावित है हेतु राज्यों को प्रोत्साहित करने के लिए।

विवरण

भारत और दूसरे विकासशील देशों में प्रमुख फसलों की उत्पादकता में प्रवृत्ति

देश	उत्पादकता (कि.ग्रा./हैक्टेयर)				
	2001	2002	2003	2004	2005
1	2	3	4	5	6
धान					
भारत	3116	2615	3225	2928	3284
चीन	6152	6186	6061	6309	6259
अर्जेंटीना	5698	5746	5396	6265	6340
मेक्सिको	4258	4503	4555	4463	5065
इजिप्ट	9283	9389	9748	9838	9987
मक्का					
भारत	2000	1679	1681	2041	1907
चीन	4700	4927	4815	5122	5288
अर्जेंटीना	5455	6079	6477	6393	7359
मेक्सिको	2578	2711	2753	2819	2727
इजिप्ट	6980	7766	7829	7909	8120
चना					
भारत	744	853	717	811	815
चीन	3000	2800	4000	3891	4135
अर्जेंटीना	1000	1000	1000	1073	1146

1	2	3	4	5	6
मेक्सिको	1677	1595	1248	1414	1371
इजिप्ट	1848	1852	1917	2017	2238
मसूर					
भारत	619	665	634	743	675
चीन	1087	1136	1467	2101	1929
अर्जेंटीना .	600	1500	1333	921	एन.ए.
मेक्सिको	869	1222	683	802	891
इजिप्ट	1679	1703	1625	1761	1771
सोयाबीन					
भारत	940	777	762	1193	908
चीन	1625	1893	1653	1815	1751
अर्जेंटीना	2583	2644	2802	2200	2729
मेक्सिको	1650	1532	1186	1490	1767
इजिप्ट	2792	2990	3459	3027	3400
गेहूं					
भारत	2708	2762	2610	2713	2602
चीन	3806	3777	3932	4252	4275
अर्जेंटीना	2240	2033	2539	2630	2532
मेक्सिको	4074	4099	4613	4769	4906
इजिप्ट	6358	6435	6500	6557	6486
मिलेट					
भारत	900	627	1087	912	1000
चीन	1712	1909	1896	1979	2102
अर्जेंटीना	1697	2033	1844	1571	1700
मेक्सिको	800	1225	1250	1242	1259
इजिप्ट	–	–	–	–	–
बीन्स, सूखी					
भारत	383	370	428	375	333

1	2	3	4	5	6
चीन	1352	1435	1582	1511	1338
अर्जेंटीना	1023	1083	1163	1255	1186
मेक्सिको	626	754	743	693	952
इजिप्ट	2707	2678	2666	2820	2658
मूंगफली					
भारत	1154	694	1357	1020	1179
चीन	2885	3012	2655	3023	3074
अर्जेंटीना	2246	2325	2018	2499	2824
मेक्सिको	1505	1204	1760	1436	1210
इजिप्ट	3237	3222	3166	3159	3065
तोरिया एवं सरसों					
भारत	935	1002	854	1159	1038
चीन	1592	1475	1579	1810	1791
अर्जेंटीना	1770	1046	1361	1250	1529
मेक्सिको	1011	1011	1010	1252	1290
इजिप्ट	–	–	–	–	–

स्रोत : 30.08.2007 को एफएओ वैबसाइट से।

लघु उद्योगों के लिए योजना

***286. श्री एस.के. खारवेनथन:**
श्री सूरज सिंह:

क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा लघु उद्योगों को प्रदान किए जाने वाले बैंक ऋण, केन्द्रीय अनुदान तथा अन्य लाभ अब नहीं दिए जा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या ग्यारहवीं योजना अवधि के दौरान ऐसी योजनाओं को जारी रखने के लिए योजना आयोग से बात की गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर योजना आयोग की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ङ) रुग्ण लघु उद्योगों को सभी आवश्यक सुविधाएं प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री (श्री महावीर प्रसाद): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता है।

(ग) और (घ) योजना आयोग द्वारा सचिव, भारत सरकार, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय की अध्यक्षता में ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना (2007-12) के लिए सूक्ष्म तथा लघु उद्यमों तथा कृषि एवं ग्रामीण उद्योगों पर गठित कार्यकारी समूह ने अन्य बातों के साथ-साथ ग्यारहवीं योजना अवधि के दौरान स्कीमों को जारी

रखने के लिए अपनी सिफारिशें योजना आयोग को प्रस्तुत कर दी हैं। जारी रखने के लिए सिफारिश की गई स्कीमों की सूची संलग्न विवरण में प्रस्तुत है। मामले पर अधिकारियों तथा योजना आयोग के सदस्यों के साथ विचार-विमर्श किया गया है। यह आशा की जाती है कि योजना आयोग इस विषय में शीघ्र निर्णय लेगा। फिलहाल, सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यम मंत्रालय के बजट अनुमान 2007-08 में आकलित व्यय 1642 करोड़ रुपये का है जोकि मंत्रालय तथा योजना आयोग द्वारा पता लगाई गई स्कीमें जिन्हें वित्तीय वर्ष 2007-08 के दौरान जारी रखा जाएगा, के कार्यान्वयन में लगाया जाएगा।

(ङ) रुग्णता के बारे में पहले चरण में पता लगाने तथा उनके पुनरुद्धार के लिए शीघ्र कार्रवाई करने में बैंकों की सहायता करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने रुग्ण सूक्ष्म और लघु उद्यमों के पुनर्वास के लिए जनवरी, 2002 में विस्तृत दिशानिर्देश जारी किए हैं। इसके अलावा, सरकार ने अनेक उपाय किए हैं जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ शामिल हैं: सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 का कार्यान्वयन, फरवरी/मार्च, 2007 में सूक्ष्म तथा लघु उद्यमों के संवर्धन के लिए एक पैकेज की घोषणा, अगस्त, 2005 में एस एम ई को क्रेडिट बढ़ाने के लिए पैकेज की घोषणा, देश में सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यमों के विकास की सुविधा और प्रतिस्पर्धात्मकता के लिए राष्ट्रीय विनिर्माण प्रतिस्पर्धात्मकता कार्यक्रम की घोषणा, ताकि क्षेत्र में रोजगार सृजन को बढ़ावा दिया जा सके।

विवरण

दसवीं योजना की स्कीमें/कार्यक्रमों की सूची जिन्हें जारी रखे जाने की सिफारिश की गई है

क्र.सं.	योजनाएं/कार्यक्रम
1	2
(क)	**लघु उद्योग मंत्रालय**
I.	**लघु उद्योग**
1.	लघु उद्योग सेवा संस्थान
2.	एमटीआर को कार्यशालाओं का उन्नयनीकरण
3.	विज्ञापन एवं प्रचार
4.	लघु उद्योग समाचार
5.	सीनेट परियोजना
II.	**अनुसंधान संस्थान**
1.	ईएसटीसी, रामनगर
2.	एनजीटीसी, फिरोजाबाद
3.	पीपीडीसी, मेरठ
4.	पीपीडीसी, आगरा
5.	पीपीडीसी, कन्नौज
6.	आईडीईएमआई, मुंबई
7.	सीआईटीडी, हैदराबाद
III.	**प्रशिक्षण संस्थान एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम**
1.	सीएफटीआई, चेन्नै
2.	सीएफटीआई, आगरा
3.	एमडीपी
4.	सीडो अधिकारी प्रशिक्षण कार्यक्रम
5.	ईडीपी
6.	डब्ल्यूटीओ
7.	आईपीआर
8.	राष्ट्रीय पुरस्कार (ईडीपी)
9.	ट्रेड
IV.	**अनुषंगी विकास**
1.	अनुषंगीकरण के लिए विक्रेता विकास कार्यक्रम
V.	**टूल रूम**
1.	सीटीआर एंड टीसी, कोलकाता
2.	सीटीआर, लुधियाना
3.	आईजीटीआर, अहमदाबाद
4.	आईजीटीआर, औरंगाबाद
5.	आईजीटीआर, इंदौर
6.	सीटीआर एंड टीसी, भुवनेश्वर
7.	आईडीटीआर, जमशेदपुर

1	2
	8. एचटीआई, जालंधर
	9. एचटीआई, नागौर
	10. तकनीकी प्रशिक्षण केन्द्र, गुवाहाटी
VI.	**विपणन सहायता एवं ई पी**
	1. प्रचार एवं प्रदर्शनी
	2. निर्यात संवर्धन
	3. राष्ट्रीय पुरस्कार (गुणवत्ता)
	4. एमडीए योजना
VII.	**परीक्षण केन्द्र**
	1. आरटीसी
	2. एफटीसी
VIII.	**प्रौद्योगिकी उन्नयन**
	1. लघु उद्योग क्लस्टर विकास कार्यक्रम
	2. आईएसओ 9000 प्रतिपूर्ति
	3. सीडो कार्यशालाओं का आधुनिकीकरण
	4. ऊर्जा संरक्षण कार्यक्रम
IX.	**आईआईडी योजना** [लघु उद्योग कैंयर विकास कार्यक्रम में समाविष्ट जिसे अब सूक्ष्म एवं लघु उद्यम क्लस्टर विकास कार्यक्रम (एमएसईसीडीपी) के नाम से जाना जाता है]
X.	**सांख्यिकी का संग्रहण**
XI.	**लघु उद्योग क्षेत्र के लिए क्रेडिट गारंटी योजना**
XII.	**क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी योजना**
XIII.	**सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के संवर्धन हेतु पैकेज**
एनएसआईसी	
I.	अन्य अनुदान
II.	विपणन सहायता **योजना**
अन्य योजनाएं	
I.	सर्वेक्षण, अध्ययन एवं नीति अनुसंधान
II.	अंतर्राष्ट्रीय सहयोग

1	2
III.	प्रशिक्षण संस्थान
	1. निसिएट, हैदराबाद
	2. निस्बड, नोएडा
	3. ईडीआई को सहायता
	4. आईआईई, गुवाहाटी (पूर्वोत्तर प्रदेश)
	5. एनसीईयूएस
I.	असंगठित क्षेत्र में राष्ट्रीय उद्यम आयोग
(ख)	**कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्रालय**
I.	**केवीआईसी**
क.	**खादी**
	1. खादी के लिए एमडीए सहित खादी अनुदान (10.00 करोड़ रु.)
	2. खादी (एसएण्डटी)
	3. ब्याज सब्सिडी (खादी)
	4. खादी ऋण
ख.	**ग्राम उद्योग**
	1. ग्रामोद्योग अनुदान
	2. ग्रामोद्योग अनुदान (एसएण्डटी)
	3. ग्रामोद्योग ऋण
	4. ब्याज सब्सिडी (ग्रामोद्योग)
	5. आरईजीपी
II.	**कैंयर बोर्ड**
	1. योजना (एसएण्डटी)
	2. योजना (सामान्य)
	3. प्रशिक्षण विस्तार, गुणवत्ता सुधार
	4. महिला कैंयर योजना* एवं कल्याण उपाय
III.	**पीएमआरवाई प्रभाग, पीएमआरवाई (संशोधित)**
	1. पीएमआरवाई सब्सिडी
	2. सब्सिडी ईडीपी
IV.	**पारंपरिक उद्योगों के पुनर्सृजन के लिए निधि योजना (स्फूर्ति)**

प्रौद्योगिकी मिशन

*287. **श्री किसनभाई वी. पटेल:**
श्री सुग्रीव सिंह:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने तिलहनों, दालों, आयल पाम तथा मक्का संबंधी प्रौद्योगिकी मिशन की पुनर्संरचना की है तथा इसे कार्यान्वित किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उत्पादन बढ़ाने के लिए शुरू की गई नई प्रौद्योगिकी का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार विभिन्न राज्यों को तिलहन, दाल, आयल पाम तथा मक्का की समेकित योजना (आईएसओपीओएम) के अंतर्गत सहायता प्रदान करती है;

(ङ) यदि हां, तो वर्ष 2005-06 तथा 2006-07 के दौरान अब तक दी गयी सहायता के आवंटन का योजनावार ब्यौरा क्या है तथा मानदंड क्या-क्या हैं; और

(च) इस संबंध में सरकार अब तक अपने लक्ष्य प्राप्त करने में कहां तक सफल हो पाई है?

कृषि मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद पवार): (क) और (ख) तिलहनों का उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने और देश को खाद्य तेलों में आत्मनिर्भर बनाने के लिए भारत सरकार ने वर्ष 1986 में तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन की शुरूआत की। बाद में दलहन, आयल पाम और मक्का को प्रौद्योगिकी मिशन के अंतर्गत लाया गया। तथापि, यह मिशन के रूप में पहले के तिलहन उत्पादन कार्यक्रम (ओपीपी), राष्ट्रीय दलहन विकास परियोजना (एनपीडीपी), आयल पाम विकास कार्यक्रम (ओपीडीपी) और त्वरित मक्का विकास कार्यक्रम (एएमडीपी) को मिलाकर एक केन्द्रीय प्रायोजित समेकित तिलहन, दलहन, आयल पाम एवं मक्का स्कीम (आइसोपाम) के रूप में तैयार की गई। आइसोपाम 1.4.2004 से तिलहन, दलहन, मक्का और आयल पाम उत्पादन के मुख्य राज्यों में कार्यान्वित की जा रही है।

(ग) देश में तिलहन, दलहन, मक्का और आयल पाम का उत्पादन बढ़ाने के लिए अपूर्ण (डैफिशियेंट) मृदाओं में सूक्ष्म पोषक तत्वों (सल्फर, जिंक, बोरोन आदि) का अनुप्रयोग, जैव-उर्वरकों के माध्यम से पोषक तत्व, समेकित कीट प्रबंधन (आईपीएम), स्प्रिंकलर/ड्रिप सिंचाई, जिप्सम/लाइम आदि के अनुप्रयोग के जरिये मृदा सुधार आदि जैसी उत्पादन प्रौद्योगिकियों को आइसोपाम के अधीन बढ़ावा दिया गया है।

(घ) और (ङ) भारत सरकार उन्नत उत्पादन प्रौद्योगिकियों की लोकप्रियता को बढ़ावा देने की दृष्टि से विभिन्न उत्पादन आदानों के लिए आइसोपाम को कार्यान्वित कर रहे राज्यों को 75:25 शेयरिंग आधार पर वित्तीय सहायता मुहैया कराती है। निधियों का राज्य-वार आवंटन वास्तविक और वित्तीय उपलब्धियों के संबंध में राज्यों के पिछले निष्पादन के अलावा तिलहन, दलहन, आयल पाम और मक्का की खेती के अधीन क्षेत्र तथा इन फसलों के कुल उत्पादन में अलग-अलग राज्यों के अंशदान के आधार पर किया जाता है। वर्ष 2005-06 तथा 2006-07 के दौरान राज्यों को आबंटित निधियों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(च) देश ने वर्ष 2006-07 के दौरान तिलहनों में 238.84 लाख टन, दलहन में 142.31 लाख टन और मक्का में 149.79 लाख टन के उत्पादन का लक्ष्य प्राप्त कर लिया है। जहां तक आयल पाम का संबंध है, वर्ष 2006-07 के दौरान 18176 हैक्टेयर के क्षेत्र विस्तार का लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया है।

विवरण

आइसोपाम के कार्यान्वयन हेतु वर्ष 2005-06 और 2006-07 के दौरान राज्यों को निधि आवंटन का ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य का नाम	आवंटन (2005-06)	आवंटन (2006-07)
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	4900.00	4542.00
2.	असम	15.00	30.00
3.	बिहार	245.00	385.00
4.	छत्तीसगढ़	400.00	675.00
5.	गुजरात	1850.00	975.00
6.	गोवा	16.50	3.00
7.	हरियाणा	434.00	411.00
8.	हिमाचल प्रदेश	75.50	75.00
9.	जम्मू-कश्मीर	142.50	0.00
10.	कर्नाटक	1800.00	2700.00

1	2	3	4
11.	केरल	7.50	15.00
12.	मध्य प्रदेश	2400.00	3750.00
13.	महाराष्ट्र	2739.30	925.00
14.	मिजोरम	90.00	180.00
15.	उड़ीसा	500.00	525.00
16.	पंजाब	87.50	0.00
17.	राजस्थान	2840.00	2934.50
18.	तमिलनाडु	1245.00	1345.00
19.	त्रिपुरा	20.00	40.00
20.	उत्तर प्रदेश	1065.00	1115.00
21.	पश्चिम बंगाल	450.00	674.50
	कुल	21322.80	21300.00

[हिन्दी]

गांवों में उप-डाकघर

***288. श्री मनसुखभाई डी. वसावा:**
श्री काशीराम राणा:

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) इस समय देश में ऐसे कितने गांव हैं जहां उप-डाकघर कार्य कर रहे हैं;

(ख) दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कितने गांवों में उप-डाकघर खोले गए हैं;

(ग) देश में डाकघर खोलने के लिए क्या मानदण्ड अपनाए जाते हैं;

(घ) क्या ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में डाकघर खोलने के मानदण्ड अलग-अलग हैं;

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(च) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री ए. राजा): (क) देश में 12,727 गांवों में उप-डाकघर कार्य कर रहे हैं।

(ख) दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 35 गांवों में उप-डाकघर खोले हैं।

(ग) देश में डाकघर खोलने के लिए मानदंड संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(घ) जी, हां।

(ङ) ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में डाकघर खोलने के लिए अलग-अलग मानदंड होने का कारण ग्रामीण क्षेत्रों के लिए डाक सेवाओं तक समुचित पहुंच उपलब्ध करवाना है जो शहरी क्षेत्रों के लिए लागू मानदंडों को अपनाने पर संभव नहीं होगी।

(च) सरकार द्वारा मानदंड निर्धारित किए गए हैं।

विवरण

ग्रामीण डाक सेवक शाखा डाकघर खोलने के मानदंड
(ग्रामीण क्षेत्र)

1.1 जनसंख्या

(क) सामान्य क्षेत्रों में:

गांवों के एक समूह की जनसंख्या 3000 (प्रस्तावित डाकघर ग्राम सहित)

(ख) पहाड़ी, जनजातीय, रेगिस्तानी और दुर्गम क्षेत्रों में:

एक अकेले गांव की जनसंख्या 500 अथवा गांवों के एक समूह की जनसंख्या 1000

1.2 दूरी:

(क) सामान्य क्षेत्रों में:

मौजूदा निकटमत डाकघर से न्यूनतम दूरी 3 कि.मी. होनी चाहिए।

(ख) पहाड़ी, जनजातीय, रेगिस्तानी और दुर्गम क्षेत्रों में:

पहाड़ी क्षेत्र को छोड़कर दूरी की सीमा वही होगी जिसका ऊपर उल्लेख किया गया है। निदेशालय द्वारा उन मामलों में न्यूनतम दूरी की सीमा में छूट दी जा सकती है जहां विशेष परिस्थितियों में ऐसी छूट अपेक्षित है। इन परिस्थितियों का प्रस्ताव प्रस्तुत करते समय इसका स्पष्ट उल्लेख किया जाना चाहिए।

1.3 **अनुमानित आय:**

(क) **सामान्य क्षेत्रों में:**

न्यूनतम अनुमानित राजस्व लागत की 33 $^{1}/_{3}$ प्रतिशत होनी चाहिए।

(ख) **पहाड़ी, जनजातीय, रेगिस्तानी और दुर्गम क्षेत्रों में:**

न्यूनतम अनुमानित राजस्व लागत का 15 प्रतिशत होना चाहिए।

इसके अलावा यह भी सुनिश्चित किया जाना है कि नया डाकघर खोलने के परिणामस्वरूप न तो मूल डाकघर का घाटा अनुमेय सीमा से अधिक हो और न ही उसकी आय न्यूनतम निर्धारित सीमा से कम हो।

विभागीय उप डाकघर का दर्जा बढ़ाने/खोलने के मानदंड:

2(क) **ग्रामीण क्षेत्रों में:**

जिस अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर का दर्जा बढ़ाने का प्रस्ताव है, उसका न्यूनतम कार्यभार पांच घंटे प्रतिदिन होना चाहिए। सामान्य ग्रामीण क्षेत्रों में वार्षिक घाटे की अनुमेय सीमा 2400/- रु. तथा जनजातीय और पहाड़ी क्षेत्रों में 4800/- रु. है।

इसके अलावा यह भी सुनिश्चित किया जाना है कि नया डाकघर खोलने के परिणामस्वरूप न तो मूल डाकघर का घाटा अनुमेय सीमा से अधिक हो और न ही उसकी आय न्यूनतम निर्धारित सीमा से कम हो।

2(ख) **शहरी क्षेत्रों में:**

शहरी क्षेत्रों में डाकघर आरंभ में आत्मनिर्भर होना चाहिए तथा प्रथम वार्षिक पुनरीक्षा के समय इसे 5 प्रतिशत लाभ दिखाना चाहिए ताकि उसकी पात्रता आगे भी बनी रहे।

20 लाख और उससे अधिक जनसंख्या वाले शहरों में दो डाकघरों के बीच न्यूनतम दूरी 1.5 कि.मी. होनी चाहिए, तथा अन्य शहरी क्षेत्रों में यह 2 कि.मी. होनी चाहिए। तथापि, कोई भी दो वितरण डाकघर एक दूसरे से 5 कि.मी. से नजदीक नहीं होने चाहिएं।

शहरी क्षेत्र में एक वितरण डाकघर में न्यूनतम 7 पोस्टमैन बीट्स होनी चाहिएं।

बिना सत्यापन किए प्रिपेड कनेक्शन

*289. **श्री श्रीपाद येसो नाईक:**
श्री चन्द्र मणि त्रिपाठी:

क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या निजी दूरसंचार कंपनियां अपना बाजार बढ़ाने के लिए अधूरे दस्तावेजों के आधार पर प्रिपेड कनेक्शन जारी कर रही हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या इस प्रकार से जारी सिम कार्डों का अवैध एवं आतंकवादी गतिविधियों के लिए प्रयोग किया जा रहा है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस संबंध में निजी दूरसंचार कंपनियों को कोई दिशा-निर्देश जारी किए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा निजी कंपनियां किस प्रकार से इन दिशा-निर्देशों का पालन कर रही हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री ए. राजा): (क) से (घ) दूरसंचार विभाग की जानकारी में ऐसी कुछ घटनाएं आई हैं जहां कुछ मोबाइल सेवा प्रदाता उपभोक्ता सत्यापन के संबंध में दूरसंचार विभाग द्वारा समय-समय पर जारी अनुदेशों का पूर्णत: अनुपालन नहीं कर रहे हैं, जिससे कुछ मोबाइल फोनों का अवैध और आतंकवाद संबंधी गतिविधियों के लिए इस्तेमाल किए जाने की संभावना उत्पन्न हो गई है।

नमूना जांच के माध्यम से उपभोक्ता सत्यापन की स्थिति का पता लगाने हेतु विशेष अभियान चलाए गए थे। विशेष अभियान के परिणामस्वरूप मिली जानकारी के आधार पर इस 31 मार्च, 2007 तक ऐसे सभी कनेक्शन काट दें, जो समुचित सत्यापन के बिना प्रदान किए गए हैं।

दूरसंचार विभाग ने सेवा प्रदाताओं द्वारा किए जा रहे उपभोक्ता सत्यापन की जांच की, जिसमें कुछ विसंगतियां पाई गई। इस संबंध में संबंधित सेवा प्रदाताओं को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिए गए हैं।

[अनुवाद]

भारतीय खाद्य निगम का कार्यकरण

*290. **श्री एम. राजा मोहन रेड्डी: क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों में से प्रत्येक वर्ष के दौरान भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) को हुए लाभ अथवा घाटे का ब्यौरा क्या है;

(ख) घाटा होने के क्या कारण हैं; और

(ग) गत तीन वर्षों में से प्रत्येक वर्ष के दौरान तथा वर्तमान में एफ सी आई की उपलब्ध भण्डारण क्षमता कितनी रही है?

कृषि मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद पवार): (क) और (ख) भारतीय खाद्य निगम "न लाभ न हानि" के आधार पर कार्य करता है। भारतीय खाद्य निगम सरकार द्वारा निर्धारित वसूली मूल्य (न्यूनतम समर्थन मूल्य+लागू बोनस) पर खाद्यान्नों की वसूली करता है और उन्हें लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली तथा कल्याण योजनाओं के लिए राज्य सरकारों को भारतीय खाद्य निगम की आर्थिक लागत से कम मूल्य (रक्षा और संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना हेतु आबंटन को छोड़कर) पर सुपुर्द करता है। भारतीय खाद्य निगम के खर्च और इसकी बिक्री से प्राप्तियों के बीच के अंतर की प्रतिपूर्ति सरकार द्वारा खाद्य राजसहायता के रूप में की जाती है।

(ग) पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वर्षों के लिए भारतीय खाद्य निगम के पास उपलब्ध कुल भंडारण क्षमता (ढकी हुई/कैप/अपनी/किराये की) निम्नानुसार है:

(आंकड़े मिलियन टन में)

वर्ष (31/3 की स्थिति के अनुसार)	कुल भंडारण क्षमता (ढकी हुई/कैप/अपनी/किराये की)
2004-05	26.03
2005-06	25.56
2006-07	25.20
2007-08 (30.6.2007 की स्थिति के अनुसार)	24.75

नि:शक्त सैनिकों का पुनर्वास

*291. **श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु:**
श्री जसुभाई धानाभाई बारड़:

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आज की स्थिति के अनुसार देशभर में ऐसे नि:शक्त सैनिकों की संख्या कितनी है जिनका पुनर्वास किए जाने की आवश्यकता है;

(ख) क्या रक्षा मंत्रालय ने नि:शक्त सैनिकों और युद्ध में मारे गए सैनिकों की विधवाओं के पुनर्वास के लिए कई कदम उठाए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और गत तीन वर्षों के दौरान वर्षवार कितने लोगों का पुनर्वास किया गया;

(घ) क्या रक्षा मंत्रालय ने सरकार से नि:शक्त सैनिकों और युद्ध में मारे गए सैनिकों की विधवाओं को नौकरियों में आरक्षण प्रदान करने का अनुरोध भी किया है; और

(ङ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी): (क) से (ङ) 1 अप्रैल, 2006 को देश में निशक्त सिपाहियों की संख्या 2,78,301 है। इनमें से 241 निशक्त सिपाही रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय, श्रम मंत्रालय के भूतपूर्व सैनिक एकक के चालू रजिस्टर में पंजीकृत हैं और वे जुलाई, 2007 तक रोजगार सहायता की प्रतीक्षा में है।

2. निशक्त सिपाहियों का पुनर्वास एक सतत प्रक्रिया है। इस संबंध में सरकार की निम्नलिखित योजनाएं हैं:-

आर्थिक पुनर्वास

(1) **कोयला टिथर योजना:** पात्र विधवाएं/निशक्त सैनिक स्वरोजगार योजना के तहत इस योजना में भाग ले सकते हैं जिनके अनुसार उन्हें पुनर्वास महानिदेशालय द्वारा नामित किसी कोयला ट्रांसपोर्ट कंपनी के पास 85,000/- रुपए जमा कराने होते हैं। नामित कोयला ट्रांसपोर्ट कंपनी 5 वर्ष की अवधि तक विधवा/निशक्त सैनिकों को 3,000/- रुपए प्रतिमाह अदा करती है और उसके बाद उनके द्वारा जमा कराई गई 85,000/- रुपए की धनराशि उन्हें लौटा दी जाती है।

(2) **तेल उत्पाद एजेंसियों का आबंटन:** पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने युद्ध/शांतिकाल में सैन्य कारणों की वजह से मारे गए कार्मिकों की विधवाओं और निशक्त हुए कार्मिकों और उन पर आश्रितों के लिए विपणन योजना में 8 प्रतिशत तेल उत्पाद एजेंसियां अर्थात् एलपीजी डीलरशिप, पेट्रोल पंपों, कैरोसीन वितरण आदि आरक्षित की हुई है।

3. विगत तीन वर्ष में जो कार्मिक उक्त योजनाओं से लाभान्वित हुए हैं, उनकी संख्या इस प्रकार है:-

(1) कोयला टिप्पर योजना से लाभान्वित हुई विधवाओं/निशक्त कार्मिकों की संख्या

	विधवाएं	निशक्त कार्मिक	कुल
2005	98	08	106
2006	69	15	84
2007	97	34	131
			(आज की तारीख तक)

(2) तेल उत्पाद एजेंसियों का आबंटन

पुनर्वास महानिदेशालय द्वारा विधवाओं/आश्रितों/निशक्त सैनिकों को जारी किए गए पात्रता प्रमाणपत्रों की संख्या:-

	विधवाएं/आश्रित	निशक्त कार्मिक	कुल
2005	336	136	472
2006	123	32	155
2007	33	15	48

स्वास्थ्य पुनर्वास

जिन निशक्त सिपाहियों को कृत्रिम अंग उपलब्ध कराए गए हैं, उनकी संख्या नीचे दिए अनुसार है:

वर्ष	निशक्त सैनिकों की संख्या जिन्हें कृत्रिम अंग उपलब्ध कराए गए हैं	उन परिवारों की संख्या जिन्हें कृत्रिम अंग उपलब्ध कराए गए हैं
2005	1389	309
2006	1663	245
2007 जून 07 तक	813	146

विगत तीन वर्ष के दौरान जिन निशक्त सैनिकों का विभिन्न अधरांगघात संबंधी केंद्रों और चेशायर होम में पुनर्वास किया गया है, उनकी संख्या नीचे दिए अनुसार है:-

	2004-05	2005-06	2006-07
पीआरसी खड़की	75	73	78
पीआरसी मोहाली	26	35	38
सैंट डंस्टंस	112	75	98
चेशायर होम	21	19	19
युद्ध स्मारक होस्टर (युद्ध विधवाओं/युद्ध में निशक्त हुए कार्मिकों की संतानों के लिए)	563	509	480
तिपहिया मोटर साईकिलें	0	10	10

4. इसके अलावा, निशक्त कार्मिकों को वित्तीय संस्थानों/बैंकों से स्व-रोजगार योजनाओं के तहत उदारीकृत शर्तों पर ऋण सहायता का लाभ उठाने के लिए भी प्रोत्साहित किया जाता है।

5. उन भूतपूर्व सैनिकों के लिए अलग से कोई आरक्षण नहीं है जो रोजगार के उपयुक्त हैं। तथापि, निशक्त भूतपूर्व सैनिकों सहित विकलांग व्यक्तियों के वास्ते सीधी भर्ती के माध्यम से भरे जाने वाले समूह ग और घ पदों पर नियुक्ति में 3 प्रतिशत तक (नेत्रहीन, बधिर और शारीरिक रूप से विकलांग प्रत्येक के लिए 1 प्रतिशत) आरक्षण उपलब्ध है। केन्द्रीय सरकार ने समूह "ग" पदों में 10 प्रतिशत रिक्तियां और समूह "घ" पदों में 20 प्रतिशत रिक्तियां भूतपूर्व सैनिकों के वास्ते आरक्षित की हुई है। सार्वजनिक क्षेत्र के केंद्रीय उपक्रमों और राष्ट्रीयकृत बैंकों ने समूह "ग" पदों में 14.5 प्रतिशत और समूह "घ" पदों में उनके वास्ते 24.5 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया है। इसके अलावा, अर्ध सैन्य बलों में सहायक कमांडेटों की 10 प्रतिशत रिक्तियां भी भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित की गई हैं।

कृषि संबंधी सुधार

*292. श्री पारसनाथ यादव:
श्री किन्जरपु येरननायडु:

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कुछ राज्य देश में कृषि संबंधी सुधारों के क्रियान्वयन में अन्य राज्यों से पीछे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा ऐसे राज्यों में कृषि संबंधी सुधार क्रियान्वित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद पवार): (क) से (ग) भारत सरकार द्वारा कृषि क्षेत्र के लिए शुरू किए गए प्रमुख सुधार मुख्य रूप से कृषि विपणन, अल्पावधिक ग्रामीण सहकारी ऋण संरचना और कृषि विस्तार से संबंधित हैं।

आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, नागालैण्ड, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, त्रिपुरा और उत्तर प्रदेश राज्यों ने अपने कृषि उत्पाद विपणन समिति (एपीएमसी) अधिनियमों में संशोधनों को अधिसूचित कर दिया है और पंजाब का संशोधित अधिनियम केन्द्र शासित क्षेत्र चंडीगढ़ में भी लागू होता है। तमिलनाडु की राज्य सरकार द्वारा कार्यान्वित एपीएमसी अधिनियम माडल अधिनियम में सुझाए गए सुधारों का प्रावधान करता प्रतीत होता है। बिहार सरकार ने दिनांक 1 सितंबर, 2006 से अपने एपीएमसी अधिनियम को निरस्त कर दिया है। केरल, मणिपुर, अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह, दादरा एवं नागर हवेली, दमन व दीव और लक्षद्वीप राज्यों/केन्द्र शासित क्षेत्रों में कोई एपीएमसी अधिनियम नहीं हैं और इसीलिए उन्हें कोई भी संशोधन करने की आवश्यकता नहीं है। हरियाणा और एनसीटी दिल्ली की राज्य सरकारों ने अपने एपीएमसी अधिनियमों में संशोधन करते हुए आंशिक रूप से सुधार किए हैं। अधिकतर राज्यों को जिन्होंने अपने एपीएमसी अधिनियमों में संशोधन कर लिए हैं, उन्हें अभी भी उसके अंतर्गत बनाए गए संशोधित एपीएमसी नियमों को अधिसूचित करना है। केवल आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब और उड़ीसा राज्यों ने अब तक ऐसे संशोधित निमयों को अधिसूचित किया है।

भारत सरकार ने प्रो. वैद्यनाथन की अध्यक्षता में कार्यबल की सिफारिशों के आधार पर अल्पावधिक सहकारी ऋण संरचना को सुदृढ़ करने/पुन: सक्रिय बनाने के लिए पुनरुद्धार पैकेज तैयार किया है और पैकेज के कार्यान्वयन में सभी राज्य सरकारों की सहभागिता की मांग की है।

अभी तक 18 राज्य और एक केन्द्र शासित क्षेत्र ही पैकेज के कार्यान्वयन के लिए सहमत हुए हैं, जिसमें से 12 राज्य यथा आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, गुजरात, हरियाणा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, उड़ीसा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल ने भारत सरकार और नाबार्ड के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।

''विस्तार सुधारों के लिए राज्य विस्तार कार्यक्रम को समर्थन'' स्कीम को मई, 2005 में शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य विकेन्द्रीकृत और अनुकूल विस्तार प्रणाली को बढ़ावा देते हुए विस्तार प्रणाली के पुनरुद्धार में राज्यों के प्रयासों को समर्थन प्रदान करना है। स्कीम के कार्यान्वयन के लिए जिला स्तर पर कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन एजेंसी (एटीएमए) नामक एक स्वायत्त निकाय स्थापित किया गया है। आज तक की तारीख के अनुसार 27 राज्यों और 2 केन्द्र क्षेत्रों के 321 जिलों में इसे कार्यान्वित किया जा रहा है। केरल के 3 आत्महत्या प्रभावित जिलों की कार्य योजना, जिसे 2006-07 में अनुमोदित किया गया था, को छोड़कर दिल्ली, मेघालय, जम्मू व कश्मीर और केरल नामक राज्यों ने स्कीम की शुरूआत से ही अपनी राज्य विस्तार कार्य योजनाएं प्रस्तुत नहीं की हैं।

सभी राज्यों में इन सुधारों को क्रियान्वित करने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं।

कृषि उत्पादकता के लिए कृषि ऋण सुधार

***293. श्री के.जी.एस.पी. रेड्डी:**
श्री जी. करूणाकर रेड्डी:

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कृषि ऋण सुधारों की कृषि उत्पादकता और किसानों की लाभप्रदता में वृद्धि करने के लिए एक महत्वपूर्ण उपाय के रूप में पहचान की गयी है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं और इनमें कितनी सफलता मिली है?

कृषि मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद पवार): (क) और (ख) सरकार का विचार है कि किसानों के लाभार्थ एक लाभप्रद क्रियाकलाप के रूप में कृषि की पूर्ण क्षमता का शीघ्र दोहन किया जाना चाहिए। इस पूर्ण क्षमता को प्राप्त करने में जो कारक सहायक होंगे उनमें कम ब्याज दर पर अड़चनों से मुक्त तरीके से संस्थागत ऋण की प्राप्ति करना शामिल है। भारत सरकार ने हाल के वर्षों में भारतीय रिजर्व बैंक और नाबार्ड से परामर्श करके यह सुनिश्चित करने के लिए बहुत से उपायों की शुरूआत की है कि बैंकों से विभिन्न वित्तीय सेवाएं निर्धन किसानों को दी जाए। इस संबंध में कुछ महत्वपूर्ण उपाय निम्नलिखित हैं:-

1. 18 जून, 2004 को भारत सरकार ने एक व्यापक फार्म ऋण पैकेज घोषित किया था जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह निर्धारित किया गया था कि वर्ष 2003-04 से शुरू करते हुए 3 वर्षों में फार्म ऋण की राशि को दोगुना करने के अलावा अनुसूचित

बैंक (वाणिज्यिक बैंक तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक) प्रत्येक वर्ष 50 लाख नये किसानों को वित्त प्रदान करें। वर्ष 2003-04 से 2006-07 के दौरान जमीनी स्तर पर फार्म ऋण का प्रवाह तथा वर्ष 2004-05 से 2006-07 तक के दौरान अनुसूचित बैंकों द्वारा वित्त पोषित नये किसानों की संख्या का ब्यौरा निम्नलिखित है:-

वर्ष	कुल जमीनी स्तर पर ऋण (रुपये करोड़ में)	वित्त पोषित नये किसान (लाख में)
2003-04	86981	–
2004-05	125309	79
2005-06	180486	79
2006-07	203297	84

2. बैंकों को कृषि ऋणों के प्रलेखन के लिए प्रक्रिया को सरल बनाने की सलाह दी गई है।

3. इस तथ्य पर विचार करते हुए कि ब्याज की उच्च दरें फार्म ऋण प्राप्त करने के मामले में किसानों (विशेष रूप से एसएफ/एमएफ/टीएफ) के लिए बाधक होती हैं, माननीय केन्द्रीय वित्त मंत्री ने केन्द्रीय बजट (2006-07) में यह घोषणा की थी कि अब से 3 लाख रुपये के फसल ऋण जमीनी स्तर पर 7% की दर पर प्रदान किए जाएं। इसके अनुसार सभी एजेंसियों द्वारा जमीनी स्तर पर फसल ऋण फिलहाल 7% की दर पर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। अल्पकालीन फसल ऋणों के लिए 2% ब्याज आर्थिक सहायता स्कीम को 2007-08 में भी जारी रखा गया है और इस उद्देश्य के लिए 1677 करोड़ रुपए के प्रावधान किए गए हैं।

4. 50 हजार रुपए तक के ऋणों को आनुषांगिक और मार्जिन मुक्त बना दिया गया है।

5. बैंकों को सभी अर्हक किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड प्रदान करने की सलाह दी गई है ताकि वे अड़चनों से मुक्त तरीके से ऋण प्राप्त कर सके। बैंकों ने विगत तीन वर्षों के दौरान 96.80 लाख, 80.12 लाख और 74.70 लाख नये किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए हैं। बैंकों ने 31 मार्च, 2007 के अन्त तक कुल मिलाकर 665.64 लाख किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए हैं।

6. सहकारी समितियां जो अब तक छोटे एवं सीमान्त किसानों की वित्तीय जरूरतों को पूरा करती रही हैं वे वित्तीय, व्यवस्थागत तथा प्रबन्धकीय कमियों के कारण विगत कुछ वर्षों के दौरान संतोषजनक ढंग से काम नहीं कर सकी हैं। अल्पकालीन ग्रामीण सहकारी ऋण संस्थाओं को जीवन्त बनाने के लिए वैद्यनाथन समिति की सिफारिशों के अनुसार उपायों का एक पैकेज क्रियान्वित किया जा रहा है। अब तक 18 राज्यों और 1 संघ शासित क्षेत्र ने इस पैकेज के प्रति अपनी स्वीकृति जाहिर की है, जिसमें वित्तीय सहायता, मानव संसाधन, कुशलता सुधार तथा विधिक सुधारों से संबद्ध प्रणाली उन्नयन शामिल हैं।

गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों की पहचान करना

***294. एडवोकेट सुरेश कुरूप:** क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के अंतर्गत शामिल किए जाने के लिए विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा पहचान किए गए गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों (बीपीएल) की वास्तविक संख्या और केन्द्र सरकार द्वारा आकलित संख्या में बहुत अंतर है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके राज्यवार क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इस विसंगति को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

कृषि मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद पवार): (क) और (ख) योजना आयोग एक समान विधि का अनुसरण करके देश में सभी राज्यों के लिए गरीबी के अनुमान लगाता है। सरकार मार्च, 2000 की स्थिति के अनुसार भारत के महा पंजीयक के आबादी अनुदानों पर अनुमानित 1993-94 के लिए योजना आयोग के गरीबी अनुमानों के आधार पर निकाली गई गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों की संख्या अथवा राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा परिवारों को जारी राशनकार्डों की संख्या, जो भी कम हो, के लिए लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को खाद्यान्नों का आबंटन करती है। लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन खाद्यान्नों का आबंटन करने के लिए उपर्युक्त आधार पर निकाली गई गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों की संख्या 6.52 करोड़ है।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2001 के अधीन राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा अपने संबंधित राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों की पहचान की जाती है और उन्हें राशनकार्ड जारी किए जाते हैं। लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन आबंटन करने के लिए गरीबी रेखा से नीचे 6.52 करोड़ परिवारों (अंत्योदय अन्न

योजना सहित) की स्वीकृत संख्या के प्रति राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों ने वास्तव में 10.17 करोड़ गरीबी रेखा से नीचे के कार्ड जारी कर रखे हैं। ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) उपभोक्ता व्यय संबंधी राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के 61वें दौर (2004-05) के परिणामों के आधार पर योजना आयोग ने 2004-05 के लिए गरीबी अनुमान जारी (मार्च, 2007 में) किए हैं। इन अनुमानों के अनुसार गरीबी रेखा से नीचे की आबादी 27.5 प्रतिशत है जबकि 1993-94 में यह 36 प्रतिशत थी। यदि 2004-05 के इन गरीबी अनुमानों को मार्च, 2006 की आबादी अनुमानों पर प्रक्षेपित किया जाता है तो गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों की संख्या लगभग 5.77 करोड़ बैठती है जो 6.52 करोड़ की वर्तमान स्वीकृत संख्या से कम है। फिलहाल, गेहूं और चावल के आबंटन मौजूदा मानदंडों पर आधारित हैं।

विवरण

31.03.2007 की स्थिति के अनुसार गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों और जारी किए गए राशन कार्डों की संख्या

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	वर्ष 2000 में गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों की संख्या (लाख में)#	गरीबी रेखा से नीचे के जारी राशन कार्ड (लाख में) (संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र द्वारा जारी)			अधिक संख्या में जारी किए गए राशन कार्ड
			ग.रे.नी.	अ.अ.यो.	जोड़	
1	2	3	4	5	6	7
1.	आंध्र प्रदेश	40.63	169.73	15.58	185.31	144.68
2.	अरुणाचल प्रदेश	0.99	0.61	0.38	0.99	0.00
3.	असम	18.36	12.02	7.04	19.06	0.70
4.	बिहार	65.23	40.70	24.29	64.99	-0.24
5.	छत्तीसगढ़	18.75	15.46	7.19	22.65	3.90
6.	दिल्ली	4.09	3.83	0.56	4.39	0.30
7.	गोवा	0.48	0.13	0.15	0.28	-0.20
8.	गुजरात	21.20	26.84	8.10	34.94	13.74
9.	हरियाणा	7.89	5.36	2.92	8.28	0.39
10.	हिमाचल प्रदेश	5.14	3.17	1.97	5.14	0.00
11.	जम्मू-कश्मीर	7.36	4.80	2.56	7.36	0.00
12.	झारखंड	23.94	16.68	7.27	23.95	0.01
13.	कर्नाटक	31.29	57.94	12.00	69.94	38.65
14.	केरल	15.54	14.90	5.96	20.86	5.32
15.	मध्य प्रदेश	41.25	36.22	15.82	52.04	10.79
16.	महाराष्ट्र	65.34	48.89	24.10	72.99	7.65
17.	मणिपुर	1.66	1.16	0.50	1.66	0.00

1	2	3	4	5	6	7
18.	मेघालय	1.83	1.13	0.70	1.83	0.00
19.	मिजोरम	0.68	0.42	0.26	0.64	0.00
20.	नागालैंड	1.24	0.77	0.47	1.24	0.00
21.	उड़ीसा	32.98	37.49	12.65	50.14	17.16
22.	पंजाब	4.68	3.49	1.79	5.28	0.60
23.	राजस्थान	24.31	16.53	9.32	25.85	1.54
24.	सिक्किम	0.43	0.27	0.16	0.43	0.00
25.	तमिलनाडु	48.63	149.65	18.65	168.30	119.67
26.	त्रिपुरा	2.95	1.82	1.13	2.95	0.00
27.	उत्तर प्रदेश	106.79	65.84	40.95	106.79	0.00
28.	उत्तराखंड	4.98	3.47	1.51	4.98	0.00
29.	पश्चिम बंगाल	51.79	37.77	14.80	52.57	0.78
30.	अं. व नि. द्वीपसमूह	0.28	0.12	0.04	0.16	-0.12
31.	चण्डीगढ़	0.23	0.06	0.02	0.08	-0.15
32.	दा. व न. हवेली	0.18	0.13	0.05	0.18	0.00
33.	दमन व दीव	0.04	0.01	0.01	0.02	-0.02
34.	लक्षद्वीप	0.03	0.02	0.012	0.03	0.00
35.	पांडिचेरी	0.84	1.02	0.32	1.34	0.50
	योग	652.03	778.45	239.23	1017.68	365.65

#राशन कार्ड जारी करने के लिए गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों की स्वीकृत संख्या: 652.03 लाख। इन आंकड़ों में अंत्योदय अन्न योजना के आंकड़े भी शामिल हैं।

तटरक्षकों द्वारा मछुआरों को सुरक्षा प्रदान करना

*295. **श्री नरहरि महतो:** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मछुआरों को सुरक्षा प्रदान करना और उन्हें अन्य देशों की सीमा के समीप के संवेदनशील स्थानों में उनका मार्गदर्शन करना तटरक्षकों की जिम्मेदारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं कि मछुआरे भटककर किसी पड़ोसी देश के जल क्षेत्र में न चले जाएं;

(ग) क्या तटरक्षकों ने हमारे मछुआरों को सुरक्षा प्रदान करने और उनका मार्गदर्शन करने में अभीष्ट परिणाम दिए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और तटरक्षकों के कार्यकरण की समीक्षा करने के लिए यदि कोई कदम उठाए जाने का विचार है तो वे क्या हैं?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी): (क) से (घ) भारतीय तटरक्षक के कार्यों में अन्य बातों के साथ-साथ भारत के समुद्री क्षेत्र में समुद्र में विपत्ति के दौरान मछुआरों को सहायता देने सहित उनको सुरक्षा उपलब्ध कराना है।

भारतीय तटरक्षक पोत और विमान भारतीय समुद्री क्षेत्र में तथा अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा रेखा (आईएमबीएल) पर नियमित तौर पर निगरानी और गश्त करते रहते हैं। वे अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा रेखा को पार करती हुई पाई जाने वाली भारतीय मछुआरों की नौकाओं का मार्गदर्शन भी करते हैं। गश्त के अलावा, भारतीय तटरक्षक बल सामुदायिक मेलजोल कार्यक्रमों का आयोजन भी करते हैं जिनमें तटीय गांवों में रहने वाले मछुआरों को अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा रेखा को पार करने के जोखिम अर्थात् सुरक्षा एजेंसियों द्वारा पकड़े जाने, आतंकवादी समूहों द्वारा गोलीबारी किए जाने तथा समुद्र में सुरक्षा, खोज तथा बचाव प्रक्रिया, समुद्र में उपलब्ध संचार तथा सुरक्षा उपस्करों का प्रयोग जैसे मुद्दों के बारे में अवगत कराया जाता है।

वर्ष 2004 में श्रीलंका और पाकिस्तान द्वारा 579 भारतीय मछुआरे तथा 99 नौकाएं पकड़ी गईं। तटरक्षक की नियमित निगरानी की वजह से, वर्ष 2006 में यह आंकड़ा घटकर 301 मछुआरे तथा 49 नौकाएं रह गया है। चालू वर्ष 2007 में अब तक इन देशों द्वारा 46 भारतीय मछुआरे तथा 15 नौकाएं पकड़ी गई हैं। ऐसे अनेक अवसर आए हैं, जब तटरक्षक बल ने पहले से ही सक्रिय होकर भारतीय मछुआरों को बचाया है। तटरक्षक महानिदेशक तथा क्षेत्रीय कमांडर समीक्षाओं तथा फील्ड दौरों के जरिए फील्ड फोर्स के कार्य की नियमित मानीटर करते हैं।

[हिन्दी]

अंत्योदय अन्न योजना की समीक्षा

***296. श्री श्रीचन्द कृपलानी:**
श्री अनंत गुढ़े:

क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने हाल ही में अंत्योदय अन्न योजना की समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या परिणाम निकले;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान और तत्पश्चात् उक्त योजना के अंतर्गत राज्यवार तथा वर्षवार कितनी राजसहायता आवंटित और जारी की गई;

(घ) क्या कुछ राज्यों से उक्त योजना के अंतर्गत राज्यों की दी जाने वाली राजसहायता में वृद्धि करने के लिए अनुरोध प्राप्त हुए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

कृषि मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद पवार): (क) और (ख) लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली और अंत्योदय अन्न योजना का मूल्यांकन ओआरजी मार्ग, नई दिल्ली से कराया गया था। अंत्योदय अन्न योजना के बारे में सितम्बर, 2005 में प्राप्त मूल्यांकन रिपोर्ट में कहा गया है कि "अंत्योदय अन्न योजना श्रेणी के लिए निर्धारित समूचे अनाज सही स्थिति में रहा है और निर्धारित मूल्य के अनुसार बेचा गया है।"

(ग) से (ङ) सरकार द्वारा भारतीय खाद्य निगम को राज्यवार आधार पर खाद्य राजसहायता रिलीज नहीं की जाती है। पिछले तीन वर्षों के दौरान अंत्योदय अन्न योजना के लिए लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन रिलीज की गई खाद्य राजसहायता निम्नानुसार है:-

वर्ष	रिलीज की गई राजसहायता (करोड़ रुपये में)
2004-05	4968
2005-06	6418
2006-07	7853

इस स्कीम के अधीन चूंकि राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को 3 रुपये प्रति किलोग्राम चावल और 2 रुपये प्रति किलोग्राम गेहूं के केन्द्रीय निर्गम मूल्य के ऊपर कोई मार्जिन लेने की अनुमति नहीं है और हैंडलिंग/बुलाई आदि की लागत राज्य सरकारों द्वारा वहन की जाती है इसलिए कुछ राज्य सरकारों और उचित दर दुकान डीलर्स फेडरेशन से भारत सरकार द्वारा कमीशन का भुगतान करने हेतु अनुरोध प्राप्त हुए थे। तथापि, सरकार ने इन अनुरोधों को स्वीकार नहीं किया है।

सेना में महिला अधिकारियों द्वारा आत्महत्या

***297. श्री जे.एम. आरुन रशीद:** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल के वर्षों में सेना में महिला अधिकारियों द्वारा आत्महत्या करने की घटनाओं में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान आत्महत्या करने संबंधी मामलों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने ऐसी घटनाओं की गहराई से जांच कराई है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए उठाए गए कदमों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी): (क) से (घ) सेना में पिछले तीन वर्षों में महिला अधिकारियों द्वारा आत्महत्या करने के 3 इक्का-दुक्का मामले हैं। आत्महत्या के तीन मामलों के बारे में ब्यौरा इस प्रकार है:-

क्र.सं.	जिस महिला अधिकारी ने आत्महत्या की उसका नाम	संबंधित अधिकारी का ब्यौरा	घटना की तारीख
1.	मेजर शोभा रानी	सेना चिकित्सा कोर, कमान अस्पताल (वायुसेना) बेंगलूर में तैनात	29.5.2006
2.	लेफ्टिनेंट सुष्मिता चक्रवर्ती	5071, सेना सेवा कोर बटालियन	15.06.2006
3.	कैप्टन मेघा राजदान	113, इंजीनियर रेजिमेंट	1.7.2007

ऐसी प्रत्येक घटना की जांच अदालत द्वारा की जाती है। वर्ष 2006 के दौरान महिला अधिकारियों की आत्महत्या के पहले दो मामलों में बिठाई गई जांच अदालतों ने बताया कि व्यक्तिगत कारणों, विषाद और मनोवैज्ञानिक समायोजन विकार आदि जैसे कारकों के कारण ये दुर्घटनाएं हुईं।

2. ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सेना द्वारा निम्नलिखित उपाय किए गए हैं:-

(1) वरिष्ठ और कनिष्ठ अधिकारियों के बीच पहले से अधिक औपचारिक और अनौपचारिक बातचीत किया जाना, लीडरों तक पहुंच बनाने में सुधार और सैनिकों के साथ कनिष्ठ लीडरों की बारंबार पारस्परिक बातचीत, बेहतर मानव प्रबंधन और शिकायतों का शीघ्र निवारण;

(2) यूनिट में रिपोर्ट करने और फीड-बैक देने की समय पर खरी उतरी पद्धति को सुदृढ़ करना;

(3) घरेलू समस्याओं को निपटाने के लिए उदारीकृत छुट्टी नीति;

(4) रेजिमेंटल चिकित्सा अफसरों, जूनियर लीडरों और यूनिट कमांडरों द्वारा उन व्यक्तियों की पहचान करके परामर्श देना जिनमें तनाव होने के लक्षण पाए जाते हैं;

(5) मनश्चिकित्सकों द्वारा आवश्यकतानुसार मनोवैज्ञानिक परामर्श देना;

(6) योग/ध्यानयोग सहित आराम देने की प्रक्रिया में प्रशिक्षण कैपसूल;

(7) सेना चिकित्सा कोर के जूनियर कमीशन प्राप्त अफसरों को मनोवैज्ञानिक परामर्शदाताओं के रूप में तैनात करना जो सैनिकों के साथ बातचीत करेंगे और उनकी तनाव संबंधी समस्याओं को दूर करेंगे;

(8) तनाव संबंधी घटनाओं की मानीटरी और विश्लेषण करने के लिए सेना, कमान, कोर और डिविजनल मुख्यालयों में समितियां बनाई गई हैं और अपनाए जाने वाले उपायों की समय-समय पर समीक्षा की जाती है। सेना मुख्यालय में समिति के अध्यक्ष महानिदेशक (अनुशासन, समारोह और कल्याण) हैं।

3. उपर्युक्त के अलावा महिला अधिकारियों से विशेष रूप से जुड़ी शिकायतों का समाधान करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:-

(क) महिला अधिकारियों को भर्ती, प्रशिक्षण, सेवाकाल, प्रोन्नति, वेतन और भत्तों, छुट्टी, कल्याणकारी उपायों आदि के संदर्भ में उसी प्रकार से तैनात समकक्ष पुरुष अधिकारियों के बराबर माना जाता है।

(ख) सभी स्तरों पर कमांडरों को अनुदेश दिए गए हैं कि वे महिला अधिकारियों को कार्य सौंपे जाते समय अधिक संवेदनशील रहने के साथ ही इन बातों पर विशेष ध्यान दें (1) सम्मानजनक कार्यकारी परिवेश उपलब्ध कराएं; (2) कतिपय विनिर्दिष्ट कार्य करने में महिला अधिकारियों द्वारा सामना की जा रही कठिनाइयों के प्रति संवेदनशील रहें; और (3) गैर-कोर ड्यूटियां सौंपे जाते समय प्रदर्शित क्षमता को ध्यान में रखा जाए।

(ग) महिला अधिकारियों को अफसर मैस में रहने के लिए अलग आवास उपलब्ध कराए जाते हैं।

(घ) महिला अधिकारियों के यौन उत्पीड़न की शिकायतों और अन्य शिकायतों का समाधान करने के लिए पर्याप्त शिकायत निवारण तंत्र बनाया गया है।

(ङ) महिला अधिकारी अपनी व्यक्तिगत/सरकारी समस्याओं पर विचार-विमर्श करने तथा तत्काल सहायता लेने के लिए किसी भी समय अपने कमान अफसरों/पर्यवेक्षकों से संपर्क करने के लिए स्वतंत्र हैं।

(च) ऐसे अनुदेश जारी किए गए हैं कि महिला अधिकारियों को गैर-कोर ड्यूटियां सौंपे जाते समय संबंधित अधिकारियों की प्रदर्शित क्षमता को ध्यान में रखा जाना चाहिए।

[अनुवाद]

कठोर चट्टानी क्षेत्रों में जल का कृत्रिम पुनर्भरण

***298. श्री हरिभाऊ जावले:** क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने देश में कठोर चट्टानी क्षेत्रों में जल के कृत्रिम पुनर्भरण के लिए 1800 करोड़ रुपए की योजना का प्रस्ताव किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार इस योजना में कछारी क्षेत्रों को भी सम्मिलित करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्री (प्रो. सैफुद्दीन सोज़): (क) और (ख) केन्द्रीय वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण 2007-08 में 7 अभिज्ञात राज्यों अर्थात् आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, राजस्थान, तमिलनाडु, गुजरात और मध्य प्रदेश के कठोर चट्टानी क्षेत्रों में अति-दोहित और गंभीर ब्लाकों में उत्खनित कुओं के माध्यम से भूजल के पुनर्भरण के लिए 1800 करोड़ रुपए की लागत वाली एक स्कीम की घोषणा की। इस स्कीम में छोटे और सीमांत किसानों के लिए 100% छूट और अन्य किसानों के लिए 50% छूट की योजना है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

कृषि निवेश से प्राप्त आय

***299. श्री फ्रांसिस फैन्थम:** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार कृषि उपज की लागत को मुद्रास्फिति के साथ जोड़ने के किसी प्रस्ताव की जांच कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कृषि में निवेश से प्राप्त होने वाली आय किसी भी अन्य उद्योग से काफी कम है;

(घ) यदि हां, तो क्या इसके कारणों का पता लगाने के लिए कोई अध्ययन किया गया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या परिणाम निकलें; और

(च) कृषि में निवेश से प्राप्त होने वाली आय को उद्योग में निवेश से प्राप्त होने वाली आय से सहसम्बद्ध करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद पवार): (क) और (ख) ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, यह उल्लेखनीय है कि कृषि लागत और मूल्य आयोग न्यूनतम समर्थन मूल्यों की घोषणा अनेक तथ्यों जिसमें उत्पाद की लागत, विपणन मूल्यों (घरेलू तथा अन्तर्राष्ट्रीय दोनों) निवेश मूल्यों में वृद्धि तथा व्यापार की अर्न्तक्षेत्रीय शर्तें शामिल हैं, के आधार पर करता है।

(ग) से (च) कृषि तथा उद्योग में निवेश पर प्रतिलाभ की तुलना नहीं की जा सकती क्योंकि उत्पादन की परिस्थितियां, प्रौद्योगिकी, प्राकृतिक संसाधनों तथा मौसम का प्रभाव, कार्यों का प्रकार तथा मांग तथा आपूर्ति तथ्यों आदि में कृषि तथा उद्योग में काफी अन्तर है। सरकार ने कृषि तथा उद्योग में निवेश के लाभांश की तुलना पर कोई विशेष अध्ययन नहीं किया है। तथापि, सरकार द्वारा कृषि वृद्धि तथा कृषि में निवेश पर लाभ को बढ़ाने हेतु अनेक कदम उठाए गए हैं। इनमें बुआई मौसम से पहले न्यूनतम समर्थन मूल्यों की घोषणा, अनेक कृषि जिन्सों की ऋण की आसान उपलब्धता, सिंचाई सुविधाएं, फसल विविधिकरण, विपणन ढांचा तथा विस्तार सेवाओं के माध्यम से उत्पादन तथा उत्पादकता में सुधार लाने के उपाय शामिल हैं। इसके अलावा, राष्ट्रीय विकास परिषद ने 29 मई, 2007 को हुई अपनी 53वीं बैठक में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित प्रस्ताव किए हैं:

* गेहूं, चावल तथा दालों को शामिल करके खाद्य सुरक्षा मिशन की शुरूआत करना जिसका उद्देश्य अतिरिक्त 8 मिलियन टन गेहूं, 10 मिलियन टन चावल तथा 2 मिलियन टन दालों का उत्पादन करना है।

* राज्य प्लान को अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता प्रदान करने के लिए नई स्कीम को प्रारंभ करना। नई सृजित राष्ट्रीय

वर्षा सिंचित क्षेत्र प्राधिकरण राज्यों को वर्षा सिंचित क्षेत्रों के लिए योजना बनाने हेतु सहायता प्रदान करेगी।

* सिंचाई के लिए अतिरिक्त संसाधनों को प्रदान करना।

* राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रयासों पर युद्धनीति ध्यान केन्द्रित करना।

* खेती समुदाय में कार्यकुशलता विकास के लिए नए कदमों को उठाना।

* राज्य सरकारों को क्षेत्र में निवेश को प्राथमिकता देने के लिए जिला तथा राज्य कृषि प्लान तैयार करने हैं।

भारत सरकार ने अभी हाल ही में कृषि क्षेत्र में वृद्धि लाने के लिए दो योजनाओं की मंजूरी प्रदान कर दी है। यह है: (1) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन तथा (2) कृषि विकास के लिए राज्य तथा जिला प्लान के आधार पर राज्यों को कृषि क्षेत्र में निवेश बढ़ाने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए "अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता योजना"।

गन्ना उत्पादक

***300. श्री पी.सी. गद्दीगठडर: क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:**

(क) क्या किसानों को भुगतान किये जाने वाले गन्ने का मूल्य राज्य दर राज्य अलग-अलग है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या गन्ना किसानों और चीनी कारखानों के समक्ष आ रही समस्याओं का पता लगाने के लिए कोई अध्ययन किया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इन समस्याओं को दूर करने के लिए और गन्ना किसानों के लिए एकसमान मूल्य सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद पवार): (क) गन्ने का सांविधिक न्यूनतम मूल्य सरकार द्वारा निर्धारित किया जाता है जो सम्पूर्ण देश के लिए लागू होता है। तथापि, चीनी फैक्ट्रियों द्वारा गन्ना उत्पादकों को देय सांविधिक न्यूनतम मूल्य प्रत्येक फैक्ट्री की चीनी रिकवरी के आधार पर फैक्ट्री-दर-फैक्ट्री भिन्न-भिन्न होता है।

तथापि, कुछ राज्य चीनी फैक्ट्रियों द्वारा किसानों को देय गन्ना मूल्य के लिए राज्य द्वारा सुझाए गए मूल्य की घोषणा करते हैं जो सामान्यतया केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित सांविधिक न्यूनतम मूल्य से अधिक होते हैं।

(ख) गन्ना किसानों को देय सांविधिक न्यूनतम मूल्य फैक्ट्रीवार निर्धारित किया जाता है न कि राज्यवार। चीनी मौसम 2006-07 के लिए चीनी फैक्ट्रियों द्वारा देय सांविधिक न्यूनतम मूल्य (उन फैक्ट्रियों के संबंध में जिन्होंने अपेक्षित सूचना भेजी है) 22 दिसम्बर, 2006 और 30 मई, 2007 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया गया है जिसे लोक सभा के पटल पर क्रमश: 12 मार्च, 2007 और 20 अगस्त, 2007 को रखा गया है।

चीनी मौसम 2006-07 के लिए राज्य सरकारों द्वारा घोषित राज्य द्वारा सुझाए गए यथासूचित मूल्य निम्नानुसार हैं-

राज्य	राज्य द्वारा सुझाए गए मूल्य (रुपये प्रति क्विंटल)
पंजाब	132.00 (अग्रिम किस्म)
	128.00 (मध्य किस्म)
	126.00 (विलंबित किस्म)
हरियाणा	138.00 (अग्रिम किस्म)
	128.00 (मध्य किस्म)
	124.00 (विलंबित किस्म)
तमिलनाडु	102.50 (9% से संबंद्ध है जिसमें 9% से अधिक रिकवरी में प्रत्येक एक प्वाइंट वृद्धि के लिए 0.90 रुपये की वृद्धि है)
उत्तर प्रदेश	130.00 (अग्रिम किस्म)
	125.00 (अन्य किस्म)
उत्तराखंड	130.00 (अग्रिम किस्म)
	125.00 (अन्य किस्म)

(ग) सरकार ने ऐसा कोई अध्ययन नहीं किया है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) राज्यों द्वारा घोषित सुझाए गए मूल्य, कभी-कभार ही किसी आर्थिक मानदंड पर आधारित होते हैं। राज्य द्वारा सुझाए गए मूल्य के अधिक होने के कारण किसान गन्ने की खेती करने के

लिए आकर्षित होते हैं जिससे गन्ने और चीनी का अर्थव्यवस्था की जरूरत से अधिक उत्पादन होता है तथा इसके परिणामस्वरूप चीनी के मूल्यों में गिरावट आती है। इससे चीनी फैक्ट्रियों को हानि होती है और गन्ना मूल्य बकाया की राशि जमा होती है। कुछ चीनी मौसमों के बाद इसके परिणामस्वरूप गन्ने के क्षेत्र में तेजी से गिरावट आती है जिसके परिणामस्वरूप चीनी का उत्पादन गिरता है और परिणामत: उसके मूल्य बढ़ते हैं। इससे गन्ने और चीनी के मूल्यों में अत्यधिक उतार-चढ़ाव आता है। इस स्थिति को सामान्य बनाने के लिए केन्द्र सरकार ने जनवरी, 2004 में राज्यों को ''एक मुश्त सहायता'' देते हुए और मार्च, 2004 से दिसम्बर, 2005 तक के दौरान गन्ना मूल्य बकाया का भुगतान करने के लिए ''खुले बाजार से अतिरिक्त उधारियां'' लेने की अनुमति देते हुए यह विहित किया था कि यदि राज्य इसका लाभ उठाना चाहते हैं तो वे राज्य द्वारा सुझाए गए मूल्य की घोषणा नहीं करेंगे। कुछ राज्यों ने राज्य द्वारा सुझाए गए मूल्य की घोषणा करना जारी रखा हुआ है।

उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए गन्ना किसानों के लिए एक समान मूल्य का भुगतान सुनिश्चित करना संभव नहीं है।

बच्चों को एंटीरेट्रोवायरल औषधियां

***301. श्री इकबाल अहमद सरडगी:** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यू.एच.ओ.) यूएनएआईडीएस और यूनीसेफ द्वारा हाल ही में संयुक्त रूप से जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार देश में एचआईवी/एड्स से प्रभावित लोगों की अनुमानित संख्या 5.7 मिलियन है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन ने राष्ट्रीय कार्यक्रम के अंतर्गत बच्चों को एंटीरेट्रोवायरल औषधियों की बच्चों को दी जाने वाली खुराकें (पेडियेट्रेक्सि डोज) नि:शुल्क देनी शुरू कर दी है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा एचआईवी एवं एड्स के सभी रोगियों को उपचार प्रदान करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. अंबुमणि रामदास): (क) से (घ) यूनेड्स द्वारा वैश्विक एड्स महामारी पर मई, 2006 में प्रकाशित अपनी रिपोर्ट में भारत में एचआईवी/एड्स से 5.7 मिलियन लोगों के पीड़ित होने का अनुमान लगाया गया है। वर्ष 2007 के दौरान नाको ने यूनेड्स, विश्व स्वास्थ्य संगठन, सीडीसी, अटलांटा आदि के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों के परामर्श से अनुमान की विधि की समीक्षा की। यह समीक्षा, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-III, उच्च जोखिम वाले समूहों में एकीकृत जैविक और व्यवहार सर्वेक्षण और विस्तारित प्रहरी निगरानी के आधार पर आंकड़ों की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए की गई। विशेषज्ञ परामर्श के बाद नाको ने भारत में 2.1 मिलियन से 3 मिलियन लोगों के एचआईवी/एड्स से पीड़ित होने का अनुमान लगाया है। उनमें से 15 वर्ष से कम आयु के 70,000 बच्चों के इसके विषाणु से पीड़ित होने का अनुमान है। ये अनुमान स्वीकार कर लिए गए हैं और विश्व स्वास्थ्य संगठन, यूनेड्स, विश्व बैंक और सीडीसी अटलांटा ने इनका अनुसमर्थन किया है।

बच्चों के उपचार की सुविधा सम्पूर्ण विश्व में सुनिश्चित करने के लिए 30 नवम्बर, 2006 को राष्ट्रीय बाल एड्स के बारे में पहल की गई। इस पहल के अंतर्गत, एंटी रिट्रोवायरल औषधों की बाल खुराकें और नि:शुल्क निदान उपलब्ध कराए जाते हैं। उच्च जोखिम वाले बच्चों की जांच करने के लिए विशेष अभियान चलाए गए थे ताकि एचआईवी पीड़ित बच्चों का पता लगाया जा सके और उनका उपचार किया जा सके। अब तक 22,217 नए एचआईवी पाजीटिव बच्चों का पता लगाया गया है और 6338 पात्र बच्चों को देश के 31 राज्यों के 127 एंटी रिट्रोवायरल केन्द्रों में एटी रिट्रोवायरल उपचार देना शुरू किया गया। इन केन्द्रों में 1700 बच्चों के लिए एंटी रिट्रोवायरल का बाल मिश्रण उपलब्ध कराया गया है। इस पहल में बाल एंटी रिट्रोवायरल दिशा-निर्देश तैयार करना, बाल रोग विशेषज्ञों और परामर्शदाताओं का प्रशिक्षण, सात (7) क्षेत्रीय बाल एआरटी केन्द्रों की स्थापना, नि:शुल्क सीडी 4 मानीटरिंग, 18 महीने तक की आयु के बच्चों के लिए नि:शुल्क डीएनए पीसीआर परीक्षण, 5 किलोग्राम से कम वजन वाले बच्चों के लिए द्रव्य मिश्रण, समयानुवर्ती संक्रमणों का निदान और उपचार तथा सूक्ष्म पोषक तत्व की सम्पूर्ति शामिल है।

गैस आधारित विद्युत परियोजनाओं हेतु पर्यावरणीय मंजूरी

***302. श्री बृज किशोर त्रिपाठी:** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान केन्द्र सरकार द्वारा जिन गैस आधारित विद्युत परियोजनाओं को पर्यावरणीय मंजूरी दी गयी है उनके वर्षवार और राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ख) मंजूरी दिए जाने के लिए क्या मानक/मानदंड/प्रणाली निर्धारित की गई है;

(ग) केन्द्र सरकार के पास अभी कितनी परियोजनाएं लंबित पड़ी हैं और उनके इस प्रकार लम्बित होने के राज्यवार क्या कारण हैं; और

(घ) केन्द्र सरकार द्वारा इन परियोजनाओं को कब तक मंजूर किए जाने की संभावना है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायण मीना): (क) गैस-आधारित विद्युत परियोजनाओं, जिन्हें 1 जनवरी, 2004 से 31 जुलाई, 2007 के दौरान पर्यावरणीय मंजूरी दी गई है, का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना, 2006 के उपबंधों के अनुसार सभी गैस आधारित विद्युत संयंत्रों के संबंध में पर्यावरणीय मंजूरी प्राप्त करना अपेक्षित है। 500 मैगावाट से कम की क्षमता वाले संयंत्रों का मूल्यांकन राज्य स्तर पर और 500 अथवा इससे अधिक मेगावाट क्षमता विद्युत संयंत्रों का मूल्यांकन केन्द्र स्तर पर किया जाना होता है। इन परियोजनाओं का मूल्यांकन परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत की गई पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन रिपोर्ट और ऐसी किसी अन्य सूचना, जिसे पर्यावरण मूल्यांकन समिति द्वारा आवश्यक समझा गया हो, के आधार पर थर्मल पावर परियोजनाओं के संबंध में विधिवत रूप से गठित की गई विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति द्वारा किया जाता है। पर्यावरण मूल्यांकन समिति की सिफारिशों के आधार पर पर्यावरणीय मंजूरी के बारे में निर्णय लिया जाता है।

(ग) 31 जुलाई, 2007 तक की स्थिति के अनुसार, तीन गैस आधारित ताप विद्युत परियोजनाएं, जिनमें से एक मध्य प्रदेश तथा दो महाराष्ट्र से संबंधित हैं, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के पास लंबित हैं। ये परियोजनाएं परियोजना प्रस्तावक से अपेक्षित सूचना/स्पष्टीकरण के अभाव में लंबित हैं।

(घ) इन परियोजनाओं पर इनके प्रस्तावकों से अपेक्षित सूचना प्राप्त होने पर विचार किया जाएगा।

विवरण

गैस-आधारित विद्युत परियोजनाओं की सूची जिन्हें 1 जनवरी, 2004 से 31 जुलाई, 2007 तक की अवधि के दौरान पर्यावरणीय मंजूरी दी गई है

क्र.सं.	परियोजना का नाम	मंजूरी की तारीख
1	2	3
	वर्ष 2004	
	आंध्र प्रदेश	
1.	मैसर्स लैंको कोंडापल्ली पावर प्रा.लि. द्वारा कोंडापल्ली, इब्राहिमपटनम मंडल, आंध्र प्रदेश में 850 मैगावाट के विद्युत संयंत्र का विस्तार	20.8.2004
	गुजरात	
2.	मैसर्स टोरेंट पावर जेनरेशन लि. का अखाखोल, जिला सूरत में 1050 मैगावाट का कम्बाइंड साइकल पावर प्लांट	12.7.2004
	तमिलनाडु	
3.	मैसर्स आरकेई एनर्जी लि. का वाझुथूर, जिला रामानाथपुरम स्थित 52.8 मैगावाट का जीबी कम्बाइंड साइकल पावर प्लांट	18.5.2004
	वर्ष 2005	
	गुजरात	
1.	मैसर्स नेशनल थर्मल पावर कार्पोरेशन द्वारा मोरा, सूरत, गुजरात स्थित कावास गैस आधारित कम्बाइंड साइकल एक्सेंशसन पावर प्रोजैक्ट (1300 मैगावाट)	30.5.2005

1	2	3
2.	मैसर्स नेशनल थर्मल पावर कार्पोरेशन द्वारा झानोर, भरूच, गुजरात स्थित एम डब्ल्यू गांधार गैस आधारित कम्बाइंड साइकल एक्सपेंशन पावर प्रोजैक्ट चरण-2	10.6.2005
	महाराष्ट्र	
3.	मैसर्स महाराष्ट्र राज्य बिजली बोर्ड द्वारा उरान, महाराष्ट्र स्थित 1040 मैगावाट की कम्बाइंड साइकल गैस टर्बाइन उरान एक्सपेंशन थर्मल पावर परियोजना	23.6.2005
	राजस्थान	
4.	मैसर्स राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि. की धोलपुर, राजस्थान स्थित 330 मैगावाट की धोलपुर गैस आधारित कम्बाइंड साइकल थर्मल पावर परियोजना	10.6.2005
	तमिलनाडु	
5.	मैसर्स आरकेई एनर्जी लि. का ग्राम वाजुथूर, जिला रामानाथपुरम, तमिलनाडु स्थित एमडब्ल्यू गैस आधारित कम्बाइंड साइकल थर्मल पावर संयंत्र यूनिट-2	20.12.2005
	उत्तर प्रदेश	
6.	मैसर्स रिलायंस एनर्जी जनरेशन लि. द्वारा गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश राज्य के गांव देहरा के समीप स्थित 7480 मैगावाट की प्राकृतिक गैस आधारित कम्बाइंड साइकल पावर परियोजना	29.6.2005
	वर्ष 2006	
	गुजरात	
1.	मैसर्स एस्सार स्टील लि. द्वारा हाजिरा, जिला सूरत, गुजरात स्थित 525 मैगावाट का गैस आधारित कैप्टिव पावर प्लांट	21.9.2006
2.	मैसर्स एस्सार पावर लि. का हाजिरा, सूरत, गुजरात स्थित 1500 मैगावाट एनर्जी/एनजीएल/एलएनजी आधारित कम्बाइंड साइकल थर्मल पावर प्लांट	21.9.2006
	कर्नाटक	
3.	मैसर्स कर्नाटक पावर कार्पोरेशन लि. द्वारा बंगलौर के निकट बिडाडी स्थित 1400 मैगावाट का बिडाडी कम्बाइंड साइकल पावर प्लांट	22.5.2006
	वर्ष 2007	
	आंध्र प्रदेश	
1.	मैसर्स एपीपीडीसीएल का नेडुनूर करीम नगर, आंध्र प्रदेश में 2100 मैगावाट गैस आधारित कम्बाइंड साइकल पावर प्लांट	7.6.2007
2.	मैसर्स कोनासीसा गैस पावर लि. द्वारा देवरापल्ली, जिला पूर्वी गोदावरी, आंध्र प्रदेश स्थित 820 मैगावाट गैस आधारित कम्बाइंड साइकल पावर प्लांट विस्तार चरण-II	27.7.2007

1	2	3
	गुजरात	
3.	मैसर्स गुजरात स्टेट एनर्जी जेनरेशन लि. द्वारा मोरा, हाजिरा, जिला सूरत, गुजरात स्थित गैस आधारित कम्बाइंड साइकल पावर परियोजना विस्तार (2×350 मैगावाट) गैस आधारित कम्बाइंड साइकल पावर संयंत्र का विस्तार	12.4.2007
4.	मैसर्स गुजरात पगुथान एनर्जी कार्पोरेशन द्वारा भरूच स्थित 3×350 मेगावाट गैस आधारित कम्बाइंड साइकल पावर प्लांट का विस्तार	13.6.2007
	हरियाणा	
5.	मैसर्स हरियाणा अबान पावर कार्पोरेशन लि. द्वारा बल्लभगढ़ स्थित 1065 मैगावाट हरियाणा अबान पावर परियोजना	17.5.2007
	त्रिपुरा	
6.	ओएनजीसी त्रिपुरा पावर कंपनी (प्रा.) लि. द्वारा त्रिपुरा राज्य के दक्षिण त्रिपुरा जिले में उदयपुर में पलटाना गांव स्थित 1082 मैगावाट (3×360.8 मैगावाट) की कम्बाइंड साइकल गैस टर्बाइन थर्मल पावर परियोजना	7.2.2007
	दिल्ली	
7.	मैसर्स प्रगति पावर कार्पोरेशन लि. द्वारा बवाना स्थित 1000 मैगावाट गैस आधारित कम्बाइंड साइकल पावर संयंत्र	2.3.2007
8.	मैसर्स प्रगति पावर कार्पोरेशन लि. द्वारा बवाना स्थित प्रगति-III कंबाइंड साइकल परियोजना का 1000 मैगावाट से 1600 मैगावाट तक का विस्तार	20.4.2007

[हिन्दी]

स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना (जीक्यू) में विलंब

***303. श्रीमती रूपाताई डी. पाटील:** क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना (जीक्यू) के क्रियान्वयन में काफी विलंब हुआ है और इस संबंध में दिनांक 25 मई, 2007 के 'दैनिक जागरण' में 'सड़कों का काम पिछड़ने से हजारों करोड़ पानी में' शीर्षक के अंतर्गत प्रकाशित समाचार में कई कमियों का खुलासा किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री (श्री टी.आर. बालू): (क) और (ख) अब तक स्वर्णिम चतुर्भुज का लगभग 96 कार्य पूरा हो चुका है। शेष कार्य, कार्य-निष्पादन न करने वाले ठेकेदारों के ठेके रद्द करने और पुन: सौंपे जाने, भूमि अधिग्रहण, सुविधाओं के स्थानांतरण, पर्यावरण/वन/रेलवे स्वीकृति प्राप्त करने आदि में विलंब जैसे विभिन्न कारणों से पूरा नहीं हो सका है।

परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करने के लिए सरकार द्वारा किए गए उपाय संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

परियोजनाओं को शीघ्र पूरा किया जाना सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं:-

(क) पर्यवेक्षण परामर्शदाता, परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के वरिष्ठ अधिकारियों जैसे विभिन्न

स्तरों द्वारा ठेकों पर नियमित निगरानी रखी जाती है। अध्यक्ष, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, सचिव, सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग और पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री के स्तर पर प्रगति की समीक्षा भी की जाती है।

(ख) राज्य सरकारों द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के कार्यान्वयन से संबंधित समस्याओं जैसे भूमि अधिग्रहण, सुविधाओं के स्थानांतरण, वन/प्रदूषण/पर्यावरण स्वीकृति प्राप्त करने आदि के समाधान के लिए वरिष्ठ अधिकारियों की नोडल अधिकारियों के रूप में नियुक्ति की गई है। ये नोडल अधिकारी परियोजनाओं की समीक्षा के लिए समय-समय पर बैठकें करते हैं तथा समस्याओं के समाधान के लिए कार्रवाई करते हैं।

(ग) भूमि अधिग्रहण, सुविधाओं के स्थानांतरण, पर्यावरण संबंधी अनुमोदन, सड़क उपरि पुलों की स्वीकृति प्राप्त करने आदि जैसे अंतर-मंत्रालयी और केंद्र-राज्य मुद्दों के समाधान के लिए मंत्रिमंडल सचिव की अध्यक्षता में सचिवों की एक समिति का गठन किया गया है।

(घ) भूमि अधिग्रहण की अधिसूचनाएं जारी करने की प्रक्रिया अब आसान बना दी गई है।

(ङ) सड़क उपरि पुलों के शीघ्र निर्माण के लिए रेलवे के एक अधिकारी को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण में तैनात किया गया है ताकि रेल मंत्रालय के साथ समन्वय किया जा सके। कुछ सड़क उपरि पुलों के निर्माण के लिए मै. इरकान इंटरनेशनल लि. के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए गए हैं।

(च) कार्य न करने वाले (नान पर्फोमिंग) ठेकेदारों के विरुद्ध कार्रवाई की गई है और उन्हें तब तक भावी परियोजनाओं के लिए निविदाएं देने की अनुमति नहीं दी जाती है जब तक कि वे विद्यमान ठेकों में अपने निष्पादन में सुधार नहीं कर लेते।

(छ) ठेकेदार के अनुरोध पर ब्याजशुदा विवेकाधीन अग्रिम प्रदान करके, समान राशि की बैंक गारंटी के लिए अवधारण राशि जारी करके, अग्रिम (ब्याज आधार पर) की वसूली स्थगित करके तथा न्यूनतम अंतरिम भुगतान प्रमाणपत्र (आईपीसी) राशि में छूट प्रदान करके ठेकेदारों की नकद प्रवाह समस्या में सुधार के उपाय किए गए हैं।

[अनुवाद]

यमुना कार्य योजना

*304. **श्री रमेश चर्मन:**
श्री हितेन चर्मन:

क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यमुना कार्य योजना का क्रियान्वयन निर्धारित समय-सीमा बीतने के बहुत समय बाद भी पूरा नहीं हो पाया;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है;

(ग) इस योजना तथा इसके क्रियान्वयन का चरणवार ब्यौरा क्या है;

(घ) इस योजना की मूल लागत कितनी है और विलम्ब के परिणामस्वरूप इसकी लागत में चरणवार कितनी वृद्धि हुई है;

(ङ) गत तीन वर्षों के दौरान इस योजना के लिए आवंटित धनराशि और इसमें से उपयोग की गई/धनराशि का वर्षवार ब्यौरा क्या है; और

(च) इस योजना के कब तक पूरा होने की संभावना है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायण मीना): (क) और (ख) भारत सरकार ने जापान बैंक आफ इंटरनेशनल को-आपरेशन (जेबीआईसी), जापान सरकार की सहायता से यमुना नदी का प्रदूषण चरणबद्ध रूप में अपशमित करने के लिए यमुना कार्य योजना शुरू की है। यमुना कार्य योजना चरण-I वर्ष 1993 में प्रारंभ हुई थी, जिसके पूरा होने की अवधि वर्ष 2000 तक निर्धारित की गई थी। तथापि, माननीय उच्चतम न्यायालय तथा भारत सरकार के निर्देशों पर कुछ अतिरिक्त कार्य शामिल करने के कारण योजना के इस चरण को वर्ष 2003 की अवधि तक के लिए बढ़ा दिया गया था।

यमुना कार्य योजना का द्वितीय चरण दिसंबर, 2004 में प्रारंभ किया गया था और इसको पूरा करने की अवधि 5 वर्ष निर्धारित की गई थी। प्रशासनिक और प्रक्रियात्मक अपेक्षाओं के अनुपालन के कारण इस चरण को प्रारंभ करने में कुछ समय लग गया था।

(ग) और (घ) यमुना कार्य योजना चरण-I के अंतर्गत तीन राज्यों अर्थात् उत्तर प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली के 21 शहरों में 681 करोड़ रुपए की लागत से सीवेज अवरोधन और दिशापरिवर्तन, सीवेज शोधन संयंत्र स्थापित करने, अल्प लागत शौचालय, शवदाह गृह नदी तट विकास, जन-भागीदारी एवं जागरूकता, आदि के

संबंध में कुल 269 प्रदूषण उपशमन कार्य-शुरू किए गए थे। इस चरण के अंतर्गत 753.25 मिलियन लीटर प्रतिदिन (एमएलडी) की शोधन क्षमता के कुल 38 सीवेज शोधन संयंत्र स्थापित किए गए हैं। इस परियोजना को अनुमोदित लागत से पूरा कर लिया गया था।

यमुना कार्य योजना चरण-II, राज्यों द्वारा दी गई प्राथमिकता के अनुसार यमुना नदी के अन्य प्रदूषण उपशमन कार्य आरंभ करने के लिए इस चरण में (1) सीवेज शोधन संयंत्रों की स्थापना/पुन: स्थापना, दिल्ली में ट्रंक सीवरों का पुन:स्थापन/प्रतिस्थापन, (2) सीवेज शोधन संयंत्रों की स्थापना, आगरा, उत्तर प्रदेश में सीवर लाइनें बिछाना और मेल लाइन को ऊंचा उठाना, (3) हरियाणा के छ: शहरों में सीवर लाइनें बिछाना शामिल हैं। इस चरण की अनुमानित लागत 624 करोड़ रुपए है और इस चरण पर लागत वृद्धि की परिकल्पना नहीं की गई है।

(ङ) और (च) यमुना कार्य योजना-II के आवंटन तथा पिछले तीन वर्षों के दौरान उपयोग की गई राशि का विवरण निम्नलिखित है:-

(करोड़ रु.)

वर्ष	योजना गत आवंटन	केन्द्र सरकार द्वारा उपयोग की गई राशि
2004-05	62.00	7.15
2005-06	50.00	17.97
2006-07	80.00	39.41

यमुना कार्य योजना का प्रथम चरण 2003 में पूरा किया गया था। योजना का दूसरा चरण इसके प्रारंभ होने की तारीख से अगले पांच वर्षों की अवधि में पूरा करने की योजना है।

[हिन्दी]

कोयला खानों में दुर्घटनाएं

*305. **श्री धर्मेन्द्र प्रधान:**
श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव:

क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में सरकारी और निजी कोयला खानों में होने वाली दुर्घटनाओं में वृद्धि हो रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान और चालू वर्ष में आज की तिथि तक इन कोयला खानों में वर्षवार जान-माल की कितनी हानि हुई है; और

(घ) कोयला खानों में होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने के लिए किए गए प्रयासों और तैयार की जा रही कार्य योजना का ब्यौरा क्या है?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. दासरि नारायण राव): (क) से (ग) पिछले तीन वर्षों और मौजूदा वर्ष के दौरान देश में सार्वजनिक और निजी, दोनों क्षेत्रों की कोयला खानों में घातक दुर्घटनाओं का ब्यौरा, खान सुरक्षा महानिदेशालय (डीजीएमएस), श्रम तथा रोजगार मंत्रालय द्वारा बताए अनुसार निम्नलिखित तालिका में दिया गया है:

वर्ष	घातक दुर्घटनाएं	
	दुर्घटनाओं की संख्या	सांघातिकताओं की सं.
2004	87	96
2005	96	117#
2006*	79	138##
2007* (जुलाई 07 तक)	62	62

*वर्ष 2006 और 2007 के आंकड़े अनंतिम हैं।

#सेंट्रल कोलफील्ड्स लि. (सीसीएल) की सेंट्रल सौंदा कोलियरी में 15.6.2005 को घटी दुर्घटना में हुई 14 मौतें शामिल हैं।

##भारत कोकिंग कोल लि. (बीसीसीएल) की भाटडीह कोलियरी में 6.9.2006 की दुर्घटना में हुई 50 मौतें शामिल हैं।

उत्पादन की प्रति मिलियन टन सांघातिकताओं की संख्या के अनुसार सांघातिकता दर वर्ष 1975 में 6.66 जो घटकर 1985 में 1.32, 1995 में 0.80 तथा 2006 में 0.32 हो गई है।

दुर्घटनाओं के मुख्य कारणों में छत का गिरना, रोप हालेज में दुर्घटनाएं, व्यक्तियों/सामानों का गिरना, जलभराव, भूमिगत खानों में गैस विस्फोट तथा ओपनकास्ट खानों में डम्परों तथा अन्य मशीनरी के प्रचालन में मानवीय तत्वों का होना शामिल हैं। कोयला खानों में दुर्घटनाओं के मामले में सम्पत्ति की हानि नगण्य है और अधिकांशत: उपकरणों का मूल्य ह्रास हो गया है।

(घ) खानों में निर्धारित सुरक्षा नियमों के कड़ाई से पालन के लिए कोलियरी प्रबंधन जिम्मेवार है। यद्यपि कोयला कंपनियां सुरक्षा कानून का पालन करने में पूरी सावधानी बरतती हैं, फिर भी कारपोरेट और स्थानीय स्तरों पर एक कड़ी सुरक्षा मानीटरिंग प्रणाली भी है। सांविधिक आवश्यकता के अनुसार प्रत्येक खान में कामगार

निरीक्षकों की भी तैनाती की जाती है तथा कामगारों के प्रतिनिधियों और प्रबंधन को शामिल करके कोलियरी स्तर पर, एरिया स्तर पर तथा कारपोरेट स्तर पर आवधिक समीक्षा की जाती है। इसके अलावा, सांविधिक प्राधिकरण, खान सुरक्षा महानिदेशालय सुरक्षा नियमों को लागू करने के लिए खानों का नियमित रूप से सुरक्षा निरीक्षण करता है। राष्ट्रीय स्तर पर, कोयला मंत्री की अध्यक्षता में कोयला खानों में सुरक्षा संबंधी स्थायी समिति द्वारा देश में कोयला खानों के सभी सुरक्षा पहलुओं की आवधिक रूप से समीक्षा की जाती है। सरकार कोयला खानों और खनिकों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है।

सुरक्षा कार्य निष्पादन में सुधार लाने के लिए कोयला कंपनियां दुर्घटनाओं की संख्या कम करने के लिए निम्नलिखित कार्रवाई कर रही हैं:

* रॉक-मास-रेटिंग पर आधारित वैज्ञानिक रूफ सपोर्ट प्रणाली।
* टिम्बर सपोर्ट के स्थान पर स्टील सपोर्ट और रूफ बोल्टों का अधिक उपयोग।
* साइड डिस्चार्ज लोडरों (एसडीएल) तथा लोड हाल डम्परों (एलएचडी) आदि की तैनाती के द्वारा भूमिगत खानों में लदान प्रचालनों के यंत्रीकरण के माध्यम से खतरनाक स्थितियों में कामगारों के खतरे को कम करना तथा जहां संभव हो, रोप हालेज के स्थान पर कन्वेयर बेल्टों का उपयोग।
* जहां संभव हो, भूमिगत खानों में सतत खनिक प्रौद्योगिकी और लांगवाल प्रौद्योगिकी के साथ खनन की योजना बनाना।
* डिजीटल मल्टी-गैस-डिटेक्टर्स आदि जैसे आधुनिक उपकरणों का उपयोग करके ज्वलनशील और जहरीली गैसों का पता लगाने के लिए खान पर्यावरण की नियमित मानीटरिंग।
* प्रत्येक मानसून से पहले निम्नलिखित के द्वारा जलभराव के विरुद्ध निवारणात्मक उपाय क्रियान्वित किए जाते हैं।
* जहां कहीं भी जलभराव का खतरा होता है वहां जलमग्नता वाली खदानों के बीच बैरियर स्थापित करने के लिए सहसंबंध सर्वे की जांच करना।
* राष्ट्रीय ग्रिड से खान योजनाओं को जोड़ना।
* सतही दरारों को भरना।
* हैवी अर्थ मूविंग मशीनरी प्रचालकों, अनुरक्षण कर्मचारी तथा अन्यों के लिए आचार संहिता का कार्यान्वयन।
* सुरक्षा जागरूकता बढ़ाने के लिए ठेकेदारों के कामगारों सहित पर्यवेक्षकों तथा कामगारों के प्रशिक्षण और पुन: प्रशिक्षण पर जोर देना।
* सुरक्षा प्रबंधन में कामगारों की भागीदारी।
* खानों का नियमित सुरक्षा आडिट तथा जोखिम प्रबंधन।
* बहुविधा आंतरिक सुरक्षा संगठन (आईएसओ) के द्वारा सुरक्षा मानीटरिंग।

[अनुवाद]

ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए पौष्टिक भोज्य पदार्थों की उपलब्धता की स्थिति

***306. श्री रायापति सांबासिवा राव:**
श्री किन्जरपु येरनमायडु:

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश की ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए पौष्टिक भोज्य पदार्थों की उपलब्धता का पता लगाने के लिए कोई सर्वेक्षण कराया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले;

(ग) क्या सरकार ने देश के ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए पौष्टिक भोज्य पदार्थों की उपलब्धता की स्थिति के निगरानी करने और उसमें सुधार करने के लिए कोई कार्यक्रम तैयार किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए पौष्टिक भोज्य पदार्थों की उपलब्धता की स्थिति में सुधार करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. अंबुमणि रामदास): (क) और (ख) जी, हां। वर्ष 2005-06 में किए गए राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-3, जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों समेत 29 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को कवर किया गया था, के अनुसार 3 वर्ष से कम आयु के 46 प्रतिशत बच्चों का भार कम है, 38 प्रतिशत बच्चे अविकसित और 19 प्रतिशत वेस्टिड हैं। महिलाओं में चिरकारी उर्जस्विता अल्पता (क्रोनिक एनर्जि डेफिसिएंसी) 33 प्रतिशत है जबकि पुरुषों में चिरकारी ऊर्जस्विता अल्पता 28.1 प्रतिशत है।

(ग) से (ङ) जी हां। कुपोषण/अल्प पोषण एक बहु-मुखी समस्या है। इसके महत्वपूर्ण निर्धारकों में अपर्याप्त भोजन, गरीबी के स्तर, महिला निरक्षरता, जनसंख्या वृद्धि की उच्च दर, बार-बार गर्भधारण, पर्यावरणिक, सफाई, स्वच्छता और अन्य ऐसी स्थितियां शामिल हैं। सरकार द्वारा कार्यान्वित अनेक कार्यक्रमों के माध्यम से अनेक मंत्रालय पोषण संबंधी मुद्दों पर ध्यान दे रहे हैं। इस संबंध में किए जा रहे कुछेक लक्षित कार्यकलापों में शिशुओं और छोटे बच्चों के खाने के लिए समुचित भोजन, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत सूक्ष्म पोषक की कमियों के निवारण और नियंत्रण हेतु विशिष्ट कार्यक्रम, समेकित बाल विकास सेवा योजना (आईसीडीएस) के माध्यम से पूरक पोषण, प्राथमिक शिक्षा (दोपहर के भोजन से संबंधित कार्यक्रम) को पोषणिक सहायता के राष्ट्रीय कार्यक्रम पर जोर देना शामिल है। सरकार इम्दादी लागतों पर अनिवार्य खाद्य वस्तुएं उपलब्ध करार लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से कुपोषण की समस्या और इसके साथ-साथ क्रय शक्ति बढ़ाने के लिए आय अर्जन की योजनाओं पर भी ध्यान दे रही है।

राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए धनराशि आबंटन हेतु मानदंड

*307. डा. के.एस. मनोज: क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केंद्र सरकार को विभिन्न राज्य सरकारों विशेषकर केरल से राष्ट्रीय राजमार्गों के अनुरक्षण हेतु धनराशि स्वीकृत करने संबंधी विद्यमान मानदंडों का पुनरीक्षण करने के लिए कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है;

(ग) क्या सरकार भारी वर्षा से क्षतिग्रस्त हुए राष्ट्रीय राजमार्गों के अनुरक्षण के लिए अतिरिक्त धनराशि स्वीकृत करने पर विचार करेगी; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री (श्री टी.आर. बालू): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) भारी वर्षा, बाढ़ आदि के कारण क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत के लिए धनराशि का आबंटन राष्ट्रीय राजमार्गों के अनुरक्षण और मरम्मत के लिए कुल वार्षिक गैर-योजना आबंटन से किया जाता है। फिलहाल, भारी वर्षा, बाढ़ आदि के कारण राष्ट्रीय राजमार्गों को हुई क्षति की मरम्मत के लिए धनराशि के आबंटन में वृद्धि का कोई प्रस्ताव नहीं है।

[हिन्दी]

खेलों को बढ़ावा देने हेतु नई योजनाएं

*308. श्री अनंत गुढ़े:
श्री ओमप्रकाश कृपलानी:

क्या युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने खेलों को बढ़ावा देने के लिए कोई नई योजनाएं शुरू की हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त योजनाओं के अंतर्गत राज्यवार कितनी धनराशि आबंटित की गई है और योजनाओं की समीक्षा करने संबंधी व्यवस्थाओं का ब्यौरा क्या है?

पंचायती राज मंत्री, युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री तथा उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर): (क) और (ख) जी, हां। सरकार ने कुछ नई योजनाओं को प्रारंभ करने का निर्णय लिया है जो निम्नलिखित हैं:-

(1) स्कूलों, कालेजों तथा विश्वविद्यालयों में खेलकूद का संवर्धन;

(2) डोप विरोधी गतिविधियां चलाने के लिए योजना;

(3) विकलांग व्यक्तियों के बीच खेलों का संवर्धन।

(ग) ये योजनाएं तैयार की जा रही हैं तथा चालू वित्तीय वर्ष के दौरान शुरू की जाएंगी।

(1) स्कूलों, कालेजों तथा विश्वविद्यालयों में खेलकूद का संवर्धन	6.00 करोड़ रु.
(2) डोप विरोधी गतिविधियां चलाने के लिए योजना (राष्ट्रीय डोप विरोधी एजेंसी, राष्ट्रीय डोप परीक्षण प्रयोगशाला, विश्व डोप विरोधी एजेंसी में योगदान)	2.50 करोड़ रु.
(3) विकलांग व्यक्तियों के बीच खेलों का संवर्धन	5.70 करोड़ रु.

चूंकि यह योजना राष्ट्रीय स्तर पर कार्यान्वित की जा रही है। अत: कोई राज्य-वार आबंटन नहीं है।

विद्यमान योजनाओं की समीक्षा के बारे में, इस संबंध में योजना आयोग द्वारा जारी किये गये मार्गनिर्देशों के अनुसार चालू योजनाओं की समीक्षा के लिए एक स्वतंत्र एजेंसी नियुक्त की जा रही है।

वृहत राष्ट्रीय खेल नीति, 2007 के मसौदे की ओर भी ध्यान खींचा जा रहा है, जिसे मंत्रालय के वेबसाइट पर देखा जा सकता है और जिस पर फिलहाल युवा संसदीय फोरम सहित स्वामित्वधारियों के साथ चर्चा की जा रही है।

[अनुवाद]

भू-जल के अत्यधिक दोहन के प्रतिकूल प्रभाव

*309. **श्री सुनील खां:** क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान डब्ल्यू.डब्ल्यू.एफ. की मार्च, 2007 की रिपोर्ट की ओर आकृष्ट किया गया है जिसमें भू-जल के अत्यधिक दोहन के प्रतिकूल प्रभाव को विशेष रूप से उजागर किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति): (क) और (ख) एक अन्तर्राष्ट्रीय गैर-सरकारी संगठन, द वर्ल्ड वाईड फंड फार नेचर ने "वर्ल्ड टाप टेन रीवर्स एट रिस्क" शीर्षक नामक रिपोर्ट में कृषि के लिए अत्यधिक जल निष्कर्षण के कारण खतरे में पड़ी विश्व की 10 नदियों में गंगा नदी को सूचीबद्ध किया है। रिपोर्ट के अनुसार कृषि के लिए गंगा नदी में से अत्यधिक जल निष्कर्षण के कारण सतही जल स्रोतों में कमी हुई है, जिसके परिणामस्वरूप भूमिगत जल पर निर्भरता में वृद्धि हुई है। इससे जल आधारित जीविका, जैवविविधिता और मृदा कार्बनिक पदार्थों में कमी आई है। भूमिगत जल की अपर्याप्त रीचार्जिंग से आर्सनिक की प्राकृतिक ब्लीसिंग प्रभावित हुई है। रिपोर्ट में फसलों की कुशल सिंचाई द्वारा अत्यधिक जल निष्कर्षण में कमी करना, कम पानी की आवश्यकता वाली फसलों का उत्पादन करना, स्थानीय ज्ञान का उपयोग, कृषीय सहायता को बंद करना, जल सेवाओं के लिए भुगतान लागू करना, ऐसे भागीदारियों का एक नेटवर्क स्थापित करना जो सतत विकास का प्रचार करें और सामुदायिक शिक्षा और जागरूकता सृजित करने आदि के सुझाव दिए गए है।

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा किए गए उपाय इस प्रकार हैं:-

(1) सतही और भूमिगत जल के अत्यधिक दोहन पर रोक लगाना और इसकी रीचार्जिंग:

(1) "मास्टर प्लान फार आर्टिफिशियल री-चार्ज टू ग्राउंड वाटर" शीर्षक नामक एक अवधारणा रिपोर्ट तैयार की गई है, जिसमें देश में कुल 4.5 लाख वर्ग कि.मी. के उस क्षेत्र को अभिनिर्धारित किया गया है जिसमें भूमिगत जल की कृत्रिम री-चार्जिंग की आवश्यकता है।

(2) केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड ने भूमिगत जल की कृत्रिम रिचार्जिंग पर राज्य/संघ शासित क्षेत्रों को एक मैनुअल/ मार्गदर्शिका प्रचारित की है, ताकि वे गिरते हुए भूमिगत जल स्तरों को रोकने के लिए क्षेत्र विशेष कृत्रिम रीचार्ज स्कीमें तैयार कर सकें।

(3) "रेन वाटर हारवेस्टिंग एंड आर्टिफिशियल रीचार्ज टू ग्राऊंड वाटर" और "स्टडी आफ रीचार्ज टू ग्राऊंड वाटर" पर एक प्रदर्शनीय स्कीम, बोर्ड द्वारा कार्यान्वित की जा रही है।

(4) जल संसाधन मंत्रालय ने खुदाई के कुओं को सतत बनाए रखने के लिए सात राज्यों नामत: आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, राजस्थान, तमिलनाडु, गुजरात और मध्य प्रदेश में अत्यधिक दोहन/संवेदनशील/कम संवेदनशील क्षेत्रों में कार्यान्वयन के लिए "आर्टिफिशियल रीचार्ज टू ग्राऊंड वाटर थ्रू डग वैल" पर एक स्कीम प्रस्तावित की है।

(5) सरकार ने जल संसाधन केन्द्रीय मंत्री के अधीन भूमिगत जल के कृत्रिम री-चार्ज पर एक सलाहकार परिषद गठित की है जिसमें वर्षा जल संचयन से संबंधित ग्रामीण विकास, शहरी विकास, कृषि, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों, वित्तीय संस्थानों, उद्योगों/ सार्वजनिक उपक्रमों और गैर-सरकारी संगठनों के प्रतिनिधि शामिल हैं।

(6) पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 3(3) के अंतर्गत गठित केन्द्रीय भूमिगत जल प्राधिकरण ने भूमिगत जल विकास के विनियमन और प्रबंधन और

भूमिगत जल निष्कर्षण ढांचों के अन्य 65 अत्यधिक दोहन क्षेत्रों के पंजीकरण के लिए देश में 43 अत्यधिक दोहन वाले क्षेत्रों को अधिनिर्धारित किया है। यह प्राधिकरण, अत्यधिक दोहन/संवेदनशील/कम संवेदनशील क्षेत्रों में नये उद्योगों/परियोजनाओं द्वारा भूमिगत जल के विकास को भी विनियमित करता है। इसने दिल्ली, फरीदाबाद, गुड़गांव और गाजियाबाद एवं राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उन क्षेत्रों, जहां भूमिगत जल तालिका भूतल से 8 मीटर नीचे है, की ग्रुप हाउसिंग सोसायटियों संस्थानों, होटलों, उद्योगों, फार्म हाऊसों आदि को वर्षा जल संचयन प्रणाली को अपनाने के लिए निदेश जारी किये हैं।

(7) केन्द्रीय भूमिगत जल प्राधिकरण ने संबंधित राज्यों के मुख्य सचिवों को उनके क्षेत्राधिकार में आने वाले सभी अत्यधिक दोहन वाले क्षेत्रों में भूमिगत जल कृत्रिम री-चार्ज को अपनाने/वर्षा जल संचयन प्रसार के लिए सभी उपाय करने और भवनों में कानूनी रूप से छत पर वर्षा जल संचयन की सुनिश्चितता के निदेश जारी किये हैं।

(8) भूमिगत जल री-चार्ज के लिए वर्षा जल संचयन सहित भूमिगत जल के विनियमन और प्रबंधन नियंत्रण के लिए आवश्यक कानून लागू करने के लिए राज्य/संघ शासित क्षेत्रों को अनुरोध किया है।

(9) 10वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत 187 लाख हैक्टेयर से भी अधिक क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर पर अनेक वाटर-शैड विकास कार्यक्रम आरम्भ किये गये हैं।

(2) आर्सेनिक संदूषण के लिए उपचारात्मक उपाय

(1) आर्सेनिक मुक्त डीपर जलभृत् की रूपरेखा तैयार करने के लिए बोर्ड, पश्चिम बंगाल, बिहार और उत्तर प्रदेश के आर्सेनिक प्रभावित क्षेत्रों, जहां आर्सेनिक मुक्त जलभृत् क्षेत्रों में खोज किए जाने वाले कुओं का निर्माण किया जाता है और उन्हें उपयोग के लिए राज्य सरकारों को सौंपा जाता है, में भूमिगत जल में अनुसंधान करता है।

(2) इसके अतिरिक्त, बोर्ड आर्सेनिक प्रभावित क्षेत्रों में पेय जल संसाधनों के अभिनिर्धारण के लिए तकनीकी मार्गदर्शन भी देता है।

(3) इसके अलावा, स्थानीय लोगों में जागरूकता पैदा करने और तकनीकी मार्गदर्शन करने के लिए बोर्ड द्वारा विभिन्न आर्सेनिक प्रभावी क्षेत्रों में सामूहिक जागरूकता कार्यक्रम और जल प्रबंधन प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं।

राष्ट्रीय समुद्रीय नीति

*310. **श्री सुरेश कलमाडी:** क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि एक राष्ट्रीय समुद्रीय नीति के अभाव में भारतीय पत्तनों में गाद निकालने और जहाजों के लिए अपर्याप्त भाग (ड्राफ्ट) की उपलब्धता की समस्याओं को सुलझाने हेतु क्या उपाए किए गए हैं?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री (श्री टी.आर. बालू): महापत्तनों द्वारा इनमें आने वाले और भविष्य में आने के लिए संभावित जलयानों के आवश्यक डुबाव को ध्यान में रखते हुए, समय-समय पर पत्तन-जलमार्गों और बेसिनों को और अधिक गहरा किए जाने के लिए ड्रेजिंग का कार्य किया जाता है। यह पत्तन अवसंरचना को बेहतर बनाए जाने के लिए लगातार चलती रहने वाली प्रक्रिया का एक भाग है। राष्ट्रीय समुद्रीय विकास कार्यक्रम के अंतर्गत, वर्ष 2011-12 तक की अवधि में कार्यान्वित किए जाने हेतु, महापत्तनों में जलमार्गों/बाटों इत्यादि को और अधिक गहरा किए जाने के कुल 25 परियोजनाएं चुन ली गई हैं।

गैर-महापत्तन, समग्र रूप से संबंधित राज्य-सरकारों के अधिकार-क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, जिन्हें विकसित किए जाने का उत्तरदायित्व उनका ही है।

कोयला आवंटन हेतु नीति

*311. **श्री पी.एस. गड़वी:** क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में कोयला ब्लाकों के आवंटन हेतु क्या मानदंड निर्धारित किए गए हैं;

(ख) क्या कोयला ब्लाकों के आवंटन की वर्तमान प्रक्रिया में कई खामियां हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार कोयला ब्लाकों के आवंटन हेतु एक नई नीति बनाने का है या वर्तमान प्रक्रिया की समीक्षा करने का है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) नई/संशोधित नीति कब तक बनाए और लागू किए जाने की संभावना है?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. दासरि नारायण राव): (क) कोयला ब्लाक निम्नलिखित व्यवस्थाओं के अंतर्गत आबंटित किए जा सकते हैं:-

(1) सरकारी कंपनी संवितरण के अधीन वाणिज्यिक खनन हेतु सरकारी कंपनियों को;

(2) केप्टिव व्यवस्था के अधीन कोयला गैसीकरण एवं कोयला द्रव्यीकरण के माध्यम से विशिष्ट अन्त्य उपयोगों जैसे विद्युत उत्पादन, लोहा तथा इस्पात, सीमेंट और सिन गैस के उत्पादन/निर्माण में केप्टिव उपयोग के लिए निजी कंपनियों के साथ-साथ सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों को;

(3) टेरिफ आधारित बोली के आधार पर विकसित की जाने वाली विद्युत परियोजनाओं को।

उपर्युक्त तीन व्यवस्थाओं के अधीन कोयला ब्लाकों के आबंटन हेतु अपनाए गए मानदंड निम्नवत् हैं:

(1) सरकारी कंपनी व्यवस्था - इन व्यवस्था के अधीन आबंटन के निर्धारण में, अन्य बातों के साथ-साथ उन राज्यों की वरीयता जिन्हें पहले कोई कोयला ब्लाक आबंटित नहीं किया गया है, कोयलाधारी राज्य के भीतर मूल्य जमा को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से मेजबान राज्यों को प्राथमिकता, कोयला ब्लाकों के विकास में आवेदकों का पिछला कार्य-निष्पादन, प्रस्तावित अन्त्य उपयोग परियोजनाओं के लिए कोयला ब्लाकों की सनिकटता, संबंधित राज्य सरकार की सिफारिश/समर्थन आदि शामिल हैं।

(2) केप्टिव व्यवस्था - अन्य बातों के साथ-साथ अन्त्य उपयोग परियोजना की तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता, परियोजना को तैयार करने की स्थिति, अन्त्य उपयोगकर्ता की आवश्यकता के साथ ब्लाक में कोयले की गुणवत्ता तथा मात्रा के हिसाब से सुसंगतता तथा आवेदक कंपनी का ट्रेक रिकार्ड, राज्य सरकार तथा संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय की सिफारिशें आदि को हिसाब में लेते हुए आबंटन का निर्णय लिया जाता है।

(3) टेरिफ आधारित बोली के माध्यम से चयन की जाने वाली विद्युत परियोजनाओं के लिए विद्युत मंत्रालय की सिफारिशों पर कोयला ब्लाकों का निर्धारण किया जाता है।

(ख) से (घ) केप्टिव उपयोग हेतु कोयला ब्लाकों के आबंटन की मौजूदा पद्धति जांच समिति के माध्यम से अन्तर-मंत्रालयी तथा अन्तर-सरकारी परामर्शों पर आधारित है। उसके अपने गुणावगुण हैं। तथापि, आबंटन के लिए उपलब्ध कोयला ब्लाकों की संख्या घट रही है और ब्लाकों की मांग बढ़ रही है, अधिक विशिष्ट उद्देश्यपरक मानदंड को अपनाए बिना आवेदक का चयन अधिक जटिल हो गया है।

खान तथा खनिज (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1957 में संशोधन के जरिए केप्टिव उपयोग हेतु कोयला ब्लाकों के आबंटन के लिए प्रतियोगी बोली की पद्धति को लागू करने का एक प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है।

(ङ) और (च) चूंकि यह मामला अभी भी सरकार के विचाराधीन है और इसके लिए वैधानिक अनुमोदन की आवश्यकता होगी। अत: उसके प्रस्तावित निरूपण और उसके कार्यान्वयन के लिए समय-सीमा के ब्यौरे बताना संभव नहीं है।

[हिन्दी]

पहाड़ी राज्यों में एड्स के मामले

*312. **श्रीमती करूणा शुक्ला:***
श्री श्रीपाद येसो नाईक:

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उत्तराखंड सहित देश के पहाड़ी राज्यों में एड्स के मरीजों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है जैसाकि दिनांक 25 मई, 2007 के "जनसत्ता" में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) क्या सरकार ने देश के ऐसे क्षेत्रों में एड्स को फैलने से रोकने के लिए कोई विशेष योजना तैयार की है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. अंबुमणि रामदास): (क) से (ङ) "नाको" में उपलब्ध सूचना के अनुसार एड्स के सूचित मामलों की संख्या में कुछेक पहाड़ी राज्यों नामत: जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखण्ड के साथ-साथ पूर्वोत्तर राज्यों- अरुणाचल प्रदेश, असम, मिजोरम और मणिपुर में कुछ वृद्धि देखी

गई है। देश में वर्ष 2004 से एंटी रिट्रोवायरल उपचार कार्यक्रम के शुरू होने के कारण एड्स मामलों की सूचना में वृद्धि हो सकती है। वर्ष 1991 से सूचित एड्स मामलों का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

भारत सरकार ने उच्च जोखिम समूहों और आम जनता में नए संक्रमणों की रोकथाम, उपचार तक पहुंच को बढ़ाने, कार्यक्रम प्रबन्धन में सुधार तथा सूचना प्रबन्धन प्रणालियों के सुदृढ़ीकरण वाली बहुमुखी कार्यनीति के जरिए निवारण, परिचर्या सहायता और उपचार कार्यक्रमों के एकीकरण द्वारा देश में अगले पांच वर्षों में महामारी को रोकने और इसका रूख मोड़ने के लक्ष्य से राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम चरण-III शुरू किया है।

लोगों को एच आई वी/एड्स के बारे में जागरूक बनाने और सुरक्षित कार्य-व्यवहारों के लिए राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन तथा राज्य एड्स नियंत्रण सोसाइटियां व्यापक संचार माध्यमों (मास मीडिया) एवं अन्तर-वैयक्तिक संवाद/सम्प्रेषण माध्यमों के जरिए नियमित तौर पर सूचना, शिक्षा एवं सम्प्रेषण अभियान चलाती हैं। नाको का ''जीवन है अनमोल'' एवं ''लैटस टाक एड्स'' कार्यक्रम 24 भाषाओं में आकाशवाणी के 174 केन्द्रों से प्रसारित होते हैं जिनमें पहाड़ी क्षेत्र के प्रसारण केन्द्र भी शामिल हैं। ग्रामीण, पहाड़ी और अर्ध-शहरी आबादी पर केन्द्रित ''कल्याणी'' स्वास्थ्य पत्रिका की विशेष श्रृंखलाएं दूरदर्शन पर प्रसारित की जाती हैं। गीत एवं नाटक प्रभाग तथा क्षेत्र-प्रचार निदेशालय के माध्यम से पहाड़ी राज्यों, जहां नियमित व्यापक संचार माध्यमों की विद्यमानता कम है, में विशेष जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। इसके साथ-साथ ग्राम सभा, पंचायती राज संस्थाओं, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, स्वयं सहायता समूहों और मीडिया के सदस्यों को भी नियमित आधार पर सुग्राही बनाया जाता है। पूर्वोत्तर राज्यों में जागरूकता और सुरक्षित कार्यव्यवहार बढ़ाने के लिए बड़े पैमाने पर धर्मावलंबी आधारित संगठन शामिल हैं।

विवरण

वर्ष 1991 से सूचित किए गए एड्स मामलों का राज्य-वार ब्यौरा

राज्य	संचयी संख्या (1991-2000)	2001	2002	2003	2004	2005	2006	जून, 2007 तक कुल	
अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0	13	0	13
असम	99	47	16	50	13	40	107	0	372
हिमाचल प्रदेश	61	6	40	41	75	73	6	0	302
जम्मू-कश्मीर	2	0	0	0	0	0	34	0	36
मणिपुर	761	286	632	1187	0	0	80	0	2946
मेघालय	8	0	0	0	0	0	0	0	8
मिजोरम	15	5	14	18	54	0	4	38	148
नागालैंड	147	131	87	84	269	18	0	0	736
सिक्किम	2	2	2	2	0	3	0	0	11
त्रिपुरा	0	0	5	0	0	0	0	0	5
उत्तराखंड	0	0	5	6	19	49	0	0	79
कुल	29397	17632	23225	22281	29342	25738	29166	11302	184008

पहाड़ी राज्यों में वर्ष 2006 के अन्त तक एचआईवी/एड्स पीड़ित वयस्कों की अनुमानित संख्या और वयस्क एचआईवी व्यापता दर

राज्य	एचआईवी की अनुमानित संख्या (15-49 वर्ष)	वयस्क व्यापता दर
मणिपुर	22010	1.68
नागालैंड	15277	1.27
अरुणाचल प्रदेश	682	0.05
असम	5119	0.03
हिमाचल प्रदेश	1213	0.03
जम्मू-कश्मीर	2247	0.04
मेघालय	859	0.06
मिजोरम	4009	0.74
सिक्किम	254	0.08
त्रिपुरा	2060	0.12
उत्तराखंड	3821	0.08
अखिल भारत कुल (15-49)	2.1 मिलियन	0.36(%)
अखिल भारत कुल (सभी आयु समूह)	2.47 मिलियन	

परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में संयुक्त उद्यम

***313. डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय:**
श्री चन्द्र मणि त्रिपाठी:

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कुछ विदेशी कंपनियों ने देश के परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में संयुक्त उद्यम स्थापित करने की पेशकश की है; और

(ख) यदि हां, तो ऐसी कंपनियों का ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की जा रही है?

प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री पृथ्वीराज चव्हाण): (क) और (ख) सरकार की विदेशी प्रत्यक्ष निवेश नीति (अप्रैल, 2006) परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की अनुमति नहीं देती।

परमाणु विद्युत उत्पादन के क्षेत्र में केवल वह सरकारी कंपनी, जिसमें केन्द्रीय सरकार के पास दत्त शेयर पूंजी का हिस्सा इक्यावन प्रतिशत से कम न हो, परमाणु ऊर्जा के उत्पादन में काम कर सकती है।

जहां तक नाभिकीय सुविधाओं को उपस्कर और संघटक बेचने हेतु आपूर्ति श्रृंखला का संबंध है, कुछ विदेशी कंपनियों ने अपने भारतीय प्रतिपक्षों के साथ सिर्फ अन्वेषणात्मक स्वरूप की बातचीत शुरू की है। इस समय कोई ठोस प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

[हिन्दी]

रैबीज के मरीजों का उपचार

***314. श्री के.सी. पल्लानी शामी:** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में काफी लोग हर वर्ष रैबीज के कारण मर जाते हैं;

(ख) क्या रैबीज पीड़ित कोई भी व्यक्ति नहीं बच पाया है;

(ग) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान इससे हुए मौतों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा रैबीज के फैलने को रोकने और रैबीज के मरीजों को समुचित उपचार सुनिश्चित कराने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. अंबुमणि रामदास): (क) से (घ) केन्द्रीय स्वास्थ्य आसूचना ब्यूरो द्वारा संकलित आंकड़ों के अनुसार देश के विभिन्न राज्यों में रैबीज के कारण हुई मौतों की संख्या वर्ष 2004 में 556, 2005 में 302 और 2006 में 361 है। पिछले तीन वर्षों में रैबीज के कारण हुई मौतों की संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

रैबीज का यदि तुरन्त उपचार न किया जाए, तो यह प्राय: घातक होता है। रैबीज से होने वाली मौतों को रैबीज के बाद दिए जाने वाले रोग निरोधन के रूप में त्वरित और समुचित चिकित्सीय सहायता देकर रोका जा सकता है। रैबीज के बाद दिए जाने वाले रोग निरोधन में रैबीज रोधी टीका लगाना शामिल है।

स्वास्थ्य राज्य का विषय है। अत: रैबीज के रोगियों का समुचित उपचार सुनिश्चित करना मुख्य रूप से राज्य सरकारों का उत्तरदायित्व है। भारत सरकार कुत्ते के काटे मामलों की रोकथाम और उपचार के लिए तकनीकी सहायता और दिशानिर्देश प्रदान करती है। अन्त: त्वचीय टीशू कल्चर रैबीज रोधी टीके के प्रयोग को हाल ही में अनुमोदित किया गया है ताकि टीकाकरण की लागत को किफायती बनाया जा सके। रैबीज रोधी टीके राज्य सरकारों द्वारा सीधे विनिर्माता एककों से खरीदे जाते हैं। इसके अलावा, मानव रैबीज की रोकथाम और नियंत्रण के लिए एक प्रायोगिक परियोजना 11वीं पंचवर्षीय योजना में नई पहलों के अधीन अनुमोदित की गई है।

विवरण

भारत में 2004 में संचारी रोगों के सूचित रोगी और मौतें

रेबीज/कुत्ते के काटे, गए व्यक्ति

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	पुरुष रोगी/मौतें	महिला रोगी/मौतें	कुल रोगी/मौतें	संदर्भ की अवधि रोगी/मौतें
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	33	16	49	दिसम्बर 2004
2.	अरुणाचल प्रदेश	–	–	–	अप्राप्त
3.	असम	0	0	0	दिसम्बर 2004
4.	बिहार	–	–	–	अप्राप्त
5.	छत्तीसगढ़	–	–	–	अप्राप्त
6.	गोवा	0	0	0	दिसम्बर 2004
7.	गुजरात	0	0	0	दिसम्बर 2004
8.	हरियाणा	0	0	0	दिसम्बर 2004
9.	हिमाचल प्रदेश	0	0	0	दिसम्बर 2004
10.	जम्मू-कश्मीर	–	–	1	दिसम्बर 2004
11.	झारखंड	–	–	–	अप्राप्त
12.	कर्नाटक	61	18	79	दिसम्बर 2004
13.	केरल	17	3	20	दिसम्बर 2004
14.	मध्य प्रदेश	0	0	0	दिसम्बर 2004
15.	महाराष्ट्र	61	24	85	दिसम्बर 2004
16.	मणिपुर	0	0	0	दिसम्बर 2004
17.	मेघालय	0	0	0	दिसम्बर 2004
18.	मिजोरम	0	1	1	दिसम्बर 2004
19.	नागालैंड	0	0	0	दिसम्बर 2004

1	2	3	4	5	6
20.	उड़ीसा	1	1	2	दिसम्बर 2004
21.	पंजाब	0	1	1	दिसम्बर 2004
22.	राजस्थान	9	10	19	दिसम्बर 2004
23.	सिक्किम	1	1	2	दिसम्बर 2004
24.	तमिलनाडु	–	–	6	दिसम्बर 2004
25.	त्रिपुरा	6	2	8	दिसम्बर 2004
26.	उत्तरांचल	0	0	0	दिसम्बर 2004
27.	उत्तर प्रदेश	0	0	0	जनवरी 2004
28.	पश्चिम बंगाल	193	75	268	दिसम्बर 2004
29.	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	0	0	0	दिसम्बर 2004
30.	चण्डीगढ़	0	0	0	मई 2004
31.	दादरा और नगर हवेली	0	0	0	दिसम्बर 2004
32.	दमन और दीव	0	0	0	दिसम्बर 2004
33.	दिल्ली	11	2	13	दिसम्बर 2004
34.	लक्षद्वीप	0	0	0	दिसम्बर 2004
35.	पांडिचेरी	1	1	2	दिसम्बर 2004
	कुल	394	155	556	

आंकड़े अनंतिम हैं और अस्पष्ट कवरेज के कारण तुलनीय नहीं हैं।

... असूचित

पुरुषों और महिलाओं का योग कुल आंकड़ों के साथ मेल नहीं खा सकता क्योंकि कुछ राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने अलग से लिंगवार सूचना नहीं दी है।

स्रोत: राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की मासिक स्वास्थ्य स्थिति रिपोर्टें, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय

भारत में मुख्य संचारी रोगों के सूचित किए गए रोगी और मौतें

रेबीज-2005

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	पुरुष रोगी/मौतें	महिला रोगी/मौतें	कुल रोगी/मौतें	संदर्भ की अवधि रोगी/मौतें
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	17	7	24	दिसम्बर 2005
2.	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	दिसम्बर 2005

1	2	3	4	5	6
3.	असम	0	0	0	दिसम्बर 2005
4.	बिहार	–	–	–	अप्राप्त
5.	छत्तीसगढ़	–	–	–	अप्राप्त
6.	गोवा	0	0	0	अप्रैल 2005
7.	गुजरात	–	–	12	दिसम्बर 2005
8.	हरियाणा	0	0	0	दिसम्बर 2005
9.	हिमाचल प्रदेश	1	2	3	दिसम्बर 2005
10.	जम्मू-कश्मीर	0	0	0	दिसम्बर 2005
11.	झारखंड	0	0	0	दिसम्बर 2005-जन. से मार्च 05 को छोड़कर
12.	कर्नाटक	5	1	6	दिसम्बर 2005
13.	केरल	18	8	26	दिसम्बर 2005
14.	मध्य प्रदेश	1	0	1	दिसम्बर 2005
15.	महाराष्ट्र	43	17	60	दिसम्बर 2005
16.	मणिपुर	0	0	0	दिसम्बर 2005
17.	मेघालय	0	0	0	दिसम्बर 2005
18.	मिजोरम	0	0	0	दिसम्बर 2005
19.	नागालैंड	0	0	0	दिसम्बर 2005
20.	उड़ीसा	2	0	2	दिसम्बर 2005
21.	पंजाब	0	0	0	दिसम्बर 2005
22.	राजस्थान	12	4	16	दिसम्बर 2005
23.	सिक्किम	0	1	1	दिसम्बर 2005
24.	तमिलनाडु	–	–	6	दिसम्बर 2005
25.	त्रिपुरा	3	3	6	दिसम्बर 2005
26.	उत्तरांचल	0	0	0	दिसम्बर 2005
27.	उत्तर प्रदेश	1	1	2	जनवरी 2005
28.	पश्चिम बंगाल	78	44	122	दिसम्बर 2005
29.	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	0	0	0	दिसम्बर 2005

1	2	3	4	5	6
30.	चण्डीगढ़	–	–	–	अप्राप्त
31.	दादरा और नगर हवेली	0	0	0	दिसम्बर 2005
32.	दमन और दीव	0	0	0	दिसम्बर 2005
33.	दिल्ली	11	0	11	दिसम्बर 2005
34.	लक्षद्वीप	0	0	0	दिसम्बर 2005
35.	पांडिचेरी	0	4	4	दिसम्बर 2005
	कुल	192	92	302	

आंकड़े अनंतिम हैं और अस्पष्ट कवरेज के कारण तुलनीय नहीं हैं।
– असूचित
पुरुषों और महिलाओं का योग कुल आंकड़ों के साथ मेल नहीं खा सकता क्योंकि कुछ राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने अलग से लिंगवार सूचना नहीं दी है।
स्रोत: राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की मासिक स्वास्थ्य स्थिति रिपोर्टें, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय

भारत में 2006 में रेबीज के सूचित किए गए राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार रोगी और मौतें

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	पुरुष रोगी/मौतें	महिला रोगी/मौतें	कुल रोगी/मौतें	संदर्भ की अवधि रोगी/मौतें
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	36	9	45	दिस., अग. 2006 को छोड़कर
2.	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	अप्राप्त
3.	असम	–	–	–	अप्राप्त
4.	बिहार	–	–	–	दिसम्बर 2006
5.	छत्तीसगढ़	10	4	14	दिसम्बर 2006
6.	गोवा	0	0	0	दिसम्बर 2006
7.	गुजरात	0	0	0	दिसम्बर 2006
8.	हरियाणा	0	0	0	दिसम्बर 2006
9.	हिमाचल प्रदेश	1	1	2	दिसम्बर 2006
10.	जम्मू डिवी.	0	0	0	दिसम्बर 2006
	कश्मीर डिवी.	0	0	0	दिसम्बर 2006
11.	झारखंड	0	0	0	दिसम्बर 2006
12.	कर्नाटक	6	3	9	दिसम्बर 2006

1	2	3	4	5	6
13.	केरल	9	8	17	दिसम्बर 2006
14.	मध्य प्रदेश	0	0	0	जुलाई 2006
15.	महाराष्ट्र	35	13	48	दिसम्बर 2006
16.	मणिपुर	4	1	5	दिसम्बर 2006
17.	मेघालय	0	1	1	दिसम्बर 2006
18.	मिजोरम	0	0	0	दिसम्बर 2006
19.	नागालैंड	0	0	0	दिसम्बर 2006
20.	उड़ीसा	0	2	2	दिसम्बर 2006
21.	पंजाब	0	0	0	दिसम्बर 2006
22.	राजस्थान	14	4	18	दिसम्बर 2006
23.	सिक्किम	0	0	0	दिसम्बर 2006
24.	तमिलनाडु	–	–	18	दिसम्बर 2006
25.	त्रिपुरा	4	3	7	दिसम्बर 2006
26.	उत्तरांचल	0	0	0	दिसम्बर 2006
27.	उत्तर प्रदेश	0	0	0	दिसम्बर 2006
28.	पश्चिम बंगाल	124	39	163	दिसम्बर 2006
29.	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	3	7	10	दिसम्बर 2006
30.	चण्डीगड़	–	–	–	अप्राप्त
31.	दादरा और नगर हवेली	0	1	1	फर., अप्रै., नव. और दिस. 2006 में ही
32.	दमन और दीव	0	0	0	दिसम्बर 2006
33.	दिल्ली	0	0	0	दिसम्बर 2006
34.	लक्षद्वीप	0	0	0	दिसम्बर 2006
35.	पांडिचेरी	0	1	1	दिसम्बर 2006
	कुल	246	97	361	

आंकड़े अनंतिम हैं और अस्पष्ट कवरेज के कारण तुलनीय नहीं हैं।

– असूचित

पुरुषों और महिलाओं का योग कुल आंकड़ों के साथ मेल नहीं खा सकता क्योंकि कुछ राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने अलग से लिंगवार सूचना नहीं दी है।

स्रोत: राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की मासिक स्वास्थ्य स्थिति रिपोर्टें, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय

[हिन्दी]

प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण में स्थानीय लोगों की भूमिका

*315. **श्री राकेश सिंह:** क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने संरक्षित वन क्षेत्रों में प्राकृतिक संसाधनों के दोहन को रोकने के लिए स्थानीय लोगों की भूमिका निर्धारित करने हेतु कोई नीति तैयार की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति): (क) और (ख) आरक्षित वनों में प्राकृतिक संसाधनों के दोहन को रोकने के लिए स्थानीय लोगों की भूमिका से संबंधित कोई विशेष नीति तैयार नहीं की गई है। तथापि, राष्ट्रीय वन नीति, 1988 के उपबंधों के अनुसार संयुक्त वन प्रबंध (जे.एफ.एम.) कार्यनीति के अंतर्गत अवक्रमित वन भूमियों के पुनरुद्धार और संरक्षण में ग्राम समुदायों को शामिल करने के लिए भारत सरकार ने 1 जून, 1990 को दिशा निर्देश जारी किए थे। संयुक्त वन प्रबंध कार्यक्रम की पुनरीक्षा के बाद, केन्द्र सरकार ने देश में संयुक्त वन प्रबंधन कार्यक्रम को और अधिक मजबूत बनाने के लिए 21 फरवरी, 2000 और 24 दिसम्बर, 2002 को दिशा निर्देश जारी किए थे। संयुक्त वन प्रबंध कार्यनीति को सभी 28 राज्यों और 2 संघ शासित प्रदेशों द्वारा अपनाया गया है। राज्य वन विभागों द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार यहां एक लाख से अधिक ग्राम स्तरीय संयुक्त वन प्रबंधन समितियां हैं जो लगभग 22 मिलियन हेक्टेयर वन क्षेत्र को देख रही हैं। संयुक्त वन प्रबंध समितियां अपनी अन्य गतिविधियों के अतिरिक्त आरक्षित वनों सहित वन क्षेत्रों से वन उत्पाद की असतत् फसल की कटाई की रोकथाम में भी सहायता करती है।

कैंसर के मामलों में वृद्धि

*316. **श्री संजय धोत्रे:**
श्री महावीर भगोरा:

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अंतर्राष्ट्रीय कैंसर अनुसंधान परिषद के निष्कर्षों के अनुसार देश में वर्ष 2030 तक कैंसर के मामलों की संख्या दोगुनी होने की संभावना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान राज्य-वार और वर्ष-वार कितने मरीजों की कैंसर से मृत्यु हुई है;

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण कार्यक्रम (एनसीसीपी) के अंतर्गत राज्य-वार और वर्ष-वार धनराशि आवंटन हेतु क्या मानदंड/मानक हैं, इसके लिए कितनी राशि जारी की गई और कितनी राशि व्यय की गयी;

(ङ) उक्त अवधि के दौरान किन-किन राज्यों को धनराशि आवंटित नहीं की गई और इसके क्या कारण हैं; और

(च) सरकार द्वारा इस रोग को नियंत्रित करने हेतु क्या कार्ययोजना तैयार की गई/किए जाने का प्रस्ताव है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. अंबुमणि रामदास): (क) से (च) भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के अनुसार इंटरनेशनल एजेन्सी फार रिसर्च आन कैंसर (आई ए आर सी) ने बताया है कि विश्व में 2000-2030 के बीच निदान किए गए कैंसर रोगियों की संख्या दुगुने से अधिक हो जाएगी। वर्ष 2000 में विश्व भर में कैंसर के निदान किए गए 11 मिलियन नए रोगी थे, कैंसर से 7 मिलियन मौतें हुई थी और 25 मिलियन लोग कैंसर से ग्रस्त थे। एजेंसी को आशा है कि वर्ष 2030 तक प्रतिवर्ष इस रोग के 27 मिलियन लोगों का निदान किया जाएगा और 75 मिलियन लोग कैंसर से ग्रस्त हो जाएंगे।

तथापि, भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के राष्ट्रीय कैंसर रजिस्ट्री कार्यक्रम के अंतर्गत कार्यरत जनसंख्या आधारित कैंसर रजिस्ट्री के आंकड़ों के आधार पर प्रतिवर्ष कैंसर के अनुमानित 8-9 लाख नए रोगियों का पता लगाया जाता है और देश में किसी भी समय 2.5 मिलियन कैंसर रोगी होते हैं। अनुमान है कि प्रति वर्ष कैंसर से करीब 4 लाख मौतें होती हैं। कैंसर रोगियों/कैंसर से होने वाली मौतों का राज्यवार ब्यौरा केन्द्रीय स्तर पर नहीं रखा जाता है।

राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण कार्यक्रम का कार्यान्वयन स्वास्थ्य शिक्षा के जरिए प्राथमिक रोकथाम, कैंसर की शीघ्र पहचान तथा निदान और कैंसर उपचार केंद्रों के सुदृढ़ीकरण के जरिए द्वितीयक रोकथाम के उद्देश्यों के साथ किया जा रहा है।

इस कार्यक्रम के अंतर्गत मुख्यतया क्षेत्रीय कैंसर केंद्रों तथा अर्बुदविज्ञान विंग के विकास के लिए तथा जिला कैंसर नियंत्रण

कार्यक्रम को कार्यान्वित करने के लिए राज्य सरकार को सहायता दी जाती है। अर्बुदविज्ञान विंग के विकास के लिए नए क्षेत्रीय कैंसर केन्द्रों/मौजूदा क्षेत्रीय कैंसर केंद्रों के लिए 5.00 करोड़ रु./ 3.00 करोड़ रु. तथा सरकारी मेडिकल कालेजों/अस्पतालों को 3.00 करोड़ रु. तक का एक बारगी अनुदान दिया जाता है। रोकथाम तथा रोग का शीघ्र पता लगाने पर संकेन्द्रित जिला कैंसर नियंत्रण कार्यक्रम के लिए 5 वर्षों की अवधि में 90.00 लाख रु. का सहायता अनुदान दिया जाता है।

राज्य सरकार से पूर्ण प्रस्तावों के प्राप्त होने पर राज्य सरकार/ संस्थाओं को अनुदान जारी किए जाते हैं। वर्ष 2004-05, 2005-06, 2006-07 के दौरान राज्य/संघ राज्य क्षेत्र को जारी की गई निधियों को दर्शाने वाली सूची संलग्न विवरण में दी गई है। 8 राज्यों नामत: अरुणाचल प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, दिल्ली, गोवा, हरियाणा, झारखंड तथा सिक्किम को विगत तीन वर्षों (2004-07) के दौरान इन राज्यों से पूर्ण प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण कोई निधि जारी नहीं की जा सकी।

विवरण

संशोधित राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत राज्यवार व्यय

क्र.सं.	राज्य का नाम	संस्था का नाम	स्कीम का नाम	वर्ष	सहायता अनुदान की राशि (लाख रुपए)
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	वेंकटेश्वरा, तिरूपति	आनकोलोजी	2006-07	300.00
		जीएमसी, अनन्तपुरा	आनकोलोजी	2005-06	200.00
		जीजीएच, काकीनाडा	आनकोलोजी	2005-06	100.00
		आईआरसीएस, नेल्लोर	आनकोलोजी	2004-05	250.00
2.	असम	एएमसी, डिब्रूगढ़	आनकोलोजी	2006-07	218.00
		मेडिकल कालेज, सिल्चर	आनकोलोजी	2005-06	200.00
		बीबीसीआई, गुवाहाटी	आनकोलोजी	2005-06	16.00
		बीबीसीआई, गुवाहाटी	आरसीसी	2004-05	284.00
		बीबीसीआई, गुवाहाटी	आनकोलोजी	2004-05	300.00
3.	चंडीगढ़	पीजीआईएमईआर, चंडीगढ़	आनकोलोजी	2005-06	264.00
		पीजीआईएमईआर, चंडीगढ़	आरसीसी	2005-06	500.00
4.	गुजरात	आरसीसी, अहमदाबाद	एक्सीलेंस	2006-07	500.00
		आरसीसी, अहमदाबाद	डीसीसीपी	2006-07	6.99
		एमजीआईसी, वर्धा	आनकोलोजी	2006-07	200.00
		आरसीसी, अहमदाबाद	डीसीसीपी	2005-06	15.00
		आरसीसी, अहमदाबाद	आरसीसी	2004-05	300.00
5.	हिमाचल प्रदेश	आरसीसी, शिमला	आरसीसी	2007-08	300.00

1	2	3	4	5	6
6.	जम्मू-कश्मीर	जीएमसी, श्रीनगर	आनकोलोजी	2006-07	114.00
		जीएमसी, जम्मू	आनकोलोजी	2005-06	200.00
		एसकेआईएमएस, श्रीनगर	आरसीसी	2005-06	499.00
7.	कर्नाटक	आरसीसी, बंगलोर	एक्सीलेंस	2006-07	500.00
		वीआईएमएस, बेल्लारी	आनकोलोजी	2005-06	100.00
		आरसीसी, बंगलोर	आरसीसी	2004-05	300.00
		आरसीसी, बंगलोर	आनकोलोजी	2004-05	200.00
8.	केरल	आरसीसी, तिरूवनंतपुरम	एक्सीलेंस	2006-07	100.00
		जीएमसी, कालीकट	आनकोलोजी	2005-06	150.00
		जीएच, एर्नाकुलम	आनकोलोजी	2005-06	270.00
		आरसीसी, तिरूवनंतपुरम	डीसीसीपी	2005-06	22.00
		आरसीसी, तिरूवनंतपुरम	आरसीसी	2004-05	300.00
		एमसीसी, कुन्नुर	आनकोलोजी	2004-05	150.00
		जीएमसीएच, त्रिवेन्द्रम	आनकोलोजी	2004-05	300.00
		आरसीसी, तिरूवनंतपुरम	आनकोलोजी	2004-05	300.00
9.	मध्य प्रदेश	आरसीसी, ग्वालियर	डीसीसीपी	2007-08	44.00
		जीआरएमसीएच, ग्वालियर	आनकोलोजी	2005-06	300.00
		आरसीसी, ग्वालियर	आरसीसी	2004-05	300.00
10.	महाराष्ट्र	जीएमसीएच, नागपुर	आनकोलोजी	2004-05	288.00
11.	मणिपुर	आरआईएमएस, इम्फाल	आनकोलोजी	2005-06	300.00
		आरआईएमएस, इम्फाल	आरसीसी	2005-06	500.00
12.	मेघालय	सीएच, शिलांग	आनकोलोजी	2004-05	300.00
13.	मिजोरम	सिविल अस्पताल, आइजोल	आरसीसी	2005-06	80.00
		आरसीसी, मिजोरम	डीसीसीपी	2005-06	22.00
14.	नागालैंड	सीएच, मोकोकचुंग	आनकोलोजी	2004-05	221.00
15.	उड़ीसा	आरसीसी, कटक	आरसीसी	2006-07	300.00
16.	पुडुचेरी	आरसीसी, पुडुचेरी	आरसीसी	2004-05	300.00
17.	पंजाब	एसजीटीबीएच, अमृतसर	आनकोलोजी	2005-06	200.00

1	2	3	4	5	6
18.	राजस्थान	जीएमसी, कोटा	आनकोलोजी	2006-07	204.00
		एस.पी. मेडिकल कालेज, बीकानेर	आनकोलोजी	2006-07	100.00
		एस.पी. मेडिकल कालेज, बीकानेर	डीसीसीपी	2006-07	22.00
		एसएमएसएमसीएच, जयपुर	आनकोलोजी	2005-06	137.00
		आरसीसी, बीकानेर	आरसीसी	2004-05	3.00
19.	तमिलनाडु	जीएएएमसीआरआई एवं एच, कांचीपुरम	आरसीसी	2005-06	500.00
		आरसीसी, चेन्नई	आरसीसी	2004-05	300.00
		जीएएएमसीआरआई एवं एच, कांचीपुरम	आनकोलोजी	2004-05	288.00
		जीएमसीएच, त्रिचुर	आनकोलोजी	2004-05	120.00
20.	त्रिपुरा	सिविल अस्पताल, अगरतल्ला	आनकोलोजी	2004-05	160.00
21.	उत्तराखंड	दून अस्पताल, देहरादून	डीसीसीपी	2006-07	66.00
		दून अस्पताल, देहरादून	आनकोलोजी	2005-06	62.00
22.	उत्तर प्रदेश	केएनएचएम, इलाहाबाद	एक्सीलेंस	2006-07	500.00
		एसजीपीजीआईएमएस, लखनऊ	आरसीसी	2005-06	500.00
		जेके कैंसर इंस्टीट्यूट, कानपुर	आनकोलोजी	2006-07	250.00
		केजीएमसी, लखनऊ	आनकोलोजी	2006-07	278.00
		एसजीपीजीआई, लखनऊ	आनकोलोजी	2005-06	100.00
		जीएमसीएच, इलाहाबाद	आनकोलोजी	2004-05	300.00
		केएनएचएम, इलाहाबाद	आरसीसी	2004-05	300.00
23.	पश्चिम बंगाल	एमसीएच, कोलकाता	आनकोलोजी	2006-07	100.00
		जीएमसीएच, मिदनापुर	आनकोलोजी	2004-05	300.00

[अनुवाद]

राष्ट्रीय पार्कों/अभयारण्यों के भीतर रहने वाले ग्रामीणों हेतु पुनर्वास नीति

***317. श्री विजय बहुगुणा:** क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केंद्र सरकार ने देश के विभिन्न भागों विशेषकर उत्तराखंड में स्थित राष्ट्रीय पार्कों/अभयारण्यों के भीतर रह रहे/निवास कर रहे लोगों के पुनर्वास हेतु कोई नीति तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार को उत्तराखंड राज्य सरकार से राज्य के गोविन्द विहार वन्य जीव अभयारण्य के भीतर स्थित 41 गांवों को हटाने हेतु कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति): (क) और (ख) बाघ रिजर्वों के अंतर्गत आने वाले राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों के कोर क्षेत्रों के भीतर स्थित ग्रामों के स्वैच्छिक पुनर्वास के लिए वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 में उपबंध दिए गए हैं। राष्ट्रीय वन्यजीव कार्य योजना (2002-2016) में भी देश के राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों जिसमें उत्तराखंड राज्य भी शामिल है, में रहने वाले लोगों के स्वैच्छिक पुनर्स्थापन और पुनर्वास के लिए प्रावधान हैं।

(ग) से (ङ) केन्द्र सरकार को राज्य के गोविन्द वन्यजीव अभयारण्य और राष्ट्रीय उद्यान के भीतर स्थित 41 ग्रामों को हटाने/पुनर्वास के संबंध में उत्तराखंड राज्य सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। तथापि, उत्तराखंड राज्य सरकार ने गोविन्द वन्यजीव अभयारण्य और राष्ट्रीय उद्यान में सीमाओं के परिमेयकरण का प्रस्ताव भेजा था जिसके फलस्वरूप ये ग्राम वन्यजीव अभयारण्य और राष्ट्रीय उद्यान की सीमाओं से बाहर हो जाएंगे। अपर वन महानिदेशक (वन्यजीव) की अध्यक्षता में पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा गठित परिमेयकरण समिति ने इस प्रस्ताव पर 30 जून, 2006 को आयोजित अपनी बैठक में विचार किया गया था। समिति ने राज्य सरकार को सुझाव दिया था कि प्रथम दृष्टया अभयारण्यों की सीमाओं में किसी प्रकार के परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है, इसलिए राज्य अपने प्रस्ताव पर पुनर्विचार करें।

घटिया दवाओं की आपूर्ति

***318. श्रीमती प्रिया दत्त:**
श्री एम. अप्पादुरई:

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि दवा निर्माताओं द्वारा सी जी एच एस औषधालयों को घटिया दवाओं की आपूर्ति की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या उन्हें आपूर्ति की जा रही दवाओं की गुणवत्ता की जांच करने हेतु कोई तंत्र है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस संबंध में गत दो वर्षों के दौरान कितने छापे मारे गए?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. अंबुमणि रामदास): (क) से (घ) केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के लिए दवाइयों का प्रापण हास्पिटल सर्विसेज कन्सलटेंसी कारपोरेशन (इंडिया) लिमिटेड एवं चिकित्सा सामग्री भंडार संगठन के जरिए जेनेरिक तथा प्रोप्राइटरी, दोनों मदों के लिए केन्द्रीय स्तर पर किया जाता है।

नामोद्दिष्ट एजेंसी द्वारा आपूर्ति आदेश दिए जाने के बाद आपूर्तिकर्ता को औषधों की आपूर्ति करने के लिए 6-8 सप्ताहों का डिलीवरी समय दिया जाता है। औषधों के प्रत्येक बैच से नमूना ले करके तथा संयुक्त निरीक्षण दल द्वारा कोडिंग के जरिए औषधों का भौतिक निरीक्षण किया जाता है। तत्पश्चात प्रत्येक बैच के नमूने को तत्काल ही विश्लेषणात्मक परीक्षण के लिए सरकार द्वारा अनुमोदित दो प्रयोगशालाओं में भेजा जाता है। यदि प्रत्येक बैच के विश्लेषणात्मक परीक्षण के बाद रिपोर्ट संतोषप्रद होती है, तभी दवाइयां सी जी एच एस औषधालयों में आपूर्ति हेतु जारी की जाती हैं।

औषध विनिर्माताओं द्वारा सी जी एच एस को घटिया किस्म की औषधों की आपूर्ति किए जाने के संबंध में कोई शिकायत हाल में ध्यान में नहीं आई है।

[हिन्दी]

पंचायती राज व्यवस्था का कार्यान्वयन

***319. श्री हरिसिंह चावड़ा:**
डा. धीरेंद्र अग्रवाल:

क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने राज्य सरकारों से अपने संबंधित राज्यों में पंचायती राज व्यवस्था के प्रभावी कार्यान्वयन के बारे में रिपोर्ट भेजने के लिए कहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में किन-किन राज्यों ने पहले ही अपनी रिपोर्ट भेज दी है;

(घ) केन्द्र सरकार द्वारा प्रशासनिक कार्य का विकेन्द्रीकरण करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं/सहायता प्रदान की गई है; और

(ङ) इसके परिणामस्वरूप इस संबंध में कितनी सफलता प्राप्त हुई है?

पंचायती राज मंत्री, युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री तथा उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर): (क) से (ग) जी, हां। 6 अगस्त, 2007 को सचिव, पंचायती राज, भारत सरकार की अध्यक्षता में संपन्न हुई राज्यों के पंचायती राज सचिवों की समिति की बैठक में राज्य सरकारों को अपने राज्यों/

केन्द्र शासित प्रदेशों के पंचायती राज प्रणाली के प्रभावकारी कार्यान्वयन के बारे में 30 सितम्बर 2007 तक की अद्यतन रिपोर्ट भेजने का अनुरोध किया गया था ताकि उसे 23 नवम्बर, 2006 को दोनों सदनों में प्रस्तुत की गई पंचायतों की स्थिति-एक मध्यावधि समीक्षा तथा मूल्यांकन की रिपोर्ट के अनुसरण में ग्रामीण प्रबंधन संस्थान आनंद (आई.आर.एम.ए.) द्वारा पंचायतों की वर्तमान स्थिति पर किए जा रहे स्वतंत्र मूल्यांकन में समाहित किया जा सके। आई.आर.एम.ए. के इस स्वतंत्र मूल्यांकन को संसद और राष्ट्र के समक्ष 24 अप्रैल, 2008 को पंचायती राज दिवस पर प्रस्तुत किए जाने की आशा है।

(घ) सन् 2004 में पंचायती राज मंत्रियों के सातवें गोलमेज सम्मेलन की बैठक में सर्वसम्मति से लिए गए निर्णयों के सार संग्रह के अनुसार पंचायती राज के लिए रोड मैप को बल प्रदान करने के लिए केन्द्रीय पंचायती राज मंत्री ने संबंधित 22 राज्यों तथा केन्द्र शासित प्रदेशों, जिसका उन्होंने पंचायती राज संबंधी दौरा कर लिया है, के मुख्यमंत्रियों अथवा संबंधित अन्य प्राधिकारियों के साथ निर्णयों के संयुक्त निष्कर्ष वक्तव्यों पर हस्ताक्षर किया है। त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली के प्रत्येक स्तर को सौंपे गये प्रकार्यों से जुड़ी गतिविधियों को स्पष्ट करते हुए विस्तृत गतिविधि मानचित्र तैयार किए जाने पर बल दिया जा रहा है। इस गतिविधि मानचित्र से यह आशा की जाती है कि वह प्रत्येक स्तर की गतिविधि के लिए एक साथ अथवा प्रगतिगामी रूप से वित्तीय व प्रकार्यात्मक अंतरण का आधार बनेगा। पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचित प्रतिनिधियों के लिए क्षमता-निर्माण तथा प्रौद्योगिक उन्नयन और प्रशिक्षण के लिए राज्य संघशासित क्षेत्रों को सहायता देने संबंधी ब्यौरा संलग्न विवरण-I और II में दर्शाया गया है।

(ङ) पंचायती राज संस्थाओं को हस्तांतरित प्रकार्य, निधि तथा कार्यकर्त्ताओं की वर्तमान स्थिति के सारांश को संलग्न विवरण-III में दर्शाया गया है।

विवरण I

वित्तीय वर्ष 2004-05 के दौरान राज्य-वार निधियों की निर्मुक्ति

(1) प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण

क्र.सं.	राज्य के नाम	वर्ष (2004-05)
1.	नागालैंड	2.96
2.	उत्तरांचल	172.73
	कुल	175.69

नोट:- वित्तीय वर्ष 2004-05 के दौरान राज्य सरकारों को सूचना प्रौद्योगिकी एवं अवसंरचना विकास अवयवों के तहत निधि जारी नहीं की गयी थी।

वित्तीय वर्ष 2005-06 के दौरान राज्य-वार निधियों की निर्मुक्ति

(1) प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण

क्र.सं.	राज्य का नाम	राशि (लाख रुपये में)
1.	छत्तीसगढ़	147.59
2.	केरल	44.00
3.	महाराष्ट्र	351.00
4.	पंजाब	86.19
5.	सिक्किम	200.00
6.	उत्तरांचल	167.74
7.	उत्तर प्रदेश	90.70
8.	पश्चिम बंगाल	221.25
	कुल	1308.47

(2) सूचना-प्रौद्योगिकी

क्र.सं.	राज्य का नाम	राशि (लाख रुपये में)
1.	उड़ीसा	100.00
	कुल	100.00

नोट:- वित्तीय वर्ष 2005-06 के दौरान राज्य सरकारों को अवसंरचना विकास अवयवों के तहत निधि जारी नहीं की गयी थी।

वित्तीय वर्ष 2006-07 के दौरान राज्य-वार निधियों की निर्मुक्ति

(1) प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण

क्र.सं.	राज्य का नाम	राशि (लाख रुपये में)
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	400.00
2.	असम	94.60
3.	अरुणाचल प्रदेश	47.57
4.	बिहार	439.00
5.	हरियाणा	189.00
6.	हिमाचल प्रदेश	79.50

1	2	3
7.	कर्नाटक	181.98
8.	केरल	44.00
9.	मध्य प्रदेश	62.50
10.	सिक्किम	41.33
11.	त्रिपुरा	83.50
12.	उत्तर प्रदेश	899.80
13.	पश्चिम बंगाल	100.00
14.	लक्षद्वीप	12.72
15.	पुडुचेरी	3.00
	कुल	2678.50

(2) सूचना प्रौद्योगिकी

क्र.सं.	राज्य का नाम	राशि (लाख रुपये में)
1	2	3
1.	केरल	252.79
2.	राजस्थान	200.00
3.	पश्चिम बंगाल	260.00
4.	पुडुचेरी	87.21
5.	सिक्किम	304.00
	कुल	1104.00

(2) अवसंरचना विकास

क्र.सं.	राज्य का नाम	राशि (लाख रुपये में)
1.	बिहार	237.50
2.	गुजरात	300.00
3.	हिमाचल प्रदेश	200.00
4.	राजस्थान	300.00
5.	पश्चिम बंगाल	12.50
6.	त्रिपुरा	60.00
7.	सिक्किम	157.50
	कुल	1267.50

विवरण II

बी.आर.जी.एफ. के क्षमता-निर्माण और अबद्ध विकासात्मक अनुदान घटक के अंतर्गत जारी की गई निधि

क्र.सं.	राज्य	क्षमता-निर्माण निधि		विकासात्मक अनुदान	
		2006-07 में जारी की गयी राशि (करोड़ रुपये में)	2007-08 में जारी की गयी राशि (करोड़ रुपये में)	2006-07 में जारी की गयी राशि (करोड़ रुपये में)	2007-08 में जारी की गयी राशि (करोड़ रुपये में)
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	13	0	0	0
2.	अरुणाचल प्रदेश	0.5	0	0	0
3.	असम	9.122	0	0	35
4.	बिहार	14.45876	0	0	0

1	2	3	4	5	6
5.	छत्तीसगढ़	9.1	0	0	21
6.	गुजरात	0	0	0	0
7.	हरियाणा	0	0	0	0
8.	हिमाचल प्रदेश	0	0	0	0
9.	जम्मू-कश्मीर	0	0	0	0
10.	झारखंड	0	0	0	0
11.	कर्नाटक	0	5	0	7.5
12.	केरल	0	2	0	9.25
13.	मध्य प्रदेश	14.9597	–	20.0451	0
14.	महाराष्ट्र	6.19	0	0	0
15.	मणिपुर	0	0	0	0
16.	मेघालय	0	0	0	0
17.	मिजोरम	0	0	0	0
18.	नागालैंड	0	0	0	0
19.	उड़ीसा	0	0	0	37
20.	पंजाब	0	0	0	0
21.	राजस्थान	7.78707	0	0	75
22.	सिक्किम	0.9492	0	0	0
23.	तमिलनाडु	0	0	0	0
24.	त्रिपुरा	0	0	0	0
25.	उत्तर प्रदेश	0	25.3	0	0
26.	उत्तराखण्ड	0	0	0	0
27.	पश्चिम बंगाल	10.5	0	0	30
	कुल	86.56673	32.3	20.0451	214.75

विवरण III

पंचायती राज संस्थाओं को निधियों, प्रकार्यों व कार्यकर्त्ताओं के हस्तांतरण की स्थिति

प्रकार्यात्मक अंतरण			वित्तकोषीय अंतरण	कार्यकर्त्ताओं का हस्तांतरण
विधि निर्माण द्वारा विषयों का हस्तांतरण	गतिविधि मानचित्रण के तहत शामिल किए गए विषय	टिप्पणियां		
1	2	3	4	5
आंध्र प्रदेश				
17	9	गतिविधि मानचित्रण को अंतिम रूप दिया जा रहा है।	बजट में पंचायती क्षेत्र विण्डो नहीं है। पंचायतों को केवल एस.एफ.सी. अनुदान, कतिपय राजस्व समनुदेशन, सी.एफ.सी. अनुदान व एस.जी.आर.वाई./ एन.आर.ई.जी.ए. प्राप्त होता है।	केवल सामान्य कर्मचारी दिए गए, विभागीय कर्मचारी विभागों को उधार देते हैं।
असम				
29	29	गतिविधि मानचित्रण 25 जून, 2007 को जारी की गई जिसमें 17 विभागों से संबंधित कार्य, कर्मी और कोष हस्तांतरित किये गये।		
अरुणाचल प्रदेश				
	3	गतिविधि मानचित्रण नहीं की गई	राजस्व समनुदेशन नहीं, निधियों के स्रोत केवल सी.एफ.सी. अनुदान, एन.आर.ई.जी.ए., एस.जी.आर.वाई. हैं।	केवल अल्पस्थ स्टाफ दिए गए हैं।
बिहार				
25	25	समिति गतिविधि मानचित्रण को देख रही है।	सी एफ सी अनुदान, एन.आर.ई.जी.ए., एस.जी.आर.वाई.।	केवल सामान्य कर्मचारी दिये गए हैं। विभागीय कर्मचारी विभागों को उधार देते हैं।
छत्तीसगढ़				
29	27	गतिविधि मानचित्रण निर्माणाधीन है। अधिसूचित किया जाना है।	पंचायत क्षेत्र के लिए बजट विण्डो अस्तित्व में है। 2006-07 में 12 विभागों से संबंधित 803 करोड़ रुपये पंचायतों को आवंटित किए गए।	सहायक ग्राम पंचायत अधिकारी, ग्राम पंचायत अधिकारी, लिपिक एवं वर्ग-4 संवर्ग के शिक्षा जनजातीय स्वास्थ्य एवं 7-8 अन्य खत्म हो रहे चोखित किए जा चुके काडर वाले विभागों से तथा इन काडरों में नई नियुक्तियां सीधे पंचायतों द्वारा की जा रही हैं। छत्तीसगढ़ ने जनपद पंचायत स्तर पर शिक्षा कार्मिक की नई नियुक्तियों में विशेष सफलता प्राप्त की है। इस तरह से स्थानीय स्तर के काडर में 30,000 से अधिक शिक्षक भर्ती किए जा चुके हैं।

1	2	3	4	5
गोवा				
21	18	पंचायतों को दी गई शक्तियों की विस्तृत सूची स्वयं अधिनियम में है। इस तरह यह अपने-आप में गतिविधि मानचित्रण बनाता है, यद्यपि अलग से भी एक अभ्यास चल रहा है।	इस्तांतरित करारोपण अधिकार से कर राजस्व एवं गैर-कर राजस्व	ग्राम पंचायतें पंचायत फंड का उपयोग कर ग्राम सेवक या सचिव के अलावा कर्मचारी नियुक्त कर सकती है। जिला पंचायतों में जिला पंचायत के कर्मचारियों के ऊपर, सी.इ.ओ. एवं जिला पंचायत के अध्यक्ष का पूर्ण नियंत्रण होता है।
गुजरात				
15	14	गतिविधि मानचित्रण का कार्य किया जा रहा है लेकिन उसे पूरा व अधिसूचित नहीं किया गया है।	पंचायतों को करीब 3600 करोड़ रुपये विकासात्मक व्यय के लिए अंतरित किए गए। (वर्ष 2004-05 के आंकड़े)	राज्य सरकार के 11 विभागों के 2.2 लाख कर्मचारियों को मुख्यत: प्रतिनियुक्ति के आधार पर पंचायतों को सुपुर्द किए गए हैं।
हरियाणा				
29	10	16 विभागों के संबंध में अंतरण के लिए 1995 में विस्तृत कार्यकारी आदेश जारी किए गए थे लेकिन ये मोटे तौर पर कागजों पर ही रहे। फरवरी 2006 में 10 विभागों के लिए नई गतिविधि मानचित्रण जारी की गयी।	कुछ विभागों जैसे, स्वास्थ्य, लोक स्वास्थ्य सिंचाई, कृषि, वन सामाजिक न्याय, महिला एवं बाल विकास और पशुपालन के लिए निधियां फरवरी, 2006 के गतिविधि मानचित्रण में दी गई हैं। प्रत्येक ग्राम पंचायत को औसतन कुल 4.38 लाख रुपये (12वें वित्त आयोग सहित) अंतरित किए गए।	3 विभागों के संबंध में फरवरी, 2006 का गतिविधि मानचित्रण डीम्ड प्रतिनियुक्ति द्वारा कर्मचारी इस्तांतरित करता है।
हिमाचल प्रदेश				
26	15	जुलाई, 1996 में 15 विभागों के लिए कार्यों के अंतरण पर सामान्य अधिसूचना जारी की गई। तथापि, इनमें से केवल 8 ने आगे अधिसूचना जारी की है।		स्टाफ राज्य सरकार के पास है। पंचायतें 'ग' एवं 'घ' श्रेणी के 6 प्रकार के कर्मचारियों के लिए नियुक्ति की प्राधिकारी हैं। इसके अतिरिक्त 2 श्रेणी के लोगों के संबंध में वास्तविक उपस्थिति की रिपोर्ट पंचायत कर सकता है।
झारखण्ड				
		पंचायत के चुनाव नहीं हुए।		
कर्नाटक				
29	29	अगस्त, 2003 में भारत सरकार के कार्य दल की सिफारिशों के अनुसार गतिविधि मानचित्रण का कार्य पूर्ण किया गया।	प्रकार्यात्मक अंतरण के अनुरूप होने के लिए अक्तूबर 2004 में निधियों के अंतरण पर पुनर्विचार कर सही किया गया। 3561 करोड़ की योजना निधि अधिकतर	सभी विभाग जिनके स्टाफ के प्रकार्यात्मक अंतरण के कार्य को हाथ में लिया गया, को पंचायतों को प्रतिनियुक्ति पर अंतरित किया गया। ग्राम पंचायतें, पंचायत सचिव

1	2	3	4	5
			योजनाओं से संबंधित एवं करीब 4000 करोड रुपये की योजनेतर निधि प्रति वर्ष पंचायतों को अंतरित की गयी तथा जो उनके बैंक व ट्रेजरी के लेखों में रखी गयी।	के अलावे पंचायत कर्मचारियों की नियुक्ति कर सकती है। जिले के अन्दर सभी स्थानान्तरण जिला पंचायत के सी ई ओ के नेतृत्व वाली समिति द्वारा किया जाता है।
केरल				
26	26	किए गए उत्तरदायित्व मानचित्रण का पुनरावलोकन किया जा रहा है, 18 विभाग शामिल किए गए हैं।	पंचायतों को तीन प्रकार की निधियां हस्तांतरित की गयी नामत: (क) अबद्ध योजना आबंटन। (ख) विशेष स्कीमों की योजना एवं योजनेतर निधि सहित एल एस जी आई को स्थानांतरित की गई विभिन्न विषयों के लिए आबंटन। (ग) रख-रखाव अनुदान एवं सामान्य अनुदान। 2005-2006 में पंचायतों को 1375 करोड़ रुपये हस्तांरित किए गए थे।	पंचायतों को, अनुशासनात्मक नियंत्रण एवं कैरियर समीक्षा (सी आर के द्वारा) के साथ हस्तांतरित किए गए 14 विभागों के कर्मचारियों को हस्तांतरित किया गया।
मध्य प्रदेश				
23	23	एक गैर-सरकारी संगठन द्वारा हाल में किया गया गतिविधि मानचित्रण सरकार के पास विचाराधीन है।	20 विभागों ने बताया है कि उनकी निधियां पंचायतों को भेजी जानी हैं। प्रत्येक ग्राम पंचायत अबद्ध अनुदान निधि के रूप में करीब 1 लाख पाती है।	गांव के सभी वर्ग-III स्तर के पदों को डाइंग काडर में बदल दिया गया एवं पंचायतों द्वारा नई नियुक्तियां की गयीं। इनमें पंचायत सचिव, प्राथमिक विद्यालय शिक्षक आंगनवाड़ी कार्यकर्त्ता आदि शामिल हैं।
महाराष्ट्र				
18	18	पंचायतों को सौंपे गए कार्य अधिनियम में सूचीबद्ध हैं।	पंचायतों को राज्य योजना अनुदानों के अंतरण के लिए अलग बजट विण्डो।	जिला पंचायतों द्वारा पंचायत स्तर के वर्ग-III एवं वर्ग IV के सभी कार्यकर्त्ताओं की नियुक्ति की जानी है। 2003 में नये संशोधन से ग्राम स्तर के सभी कर्मचारी ग्राम पंचायत के तहत लाए गए।
मणिपुर				
22	22	अभी तक केवल ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज सी एवं आई, मत्स्य तथा कला और संस्कृति विभागों ने पंचायतों को निधियों एवं कर्यकर्त्ताओं के हस्तांतरण के लिए विभागीय अधिसूचना जारी की है।	2005-2006 में पंचायतों को 2.85 करोड़ रुपये गैर-योजनेतर मद में तथा 63.07 लाख रुपये योजना मद में अंतरित किए गए।	सरकार के कर्मचारी पंचायतों में पदस्थापित किए जाते हैं एवं सरकार के नियंत्रण एवं अधीक्षण के तहत कार्य कर रहे हैं।

1	2	3	4	5
उड़ीसा				
25	9	अक्तूबर, 2005 में 9 विभागों के लिए गतिविधि मानचित्रण के संबंध में आदेश दिए गए थे। अब यह रिपोर्ट किया गया है कि 10 सरकारी विभागों ने इस पर आगे आदेश जारी किए हैं।	कुछ विभागों, मुख्यत: आर डी, पी आर के संबंध में पंचायतें योजना एवं योजनेतर निधि पाती हैं।	हस्तांरित स्कीमों के संबंध में विभाग के कर्मचारी पंचायतों को रिपोर्ट करते हैं पंचायत अपनी ओर से कोई नियुक्ति नहीं करती।
पंजाब				
7	6	अक्तूबर, 2003 में 6 विभागों के संबंध में हस्तांतरण आदेश जारी किए गए थे। अब 29 मामलों के लिए गतिविधि मानचित्रण पूर्ण किए जा चुके हैं एवं सरकार के अनुमोदन की प्रतीक्षा में हैं।	एस जी आर वाई जैसी कुछ स्कीमों से संबंधित सी.एस.एस. निधियों के अलावे पंचायतों को निधियां अंतरित नहीं की गयी हैं।	सात विभागों ने पंचायतों को पर्यवेक्षण की शक्ति प्रत्यायोजित करने का प्रस्ताव किया है। स्वास्थ्य विभाग में, पी एच सी को चालू रखने के बारे में बाहरी स्रोत की सहायता लेने की शक्तियां पंचायतों को अंतरित की गयी हैं। हाल में, शिक्षा विभाग ने शिक्षकों की भर्ती का अधिकार पंचायतों को दिया गया है।
राजस्थान				
29	12	पंचायतों को स्वीकृत शक्तियों के आधार पर कानून के तहत गतिविधि मानचित्रण तैयार है व सरकार के अनुमोदन के लिए लंबित है।	वित्त आयोग अनुदान के तहत पंचायतों को करीब 135 करोड़ रुपये की राशि दी गयी है।	सरकार से 8 विभागों के कर्मचारियों को प्रतिनियुक्ति के माध्यम से प्रत्येक पंचायत को दिया गया है।
सिक्किम				
28	28	गतिविधि मानचित्रण पूर्ण किया गया एवं नवम्बर, 2006 में सरकार द्वारा अधिसूचित किया गया।	ग्राम पंचायतों को 10 लाख रुपया तथा जिला पंचायतों को 50 लाख रुपया वार्षिक अबद्ध ब्लाक अनुदान दिये गये। 6 विभाग अपनी निधि चेक के माध्यम से पंचायतों को स्कीम के लिए देते हैं। 6 विभागों द्वारा पंचायतों को उनकी निधियां दी गयी।	सरकार से प्रतिनियुक्ति पर कर्मचारी। पंचायत सचिव सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं। राज्य द्वारा पंचायती राज सेवा प्रारूप तैयार किया गया एवं लाइन विभागों द्वारा इसकी जांच की जा रही है।
तमिलनाडु				
29		गतिविधि मानचित्रण की जानी है। ग्रामीण विकास व स्थानीय प्रशासन मंत्री की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति गठित की गयी है।	केवल एस.एफ.सी. अनुदान पंचायतों को दी गई है। 2005-06 के दौरान करीब 195 करोड़ रुपये ग्राम पंचायतों को दी गयी थी।	ग्राम पंचायत स्तर पर पंचायत प्रमुख द्वारा अंश-कालिक लिपिक भर्ती किए जा सकते हैं। लाइन विभागीय कर्मचारियों पर जिला पंचायतों एवं ब्लाक पंचायतों का कोई नियंत्रण नहीं है।
त्रिपुरा				
29	21	12 विभागों के लिए कार्यों के हस्तांतरण का सरकारी आदेश तैयार है।	ग्रामोदय स्कीम के तहत पंचायतों को निधियां दी गयी हैं। एस.एफ.सी. की	सरकार से पंचायतों को 21 विभागों से संबंधित कर्मचारी प्रतिनियुक्त किए गए।

1	2	3	4	5
			सिफारिशों के अनुसार, ग्राम पंचायतें 100 रुपये पर प्रति व्यक्ति, पी.एस.आई. 60 रुपये एवं जिला पंचायतों 40 रुपये पाने की हकदार हैं। तथापि कुल राशि जारी नहीं की जाती है एवं उन्हें इस आवंटन का केवल 25 प्रतिशत ही मिलता है।	अनुशासनात्मक कार्रवाई एवं सी आर लिखना, छुट्टियों की स्वीकृति, वेतन भुगतान की शक्ति पंचायतों के पास है।
उत्तर प्रदेश				
12		12 विभागों से संबंधित कार्य पंचायतों को स्थानान्तरित किया गया है। गतिविधि मानचित्रण अभी भी सरकार के विचाराधीन है।	कुछ स्कीमों, जैसे गरीबी उन्मूलन स्कीम, मध्याह्न भोजन, ग्रामीण बाजार, एस जी आर वाई एवं अन्य सी.एस.एस. स्कीमों से संबंधित निधियां पंचायतों को हस्तांतरित की गयी। इसके अतिरिक्त, एस एफ सी सिफारिशों के तहत पंचायतों को करीब 1174 करोड़ रुपये दिए गये हैं।	ग्राम स्तर के सभी कार्यकर्त्ताओं की उपस्थिति के सत्यापन का अधिकार ग्राम पंचायतों के पास है। 1999 में कुछ विभागों के ग्राम स्तर के कार्यकर्त्ताओं को ग्राम पंचायतों में स्थानान्तरित किया गया था। लेकिन तत्पश्चात् उन्हें वापस बुला लिया गया।
उत्तरांचल				
14	9	सितम्बर, 2006 में गतिविधि मानचित्रण जारी किया गया था, लेकिन विभागों ने अभी तक अपनी अधिसूचना जारी नहीं की है।	पंचायतों को कुछ सी एस एस से ही संबंधित निधियां हस्तांतरित की गयी हैं।	जनवरी, 2005 में सूचना लेने की शक्ति के कार्यकारी आदेश जारी किए गए थे एवं पंचायतों को 14 विभागों के कर्मचारियों पर पर्यवेक्षण की शक्ति हस्तांतरित की गई थी।
पश्चिम बंगाल				
29	15	गतिविधि मानचित्रण नवम्बर, 2005 में पूरा कर लिया गया।	बजट अनुदान के रूप में 2005-06 में पंचायतों को 278 करोड़ रुपये राज्य निधि से अंतरित किए गए। यह रिपोर्ट किया गया है कि 2005-06 में पंचायतों को कुल 1066 करोड़ रुपये हस्तांतरित किए गए थे।	ग्राम पंचायत स्तर के वर्ग 'घ' पदों को छोड़कर, सभी पदों के लिए नियुक्ति प्राधिकारी जिला पंचायत के इ.ओ. हैं तथा जिनके नियुक्ति प्राधिकारी पंचायत समिति के ई.ओ. हैं, वह पश्चिम बंगाल के पंचायत संशोधन अधिनियम, 2006 द्वारा किया गया है। प्रत्येक ग्राम पंचायत के पास 6 स्वीकृत पद हैं।

[अनुवाद]

खेल विनियामक प्राधिकरण

*320. **श्री रवि प्रकाश वर्मा:***
श्री अजय चक्रवर्ती:

क्या युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास खेल विनियामक प्राधिकरण की स्थापना करने संबंधी कोई प्रस्ताव विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और इस प्राधिकरण की स्थापना कब तक किये जाने की संभावना है;

(ग) क्या सरकार का विचार ओलम्पिक चार्टर के अंतर्गत भारतीय खेल प्राधिकरण, भारतीय ओलम्पिक संघ और राष्ट्रीय खेल परिसंघों में सुधार करने, उनका कायाकल्प करने और उन्हें नई परिस्थितियों के अनुकूल बनाने का भी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार ने इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

पंचायती राज मंत्री, युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री तथा उत्तर-पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर): (क) और (ख) जी, हां। सबके लिए खेल और खेलों में उत्कृष्टता के दो उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए मंत्रालय द्वारा तैयार की गई वृहद राष्ट्रीय खेल नीति के मसौदे पर उपयुक्त संवैधानिक, कानूनी तथा संस्थागत उपायों पर जोर दिया गया है। स्वतंत्र सांविधिक प्राधिकरण द्वारा खुले तथा पारदर्शी ढंग से खेलों से संबंधित विवादों को निपटाने के लिए एक स्वतंत्र खेल नियामक प्राधिकरण स्थापित करने के लिए एक प्रस्ताव तैयार किया गया है जिसका उद्देश्य विशेष रूप से सरकार को फिलहाल विवादग्रस्त संकल्पों में शामिल होने से दूर रखना है। मसौदा नीति पर अभी भी परामर्श दिया जा रहा है।

(ग) से (ङ) मसौदा नीति भाखेप्रा तथा नेहरू युवा केंद्र संगठन के आमूलचूल परिवर्तन की जरूरत को रेखांकित करती है ताकि वे प्रस्तावित नीति के अंतर्गत अतिरिक्त जिम्मेदारियों का भार उठा सकें। यह भी प्रस्ताव है कि ओलंपिक चार्टर के प्रावधानों के अनुरूप भारतीय ओलंपिक संघ तथा राष्ट्रीय खेल परिसंघों के साथ सरकार के संबंधों को पुन: परिभाषित किया जाए। एक बार जब नीति को अंतिम रूप मिल जाएगा तब व्यापक कार्रवाई योजना शुरू कर दी जाएगी।

[हिन्दी]

युद्धपोतों की कमी

2752. श्री हंसराज गं. अहीर: क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय नौसेना में युद्धपोतों की कमी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या युद्धपोतों की कमी को पूरा करने के लिए कुछ कदम उठाए गए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या रूस ने भारतीय नौसेना को युद्धपोत देने का प्रस्ताव किया है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(छ) क्या इसके रणनीतिक पहलुओं का विश्लेषण किया गया है; और

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी): (क) से (घ) नौसेना में युद्धपोतों को, हटाए गए प्लेटफार्मों के प्रतिस्थापन के रूप में तथा बल की नफरी में वृद्धि करने हेतु शामिल किया जाता है। यह खतरे की अवधारणा तथा अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा परिवेश पर आधारित एक सतत् प्रक्रिया है जिसके अनुसार नौसेना की आधुनिकीकरण योजनाओं को तैयार किया जाता है।

(ङ) और (च) भारतीय नौसेना रूप से विमान वाहक (पूर्व एडमिरल गोर्शकोव) तथा तीन स्टील्थ फिग्रेटों के अर्जन की प्रक्रिया में है।

(छ) और (ज) जी, हां। समुचित प्लेटफार्म की पहचान करने हेतु एक व्यापक कवायद शुरू की गई है।

[अनुवाद]

सीडीएमए आपरेटरों को स्पेक्ट्रम का आबंटन

2753. डा. राजेश मिश्रा: क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सीडीएमए आपरेटरों को स्पेक्ट्रम के आबंटन संबंधी मानदण्ड क्या हैं;

(ख) क्या यूनफाइड एक्सेस सर्विस लाइसेंस (यूएएसएल) ने सीडीएमए के लिए अधिकतम 5+5 मेगाहर्ट्ज के स्पेक्ट्रम और जीएसएम के लिए 6.2+6.2 मेगाहर्ट्ज के स्पेक्ट्रम की अनुमति दी है;

(ग) यदि हां, तो क्या डब्ल्यूपीसी ने अनुबंधित सीमा से अधिक स्पेक्ट्रम के आबंटन हेतु अधिसूचना जारी की है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार को 2 जी स्पेक्ट्रम की नीलामी संबंधी नीति के नहीं होने के कारण तथा डब्ल्यू पी सी की अधिसूचना के अनुसार तदर्थ आधार पर आबंटन के कारण 1700 करोड़ रु. का नुकसान हुआ है; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) से (ङ) सीडीएमए और डीएसएम

प्रचालकों को आरंभिक और तदनंतर अतिरिक्त स्पेक्ट्रम का आबंटन उनके अपने-अपने सेवा लाइसेंस करारों के संगत प्रावधानों और इस संबंध में मानदंडों के अनुसार किया जा रहा है, बशर्ते स्पेक्ट्रम उपलब्ध हो। अतिरिक्त स्पेक्ट्रम के आबंटन के लिए और इसके इष्टतम और कारगर उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए और विभिन्न प्रौद्योगिकियों के निहित स्पेक्ट्रम की उपयोगिता सक्षमता को भी ध्यान में रखते हुए, जिससे न्यायपूर्ण, आवश्यक नहीं कि समान, स्पेक्ट्रम का आबंटन हो पाए, अतिरिक्त स्पेक्ट्रम उपभोक्ता आधारित मानदंड के अनुसार आबंटित होता है, जिसके तहत क्रमश: विजिटर लोकेटर रजिस्टर (वीएलआर) और नेटवर्क में मैनेजमेंट सिस्टम (एनएमएस) में औसतन एक माह से ''सक्रिय उपभोक्ताओं'' और ''व्यस्ततम परियात'' निर्धारित किया गया है।

जीएसएम और सीडीएमए प्रचालकों को अतिरिक्त स्पेक्ट्रम आबंटित करने के लिए एकीकृत अभिगम सेवा लाइसेंस (यूएएसएल) में प्रावधान है जो इष्टतम उपयोग, औचित्य और उपलब्धता पर निर्भर है। ऐसे अतिरिक्त स्पेक्ट्रम के लिए राजस्व हिस्से का अतिरिक्त प्रतिशत वसूल किया जाता है।

कृषि क्षेत्र का प्रदर्शन

2754. श्री आनन्दराव विठोबा अडसूल: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान कृषि क्षेत्र का प्रदर्शन विशेषकर दलहनों, तिलहनों, कपास जैसी फसलों का प्रदर्शन संतोषजनक नहीं रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार ने इस प्रकार के खराब प्रदर्शन के कारणों की जांच की है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले;

(घ) क्या केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं की संख्या अधिक होने के परिणामस्वरूप संसाधनों का विस्तार विरल हो गया है तथा इसमें फोकस एवं कारगरता का अभाव है; और

(ङ) यदि हां, तो लाभकारी परिणाम प्राप्त करने के लिए केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं को अधिक कारगर बनाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) से (ग) विगत तीन वर्षों के दौरान कुल खाद्यान्नों, दालों, तिलहनों तथा कपास के उत्पादन के संबंध में कृषि संबंधी प्रदर्शन निम्न सारणी से देखा जा सकता है:

(मिलियन टन)

फसल	2004-05	2005-06	2006-07*
कुल खाद्यान्न	198.36	208.60	216.13
तालें	13.13	13.39	14.23
तिलहन	24.35	27.98	23.88
कपास#	16.43	18.50	22.70

*19.7.2007 के जारी चौथे अग्रिम अनुमान
#170 किलोग्राम की प्रत्येक की मिलियन गांठों में

खाद्यान्नों, दालों तथा कपास का कुल उत्पादन बढ़ती हुई प्रवृत्ति दर्शाता है। 2006-07 में तिलहन उत्पादन 2005-06 की तुलना में तिलहन के अंतर्गत कम क्षेत्र व्याप्ति के कारण मुख्य रूप से घटा।

(घ) और (ङ) केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं की आवधिक समीक्षाएं उनके ध्यान प्रभावशीलता तथा सार्थकता बनाए रखने के लिए तथा संसाधनों के अधिकतम उपयोग प्राप्त करने हेतु संघीय सरकार द्वारा की जाती है।

महाराष्ट्र से प्रस्ताव

2755. श्री प्रतीक पी. पाटील: क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को चालू तेम्भू परियोजना के लिए अतिरिक्त निधि हेतु व्यवस्था किए जाने के लिए महाराष्ट्र सरकार से प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जय प्रकाश नारायण यादव): (क) अभी तक एआईबीपी के तहत तेम्भू परियोजना के लिए वित्तीय सहायता संबंधी कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

खाद्य असुरक्षा रिपोर्ट

2756. श्री नवीन जिन्दल: क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मानव विकास संस्थान, नई दिल्ली ने संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम के सहयोग से विभिन्न राज्यों के लिए खाद्य असुरक्षा रिपोर्ट तैयार की है जैसाकि दिनांक 7 मई, 2007 के 'द हिन्दू' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सरकार से इस संबंध में दिशानिर्देश मांगे गए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

वर्षाजनित रोगों के कारण मौतें

2757. श्री रघुवीर सिंह कौशल: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश के विभिन्न राज्यों में विशेषत: राजस्थान में प्रत्येक वर्ष बारिश के मौसम में जलजनित रोगों के कारण लाखों भेड़/बकरियों की मौतें की गई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में भारतीय पशुचिकित्सा अनुसंधान संस्थान द्वारा कोई अनुसंधान कार्य किया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इन घातक रोगों की पहचान करने तथा उनकी रोकथाम के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) से (ङ) पैरासाइट रोग मुख्य रूप से गेस्टोइंटेस्टाइनल पैरासाइट देश में प्रमुख जल जनित रोग हैं। भारतीय पशुचिकित्सा अनुसंधान संस्थान तथा आईसीएआर के अन्य विशेषज्ञ संस्थान नामत: केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान, मखदूम, केन्द्रीय भेड़ तथा ऊन अनुसंधान संस्थान, अवीकनगर राजस्थान राज्य सहित नेटवर्क कार्यक्रमों के जरिए हेल्मेंटिक/गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल पैरासाइट पर इस दिशा में अनुसंधान कर रहे हैं। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल नेमाटोड्स की तीव्रता की भविष्यवाणी के लिए राजस्थान यूनिट ने फ्रोजिन नाम साफ्टवेयर विकसित किया है।

राष्ट्रीय खाद्यान्न आयोग

2758. श्री संजय धोत्रे: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को एक राष्ट्रीय खाद्यान्न आयोग स्थापित करने के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और कब तक इसे स्थापित किए जाने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) और (ख) राष्ट्रीय खाद्यान्न आयोग स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, राष्ट्रीय विकास परिषद (एनडीसी) के संकल्प अर्थात् ग्यारहवीं योजना के अन्त तक चावल, गेहूं और दलहनों के उत्पादन में क्रमश: 10, 8 और 2 मिलियन टन वृद्धि करने को प्रचालनात्मक बनाने के लिए, सरकार ने "राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन" (एनएफएसएस) नामक एक केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम पर विचार किया है।

एनएफडीबी के अंतर्गत योजनाएं

2759. श्री महावीर भगोरा: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राष्ट्रीय मात्स्यिकी विकास बोर्ड (एनएफडीबी) द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान इन योजनाओं के अंतर्गत राज्यवार कितनी धनराशि जारी की गई है; और

(ग) इन योजनाओं के अंतर्गत धनराशि जारी करने के लिए क्या मानदंड निर्धारित किए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह): (क) राष्ट्रीय मात्स्यिकी विकास बोर्ड द्वारा हाथ में ली जाने वाली प्रमुख गतिविधियों में निम्नलिखित शामिल हैं:-

* तालाबों और टैंकों में सघन जलकृषि
* जलाशय मात्स्यिकी
* तटवर्ती जलकृषि
* गहरे समुद्र में मत्स्यन और ट्रूना प्रसंस्करण
* मछली पालन
* सी रैंचिंग
* सी वीड पालन
* पोस्ट हार्वेस्ट प्रसंस्करण के लिए बुनियादी सुविधा
* फिश ड्रेसिंग सेंटर और मछली को सौर ऊर्जा से सुखाना
* घरेलू विपणन और अन्य गतिविधियां

(ख) बोर्ड जुलाई, 2006 में ही अस्तित्व में आया और विभिन्न राज्यों को 2006-07 के दौरान जारी धनराशि का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) विभिन्न कार्यक्रमों के तहत धनराशि राष्ट्रीय मात्स्यिकी बोर्ड के ईएफसी ज्ञापन में निर्धारित मानकों और प्रत्येक कार्यक्रम के लिए दिशानिर्देशों के आधार पर जारी की जाती है।

विवरण

राष्ट्रीय मात्स्यिकी विकास बोर्ड द्वारा 2006-07 के दौरान विभिन्न राज्यों को जारी धनराशि

राज्य का नाम	जारी धनराशि (लाख रुपए में)
1	2
आंध्र प्रदेश	87.97
नागालैण्ड	18.74
उत्तर प्रदेश	65.95
कर्नाटक	252.63
हरियाणा	33.68
मिजोरम	25.19
मणिपुर	13.57
पश्चिम बंगाल	63.81
जम्मू-कश्मीर	3.50
केरल	102.48
सिक्किम	7.08
महाराष्ट्र	68.46
तमिलनाडु	4.10
दिल्ली	68.95
उड़ीसा	1.27
कुल	817.38

घटिया कार्यप्रदर्शन

2760. श्री एम. अंजनकुमार यादव:
श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव:

क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एमटीएनएल और बीएसएनएल के कुछ अधिकारी निजी कंपनियों के साथ मिली-भगत करके घटिया कार्यप्रदर्शन कर रहे हैं जिससे उपभोक्ता निजी कंपनियों की सेवाओं की ओर आकृष्ट हो रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस संबंध में कोई जांच करायी है; और

(ग) यदि हां, तो किस तिथि को यह जांच करायी गयी थी और इसके क्या निष्कर्ष निकले हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) भारत संचार निगम लिमिटेड और महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड में ऐसे किसी मामले की सूचना नहीं मिली है।

(ख) और (ग) उपर्युक्त (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

मध्य प्रदेश में लघु और मध्यम सिंचाई परियोजनाएं

2761. श्री कैलाश जोशी: क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने भारत-जर्मनी द्विपक्षीय विकास निगम से आर्थिक सहायता हेतु 27 लघु और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं के प्रस्ताव भेजे थे;

(ख) यदि हां, तो इन पर सरकार द्वारा क्या निर्णय लिए गए; और

(ग) उक्त प्रस्तावों के संदर्भ में अब तक हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जय प्रकाश नारायण यादव): (क) से (ग) इण्डो-जर्मन द्विपक्षीय सहयोग के तहत वित्तपोषण के लिए वर्ष 2005 के दौरान मध्य प्रदेश सरकार से 32 लघु और 3 मध्यम सिंचाई परियोजनाओं के संबंध में एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ था। प्रस्ताव की प्रारंभिक जांच के पश्चात प्रेक्षण/टिप्पणियां मध्य प्रदेश सरकार को भेजी गई थी। मध्य प्रदेश सरकार ने आवश्यक स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किए हैं।

[अनुवाद]

बी.आर.ओ. द्वारा सड़कों का निर्माण

2762. श्री हितेन बर्मन: क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत एक वर्ष के दौरान सीमा सड़क संगठन (बीआरओ) द्वारा पूरे भारत में कितनी सड़कों का निर्माण किया गया है;

(ख) प्रत्येक परियोजना के लिए कितनी राशि स्वीकृत की गयी;

(ग) प्रत्येक परियोजना के लिए अब तक कितनी राशि उपयोग में लाई गयी है;

(घ) प्रत्येक परियोजना की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ङ) लंबित परियोजनाओं को पूरा करने के लिए क्या समय-सीमा निर्धारित की गयी है?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी): (क) से (ङ) सीमा सड़क संगठन ने वर्ष 2006-07 के दौरान 698 सड़कों का निर्माण कार्य अपने हाथ में लिया है। वर्ष 2006-07 के दौरान स्वीकृत बजट तथा निर्माण कार्यों एवं अन्य क्रियाकलापों के लिए उसके इस्तेमाल का परियोजनावार ब्यौरा इस प्रकार है:-

(1) कार्यनिष्पादन पर किया गया व्यय

(करोड़ रुपए में)

क्र.सं.	परियोजना का नाम	कवर किए गए राज्य/देश	आबंटित निधि	उपयोग की गई निधि
1	2	3	4	5
1.	हिमंक	जम्मू एवं कश्मीर	151.47	146.29
2.	बेकन	जम्मू एवं कश्मीर	258.51	248.90
3.	संपर्क	जम्मू एवं कश्मीर	158.47	157.79
4.	दीपक	हिमाचल प्रदेश एवं उत्तराखंड	179.12	178.52
5.	चेतक	राजस्थान एवं पंजाब	123.39	122.78
6.	हीरक	आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ एवं अंडमान निकोबार	93.99	86.02
7.	दंतक	मेघालय एवं सिक्किम, भूटान	150.26	141.10

1	2	3	4	5
8.	वर्तक	अरुणाचल प्रदेश एवं असम	230.42	224.83
9.	उदयक	अरुणाचल प्रदेश	108.75	104.89
10.	सेवक	मणिपुर एवं नागालैंड	116.31	114.18
11.	सेतुक	त्रिपुरा	133.03	128.54
12.	पुष्पक	मिजोरम	129.45	121.56
13.		अफगानिस्तान एवं तजाकिस्तान में कार्य	216.71	182.35
		कुल	2049.88	1957.75

(2) वाहनों, उपस्करों, संयंत्रों एवं स्थापनाओं आदि (सभी परियोजनाओं के लिए एक समान) पर किया गया व्यय।

आवंटित निधि	उपयोग की गई निधि
200.78 करोड़ रुपए	204.21 करोड़ रुपए

2. मंजूर की गई सड़क परियोजनाओं पर कार्य सेना अथवा प्रायोजित एजेंसी द्वारा तय की गई प्राथमिकता तथा प्रत्येक वर्ष उपलब्ध निधियों के अनुसार किए गए हैं। उपर्युक्त परियोजनाएं निर्माण के विभिन्न चरणों में हैं और इन्हें 2007-2020 के बीच पूरी किए जाने की योजना है।

[हिन्दी]

किसान काल सेंटर

2763. श्री वी.के. थुम्मर: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में वर्तमान में राज्यवार कितने किसान काल सेंटर काम कर रहे हैं;

(ख) क्या कृषि के बारे में किसानों को सूचना उपलब्ध कराने के लिए ये काल सेंटर पर्याप्त हैं;

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार राज्यों में ऐसे और केन्द्र स्थापित करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) उक्त केंद्रों को कब तक स्थापित किए जाने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) से (ङ) किसान काल सेन्टर (केसीसी) वर्तमान में 14 स्थानों में अवस्थित हैं जैसाकि अनुबंध में सूची दी गई है। इन 14 स्थानों से पूरे देश को कवर किया जा रहा है। उड़ीसा राज्य के किसानों के प्रश्नों को कोलकाता में अवस्थित केसीसी द्वारा निपटाया जा रहा है।

केसीसी की स्थापना कृषि एवं सहकारिता विभाग द्वारा चुने गए निजी वैन्डर ने निर्धारित प्रक्रियाओं के माध्यम से की थी। इस प्रयोजन के लिए नई निविदा मांगी गई है। इसमें निदर्शित किया गया है कि संलग्न विवरण में दी गई सूचना के अनुसार पूरे देश को कवर करने के लिए 27 स्थानों में ये केन्द्र अवस्थित किए जाएंगे।

इस संबंध में अन्तिम तस्वीर निविदा प्रक्रिया के पूरा होने और 27 स्थानों पर केसीसी अवस्थित करने की व्यवहार्यता पर स्पष्ट होगी।

विवरण

के.सी.सी. की अवस्थिति

क्र.सं.	विद्यमान स्थान	निविदा दस्तावेज में निदर्शित स्थान
1	2	3
1.	हैदराबाद	हैदराबाद
2.	गुवाहाटी	गुवाहाटी
3.	कोलकाता	कोलकाता

1	2	3
4.	इन्दौर	जबलपुर
5.	नई दिल्ली	नई दिल्ली
6.	अहमदाबाद	आनन्द
7.	चंडीगढ़	चंडीगढ़
8.	जम्मू	जम्मू
9.	बंगलौर	बंगलौर
10.	कोची	त्रिचुर
11.	मुम्बई	नागपुर
12.	जयपुर	जयपुर
13.	चैन्नई	कोयम्बटूर
14.	कानपुर	कानपुर
15.	–	समस्तीपुर
16.	–	इम्फाल
17.	–	शिलांग
18.	–	आइजौल
19.	–	कोहिमा
20.	–	भुवनेश्वर
21.	–	शिमला
22.	–	गंगटोक
23.	–	अगरतला
24.	–	देहरादून
25.	–	रांची
26.	–	रायपुर
27.	–	ईटानगर

कृषि में रोजगार

2764. प्रो. प्रेम कुमार धूमल: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या समूचे देश में विशेषत: हिमाचल प्रदेश में कृषि क्षेत्र में रोजगार के अवसर घटे हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) हिमाचल प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों को बढ़ाने के लिए स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, जवाहर रोजगार समृद्धि योजना और रोजगार आश्वासन योजना के अंतर्गत उक्त अवधि के दौरान केन्द्र सरकार द्वारा कितनी राशि आबंटित और व्यय की गयी है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) और (ख) भारत की जनगणना के अनुसार देश में कृषि में रोजगार के अवसर कुल मिलाकर 1991 में 2106.76 लाख व्यक्तियों से 2001 में 2340.88 लाख व्यक्तियों तक बढ़े हैं। हिमाचल प्रदेश कृषि में रोजगार अवसर 1991 में 16.12 लाख व्यक्तियों से 2001 में 20.49 लाख व्यक्तियों तक बढ़े हैं।

(ग) नीचे दी गयी योजनाओं के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा हिमाचल प्रदेश को आबंटित किए गए कोष तथा किया गया खर्च इस प्रकार हैं-

योजना का नाम	2005-06 के दौरान आबंटन	2005-06 के दौरान व्यय/उपयोग
स्वर्णजयंती ग्राम स्व-रोजगार योजना	रुपए 659.80 लाख	रुपए 678.32 लाख
संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना (जवाहर ग्राम समृद्धि योजना तथा रोजगार आश्वासन स्कीम संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना में समाहित कर दी गयी है)	रुपए 3,644.51 लाख	रुपए 3,587.90 लाख

स्रोत: ग्रामीण विकास मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट 2006-07

जवाहर लाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय

2765. श्री राकेश सिंह: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार जवाहर लाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर में स्नातक स्तर पर शिक्षा की नई प्रणाली शुरू करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कृषि में अनुसंधान और विकास हेतु किसी परियोजना को स्वीकृति दी गयी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इसके कब तक पूरा होने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) और (ख) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा गठित चौथी संकायाध्यक्ष समिति की सिफारिशों के आधार पर जवाहर लाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय सहित समस्त कृषि विश्वविद्यालयों द्वारा कार्यान्वयन के लिए स्नातक स्तर की शिक्षा के तहत अनुभवात्मक पढ़ाई के नये पाठ्यक्रमों सहित संशोधित पाठ्यक्रम और पाठ्य-विवरण अनुमोदित किए गए हैं।

(ग) से (ङ) विश्वविद्यालय में बयालीस अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजनाएं/नैटवर्क अनुसंधान परियोजनाएं और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की छः तदर्थ अनुसंधान परियोजनाएं चल रही हैं। इसके अलावा, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने सुधरी प्रौद्योगिकी के आकलन, परिष्करण एवं प्रदर्शन हेतु विश्वविद्यालय के लिए 39 कृषि विज्ञान केंद्र स्वीकृत किए हैं। शिक्षा के लिए वर्ष 2006-07 के लिए 12.23 करोड़ रुपये के विकास अनुदान के अलावा छात्रों के लिए अनुभवात्मक पढ़ाई को सुविधाजनक बनाने के लिए विश्वविद्यालय को दो परियोजनाएं (1) पादप ऊतक संवर्धन, और (2) फल एवं सब्जी प्रसंस्करण स्वीकृत की गई हैं।

[अनुवाद]

प्याज हस्तक्षेप योजना

2766. श्रीमती कल्पना रमेश नरहिरे:
श्री तुकाराम गंगाधर गदाख:

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एक सामग्री के रूप में प्याज के शीघ्र नष्ट होने की प्रकृति को देखते हुए महाराष्ट्र सरकार केन्द्र सरकार पर प्याज हस्तक्षेप योजना के अंतर्गत प्याज उत्पादकों के 50% नुकसान को वहन करने के लिए दबाव डाल रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या प्याज उत्पादकों की सहायता के लिए अन्य प्याज उत्पादक राज्य भी इसी प्रकार की योजनाएं लेकर आए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है तथा इस योजना के अंतर्गत गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान और उसके पश्चात् दी गई सहायता का ब्यौरा क्या है तथा उनसे कितना प्याज खरीदा गया है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) और (ख) कृषि मंत्रालय प्याज सहित कृषि एवं बागवानी जिन्सों जो नाशवान प्रकृति की होती है और जो मूल्य समर्थन स्कीम के तहत नहीं कवर की जाती है, की खरीद के लिए राज्य/संघ शासित सरकार के अनुरोध पर मंडी हस्तक्षेप स्कीम (एमआईएस) कार्यान्वित कर रहा है। बम्पर फसल की स्थिति में जब मंडी में इनकी भरमार हो जाती है और मूल्य आर्थिक स्तर/उत्पादन लागत से नीचे गिरने लगते हैं तो ऐसी स्थिति में उत्पादकों को इन वस्तुओं के निराशाजनक बिक्री से संरक्षित करने के लिए एमआईएस कार्यान्वित की जाती है। एमआईएस के तहत केन्द्रीय एजेंसी के रूप में नेफेड द्वारा और राज्य द्वारा नामित एजेंसियों द्वारा खरीद की जाती है। खरीद एजेंसियों को यदि कोई हानि होती है, तो उसे केन्द्र सरकार और संबंधित राज्य सरकार द्वारा 50:50 आधार पर (पूर्वोत्तर राज्यों के मामले में 75:25) वहन किया जाता है। तथापि, केन्द्र सरकार और संबंधित राज्य सरकार के बीच वहन की जाने वाली घाटे की धनराशि खरीद लागत के 25% तक प्रतिबन्धित है। खरीद एजेंसियों को यदि कोई लाभ होता है, तो यह उनके द्वारा रखा जाता है।

गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान प्याज के लिए एमआईएस क्रियान्वित करने हेतु महाराष्ट्र सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ग) से (ङ) राजस्थान सरकार के अनुरोध पर वर्ष 2004-05, 2005-06 और 2006-07 के दौरान 2004-05 से 2800 रु. प्रति एमटी, 2005-06 में 2500 रु. प्रति एमटी और 2006-07 में 2800 रु. प्रति एमटी के मंडी हस्तक्षेप मूल्य (एमआईपी) पर प्रत्येक वर्ष 5000 एमटी प्याज की खरीद के लिए प्याज हेतु

एमआईएस कार्यान्वित की गई है। एमआईएस के कार्यान्वयन के कारण अच्छी औसत गुणवत्ता वाली (एफएक्यू) प्याज के मंडी मूल्य सामान्यतया एमआईपी से अधिक रहे हैं। इस प्रकार, केवल 2004-05 के दौरान अच्छी औसत गुणवत्ता वाली केवल 26 एमटी प्याज की खरीद की गई। वर्ष 2004-05 के लिए प्याज के लेखों का निपटान कर लिया गया है। इसके अलावा, प्याज के लिए एमआईएस कार्यान्वित करने हेतु किसी राज्य सरकार से कोई प्रस्ताव सरकार के पास लम्बित नहीं है।

गन्ना भुगतान में से कटौती

2767. श्री जी.एम. सिद्देश्वर: क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में कई सहकारी चीनी मिलें गन्ने की आपूर्ति करने वाले किसानों को देय भुगतानों में से कटौती कर रही हैं चूंकि मिलों के आधुनिकीकरण/विस्तार हेतु इस राशि का उपयोग किया जाएगा तथा बाद में ब्याज सहित धनराशि लौटाने का वायदा कर रही हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और राज्यवार ऐसी मिलों के नाम क्या हैं, कितनी राशि एकत्र की गई है तथा उन्हें लौटाने की निर्धारित शर्तें क्या हैं;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान राज्यवार उन मिलों का ब्यौरा क्या है जहां ऐसी धनराशि का इस्तेमाल मिलों के आधुनिकीकरण/विस्तार हेतु किया गया था;

(घ) किन मिलों ने संबंधित गन्ना आपूर्तिकर्त्ताओं को ब्याज सहित जमा राशि का भुगतान कर दिया है तथा कौन सी मिलें चूककर्त्ता हैं तथा प्रत्येक मिल के विरुद्ध कितनी राशि बकाया है; और

(ङ) ऐसे चूककर्त्ताओं के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह): (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

सेना में विशेष बलों का आधुनिकीकरण

2768. श्री जी. करूणाकर रेड्डी: क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सेना के विशेष बलों के आधुनिकीकरण हेतु किस वर्ष योजना तैयार की गयी थी;

(ख) क्या आज की तिथि तक आधुनिकीकरण योजना शुरू नहीं की जा सकी है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) विशेष बलों के आधुनिकीकरण के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी): (क) से (घ) सेना के विशेष बलों के आधुनिकीकरण की योजना का सूत्रपात 2001 में किया गया था। यह योजना पहले ही शुरू कर दी गई है और शस्त्रों तथा उपस्करों के साथ अपेक्षित आधुनिकीकरण किए जाने के लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं।

कृषि मजदूरों की मजदूरी

2769. श्री दलपत सिंह परस्ते: क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कृषि मजदूरों की मजदूरी व अन्य सुविधाएं संगठित क्षेत्र में काम कर रहे मजदूरों की तुलना में बहुत कम हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और कारण क्या है; और

(ग) कृषि मजदूरों को समान मजदूरी व सुविधाएं सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ऑस्कर फर्नांडीस): (क) से (ग) कृषि श्रमिकों की औसत दैनिक आय संगठित क्षेत्र के श्रमिकों की तुलना में कम होने के कई कारण हैं जिनमें निम्नांकित शामिल हैं:

(1) न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के उपबंधों के अंतर्गत कृषि श्रमिकों की मजदूरी/आय केवल अकुशल श्रमिकों के लिए निर्धारित की जाती है जो सामान्यत: संगठित क्षेत्र के श्रमिकों की मजदूरी दरों से कम होती है।

(2) कृषि क्षेत्र में कार्य सामान्यत: मौसमी होता है और कृषि श्रमिकों के कार्य दिवसों की संख्या संगठित क्षेत्र के श्रमिकों से हमेशा कम होती है।

समुचित सरकारों द्वारा अपने अधिकार क्षेत्र के अनुसूचित नियोजनों के मामले में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के तहत निर्धारित न्यूनतम मजदूरी दैनिक आधार पर कार्यरत लोगों पर भी लागू होती है। अधिनियम में अधिकतम 5 वर्ष के अंतराल पर न्यूनतम मजदूरी के संशोधन की व्यवस्था है। जब कभी न्यूनतम

मजदूरी में परिवर्तनीय महंगाई भत्ते को शामिल किया जाता है, तो वर्ष में दो बार परिवर्तनीय महंगाई भत्ते को संशोधित किया जाता है।

निर्माण कार्य में लगे मजदूरों का कल्याण

2770. श्री के.एस. राव: क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) निर्माण उद्योग में कार्यरत महिला तथा पुरुष मजदूरों की आज की तिथि के अनुसार राज्यवार संख्या कितनी है;

(ख) क्या निर्माण कार्य में लगे मजदूरों के कल्याण हेतु श्रम संबंधी स्थायी समिति ने कतिपय उपाय सुझाए हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्रवाई की गयी है?

श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ऑस्कर फर्नांडीस): (क) जनगणना 2001 के अनुसार निर्माण कामगारों (पुरुष, महिला) की राज्यवार संख्या का विवरण संलग्न है।

(ख) और (ग) श्रम संबंधी स्थायी समिति विभिन्न श्रम कानूनों पर सिफारिशें करती रही है जिनमें भवन और अन्य निर्माण कामगार (रोजगार एवं सेवा शर्तों का विनियमन) अधिनियम, 1996 और भवन और अन्य निर्माण कामगार कल्याण उपकर अधिनियम, 1996 का तीव्र गति से क्रियान्वयन शामिल है। राज्य सरकारों द्वारा अधिनियम के क्रियान्वयन की समीक्षा करने के लिए सचिव (श्रम एवं रोजगार) की अध्यक्षता में एक विशेष समूह का गठन किया गया है। इस समूह ने अधिनियम के तीव्र गति से क्रियान्वयन हेतु राज्य सरकारों पर जोर डालने के लिए विभिन्न राज्यों में क्षेत्रीय बैठकें की हैं। सरकार द्वारा किए गए प्रयासों के कारण अधिनियम के क्रियान्वयन में गति आई है।

विवरण

2001 की जनगणना के अनुसार निर्माण क्षेत्र में कार्यरत कामगारों की संख्या (राज्य-वार)

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	निर्माण कामगारों की कुल संख्या	पुरुष	महिलाएं
1	2	3	4	5
I.	भारत*	14,165,044	12,598,999	1,566,045
1.	आंध्र प्रदेश	1,095,380	911,450	183,930
2.	अरुणाचल प्रदेश	30,078	24,351	5,727
3.	असम	197,420	190,960	6,460
4.	बिहार	412,270	393,550	18,720
5.	गोवा	47,977	41,707	6,270
6.	गुजरात	850,300	738,160	112,140
7.	हरियाणा	370,000	333,560	36,440
8.	हिमाचल प्रदेश	129,710	121,510	8,200
9.	जम्मू-कश्मीर	135,220	126,580	8,640
10.	कर्नाटक	947,000	819,320	127,680
11.	केरल	1,077,180	934,730	72,450
12.	मध्य प्रदेश	661,200	565,340	95,860
13.	महाराष्ट्र	1,616,490	1,386,910	229,880

1	2	3	4	5
14.	मणिपुर*	14,360	13,220	1,140
15.	मेघालय	19,510	17,700	1,810
16.	नागालैंड	17,201	15,316	1,885
17.	उड़ीसा	595,640	473,340	122,300
18.	पंजाब	450,380	429,550	20,830
19.	राजस्थान	1,066,780	931,710	135,070
20.	सिक्किम	13,602	11,343	2,259
21.	तमिलनाडु	1,134,370	988,010	146,360
22.	त्रिपुरा	27,130	25,400	1,730
23.	उत्तर प्रदेश	1,330,760	1,267,320	63,440
24.	पश्चिम बंगाल	864,180	827,910	36,270
25.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	17,874	16,259	1,615
26.	चंडीगढ़	32,679	30,840	1,839
27.	दादर और नागर हवेली	4,919	3,784	1,135
28.	दिल्ली	352,830	327,840	24,990
29.	गोवा	47,977	41,707	6,270
30.	दमन और दीव	4,065	3,227	838
31.	लक्षद्वीप	1,837	1,780	57
32.	मिजोरम	16,579	15,420	1,159
33.	पुडुचेरी	26,993	24,142	2,851
34.	उत्तरांचल	162,860	157,080	5,780
35.	झारखंड	327,430	284,330	43,100
36.	छत्तीसगढ़	182,540	145,350	37,190

*टिप्पणी: भारत और मणिपुर के आंकड़ों में तीन सब-डिविजनों अर्थात् मणिपुर के सेनापति जिले के माओ मारन, पाओमता पुरूल के आंकड़े शामिल नहीं है क्योंकि इन तीन सब डिविजनों में तकनीकी और प्रशासनिक कारणों से जनगणना 2001 रद्द कर दी गयी थी।

नारियल बीमा योजना

2771. **श्री चेंगरा सुरेन्द्रन:** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार का विचार देश में नारियल की खेती हेतु बीमा योजना शुरू करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में अभी तक क्या कार्यवाही की गई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) और (ख) जी हां। हाल ही में, नारियल पाम और उपज बीमा स्कीम संबंधी एक प्रस्ताव जिसमें गरी उपज और नारियल पाम के कवरेज पर विचार किया गया है और जिसे छह तटीय राज्यों में प्रायोगिक आधार पर कार्यान्वित किए जाने का प्रस्ताव है, सरकार की जांच के अधीन है।

मालदीव के लिए सैन्य पैकेज

2772. **श्री कुलदीप बिश्नोई:** क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने मालदीव को सैन्य पैकेज उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा हिन्द महासागर क्षेत्र में सुरक्षा परिदृश्य में सुधार करने हेतु क्या ठोस कदम उठाए गए हैं?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी): (क) से (ग) भारत और मालदीव के प्रगाढ़ पारस्परिक संबंध हैं तथा ये रक्षा क्षेत्र सहित पारस्परिक हित के विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग कर रहे हैं। मालदीव से प्राप्त रक्षा से संबद्ध सहयोग संबंधी अनुरोध पर भारत सरकार द्वारा विचार किया गया तथा भारत के हितों को ध्यान में रखते हुए निर्णय लिए गए। एक मित्र देश की दृष्टि से संबंध रखने के मामले में और अधिक ब्यौरों का खुलासा करना राष्ट्र के हित में नहीं होगा।

भारतीय तटरक्षक तथा नौसेना भारत के समुद्री क्षेत्रों, अनन्य आर्थिक क्षेत्रों तथा समुद्री हित के अन्य क्षेत्रों में नियमित रूप से निगरानी रखते हैं। भारत हिन्द महासागर क्षेत्र के तटवर्ती राज्यों के साथ भी नियमित बातचीत करता है। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमाओं पर गश्त लगाना, पोत-आवाजाही एवं प्लेटफार्म संकेतों के संबंध में हमारे समुद्री पड़ोसियों के साथ सूचना का आदान-प्रदान करना तथा संयुक्त अभ्यासों का संचालन करना कुछ ऐसे उपाय हैं जो हिन्द महासागर क्षेत्र में सुरक्षा परिदृश्य को सुधारने के लिए किए जाते हैं।

भूतपूर्व सैनिकों को पेंशन लाभ

2773. **श्री सुव्रत बोस:** क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को 14 वर्ष से कम की सेवा करने वाले भूतपूर्व सैनिकों से पेंशन लाभ की मांग करने संबंधी कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.एम. पल्लम राजू): (क) जी, हां।

(ख) भूतपूर्व सैनिकों की ओर से इस मुद्दे पर समय-समय पर अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। हाल ही में भूतपूर्व सैनिक कल्याण समिति, कन्नूर ने भी 14 वर्ष से कम सेवा वाले कार्मिकों को पेंशन दिए जाने का अनुरोध किया है।

(ग) सेवा पेंशन अर्जित करने के लिए कमीशन प्राप्त अफसरों के लिए अपेक्षित अर्हक सेवा 20 वर्ष है तथा अफसर रैंक से निचले रैंक के कार्मिकों के लिए यह 15 वर्ष है। इस समय सरकार मौजूदा नीति में परिवर्तन करने पर कोई विचार नहीं कर रही है।

जल नीति

2774. **श्री मणी कुमार सुब्बा:** क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या असम सहित कुछ राज्य सरकारों ने संबंधित राज्यों से होकर और पास से गुजरने वाली अंतर-राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय नदियों के जल-बंटवारे के लिए अपनी प्रारूप जल नीति प्रस्तुत की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार द्वारा उक्त प्रस्तावों को स्वीकृति दे दी गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में अपने प्रस्तावों को प्रस्तुत करने में विफल रहने वाले राज्य कौन-कौन से हैं और इसमें विलम्ब के क्या कारण हैं?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जय प्रकाश नारायण यादव): (क) किसी भी सरकार ने 'संबंधित राज्यों से होकर और पास से गुजरने वाली अंतर-राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय नदियों के जल बंटवारे के लिए प्रारूप जल नीति प्रस्तुत नहीं की हैं'।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

राष्ट्रीय नवोन्मेषी नीति

2775. श्री ई.जी. सुगावनम: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का देश में राष्ट्रीय नवोन्मेषी नीति शुरू करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और मुख्य विशेषताएं क्या हैं; और

(ग) इसे कब तक शुरू किए जाने की संभावना है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) और (ख) राष्ट्रीय नवोन्मेषी नीति शुरू करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। किंतु, भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों के "अनुसंधान एवं नवीकरण" को सहयोग देने के कार्यक्रम हैं। इनमें से कुछ ये हैं:

(i) विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (http://dst.gov.in)

(ii) जैव प्रौद्योगिकी विभाग (http://dbtindia.nic.in)

(iii) वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग (http://dsir.nic.in)

(iv) सूचना प्रौद्योगिकी विभाग (http://www.mit.gov.in)

कार्यक्रमों के ब्यौरे इन विभागों की वेबसाइट में उपलब्ध हैं।

(ग) यह प्रश्न ही नहीं उठता।

अधिवक्ताओं को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के दायरे में लाना

2776. श्री चंद्रकांत खैरे: क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अधिवक्ताओं को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 के दायरे में लाया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त अधिनियम के अंतर्गत किन अन्य पेशेवरों को लाया गया है अथवा लाए जाने का प्रस्ताव है;

(ग) इसके फलस्वरूप उपभोक्ताओं को क्या लाभ होने की संभावना है;

(घ) क्या सरकार ने राज्य सरकारों को इस प्रकार की सलाह जारी की है; और

(ङ) यदि हां, तो राज्यों की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री और उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तस्लीमुद्दीन): (क) से (ग) उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 के उपबंधों के अनुसार सभी प्रकार की सेवाएं पहले ही अधिनियम की परिधि में शामिल हैं बशर्ते सेवा प्रतिफल के लिए भाड़े में ली गई हो अथवा उपयोग की गई हो और उपभोक्ता प्रतिफल के लिए भाड़े में ली गई अथवा उपयोग की गई ऐसी सेवा में किसी प्रकार की कमी के खिलाफ उपभोक्ता मंच में शिकायत दायर कर सकता है।

(घ) और (ङ) भाग (क) से (ग) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

भारतीय वायु सेना द्वारा अभ्यास

2777. श्री के.सी. पल्लानी शामी: क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान स्थान-वार कितने प्रमुख आई ए एफ अभ्यास हुए हैं और इसके क्या प्रयोजन थे;

(ख) क्या सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त एहतियात बरता है कि इस अभ्यास के कारण सिविल हवाई यातायात बाधित न हो;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या निकट भविष्य में देश के विभिन्न भागों में भी ऐसे और अभ्यास किए जाने का प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी): (क) विगत तीन वर्षों के दौरान भारतीय वायु सेना ने 4 प्रमुख अभ्यास किए हैं। ये अभ्यास दक्षिण पश्चिम वायु कमान संक्रिया क्षेत्र (ए ओ आर), पश्चिम वायु कमान संक्रिया क्षेत्र एवं पूर्वी वायु कमान संक्रिया क्षेत्र में किए गए हैं। तथापि, यह विदेशों के साथ संयुक्त अभ्यास के अलावा हैं।

ऐसे अभ्यासों का उद्देश्य संबंधित कमान मुख्यालयों के अधीन उपलब्ध सभी संसाधनों को सक्रिय कर उनकी क्षमता की जांच करना है।

(ख) और (ग) जी, हां। ऐसे अभ्यासों का आयोजन भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण/नागर विमानन मंत्रालय के साथ परामर्श करके किया जाता है।

(घ) और (ङ) अभ्यासों की योजना भारतीय वायुसेना की संक्रियात्मक आवश्यकताओं पर आधारित होती है।

स्पेक्ट्रम का उपयोग

2778. श्रीमती मनोरमा माधवराज: क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) का सरकारी क्षेत्र की इकाइयों (पीएसयू) और सरकारी विभागों को कम कीमत/नि:शुल्क आवंटित स्पेक्ट्रम को और जिम्मेदारी से लागू करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो क्या ट्राई ने यह देखा है कि पीएसयू और अन्य सरकारी विभागों को आवंटित स्पेक्ट्रम का समुचित उपयोग नहीं हो रहा है;

(ग) यदि हां, तो क्या ट्राई का यह प्रस्ताव है कि पीएसयू और सरकारी विभागों द्वारा छोड़ी गई स्पेक्ट्रम क्षमता का वाणिज्यिक टेलीफोनी और बेतार, ब्राडबैंड सेवाओं के लिए बेहतर उपयोग किया जा सकता है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) से (घ) जी, हां। ट्राई ने लाइसेंस के नियम एवं शर्तों की समीक्षा तथा अभिगम प्रदाताओं की अधिकतम संख्या तय करने संबंधी अपनी दिनांक 28 अगस्त, 2007 की सिफारिश में सरकार तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से स्पेक्ट्रम की पुनर्व्यवस्था, स्पेक्ट्रम सदुपयोग प्रौद्योगिकियों का प्रयोग, समुचित स्पेक्ट्रम प्रभार वसूली व्यवस्था इत्यादि के संबंध में कुछ अभिमत दिए हैं।

डीएमएस के दूध की गुणवत्ता

2779. श्रीमती प्रिया दत्त: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मदर डेयरी और डीएमएस द्वारा आपूरित दूध की गुणवत्ता स्तरीय नहीं है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने संबंधित विभाग को औचक गुणवत्ता जांच करने के लिए निदेश दिए हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और गत एक वर्ष के दौरान कितनी औचक जांच की गई?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह): (क) जी, नहीं। मदर डेयरी तथा दिल्ली दुग्ध योजना द्वारा आपूर्तित दूध सभी निर्धारित गुणवत्ता मानकों/स्टैंडर्ड को पूरा करते हैं।

(ख) और (ग) उक्त (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

कुटीर और लघु उद्योग में कार्यरत अ.जा./ अ.ज.जा./अ.पि.व. के लोग

2780. श्री सुभाष महरिया: क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में कुटीर और लघु उद्योगों में राज्यवार और श्रेणीवार कितने अन्य पिछड़ा वर्ग (अ.पि.व.), अनुसूचित जातियों (अ.जा.) और अनुसूचित जनजातियों (अ.ज.जा.) के लोग कार्यरत हैं;

(ख) देश में राज्यवार अलग-अलग कितने कुटीर और लघु उद्योग चल रहे हैं;

(ग) क्या सरकार ने उनके प्रोत्साहन हेतु कोई योजना बनायी है/बनाने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री (श्री महावीर प्रसाद): (क) और (ख) अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी), अनु.जा. (एस सी), अनु.ज.जा. (एसटी) से संबंधित उद्यमियों द्वारा स्थापित ग्रामोद्योगों तथा साथ ही साथ ऐसी इकाइयों की कुल सं. जो आरंभ से 1 अप्रैल, 1995 से 31 मार्च, 2007 तक खादी और ग्रामोद्योग आयोग के माध्यम से कार्यान्वित सरकार के ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम के अंतर्गत स्थापित की गई हैं का राज्य/सं.रा. क्षेत्र-वार तथा वर्गवार ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है। इसी प्रकार, ओबीसी, एससी और एसटी से संबंधित उद्यमियों द्वारा प्रबंधित सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार तथा वर्गवार ब्योरा और साथ ही साथ तृतीय अखिल भारतीय गणना 2001-02 के अनुसार ऐसे उद्यमों की कुल संख्या तथा वर्ष 2006-07 क लिए अनुमान संलग्न विवरण-II पर दिए गए हैं।

(ग) और (घ) कुटीर एवं लघु उद्योगों का विकास मुख्य रूप से संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों/प्रशासनों का उत्तरदायित्व है। तथापि सरकार (सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय में) क्रेडिट, आधारभूत संरचना विकास, प्रौद्योगिकी उन्नयन, विपणन, उद्यमिता विकास आदि से संबंधित विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों के माध्यम से राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के प्रयासों का समर्थन एवं अनुपूरण करती है। इस दिशा में उठाए गए कदमों में देश में निम्नोक्त योजनाओं का कार्यान्वयन शामिल है:-

(1) खादी एवं ग्रामोद्योग के तहत उत्पादों के विविधीकरण तथा विकास तथा विभिन्न खादी ग्रामोद्योग उत्पादों की पैकेजिंग में सुधार लाने के उद्देश्य से भी उत्पाद विकास, डिजाइन इण्टरवेंशन एवं पैकेजिंग (पीआरओडीआईपी) योजना का आरंभ किया गया है।

(2) खादी, ग्रामोद्योग तथा कयर क्षेत्रों में पहचाने गए 122 क्लस्टरों में पारंपरिक उद्योगों के पुनरुद्धार हेतु अक्तूबर, 2005 में पारंपरिक उद्योगों के पुनरुद्धार हेतु निधि योजना (स्फूर्ति) आरंभ की गई है।

(3) केवीआईसी के माध्यम से ऐसे उद्योगों को आधारभूत संरचना सहयोग एवं सेवाएं प्रदान करने के लिए सामान्य सुविधा केन्द्रों (सीएफसी) की स्थापना के लिए ग्रामीण उद्योग सेवा केन्द्र योजना (आरआईएससी)।

(4) केवीआईसी ने मार्जिन मनी सहायता प्राप्त करके तथा सार्वजनिक क्षेत्र के अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों से ऋण प्राप्त करके ग्रामोद्योग परियोजनाओं की स्थापना के लिए आरईजीपी कार्यान्वित किया जा रहा है।

(5) राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों में भागीदारी के लिए वित्तीय सहायता।

ग्राम एवं लघु उद्योगों के संवर्धन हेतु विचाराधीन नई योजनाओं का ब्यौरा संलग्न विवरण-III पर दिया गया है।

विवरण I

आरईजीपी के तहत आरंभ से 1 अप्रैल, 1995 से 31 मार्च, 2007 तक स्थापित सभी इकाइयों तथा अ.पि.व., अ.जा., अ.ज.जा. के उद्यमियों द्वारा स्थापित ग्रामोद्योग इकाइयों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	स्थापित इकाइयों की संख्या			
		अ.पि.व.	अ.जा.	अ.ज.जा.	जोड़
1	2	3	4	5	6
1.	चंडीगढ़	0	1	0	161
2.	दिल्ली	36	15	36	256
3.	हरियाणा	1211	729	399	8176
4.	हिमाचल प्रदेश	438	621	188	3827
5.	जम्मू-कश्मीर	734	338	232	10674

1	2	3	4	5	6
6.	पंजाब	1097	895	324	11929
7.	राजस्थान	4085	2273	875	30907
8.	अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	275	113	49	1147
9.	बिहार	765	136	59	2641
10.	झारखंड	571	136	71	1496
11.	उड़ीसा	1234	848	427	5664
12.	पश्चिम बंगाल	2264	2173	943	24175
13.	अरुणाचल प्रदेश	1	2	469	586
14.	असम	1594	806	595	7693
15.	मणिपुर	20	10	459	1044
16.	मेघालय	126	49	1334	3664
17.	मिजोरम	0	16	1925	2425
18.	नागालैंड	3	1	1018	5413
19.	त्रिपुरा	236	116	156	1184
20.	सिक्किम	63	15	268	481
21.	आंध्र प्रदेश	2927	1650	686	19249
22.	कर्नाटक	2164	1425	731	17096
23.	केरल	3230	912	390	11470
24.	लक्षद्वीप	58	20	13	36
25.	पांडिचेरी	190	84	18	1176
26.	तमिलनाडु	1876	805	398	8852
27.	गोवा	362	209	43	2679
28.	गुजरात	397	195	88	2402
29.	महाराष्ट्र	4957	2463	1152	27115
30.	छत्तीसगढ़	1037	193	115	3029
31.	मध्य प्रदेश	2208	1274	752	21554
32.	उत्तराखंड	401	338	169	3475
33.	उत्तर प्रदेश	4137	1795	903	20766
	कुल	38696	20656	15285	262442

विवरण II

तृतीय अखिल भारतीय गणना (2001-02) तथा 2006-07 के लिए अनुमानों के अनुसार, अ.पि.व., अ.जा., अ.ज.जा. के उद्यमियों तथा इसी प्रकार की सभी इकाइयों द्वारा प्रबन्धित सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों की अनुमानित संख्या का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	तृतीय अखिल भारतीय गणना 2001-02 के अनुसार					वर्ष 2006-07 के लिए अनुमान				
	अ.ज.जा.	अ.जा.	अ.पि.व.	अन्य	योग	अ.ज.जा.	अ.जा.	अ.पि.व.	अन्य	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
जम्मू-कश्मीर	2576	7455	2990	60105	73126	3161	9147	3669	73749	89726
हिमाचल प्रदेश	3855	20114	9446	42783	76198	4835	25228	11848	53661	95572
पंजाब	12137	50515	117751	196423	376826	14230	59225	138053	230290	441797
चंडीगढ़	23	665	566	20993	22247	28	795	677	25112	26612
उत्तराखंड	6350	13803	19924	66406	106483	8207	17839	25750	85823	137618
हरियाणा	6861	16913	67792	131729	223295	8090	19944	79940	155334	263308
दिल्ली	1846	5875	14321	155038	177080	2199	6997	17057	184653	210905
राजस्थान	18603	49944	205028	167996	441571	22696	60933	250139	204959	538728
उत्तर प्रदेश	36810	162688	743600	764878	1707976	45621	201628	921585	947956	2116791
बिहार	10718	34704	343323	130606	519351	12991	42065	416144	158308	629509
सिक्किम	16	72	109	170	367	21	93	141	220	474
अरुणाचल प्रदेश	163	242	50	797	1252	205	305	63	1005	1578
नागालैंड	12999	729	2	131	13861	17841	1001	3	180	19024
मणिपुर	32242	1166	949	13641	47998	38404	1389	1130	16248	57171
मिजोरम	8262	2765	32	58	11117	10654	3565	41	75	14335
त्रिपुरा	2066	3649	8296	10340	24351	2472	4367	9928	12374	29141
मेघालय	13923	1926	3	6668	22520	17676	2445	4	8466	28591
असम	9865	12903	30019	141592	194379	11956	15638	36381	171601	235576
पश्चिम बंगाल	11794	106464	50752	602377	771387	14085	127144	60610	719383	921221
झारखंड	27292	15304	63574	26277	132447	33633	18860	78345	32382	163220
उड़ीसा	97074	45250	131039	114915	388278	117122	54595	158102	138648	468468
छत्तीसगढ़	43228	31200	130818	58654	263900	51618	37255	156207	70038	315118

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
मध्य प्रदेश	67950	105317	418941	201344	793552	83657	129661	515779	247885	976981
गुजरात	55747	67123	115431	292012	530313	67948	81814	140695	355923	646379
दमन एवं दीव	13	6	33	1321	1373	28	13	71	2831	2942
दादर एवं नगर हवेली	139	12	46	1440	1637	139	12	46	1440	1637
महाराष्ट्र	29065	69191	233729	479682	803567	25810	85180	287739	590526	989254
आंध्र प्रदेश	17017	41857	449725	366831	875430	20284	49894	536072	437262	1043512
कर्नाटक	32438	50664	349994	225726	658822	39626	61891	427550	275745	804811
गोवा	19	4	333	6741	7097	23	5	406	8220	8654
लक्षद्वीप	459	67	0	6	532	582	85	0	8	675
केरल	11354	16351	247683	177436	452824	13605	19593	296794	212618	542610
तमिलनाडु	15585	57460	577909	137010	787964	19911	73410	738323	175041	1006684
पांडिचेरी	75	22	6551	2213	8861	94	28	8221	2777	11120
अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	1742	108	19	1335	3204	2192	136	24	1680	4032
जोड़	582206	992528	4340778	4605674	10521186	711644	1212178	5317535	5602418	12843774

विवरण III

1. **ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम का पुनर्गठन:** इस योजना को व्यापक प्रस्ताव बनाया जा रहा है जिसमें दो प्रमुख रोजगार सृजन योजनाओं अर्थात् प्रधानमंत्री रोजगार योजना तथा ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम को समामेलित करने की व्यवस्था है।

2. **ग्यारहवीं योजना में ग्रामीण/पिछड़े क्षेत्रों में जिला कौशल विकास केन्द्रों (डीएसडीसी) की स्थापना हेतु योजना:** इस योजना का उद्देश्य ग्यारहवीं योजना के दौरान मुख्यत: अल्पावधि पाठ्यक्रम जिनकी अवधि छह माह से अधिक न हो तथा प्रति केन्द्र प्रति वर्ष लगभग 2000 प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षित करने के लिए देश के ग्रामीण/पिछड़े क्षेत्रों में 600 डीएसडीसी की स्थापना करने का है।

3. **नए सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास संस्थान (एमएसएमई-डीआई) तथा शाखा एमएसएमई-डीआई की स्थापना/खोलने हेतु योजना:** योजना में रोजगार सृजित करने तथा औद्योगिक वृद्धि के फैलाव, एमएसएमई में प्रौद्योगिकी उन्नयन, प्रतिस्पर्धात्मकता एवं दक्षता को सुगम बनाने, तथा लघु एवं सूक्ष्म उद्योगों में पूंजी एवं प्रौद्योगिकी प्रवाह को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से एमएसएमई को निरन्तर समर्थन देने के उद्देश्य से 62 नए एमएसएमई-डीआई/शाखा एमएसएमई-डीआई खोलने की परिकल्पना की गई है।

4. **7 नए टूल एवं प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना:** देश में एमएसएमई क्षेत्र की वृद्धि को तीव्र बनाने की दृष्टि से हाई प्रिसिजन पार्ट तथा उत्पाद के भाग अथवा स्वयं उत्पाद के उत्पादन में प्रयुक्त होने वाले डिजाइन एवं विनिर्माण मोल्डों, जिग्स और फिक्चर्स, आदि के लिए प्रिसिजन मशीन टूल्स और संबद्ध उपकरणों से सुसज्जित 10 उन्नत टूल एवं प्रशिक्षण केन्द्रों के अलावा ग्यारहवीं योजना के दौरान 7 नए टूल और प्रशिक्षण केन्द्र प्रस्तावित हैं।

5. **टेलीविजन के माध्यम से एमएसएमई का प्रचार:** यह प्रस्ताव किया जाता है कि अन्य बातों के साथ-साथ सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय की योजनाओं, कार्यक्रमों तथा नीतियों के बारे में सूचना का प्रसार करने तथा लाखों संभावी उद्यमियों के बीच जागरूकता सृजित करने की दृष्टि से एक साल के लिए दूरदर्शन के राष्ट्रीय चैनल पर प्रतिदिन 30 मिनट का समय लिया जाए और विशेषज्ञ एजेंसियों द्वारा निर्मित आधे घंटे के कार्यक्रम को प्राईम/मिड प्राईम टाईम के दौरान दूरदर्शन के राष्ट्रीय चैनल पर प्रसारित किया जाए।

[अनुवाद]

भर्ती में विसंगति

2781. श्री गिरिधारी यादव: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) का विचार अखिल भारतीय बीएसएनएल खेल-कूद गतिविधियों को प्रभावी रूप से नियंत्रित करने/बढ़ावा देने हेतु खेल प्रबंध अधिकारी की भर्ती करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ऐसे किसी अधिकारी की भर्ती कब तक किए जाने की संभावना है;

(ग) क्या बीएसएनएल प्राधिकारियों का ध्यान गत तीन वर्षों के दौरान कतिपय खेल विधाओं में दूरसंचार परिमंडल द्वारा की गई गैर-आनुपातिक भर्ती की ओर दिलाया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उसके क्या कारण हैं;

(ङ) बीएसएनएल द्वारा विभिन्न खेल विधाओं में खिलाड़ियों की भर्ती में की गई विसंगति को दूर करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं; और

(च) बीएसएनएल के उत्कृष्ट खिलाड़ियों को अखिल भारतीय प्रतियोगिताओं में उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन हेतु क्या प्रोत्साहन दिया रहा है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) जी, नहीं।

(ख) उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) उपर्युक्त भाग (ग) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) खिलाड़ियों की भर्ती में कोई विसंगति नहीं है।

(च) जो खिलाड़ी भारत संचार निगम लिमिटेड की अखिल भारतीय प्रतियोगिताओं में लगातार दो वर्षों तक स्थान प्राप्त करते हैं उन्हें निम्नवत् नकद पुरस्कार दिए जाते हैं:

प्रथम स्थान	:	3000 रु.
द्वितीय स्थान	:	2000 रु.
तृतीय स्थान	:	1000 रु.

भूमिगत जल का कृत्रिम पुनर्भरण

2782. डा. के.एस. मनोज: क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय भू-जल बोर्ड (सीजीडब्ल्यूबी) द्वारा किए गए सर्वेक्षण के अनुसार राजस्थान के अलवर जिले में हिंसला गांव के खसरा सं. 1103 से होकर बहने वाले बरसाती नाले पर 'फ्रेस वाटर-2003 स्कीम' के अंतर्गत गाबियान ढांचे का निर्माण कार्य व्यवहार्य पाया गया है;

(ख) यदि हां, तो पिछले एक वर्ष के दौरान उक्त ढांचा के निर्माण हेतु केन्द्र/राज्य स्तर पर संबंधित एजेंसियों द्वारा क्या कार्रवाई की गई तथा कार्यान्वयन एजेंसी को कितनी धनराशि मुहैया करायी गयी;

(ग) सरकार द्वारा इस क्षेत्र में जल की अत्यधिक कमी के मद्देनजर उक्त ढांचों के निर्माण हेतु समुचित सुविधाएं मुहैया कराने के लिए राजस्थान सरकार को क्या निर्देश जारी किए गए हैं;

(घ) क्या राजस्थान में विशेषकर अलवर जिले में भूमिगत जल/एक्सप्लोरेटरी वेल्स के कृत्रिम पुनर्भरण हेतु स्थानों का पता लगाने हेतु कोई सर्वेक्षण करवाया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जय प्रकाश नारायण यादव): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) जल संसाधन मंत्रालय की ऐसी कोई अनुमोदित स्कीम नहीं है जिसके तहत ऐसी परियोजनाओं को निधि उपलब्ध कराई जा सके। इस परियोजना के संबंध में राजस्थान सरकार को कोई निर्देश भी जारी नहीं किए गए हैं।

(घ) और (ङ) जलभृत्तों की संभाव्यता का पता लगाने के लिए सीजीडब्ल्यूबी ने अलवर जिले में भूजल अन्वेषण कार्यक्रम किया है।

बोफोर्स तोपों की ओवरहालिंग

2783. श्री रघुराज सिंह शाक्य: क्या **रक्षा मंत्री** दिनांक 28 जुलाई, 2005 के अतारांकित प्रश्न संख्या 658 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बोफोर्स तोपों की 10 वर्षों में पूरी की जाने वाली ओवरहालिंग के काम को शुरू कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो ओवरहालिंग शुरू करने की तारीख क्या है और अभी तक कितनी तोपों की ओवरहालिंग की गई तथा उसका वर्षवार अलग-अलग ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इन तोपों की ओवरहालिंग में विलंब के क्या कारण हैं और इन तोपों की ओवरहालिंग को पूरा करने का भावी कार्यक्रम क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी): (क) से (ग) बोफोर्स तोपों की ओवरहालिंग 2000-01 में शुरू की गई थी। इन तोपों की ओवरहालिंग कार्यक्रमानुसार की जा रही है। आज की तारीख तक 75 तोपों की ओवरहालिंग की जा चुकी है।

बासमती चावल

2784. श्री एकनाथ महादेव गायकवाड: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार भारी निर्यात बाजार वाले अनाज की नई किस्मों का विकास करने में सहायता करने हेतु सुगंधित लंबे दाने वाले चावल की और अधिक किस्मों को बासमती में शामिल करने के लिए बासमती की परिभाषा का विस्तार करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यह कदम उठाने का क्या उद्देश्य है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) जी, हां।

(ख) विकसित बासमती की प्रस्तावित परिभाषा में पारंपरिक बासमती किस्मों के दो वंशक्रमों में से एक के होने के अवरोध को हटा दिया गया है। इसके स्थान पर उसकी परिभाषा का विस्तार किया गया है। तदनुसार प्रस्तावित परिभाषा में नई किस्मों के वंश-इतिहास (जीनेलोजी) में 'बासमती की गुणवत्ता वाली जीन' को डालने वाली, 'बीज अधिनियम 1966 के तहत अधिसूचित किसी एक पारंपरिक या तैयार बासमती किस्म' का होना आवश्यक है।

अत: बीज अधिनियम 1966 (1966 की सं. 54) के तहत बासमती चावल के रूप में अधिसूचित बासमती चावल की सभी किस्मों तथा इसी अधिनियम के तहत बासमती के रूप में अधिसूचित अन्य भावी किस्म को बासमती चावल के रूप में घोषित किया जाएगा।

प्रस्तावित संशोधित परिभाषा से नई बासमती किस्मों का विकास करना सरल होगा और व्यापार को बढ़ावा मिलेगा। इस प्रस्ताव को विचारार्थ हेतु वाणिज्य मंत्रालय को भेजा गया है।

[हिन्दी]

गुप्त जानकारी देना

2785. श्री गणेश सिंह: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मुंबई पुलिस की साइबर अपराध शाखा ने आईटी अधिनियम के अंतर्गत भारत संचार निगम लिमिटेड (बी.एस.एन.एल.) के टाटा ग्रुप के एक कर्मचारी को "कारपोरेट" फिल्म की तर्ज पर रिलायंस कम्युनिकेशन को महत्वपूर्ण गुप्त जानकारी देते हुए गिरफ्तार किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई/की जा रही है; और

(घ) बी.एस.एन.एल. में शेयरधारकों के क्या नाम हैं और उनकी बी.एस.एन.एल. में धारिता कितने प्रतिशत है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): भारत संचार निगम लिमिटेड 100% सरकारी कंपनी है। तथापि, जहां तक बीएसएनएल (विदेश संचार निगम लिमिटेड) का संबंध है, उपर्युक्त प्रश्न का उत्तर निम्नवत् है:

(क) बीएसएनएल ने 7 फरवरी, 2007 को मुंबई के दादर पुलिस थाने में अपने एक कर्मचारी श्री प्रशांत इंदुलकर के विरुद्ध सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 66 के अंतर्गत इस संदेह पर एक शिकायत दर्ज कराई कि उसके द्वारा संभवत: बीएसएनएल के कंप्यूटर से कुछ गोपनीय सूचना अपने किसी बाह्य संपर्क तक पहुंचा दी गई है। श्री प्रशांत इंदुलकर कंपनी के तत्कालीन कार्यपालक निदेशक के निजी सहायक के रूप में कार्य कर रहे थे।

यह उल्लेख है कि पुलिस में दर्ज कराई गई उपर्युक्त शिकायत में बीएसएनएल ने यह संदेह व्यक्त नहीं किया है कि श्री इंदुलकर द्वारा किसी विशेष व्यक्ति या कंपनी को सूचना पहुंचाई गई है। यह भी उल्लेख है कि पुलिस मामले की जांच कर रही है।

(ख) श्री प्रशांत इंदुलकर पर जिन गोपनीय सूचनाओं को अपने बाह्य संपर्क तक पहुंचाए जाने का संदेह है उन सभी का ब्योरा प्रस्तुत करना संभव नहीं है। तथापि, पुलिस ने दर्ज कराई गई शिकायत में बीएसएनएल ने कहा है कि श्री इंदुलकर ने संभवत: अत्यधिक गोपनीय दस्तावेज से संबंधित सूचना अपने बाह्य संपर्क तक पहुंचाई है जो दिनांक 12 जनवरी, 2007 के इकोनोमिक टाइम्स में "ओरैस्कम, बीएसएनएल टु टाइ अप फार केबल बिज" शीर्षक से छपे समाचार और दिनांक 15 जनवरी, 2007 के इकोनोमिक टाइम्स में "टाटा काल आन लंकास सन टेल" शीर्षक से छपे समाचार आदि का आधार बनी है।

(ग) बीएसएनएल एक विनिवेशित (टाटा प्रबंधन द्वारा चलाई जा रही) कंपनी है और वर्तमान में सरकार का बीएसएनएल में केवल 26.12% हिस्सा है। अत: श्री इंदुलकर के विरुद्ध कार्रवाई केवल टाटा समूह द्वारा ही की जा रही है।

(घ) 31 जुलाई, 2007 की स्थिति के अनुसार बीएसएनएल की शेयर धारिता का ब्योरा निम्नवत है:

शेयर धारक		प्रतिशत धारिता (%)
भारत सरकार	:	26.12
टाटा समूह की कंपनी	:	50.11
वित्तीय संस्थाएं और म्युचुअल फंड	:	1.44
बीमा कंपनियां	:	11.42
विदेशी संस्थागत निवेशक	:	2.02
व्यक्ति और कंपनी	:	2.73
अमेरिकी डॉपाजिटरि रिसीट	:	6.16
कुल	:	100.00

[अनुवाद]

सशस्त्र बलों में धार्मिक जनगणना

2786. श्री प्रबोध पांडा: क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने सशस्त्र बलों में धार्मिक जनगणना की अनुमति दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी): (क) से (ग) सशस्त्र सेनाओं का स्वरूप धर्मनिरपेक्ष और अराजनीतिक है। सेनाओं में भर्ती योग्यता के आधार पर की जाती है और यह जाति, पंथ, धर्म या क्षेत्र के आधार पर कोई भेदभाव किए बिना देश के प्रत्येक नागरिक के लिए खुली है। सभी समुदायों और क्षेत्रों के सभी कार्मिक जाति, पंथ या धर्म पर आधारित किसी भेदभाव के बिना साथ-साथ काम करते हैं। अत: धर्म के आधार पर गिनती किए जाने की अनुमति को वांछनीय नहीं समझा गया था क्योंकि इसका सेनाओं के आचार-व्यवहार और एकजुटता पर प्रभाव पड़ता।

स्कॉर्पीन पनडुब्बी का निर्माण

2787. श्री रवि प्रकाश वर्मा:
श्री चंद्रकांत खैरे:
श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव:

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अत्याधुनिक स्कॉर्पीन पनडुब्बी का निर्माण शुरू हो गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) निर्माण कार्य के कब तक पूरा होने की संभावना है;

(घ) क्या मझगांव डाक लिमिटेड (एम.डी.एल.) देश में पनडुब्बियों का निर्माण करने वाला एकमात्र शिपयार्ड है;

(ङ) यदि हां, तो क्या गत दो दशकों के लिए इस शिपयार्ड की क्षमता का पूरी तरह से उपयोग किया गया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी): (क) से (ग) स्कोर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी का निर्माण दिसंबर, 2006 से आरंभ हो चुका है। पहली पनडुब्बी की सुपुर्दगी दिसंबर, 2012 में की जानी है और तत्पश्चात् दिसंबर, 2017 तक प्रत्येक वर्ष एक पनडुब्बी की सुपुर्दगी होनी है।

(घ) से (च) मैसर्स माझगांव डाक लिमिटेड (एमडीएल) देश का एकमात्र सार्वजनिक क्षेत्र का रक्षा उपक्रम है जो पनडुब्बी का निर्माण कार्य करता है। स्कोर्पियन पनडुब्बी का निर्माण आरंभ होने तक माझगांव डाक लिमिटेड में पनडुब्बी उत्पादन की क्षमता का कुछ समय के लिए उपयोग कम हो पाया था।

[हिन्दी]

नई मोबाइल कंपनियों के प्रवेश का विरोध

2788. श्री भुवनेश्वर प्रसाद मेहता: क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इस समय कार्यरत मोबाइल फोन कंपनियां स्पैक्ट्रम के नाम पर नई कंपनियों के प्रवेश का विरोध कर रही हैं, जिसके फलस्वरूप प्रतिस्पर्धा के अभाव में उपभोक्ताओं को हानि होती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या 400 मिलियन मोबाइल फोन उपभोक्ता चीन में 60 मेगाहर्ट्ज स्पैक्ट्रम का प्रयोग कर रही है जबकि हमारे देश में 150 मिलियन उपभोक्ता 55 मेगाहर्ट्ज स्पैक्ट्रम से संतुष्ट नहीं हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) सरकार द्वारा स्पैक्ट्रम के दुरुपयोग को रोकने हेतु क्या नीति बनाई गई है;

(च) क्या इस संबंध में कोई कंपनी दोषी पाई गई है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) से (घ) जी, हां। ट्राई ने संबद्ध मुद्दों पर विचार किया है और लाइसेंस के नियम एवं शर्तों की पुनरीक्षा तथा अभिगम प्रदाताओं की अधिकतम संख्या तय करने के बारे में दिनांक 28 अगस्त, 2007 को अपनी सिफारिशें दी हैं। इन पर सरकार द्वारा प्रासंगिक पहलुओं को ध्यान में रखते हुए विचार किया जाना है।

(ङ) से (छ) मोबाइल फोन कंपनियों को आरंभिक और तदनन्तर अतिरिक्त स्पैक्ट्रम का आबंटन उनके अपने-अपने सेवा लाइसेंस करारों तथा इस संबंध में मानदंडों के अनुसार किया जाता है, बशर्ते स्पैक्ट्रम उपलब्ध हो। स्पैक्ट्रम का किसी प्रकार का अनधिकृत उपयोग/दुरुपयोग भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम 1885 के तहत उल्लंघन है, और इस प्रकार के प्रयोक्ताओं के विरुद्ध भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम 1885 के संगत उपबंधों के तहत कार्यवाही शुरू की जा सकती है।

[अनुवाद]

सेना के लिए हेलिकाप्टरों की खरीद

2789. श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया: क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या संयुक्त राज्य अमेरिका ने भारतीय सेना के लिए 197 हेलिकाप्टरों की खरीद के एक प्रस्तावित सौदे में एक अमेरिकी फर्म की निरर्हता के बारे में आपत्ति की है;

(ख) यदि हां, तो फर्म की प्रामाणिकता के बारे में संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा उठाए गए मुद्दों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) हेलिकाप्टरों की खरीद के लिए क्या निर्णय लिया गया है और फर्म के साथ क्या समझौता, अगर कोई है, किया गया है?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी): (क) अमेरिकी सरकार ने भारतीय सेना के चीता/चेतक हेलिकाप्टरों के लिए एक प्रतिस्थानी हेलिकाप्टर की अधिप्राप्ति के मामले में मैसर्स बेल हेलिकाप्टर कंपनी की निरर्हता के बारे में अपनी चिंता व्यक्त की थी।

(ख) अमेरिकी सरकार ने फर्म की प्रामाणिकता के बारे में कोई मामला नहीं उठाया है।

(ग) बेल हेलिकाप्टर कंपनी द्वारा पेश किए गए हेलिकाप्टर को सेना फील्ड परीक्षणों के आधार पर बनाए गए जनरल स्टाफ मूल्यांकन के अनुसार तकनीकी रूप से अर्हक नहीं पाया गया। फर्म के साथ कोई समझौता नहीं किया गया है और न ही किए जाने का प्रस्ताव है।

रक्षा बलों में विदेशियों की नियुक्ति

2790. श्री निखिल कुमार: क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही में रक्षा बलों में कुछ विदेशी नागरिकों की नियुक्ति की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य और ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार रक्षा बलों में नियुक्त किए गए नए कार्मिकों के पूर्ववृत्त की पुन: जांच करवाने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी): (क) और (ख) रक्षा बलों में भर्ती अर्हक भारतीय नागरिकों और नेपाल एवं भूटान जैसे कतिपय देशों की प्रजा के लिए खुली है। रक्षा बलों में भर्ती मौजूदा भर्ती नीति के अनुसार की गयी है।

(ग) और (घ) रक्षा बलों में भर्ती के लिए शामिल हो रहे सभी उम्मीदवारों के निवास स्थान/राष्ट्रीयता, आयु और शैक्षिक योग्यता आदि की संवीक्षा करने के लिए कठोर जांच मानदंड मौजूद हैं। इन मानदंडों का अनुपालन करने के लिए भर्ती अधिकारियों/केन्द्रों द्वारा समुचित सावधानी बरती जा रही है। इनके अलावा, रंगरूटों के चरित्र और पूर्व वृत्तांत की संबद्ध पुलिस/आसूचना प्राधिकारियों के माध्यम से सत्यापन कराया जाता है।

जूट मिलों/कारखानों द्वारा भविष्य निधि, उपदान तथा पेंशन निधि का दुर्विनियोजन

2791. श्री अमिताभ नन्दी: क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विभिन्न जूट मिलों/कारखानों के प्रबंधन द्वारा कामगारों के भविष्य निधि, उपदान एवं पेंशन निधियों के दुर्विनियोजन के बारे में सरकार द्वारा कोई आकलन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और इसके क्या परिणाम निकले;

(ग) क्या ऐसे कामगारों के हितों की रक्षा के लिए सरकार द्वारा कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या पीड़ितों को कोई मुआवजा दिया गया था; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ऑस्कर फर्नांडीस): (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

इमारती लकड़ी की अवैध ढुलाई

2792. श्री मणि शारेनामै: क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इमारती लकड़ी की अवैध ढुलाई को रोकने में राज्य वन विभाग की मदद के लिए प्रादेशिक सेना का उपयोग किया गया है;

(ख) यदि हां, तो किन राज्यों में प्रादेशिक सेना का उपयोग किया गया और इस प्रयोजनार्थ कितने कार्मिकों को लगाया गया;

(ग) क्या इमारती लकड़ी माफिया पूर्वोत्तर भारत में कार्य कर रहे हैं; और

(घ) यदि हां, तो इमारती लकड़ी के वृक्षों को अनियंत्रित रूप से काटने एवं इनकी ढुलाई को विशेषकर पूर्वोत्तर राज्यों में रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी): (क) से (घ) वनरोपण, रेत के टीलों के स्थिरीकरण, जल संभर प्रबंधन, खनन क्षेत्रों के सम्पोषण और जीर्णोद्धार के विशिष्ट कार्यों के लिए प्रादेशिक सेना के अंतर्गत पारिस्थितिकी कार्य बलों की स्थापना की गई है। केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकारों द्वारा वित्तपोषित कार्य बल दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, जम्मू और कश्मीर में स्थित हैं। प्रादेशिक सेना का इमारती लकड़ी के अवैध परिवहन की जांच करने में राज्य वन विभाग की सहायता करने में उपयोग नहीं किया गया है।

[हिन्दी]

टेलीफोन कनेक्शनों की असंतोषजनक स्थिति

2793. श्री मित्रसेन यादव:
श्री सुभाष सुरेशचंद्र देशमुख:

क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में विशेषकर उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) के टेलीफोन कनेक्शन संतोषजनक रूप से कार्य नहीं कर रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार एवं स्थान-वार ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) पूर्वी उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों सहित देशभर में भारत संचार निगम लिमिटेड द्वारा लगाए गए टेलीफोन कनेक्शन आमतौर पर संतोषजनक ढंग से कार्य कर रहे हैं। तथापि, कई बार केबल चोरी और केबल को क्षति पहुंचने इत्यादि के कारण कुछ टेलीफोनों की सेवाओं में व्यवधान आ जाता है, परंतु इन्हें तुरंत दुरस्त कर दिया जाता है।

(ख) उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

भारत के लिए अमेरिकी रक्षा प्रस्ताव

2794. श्री रशीद मसूद: क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या संयुक्त राज्य अमेरिका ने भारत को "हज्जारी नव सेना" की अवधारणा का प्रस्ताव किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस प्रस्ताव से किन लाभों को प्राप्त किए जाने का लक्ष्य है; और

(घ) उक्त परियोजना किस सीमा तक क्रियान्वित की गई है?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी): (क) से (घ) "हज्जारी नव सेना" की अवधारणा अमेरिका के चीफ आफ नेवल ओपरेशन्स के द्वारा सितंबर, 2005 में अमेरिका में हुई एक संगोष्ठी के दौरान प्रतिपादित की गई थी। यह अवधारणा विश्व भर की विभिन्न सामुद्रिक एजेंसियों के बीच सामुद्रिक अधिकार क्षेत्र की जागरूकता संबंधी सूचना का आदान-प्रदान करने से संबंधित है ताकि समुद्रों को सभी राष्ट्रों के उपयोग के लिए सुरक्षित बनाया जा सके। चूंकि यह एक अवधारणा थी, इस पर कोई कार्रवाई करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

गायों की संख्या में कमी

2795. श्री संतोष गंगवार: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गायों की भारतीय नस्लें विलुप्त होने के कगार पर हैं जैसा कि दिनांक 15 जुलाई, 2007 के "जनसत्ता" में समाचार प्रकाशित हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह): (क) और (ख) 17वीं पशुधन गणना के अनुसार, देश में स्वदेशी गोपशु संख्या में 1997 से 2003 की अंतर-गणनीय अवधि के दौरान 10.2% की गिरावट आई है। देश में गोपशु की विभिन्न स्वदेशी नस्लों की वास्तविक स्थिति जानने के उद्देश्य से, सरकार ने 18वीं पशुधन गणना का आयोजन नस्लवार करने का निर्णय लिया है। सरकार द्वारा स्वदेशी गोपशु नस्लों के विकास एवं संरक्षण के लिए चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं का ब्यौरा संलग्न विवरण-I और II में दिया गया है।

विवरण I

गोपशु के विकास तथा संरक्षण के लिए सरकार द्वारा क्रियान्वित की जा रही योजनाओं

क्र.सं.	योजना का नाम	योजना का उद्देश्य
1	2	3
	क. केंद्रीय प्रायोजित योजना	
1.	राष्ट्रीय गोपशु तथा भैंस प्रजनन परियोजना	इस परियोजना में प्राथमिकता आधार पर बोवाइन संख्या के आनुवंशिक उन्नयन तथा स्वदेशी नसलों के विकास और संरक्षण की व्यवस्था है।
2.	चारा विकास के लिए राज्यों को सहायता	यह योजना राज्यों को आहार तथा चारा विकास के क्षेत्र में उनके प्रयासों की प्रतिपूर्ति के लिए केंद्रीय सहायता प्रदान करती है।

1	2	3
3.	पशु रोगों के नियंत्रण के लिए राज्यों को सहायता	टीकाकरण, पशुचिकित्सा जैवकीय उत्पाद यूनिटों तथा रोग नैदानिक प्रयोगशालाओं का सुदृढ़ीकरण, पशुचिकित्सकों और पैरा-पशुचिकित्सकों को सेवाधीन प्रशिक्षण के जरिए आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण रोगों के नियंत्रण के लिए सहायता प्रदान की जाती है।
4.	राष्ट्रीय पशुप्लेग उन्मूलन परियोजना	पशुप्लेग के किसी भी प्रकार के छुपे हुए मामलों का पता लगाने के लिए गांव, स्टाक रूट तथा संस्थागत खोजों के जरिए वास्तविक निगरानी करना।
5.	पशुधन बीमा	आनुवंशिक रूप से उन्नत/उच्च पैदावार वाले पशुओं की हानि के संबंध में किसानों की रक्षा करना।
	ख. केंद्रीय क्षेत्र की योजना	
1.	केंद्रीय गोपशु प्रजनन फार्म	गोपशु विकास कार्यक्रमों के उपयोग के संबंध में वितरण के लिए स्वदेशी गोपशु नस्ल अर्थात् थारपरकर तथा रैडसिंधी के उच्च गुणवत्ता वाले सांड़ बछड़ों का उत्पादन करना।
2.	केंद्रीय पशुयूथ पंजीकरण योजना	स्वदेशी गोपशु नस्लों के श्रेष्ठ जर्मप्लाज्म की पहचान, श्रेष्ठ आनुवंशिक स्टाक का प्रचार, बिक्री एवं खरीद को नियमित करना, प्रजनन संघों का गठन करना तथा राज्यों में स्वदेशी सांड़ों की आवश्यकता को पूरा करना।
3.	क्षेत्रीय चारा उत्पादन एवं प्रदर्शन केंद्र	चारा फसलों तथा पाश्चर घास/लैग्यूम की उच्च पैदावार वाली किस्मों के प्रमाणिक बीजों का उत्पादन, प्रदर्शन तथा प्रचार करना।

विवरण II

विगत तीन वर्षों के दौरान केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं के तहत जारी धनराशि

(लाख रुपए में)

क्र.सं.	योजना का नाम	वर्ष			कुल
		2004-05	2005-06	2006-07	
1.	राष्ट्रीय गोपशु तथा भैंस प्रजनन परियोजना	67.95	90.93	119.34	278.22
2.	चारा विकास के लिए राज्यों को सहायता	11.90	11.62	33.09	56.61
3.	पशु रोगों के नियंत्रण के लिए राज्यों को सहायता	54.50	71.66	72.46	198.62
4.	राष्ट्रीय पशुप्लेग उन्मूलन परियोजना	6.95	6.85	6.98	20.78
5.	पशुधन बीमा	0.00	24.21	50.60	74.81
	कुल	141.3	205.27	282.47	629.04

आई.सी.ए.आर. द्वारा बीजों की पहचान

2796. **श्री राजीव रंजन सिंह 'ललन':**
श्री सूरज सिंह:
श्री सुनील खां:

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार तथा असम में वर्षा एवं बाढ़ के कारण खरीफ फसल की बुआई में विलंब हुआ है;

(ख) यदि हां, तो क्या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) ने कतिपय बीजों की पहचान की है जिन्हें देर से बोया जा सकता है;

(ग) यदि हां, तो ऐसे बीजों के नाम क्या हैं और क्या देश में इन बीजों की उपलब्धता है;

(घ) क्या सरकार ने इन बीजों को उपलब्ध कराने के लिए कोई प्रबंध किया है; और

(ङ) यदि हां, तो प्रत्येक राज्य को अभी तक कितनी मात्रा में बीजों का आबंटन किया गया गया है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) से (ङ) सरकार "गुणवत्ता बीजों के उत्पादन और वितरण हेतु अवसंरचनात्मक सुविधाओं का विकास और सुदृढ़ीकरण" नामक केन्द्रीय क्षेत्रीय स्कीम के एक घटक "बीज बैंक की स्थापना और रख-रखाव का समर्थन कर रही है ताकि प्राकृतिक आपदाओं और अप्रत्याशित परिस्थितियों जैसे बाढ़ की स्थिति में बीजों की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके। राष्ट्रीय बीज निगम और भारतीय राज्य फार्म निगम सहित सभी राज्य बीज निगमों को वर्ष 2007-08 के लिए चिन्हित उपयुक्त अल्पावधि फसलों/किस्मों के प्रमाणित बीज रखने के लिए लक्ष्य दिए गए हैं। बीज बैंक में रखे जाने वाले विभिन्न फसल प्रमाणित बीज का ब्यौरा संलग्न विवरण-I और II में दिया गया है। उपर्युक्त के अलावा, खरीफ 2007 और रबी 2007-08 के दौरान उत्तर प्रदेश और बिहार को आबंटित दलहनों, तिलहनों तथा मक्का के बीज मिनिकिटों के ब्यौरे संलग्न विवरण-III में दिए गए हैं।

विवरण I

वर्ष 2007-08 के दौरान बीज बैंक में प्रमाणित बीजों के भौतिक लक्ष्य/रख-रखाव का ब्यौरा

(मात्रा क्विंटल में)

क्र.सं.	फसल	एपीएस एसडीसी	बीआर बीएन	जीएस एससी	एचएस डीसी	केएस एससी	एमएस एससी	एमपीएस एफडीसी	एनएससी	एसएफ सीआई	ओएस एससी	आरएस एससी	तमिलनाडु	यूपीएस डीसी	यूएस टीडीसी	एंड डब्ल्यूबी एसएससी	पीएस एससी	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1.	गेहूं	-	1000	-	1000	500	2000	1000	8000	6000	-	2000	-	5000	3000	300	2000	31800
2.	धान	3200	1000	-	700	3500	-	500	7000	5000	3500	200	2000	2000	1010	3200	500	33310
3.	सोरघम	-	-	-	-	1000	300	200	700	300	-	-	-	-	-	-	-	2500
4.	बाजरा	-	-	300	300	200	300	-	150	-	-	200	-	100	-	-	-	3350
5.	मक्का	-	500	-	-	-	-	100	400	300	-	-	-	-	-	-	-	1300
6.	चना	150	200	300	500	1000	800	350	1500	1000	-	500	-	100	-	-	-	6400
7.	मटर	-	-	-	-	-	-	100	1000	500	-	-	-	100	-	-	-	1700
8.	उड़द	100	200	-	200	-	150	100	2000	500	-	-	100	200	600	100	-	4250
9.	मूंग	350	250	400	250	200	150	150	1600	500	-	3000	100	-	-	50	200	7500

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
10.	मसूर	50	250	-	200	-	-	200	1000	500	200	-	-	100	-	250	-	2750
11.	अरहर	-	-	150	150	300	100	100	1000	500	300	-	-	-	-	-	-	2300
12.	मूंगफली	2200	-	1700	-	-	200	-	2200	3800	-	200	200	100	-	1100	-	12700
13.	सोयाबीन	-	-	-	-	-	1200	2200	2200	-	-	-	-	500	800	-	-	6900
14.	सूरजमुखी	-	-	-	-	200	50	-	500	-	1000	-	-	-	-	-	50	800
15.	तोरिया/सरसो	-	500	-	800	-	-	150	4000	2000	-	1500	-	300	800	500	20	11070
16.	राजमा	-	-	-	-	-	-	-	-	50	-	-	-	-	-	-	-	50
17.	तिल	50	-	100	50	-	50	50	-	-	500	-	200	-	40	250	-	790
18.	कपास	-	-	75	500	100	-	100	-	100	-	-	-	-	-	-	100	975
19.	एरण्ड	100	-	300	-	-	-	-	2650	-	-	100	-	-	-	-	-	3150
20.	कुसुम	-	-	-	-	-	100	50	-	100	-	-	100	-	-	-	-	350
21.	लोबिया	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	200
22.	तारामीरा	-	200	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	300
23.	जौ	-	-	-	-	-	-	-	-	250	-	1000	-	-	-	-	-	1250
24.	रागी	-	-	-	-	200	-	-	200	-	-	-	-	-	-	-	-	400
25.	ग्वार	-	-	-	500	-	-	-	-	500	-	200	-	-	-	-	-	1200
26.	अलसी	-	-	-	-	-	-	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50
	योग	6200	4100	3325	5150	7300	5400	5400	36100	22000	5500	10700	2800	8500	6250	5750	2870	137345

विवरण II

2007-08 के दौरान पूर्वोत्तर राज्यों (एनईएस) में बीज बैंक हेतु प्रमाणित बीजों के भौतिक लक्ष्य/रखरखाव के ब्यौरे

(मात्रा क्विंटल में)

क्र.सं.	फसल	एनएससी	एफएसएफसीआई	एएससी	यूएएस एंड डीसी	कुल
1	2	3	4	5	6	7
1.	गेहूं	1500	2000	-	2500	6000
2.	धान	2900	1500	5000	8500	17900
3.	मक्का	100	-	-	-	100

1	2	3	4	5	6	7
4.	उड़द	250	–	1000	1500	2750
5.	मूंग	500	–	500	–	1000
6.	मसूर	50	100	–	–	150
7.	सोयाबीन	125	–	–	–	125
8.	सरसों	225	100	1000	1000	2325
9.	चना	–	1000	–	–	1000
10.	मटर	–	200	–	–	200
	सकल योग	5650	4900	7500	13500	31550

विवरण III

खरीफ 2007 और रबी 2007-08 के दौरान उत्तर प्रदेश और बिहार को आबंटित दलहनों, तिलहनों तथा मक्का के बीज मिनिकिटों के ब्यौरे

(मात्रा क्विंटल में)

फसल/बीमा	बिहार		उत्तर प्रदेश	
	किटों की संख्या	मात्रा क्विंटल में	किटों की संख्या	मात्रा क्विंटल में
1	2	3	4	5
खरीफ 2007	2750	110	5500	220
अरहर-मालवीय चमत्कार	–	–	2500	100
अरहर-नरेन्द्र अरहर-1	7500	300	16000	640
उड़द-उत्तरा	–	–	4300	172
उड़द-आजाद उड़द-2	4200	168	7500	300
मूंग-पीडीएम-4	12500	500	40000	1600
रबी 2007-08				
तोरिया-जेएमटी-689	36500	730	5650	113
सरसो-अग्रानी	45000	900	5000	100
सरसो-अरवाली	10000	200	6400	128
सरसो-जगन्नाथ	50000	1000	1000	20
सरसो-वसुंधरा	5000	100	16000	320

1	2	3	4	5
सरसो-स्वर्ण ज्योती	10000	200	10000	200
सरसो-जेडी-6	22500	450	5750	115
सरसो-जमुका	589	11.72	–	–
सरसो-डीएमएच-1	2700	27	2000	20
सरसो-लक्ष्मी	–	–	50000	1000
सरसो-नरेंद्र अगती राय-4	–	–	10600	212
सरसो-आरजीएन-13	–	–	5000	100
सरसो-क्रांति	–	–	78	1.56
सरसो-आरके 9501 (उर्वशी)	–	–	35000	700
योग	145789	2888.78	146828	2916.56
अलसी-शेखर	–	–	500	15
चना-जीजी-4	6875	550	–	–
चना-विशाल	–	–	19375	1550
चना-डीसीपी 92-3	–	–	22000	1760
चना-सदभावना	–	–	100	8
चना-पीजी-186	–	–	1065	85.20
चना-बीजी-1053	–	–	585	46.8
चना-सम्राट	–	–	35000	2800
चना-बीजीडी-72	–	–	5000	400
चना-अलोक	–	–	940	75.2
योग	6875	550	84065	6725.50
मसूर-एचयूएल-57	1700	68	–	–
मसूर-पीएल-5	1450	58	4000	160
मसूर-एनडीएल-1	–	–	325	13
मसूर-डीपीएल-62	–	–	17375	695
योग	3150	126	21700	868
मटर-डीबीआर-23	267	21.36	–	–

1	2	3	4	5
मटर-एचयूडीपी-15	3500	280	6250	500
मटर-आईएफपी-99-25	–	–	1976	158.08
मटर-उत्तरा	–	–	4250	340
मटर-सपना	–	–	1000	80
मटर-केपीएमआर-522	–	–	4000	320
योग	3767	301.36	17479	1398.08
राजमा-आईआईपीआर 96-4	500	15	1400	42
राजमा-आईआईपीआर 98-5	–	–	966	28.98
योग	500	15	2366	70.98
मक्का-बायो-9637	10000	200	10000	200

[अनुवाद]

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) की स्वायत्तता के बारे में प्रतिवेदन

2797. श्री पी.एस. गढ़वी: क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) की स्वायत्तता एवं स्वतंत्रता के बारे में प्रतिवेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है;

(ग) क्या स्वशासी निकाय होने के कारण ट्राई उच्च स्तर के अधिकारियों तथा मंत्रियों को प्रतिवेदन दे रहा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) गत एक वर्ष के दौरान किन विषयों पर ऐसे प्रतिवेदन दिए गए हैं; और

(च) सरकार द्वारा पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं कि विनियामक प्राधिकारियों की कार्रवाई में कोई हस्तक्षेप न हो?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) और (ख) जी, नहीं। तथापि, एक अभ्यावेदन में भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) में भर्ती/चयन से संबंधित मामलों में तटस्थता और निष्पक्षता के मुद्दे उठाए गए थे। इन मामलों की विस्तारपूर्वक जांच की गई थी और यह पाया गया था कि ट्राई में कर्मचारी की नियुक्ति/चयन के लिए ट्राई (अधिकारी और स्टाफ नियुक्ति) विनियम, 2001 में यथा निर्धारित प्रक्रिया का पालन किया जा रहा है।

(ग) और (घ) अपने कर्त्तव्य निभाने के लिए ट्राई को विभिन्न विनियम तैयार करने होते हैं और विभिन्न स्टेकधारकों को शामिल करते हुए, एक स्पष्ट रूप से परिभाषित परामर्श प्रक्रिया के आधार पर सिफारिशें करनी होती हैं। ट्राई, दूरसंचार क्षेत्र के विनियामक के रूप में अपने कर्त्तव्य को निभाते हुए भी आदेश और निदेश जारी करता है।

परामर्श प्रक्रिया के दौरान, सरकार के उच्च स्तरीय अधिकारियों और मंत्रियों को प्रस्तुतीकरण भी देने होते हैं, क्योंकि सरकार भी एक स्टेकधारक है।

(ङ) पिछले एक वर्ष के दौरान, विभिन्न मुद्दों जैसे लाइसेंसिंग, स्पेक्ट्रम की साझेदारी, तथा अवांछित वाणिज्यिक कालों इत्यादि के संबंध में प्रस्तुतीकरण दिए गए थे।

(च) उपर्युक्त भाग (ग) से (ङ) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

फलों एवं सब्जियों के मूल्यों में वृद्धि

2798. श्री हरिभाऊ राठौड़: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विभिन्न राज्यों में निवाशकारी बाढ़ के कारण फसलों, फलों एवं सब्जियों को क्षति पहुंची है;

(ख) यदि हां, तो क्या सब्जियों एवं फलों की कीमतें आसमान छूने लगी है;

(ग) यदि हां, तो क्या खाद्यान्नों की कमी एवं मूल्य वृद्धि की संभावना है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और खाद्यान्नों की पर्याप्त आपूर्ति बनाए रखने तथा मूल्य वृद्धि को रोकने के लिए क्या कार्रवाई की गई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) से (घ) खेतों में खड़ी फसलों, फलों तथा सब्जियों को प्रभावित करने के अलावा बाढ़ फलों तथा सब्जियों की ढुलाई तथा उनके बाजार में आगम को प्रभावित करती है। सब्जियों का थोक मूल्य सूचकांक 14.7.2007 को एक माह पूर्व 261.9 से 11.8.2007 को 267.1 तक मामूली रूप से बढ़ा है। फलों के थोक मूल्य सूचकांक में भी इसी अवधि के दौरान 216.2 से 218.2 तक की मामूली वृद्धि हुई है। चौथे अग्रिम अनुमान के अनुसार खाद्यान्नों का अखिल भारतीय उत्पादन 2005-06 के दौरान 208.60 मिलियन टन की तुलना में वर्ष 2006-07 (जूलाई-जून) के लिए 216.13 मिलियन टन है। खाद्यान्नों की आपूर्ति, भण्डारण, बाजार आगम तथा कीमतें सरकार द्वारा नियमित रूप से मानिटर की जाती हैं।

[हिन्दी]

औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को मान्यता

2799. श्री चन्द्रभान सिंह: क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राज्यों में चल रहे सभी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आई.टी.आई.) केंद्र सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो केंद्र सरकार द्वारा अभी तक मान्यता नहीं प्राप्त करने वाले इन औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आई.टी.आई.) को मान्यता देने के बारे में कोई निर्णय लिया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ऑस्कर फर्नांडीस): (क) से (घ) औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना संबंधित राज्य के वित्तीय व प्रशासनिक नियंत्रणाधीन की जाती है। केन्द्र सरकार समग्र नीतियों, मानकों, संस्थानों के संबंधन, व्यवसाय परीक्षण एवं प्रमाणीकरण हेतु उत्तरदायी है। इच्छुक संस्थान के उन व्यवसायों/इकाइयों को संबंधन/मान्यता प्रदान की जाती है, जो भारत सरकार के सलाहकार निकाय, राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद (एनसीवीटी) द्वारा निर्धारित किए गए मानदंडों को पूरा करते हों। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के जिन व्यवसायों/इकाइयों को राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद द्वारा संबंधन प्रदान नहीं किया जाता, उन्हें राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद (एनसीवीटी) द्वारा मान्यता प्रदान की जाती है। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों/औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्रों का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

विभिन्न राज्यों/संघ शासित प्रदेशों में सरकारी व निजी औ.प्र.सं./औ.प्र. केंद्रों की क्षेत्र-वार संख्या

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित प्रदेश का नाम	सरकारी औ.प्र.सं. की संख्या	निजी औ.प्र. केंद्रों की संख्या	कुल औ.प्र.सं./ औ.प्र. केंद्र
1	2	3	4	5
	उत्तरी क्षेत्र			
1.	हरियाणा	81	25	106
2.	हिमाचल प्रदेश	55	8	63

1	2	3	4	5
3.	जम्मू-कश्मीर	38	0	38
4.	पंजाब	110	71	181
5.	राजस्थान	91	45	136
6.	उत्तर प्रदेश	185	128	313
7.	चंडीगढ़	2	0	2
8.	दिल्ली	14	48	62
9.	उत्तरांचल	57	16	73
	उप-योग	633	341	974
	दक्षिणी क्षेत्र			
1.	आंध्र प्रदेश	92	476	568
2.	कर्नाटक	131	610	741
3.	केरल	82	467	549
4.	तमिलनाडु	71	605	676
5.	लक्षद्वीप	1	0	1
6.	पांडिचेरी	7	8	15
	उप-योग	384	2166	2550
	पूर्वी क्षेत्र			
1.	अरुणाचल प्रदेश	2	0	2
3.	असम	24	3	27
3.	बिहार	29	29	58
4.	झारखंड	14	22	36
5.	मणिपुर	7	0	7
6.	मेघालय	5	2	7
7.	मिजोरम	1	0	1

1	2	3	4	5
8.	नागालैंड	3	0	3
9.	उड़ीसा	27	147	174
10.	सिक्किम	1	0	1
11.	त्रिपुरा	4	0	4
12.	पश्चिम बंगाल	49	18	67
13.	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	1	0	1
	उप-योग	167	221	388
	पश्चिमी क्षेत्र			
1.	गोवा	11	4	15
2.	गुजरात	135	129	264
3.	मध्य प्रदेश	136	33	169
4.	छत्तीसगढ़	80	57	137
5.	महाराष्ट्र	347	267	614
6.	दादर व नगर हवेली	1	0	1
7.	दमन व दीव	2	0	2
	उप-योग	712	490	1202
	कुल योग	1896	3218	5114

[अनुवाद]

नारियल का मूल्य

2800. श्री पी.सी. गद्दीगडडर: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही में कर्नाटक में नारियल के मूल्य में काफी कमी हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और इसके कारण क्या हैं; और

(ग) नारियल उत्पाद राज्यों में नारियल उत्पादकों की मदद के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) और (ख) जी हां, श्रीमान जी, निम्नलिखित सूचना में कर्नाटक के प्रमुख विपणनों में नारियल के मासान्त थोक मूल्यों में गिरावट की सामान्य प्रवृत्ति को दर्शाया गया है:

(रुपये प्रति यूनिट)

नारियल की किस्म	कर्नाटक में विपणन	यूनिट	दिनांक					
			जनवरी 2006	अप्रैल 2006	अगस्त 2006	दिसम्बर 2006	अप्रैल 2007	अगस्त 2007
राशि	अरिस्केर	1000 गिरियां	4000	4000	4500	4000	4000	4000
सार्ट-1	मैंगलोर	1000 गिरियां	7500	7250	7150	7650	7100	6600
सार्ट-2	मैंगलोर	1000 गिरियां	5500	5250	5150	5650	5100	4600

2004 तथा 2005 मौसम में बीमारी के कारण नारियल फसलों में हानि के कारण सप्लाई में संबंधित कमी 2006 मौसम में अच्छी पैदावार हुई। कर्नाटक में चालू विपणन मौसम के दौरान, शीर्ष अवधि (अर्थात जून, सितम्बर 2007) के दौरान विपणन आगमन में परिणामस्वरूप वृद्धि हुई।

(ग) भारत सरकार मूल्य समर्थन स्कीम का कार्यान्वयन यह सुनिश्चित करने के लिए करती है कि किसान विपणन में आधिक्य के कारण अपने उत्पाद को संकट बिक्री के लिए बाध्य नहीं हों। पीएसए के अंतर्गत, सरकार कृषि लागत और मूल्य आयोग की सिफारिशों के आधार पर जिसमें महत्वपूर्ण फसलों नारियल/खोपरा शामिल हैं, के लिए न्यूनतम मूल्य का निर्धारण करती है तथा नामित सरकारी एजेंसियों के माध्यम से फसलों का प्रापण करती है। वर्ष 2007-08 के लिए मिलिंग तथा बाल खोपरा के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण क्रमश: 3620 रुपए प्रति क्विंटल तथा 3870 रुपए प्रति क्विंटल किया गया है।

कर्नाटक में मुख्यत: बाल खोपरा का उत्पादन होता है। यह उल्लेखनीय है कि गिरी को खोपरा में परिवर्तित करने के पश्चात कर्नाटक में बाल खोपरा का बाजार मूल्य सामान्त: इसके न्यूनतम समर्थन मूल्य से अधिक रहा है। हालांकि बाजार में संकटग्रस्त मूल्य को ध्यान में रखते हुए नैफेड ने बाजार में दखल दिया है तथा वर्तमान मौसम में बाल खोपरा 19 हजार मीट्रिक टन प्राप्त किया है।

संगठित क्षेत्र में रोजगार

2801. श्री के. सुब्बारायण: क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष संगठित क्षेत्र विशेषकर विनिर्माण एवं सेवा क्षेत्रों द्वारा राज्य-वार एवं क्षेत्र-वार कितने रोजगार दिए गए;

(ख) उक्त अवधि के दौरान विनिर्माण एवं सेवा क्षेत्रों में राज्य-वार एवं क्षेत्र-वार रोजगार सृजन में कितनी वृद्धि/कमी हुई है; और

(ग) संगठित क्षेत्र में रोजगार सृजन के लिए कौन सी योजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं?

श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ऑस्कर फर्नांडीस): (क) और (ख) विनिर्माण तथा सेवा क्षेत्रों में कर्मचारियों की संख्या से संबंधित राज्य-वार सूचना संलग्न विवरण में है।

(ग) सरकार योजना अवधि के दौरान सामान्य विकास प्रक्रिया तथा विशेष योजनाओं/कार्यक्रमों के माध्यम से रोजगार सृजित करने का प्रयास कर रही है। 11वीं पंचवर्षीय योजना के दृष्टिकोण पत्र में समस्त अर्थव्यवस्था हेतु 11वीं योजना के दौरान 70 मिलियन रोजगार अवसरों के सृजन की परिकल्पना की गई है।

विवरण

कर्मचारियों की क्षेत्रवार संख्या

(हजार में)

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित प्रदेश	विनिर्माण क्षेत्र			पूर्व वर्ष के दौरान अंतर		सेवा क्षेत्र			पूर्व वर्षों के दौरान अंतर	
		2003	2004	2005	2004	2005	2003	2004	2005	2004	2005
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	हरियाणा	213.05	212.30	212.23	-0.75	-0.07	354.06	353.05	351.69	-1.01	-1.36

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.	पंजाब	208.50	210.42	211.21	1.92	0.79	489.73	499.97	457.88	10.24	-42.09
3.	हिमाचल प्रदेश	@	@	43.91	-	-	@	@	179.87	-	-
4.	चंडीगढ़	11.88	11.82	10.98	-0.06	-0.84	67.17	67.61	67.44	0.44	-0.17
5.	दिल्ली	118.79	117.75	114.92	-1.04	-2.83	660.99	659.11	653.79	-1.88	-5.32
6.	राजस्थान	167.65	165.07	164.63	-2.58	-0.44	861.28	860.79	867.44	-0.49	6.65
7.	जम्मू-कश्मीर	@	@	@	-	-	@	@	@	-	-
8.	मध्य प्रदेश	153.20	149.09	145.61	-4.11	-3.48	749.94	729.83	714.16	-20.11	-15.67
9.	छत्तीसगढ़	@	58.64	58.71	-	0.07	@	193.45	193.37	-	-0.08
10.	उत्तर प्रदेश	347.68	336.42	324.43	-11.26	-11.99	1537.61	1531.54	1513.78	-6.07	-17.76
11.	उत्तरांचल	34.14	32.98	33.75	-1.16	0.77	174.13	171.56	172.34	-2.57	0.78
12.	असम	32.55	32.56	32.90	0.01	0.34	415.29	413.11	411.06	-2.18	-2.05
13.	मेघालय	@	@	@	-	-	@	@	@	-	-
14.	मणिपुर	@	1.19	1.19	-	0.00	@	64.76	64.76	-	0.00
15.	मिजोरम	@	@	@	-	-	@	@	@	-	-
16.	नागालैंड	0.48	0.46	0.73	-0.02	0.27	54.61	56.35	56.81	1.74	0.46
17.	त्रिपुरा	@	@	@	-	-	@	@	@	-	-
18.	बिहार	@	33.05	33.05	-	0.00	@	448.91	448.91	-	0.00
19.	झारखंड	@	225.12	224.31	-	-0.81	@	224.79	231.25	-	6.64
20.	उड़ीसा	100.66	91.21	92.78	-9.45	1.57	509.01	512.52	515.13	3.51	2.61
21.	पश्चिम बंगाल	@	512.38	492.99	-	-19.39	@	1013.76	1005.70	-	-8.06
22.	गुजरात	613.92	613.69	636.30	-0.23	22.61	874.54	860.95	907.16	-13.59	46.21
23.	महाराष्ट्र	937.81	910.35	877.46	-27.46	-32.89	2325.23	2328.74	2343.98	3.51	15.24
24.	गोवा	@	16.66	25.86	-	9.20	@	25.30	54.72	-	29.42
25.	दमन व दीव	@	@	@	-	-	@	@	@	-	-
26.	आंध्र प्रदेश	494.42	475.54	483.28	-18.88	7.74	1400.67	1382.30	1356.48	-18.37	-25.82
27.	कर्नाटक	587.11	549.69	561.69	-37.42	12.00	1112.18	1124.47	1160.00	12.29	35.53
28.	केरल	298.70	310.72	254.50	12.02	-56.22	750.46	744.12	740.23	-6.34	-3.89

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29.	पांडिचेरी	17.07	18.56	19.10	1.49	0.54	33.17	36.09	37.05	2.92	0.96
30.	तमिलनाडु	625.43	521.28	531.25	-104.15	9.97	1522.84	1516.13	1518.05	-6.71	1.92
31.	अंडमान व निकोबार	4.01	1.82	1.82	-2.19	0.00	24.68	24.90	24.99	0.22	0.09
	योग	4967.05	5712.77	5589.58	745.72	-123.19	13917.59	15844.11	16048.04	1926.52	203.93

@उपलब्ध नहीं

ग्रामीण मजदूरों एवं युवाओं को रोजगार

2802. श्री अजय चक्रवर्ती:
श्री ई.जी. सुगावनम:

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आज की स्थिति के अनुसार देश में ग्रामीण क्षेत्रों में राज्य-वार कितने बेरोजगार मजदूर/युवा हैं;

(ख) इनमें से कुशल, अर्द्धकुशल, शिक्षित तथा अशिक्षित बेरोजगार मजदूरों/युवाओं की राज्य-वार संख्या कितनी है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष तथा इसके पश्चात् ग्रामीण क्षेत्रों में सरकार द्वारा राज्य-वार कितने कुशल, अर्द्धकुशल, शिक्षित तथा अशिक्षित मजदूरों/युवाओं को रोजगार प्रदान किया गया;

(घ) क्या सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में सभी बेरोजगार मजदूरों/युवाओं को रोजगार प्रदान करने के लिए कोई विशेष कार्यक्रम/योजनाएं तैयार की हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ऑस्कर फर्नांडीस): (क) 31.12.2006 की स्थिति के अनुसार देश के ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार कार्यालयों में पंजीकृत युवाओं सहित रोजगार चाहने वालों, जिनमें यह आवश्यक नहीं कि सभी बेरोजगार हों, की राज्य-वार संख्या संलग्न विवरण-I में दी गई है।

(ख) 31.12.2005 को देश के ग्रामीण तथा शहरी दोनों क्षेत्रों में रोजगार कार्यालयों में पंजीकृत युवाओं सहित शिक्षित तथा अशिक्षित रोजगार चाहने वालों की राज्य-वार संख्या संलग्न विवरण-II में दी गई है।

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान सार्वजनिक निजी दोनों क्षेत्रों सहित ग्रामीण तथा शहरी दोनों क्षेत्रों में रोजगार कार्यालयों के माध्यम से किया गया नियोजन संलग्न विवरण-III में दिया गया है।

(घ) और (ङ) सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षित एवं अशिक्षित दोनों ही प्रकार के बेरोजगार व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध करावने के लिए स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 इत्यादि जैसे विशेष रोजगार सृजन योजनाएं कार्यान्वित कर रही है। 11वीं पंचवर्षीय योजना के दृष्टिकोण पत्र में 11वीं योजना के दौरान 70 मिलियन रोजगार सृजित करने की परिकल्पना की गई है। ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन योजनाओं का ब्यौरा संलग्न विवरण-IV में दिया गया है।

विवरण I

31 दिसम्बर, 2006 को रोजगार कार्यालयों में पंजीकृत रोजगार चलाने वाले ग्रामीणों की राज्य-वार संख्या

(हजार में)

राज्य/संघ शासित प्रदेश	2006
1	2
आंध्र प्रदेश	1516.7
अरुणाचल प्रदेश	2.4
असम	1183.6
बिहार	1116.1
छत्तीसगढ़	651.7

1	2
दिल्ली	112.1
गोवा	71.5
गुजरात	465.3
हरियाणा	701.2
हिमाचल प्रदेश	674.2
जम्मू-कश्मीर	44.1
झारखंड	771.9
कर्नाटक	544.2
केरल	3034.1
मध्य प्रदेश	1058.4
महाराष्ट्र	2025.1
मणिपुर	354.4
मेघालय	13.7
मिजोरम	7.0
नागालैंड	16.2
उड़ीसा	628.3
पंजाब	241.9
राजस्थान	420.5
सिक्किम*	
तमिलनाडु	2129.2
त्रिपुरा	222.0
उत्तराखंड	312.6
उत्तर प्रदेश	1667.7
पश्चिम बंगाल	4352.6
अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	-
चंडीगढ़	@
दादर व नगर हवेली	6.5
दमन व दीव	3.1
लक्षद्वीप	11.2
पांडिचेरी	24.7
योग	24384.3

टिप्पणी:
*इस राज्य में कोई रोजगार कार्यालय कार्य नहीं कर रहा है। हो सकता है पूर्णांकों के कारण आंकड़े योग से मेल न खाएं।
-शून्य
@पचास से कम

विवरण II

31 दिसम्बर, 2005 को रोजगार कार्यालयों में पंजीकृत रोजगार चलाने वाले शिक्षितों तथा अशिक्षितों की राज्य-वार संख्या

(हजार में)

राज्य/संघ शासित प्रदेश	शिक्षित (10वीं कक्षा तथा उससे अधिक)	अशिक्षित (10वीं कक्षा से कम)
1	2	3
आंध्र प्रदेश	1698.7	728.9
अरुणाचल प्रदेश	15.4	9.7
असम	1224.0	536.8
बिहार	1107.8	354.0
छत्तीसगढ़	864.1	124.4
दिल्ली	501.3	170.1
गोवा	86.2	14.6
गुजरात	742.3	112.3
हरियाणा	883.1	181.6
हिमाचल प्रदेश	689.5	221.8
जम्मू-कश्मीर	75.0	41.0
झारखंड	682.8	526.1

1	2	3
कर्नाटक	1026.6	291.7
केरल	3040.9	587.7
मध्य प्रदेश	1695.0	465.9
महाराष्ट्र	2931.3	1060.5
मणिपुर	342.8	189.6
मेघालय	24.3	13.7
मिजोरम	20.4	14.0
नागालैंड	25.8	18.5
उड़ीसा	717.5	115.7
पंजाब	358.4	104.7
राजस्थान	615.1	178.5
सिक्किम*		
तमिलनाडु	2485.4	1195.8
त्रिपुरा	162.2	237.5
उत्तराखंड	319.4	59.5
उत्तर प्रदेश	1463.9	407.4
पश्चिम बंगाल	3911.0	3380.9
अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	18.2	20.8
चंडीगढ़	31.2	24.8
दादर व नगर हवेली	3.3	3.2
दमन व दीव	4.5	6.1
लक्षद्वीप	6.3	4.9
पांडिचेरी	161.4	10.0
योग	27935.1	11412.7

टिप्पणी:
*इस राज्य में कोई रोजगार कार्यालय कार्य नहीं कर रहा है।
हो सकता है पूर्णांकों के कारण आंकड़े योग से मेल न खाएं।

विवरण III

रोजगार कार्यालयों के माध्यम से किया गया राज्य-वार नियोजन

राज्य/संघ शासित प्रदेश	निम्न वर्गों के दौरान रोजगार कार्यालयों के माध्यम से किया गया नियोजन (हजार में)			निम्न वर्गों के दौरान रोजगार कार्यालयों के माध्यम से शिक्षितों के संबंध में किया गया नियोजन (वास्तविक संख्या में)		
	2003	2004	2005	2003	2004	2005
1	2	3	4	5	6	7
आंध्र प्रदेश	3.7	2.4	1.7	1796	1381	943
अरुणाचल प्रदेश	@	@	@	53	2	5
असम	0.6	0.2	0.4	103	103	84
बिहार	0.6	0.1	@	542	9	37
छत्तीसगढ़	1.6	0.9	2.2	397	90	139
दिल्ली	0.4	0.3	0.1	372	126	70
गोवा	0.3	0.2	0.3	237	189	252

1	2	3	4	5	6	7
गुजरात	64.9	64.9	92.9	20505	18364	40258
हरियाणा	4.3	3.4	3.5	3108	2293	2005
हिमाचल प्रदेश	1.3	1.0	1.7	1128	862	2628
जम्मू-कश्मीर	@	–	@	0	0	0
झारखंड	8.6	0.7	2.7	134	99	76
कर्नाटक	2.9	1.6	1.7	1755	961	909
केरल	7.3	7.5	9.7	7200	7252	8617
मध्य प्रदेश	1.9	1.6	1.7	642	397	510
महाराष्ट्र	14.0	12.8	15.0	12167	10312	9226
मणिपुर	@	–	0.3	0	0	286
मेघालय	@	@	@	8	23	11
मिजोरम	0.3	@	–	0	0	0
नागालैंड	0.2	@	@	50	15	3
उड़ीसा	1.8	1.3	2.0	1214	1528	1463
पंजाब	3.2	2.7	2.1	1088	1359	1080
राजस्थान	2.3	3.4	7.7	1202	2738	2738
सिक्किम*						
तमिलनाडु	18.9	13.2	15.3	18803	11938	12696
त्रिपुरा	0.7	0.3	0.2	379	237	237
उत्तराखंड	1.8	1.5	2.1	1660	2230	1984
उत्तर प्रदेश	2.6	1.7	1.6	1053	1190	959
पश्चिम बंगाल	9.3	10.1	7.3	6948	6957	4906
अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	0.4	0.1	0.1	315	159	159
चंडीगढ़	0.5	0.3	0.2	446	288	126
दादर व नगर हवेली	@	@	–	11	268	43
दमन व दीव	@	@	@	9	9	9
लक्षद्वीप	0.1	@	–	96	110	110
पांडिचेरी	0.4	0.3	0.7	265	239	468
योग	154.9	132.6	173.2	83686	71728	89934

टिप्पणी:

*इस राज्य में कोई रोजगार कार्यालय कार्य नहीं कर रहा है। हो सकता है पूर्णांकों के कारण आंकड़े योग से मेल न खाएं।

-शून्य

@पचास से कम

विवरण IV

स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (एसजीएसवाई)

स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (एसजीएसवाई), जोकि एक सम्पूर्ण स्व-रोजगार सृजन कार्यक्रम है, पूर्व के एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम (आईआरडीपी) तथा सहायक कार्यक्रमों का पुनर्गठन करके 1 अप्रैल, 1999 से आरंभ की गई। एसजीएसवाई, निर्धनता उन्मूलन, सामूहिक ऋण के लाभों को पूंजी में परिणित करने तथा कार्यक्रमों की बहुलता से जुड़ी समस्याओं पर काबू पाने के लिए एक संकेन्द्रित दृष्टिकोण अपनाने पर बल देती है। एसजीएसवाई का निधिकरण केन्द्र एवं राज्यों के मध्य 75:25 के अनुपात में लागत वहन द्वारा किया जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में एसजीएसवाई के लक्ष्य समूह में निर्धनता रेखा से नीचे (बीपीएल) रहने वाले परिवार शामिल हैं। लक्ष्य समूह के भीतर, अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों हेतु 50%, महिलाओं हेतु 40% तथा विकलांग व्यक्तियों हेतु 3% लाभ आरक्षित करके कमजोर वर्गों को विशेष सुरक्षा मुहैया करवाई गई है।

सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना (एसजीआरवाई)

ग्रामीण क्षेत्रों में अतिरिक्त वेतन रोजगार उपलब्ध करवाने के लिए 25 सितम्बर 2001 को आरंभ की गई सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना (एसजीआरवाई) में नकद एवं खाद्यान्न घटक शामिल हैं। एसजीआरवाई के नकद-घटक का निधिकरण केन्द्र एवं राज्यों के मध्य 75:25 के अनुपात में लागत वहन आधार पर किया जाता है। जबकि राज्यों तथा संघ शासित प्रदेशों को लागत मुक्त खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाता है, निर्धनता रेखा से नीचे रहने वाले अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के परिवारों को वार्षिक आबंटन का 22.5% उद्दिष्ट करके समुदाय के कमजोर वर्गों तथा महिलाओं को विशेष सुरक्षा मुहैया करवाई गई है। महिलाओं को रोजगार अवसरों का 30% उपलब्ध करवाने के प्रयास भी किए जाते हैं।

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एनआरईजीएस)

प्रत्येक इच्छुक ग्रामीण परिवार को 100 दिनों का गारंटीशुदा अकुशल वेतन रोज़गार उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से देश के 200 (अब 330 में) अभिनिर्धारित जिलों में 2 फरवरी 2006 से राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एनआरईजीएस) कार्यान्वित की गई। एसजीआरवाई के तहत चल रहे कार्यक्रमों तथा काम के बदले अनाज के राष्ट्रीय कार्यक्रम (एनएफएफडब्ल्यूपी) को इन जिलों में एनआरईजीएस के तहत मिला दिया गया है। एनआरईजीएस नामक एक मांग प्रेरित योजना का संकेन्द्रण जल संरक्षण, सूखा जांच (वनरोपण/वृक्षारोपण सहित), भूमि विकास, बाढ़ नियंत्रण/बचाव जलाप्लावित क्षेत्रों में जल निकास सहित) तथा सभी प्रकार के मौसमों में ग्रामीण क्षेत्रों के साथ सड़क मार्ग संपर्क संबंधी कार्यों पर है।

मेडिकल पेंशनर

2803. श्री एम.पी. वीरेन्द्र कुमार: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आई.सी.ए.आर.) के पेंशनरों को केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना (सी.जी.एच.एस.) के अंतर्गत दी जानी वाली चिकित्सा सुविधाओं का लाभ केवल दिल्ली तक सीमित है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार आई.सी.ए.आर. के सभी पेंशनरों को चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) और (ख) केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना (सीजीएचएस) केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों/पेंशनभोगियों के लिए है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के अधीन पंजीकृत एक स्वायत्त निकाय है। अत: भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के कर्मचारियों/पेंशनभोगी, केन्द्रीय सरकार के कर्मचारी/पेंशनभोगी नहीं हैं। तथापि, विशेष व्यवस्था के रूप में भारत सरकार ने दिल्ली स्थित भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद मुख्यालय के कर्मचारियों और इसके आई.ए.आर.आई. आदि जैसे संस्थानों के कर्मचारियों को केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना की सुविधा प्रदान की है। इन कर्मचारियों को सी.जी.एच.एस. की सुविधा सेवानिवृत्ति के पश्चात भी प्रदान की जाती है, यदि वे दिल्ली में ही रहते हों। तथापि, सीमित आधारभूत सुविधाओं और संसाधनों की कमी के कारण भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के कर्मचारियों/पेंशनभोगियों के लिए केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के अन्य क्षेत्रों में यह सुविधा प्रदान नहीं की गई है।

(ग) और (घ) केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के क्षेत्र से अलग स्थानों पर केन्द्रीय सरकार के पेंशनभोगी दिन-प्रतिदिन के चिकित्सा व्यय की पूर्ति के लिए 100 रुपये प्रति माह की नियत राशि के चिकित्सा भत्ते के हकदार हैं। दिल्ली के बाहर रहने वाले

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के पेंशनभोगी भी इस दर से नियत चिकित्सा भत्ता पाने के हकदार हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के कुछ संस्थानों में संबद्ध औषधालय भी हैं जो पंजीकृत पेंशनभोगियों को अपने यहां उपलब्ध चिकित्सा सुविधा प्रदान करते हैं। सरकारी/अनुमोदित अस्पताल में रोगोपचार वाले पेंशनभोगियों को सिविल सेवा (स्वास्थ्य सेवा) नियमों के तहत चिकित्सा प्रतिपूर्ति की जाती है।

चालक रहित हवाई यानों का दुर्घटनाग्रस्त होना

2804. **श्री रनेन बर्मन:**
श्री सुभाष महरिया:

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष आज तक चालक रहित हवाई यानों/पायलट रहित विमानों की संख्या कितनी है;

(ख) इनमें कितने व्यक्ति, अगर कोई हैं, मारे गए/घायल हुए और इसके परिणामस्वरूप कितनी वित्तीय क्षति हुई;

(ग) क्या प्रत्येक दुर्घटना की जांच करवाई गई है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले; और

(ङ) भविष्य में ऐसी दुर्घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी): (क) विगत तीन वित्तीय वर्षों के दौरान एवं चालू वर्ष में (29.08.2007 तक) कुल 07 मानवरहित वायुयान दुर्घटनाग्रस्त हुए। इनका वर्षवार ब्यौरा नीचे दिए अनुसार है:-

वर्ष	दुर्घटनाओं की संख्या
2004-05	2
2005-06	4
2006-07	1
2007-08 (29.8.07 तक)	शून्य

(ख) इन दुर्घटनाओं में न तो किसी व्यक्ति की मृत्यु हई है/न ही कोई व्यक्ति घायल हुआ है। इन दुर्घटनाओं के परिणामस्वरूप मानवरहित वायुयानों के नष्ट होने के अलावा और कोई वित्तीय नुकसान नहीं हुआ है।

(ग) से (ङ) प्रत्येक दुर्घटना की जांच जांच-अदालत द्वारा की जाती है तथा भविष्य में इनकी पुनरावृत्ति को रोकने के लिए तदनुकूल उपचारात्मक उपाय किए जाते हैं।

[हिन्दी]

राजस्थान में बी.एस.एन.एल. की भूमि

2805. **श्री जसवंत सिंह बिश्नोई:** क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत संचार निगम लिमिटेड (बी.एस.एन.एल.) के पास राजस्थान के जोधपुर जिले के गुड़ा बिश्नोइयां गांव में भूमि है;

(ख) यदि हां, तो भूमि का क्षेत्र कितना है और वहां कब तक कार्य आरंभ होने की संभावना है;

(ग) क्या बी.एस.एन.एल. की भूमि पर चल रहा कार्य रूक गया है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) कार्य कब तक आरम्भ किए जाने की संभावना है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) से (ङ) जी, हां। भारत संचार निगम लिमिटेड के पास जोधपुर जिले के गुड़ा बिश्नोइयां गांव में 2500 वर्ग मीटर जमीन का एक टुकड़ा है। इस भूमि पर 26.6.07 को काम शुरू किया गया था लेकिन गांव वालों द्वारा आपत्ति व्यक्त करने पर यह रोक दिया गाय था। यह कार्य अब विवाद का समाधान होने के बाद शुरू किया जा सकता है।

[अनुवाद]

ई.एस.आई. अस्पतालों में अनियमितताएं

2806. **श्री असादुद्दीन ओवेसी:** क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में ई.एस.आई. योजनाओं के कार्यकरण की समीक्षा के लिए कर्मचारी राज्य बीमा (ई.एस.आई.) अस्पतालों के नोडल अधिकारियों/मेडिकल रेफरियों द्वारा नियमित निरीक्षण किए जाते हैं;

(ख) यदि हां, तो पाई गई अनियमितताओं का ब्यौरा क्या है और ऐसी अनियमितताओं को रोकने के लिए क्या कार्रवाई की गई है/किए जाने का प्रस्ताव है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान सामान्य प्रयोजनार्थ चिकित्सा देखभाल उप-समिति द्वारा कितनी बार दौरे किए गए और उनकी सिफारिशों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) उनकी सिफारिशों पर सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ऑस्कर फर्नांडीस): (क) कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने कर्मचारी राज्य बीमा अस्पतालों/औषधालयों का आवधिक दौरा करने और राज्यों में कर्मचारी राज्य बीमा स्कीम का सुचारू रूप से संचालन सुनिश्चित करने हेतु राज्य सरकार के साथ सम्पर्क करने के लिए राज्यों में वरिष्ठ राज्य चिकित्सा आयुक्त/राज्य चिकित्सा आयुक्त की नियुक्ति की है।

(ख) वरिष्ठ राज्य चिकित्सा आयुक्त/राज्य चिकित्सा आयुक्त द्वारा अस्पतालों का दौरा करने के दौरान, अस्पताल सुविधाओं का अच्छी तरह उपयोग न किया जाना, स्टाफ की कमी और उपस्करों का उपलब्ध न होना/काम न करना जैसी मुख्य समस्याएं पायी गयी थी। जनवरी, 2007 में, राज्य सरकारों को सलाह दी गयी है कि कर्मचारी राज्य बीमा स्कीम के अंतर्गत चिकित्सा देख-रेख सेवाओं को बढ़ाने के लिए उनमें सुधार लाने के लिए उपाय किए जाएं। 15 लाख रुपये प्रति इकाई के उपस्करों की शीघ्र मंजूरी हेतु वरिष्ठ राज्य चिकित्सा आयुक्त/राज्य चिकित्सा आयुक्त को शक्तियां प्रदान की गई हैं। इसके अतिरिक्त, चिकित्सा स्कीम में सुधार लाने के लिए निर्धारित सेवा शर्तों को पूरा करने पर राज्य सरकारों को प्रति बीमाकृत व्यक्ति प्रति परिवार किाई के हिसाब से प्रतिवर्ष 50/- रु. का अतिरिक्त प्रोत्साहन दिया जाएगा।

(ग) और (घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान (2004-05, 2005-06 एवं 2006-07), कर्मचारी राज्य बीमा निगम की सामान्य प्रयोजनार्थ चिकित्सा देखभाल उप-समिति (जी.पी.एम.सी.एस.सी.) ने पश्चिमी जोन के लिए उच्च विशेषज्ञता अस्पताल हेतु स्थान का चयन करने के लिए 1.2.2006 को कर्मचारी राज्य बीमा अस्पताल बिबवेवाडी और चिंचवाड (पुणे) और 2.2.2006 को कर्मचारी राज्य बीमा अस्पताल वासी, थाणे, अंधेरी (मुंबई) का दौरा किया। समिति ने कर्मचारी राज्य बीमा अस्पताल, चिंचवाड और कर्मचारी राज्य बीमा अस्पताल, बिबवेवाडी राज्य सरकार को सौंपने और कर्मचारी राज्य बीमा अस्पताल अंधेरी को कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा आदर्श अस्पताल-सह-उच्च विशेषज्ञता अस्पताल के रूप में चलाने की सिफारिश की थी। इसके अतिरिक्त, सामान्य प्रयोजनार्थ चिकित्सा देख-रेख उप समिति ने 05.10.2006 से 7.10.2006 तक झारखंड क्षेत्र का दौरा किया और उप-समिति द्वारा की गई टिप्पणियों पर 7.10.2006 को राज्य सरकार के संबंधित सचिव के साथ चर्चा की और उप समिति की रिपोर्ट सभी संबंधितों को समुचित कार्रवाई करने के लिए प्रेषित कर दी गई थी।

[हिन्दी]

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग इकाइयों का बंद होना

2807. श्री टेकलाल महतो:
श्री सैयद शाहनवाज हुसैन:

क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष राज्य-वार तथा क्षेत्र-वार सरकारी तथा निजी क्षेत्र की कितनी सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग इकाइयों को बंद किया गया;

(ख) क्या ऐसी औद्योगिक इकाइयों के बंद होने के कारणों का पता लगाने के लिए सरकार द्वारा कोई अध्ययन/सर्वेक्षण कराया गया है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले;

(घ) क्या सरकार द्वारा इन इकाइयों के पुनरुद्धार के लिए ठोस कदम उठाए गए हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(च) इस प्रयोजनार्थ केन्द्र सरकार को विभिन्न राज्यों को दिए गए अनुदान/वित्तीय सहायता का राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री (श्री महावीर प्रसाद): (क) से (ग) सूक्ष्म तथा लघु उद्यमों (एमएसई) के बंद होने के संबंध में वर्षवार/क्षेत्रवार सूचना का केन्द्रीय तौर पर अनुरक्षण नहीं किया जाता है। संदर्भ वर्ष 2001-02 की एमएसई की तीसरी अखिल भारतीय गणना के परिणामों के अनुसार 31.03.2001 तक पंजीकृत 22,62,401 एमएसई में से 39 प्रतिशत (8,87,427 की संख्या में) उद्यम बंद पाए गए थे। इन बंद उद्यमों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार वितरण संलग्न विवरण में प्रस्तुत है। गणना के दौरान रुग्णता/बंद होने के सूचीबद्ध मुख्य कारणों में कार्यशील पूंजी की कमी, विशिष्ट उत्पादों की मांग में गिरावट, प्रौद्योगिकी में परिवर्तन, कच्चे माल की कमी, विपणन समस्याएं तथा प्रतिस्पर्धा में वृद्धि शामिल हैं।

(घ) से (च) भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने जनवरी, 2002 में एमएसई में शुरूआती स्तर पर रुग्णता का पता लगाने, उपचारिक उपाय करने तथा सम्भाव्य जीवनक्षम रूप में पहचाने गए रुग्ण एमएसई के पुनर्वास के संबंध में विस्तृत निर्देश जारी किए हैं। इन निर्देशों में अन्य बातों के साथ-साथ रुग्ण एमएसई की परिभाषा में परिवर्तन, रुग्ण उद्यमों की जीवनक्षमता के संबंध में निर्णय लेने के लिए मानदंड तथा रियायती वित्त शामिल हैं। बाद में आरबीआई ने 8 सितम्बर, 2005 को लघु तथा मध्यम उद्यम (एसएमई) के लिए ऋण पुनर्गठन तंत्र तथा जीवनक्षम मानदंड, पुनर्गठित लेखों हेतु विवेकपूर्ण मानदंड, अतिरिक्त वित्त का प्रावधान तथा पुनर्गठन पैकेज तैयार करने तथा इसके कार्यान्वयन के लिए समय-सीमा सहित नए मार्गदर्शी सिद्धांत जारी कर दिए हैं। इसके अलावा, एसएमई क्षेत्र में रुग्ण इकाइयों के पुनर्वास की प्रगति की समीक्षा करने के लिए आरबीआई के क्षेत्रीय कार्यालयों में सशक्त समिति की स्थापना कर दी गई है।

सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यम मंत्रालय रुग्ण इकाईयों के पुनरुज्जीवन के लिए राज्य/संघ शासित क्षेत्रों को कोई अनुदान/वित्तीय सहायता प्रदान नहीं करता है।

विवरण

तृतीय अखिल भारतीय गणना, 2001-02 के अनुसार बंद सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों का राज्य/संघ राज्यवार वितरण

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	बंद इकाइयों की कुल संख्या
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	38582
2.	अरुणाचल प्रदेश	248
3.	असम	10338
4.	बिहार	20525
5.	छत्तीसगढ़	27830
6.	गोवा	2327
7.	गुजरात	39159
8.	हरियाणा	27546
9.	हिमाचल प्रदेश	6509
10.	जम्मू-कश्मीर	22709
11.	झारखंड	13822
12.	कर्नाटक	46611
13.	केरल	74832
14.	मध्य प्रदेश	65649
15.	महाराष्ट्र	54243
16.	मणिपुर	1226
17.	मेघालय	1908
18.	मिजोरम	1313
19.	नागालैंड	129
20.	उड़ीसा	9708
21.	पंजाब	82731
22.	राजस्थान	36847
23.	सिक्किम	155
24.	तमिलनाडु	127185
25.	त्रिपुरा	1077
26.	उत्तर प्रदेश	122282
27.	उत्तराखंड	12100
28.	पश्चिम बंगाल	26080
	राज्य-कुल	873671
1.	अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	515
2.	चंडीगढ़	1405
3.	दादर एवं नगर हवेली	423
4.	दमन एवं दीव	454
5.	दिल्ली	8357
6.	लक्षद्वीप	16
7.	पांडिचेरी	2586
	संघ राज्य क्षेत्र-कुल	13756
	अखिल भारतीय-कुल	8,87,427

औषधीय पौधों का उत्पादन

2808. डा. धीरेन्द्र अग्रवाल: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान तथा उसके बाद आज की तिथि तक देश में विशेषकर हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पूर्वोत्तर राज्यों तथा उत्तरांचल में उत्पादित औषधीय पौधों तथा जड़ी-बूटियों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ख) उक्त अवधि के दौरान उक्त पौधों तथा जड़ी-बूटियों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए राज्य-वार कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की गई?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) औषधीय पौधों का वार्षिक उत्पादन 2.37 लाख टन होने का अनुमान है। अंतर-राज्य व्यापार और व्यापारी केन्द्रों/मंडियों से प्रामणिक आंकड़े न मिलने के कारण ऐसे उत्पादन के राज्य-वार आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

(ख) राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड, बोर्ड की कृषि स्कीमों के अधीन सभी राज्यों में औषधीय पौधों के लिए सहायता मुहैया करा रहा है। वर्ष 2004-05 से 2006-07 के दौरान बोर्ड द्वारा औषधीय पौधों की खेती के लिए मुहैया कराई गई सहायता का ब्यौरा दर्शाने वाला एक ब्यौरा संलग्न विवरण-I पर है। बागवानी क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के लिए कृषि मंत्रालय देश में दो केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमें भी कार्यान्वित कर रहा है जिनके नाम हैं:- राष्ट्रीय बागवानी मिशन और पूर्वोत्तर राज्यों सिक्किम, जम्मू व कश्मीर, हिमाचल प्रदेश तथा उत्तरांचल में बागवानी के समेकित विकास हेतु प्रौद्योगिकी मिशन। इन स्कीमों में सभी स्टेक होल्डरों की सक्रिय भागीदारी से अनुसंधान, उत्पादन, फसल कटाई पश्चात प्रबंधन और विपणन को कवर करते हुए अग्र एवं पश्च संपर्कों वाला एक समग्र दृष्टिकोण सुनिश्चित किया जाना परिकल्पित है। मिशन का जोर औषदीय और सुगंधित पौधों सहित बागवानी फसलों के विकास के लिए क्षेत्र आधारित क्षेत्रीय विशिष्टिकृत समग्र दृष्टिकोण पर है। उत्पादकों को गुणवत्ताप्रद बीज उत्पादन के लिए तकनीकी मार्गदर्शन के साथ-साथ बागवानी फसलों के अधीन क्षेत्र विस्तार हेतु विस्तार कार्यक्रमों के माध्यम से सहायता मुहैया कराई जाती है जिससे औषधीय तथा सुगंधित पौधों सहित बागवानी फसलों के क्षेत्र, उत्पादन तथा उत्पादकता में वृद्धि करने में भी मदद मिलती है।

वर्ष 2004-05 से 2006-07 के दौरान मिशन के अधीन औषधीय तथा सुगंधित पौधों को बढ़ावा देने के लिए निर्मुक्त निधियों का ब्यौरा संलग्न विवरण-II में है।

विवरण I

राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड की ठेका कृषि के अधीन राज्यों को मुहैया कराई गई वित्तीय सहायता के संबंध में विवरण

(लाख रुपयों में)

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	2004-05		2005-06				2006-07			
		स्वीकृत परियोजनाओं की सं.	मुहैया कराई गई सहायता की राशि	स्वीकृत परियोजनाओं की सं.	पहली किस्त के रूप में निर्मुक्त (राशि लाख रु. में)	निर्मुक्त दूसरी किस्त	मुहैया कराई गई सहायता की राशि	स्वीकृत परियोजनाओं की सं.	पहली किस्त के रूप में निर्मुक्त (राशि लाख रु. में)	निर्मुक्त दूसरी किस्त	मुहैया कराई गई सहायता की राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	आंध्र प्रदेश	48	27.62	86	32.92	0	32.92	62	45.45	12.36	57.81
2.	अरुणाचल प्रदेश	20	50.22	6	18.61	0	18.61	30	42.66	4	46.66
3.	असम	0	0.00	2	0.91	0	0.91	4	5.42	0	5.42

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.	बिहार	0	0.00	0	0	0	0	10	16.07	0	16.07
5.	छत्तीसगढ़	20	6.90	20	45.61	0	45.61	9	10.12	0	10.12
6.	चंडीगढ़	0	0.00	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00
7.	दिल्ली	1	0.98	0	0	0	0	2	3.41	0	3.41
8.	गुजरात	49	29.04	10	11.82	3.9	15.72	28	9.19	0	9.19
9.	हरियाणा	62	95.56	90	172.15	30.3	202.45	89	165.53	12.04	177.57
10.	हिमाचल प्रदेश	4	6.41	59	120.25	0	120.25	86	115.08	0	115.08
11.	जम्मू-कश्मीर	2	5.54	32	30.65	0	30.65	23	37.39	0	37.39
12.	झारखंड	0	0.00	2	2.01	0	2.01	0	0.00	0	0.00
13.	कर्नाटक	292	161.25	14	9.49	0	9.49	171	208.46	0	208.46
14.	केरल	33	15.04	13	6.61	11.5	18.11	25	13.23	2.77	16.00
15.	मध्य प्रदेश	266	296.99	194	178.91	183.95	362.86	280	289.72	238.96	528.68
16.	महाराष्ट्र	80	40.68	86	113.44	0	113.44	138	160.67	0	160.67
17.	मणिपुर	96	231.66	56	139.94	31.23	171.17	0	0.00	47.99	47.99
18.	नागालैंड	10	11.06	14	13.18	4	17.18	10	14.16	0	14.16
19.	उड़ीसा	41	26.32	47	50.33	13.75	64.08	146	122.26	17.55	139.81
20.	पंजाब	30	79.84	49	153.45	0	153.45	95	183.25	42.88	226.13
21.	राजस्थान	354	580.79	371	406.22	16.41	422.63	393	342.31	56.88	399.19
22.	सिक्किम	19	20.40	11	14.74	0	14.74	52	47.71	12.49	60.20
23.	तमिलनाडु	18	14.13	28	46.96	1.25	48.21	8	14.69	2.81	17.50
24.	त्रिपुरा	1	4.22	0			0	0	0.00	0	0.00
25.	उत्तर प्रदेश	5	6.69	7	8.3	7.65	15.95	106	113.98	3	116.98
26.	उत्तराखंड	61	59.61	25	31.68	6.45	38.13	35	57.73	17.01	7.74
27.	पश्चिम बंगाल	16	21.99	0	0	0	0	2	1.54	1	2.54
	योग	1528	1792.89	1222	1608.18	310.39	1918.57	1804	2020.03	471.74	2491.77

विवरण II

पिछले तीन वर्षों के दौरान पूर्वोत्तर राज्यों सिक्किम, जम्मू व कश्मीर, हिमाचल प्रदेश तथा उत्तरांचल में बागवानी के समेकित विकास हेतु प्रौद्योगिकी मिशन और राष्ट्रीय बागवानी मिशन के अधीन औषधीय एवं सुगंधित पौधों की खेती के लिए निर्मुक्त निधियों का ब्यौरा*

(लाख रुपयों में)

क्र.सं.	राज्य	औषधीय पौधे			सुगंधित पौधे		
		2004-05	2005-06	2006-07	2004-05	2005-06	2006-07
1.	अरुणाचल प्रदेश	52.00	26.00	8.75	25.00	50.00	6.25
2.	असम	9.75	–	–	3.75	–	4.30
3.	मणिपुर	–	–	–	–	–	–
4.	मेघालय	4.40	–	–	19.50	–	–
5.	मिजोरम	–	–	–	10.00	–	10.00
6.	नागालैंड	13.00	6.50	19.50	5.10	9.80	2.50
7.	सिक्किम	1.30	–	–	0.25	–	–
8.	त्रिपुरा	–	–	–	–	–	–
9.	जम्मू-कश्मीर	–	–	–	–	–	–
10.	हिमाचल प्रदेश	14.30	9.75	–	5.00	3.35	2.50
11.	उत्तरांचल	–	5.30	–	1.00	0.50	1.25
12.	छत्तीसगढ़	–	–	–	–	183.38	–
13.	झारखंड	–	–	–	–	22.50	–
14.	हरियाणा	–	–	–	–	–	22.50
15.	कर्नाटक	–	–	–	–	–	118.91
16.	महाराष्ट्र	–	–	–	–	–	28.13

*वर्ष 2005-06 से कार्यान्वित

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत कीमतें

2809. श्री सुभाष सुरेशचंद्र देशमुख: क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में विशेषकर पिछड़े तथा ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों की राज्य-वार प्रतिशतता कितनी है;

(ख) क्या सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत गरीबी रेखा से ऊपर जीवन यापन करने वाले लोगों के लिए उपलब्ध खाद्यान्नों तथा अन्य आवश्यक वस्तुओं की कीमतें खुले बाजार में विद्यमान कीमतों के बराबर हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने गरीबी रेखा से ऊपर जीवन यापन करने वाले तथा गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लाभान्वितों के लिए खाद्यान्नों, चीनी, केरोसिन आदि की कीमतों

में कमी करने के लिए कोई उपाय किए हैं या किए जाने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह): (क) योजना आयोग के 2004-05 के रिलीज किए गए गरीबी अनुमानों के अनुसार यूनीफार्म रिकाल पीरियड कंज्मप्सन (यूआरपी) के आधार पर ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले व्यक्तियों की संख्या 2209.24 लाख है और देश में ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे के व्यक्तियों का प्रतिशत 28.3 है। यूनीफार्म रिकाल पीरियड कंजमप्सन विधि के आधार पर राज्यवार समूची संख्या और गरीबी रेखा से नीचे के व्यक्तियों का प्रतिशत संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) और (ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

राज्यवार गरीबी रेखा से नीचे की जनसंख्या और उसका प्रतिशत वर्ष 2004-05

(यू.आर.पी.-कंजम्पशन पर आधारित)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	ग्रामीण	
		व्यक्तियों का प्रतिशत	व्यक्तियों की संख्या (लाख में)
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	11.2	64.70
2.	अरुणाचल प्रदेश	22.3	1.94
3.	असम	22.3	54.50
4.	बिहार	42.1	336.72
5.	छत्तीसगढ़	40.8	71.50
6.	दिल्ली	6.9	0.63
7.	गोवा	5.4	0.36
8.	गुजरात	19.1	63.49
9.	हरियाणा	13.6	21.49
10.	हिमाचल प्रदेश	10.7	6.14
11.	जम्मू-कश्मीर	4.6	3.66
12.	झारखंड	46.3	103.19
13.	कर्नाटक	20.8	75.05
14.	केरल	13.2	32.43
15.	मध्य प्रदेश	36.9	175.65
16.	महाराष्ट्र	29.6	171.13
17.	मणिपुर	22.3	3.76
18.	मेघालय	22.3	4.36
19.	मिजोरम	22.3	1.02
20.	नागालैंड	22.3	3.87
21.	उड़ीसा	46.8	151.75
22.	पंजाब	9.1	15.12
23.	राजस्थान	18.7	87.38
24.	सिक्किम	22.3	1.12
25.	तमिलनाडु	22.8	76.50
26.	त्रिपुरा	22.3	6.18
27.	उत्तर प्रदेश	33.4	473.00
28.	उत्तराखंड	40.8	27.11
29.	पश्चिम बंगाल	28.6	173.22
30.	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	22.9	0.60
31.	चंडीगढ़	7.1	0.08
32.	दादर व नगर हवेली	39.8	0.68
33.	दमन व दीव	5.4	0.07
34.	लक्षद्वीप	13.3	0.06
35.	पांडिचेरी	22.9	0.78
	अखिल भारत	28.3	2209.24

यू.आर.पी.-कंजम्पशन - यूनिफार्म रिकाल पीरियड कंजम्पशन जिसमें 30 दिन की रिकाल अवधि से सभी वस्तुओं के लिए उपभोक्ता व्यय संबंधी आंकड़ा एकत्र किया जाता है।

[अनुवाद]

कुछ डिपों में खाद्यान्नों की कमी

2810. श्री भर्तृहरि महताब: क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विभिन्न राज्यों विशेषकर उड़ीसा में भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) के कतिपय डिपों में खाद्यान्न भण्डारों की कमी से राज्यों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के उचित कार्यकरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने राज्यों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के उचित कार्यकरण के लिए राज्यों के सभी डिपों में सुचारू अन्तर-डिपो आवागमन तथा उचित भण्डारण करने के लिए भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) प्राधिकारियों को निर्देश दिए हैं; और

(ग) यदि हां, तो इन पर राज्य-वार क्या कार्रवाई की गई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

इसके अलावा आकस्मिकताओं के दौरान भारतीय खाद्य निगम के क्षेत्रीय महा प्रबंधकों को पहले ही किसी डिपु विशेष में खाद्यान्न उपलब्ध न होने के मामले में अंतर-डिपु/जिला संचलन करने की शक्तियां पहले ही दे दी गई हैं।

भारत निर्माण योजना के अंतर्गत मोबाइल

2811. श्री गिरिधर गमांग: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास "भारत निर्माण" कार्यक्रम के अंतर्गत मोबाइल सहित गांवों के साथ विश्वसनीय, व्यवहार्य तथा संभव टेलीफोन तथा रेडियो टेलीफोन संपर्क स्थापित किये जाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) योजना के शुरूआत के समय से स्थान-वार कितनी धनराशि तथा उपकरण आबंटित किए गए;

(घ) क्या सामान्य टेलीफोन विकास कार्यक्रम तथा "भारत निर्माण" कार्यक्रम में कोई अंतर है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) और (ख) भारत निर्माण कार्यक्रम के टेलीफोन घटक के अंतर्गत सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि (यूएसओएफ) ने देश के शेष 66,822 असंयोजित गांवों को ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन (वीपीटी) प्रदान करने हेतु नवम्बर, 2004 में भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) के साथ करार किया है। इनमें 100 से कम आबादी वाले, घन वन क्षेत्र/नक्सलवाद प्रभावित क्षेत्र इत्यादि शामिल नहीं हैं। इन 66,822 गांवों में से दूरस्थ स्थानों में अवस्थित 14,183 गांवों को डिजिटल उपग्रह फोन टर्मिनल (डीएसपीटी) के माध्यम से वीपीटी प्रदान किए जाने थे। 31 जुलाई 2007 की स्थिति के अनुसार कुल 49,240 ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन प्रदान किए गए हैं।

(ग) जुलाई 2006-07 तथा 2007-08 के दौरान इस स्कीम के लिए यूएसओएफ द्वारा 277.11 करोड़ रुपए की राशि आबंटित की गई है। इसमें से 87.25 करोड़ रुपए, स्कीम के आरंभ से इमदाद सहायता के रूप में ये वीपीटी प्रदान करने हेतु वितरित किए गए हैं। ब्यौरा निम्नानुसार है:-

(रुपए करोड़ में)

वर्ष	आबंटन	इमदाद वितरण
2005-06	-	29.86
2006-07	117.11	55.40
2007-08 (प्रथम तिमाही)	160.00	1.99

31 जुलाई 2007 की स्थिति के अनुसार वीपीटी प्रदान करने हेतु निधियों के वितरण का वर्ष-वार और राज्य-वार ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण संलग्न है। उपस्कर का आबंटन, स्कीम में शामिल नहीं है।

(घ) जी, हां।

(ङ) भारत निर्माण कार्यक्रम के अलावा, यूएसओएफ ने उन विनिर्दिष्ट ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में मोबाइल सेवाएं प्रदान करने हेतु 27 राज्यों में फैले 500 जिलों में 7871 अवसंरचना स्थल (टावर) स्थापित करके उनका प्रबंधन करने के लिए इमदाद सहायता

प्रदान करने की एक और स्कीम आरंभ की है, जहां कोई स्थिर बेतार अथवा मोबाइल कवरेज मौजूद नहीं है। इस प्रकार सर्जित अवसंरचना का वायरलैस इन लोकल लूप (डब्ल्यूएलएल) जैसी अन्य बेतार अभिगम सेवाओं सहित मोबाइल सेवाएं प्रदान करने हेतु तीन सेवा प्रदाताओं द्वारा साझा उपयोग किया जाएगा। 1.6.2007 से प्रभावी करारों पर सफल बोलीदाताओं द्वारा मई 2007 में हस्ताक्षर किए गए हैं। इन साझे टावरों के माध्यम से मोबाइल सेवाएं चरणबद्ध रूप से मई 2008 तक प्रचालित किए जाने का लक्ष्य है।

विवरण

31 जुलाई, 2007 की स्थिति के अनुसार, बीपीटी प्रदान करने हेतु निधियों का वर्षवार तथा राज्यवार वितरण

क्र.सं.	राज्य/सेवा क्षेत्र का नाम	2005-06 में किए गए भुगतान	2006-07 में किए गए भुगतान	2007-08 में किए गए भुगतान (31.7.2007 तक)
1.	आंध्र प्रदेश	0.61	0.75	0.00
2.	असम	0.00	10.66	0.00
3.	झारखंड	0.00	0.32	0.00
4.	गुजरात	3.08	1.62	0.00
5.	हिमाचल प्रदेश	0.63	1.28	0.00
6.	जम्मू-कश्मीर	0.26	1.57	1.05
7.	मध्य प्रदेश	11.79	14.79	0.00
8.	छत्तीसगढ़	1.66	4.42	0.94
9.	महाराष्ट्र	0.28	10.02	0.00
10.	पूर्वोत्तर-I (मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा)	0.00	0.12	0.00
11.	पूर्वोत्तर-II (नागालैण्ड, मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश)	0.00	0.36	0.00
12.	उड़ीसा	0.00	0.00	0.00
13.	राजस्थान	11.55	9.49	0.00
14.	उत्तरांचल	0.00	0.00	0.00
	कुल	29.86	55.40	1.99

[अनुवाद]

कपास की नई किस्म

2812. श्री किन्जरपु येरननायडु: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान (आईएआरआई) के वैज्ञानिकों ने कीटरोधी कपास की नई किस्म का विकास किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(ग) क्या कपास की नई किस्मों का परीक्षण कर लिया गया है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) जी, हां। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान (आईएआरआई) ने कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय, धारवाड़ के सहयोग से कपास की एक नई किस्म का विकास किया है, जो बालवर्म प्रतिरोधिता के लिए मूल्यांकन के अंतर्गत है।

(ख) एक बीटी जीन (ट्रंकेटेड कोडोन माडिफाइड क्राई 1 एसी जीन) को कपास की लोकप्रिय किस्म बीकानेरी नरमा में समाविष्ट किया गया। कपास के पौधे में प्रकट डेल्टा एंडोटाक्सिन बालवर्म की मृत्यु दर का प्रत्याशित कारण माना गया।

(ग) सस्य विज्ञान व बालवर्म प्रकोप के संबंध में इसकी जैव-सुरक्षा और इसके निष्पादन के लिए कपास की आनुवंशिक रूप से संशोधित किस्म की जांच की जा रही है।

(घ) कपास की आनुवंशिक रूप से संशोधित किस्म बालवर्म के लिए प्रतिरोधी है।

किसानों को शिक्षा

2813. श्री रायापति सांबासिवा राव: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने उत्पादन बढ़ाने हेतु आधुनिक कृषि उपकरणों का प्रयोग करने हेतु किसानों को शिक्षित करने के लिए कदम उठाए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह): (क) जी, हां।

(ख) सरकार ने कृषि उपकरणों की गुणवत्ता उन्नयन के लिए उनका परीक्षण करने के अलावा किसानों और अन्य लाभानुभोगियों को कृषि मशीनीकरण के विभिन्न पहलुओं पर कार्य संबंधी प्रशिक्षण देने के लिए बुदनी (मध्य प्रदेश), हिसार (हरियाणा), गालांडिने (आंध्र प्रदेश) और बिश्वनाथ चरियाली (असम) में चार फार्म मशीनरी प्रशिक्षण और परीक्षण संस्थान स्थापित किए हैं। किसानों के लाभ के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम कृषि संबंधी प्राइम मूवर्स, उपकरणों और मशीनों के चयन, प्रचालन, रख-रखाव और प्रबंधन पहलुओं पर है।

सरकार राज्य सरकारों को राज्यों द्वारा अभिज्ञात संस्थाओं के जरिए किसानों के प्रशिक्षण की आउटसोर्सिंग के लिए उनके प्रस्तावों के आधार पर प्रति माह प्रति किसान 2500 रु. की वित्तीय सहायता भी प्रदान कर रही है।

कृषि और सहकारिता विभाग का विस्तार निदेशालय किसानों को कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन एजेंसी (एटीएमए), मास मीडिया समर्थन, किसान काल केन्द्रों, एग्री-क्लीनिक और एग्री बिजनेस केंद्रों और ब्लाक, जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर कृषि मेलों के जरिए शिक्षित भी कर रही है।

केन्द्रीय कृषि इंजीनियरी संस्थान, भोपाल आधुनिक कृषि उपकरणों और मशीनरी के प्रयोग पर अपने कृषि विज्ञान केन्द्रों के जरिए नियमित तौर पर किसानों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करता है।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अधीन फार्म उपकरण और मशीनी संबंधी अखिल भारतीय समन्वित अनुसधान परियोजना देश भर में फैले 23 केन्द्रों के जरिए किसानों को नए उपकरण और उनके प्रयोग के बारे में सीखने में मदद करने के लिए उन्नत उपकरण के फ्रंटलाइन प्रदर्शन आयोजित करती है।

संस्थागत कार्य संबंधी प्रशिक्षण और स्थान पर प्रशिक्षण के अलावा किसानों को राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) के जरिए अपने खेतों पर नई प्रौद्योगिकी उपकरणों/उपस्करों के क्षेत्रीय प्रदर्शन के द्वारा भी शिक्षित किया जाता है। भारत सरकार ऐसे उपकरण की खरीद और क्षेत्रीय प्रदर्शन आयोजित करने के लिए आनुषंगिक व्यय के लिए 100% सहायता अनुदान प्रदान कर रही है।

(ग) उपर्युक्त (क) और (ख) को देखते हुए यह प्रश्न नहीं उठता है।

मृदा स्वास्थ्य कार्ड

2814. श्रीमती जयाप्रदा: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड वितरित करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह): (क) जी, हां।

(ख) सरकार "उर्वरक का संतुलित और एकीकृत उपयोग" नामक केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम के अधीन मृदा स्वास्थ्य काड्र्स (एसएचसी) के वितरण को बढ़ावा दे रही है और देश में राज्य सरकारों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा किसानों को 12.66 मिलियन एसएचसी वितरित किए जा चुके हैं।

[हिन्दी]

कृषि विकास दर

2815. श्री रामदास आठवले: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश के पूर्व और पूर्वोत्तर क्षेत्रों में कृषि विकास दर को बढ़ाने के लिए कोई कार्य-योजना बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) देश के पूर्व और पूर्वोत्तर क्षेत्रों में कृषि विकास दर की वर्तमान स्थिति क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) और (ख) राष्ट्रीय विकास परिषद ने 29.5.2007 को हुई अपनी 53वीं बैठक में देश में जिसमें पूर्वी तथा उत्तर-पूर्वी प्रदेश शामिल हैं, कृषि में नवीकरण लाने के लिए एक नीति बनाने पर बल दिया है। इसमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित निर्णायक तत्व भी शामिल है:

* राज्य सरकारों को क्षेत्र में निवेश को प्राथमिकता देने के लिए जिला तथा राज्य कृषि प्लान तैयार करने हैं।
* राज्य प्लान को अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता प्रदान करने के लिए नई स्कीम को प्रारंभ करना। नई सृजित राष्ट्रीय वर्षा सिंचित क्षेत्र प्राधिकरण राज्यों को वर्षा सिंचित क्षेत्रों के लिए योजना बनाने हेतु सहायता प्रदान करेगी।
* सिंचाई के लिए अतिरिक्त संसाधनों का प्रावधान।
* राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रयासों पर युद्धनीति ध्यान केन्द्रित करना।
* खेती समुदाय में कार्यकुशलता विकास के लिए नए कदमों को उठाना।

भारत सरकार ने अभी हाल ही में खाद्यान्नों की उत्पादकता तथा उत्पादन बढ़ाने के लिए कृषि क्षेत्र में वृद्धि लाने के लिए दो योजनाओं की मंजूरी प्रदान कर दी है। यह हैं (1) चावल, गेहूं तथा दालों का उत्पादन बढ़ाने हेतु राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, तथा (2) अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता स्कीम को कृषि विकास के लिए राज्य जिला प्लान को कार्यान्वित करना।

(ग) केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन द्वारा संकलित आंकड़ों के अनुसार नवीनतम उपलब्ध 2003-04, 2004-05 तथा 2005-06 वर्षों के लिए देश के पूर्वी तथा उत्तर-पूर्वी प्रदेशों के लिए स्थिर मूल्यों (1999-2000) पर कृषि में वृद्धि दर नीचे दी गई है:

स्थिर मूल्यों (1999-2000) पर कृषि में वृद्धि दर

(पिछले वर्ष के दौरान वृद्धि)

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	2003-04	2004-05	2005-06
1	2	3	4	5
1.	अरुणाचल प्रदेश	6.68	-3.48	1.97
2.	असम	1.54	2.57	7.56
3.	बिहार	-18.23	14.90	-12.90
4.	झारखण्ड	2.27	18.59	3.60
5.	मणिपुर	16.22	10.82	2.26

1	2	3	4	5
6.	मेघालय	2.11	1.36	7.80
7.	मिजोरम	-1.66	4.17	एन.ए.
8.	नागालैण्ड	10.08	एन.ए.	एन.ए.
9.	उड़ीसा	27.16	3.98	एन.ए.
10.	सिक्किम	8.23	5.49	5.21
11.	पश्चिम बंगाल	3.26	0.95	1.72

स्रोत: केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन
एन.ए. उपलब्ध नहीं
त्रिपुरा के लिए आंकड़ें उपलब्ध नहीं हैं।

[अनुवाद]

कपास को कृषि वस्तुओं से हटाया जाना

2816. श्री बाडिगा रामकृष्णा: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने हाल ही में कपास को आवश्यक वस्तुओं की सूची से हटा दिया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार को बी.टी. कपास के बीजों की कीमतों में वृद्धि के मद्देनजर कपास को आवश्यक वस्तुओं की सूची में पुन: शामिल करने के लिए आंध्र प्रदेश से कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है तथा इन पर क्या कार्रवाई की गई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) से (घ) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 को संशोधित कर दिया गया है तथा आवश्यक वस्तु (संशोधन) अधिनियम, 2006 12 फरवरी, 2007 को प्रवृत्त हुआ है। कपड़ा विकास विधेयक, 2005 जिसमें कपड़ा उद्योग को उदारीकृत करना प्रस्तावित है, संसद में रखने के परिणामस्वरूप आवश्यक वस्तुओं की सूची में से कपास और ऊनी कपड़ों के साथ-साथ कुछ अन्य वस्तुओं को हटा दिया गया है।

आंध्र प्रदेश सरकार ने कपास बीज को आवश्यक वस्तु के रूप में पुन: अधिसूचित करने का अनुरोध किया है। सरकार ने राज्य सरकार के अनुरोध को नोट कर लिया है। इसके अलावा सरकार के पास संशोधित अधिनियम के अंतर्गत वस्तु के रूप में किसी भी वस्तु को जोड़ने अथवा हटाने का अधिकार है।

नवरत्न के रूप में बीएसएनएल

2817. श्री सुनील खां: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास भारत संचार निगम लिमिटेड को नवरत्न का दर्जा देने हेतु कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) और (ख) सरकार ने भारत संचार निगम लिमिटेड को नवरत्न की हैसियत प्रदान करने के प्रस्ताव पर विचार किया था परंतु इसे नवरत्न हैसियत के लिए पात्र नहीं पाया गया क्योंकि यह अपेक्षित अर्हता मानदंडों को पूरा नहीं करता।

[हिन्दी]

जलवायु संबंधी परिवर्तन

2818. श्री रामजीलाल सुमन:
श्री राजीव रंजन सिंह 'ललन':

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान संयुक्त राष्ट्र तथा कृषि संगठन की उस रिपोर्ट की ओर आकर्षित किया गया है जिसमें कहा गया है कि जलवायु संबंधी परिवर्तनों के कारण भारत में कृषि उत्पादन में 125 मिलियन टन तक की कमी आ सकती है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस रिपोर्ट का अध्ययन किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा तत्संबंधी परिणाम तथा इन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) क्या सरकार ऐसे बुरे प्रभावों से कृषि उत्पादन को बचाने के लिए कोई प्रभावी कदम उठाने पर विचार कर रही है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) से (ङ) संयुक्त राष्ट्र सेवा के खाद्य तथा कृषि संगठन (एफएओ) के एफएओ न्यून रूम ने सूचित किया कि जलवायु परिवर्तन से विकासशील विश्व में खाद्य उत्पादन में संभवत: कमी आएगी, जबकि औद्योगिक देशों में उत्पादन संभावना बनेगी। यह भी उल्लेख किया गया है कि फसल पर निर्भर रहते हुए वैश्विक औसत तापमान में 1 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की वृद्धि हेतु ऊंचाई वाले स्थानों पर फसल उपज संभावना अधिक होने की आशा है, और उसके बाद उससे भी अधिक कमी होगी। इसके विपरीत, कम ऊंचाईयों पर विशेषकर मौसमीय शुष्क उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में कम वैश्विक तापमान वृद्धि में भी फसल संभावना कम होने की संभावना है जिससे भुखमरी का खतरा बढ़ेगा। यह भी सूचित किया गया है कि सूखा और बाढ़ की अधिक बारम्बारता विशेषकर कम ऊंचाई वाले क्षेत्रों में स्थानीय उत्पादन को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करेगी। यह भी दावा किया गया कि अर्ध-शुष्क और उप-आर्द्र प्रदेशों में सीमांत क्षेत्रों में अधिकतर वर्षासिंचित कृषि को खतरा है तथा भारत को अपने कुल उत्पादन के 18 प्रतिशत से समतुल्य अपने वर्षासिंचित अनाज उत्पादन के 125 मिलियन टन की हानि हो सकती है। वनों और वन पर निर्भर लोगों पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव वन में आग और वन कृमियों के प्रकोप की बढ़ती घटनाओं से स्पष्ट हैं। जलवायु परिवर्थन के अनुकूलन की आवश्यकता विभिन्न प्रकार की पारिस्थितिकी प्रणालियों में होगी, जिसमें कृषि-पारिस्थितिकी प्रणालियां (फसल, पशुधन और घासभूमि) वन और वनभूमि, आन्तर-स्थलीय जलीय और तटवर्ती व समुद्री पारिस्थितिकी प्रणालियां शामिल हैं। यह सूचना हाल ही में चैन्नई में एम.एस. स्वामीनाथन फाउन्डेशन में आयोजित सम्मेलन में एफएओ महानिदेशक डा. जैक्स डिअफ के भाषण पर आधारित है।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने भारतीय कृषि और अर्थव्यवस्था पर जलवायु परिवर्तन के संभावित प्रभावों पर विचार करते हुए वर्ष 2004 में 'भारतीय कृषि पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव, उनके अनुकूलन और संवेद्यता' संबंधी राष्ट्रीय नेटवर्क परियोजना शुरू की है। इस परियोजना के प्रमुख उद्देश्य बागवानी फसल और बागान सहित फसलों, मृदा, जल, मछली और पशुधन की वैश्विक जलवायु परिवर्तनों के प्रति संवेदनशीलता का अनुमान लगाना हैं।

उपर्युक्त के अतिरिक्त भारत सरकार देश में संधारणीय कृषि उत्पादन के लिए संसाधन संरक्षण और मृदा, जल व अन्य पोषक तत्वों आदि के कुशल उपयोग के लिए विभिन्न कार्यक्रम क्रियान्वित कर रही है, नामत: (1) वर्षासिंचित क्षेत्र के लिए राष्ट्रीय पनधारा विकास परियोजना (एनडब्ल्यूडीपीआरए), (2) नदी घाटी परियोजना और बाढ़ प्रवण नदी के स्रवण क्षेत्रों में अवक्रमित भूमि की उत्पादकता बढ़ाने के लिए मृदा संरक्षण, (3) क्षारीय मृदा का पुनरुद्धार (आरएएस), (4) झूम खेती क्षेत्रों में पनधारा विकास परियोजना (डब्ल्यूडीपीएससीए), (5) बाढ़ प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम (डीपीएपी), (6) मरुस्थल विकास कार्यक्रम (डीडीपी), (7) समेकित बंजर भूमि विकास परियोजना (आईडब्ल्यूडीपी), (8) राष्ट्रीय वनरोपण कार्यक्रम (एनएपी), (9) राष्ट्रीय बागवानी मिशन, (10) लघु सिंचाई स्कीम, (11) राष्ट्रीय जैविक खेती परियोजना, तथा (12) समेकित कृमि प्रबंधन।

कल्याणकारी संगठनों के लिए खाद्यान्न

2819. श्रीमती भावना पुंडलिकराव गवली:
श्री संजय धोत्रे:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार आश्रयविहीन तथा आवास-विहीन लोगों के सहायता कार्य में लगे हास्टलों तथा कल्याणकारी संस्थानों को खाद्यान्नों की आपूर्ति करने हेतु कोई योजना क्रियान्वित कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा तथा दिशा-निर्देश क्या हैं;

(ग) क्या यह योजना महाराष्ट्र राज्य में क्रियान्वित की गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) गत तीन वर्षों के दौरान महाराष्ट्र राज्य को आबंटित और आपूर्ति किए गए खाद्यान्न का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) और (ख) जी, हां। छात्रावासों/कल्याण संस्थाओं अर्थात गैर-सरकारी संगठनों/धर्मार्थ संस्थाओं, जो लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली अथवा किसी अन्य कल्याण योजना के अधीन कवर न किए गए आश्रय-हीन और घर विहीन गरीबों तथा अन्य श्रेणियों की सहायता करते हैं, की खाद्यान्नों की आवश्यकता को पूरा करने में सहायता करने के लिए प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र को किए गए गरीबी रेखा से नीचे के आबंटन के 5 प्रतिशत के समतुल्य खाद्यान्नों (चावल और गेहूं) का अतिरिक्त आबंटन 2002-03 से गरीबी रेखा से नीचे की दरों पर किए जा रहा है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए पूर्व का आबंटन पिछले वर्षों के दौरान उठान के आधार पर अगस्त, 2005 से युक्तिसंगत बनाया गया था।

(ग) से (ङ) जी, हां। यह स्कीम 2002-03 से महाराष्ट्र में क्रियान्वित की जा रही है। पिछले तीन वर्षों के दौरान महाराष्ट्र में इस स्कीम के अधीन खाद्यान्नों का आबंटन और उठान निम्नानुसार है:-

(हजार टन में)

वर्ष	आबंटन	उठान
2004-05	105.79	30.87
2005-06	62.52	15.26
2006-07	25.20	15.39

[अनुवाद]

बागवानी विश्वविद्यालय

2820. **श्री इकबाल अहमद सरडगी:** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कर्नाटक अपने राज्य में बागवानी विश्वविद्यालय स्थापित करने में सहायता प्रदान करने के लिए न्यूयार्क काउन्सिल यूनिवर्सिटी को आमंत्रित करने का उत्सुक है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस काउन्सिल ने कृषि से संबंधित विभिन्न क्षेत्रों में अंग्रणी कार्य किया है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में अन्तिम निर्णय कब तक ले लिए जाने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) जी, नहीं। तथापि, सहयोग बढ़ाने तथा कर्नाटक में प्रस्तावित बागवानी विश्वविद्यालय में एक कृषि खाद्य व्यवसाय प्रबंध कार्यक्रम शुरू करने के लिए कर्नाटक सरकार और कोर्नेल यूनिवर्सिटी से दलों (टीमों) के आवागमन दौरे होते रहते हैं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

अंत्योदय अन्न योजना के अंतर्गत वस्तुएं

2821. **श्री एल. राजगोपाल:** क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) अंत्योदय अन्न योजना (ए.ए.वाई.) के अंतर्गत लाभान्वितों को क्या-क्या वस्तुएं प्रदान की जाती हैं;

(ख) क्या लाभान्वितों को समग्र पोषण प्रदान करने हेतु अंत्योदय अन्न योजना के अंतर्गत वस्तुओं की संख्या में वृद्धि किए जाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह): (क) फिलहाल अंत्योदय अन्न योजना के अधीन लाभभोगियों को गेहूं, चावल और मोटे अनाज, चीनी तथा मिट्टी का तेल प्रदान किए जा रहे हैं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

वायुसेना में स्क्वाड्रनों की संख्या

2822. **श्री सुरेश कलमाडी:** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत के युद्धक विमान स्क्वाड्रनों की स्वीकृत संख्या 45 से घटकर वर्तमान में 32 स्क्वाड्रन हो गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा स्क्वाड्रनों की संख्या बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं:

(ग) क्या बहुउद्देशीय युद्धक विमानों के खरीद आदेश को अंतिम रूप दिए जाने की संभावना है; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि सौदे में किसी भी बिचौलिए को अनुमति नहीं दी जाएगी ताकि भारत को विमानों की कीमतों तथा गुणवत्ता के संदर्भ में सर्वोत्तम आफर मिल सके?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी): (क) और (ख) सरकार द्वारा सुरक्षा परिवेश और वायुसेना की आवश्यकताओं की लगातार समीक्षा की जाती है और बल स्तर को बनाए रखने के लिए मौजूदा विमानों के उन्नयन के साथ-साथ नए विमानों को शामिल करने के लिए समय-समय पर कदम उठाए जाते हैं। यह एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है।

(ग) और (घ) वायुसेना के लिए बहुउद्देशीय युद्धक विमान की खरीद के लिए अनुरोध हेतु प्रस्ताव जारी किया जा चुका है। यह खरीद निर्धारित रक्षा अधिप्राप्ति प्रक्रिया के अनुसार की जाएगी।

स्पेक्ट्रम का आबंटन

2823. श्री अनिल बसु: क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या निजी टेलीकाम आपरेटरों को प्रौद्योगिकी तथा स्पेक्ट्रम का आबंटन करने से एमटीएनएल/बीएसएनएल के विस्तार में अड़चनें पैदा हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उस प्रौद्योगिकी तथा स्पेक्ट्रम का ब्यौरा क्या है जिसे निजी टेलीकाम आपरेटरों को आबंटित किया गया है तथा एमटीएनएल/बीएसएनएल को आबंटित नहीं किया गया है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) जी, नहीं।

(ख) उपर्युक्त (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ग) महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड/भारत संचार निगम लिमिटेड सहित टेलीकाम आपरेटरों को उनके प्रौद्योगिकी और स्पेक्ट्रम संबंधी अनुरोध के आधार पर तथा उनके अपने-अपने टेलीकाम सर्विस लाइसेंसों के प्रासंगिक प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए स्पेक्ट्रम का आबंटन किया गया था।

[हिन्दी]

त्वरित धनादेश योजना

2824. श्री अनिरुद्ध प्रसाद उर्फ साधु यादव: क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में उपलब्ध कराई जा रही त्वरित धनादेश योजना (आईएमओ) सुविधा सन्तोषजनक रूप से कार्य कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार के पास देश में ऐसे आईएमओ केन्द्रों की संख्या बढ़ाए जाने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो इस योजना से कितने लोग लाभान्वित हुए हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) जी, हां।

(ख) प्रारम्भ करने की तारीख 20.01.2006 से 31.07.2007 तक राज्यवार त्वरित धनादेश का कार्यनिष्पादन का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) जी, हां। त्वरित धनादे" केन्द्रों का मार्च, 2008 तक सभी प्रधान डाकघरों एवं चुनिंदा उपडाकघरों तक विस्तार करने का प्रस्ताव है।

(घ) वित्तीय वर्ष 2007-08 के लिए 62000 लेनदेनों का लक्ष्य निर्धारित किया गया है यदि उसे प्राप्त किया जाता है तो 62000 प्रेषिती एवं 62000 भुगतानकर्ता सीधे लाभान्वित होंगे।

विवरण

20.1.2006 से 31.7.2007 तक राज्यवार त्वरित धनादेश का कार्यनिष्पादन

क्र.सं.	राज्य	लेनदन की संख्या	भेजी गई राशि (रुपयों में)	वसूल किया गया सेवा प्रभार (रुपयों में)
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	768	6,809,658.00	132000.00
2.	अरुणाचल प्रदेश	57	362,750.00	9250.00
3.	असम	197	2,117,780.00	35190.00
4.	बिहार	541	5,101,883.00	94170.00
5.	छत्तीसगढ़	425	3,249,975.00	71390.00
6.	गोवा	54	436,330.00	9180.00
7.	गुजरात	606	5,390,871.00	104060.00
8.	हरियाणा	371	2,124,440.00	59610.00
9.	हिमाचल प्रदेश	90	820,800.00	15540.00
10.	जम्मू-कश्मीर	5	23,500.00	790.00
11.	झारखंड	269	1,722,390.00	43810.00
12.	कर्नाटक	1597	11,835,946.00	265710.00
13.	केरल	787	7,286,348.00	136710.00
14.	मध्य प्रदेश	367	2,759,892.00	61210.00
15.	महाराष्ट्र	2423	19,188,669.00	407790.00
16.	मणिपुर	170	1,581,750.00	29520.00
17.	मेघालय	124	901,529.00	20580.00
18.	मिजोरम	58	415,440.00	9680.00
19.	नागालैंड	101	1,529,895.00	19690.00
20.	उड़ीसा	130	1,009,360.00	21840.00
21.	पंजाब	319	2,641,488.00	54230.00
22.	राजस्थान	396	4,049,950.00	69940.00
23.	सिक्किम	40	377,295.00	6920.00
24.	तमिलनाडु	1037	7,030,319.00	170770.00

1	2	3	4	5
25.	त्रिपुरा	109	1,058,543.00	19010.00
26.	उत्तर प्रदेश	962	6,992,117.00	159760.00
27.	उत्तराखंड	157	1,319,813.00	26970.00
28.	पश्चिम बंगाल	730	7,617,849.00	129780.00
	कुल	12890	105,756,580.00	2185100.00

[अनुवाद]

सुपारी के मूल्यों में गिरावट

2825. श्री एम. शिवन्ना: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में विशेषकर कर्नाटक में सुपारी के मूल्यों में भारी गिरावट के कारण इसकी खेती करने वाले किसान ऋण के भार तले दब गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सुपारी की खेती करने वाले किसानों को बचाने के लिए सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) और (ख) सुपारी हेतु वार्षिक औसत थोक मूल्य सूचकांक (आधार सहित 1993-94=100) वर्ष 2006 के दौरान समग्र देश के लिए 163.9 था जो बढ़ती हुई प्रवृत्ति दर्शाता है, तथा 11 अगस्त 2007 को समाप्त होने वाले सप्ताह तक 165.7 पर पहुंच गया। वर्ष 2006-07 के लिए "नई सुपारी किस्म" हेतु मैंगलोर बाजार (कर्नाटक) में सुपारी का थोक मूल्य 7376 रुपये प्रति क्विंटल था जो फिर जून 2007 में गिरकर 6974 रुपये हो गया है।

(ग) एक ओर 1998-99 से लेकर देश में विशेष रूप से कर्नाटक में सुपारी के अंतर्गत क्षेत्रफल में तथा इसके उत्पादन में निरंतर वृद्धि तथा इसके घरेलू उपयोग में सीमित वृद्धि उनके मूल्यों पर अपना प्रभाव डालती है। भारत सरकार सुपारी की औषधीय, औद्योगिक तथा प्रसाधनिक प्रयोगों के लिए प्रौद्योगिकी विकास की संभावना तलाश रही है।

[हिन्दी]

कृषि संबंधी प्रस्ताव

2826. चौधरी विजेन्द्र सिंह: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उन राज्य सरकारों, विशेष रूप से उत्तर प्रदेश से संबंधित ब्यौरा क्या है, जिन्होंने विभिन्न योजनाओं से संबंधित कृषि संबंधी प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजे हैं;

(ख) केन्द्र सरकार द्वारा स्वीकृत की गई परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) उन प्रस्तावों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है, जिन्हें स्वीकृति नहीं दी गई है; और

(घ) इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) और (ख) जी, नहीं। उत्तर प्रदेश राज्य से कोई विशेष प्रस्ताव विभाग को प्राप्त नहीं हुए हैं। कृषि क्षेत्र में उत्पादन व उत्पादकता में वृद्धि करने के लिए कृषि एवं सहकारिता विभाग कई केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमें कार्यान्वित कर रहा है। कृषि एवं सहकारिता विभाग द्वारा कार्यान्वित की जा रही केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों की सूची संलग्न विवरण-I पर देखी जा सकती है। इन स्कीमों के अधीन राज्य सरकारें अपने प्रस्ताव प्रस्तुत करती हैं। यह विभाग इन प्रस्तावों की जांच करता है और उनकी वार्षिक कार्य योजनाओं का अनुमोदन करता है तथा इसके पश्चात संबंधित राज्य सरकार को निधियां निर्मुक्त की जाती हैं। वर्तमान वित्तीय वर्ष (2007-08) के दौरान स्कीमपरक परिव्यय का ब्यौरा संलग्न विवरण-II पर है।

(ग) और (घ) ऊपर (क) पर दिए गए उत्तर को ध्यान में रखते हुए यह प्रश्न ही नहीं उठता।

विवरण I

वर्ष 2007-08 के दौरान कृषि एवं सहकारिता विभाग द्वारा कार्यान्वित की जा रही केंद्रीय प्रायोजित स्कीमों के नाम

1. बृहत् कृषि प्रबंधन
2. कपास प्रौद्योगिकी मिशन (टीएमसी-एमएम-II)
3. समेकित तिलहन, दलहन, आयल पाम एवं मक्का स्कीम (आइसोपोम)
4. पूर्वोत्तर राज्यों में समेकित बागवानी विकास प्रौद्योगिकी मिशन
5. विस्तार सुधारों हेतु राज्य विस्तार कार्यक्रमों को समर्थन
6. लघु सिंचाई
7. राष्ट्रीय बागवानी मिशन
8. राष्ट्रीय बांस मिशन

विवरण II

(लाख रुपये में)

क्र.सं.	राज्य	बृहत कृषि प्रबंधन स्कीम	कपास प्रौद्योगिकी मिशन (टीएमसी-एमएम-II)	समेकित तिलहन, दलहन, आयल पाम एवं मक्का स्कीम (आईसोपोम)	पूर्वोत्तर राज्यों में समेकित बागवानी विकास प्रौद्योगिकी मिशन	विस्तार सुधारों हेतु राज्य विस्तार कार्यक्रमों को समर्थन	लघु सिंचाई	राष्ट्रीय बागवानी मिशन	राष्ट्रीय बांस मिशन
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आंध्र प्रदेश	5777.78	1640.00	11260.58	0.00	3025.77	2089.13	13547.018	112.80
2.	अरुणाचल प्रदेश	2406.00	0.00	0.00	2500.00	194.59	0.00	0.00	0.00
3.	असम	*	0.00	0.00	2200.00	1333.60	0.00	0.00	0.00
4.	बिहार	2666.67	0.00	8561.27	0.00	1780.91	0.00	9871.47	608.95
5.	झारखण्ड	1649.22	0.00	0.00	0.00	1112.43	0.00	7456.22	0.00
6.	गोवा	333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127.37	0.00
7.	गुजरात	4833.33	1500.00	2603.00	0.00	689.89	7349.60	6375.00	204.98
8.	हरियाणा	2482.64	425.00	1425.96	0.00	310.20	0.00	8854.69	0.00
9.	हिमाचल प्रदेश	2427.91	0.00	90.73	2400.00	492.79	0.00	0.00	0.00
10.	जम्मू-कश्मीर	2488.88	0.00	289.35	0.00	0.00	0.00	0.00	357.78
11.	कर्नाटक	6641.70	610.00	3882.00	0.00	1112.43	1233.82	12980.27	0.00
12.	केरल	1265.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16330.84	151.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13.	मध्य प्रदेश	7098.41	660.00	11627.00	0.00	1191.62	0.00	9406.52	601.59
14.	छत्तीसगढ़	2611.11	0.00	1517.97	0.00	557.34	0.00	9102.95	0.00
15.	महाराष्ट्र	12843.24	2000.00	3123.86	0.00	915.21	0.00	21492.38	0.00
16.	मणिपुर	1989.53	0.00	0.00	2300.00	121.26	0.00	0.00	0.00
17.	मिजोरम	2405.40	0.00	721.97	2200.00	177.23	0.00	0.00	0.00
18.	मेघालय	1563.88	0.00	0.00	2300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19.	नागालैंड	2397.52	0.00	0.00	2500.00	148.05	0.00	0.00	1565.86#
20.	उड़ीसा	3666.67	170.00	1902.20	0.00	1613.00	0.00	8075.00	0.00
21.	पंजाब	1444.44	10.00	490.97	0.00	749.72	0.00	6384.45	0.00
22.	राजस्थान	9550.50	500.00	4800.00	0.00	2272.34	0.00	6885.66	220.45
23.	सिक्किम	1805.75	0.00	0.00	2800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24.	तमिलनाडु	6055.55	360.00	2587.92	0.00	1258.19	0.00	20305.54	262.89
25.	त्रिपुरा	2163.03	40.00	0.00	2200.00	210.35	0.00	0.00	664.90
26.	उत्तर प्रदेश	8158.06	50.00	3000.00	0.00	3258.97	0.00	15199.16	410.19
27.	उत्तराखंड	2825.76	0.00	0.00	2400.00	665.49	0.00	0.00	502.26
28.	पश्चिम बंगाल	3073.36	350.00	1400.00	0.00	885.62	0.00	2522.29	0.00

*स्कीम के अधीन राज्य सरकार के पास अव्ययित शेष की उपलब्धता के कारण असम राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत कार्य योजना 2007-08 को अनुमोदित नहीं किया गया।
#प्रधानमंत्री के पैकेज सहित

किसानों को प्रोत्साहन

2827. श्री प्रभुनाथ सिंह: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार कृषि आधारित राज्यों विशेषकर बिहार के किसानों को प्रोत्साहन देने हेतु कोई योजना तैयार करने का है ताकि वे कृषि क्षेत्र के प्रति आकर्षित हो सकें;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) से (ग) जी, हां। ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान चावल, गेहूं और दलहन का उत्पादन बढ़ाने के लिए केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम 'राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (एनएफएसएम)' अनुमोदित की गई है, जिसके तीन घटक हैं अर्थात् राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन-चावल (एनएफएसएम-चावल), राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन-गेहूं (एनएफएसएम-गेहूं) और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन-दलहन (एनएफएसएम-दलहन)। एनएफएसएम बिहार सहित 16 राज्यों के अभिज्ञात जिलों में क्रियान्वित की जाएगी। मिशन के अंतर्गत महत्वपूर्ण आदानों जैसे बीजों, सूक्ष्म पोषक तत्वों, समेकित पोषक तत्व प्रबंधन (आईएनएम), समेकित कृमि प्रबंधन (आईपीएम), स्प्रिंकलर, पम्प सेटों और प्रदर्शनों व कृषक प्रशिक्षण आदि के जरिए प्रौद्योगिकी अंतरण के लिए सहायता प्रदान की जाती है।

इसके अलावा भारत सरकार ने राज्यों को कृषि उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने के लिए कृषि वित्तपोषण में वृद्धि करने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता स्कीम (एसीए)' भी अनुमोदित की है। राज्य अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता स्कीम (एसीए) के तहत सहायता प्राप्त करने के लिए अपने कुल राज्य योजना व्यय में कृषि और समवर्गी क्षेत्र का आधार-रेखा अंश सुनिश्चित करने के लिए और अधिक व्यापक तौर पर समेकित पशुधन, कुक्कुट पालन और मात्स्यिकी और कृषि-जलवायु स्थितियों, प्राकृतिक संसाधनों और प्रौद्योगिकी को ध्यान में रखकर अपने कृषि क्षेत्र के लिए राज्य और जिला कृषि योजना तैयार करेंगे। बिहार सहित सभी राज्य/केंद्र शासित क्षेत्र स्कीम के तहत सहायता के पात्र हैं।

[अनुवाद]

केरल में रक्षा औद्योगिक पार्क

2828. श्री पी.सी. थामस: क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कुछ राज्य रक्षा उत्पादन इकाइयों को प्रोत्साहित कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो ऐसी इकाइयों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस प्रकार की इकाइयों तथा रक्षा औद्योगिक पार्क की भी स्थापना के लिए केरल से प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (राव इन्द्रजीत सिंह): (क) से (घ) यद्यपि राज्य सरकारें कतिपय प्रोत्साहनों सहित नई औद्योगिक यूनिटों को प्रोत्साहित कर रही हैं तथापि केन्द्रीय सरकार की जानकारी में ऐसी कोई विशिष्ट योजना नहीं आई है जिसमें रक्षा उत्पादन यूनिटों को प्रोत्साहित किया गया हो। तथापि, जनवरी, 2007 में केरल सरकार की ओर से एक रक्षा उत्पादन पार्क स्थापित किए जाने का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। देश में रक्षा औद्योगिक पार्क स्थापित किए जाने की फिलहाल कोई योजना नहीं है।

चीनी मिलों में उत्पादन

2829. श्रीमती मेनका गांधी: क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में क्षेत्र-वार तथा राज्य-वार कितनी चीनी मिलें हैं;

(ख) क्या हाल ही में इन मिलों में विशेषकर उत्तर प्रदेश के बरेली क्षेत्र में चीनी के उत्पादन के संबंध में कोई सर्वेक्षण किया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा उसका क्या परिणाम निकला तथा इन मिलों की उत्पादन क्षमता तथा वास्तविक उत्पादन कितना है;

(घ) क्या सरकार का विचार नियमित सर्वेक्षण कराने हेतु एक निगम का गठन करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह): (क) 31 जुलाई, 2007 की स्थिति के अनुसार देश में राज्यवार और क्षेत्रवार चीनी मिलों की संख्या दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

31 जुलाई, 2007 की स्थिति के अनुसार देश में राज्य-वार और क्षेत्र-वार चीनी मिलों की संख्या

(31.7.2007 की स्थिति के अनुसार)

राज्य	सार्वजनिक क्षेत्र (राज्य सरकार की अपनी)	निजी क्षेत्र	सहकारी क्षेत्र	जोड़
1	2	3	4	5
पंजाब	–	7	16	23
हरियाणा	–	3	12	15

1	2	3	4	5
राजस्थान	1	1	1	3
उत्तर प्रदेश	33	85	28	146
उत्तरांचल	2	4	4	10
मध्य प्रदेश	2	4	5	11
छत्तीसगढ़	–	–	1	1
गुजरात	–	1	22	23
महाराष्ट्र	–	24	165	189
बिहार	15	13	–	28
असम	–	1	2	3
उड़ीसा	1	4	4	9
पश्चिम बंगाल	1	1	–	2
आंध्र प्रदेश	1	27	15	43
कर्नाटक	3	28	23	54
तमिलनाडु	3	20	16	39
पांडिचेरी	–	1	1	2
केरल	–	1	1	2
गोवा	–	–	1	1
नागालैंड	1	–	–	1
कुल	62	225	317	604

इस विवरण में 6 चीनी फैक्ट्रियां शामिल नहीं हैं यथा तलाजा (गुजरात), पचरुखी (बिहार), डालमियानगर (बिहार), सिवकामी (आंध्र प्रदेश), मेलपट्टी (तमिलनाडु), मन्नम (केरल) क्योंकि इन फैक्ट्रियों ने गत 20 वर्षों से कार्य नहीं किया है और इनकी क्षमता निष्क्रिय मानी गई है।

केन्द्रीय समुद्री मत्स्यन अनुसंधान संस्थान

2830. डा. एम. जगन्नाथ:
श्री बाडिगा रामकृष्णा:

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय समुद्री मत्स्यन अनुसंधान संस्थान (सीएमएफआरआई) ने भारत का प्रथम 'ओपन सी केज प्रोजेक्ट' आरम्भ किया है जोकि मत्स्यन की एक पर्यावरण हितैषी पद्धति है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसमें क्या सफलता प्राप्त हुई है; और

(ग) ओपन सी केज में कुल कितनी संख्या में मछलियों का पालन किए जाने का अनुमान है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) जी, हां।

(ख) केन्द्रीय समुद्री मात्स्यिकी अनुसंधान संस्थान, कोच्चि ने आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में "फिनफिश फार्मिंग पर ओपन सी केज प्रोजेक्ट" की शुरूआत की है। इसकी उपयुक्तता के बारे में वैज्ञानिक मूल्यांकन के बाद स्थान का चयन किया गया था। 15 मी. व्यास और 6 मी. ऊंचाई के एचडीपी नेट वाले केज को समुद्र में लगाया गया साथ ही परभक्षियों से बचाने के लिए इसके चारों तरफ एक नेट भी लगाया गया है। केज का कुल वजन लगभग 1500 कि.ग्रा. है। केज को समुद्र के तट पर बनाया गया और हाथों से चलाकर 30.4.2007 को प्रारम्भ किया गया। एशियन सीबास के लगभग 10,00 मछली बीजों को जिनमें से प्रत्येक का वजन 50 ग्रा. था, केज के अंदर छोड़ा गया। इन मछलियों को उनके शरीर के वजन के तालमेल के साथ एक दिन में दो बार ट्रेश फिश आहार दिया जाता था। केज की कुल लागत 6.5 लाख रुपये आई है। केज कल्चर अवधि के 40 दिनों के दौरान प्रत्येक मछली का वजन 250-450 ग्रा. तक बढ़ गया जिसका जिसका औसत वजन 300 ग्रा. रहा। इसी प्रकार के केज को मंडपम, दयू और रत्नागिरी में भी यथोचित अवधि में शुरूआत करने की योजना है।

(ग) ओपन सी केज में मछली की लगभग 15,000 आंगुलिक मछली को पालने की कुल अनुमानित क्षमता के साथ ही 4-5 महीनों की अवधि में मछली का 10 टन उत्पादन होने का अनुमान है।

फर्मों/कम्पनियों द्वारा कर्मचारियों को मुआवजे की अदायगी न किया जाना

2831. श्री बसुदेव आचार्य: क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या फर्मों/कंपनियों द्वारा कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त करने तथा उन्हें पर्याप्त मुआवजा न देने के बारे में शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा छंटनी किए गए कर्मचारियों हेतु न्याय सुनिश्चित करने के लिए क्या कार्रवाई की गई है/किए जाने का प्रस्ताव है?

श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ऑस्कर फर्नांडीस): (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

रिचार्ज कूपनों की अनुपलब्धता

2832. श्री रघुनाथ झा: क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वर्ष 2005-2006 के दौरान उत्तर प्रदेश में रिचार्ज कूपनों/टाप-अप कार्डों की अनुपलब्धता के कारण भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) को 275 करोड़ रु. के संभावित राजस्व की हानि हुई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इस संबंध में कोई जांच कराई गई है;

(घ) यदि हां, तो उसके क्या निष्कर्ष निकले;

(ङ) क्या बीएसएनएल द्वारा निजी सेल्युलर आपरेटरों को लाभ पहुंचाने के लिए उत्तर प्रदेश में रिचार्ज कूपन/टाप-अप कार्ड उपलब्ध नहीं कराए गए; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर क्या कार्रवाई की गई है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) जी, नहीं। तथापि, लेखा परीक्षा ने राजस्व की संभावित हानि का उल्लेख किया है जिसे भारत संचार निगम लिमिटेड ने स्वीकार नहीं किया है।

(ख) उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर के मद्देनजर प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) उपर्युक्त भाग (ग) के उत्तर के मद्देनजर प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) जी, नहीं।

(च) उपर्युक्त भाग (ङ) के उत्तर के मद्देनजर प्रश्न नहीं उठता।

संचार नेटवर्क

2833. श्री विजय बहुगुणा: क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उत्तराखंड राज्य के दूरस्थ तथा पिछड़े क्षेत्रों में संचार नेटवर्क उपलब्ध कराने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं; और

(ख) किन-किन क्षेत्रों में स्थान-वार अब तक यह कनेक्टिविटी प्रदान नहीं की गई है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना

2834. डा. के. धनराजू: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में शुरू की गई ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना को कृषि हेतु अकुशल मजदूरी कार्य करने के लिए श्रमशक्ति की कमी का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में कोई सर्वेक्षण कराया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) कृषि हेतु अकुशल मजदूर उपलब्ध कराने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) से (घ) राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम को देश के दिए गए जिलों में फरवरी 2006 में ऐसे परिवारों को निर्वाह हेतु, जिनके व्यस्क सदस्य अकुशल मैनुअल कार्य करने के लिए तैयार हैं, को शुरू किया गया था। यह स्कीम मांग पर आधारित स्कीम हैं। 2006-07 के दौरान लगभग 2.12 करोड़ ग्रामीण परिवारों ने रोजगार की मांग की, जिसमें से 2.10 करोड़ परिवारों को रोजगार दिया गया। सरकार को खेती के लिए अकुशल कार्य करने हेतु मानव श्रम की कमी के बारे में कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

[हिन्दी]

कुक्कुट पालन उद्योग को क्षति

2835. प्रो. महादेवराव शिवणकर:
श्री ब्रजेश पाठक:

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार देश में कुक्कुट पालन उद्योग को हुई क्षति का कोई आकलन कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा पिछले तीन वर्षों के दौरान तथा उसके पश्चात् आज की तारीख तक राज्यवार कुल कितनी हानि हुई है;

(ग) क्या इस संबंध में सर्वाधिक प्रभावित राज्यों की पहचान कर ली गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) चालू वर्ष के दौरान कुक्कुट पालन उद्योग को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तस्लीमुद्दीन): (क) और (ख) सरकार रूटीन प्रबंधन चूकों के कारण कुक्कुट उद्योग को होने वाले नुकसान का आकलन नहीं करती है। तथापि, महाराष्ट्र, गुजरात तथा मध्य प्रदेश में बर्ड फ्लू के फैलने के परिणामस्वरूप पक्षियों के मारे जाने तथा आहार को नष्ट करने की वजह से इन राज्यों के किसानों को मुआवजे के रूप में 785.12 लाख रुपए की राशि प्रदान की गई है। मणिपुर में बर्ड फ्लू के प्रकोप के मामले में, संबद्ध कुक्कुट पालकों को मुआवजे के रूप में 70.00 लाख रुपए (लगभग) की राशि दी जा चुकी है।

(ग) और (घ) महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात तथा मणिपुर में बर्ड फ्लू फैलने के कारण ये राज्य इस रोग से सबसे बुरी तरह प्रभावित हुए थे।

(ङ) सरकार घरेलू कुक्कुट उत्पादन के संवर्द्धन के लिए राज्य सरकारों के मौजूदा फार्मों को सुदृढ़ करने के लिए "राज्य कुक्कुट/बत्तख फार्मों को सहायता" संबंधी केंद्रीय प्रायोजित योजना को क्रियान्वित कर रही है। केंद्रीय कुक्कुट विकास संगठन किसानों को उनके संबद्ध क्षेत्रों में कुक्कुट पालन के विभिन्न पहलुओं में प्रशिक्षण प्रदान करता है। सरकार ने कुक्कुट आहार में उपयोग के लिए मक्के की उपलब्धता को बढ़ाने के लिए 31.12.2007 तक शून्य सीमा शुल्क पर उसके आयात को भी अनुमति प्रदान कर दी है।

[अनुवाद]

कृषि अनुसंधान हेतु धनराशि

2836. श्री अनन्त नायक: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कृषि अनुसंधान हेतु कितनी धनराशि निर्धारित की गई है;

(ख) क्या देश में कृषि अनुसंधान पर निवेश बढ़ाए जाने की आवश्यकता है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग (डेयर)/भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को योजना आयोग से ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के लिए अभी तक निधियां सम्प्रेषित नहीं हुई हैं। तथापि, वर्ष 2007-08 के लिए 1620 करोड़ रुपये आबंटित किए गए हैं।

(ख) जी, हां।

(ग) विभाग ने ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के लिए योजना आयोग को 12176.40 करोड़ रुपये का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। इसके अलावा, 1130 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ "गेहूं, चावल और दालों पर मिनी मिशन-1" तथा 760 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ "क्षेत्रीय अनुसंधान और शैक्षिक क्षमता को बढ़ाना- कृषि विश्वविद्यालयों के अनुसंधान और अनुदेशात्मक फार्मों तथा प्रयोगशालाओं का आधुनिकीकरण" के लिए भी एक प्रस्ताव योजना आयोग को प्रस्तुत किया गया है।

[हिन्दी]

सेब की फसलों को हुई क्षति

2837. डा. कर्नल (सेवानिवृत्त) धनीराम शांडिल्य: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हिमाचल प्रदेश के सेब उत्पादकों को मई-जून, 2007 में ओलावृष्टि के कारण भारी नुकसान हुआ है;

(ख) क्या हिमाचल प्रदेश सरकार ने केन्द्र सरकार से कोई सहायता मांगी है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

मोबाइल टावर का कार्य न करना

2838. मो. मुकीम: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थ नगर, देवरिया, बस्ती, गोण्डा, दुमारियागंज तथा आजमगढ़ जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों में मोबाइल टावर्स उचित रूप से कार्य नहीं कर रहे हैं जिसके कारण उपभोक्ता बीएसएनएल के बजाय अन्य कंपनियों को मोबाइलों का प्रयोग करने के लिए विवश हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या आजमगढ़ के ढेकमा दूरभाष केन्द्र पर लगाए गए मोबाइल टावर उचित रूप से कार्य नहीं करते हैं और बीएसएनएल मोबाइल का सेलवन का नेटवर्क इस क्षेत्र में हमेशा छाऊ बिन्द्रा बाजार को दर्शाता है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) से (ग) बीएसएनएल द्वारा सिद्धार्थ नगर, देवरिया, बस्ती, गोण्डा, दुमारियागंज स्टेशन तथा आजमगढ़ जिलों सहित उत्तर प्रदेश (पूर्व) दूरसंचार सर्किल के ग्रामीण क्षेत्रों में प्रदान की जा रही ग्लोबल सिस्टम फार मोबाइल कम्युनिकेशन्स (जीएसएम) आधारित सेल्युलर मोबाइल टेलीफोन सेवा फिलहाल संतोषजनक ढंग से कार्य कर रही है। आजमगढ़ में ठेकमा एक्सचेंज के रूप में ट्रांसीवर स्टेशन (बीटीएस)-सेल स्थल का इष्टतम उपयोग किया गया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि इसके द्वारा उक्त क्षेत्र में मुख्य बीटीएस के रूप में सेवा प्रदान की जाए। बीएसएनएल ने चालू वित्त वर्ष के दौरान आजमगढ़ में ठेकमा एक्सचेंज के निकटवर्ती क्षेत्रों में तीन नए बीटीएस संस्थापित करने की योजना भी बनाई है।

बीएसएनएल के सेल्युलर मोबाइल नेटवर्क को इसके कार्य-निष्पादन हेतु निरंतर इष्टतम भी बनाया जा रहा है और बीएसएनएल द्वारा नेटवर्क की मानीटरिंग को सुदृढ़ किया गया है ताकि इसका कार्य-निष्पादन भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) द्वारा निर्धारित सेवा की गुणवत्ता के मानदंडों के अनुसार सुनिश्चित किया जा सके।

कृषि उत्पादन

2839. श्री विजय कृष्ण: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) इस समय कृषि उत्पादन के क्षेत्र में विश्व में भारत की फसलवार नवीनतम स्थिति क्या है; और

(ख) कृषि उत्पादन में भारत को एक अग्रणी देश बनाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) निम्नलिखित सारणी में विश्व में कुछेक प्रमुख फसलों के उत्पादन में 2005 (नवीनतम उपलब्ध वर्ष) में भारत की स्थिति का ब्यौरा दिया गया है:

फसल	भारत की स्थिति
धान	दूसरी
गेहूं	दूसरी
मक्का	छठी
चना	प्रथम
मूंगफली	दूसरी
रेपसीड/सरसों	तीसरी
सोयाबीन	पांचवीं
गन्ना	दूसरी
कपास बीज	तीसरी
प्याज	दूसरी
आलू	तीसरी

स्रोत- 28.8.2007 को खाद्य एवं कृषि संगठन की वेबसाइट

(ख) कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए अक्तूबर, 2000 से "चावल, गेहूं तथा मोटे अनाजों में एकीकृत अनाज विकास कार्यक्रम (आई.सी.डी.पी.)" केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम कार्यान्वित की जा रही है। तिलहनों, दालों तथा मक्का की उत्पादकता में वृद्धि लाने के लिए एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना "तिलहनों, दालों, पाम आयल तथा मक्का पर केन्द्रीय प्रायोजित एकीकृत स्कीम" 1.4.2004 से कार्यान्वयन में है।

भारत सरकार ने अभी हाल ही में देश में खाद्यान्नों की उत्पादकता तथा उत्पादन बढ़ाने तथा कृषि वृद्धि में सुधार लाने के लिए दो योजनाओं की मंजूरी प्रदान कर दी है। यह है (1) चावल, गेहूं तथा दालों का उत्पादन बढ़ाने हेतु राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, तथा (2) अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता स्कीम।

[अनुवाद]

जम्मू-श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग

2840. श्री हितेन बर्मन: क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पिछले वर्ष के दौरान भू-स्खलनों के कारण जम्मू-कश्मीर राष्ट्रीय राजमार्ग को कई बार वाहनों के लिए बंद करना पड़ा था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सीमा सड़क संगठन ने भू-स्खलनों को हटाने तथा इस प्रकार की स्थितियों से निपटने के लिए कोई रोड मैप तैयार किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) पिछले वर्ष के दौरान भू-स्खलनों को हटाने के लिए सरकार द्वारा कितनी धनराशि खर्च की गई; और

(च) पिछले वर्ष के दौरान इन मामलों से निपटने के लिए सरकार द्वारा कितनी श्रमशक्ति का प्रयोग किया गया?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी): (क) जी, हां।

(ख) वर्ष 2006-07 के दौरान यह एक बार में एक दिन से अधिक की अवधि के लिए अलग-अलग स्थानों पर आठ बार अर्थात् कुल 25 दिन बंद किया गया।

(ग) और (घ) सीमा सड़क संगठन ने भूस्खलनों को हटाने का कार्य यथाशीघ्र शुरू करने के लिए भूस्खलन-संभावित क्षेत्रों में अतिरिक्त संसाधन लगाए हैं। दीर्घावधि उपायों के रूप में, हिमपात और हिमधाव अध्ययन स्थापना ने राजमार्गों पर कुछ हिमधाव नियंत्रण संरचनाएं बनाई हैं। इसके अलावा, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (जीएसआई) और विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी विभाग के अधीन नेशनल डाटा मैनेजमेंट सिस्टम भू-स्खलन संभावित क्षेत्रों के स्थिरीकरण के उपायों का सुझाव देने के लिए अध्ययन कर रहे हैं।

(ङ) 81.73 लाख रुपए।

(च) कुल 6553 श्रम दिन लगे।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 22 का रख-रखाव

2841. प्रो. प्रेम कुमार धूमल: क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 22 एकमात्र मार्ग है जो हिमाचल प्रदेश के जनजातीय जिले किन्नौर तथा भारत-तिब्बत सीमा को देश के साथ जोड़ता है तथा जीआरईएफ द्वारा इसकी देखभाल की जाती है;

(ख) यदि हां, तो क्या धनराशि तथा श्रमशक्ति की कमी के कारण जीआरईएफ इसका रख-रखाव करने में विफल रहा है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार उक्त मार्ग के रख-रखाव का जिम्मा हिमाचल प्रदेश के लोक निर्माण विभाग को हस्तांतरित करने अथवा भारी मशीनरी आदि खरीदने के लिए पर्याप्त केंद्रीय सहायता प्रदान करने का है ताकि भारी हिमपात तथा अन्य प्राकृतिक आपदाओं के समय उक्त मार्ग को प्रयोग हेतु खुला रखा जा सके; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी): (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ) राष्ट्रीय राजमार्ग-22 के राज्य लोक निर्माण विभाग को हस्तांतरित किए जाने संबंधी कोई निर्णय नहीं लिया गया है और सड़क की उचित देखरेख के लिए सीमा सड़क संगठन को पर्याप्त निधि उपलब्ध कराई जाती है। वर्ष 2007-08 के दौरान, इस राष्ट्रीय राजमार्ग के सुधार, अनुरक्षण तथा बर्फ हटाने के लिए 13.46 करोड़ रुपए का आबंटन किया गया है।

ब्रह्मोस मिसाइल

2842. श्री हंसराज गं. अहीर: क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रक्षा वैज्ञानिकों ने पनडुब्बियों हेतु ब्रह्मोस मिसाइल विकसित की है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस मिसाइल का परीक्षण किया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या ब्रह्मोस के सफल परीक्षण के पश्चात् इसके विकास हेतु अनुसंधान लगातार चल रहा है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी): (क) से (ग) ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज प्रक्षेपास्त्र ने नौसेना और सेना के लिए पोत और सड़क मोबाइल लांचरों से लांच किए गए उड़ान परीक्षणों की श्रृंखला को सफलतापूर्वक पूरा किया है। इस प्रणाली को भारतीय नौसेना और भारतीय सेना में शामिल कर लिया गया है। यह प्रक्षेपास्त्र जिसे पनडुब्बी से छोड़ा जा सकता है, तैयार है और परीक्षण के लिए आवश्यक प्लेटफार्म की प्रतीक्षा कर रहा है। भारतीय नौसेना शीघ्र ही प्लेट फार्म का पता लगाएगी।

(घ) और (ङ) ब्रह्मोस प्रक्षेपास्त्र के हवाई रूपांतर के विकास का कार्य भी चल रहा है तथा इसे नौसेना के लिए आईएल-38 में तथा वायुसेना के लिए सुखोई-30 एम के 1 में एकीकृत किया जाएगा।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय कृषि विकास सेवा

2843. श्री एस.के. खारवेनथन: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय कृषि विकास योजना शुरू की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार उन राज्यों को प्रोत्साहन देने का है जो कृषि क्षेत्र में अच्छा कार्य निष्पादन कर रहे हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) जी, हां। कृषि क्षेत्र में अधिक व्यापक रूप में योजनाएं तैयार करने वाले राज्यों को प्रोत्साहित करने के लिए एक अतिरिक्त केंद्रीय सहायता स्कीम कृषि मंत्रालय द्वारा आरम्भ की गई है। इस स्कीम का नाम राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई) है।

(ख) और (ग) केंद्र से सहायता के लिए पात्रता जिला/राज्य कृषि योजनाएं तैयार करने और कृषि तथा सम्बद्ध क्षेत्रों पर राज्य सरकारों द्वारा किए गए मूल प्रतिशत व्यय के अतिरिक्त राज्यों के योजना बजटों में धनराशि प्रदान करने पर निर्भर करेगा।

(घ) उपर्युक्त (ख) तथा (ग) के अनुसार।

खाद्य तेल में मिलावट

2844. श्री दलपत सिंह परस्ते: क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही में खाद्य तेलों में गाय और सुअर की चर्बी सहित अन्य चर्बी की मिलावट करने के मामलों का पता चला है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में कोई छापे मारे गए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या परिणाम निकले तथा कितने छापे मारे गए एवं उन कम्पनियों के क्या नाम हैं और उनसे कितनी मात्रा में सामान बरामद हुआ है; और

(ङ) भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए क्या कार्रवाई की गई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह): (क) से (ङ) तेलों और वसाओं सहित खाद्य वस्तुओं के नमूने समय-समय पर राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा लिए जाते हैं जो खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 और खाद्य अपमिश्रण निवारण नियमावली, 1955 क्रियान्वित करते हैं। अपमिश्रण की जांच के दौरान जहां आवश्यक होता है, छापे भी मारे जाते हैं।

तथापि, राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा वनस्पति तेलों में गाय और सुअर की चर्बी सहित किसी चर्बी के अपमिश्रण के मामले की सूचना नहीं दी गई है।

रक्षा सेनाओं के लिए संचार नेटवर्क

2845. श्री के.एस. राव: क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) रणनीतिक शस्त्र प्रणालियों तथा व्यापक रूप से फैले हुए रक्षा प्रतिष्ठानों में उपयोग किए जाने वाले रक्षा सेना संचार नेटवर्क की सुरक्षा के लिए क्या सुरक्षोपाय किए जाने की आवश्यकता है;

(ख) क्या सरकार का विचार देश की सुरक्षा को बनाए रखने के लिए रक्षा सेनाओं के लिए पूरी तरह से पृथक और सुरक्षित वैकल्पिक संचार नेटवर्क का सृजन करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी): (क) से (ग) रक्षा नेटवर्क केवल रक्षा सेनाओं के लिए ही बिछाया जाता है तथा मार्ग में डाटा की संरक्षा के लिए वैज्ञानिक परामर्शदात्री समूह (एसएजी) द्वारा अनुमोदित बल्क इन्क्रिप्शन यूनिटों का प्रयोग किया जाता है। संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने रक्षा सेनाओं के लिए वैकल्पिक नेटवर्क बिछाने का कार्य पहले ही शुरू कर दिया है।

प्रौद्योगिकीय विकास के लाभ

2846. श्री नवीन जिन्दल: क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) के पास टू जी/थ्री जी/वीमेक्स और अन्य तृतीय पीढ़ी की प्रौद्योगिकियों के प्रौद्योगिकीय विकास के लाभों का उपयोग करने का कोई प्रस्ताव है जैसा कि दिनांक 13 जुलाई, 2007 के "द टाइम्स आफ इंडिया" में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इस मामले में प्रकाशित तथ्यों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसके कब तक शुरू होने की संभावना है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) भारत संचार निगम लिमिटेड ने अब सफल बोलीदाता को नई 2जी/3जी वाली संयुक्त निविदा के स्थान पर 2जी जीएसएम उपस्कर हेतु अग्रिम क्रयादेश दे दिया है।

किसानों हेतु एकल बाजार

2847. श्री चेंगरा सुरेन्द्रन: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने कृषि उत्पादों के लिए एकल बाजारों की स्थापना और किसानों को लाभकारी मूल्य प्रदान करना सुनिश्चित करने तथा उनके हितों की रक्षा के लिए भारतीय व्यापार संघ के सृजन के किसी प्रस्ताव को अन्तिम रूप दिया है जैसा कि डा. एम.एस. स्वामीनाथन ने सुझाव दिया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) और (ख) सरकार भारतीय एकल बाजार और भारतीय व्यापार संघ से संबंधित राष्ट्रीय किसान आयोग की सिफारिशों पर सक्रियता से विचार कर रही है।

[हिन्दी]

कृषि में महिलाओं की भूमिका

2848. श्री रघुवीर सिंह कौशल: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने कृषि क्षेत्र में महिलाओं की भूमिका को सुदृढ़ करने तथा उनकी गुणवत्ता एवं कार्यकुशलता में वृद्धि करने के लिए कोई कार्यक्रम/नीति/अनुसंधान/चर्चा कराई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या परिणाम निकले;

(ग) क्या राज्य सरकारों ने अपने राज्यों में ऐसे ही प्रयास किए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) उक्त प्रयोजनार्थ अभी तक कितनी सहायता प्रदान की गई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) से (ङ) जी, हां। निम्नलिखित मुख्य कार्यक्रमों में यह प्रावधान है कि बजट आवंटन का 30% महिला लाभार्थियों के लिए निर्धारित किया जाए:

(1) "पूर्वोत्तर राज्यों, सिक्किम, जम्मू एवं कश्मीर, हिमाचल प्रदेश तथा उत्तरांचल में राष्ट्रीय बागवानी मिशन और बागवानी प्रौद्योगिकी मिशन"; और

(2) "विस्तार सुधारों के लिए राज्य विस्तार कार्यक्रमों को समर्थन"।

उपर्युक्त स्कीमें राज्य कार्यान्वयन एजेंसियों के माध्यम से कार्यान्वित की जा रही हैं।

2. कृषि में महिलाओं की भूमिका को मजबूत करने को बढ़ावा देने के लिए कृषि एवं सहकारिता विभाग ने निम्नलिखित अध्ययन भी शुरू किए हैं:

(1) कृषि क्षेत्र में महिलाओं के लिए लाभों की घटना तथा सेवाएं प्रदान करने की लागत के संबंध में कृषि एवं सहकारिता विभाग की विद्यमान स्कीमों/कार्यक्रमों की समीक्षा और विश्लेषण;

(2) महिला किसानों की सफलता की कहानियों के प्रलेखन और सहभागिता संबंधी सामग्री तैयारी का विकास;

(3) "कृषि में महिलाओं की केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीम" का मूल्यांकन और प्रभाव आकलन;

(4) विद्यमान राज्य नीतियों, कार्यक्रमों, हस्तक्षेप और प्रक्रियाओं और भूमि पर महिलाओं की पहुंच पर उनके प्रभाव संबंधी एक विश्लेषणात्मक अध्ययन; तथा

(5) जिला, सब-डिवीजन तथा कटिंग एज स्तरों पर कार्यक्रम कार्यान्वयकों हेतु महिला अनुकूल मानकों का विकास। ये अध्ययन कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में है।

इस्पात उत्पादों के गुणवत्ता मानदंडों की निगरानी

2849. श्री कुलदीप बिश्नोई: क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने कुछ इस्पात उत्पादों के गुणवत्ता मानदंडों की निगरानी की जिम्मेदारी भारतीय मानक ब्यूरो के स्थान पर राज्य सरकारों को सौंपने का निर्णय लिया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं तथा इस्पात उत्पादों संबंधी गुणवत्ता मानदंडों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकारों को क्या दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तस्लीमुद्दीन): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

दूरसंचार क्षेत्र में निवेश

2850. श्री प्रहलाद जोशी: क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान आज की तिथि तक देश में दूरसंचार के क्षेत्र में कुल कितनी धनराशि का निवेश किया गया है;

(ख) क्या अन्य देशों से भी निवेश करने की अनुमति देने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान देश में दूरसंचार क्षेत्र में हुए कुल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का ब्यौरा निम्नानुसार है:-

वर्ष		निवेश (करोड़ रु. में)
2004	-	608.78
2005	-	963.91
2006	-	4354.11
2007 (मार्च तक)	-	137.34

(ख) और (ग) सरकार की प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की नीति के अनुसार उन देशों को छोड़कर जिनसे हमारी सुरक्षा को खतरा है तथा जिनसे हमारे संबंध मैत्रीपूर्ण नहीं हैं, सभी देशों को निवेश करने की अनुमति है।

डेकिया उत्पादन

2851. श्री मणी कुमार सुब्बा: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गुवाहाटी विश्वविद्यालय में किए गए अनुसंधान द्वारा इस बात का पता चला है कि देश के पूर्वोत्तर क्षेत्र में प्रचुर मात्रा में उगाए जाने वाले फर्न डेकिया (डाइप्लूजियम एसक्युलैंटम) में सोयाबीन के बाद सबसे ज्यादा कच्चा प्रोटीन होता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और देश में इसकी खेती और उपभोग को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या उक्त प्रयोजनार्थ केन्द्र सरकार से कोई वित्तीय सहायता मांगी है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) गुवाहाटी विश्वविद्यालय द्वारा किए गए अनुसंधान के अनुसार डेकिया की कोंपलों में 33.27 प्रतिशत प्रोटीन होता है। सोयाबीन के बीजों में लगभग 43.2 प्रतिशत प्रोटीन होता है।

(ख) से (घ) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के पास इन फर्न पर अनुसंधान करने के लिए कोई अधिदेश नहीं है।

राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की लेखापरीक्षा

2852. श्री प्रतीक पी. पाटील: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक (कैग) अथवा किसी अन्य सरकारी अभिकरण द्वारा 'राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड' (एनडीडीबी) के लेखों की लेखापरीक्षा की जाती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (एनडीडीबी) द्वारा सरकारी धन के दुरुपयोग के संबंध में कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में तथ्य क्या हैं;

(ङ) क्या सरकार राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के कार्यकरण की उच्च स्तरीय जांच कराने पर विचार कर रही है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह): (क) और (ख) जी, नहीं। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (एनडीडीबी) अधिनियम के अनुसार, एनडीडीबी के लेखाओं का लेखा परीक्षा कंपनी अधिनियम के तहत कंपनियों के लेखा परीक्षक के रूप में कार्य करने वाले उपयुक्त रूप से योग्य लेखा परीक्षकों के द्वारा किया जाता है। लेखा परीक्षकों की नियुक्ति एनडीडीबी बोर्ड की सिफारिश के आधार पर सरकार द्वारा स्वीकृत की जाती है।

(ग) और (घ) सार्वजनिक धन के दुरुपयोग से संबंधित कोई विनिर्दिष्ट शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। तथापि, मदर डेयरी के भूमि

आबंटन के संबंध में निधियों को सामान्य रिजर्व में डाल देने संबंधी आरोपों, अनुषंगी कंपनियों के गठन तथा संलग्न विवरण के अनुरूप एनडीडीबी के कार्यकलापों से संबंधित अन्य आरोप पूर्व में प्राप्त हुए थे तथा समय-समय पर इनकी जांच की गई थी।

(ङ) और (च) जी, नहीं। इस प्रकार का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। तथापि, संलग्न विवरण में दर्शाई गई कुछ शिकायतें केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो/केंद्रीय सतर्कता आयोग तथा वित्त मंत्रालय द्वारा देखी जा रही हैं, जिनके लिए विभाग की सूचना भेजी जा चुकी है।

विवरण

1. मदर डेयरी, दिल्ली को दी गई भूमि संबंधी अभिकथित भूमि घोटाले पर केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो और मुख्य सतर्कता आयोग को संबोधित श्री लालमणि प्रसाद संसद सदस्य (लोक सभा) की शिकायत।

2. तिलहन उत्पादकों के विकास के लिए रखी गई धनराशि को सामान्य रिजर्व के लिए खर्च किए जाने के साथ-साथ विभिन्न आरोप लगाते हुए श्री महेन्द्र सिंह, पूर्व संसद सदस्य (लोक सभा) से प्राप्त शिकायत।

3. राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड द्वारा अनुषंगी कंपनियों का गठन करने संबंधी प्रधान मंत्री कार्यालय के जरिए प्राप्त डा. वी. कुरियन, पूर्व अध्यक्ष, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की शिकायत।

4. सहायक कंपनियों का गठन, डेयरी, तिलहन और अन्य सहकारिताओं के संवर्धन के लिए एकत्र किए गए धनराशि का हस्तांतरण राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के सामान्य रिजर्व के लिए किए जाने और अनुषंगियों को और आगे निवेश करने इत्यादि सहित विभिन्न आरोप लगाते हुए डा. वी. कुरियन, पूर्व अध्यक्ष, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की शिकायत।

5. राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के कार्यकरण से संबंधित प्रधान मंत्री कार्यालय और वित्त मंत्रालय के जरिए प्राप्त डा. वी. कुरियन, पूर्व अध्यक्ष, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की शिकायत।

6. राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के क्रियाकलापों से संबंधित प्रधान मंत्री कार्यालय के जरिए माननीय प्रधान मंत्री को संबोधित डा. कुरियन का पत्र।

गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड

2853. श्री किसनभाई वी. पटेल:
श्री सुग्रीव सिंह:

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एवं इंजीनियर्स लिमिटेड (जीआरएस एंड ईलि) ने वर्ष 2002 के दौरान दो पंटून पुलों का निर्माण करने का निर्णय लिया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन पंटून पुलों के निर्माण के क्या कारण हैं;

(ग) इस पर हुए व्यय का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने ऐसे पंटून पुलों का निर्माण कार्य पूरा कर लिया है;

(ङ) यदि हां, तो सरकार को इससे अभी तक कितना राजस्व प्राप्त हुआ है;

(च) क्या इन पंटून पुलों का निर्माण कार्य पूरा होने के बाद गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड ने कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट (केपीटी) डाक को किराए पर लिया है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और कंपनी द्वारा कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट के किराया प्रभार का ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (राव इन्द्रजीत सिंह): (क) जी, हां।

(ख) गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड वर्षों से नौसेना और तटरक्षक जलयानों का रिफिट कार्य करता रहा है और इसने पोत मरम्मत के क्षेत्र में विशेषज्ञता और प्रतिस्पर्द्धात्मकता स्थापित की है। चूंकि गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड को एलएसटी (एल) किस्म के तीन पोतों का निर्माण करने के आदेश प्राप्त हुए थे और चार पनडुब्बी रोधी युद्धक कार्वेटों के निर्माण के आदेश मिलने की आशा भी थी इसलिए कतिपय किस्म के पोतों की मरम्मत के लिए निर्माण बर्थ और शुष्क गोदी की उपलब्धता सीमित हो जाती। इसलिए इस कठिनाई का समाधान करने के लिए 51 मीटर × 18 मीटर × 2 मीटर के 2 पंटून बनाए जाने का प्रस्ताव था।

(ग) केवल एक पंटून बनाया गया है और कंपनी ने इस पर 324.79 लाख रुपए खर्च किए हैं।

(घ) एक पंटून का निर्माण फरवरी, 2004 में पूरा किया जा चुका है।

(ङ) पंटून का निर्माण सीधे राजस्व अर्जन के लिए नहीं था परंतु शुल्क गोदी सुविधा की वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में इस्तेमाल करने के लिए था।

(च) जी, नहीं।

(छ) कंपनी द्वारा कोलकाता पत्तन न्यास को दिए गए डाक किराया प्रभारों का ब्यौरा इस प्रकार है:-

भारतीय नौसेना पोत, बेतवा	64.78 लाख रुपए
भारतीय नौसेना पोत, कर्मुक	20.02 लाख रुपए
तटरक्षक पोत, वीरा	45.30 लाख रुपए
भारतीय नौसेना पोत, व्यास	38.03 लाख रुपए
भारतीय नौसेना पोत, शार्दुल	27.89 लाख रुपए
भारतीय नौसेनापोत, एरावत	03.54 लाख रुपए
तटरक्षक पोत, वज्र	21.22 लाख रुपए
तटरक्षक पोत, विग्रह	28.89 लाख रुपए
योग	249.67 लाख रुपए

सुखोई विमानों की खरीद

2854. **श्री बृज किशोर त्रिपाठी:**
डा. राजेश मिश्रा:
श्री सज्जन कुमार:
श्री चन्द्रमणि त्रिपाठी:
डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय:
श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया:
श्री वाडिगा रामकृष्णा:
श्री जे.एम. आरून रशीद:
श्री अवतार सिंह भडाना:
श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव:
श्री श्रीपाद येसो नाईक:

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अमरीकी डालर के अवमूल्यन के मद्देनजर रूसी रक्षा विनिर्माण कंपनी ने पुरानी दरों पर रक्षा उपकरणों की आपूर्ति करने से मना कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या रूस की सरकार ने भारत के साथ किए गए समझौतों पर पुनर्विचार करने के संकेत दिए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या इन समझौतों पर पुनर्विचार किए जाने की स्थिति में सरकार को सुखोई जेट ग्रोर्सकोव और अन्य विभागों के लिए करोड़ों डालर देने होंगे;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है;

(छ) क्या अत्याधुनिक शस्त्रों की बिक्री से संबंधित मतभेदों को दूर करने के लिए हाल ही में भारत और रूस के सैन्य अधिकारियों की वार्ता हुई थी; और

(ज) यदि हां, तो त्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी): (क) से (ज) हिंदुस्तान एरोनाटिक्स लिमिटेड द्वारा 140 सुखोई-30 मार्क 1 विमानों के लाइसेंस उत्पादन के लिए 28 दिसंबर, 2000 की साधारण संविदा के अनुसरण में भारतीय पक्षकार और रूसी पक्षकार द्वारा अप्रैल, 2002 में हस्ताक्षरित नयाचार में वर्ष 2007 तक वैध 2.55% की निवल वार्षिक वृद्धि दर निर्धारित की गई थी। सन् 2008 से 2012 तक के लिए वार्षिक वृद्धि दर निर्धारित करने के लिए दोनों पक्षों के बीच विचार-विमर्श चल रहा है। रूसी पूर्तिकारों से अधिप्राप्त रक्षा उपस्करों के लिए देय राशियों में वृद्धि हो सकती है यदि वृद्धि दर में बढ़ोत्तरी होती है।

रक्षा मंत्रालय के इतिहास प्रभाग में पांडुलिपियां

2855. **श्री सुव्रत बोस:** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत सरकार के आदेश पर प्रख्यात इतिहासकार स्व. डा. प्रफुल चन्द्र गुप्त द्वारा लिखित "द हिस्ट्री आफ हिन्द फौज (इंडियन नेशनल आर्मी)" की पांडुलिपि इस समय रक्षा मंत्रालय के इतिहास प्रभाग के संरक्षण में है;

(ख) यदि हां, तो क्या कोई भी इच्छुक व्यक्ति उक्त पांडुलिपि का निरीक्षण कर सकता है;

(ग) क्या सरकार का विचार इस पांडुलिपि को प्रकाशित कराने का है ताकि अध्येयता और पाठकों को यह आसानी से उपलब्ध हो सके; और

(घ) यदि हां, तो इसे कब तक प्रकाशित किए जाने की संभावना है?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी): (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) सरकार के समक्ष ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(घ) ऊपर (ग) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

कर्मचारी भविष्य निधि पर ब्याज की भिन्न-भिन्न दरें

2856. श्रीमती कल्पना रमेश नरहिरे:
श्री तुकाराम गंगाधर गदाख:

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने विभिन्न ईपीएफ निक्षेपों पर कामगारों को कर्मचारी भविष्य निधि पर भिन्न-भिन्न दरों पर ब्याज देने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर राष्ट्रीय श्रमिक संघों की क्या प्रतिक्रिया है?

श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ऑस्कर फर्नांडीस): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) उपर्युक्त (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

आधुनिक हल्के हेलीकाप्टर

2857. श्री आनंदराव विठोबा अडसूल:
श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव:

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पुर्जों की कमी और सर्विस की समस्या के कारण अनेक आधुनिक हल्के हेलीकाप्टरों को बार-बार लंबे समय तक खड़े रहना पड़ता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और पुर्जों की कमी तथा सर्विस की समस्या से निपटने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) सशस्त्र सेनाओं द्वारा आधुनिक हल्के हेलीकाप्टरों को कब तक शामिल किया जाएगा; और

(घ) आधुनिक हल्के हेलीकाप्टर के विनिर्माण कार्यक्रम और तत्संबंधी लक्ष्यों का ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी): (क) और (ख) हल्का उन्नत हेलिकाप्टर (एएलएच) स्वदेशी उत्पादन का प्रथम प्रयास है। प्रारंभिक चरणों में शुरूआती समस्याएं आई थीं।

अतिरिक्त कल-पुर्जों, औजारों एवं अन्य उपस्करों के आपूर्ति क्षेत्र में मैसर्स हिंदुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड द्वारा व्यापक उत्पाद सहायता उपलब्ध कराने तथा प्रचालनात्मक बेसों पर तकनीकी एवं संभारिकी सहायता भी उपलब्ध कराने के कारण हल्के उन्नत हेलिकाप्टर की प्रयोज्यता में समय के साथ-साथ सुधार दिखाई दे रहा है। पूर्णत: एकीकृत ढंग से हल्के हेलिकाप्टर की सहायता करने हेतु हिंदुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड ने हल्के उन्नत हेलिकाप्टर पर लगे इंजनों, वैमानिकियों, संचार प्रणालियों आदि सहित समस्त महत्वपूर्ण प्रणालियों के अनुरक्षण तथा ओवरहाल हेतू एक नए प्रभाग की स्थापना की है।

(ग) हल्के उन्नत हेलिकाप्टर का सशस्त्र सेनाओं में प्रयोगारंभ वर्ष 2001-02 में किया गया था।

(घ) अब तक कुछ 61 हल्के उन्नत हेलिकाप्टरों का उत्पादन किया गया है। उत्पादन कार्यक्रम सशस्त्र सेनाओं की आवश्यकताओं के अनुरूप बनाया गया है।

एचआईवी/एड्स जागरूकता कार्यक्रम

2858. श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया: क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने एचआईवी/एड्स जागरूकता अभियान शुरू किया है जिसके अंतर्गत इस बीमारी के विरुद्ध जागरूकता फैलाने के लिए सैन्य कर्मियों की पत्नियों को नामांकित किया जाएगा; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी): (क) और (ख) सशस्त्र सेना चिकित्सा सेवा के पास सक्रिय एचआईवी/एड्स नियंत्रण कार्यक्रम है जिसमें सशस्त्र सेना कार्मिकों की पत्नियां महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। सेना कार्मिकों की पत्नियां स्वेच्छा से इस कार्य में लगी हुई हैं तथा वे सशस्त्र बलों के परिवारों को शिक्षित करने और

स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के लिए उत्प्रेरित करने और एचआईवी/एड्स के प्रति एहतियात बरतने के लिए अग्रणी शिक्षिका की भूमिका निभाती हैं।

बीड़ी कामगारों को पहचान पत्र देना

2859. **श्री मोहन रावले:**
श्रीमती जयाप्रदा:

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में सभी बीड़ी कामगारों को पहचान पत्र जारी करने के लिए कोई योजना शुरू की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान राज्यवार कितने बीड़ी कामगारों को पहचान पत्र जारी किए गए हैं; और

(घ) सभी पात्र बीड़ी कामगारों को पहचान पत्र कब तक जारी किए जाने की संभावना है?

श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ऑस्कर फर्नांडीस): (क) और (ख) बीड़ी कामगारों को श्रम कल्याण संगठन के चिकित्सा अधिकारियों द्वारा पहचान पत्र जारी किए गए हैं। राज्य सरकारों से भी अनुरोध किया गया है कि वे अपने राज्यों में वास्तविक बीड़ी कामगारों की पहचान करने और उन्हें पहचान पत्र जारी करने हेतु सर्वेक्षण करवाएं। बिहार, झारखण्ड, उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा और असम राज्यों ने सर्वे करवाने और बीड़ी कामगारों को पहचान-पत्र जारी करने में पहल की है। राजस्थान सरकार ने वास्तविक बीड़ी कामगारों को पहचान पत्र जारी करने का कार्य वर्ष 2005 में पहले ही पूरा कर लिया है।

(ग) एक विवरण संलग्न है।

(घ) बीड़ी कामगारों को पहचान पत्र जारी किया जाना एक सतत् प्रक्रिया है।

विवरण

पिछले तीन वर्षों के दौरान जिन बीड़ी कामगारों को पहचान पत्र जारी किए गए हैं उनका राज्य-वार विवरण

क्र.सं.	राज्य का नाम	2004-05	2005-06	2006-07
1.	आंध्र प्रदेश	23418	24619	4507
2.	असम	34	201	207
3.	बिहार	24327	30506	28582
4.	झारखण्ड	7421	2225	25991
5.	गुजरात	1125	443	382
6.	कर्नाटक	11315	12415	6001
7.	केरल	4127	2769	3018
8.	मध्य प्रदेश	59739	33937	–
9.	छत्तीसगढ़	–	–	–
10.	महाराष्ट्र	4359	5674	8269
11.	उड़ीसा	3414	771	503
12.	राजस्थान	32918	1136	485
13.	त्रिपुरा	189	404	408
14.	तमिलनाडु	19623	22640	23087
15.	उत्तर प्रदेश	25876	26425	24833
16.	पश्चिम बंगाल	7636	16381	173973
	कुल	225521	180546	300246

मछुआरों के लिए बीमा योजनाएं

2860. एडवोकेट सुरेश कुरूप:
डा. के.एस. मनोज:

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केरल सरकार ने परम्परागत मछुआरों को मछली पकड़ने वाले उपकरणों के लिए बीमा सुरक्षा प्रदान करने के लिए केन्द्रीय सहायता प्रदान करने हेतु कोई प्रस्ताव प्रस्तुत किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह): (क) जी, हां।

(ख) यह प्रस्ताव उन पारंपरिक मछुआरों के मत्स्यन उपकरणों के संबंध में बीमा कवरेज के लिए केंद्रीय सहायता मांगने के लिए है जो बहुत से मामलों में खराब मौसम तथा अन्य प्राकृतिक आपदाओं के कारण समुद्र में मछली पकड़ने के दौरान अपने मत्स्यन जलयानों, इंजनों तथा जालों को खो देते हैं।

मत्स्यन उपकरणों के बीमा कवरेज के लिए केंद्रीय सहायता प्रदान करने के लिए कोई योजना नहीं है।

चीनी विकास कोष से सहायता

2861. श्री नरहरि महतो: क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान और तत्पश्चात् आज तक चीनी मिलों के विस्तार और आधुनिकीकरण के लिए चीनी विकास कोष से वित्तीय सहायता प्राप्त करने हेतु राज्यवार कितने प्रस्ताव प्राप्त हुए;

(ख) उक्त अवधि के दौरान इस कोष से कितनी चीनी मिलों को सहायता उपलब्ध कराई गई;

(ग) क्या इन चीनी मिलों ने उक्त सहायता का पूर्ण उपयोग कर लिया है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) चीनी मिलों द्वारा वित्तीय सहायता का समुचित उपयोग सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाने पर विचार किया गया है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह): (क) विस्तार और आधुनिकीकरण के लिए चीनी विकास निधि से वित्तीय सहायता लेने हेतु प्राप्त प्रस्तावों की संख्या बताने वाला ब्यौरा संलग्न विवरण-I के रूप में दिया गया है।

(ख) जिन चीनी मिलों को सहायता प्रदान की गई है उनकी संख्या बताने वाला ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(ग) और (घ) जी, हां। केवल कुछ मामलों को छोड़कर जिनमें ऋण का संवितरण हाल ही में किया गया है।

(ङ) चीनी विकास निधि से चीनी मिलों को विस्तार और आधुनिकीकरण के लिए प्रदान की गई वित्तीय सहायता के उपयोग की मानीटरिंग करने की प्रणाली पहले ही मौजूद है। ऋणों के उचित उपयोग और परियोजना के क्रियान्वयन की निगरानी तथा मानीटरिंग करने के लिए सरकार की ओर से भारतीय औद्योगिक वित्त निगम तथा राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम को मानीटरिंग एजेंसी के रूप में नियुक्त किया गया है। दूसरी किस्त और शेष ऋण, यदि कोई हो, का संवितरण पूर्व की किस्त के उचित उपयोग के प्रति उपयोग प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर ही किया जाता है। मानीटरिंग एजेंसियां स्थल निरीक्षण, चीनी फैक्ट्री की खाता बहियों का सत्यापन करने/चार्टर्ड लेखाकार का प्रमाण-पत्र लेने आदि जैसी आवश्यक जांच करने के बाद सामान्य वित्त नियमावली के अनुसार उपयोग-प्रमाण पत्र प्रस्तुत करती है।

विवरण I

पिछले तीन वर्षों के दौरान और वर्तमान वर्ष में आज की तारीख तक विस्तार और आधुनिकीकरण के लिए चीनी विकास निधि से वित्तीय सहायता लेने हेतु प्राप्त प्रस्तावों की संख्या

राज्य	वर्ष 2004-05
1	2
उत्तर प्रदेश	2
आंध्र प्रदेश	1
महाराष्ट्र	1
कर्नाटक	1

1	2
	वर्ष 2005-06
उत्तर प्रदेश	5
उत्तराखंड	1
तमिलनाडु	3
कर्नाटक	3
आंध्र प्रदेश	1
	2006-07
उत्तर प्रदेश	10
बिहार	3
तमिलनाडु	1
महाराष्ट्र	2
मध्य प्रदेश	1
कर्नाटक	1
	2007-08
महाराष्ट्र	1
आंध्र प्रदेश	3
तमिलनाडु	3

विवरण II

पिछले तीन वर्षों के दौरान और वर्तमान वर्ष में आज की तारीख तक जिन चीनी मिलों को विस्तार और आधुनिकीकरण के लिए चीनी विकास निधि से सहायता प्रदान की गई है उनकी राज्यवार संख्या

राज्य	वर्ष 2004-05
1	2
उत्तर प्रदेश	2
महाराष्ट्र	2
उत्तराखंड	1
कर्नाटक	3
उत्तर प्रदेश	2
महाराष्ट्र	1
आंध्र प्रदेश	1
	2006-07
उत्तर प्रदेश	5
बिहार	1
तमिलनाडु	2
महाराष्ट्र	2
आंध्र प्रदेश	1
	2007-08
बिहार	1
तमिलनाडु	1

[हिन्दी]

बाढ़ नियंत्रण

2862. श्री श्रीचन्द कृपलानी:
श्री अनंत गुडे:
श्रीमती मिनाती सेन:
श्री हेमलाल मुर्मू:
श्रीमती कल्पना रमेश नरहिरे:
श्री चन्द्रकांत खैरे:
डा. एम. जगन्नाथ:
श्री सुनील खां:

क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या चालू मानसून मौसम के दौरान अभूतपूर्व बाढ़ के कारण देश के बड़े भाग जलमग्न हो गए;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसमें कितनी क्षति हुई तथा राज्यवार कितने लोग प्रभावित हुए;

(ग) क्या बाढ़ से गंभीर रूप से प्रभावित क्षेत्रों में कोई सर्वेक्षण/आकलन किया गया है;

(घ) यदि हां, तो इसका क्या परिणाम निकला;

(ङ) क्या सरकार ने राष्ट्रीय बाढ़ नियंत्रण बोर्ड की स्थापना की है और मौजूदा बाढ़ नियंत्रण योजनाओं की समीक्षा की गई है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(छ) गत तीन वर्षों के दौरान और चालू वर्ष में प्रभावित राज्यों को राज्यवार कितनी धनराशि आवंटित की गई;

(ज) ग्यारहवीं योजना में बाढ़ को नियंत्रण के लिए नियत योजना परिव्यय कितना है; और

(झ) बार-बार आने वाली बाढ़ को रोकने और जल की अतिरिक्त मात्रा का लाभकारी उपयोग सुनिश्चित करने के लिए क्या प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जय प्रकाश नारायण यादव): (क) और (ख) मानसून-2007 के दौरान, देश के कई भागों में बाढ़ आई जिससे आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और पांडिचेरी में 4.32 करोड़ से अधिक जनसंख्या प्रभावित हुई। हालांकि उड़ीसा में अप्रत्याशित बाढ़ आई जहां नदियों ने पिछले बाढ़ के स्तरों को पार कर लिया। राज्य राजस्व प्राधिकारियों और गृह मंत्रालय से प्राप्त सूचना के अनुसार मानसून-2007 के दौरान कुल क्षति का आकलन 7325.88 करोड़ रुपये के रूप में किया गया है। क्षति एवं प्रभावित लोगों का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ग) और (घ) बाढ़ प्रभावित राज्यों में बाढ़ की स्थिति और क्षति के आकलन के लिए गृह मंत्रालय ने केंद्रीय दलों को नियुक्त किया है।

(ङ) जी, नहीं।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

(छ) बाढ़ प्रबंधन राज्य का विषय होने के कारण, बाढ़ नियंत्रण स्कीमों की आयोजना, अन्वेषण और कार्यान्वयन राज्य सरकारों द्वारा अपनी निधि से किया जाता है। केंद्रीय सरकार द्वारा मुहैया सहायता तकनीकी, उत्प्रेरक एवं प्रोत्साहनात्मक प्रकृति की होती है। हालांकि केंद्र सरकार विभिन्न योजना स्कीमों के तहत बाढ़ प्रभावित राज्यों को वित्तीय सहायता मुहैया कराती है ताकि वे गंभीर क्षेत्रों में बाढ़ प्रबंधन कार्य कर सकें। भारत सरकार द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान विभिन्न राज्य सरकारों को गंभीर क्षेत्रों में बाढ़ नियंत्रण उपायों के लिए जारी की गई केंद्रीय सहायता का ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(ज) योजना आयोग द्वारा 11वीं योजना के लिए योजना परिव्यय की सूचना अभी तक नहीं दी गई है।

(झ) भारत सरकार ने गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग (जीएफसीसी) का गठन किया है। जिसने गंगा बेसिन राज्यों में बाढ़ नियंत्रण उपायों के लिए मास्टर योजनाएं तैयार की है। भारत सरकार ने संसद के एक अधिनियम के तहत ब्रह्मपुत्र बोर्ड की स्थापना भी की है, जिसने ब्रह्मपुत्र और बराक घाटी में बाढ़ नियंत्रण के लिए व्यापक मास्टर योजना तैयार की है इसके अतिरिक्त भारत सरकार ने देश के विभिन्न भागों में बार-बार आने वाली बाढ़ के कारणों की जांच करने तथा इस समस्या को कम करने के उद्देश्य से सुधारात्मक उपाय सुझाने के लिए समय-समय पर विभिन्न समितियों का गठन भी किया है।

माननीय प्रधान मंत्री के निर्देश के अनुसार असम और उसके पड़ोसी राज्यों के साथ-साथ बिहार, पश्चिम बंगाल तथा पूर्वी उत्तर प्रदेश में बार-बार आने वाली बाढ़ की समस्या के समाधान के लिए अगस्त, 2004 में बाढ़ प्रबंधन/कटाव नियंत्रण संबंधी एक कार्यबल का गठन किया गया। इस कार्यबल ने दिसम्बर, 2004 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की तथा बाढ़ प्रबंधन के लिए विभिन्न उपायों की सिफारिश की।

बाढ़ न्यूनीकरण के दीर्घावधि उपाय के रूप में भारत सरकार नेपाल से निकलने वाली नदियों पर नेपाल में वृहद भंडारण बांध/स्कीमों के निर्माण के लिए नेपाल सरकार के साथ लगातार द्विपक्षीय बातचीत कर रही है।

विवरण I

बाढ़ के कारण हुई क्षति के राज्यवार ब्यौरे-2007 (27.8.2007 के अनुसार)

क्र.सं.	राज्य(यों) का नाम	प्रभावित जनसंख्या (लाख में)	जनहानि संख्या	प्रभावित जिलों की संख्या	प्रभावित गांवों की संख्या	मवेशी/ पशुधन हानि संख्या	फसल प्रभावित क्षेत्र (हेक्टे. में)	क्षतिग्रस्त मकानों की संख्या		कुल (रुपये लाख में)
								पूर्णत:	आंशिक	
1.	आंध्र प्रदेश	9.59	57	11	47	47172	56000	13624	188796	1329.97
2.	अरुणाचल प्रदेश	प्राप्त नहीं	प्राप्त नहीं	11	07	प्राप्त नहीं	प्राप्त नहीं	16	प्राप्त नहीं	6.00
3.	असम	68.16	42	26	5988	प्राप्त नहीं	360000	12283	प्राप्त नहीं	प्राप्त नहीं
4.	बिहार	203.30	495	20	9884	555	1588000	156378	245528	177316
5.	छत्तीसगढ़	1.96	13	08	164	54	2560	1325	11132	2386.74
6.	गोवा	0.003	02	शून्य	शून्य	शून्य	नगण्य	05	444	102.90
7.	गुजरात	14.87	378	29	937	9707	468342	3700	37979	15303.25
8.	हिमाचल प्रदेश	1.23	52	09	984	707	1630	1022	2003	119079.98
9.	झारखंड	शून्य	प्राप्त नहीं	02	प्राप्त नहीं	02	962	295	691	104.95
10.	जम्मू-कश्मीर	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
11.	कर्नाटक	11.29	148	25	1412	3451	198634	37032	28882	113943.61
12.	केरल	17.66	239	14	1504	2811	35106	2010	48913	70353.34
13.	मध्य प्रदेश	1.87	69	15	710	294	4239	1459	16390	893.70
14.	महाराष्ट्र	1,35	115	प्राप्त नहीं	5297	1477	प्राप्त नहीं	5778	41267	प्राप्त नहीं
15.	मेघालय	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	90	शून्य	शून्य	शून्य
16.	उड़ीसा	15.96	33	12	1865	19501	160000	9353	18457	25493.71
17.	पंजाब	0.015	07	06	246	18	28134	540	प्राप्त नहीं	प्राप्त नहीं
18.	राजस्थान	2.77	51	11	1294	503	नगण्य	730	7502	25150.96
19.	त्रिपुरा	शून्य	08	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	03	शून्य	शून्य
20.	तमिलनाडु	शून्य	29	शून्य	शून्य	129	शून्य	89	573	375.50
21.	उत्तर प्रदेश	12.43	216	22	2546	157	162566	300	1136	172879.86
22.	उत्तराखंड	प्राप्त नहीं	46	प्राप्त नहीं	प्राप्त नहीं	149	प्राप्त नहीं	102	446	प्राप्त नहीं
23.	पश्चिम बंगाल	69.60	215	04	3837	4033	2213150	1522273	244681	7863.53
24.	पांडिचेरी	0.003	02	02	प्राप्त नहीं	शून्य	नगण्य	3	59	3.87
	कुल	432.061	2217	227	36722	90720	5279413	398320	894879	732587.87

स्रोत: दिनांक 27.8.2007 की क्षति संबंधी एमएच की रिपोर्ट

विवरण II

बाढ़ नियंत्रण स्कीमों के लिए 10वीं योजना अवधि (2004-07) के दौरान राज्यों को जारी की गई निधि के ब्यौरे

(राशि रुपये करोड़ में)

क्र.सं.	स्कीम/राज्य का नाम	10वीं योजना (2004-07) के दौरान जारी निधि			
		2004-05	2005-06	2006-07	कुल
1	2	3	4	5	6
क.	**गंगा बेसिन राज्यों में गंभीर कटावरोधी कार्य**				
1.	बिहार	19.41	22.33	20.59	62.33
2.	हिमाचल प्रदेश	1.00	1.32	1.34	3.66
3.	झारखंड	0.00	1.50	2.80	4.30
4.	उत्तर प्रदेश	12.58	10.94	3.47	26.99
5.	उत्तरांचल	1.00	1.77	1.18	3.95
6.	पश्चिम बंगाल	15.00	14.83	11.74	41.57
	(फरक्का बैराज परियोजना सहित)	+8.14	+33.00	+34.75	+75.89
	कुल	57.13	85.69	75.87	218.69
ख.	**ब्रह्मपुत्र एवं बराक घाटी राज्यों में गंभीर बाढ़ नियंत्रण/कटाव रोधी कार्य**				
1.	असम	9.30	30.24	39.28	78.82
2.	अरुणाचल प्रदेश	0.00	4.00	12.38	16.38
3.	मणिपुर	0.00	2.11	5.80	7.91
4.	मिजोरम	0.60	2.16	3.44	6.20
5.	सिक्किम	0.00	2.16	6.43	8.59
6.	त्रिपुरा	1.50	4.44	6.82	12.76
7.	नागालैंड	0.00	1.20	2.70	3.90
8.	मेघालय	0.00	0.67	1.96	2.63
9.	पश्चिम बंगाल	0.00	2.03	6.98	9.01
	कुल	11.40	49.01	85.79	146.20
ग.	**देश के समस्याग्रस्त क्षेत्रों में जल निकास का सुधार**				
1.	आंध्र प्रदेश	1.50	3.00	0.95	5.45
2.	बिहार	5.00	7.00	5.98	17.98

1	2	3	4	5	6
3.	उड़ीसा	1.50	3.25	3.48	8.23
4.	उत्तर प्रदेश	1.50	0.00	0.00	1.50
5.	जम्मू-कश्मीर	0.00	0.00	2.50	2.50
	कुल	9.50	13.25	12.91	35.66
घ.	**तटीय एवं अन्य गंगा बेसिन राज्यों के अलावा अन्य राज्यों में गंभीर कटावरोधी कार्य**				
1.	जम्मू-कश्मीर	0.00	0.00	15.50	15.50
	कुल	0.00	0.00	15.50	15.50
ङ.	**सतलज और रावी नदियों पर विशेष कटाव नियंत्रण उपाय**				
	पंजाब	1.50	1.60	1.60	4.70
	कुल	1.50	1.60	1.60	4.70

बी.एस.एन.एल. द्वारा टावर लगाए जाने का कार्य

2863. श्री हरिभाऊ जावले: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बी.एस.एन.एल. ने देश में विशेषकर महाराष्ट्र के जलगांव जिले के ग्रामीण इलाकों में मोबाइल सेवा उपलब्ध कराने के लिए टावर लगाए जाने और इसे चालू करने का कार्य शुरू कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त कार्य बहुत धीमी गति से आगे बढ़ रहा है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक उपाय किए गए हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) और (ख) जी, हां। भारत संचार निगम लिमिटेड ने महाराष्ट्र राज्य के जलगांव जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में मोबाइल सेवाएं प्रादन करने के लिए 37 टावर स्थापित करने की योजना बनाई है। 13 टावर स्थापित करने का कार्य पहले ही शुरू हो चुका है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) और (ङ) उपर्युक्त भाग (ग) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता है।

पेन गंगा परियोजना

2864. श्रीमती रूपाताई डी. पाटील: क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार ने निचली पेन गंगा परियोजना की खामियों को दूर कर इसे पुन: प्रस्तुत किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या केंद्र सरकार ने केंद्रीय जल आयोग (सी.डब्ल्यू.सी.) को उक्त प्रस्ताव भेज दिया है; और

(ग) केंद्रीय जल आयोग द्वारा उक्त परियोजना को कब तक सैद्धांतिक रूप से अपनी स्वीकृति दिए जाने की संभावना है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जय प्रकाश नारायण यादव): (क) से (ग) निचली पेन गंगा परियोजना पहले अगस्त, 1982 में केन्द्रीय जल आयोग (सीडब्ल्यूसी) में प्राप्त हुई थी। सीडब्ल्यूसी की टिप्पणियों की अनुपालना न होने के कारण इसे जुलाई, 1987 में वापस परियोजना प्राधिकारियों के पास भेज दिया गया था। इसके पश्चात, महाराष्ट्र सरकार ने इस परियोजना

पर एक नई प्रारम्भिक रिपोर्ट नवम्बर, 2006 में सीडब्ल्यूसी को प्रस्तुत की। इस प्रारम्भिक रिपोर्ट की सीडब्ल्यूसी में जांच की गई तथा विभिन्न पहलुओं पर टिप्पणियों को अनुपालन के लिए मार्च, 2007 में परियोजना प्राधिकारियों के पास भेजा गया जोकि महाराष्ट्र सरकार से अभी भी अपेक्षित हैं।

[अनुवाद]

केन्द्रीय भण्डार की आम सभा के चुनाव

2865. **श्री रघुनाथ झा:**
श्री प्रभुनाथ सिंह:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय सरकार कर्मचारी उपभोक्ता सहकारी समिति लिमिटेड (केन्द्रीय भण्डार) की आम सभा/प्रतिनिधियों के चुनाव आठ वर्ष के अन्तराल के बाद हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो चुनाव करवाने के संबंध में संवैधानिक स्थिति का ब्यौरा क्या है;

(ग) निर्धारित समय पूरा होने के बाद ये चुनाव कराने में विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(घ) इस खामी के लिए किन-किन व्यक्तियों को दोषी ठहराया गया तथा दोषी व्यक्तियों तथा निदेशक मंडल के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) जी, हां।

(ख) बहु-राज्य सहकारी समिति अधिनियम, 2002 में बोर्ड के चुने हुए सदस्यों के कार्यकाल के लिए प्रावधान हैं और किसी बहु-राज्य सहकारी समिति की साधारण सभा के प्रतिनिधियों का प्रावधान नहीं है।

(ग) किसी बहु-राज्य सहकारी सोसायटी की प्रतिनिधि साधारण सभा के प्रतिनिधियों के चुनाव किस दायित्व सोसायटी के बोर्ड के निदेशकों का है। आम सभा द्वारा यथा अनुमोदित संशोधित उप नियम संख्या 14 और 9 मई, 2003 को पंजीकृत के जरिए, केन्द्रीय भंडार की साधारण सभा के प्रतिनिधियों का कार्यकाल 5 वर्ष की अवधि निर्धारित किया था। इसी बीच में, दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका संख्या 8983-84 का 2005 के जरिए केन्द्रीय भंडार की सदस्यता के संबंध में एक विवाद उत्पन्न हो गया था। उल्लिखित रिट याचिका में दिल्ली उच्च न्यायालय के निदेश पर, केंद्रीय रजिस्ट्रार ने दिनांक 8 दिसम्बर, 2006 के आदेश के जरिए सदस्यता के मामले को निपटारा किया। चूंकि आम सभा के प्रतिनिधियों का चुनाव फरवरी, 2007 में सम्पन्न हो गया है, इसलिए बहु-राज्य सहकारी सोसायटी अधिनियम, 2002 के प्रावधानों के तहत उम्मीदवारों की अयोग्यता के मसले का निपटारा करने के लिए अगला रिटर्निंग अधिकारी सक्षम प्राधिकारी है यदि चुनाव समय पर नहीं हुआ हो। चुनाव संचालित करने के संबंध में अक्षमता भी इस अधिनियम की धारा 84(2)(ग) के तहत चुनाव विवाद के रूप में मानी जा सकती है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

चीनी विकास कोष के प्रति उत्साह

2866. **श्री जी. करूणाकर रेड्डी:** क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या चीनी मिलों के आधुनिकीकरण और विस्तार के लिए सृजित किए गए चीनी विकास कोष (एसडीएफ) के प्रति उद्योग के खराब प्रतिक्रिया मिली है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) इस कोष को अधिक लोकप्रिय बनाने और इस उद्योग में इसे स्वीकार्य बनाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या सरकार ने चीनी उद्योग से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में चीनी को अधिक प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए इसकी गुणवत्ता में सुधार लाने का आग्रह किया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर चीनी उद्योग की क्या प्रतिक्रिया है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) चीनी विकास निधि से पात्र चीनी मिलों को क्षमता विस्तार, संयंत्र तथा मशीनरी के आधुनिकीकरण/पुनर्स्थापन और

प्रौद्योगिकी के उन्नयन के लिए ऋण दिए जाते हैं। इस निधि को चीनी फैक्ट्रियों के बीच और लोकप्रिय तथा स्वीकार्य बनाने के उद्देश्य से सरकार ने प्रमुख सह-उत्पादों का बेहतर उपयोग करने के लिए 2002 में चीनी विकास निधि नियमावली को संशोधित किया। इस संशोधन से इथेनाल के उत्पादन और खोई आधारित विद्युत सह-उत्पादन के लिए चीनी विकास निधि से ऋण देने का मार्ग प्रशस्त हुआ। सरकार ने 21.10.2004 से इस निधि से ऋणों पर ब्याज की दर को कम कर "बैंक दर" से 2% कम कर दिया है जो 4% बैठती है। चीनी मिलों को इस निधि के तहत 10000 टी.सी.डी. तक क्षमता विस्तार हेतु ऋणों के लिए भी पात्र बनाया गया है। इसके अतिरिक्त, 2006 में खोई आधारित सह-उत्पादन परियोजनाओं के लिए चीनी विकास निधि के ऋण घटक निधि से ऋण पात्र परियोजना लागत के 40% तक कर दिया गया जबकि इससे पूर्व यह 30% था। चीनी विकास निधि से ऋण लेने के लिए मिलों को और प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से सरकार ने मिलों को हाल में गन्ना विकास और इथेनाल के उत्पादन हेतु ऋणों के लिए परिसम्पत्तियों पर प्रभार के रूप में सिक्योरिटी देने की अनुमति देने का निर्णय किया है।

(घ) और (ङ) केंद्र सरकार चीनी उद्योग को चीनी विकास निधि से रियायती ऋण/अनुदान सहायता लेकर आधुनिकीकरण और प्रौद्योगिकी उन्नयन के जरिए चीनी की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए विभिन्न मंचों पर समय-समय पर सलाह देती है ताकि ऐसी गुणवत्ता वाली चीनी का उत्पादन किया जाए जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में स्वीकार्य हो। चीनी फैक्ट्रियां आधुनिकीकरण और प्रौद्योगिकी उन्नयन हेतु चीनी विकास निधि से ऋणों की मंजूरी के लिए नियमित रूप से केंद्र सरकार से अनुरोध करती रही हैं।

मत्स्यन प्रशिक्षण संस्थान

2867. श्री असादुद्दीन ओवेसी: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केंद्र सरकार का विचार आंध्र प्रदेश और अन्य राज्यों में नए मत्स्यन प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और राज्यवार इनकी स्थापना किन-किन स्थानों पर की जाएगी;

(ग) इन्हें कब तक शुरू किए जाने की संभावना है;

(घ) इन संस्थानों पर कुल कितनी लागत आने की संभावना है; और

(ङ) मत्स्यन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह): (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) भारत सरकार मात्स्यिकी के विकास के लिए विभिन्न केंद्रीय प्रायोजित तथा केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं के तहत राज्य सरकारों तथा संघ शासित प्रदेशों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग, कृषि मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित योजनाओं में मुख्य रूप से नामत: (1) अंतर्देशीय मात्स्यिकी तथा जलकृषि का विकास, (2) समुद्र मात्स्यिकी का विकास, मूलभूत सुविधाएं तथा पोस्ट हार्वेस्ट आपरेशन, (3) राष्ट्रीय मछुआरा कल्याण, प्रशिक्षण एवं विस्तार योजना, (4) डाटाबेस तथा सूचना नेटवर्किंग का सुदृढ़ीकरण तथा (5) विभाग के मात्स्यिकी आधारित संस्थानों को सहायता शामिल हैं। इन योजनाओं के अलावा, तटवती जलकृषि फार्मों के स्थापना की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के लिए 2005 में तटवर्ती जलकृषि प्राधिकरण अधिनियम, 2005 को भी लागू किया गया था तथा अंतर्देशीय तथा समुद्री मछली की पकड़, पालन, प्रसंस्करण तथा उसके विपणन तथा मात्स्यिकी क्षेत्र के समग्र विकास की अदोहित संभावनाओं के दोहन के लिए सितम्बर, 2006 में हैदराबाद स्थित मुख्यालय वाली राष्ट्रीय मात्स्यिकी विकास बोर्ड की स्थापना की गई है।

[हिन्दी]

राजीव सागर परियोजना

2868. श्री गणेश सिंह: क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राजीव सागर (बावनथड़ी) परियोजना मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बीच एक संयुक्त परियोजना है;

(ख) यदि हां, तो क्या महाराष्ट्र में वन भूमि के अधिग्रहण से संबंधित मामलों को मंजूरी देने में विलम्ब और महाराष्ट्र सरकार द्वारा अपने अंशदान को प्रदान करने में विलम्ब की वजह से इस परियोजना का कार्य बाधित हो रहा है;

(ग) क्या सरकार का विचार त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के अंतर्गत उच्च परियोजना को शीघ्र पूरा करना सुनिश्चित करने के लिए कोई कार्यवाही करने का है; और

(घ) यदि हां, तो उक्त परियोजना के कब तक पूरा होने की संभावना है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जय प्रकाश नारायण यादव): (क) जी, हां।

(ख) मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र क्षेत्र के संशोधित वन प्रस्ताव संबंधित वन संरक्षक द्वारा क्रमश: 8 अक्तूबर, 2006 और 11 अगस्त, 2006 को भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली को प्रस्तुत कर दिए गए हैं। वन संरक्षक (केंद्रीय) भोला ने स्थल का निरीक्षण किया और स्थल रिपोर्ट पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार को प्रस्तुत कर दी है। मध्य प्रदेश सरकार ने सूचित किया है कि महाराष्ट्र सरकार ने पहले ही अपने हिस्से की लागत का भुगतान मध्य प्रदेश सरकार को कर दिया है, और वर्तमान में इसके कारण परियोजना कार्य में कोई बाधा नहीं है।

(ग) परियोजना के मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र हिस्से को एआईबीपी में क्रमश: वर्ष 2003-04 और 2004-05 में शामिल कर लिया गया है और इस कार्यक्रम से संबंधित समय-समय पर लागू दिशानिर्देशों के तहत संबंधित राज्य सरकारों से प्राप्त प्रस्तावों और योजना आयोग द्वारा वर्ष दर वर्ष आधार पर निर्धारित की गई एआईबीपी सीलिंग के आधार पर इन राज्यों को केंद्रीय सहायता उपलब्ध कराई जा रही है।

(घ) महाराष्ट्र सरकार और जल संसाधन मंत्रालय के बीच समझौता ज्ञापन के अनुसार, एआईबीपी में शामिल महाराष्ट्र के परियोजना घटकों को महाराष्ट्र सरकार द्वारा मार्च, 2008 तक पूरा कर लिए जाने का प्रस्ताव है। मध्य प्रदेश सरकार ने सूचित किया है कि मध्य प्रदेश राज्य सरकार द्वारा जून, 2008 तक बांध को और मध्य प्रदेश की नहर प्रणाली को मार्च, 2009 तक पूरा कर लिए जाने का प्रस्ताव है।

उपभोक्ता न्यायालयों का कम्प्यूटरीकरण

2869. श्री संतोष गंगवार: क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार देश में सभी उपभोक्ता न्यायालयों का कम्प्यूटरीकरण करने और उन्हें प्रभावी बनाने के लिए उन्हें आनलाइन करने पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तस्लीमुद्दीन): (क) जी, हां।

(ख) "देश में उपभोक्ता मंचों का कम्प्यूटरीकरण और कम्प्यूटर नेटवर्किंग" की स्कीम कार्यान्वित की जा रही है जिससे उपभोक्ता मंचों को सूचना तेजी से मिल सकेगी जिससे निपटान शीघ्र होगा। स्कीम के तहत सभी तीन स्तरीय उपभोक्ता विवाद प्रतितोष एजेंसियों अर्थात जिला मंच, राज्य आयोग और राष्ट्रीय आयोग का पूरी तरह कम्प्यूटरीकरण किया जाएगा। इसके अलावा, उपभोक्ता मंचों और उपभोक्ताओं के बीच सूचना के आदान-प्रदान के लिए उन्हें नेटवर्क के जरिए भी जोड़ा जाएगा। स्कीम के सुचारू कार्यान्वयन के लिए प्रशिक्षण और तकनीकी सहायता प्रदान की जा रही है।

एस.टी.डी. की एकसमान काल दरें

2870. श्री संजय धोत्रे:
श्री हेमलाल मुर्मू:
श्रीमती भावना पुंडलिकराव गवली:

क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही में भारत संचार निगम लिमिटेड (बी.एस.एन.एल.) और महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड (एम.टी.एन.एल.) द्वारा आईएसडी/एसटीडी काल दरें घटाई गई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) काल दरों को इस प्रकार घटाए जाने से बीएसएनएल/एमटीएनएल को कुल कितना वार्षिक नुकसान हुआ है;

(घ) क्या काल दरों में इस प्रकार की कमी से उपभोक्ताओं को दी जा रही सेवाओं में कटौती की जा रही है और इन मोबाइल आपरेटरों द्वारा मौजूदा क्षमता की तुलना में अधिक कनेक्शन उपलब्ध कराए जा रहे हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) मोबाइल/सेलुलर उपभोक्ताओं को बेहतर नेटवर्क उपलब्ध कराने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(छ) क्या सरकार का विचार देश में बेसिक टेलीफोन लाइन के लिए एसटीडी काल दर को एकसमान करने का है;

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(झ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ञ) इस संबंध में सरकार द्वारा कब तक अंतिम निर्णय लिए जाने की संभावना है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) जी, नहीं। भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) और महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड (एमटीएनएल) द्वारा एसटीडी/आईएसडी काल दरों में हाल में कोई कमी नहीं की गई है।

(ख) और (ग) उपर्युक्त भाग (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(घ) और (ङ) जी, नहीं। 30.6.2007 तक की स्थिति के अनुसार उपभोक्ताओं को प्रदान की जा रही सेवाओं में कटौती नहीं की गई है, बीएसएनएल ने 28.24 मिलियन रेडियो क्षमता की तुलना में 28.42 मिलियन वैश्विक मोबाइल प्रणाली कनेक्शन (जीएसएम) प्रदान किए हैं जबकि एमटीएनएल ने 2.3 मिलियन रेडियो क्षमता की तुलना में 2.6 मिलियन जीएसएम कनेक्शन उपलब्ध कराए हैं। तथापि, नेटवर्क का निष्पादन उपभोक्ताओं द्वारा किसी दिए हुए समय में वास्तविक उपयोग पर निर्भर करता है। इस समय सेवा संतोषजनक ढंग से कार्य कर रही है और सामान्यत: भारतीय विनियामक प्राधिकरण द्वारा निर्धारित सेवा की गुणवत्ता के मानकों को पूरा कर रही है।

(च) जीएसएम आधारित सेल्युलर मोबाइल नेटवर्क के निष्पादन को लगातार इष्टतम बनाया जा रहा है और इसका निष्पादन ट्राई द्वारा निर्धारित सेवा की गुणवत्ता के मानकों के अनुसार सुनिश्चित करने के लिए नेटवर्क की मानीटरिंग को सुदृढ़ बनाया गया है। क्षमता, कवरेज तथा सेवा की गुणवत्ता वृद्धि करने के लिए उक्त नेटवर्क का उत्तरोत्तर रूप से विस्तार भी किया जा रहा है।

(छ) इस समय देश में बुनियादी टेलीफोन सेवा के लिए एसटीडी काल दर को एकसमान करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ज) उपर्युक्त भाग (छ) के मद्देनजर प्रश्न नहीं उठता।

(झ) देश में दूरसंचार सेवा प्रशुल्क को समय-समय पर यथा संशोधित दूरसंचार प्रशुल्क आदेश (टीटीओ) 1999 में निर्धारित प्रावधानों द्वारा शासित किया जाता है। दूरसंचार प्रशुल्क आदेश के मौजूदा प्रावधानों के अनुसार ग्रामीण क्षेत्र में स्थिर लाइन सेवा तथा सेल्यूलर मोबाइल सेवा में राष्ट्रीय रोमिंग सेवा तथा पट्टाशुदा लाइन सेवा को छोड़कर दूरसंचार सेवाओं के प्रशुल्क सेवा प्रदाताओं के विवेक पर छोड़ दिए गए हैं। सेवा प्रदाता उपभोक्ताओं की जरूरतों के अनुकूल किसी भी प्रशुल्क की पेशकश करने के लिए स्वतंत्र हैं।

(ञ) उपर्युक्त भाग (झ) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

दूसरे देशों को हथियारों की बिक्री

2871. श्री सुभाष सुरेशचंद्र देशमुख: क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार दूसरे देशों को अस्त्रों तथा हथियारों, युद्धपोतों और विमानों की बिक्री करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) अभी तक कितने देशों से उक्त खरीद संबंधी प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं; और

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या निर्णय लिया गया है?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (राव इन्द्रजीत सिंह): (क) और (ख) रक्षा उत्पादों के निर्यात को प्रोत्साहित करना एक सतत प्रक्रिया है और सार्वजनिक क्षेत्र के रक्षा उपक्रम तथा आयुध निर्माणी बोर्ड नेपाल, श्रीलंका, भूटान आदि जैसे देशों को रक्षा उत्पाद की बिक्री में लगे हुए हैं। सरकार ने, सार्वजनिक क्षेत्र के रक्षा उपक्रमों और आयुध निर्माणी बोर्ड के माध्यम से वर्ष 2006-2007 के दौरान 428.84 करोड़ रुपए की राशि के रक्षा उत्पादों का निर्यात किया है।

(ग) और (घ) वर्ष 2005-07 के दौरान रक्षा उत्पादों की संभव खरीद के लिए इंडोनेशिया, चिल्ली, नेपाल, मलेशिया, थाइलैंड, वियतनाम, इजरायल, अलजीरिया, बोत्स्वाना, केनिया, बेल्जियम, साइप्रस, तुर्की, सूरीराम आदि जैसे विभिन्न देशों से प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं और इनकी जांच सार्वजनिक क्षेत्र के रक्षा उपक्रमों तथा आयुध निर्माणी बोर्ड और विदेश मंत्रालय के साथ परामर्श करके की गई है तथा आर्डर दिए गए हैं।

[अनुवाद]

दोषपूर्ण उपस्कर

2872. श्री प्रबोध पाण्डा: क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विदेशी से बड़ी मात्रा में आयात किए गए उपस्कर दोषपूर्ण पाए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या 18 मई, 2007 को आयोजित एक बैठक में इस पर चर्चा की गई है कि हाल ही के महीनों में आयात किए गए अस्त्रों की महत्वपूर्ण खेप दोषपूर्ण थी; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा आपूर्तिकर्ताओं के खिलाफ क्या कदम उठाए गए हैं?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी): (क) और (ख) यह सुनिश्चित करने के लिए सुपुर्दगी किए जाने के समय रक्षा उपस्कर दोषमुक्त अवस्था में हों, संविदाओं में आवश्यक प्रावधान शामिल किए जाते हैं। उत्तरवर्ती दोषों/खराबियों के लिए संविदाओं में रक्षोपाय किए जाते हैं।

(ग) बैठक में इस मुद्दे पर जिक्र आया था।

(घ) जब कभी दोष पाए जाते हैं, संविदा की निबंधन और शर्तों का सहारा लिया जाता है।

मौसम संबंधी पूर्वानुमान

2873. श्री किन्जरपु येरननायडु: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में मौसम संबंधी पुर्वानुमान की स्थिति क्या है;

(ख) बाढ़ और सुखा जैसी प्राकृतिक आपदाओं से किसानों की फसलों को बचाने के लिए यह उनके लिए किस प्रकार से लाभकारी है; और

(ग) किसानों के बीच मौसम संबंधी पुर्वानुमान के संबंध में जागरूकता पैदा करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) भारत मौसम विज्ञान विभाग तथा राष्ट्रीय मध्यम श्रेणी मौसम पूर्वानुमान केन्द्र, भू-विज्ञान मंत्रालय द्वारा भिन्न-भिन्न सामयिक तथा स्थानिक श्रेणियों में मौसम पूर्वानुमान जारी किये जाते हैं। वर्षा पूर्वानुमानों के ब्यौरे जो कृषि हेतु महत्वपूर्ण हैं नीचे दिये गये हैं:

(1) 3 दिवसों तक अल्प श्रेणी वर्षा पूर्वानुमान देश में स्थित सभी 36 मौसम विज्ञान सब-डिविजनों के लिए प्रतिदिन तैयार किये जाते हैं।

(2) मध्यम श्रेणी वर्षा पूर्वानुमान (3-7 दिवस) संपूर्ण देश के लिए तैयार किये जाते हैं।

(3) लम्बी श्रेणी के वर्षा पूर्वानुमान समग्र रूप से पूरे देश के लिए तथा 4 समान क्षेत्रों के लिए भी तैयार किये जाते हैं। मार्च तक के आंकड़ों के आधार पर प्रथम पूर्वानुमान अप्रैल में तथा मई तक के आंकड़ों के आधार पर जून में दूसरे पूर्वानुमान जारी किए जाते हैं।

(ख) विशिष्ट मौसम सूचना किसानों को कृषि संबंधी कार्यों में उपयुक्त उपयोग हेतु सहायता करती है जिसमें उपयोग में लाए जाने वाले सिंचाई प्रबंधन तथा प्रतिकूल मौसम घटनाओं आदि से फसल/पशु रक्षा शामिल है। किसान वर्ग की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भारत मौसम विभाग देश में कृषि मौसम संबंधी परामर्श सेवा प्रदान करता है और किसानों को उनके वर्तमान तथा अनुमानित मौसम पर आधारित निष्कर्ष लेने में सहायता प्रदान करने हेतु मौसम आधारित, कृषि मौसम संबंधी परामर्श जारी करता है।

(ग) तैयार किये गये सलाहकारी बुलेटिन जन संचार के विभिन्न माध्यमों द्वारा प्रसारित किये जाते है। आकाशवाणी तथा दूरदर्शन द्वारा बुलेटिनों का प्रसारण किया जाता है। सलाहकारी बुलेटिनों की प्रमुख विशेषताओं को स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशित किया जाता है। बुलेटिनों को प्रयोगकर्ता समुदाय की पहुंच हेतु भारत मौसम विज्ञान विभाग/राष्ट्रीय मध्यम श्रेणी मौसम पूर्वानुमान केन्द्र/विश्वविद्यालयों के विभिन्न वैब पृष्ठों पर भी जारी किया जाता है। सेवा के बारे में जागरूकता पैदा करने लिए किसान सभाओं तथा किसान मेलों के माध्यम से कृषक समुदाय के बीच चर्चाओं का आयोजन किया जाता है। वैज्ञानिक द्वारा रेडियो और दूरदर्शन पर चर्चा का आयोजन भी किया जाता है तथा प्रिंट मीडिया में लोकप्रिय लेख प्रकाशित किए जाते हैं।

[हिन्दी]

प्रतिभा पलायन को रोकने की नीति

2874. श्री रामदास आठवले: क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार द्वारा विभिन्न क्षेत्रों से लगातार हो रहे प्रतिभा पलायन को रोकने के लिए एक समुचित और प्रभावी नीति बनाने हेतु कोई कदम उठाया गया है अथवा उठाए जाने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ऑस्कर फर्नांडीस): (क) और (ख) केन्द्र सरकार ने विभिन्न क्षेत्रों से व्यावसायिकों का बहिर्गमन कम करने के साथ-साथ विदेशों में बसे

वैज्ञानिकों तथा प्रौद्योगिकीविदों को भारत वापस आने के लिए आकर्षित करने के लिए भी समय-समय पर अनेक उपाय किए हैं। इनमें से कुछ उपाय निम्न प्रकार हैं:-

(1) विश्वविद्यालयों तथा शैक्षिक संस्थानों में उत्कृष्टता/उन्नत अध्ययन के और अधिक संस्थानों की स्थापना करना।

(2) उद्यमीय विकास हेतु विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी आधारित प्रशिक्षण।

(3) विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के अग्रणी एवं उभरते हुए क्षेत्रों में सहायता प्रदान करने के लिए अल्पावधि तकनीकी कार्यों हेतु फेलोशिप की संख्या एवं धनराशि में वृद्धि करना जिसके परिणामस्वरूप अधिकाधिक विद्यार्थियों ने एम. टेक कार्यक्रम में शामिल होना आरंभ कर दिया है।

(4) एम. टेक कार्यक्रम हेतु फेलोशिप की संख्या एवं धनराशि में वृद्धि करना जिसके परिणामस्वरूप अधिकाधिक विद्यार्थियों ने एम. टेक कार्यक्रम में शामिल होना आरंभ कर दिया है।

(5) संकाय पूर्व प्रवेश कार्यक्रम जिसका उद्देश्य प्रौद्योगिकी/फार्मेसी/वास्तुविद्या इत्यादि के मेधावी एवं युवा पूर्वस्नातक विद्यार्थियों को शिक्षण को आजीविका के रूप में अपनाने हेतु आकर्षित करना है।

(6) औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में स्थायी संकाय पदों पर अप्रवासी भारतीयों तथा भारतीय मूल के व्यक्तियों की नियुक्ति।

(7) औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों ने विद्यार्थियों को स्नातक के पश्चात् निजी उद्यम आरंभ करने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए नवीन एवं प्रारंभिक केंद्र भी स्थापित किए हैं।

(8) स्नातक विद्यार्थियों को विभिन्न एजेंसियों द्वारा निधिकृत प्रायोजित अनुसंधान परियोजनाओं में कार्य जारी रखने हेतु प्रोत्साहित करना।

(9) विद्यार्थियों के आजीविका विकल्पों हेतु परामर्श सत्र आयोजित करना तथा भारतीय उद्योगों तथा भारत में पंजीकृत संगठनों में विद्यार्थियों की भर्ती हेतु आवश्यक कदम उठाना।

(ग) उपर्युक्त (क) एवं (ख) के संदर्भ में प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

सैनिक बोर्डों में कर्मचारियों की अपर्याप्त संख्या

2875. श्री हरिभाऊ राठौड़: क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कुछ राज्य सैनिक बोर्डों और जिला सैनिक बोर्डों में कर्मचारियों की संख्या और आवास सुविधाएं पर्याप्त नहीं हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में केंद्र सरकार के निदेश के बावजूद कुछ राज्य सरकारें राज्य सैनिक बोर्डों और जिला सैनिक बोर्डों में रिक्त पदों को नहीं भर पा रही हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) महाराष्ट्र के राज्य सैनिक बोर्ड और जिला सैनिक बोर्डों की क्या स्थिति है;

(ङ) महाराष्ट्र के राज्य सैनिक बोर्ड और जिला सैनिक बोर्डों में कितने पद रिक्त हैं और इन्हें भरने के लिए क्या प्रयास किए गए हैं; और

(च) राज्य सैनिक बोर्ड और जिला सैनिक बोर्डों की स्थिति में सुधार लाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.एम. पल्लम राजू): (क) जी, हां।

(ख) से (ङ) महाराष्ट्र सहित विभिन्न राज्यों/संघ शासित प्रदेशों में स्थित इन बोर्डों के पदों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। सरकार ने राज्य सरकारों/संघ शासित प्रदेशों के प्रशासन से इन बोर्डों के रिक्त पदों को शीघ्र भरने का अनुरोध किया है और उनकी प्रतिक्रिया सकारात्मक रही है।

(च) सरकार ने राज्य सरकारों और संघ शासित प्रदेशों के प्रशासन के साथ आवास और वाहन, कंप्यूटरीकरण और केंद्रीय सैनिक बोर्ड और पुनर्वास महानिदेशालय के साथ तालमेल, ईएसएम निगमों की स्थापना और इन बोर्डों के लिए जिला प्राधिकारियों के सहयोग से जिला स्तर पर शिकायत निवारण तंत्र को बेहतर बनाने सहित पर्याप्त बुनियादी ढांचे के प्रावधान जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों को उठाया है और इन मुद्दों के निपटान के लिए तत्काल कदम उठाने का अनुरोध किया है।

विवरण

राज्य सैनिक बोर्डों और जिला सैनिक बोर्डों में पदों का ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित प्रदेश	राज्य सैनिक बोर्डों की नफरी						जिला सैनिक बोर्डों की नफरी					
		अफसर			स्टाफ			अफसर			स्टाफ		
		प्राधिकृत	धारित	रिक्त	प्राधिकृत	धारित	रिक्त	प्राधिकृत	धारित	रिक्त	प्राधिकृत	धारित	रिक्त
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	आंध्र प्रदेश	4	3	1	34	26	8	23	14	9	158	135	23
2.	अरुणाचल प्रदेश	1	1	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0
3.	असम	4	3	1	26	11	15	10	1	9	63	37	26
4.	बिहार	2	2	0	16	8	8	9	9	0	98	38	49
5.	छत्तीसगढ़	2	2	0	14	10	4	8	6	2	61	41	20
6.	दिल्ली	3	1	2	14	11	3	0	0	0	0	0	0
7.	गोवा	1	1	0	13	10	3	0	0	0	0	0	0
8.	गुजरात	2	1	1	17	16	1	5	4	1	35	30	5
9.	हरियाणा	4	4	0	47	42	5	19	4	15	427	321	106
10.	हिमाचल प्रदेश	3	1	2	32	24	8	10	10	0	95	54	41
11.	जम्मू-कश्मीर	2	2	0	16	15	1	10	7	3	100	97	3
12.	झारखंड	2	2	0	13	3	10	4	3	1	40	37	3
13.	कर्नाटक	3	2	1	19	12	7	11	5	6	96	59	37
14.	केरल	6	4	2	35	24	11	24	16	8	114	93	21
15.	मध्य प्रदेश	4	4	0	38	36	2	24	22	2	174	165	9
16.	महाराष्ट्र	4	4	0	37	37	0	30	20	10	330	322	8
17.	मणिपुर	1	1	0	5	3	2	2	1	1	5	1	4
18.	मेघालय	1	1	0	11	9	2	1	1	0	9	7	2
19.	मिजोरम	2	2	0	23	23	0	2	2	0	15	14	1
20.	नागालैंड	3	2	1	12	6	6	5	1	4	31	19	12
21.	उड़ीसा	2	1	1	01	9	1	6	4	2	45	24	21
22.	पंजाब	4	4	0	34	26	8	17	8	9	226	120	106
23.	राजस्थान	3	3	0	24	22	2	24	19	5	122	96	26
24.	सिक्किम	2	1	1	16	9	7	3	3	0	7	7	0
25.	तमिलनाडु	8	4	4	55	41	14	25	21	4	271	223	48

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
26.	त्रिपुरा	2	2	0	15	14	1	0	0	0	0	0	0
27.	उत्तरांचल	3	2	1	23	8	15	14	13	1	220	66	154
28.	उत्तर प्रदेश	5	3	2	44	39	5	65	27	38	557	435	122
29.	पश्चिम बंगाल	3	1	2	24	21	3	12	8	4	128	94	34
30.	अंडमान व निकोबार (संघ शासित प्रदेश)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31.	चंडीगढ़ (संघ शासित प्रदेश)	0	0	0	0	0	0	2	1	1	9	9	0
32.	पांडिचेरी (संघ शासित प्रदेश)	1	1	0	7	7	0	0	0	0	0	0	0
	कुल	87	65	22	676	524	152	365	230	135	3425	2544	881

कुल प्राधिकृत स्टाफ	4553
कुल धारित स्टाफ	3363
कुल रिक्त पद	1190

डब्ल्यूएलएल टावर का लक्ष्य

2876. श्री वी.के. ढुम्मर:
श्री हरिसिंह चावड़ा:

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वायरलेस इन लोकल लूप टावरों को लगाए जाने का लक्ष्य हासिल नहीं किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान उपस्करों की खरीद में विलंब के लिए दोषी पाए गए अधिकारियों का ब्यौरा क्या है;

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान इस संबंध में निर्धारित लक्ष्य क्या हैं;

(ङ) इन लक्ष्यों को कितना हासिल किया गया है; और

(च) लक्ष्यों की उपलब्धियों पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) से (च) भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) वायरलैस इन लोकल लूप (डब्ल्यूएलएल) स्विचन क्षमता के रूप में लक्ष्य निर्धारित करता है। स्विचन क्षमता के रूप में लक्ष्यों तथा उपलब्धियों और डब्ल्यूएलएल टावरों के रूप में प्राप्त उपलब्धि के ब्यौरे निम्नानुसार हैं:-

	2004-05		2005-06		2006-07	
	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि
डब्ल्यूएलएल क्षमता	24,00,000	5,41,200	20,99,400	12,86,010	14,40,000	13,77,800
टावरों की संख्या (बीटीएस)	3,200	722	2,799	1,715	1,920	1,837

वर्ष 2004-05, 2005-06 और 2006-07 के लक्ष्यों के संबंध में उपलब्धि के आंकड़े क्रमश: 23%, 61% और 96% रहे।

लक्ष्यों की तुलना में बीएसएनएल की उपलब्धियों में कमी निम्नलिखित कारणों से आई:

(1) बीएसएनएल के नेटवर्क में पहली बार नई प्रौद्योगिकी की शुरूआत किए जाने के कारण उपस्करों के वैधीकरण के कार्य में पूर्वानुमानित अवधि से अधिक समय लग गया।

(2) विक्रेताओं द्वारा उपस्करों की आपूर्ति और संस्थापना में विलंब।

(3) विक्रेताओं द्वारा 2005-06 के दौरान अग्रिम क्रय आदेशों को स्वीकार नहीं किया जाना।

(4) दूर-दराज के तथा ग्रामीण क्षेत्रों में अवसंरचना तैयार करने में कठिनाई।

(5) जम्मू एवं कश्मीर, पूर्वोत्तर क्षेत्र, छत्तीसगढ़ आदि जैसे उग्रवाद संभावित क्षेत्रों में कानून और व्यवस्था की समस्या।

संबंधित कर्मचारी की गलती के कारण विगत तीन वर्षों के दौरान उपस्कर के प्रापण में कोई विलंब नहीं हुआ था।

जहां तक महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड (एमटीएनएल) का संबंध है, इस सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम ने 2004-05 में दिल्ली और मुंबई में, प्रत्येक में 4 लाख लाइनों वाले सीडीएमए-डब्ल्यूएलएल नेटवर्क की योजना बनाई थी। दोनों शहरों में नेटवर्क को फरवरी, 2006 में चालू किया गया था। तथापि, प्रत्येक शहर में 222 बीटीएस चालू करने के लक्ष्य के मुकाबले इसकी उपलब्धि दिल्ली में 220 और मुंबई में 199 रही। दिल्ली में शेष बचे दो टावरों को 31.12.2007 तक चालू किया जाएगा और मुंबई में शेष 23 टावरों को 31.03.2008 तक उत्तरोत्तर रूप से चालू कर दिया जाएगा।

लक्ष्यों को पूरा करने में विलंब विक्रेता द्वारा आपूर्ति तथा नेटवर्क को चालू करने में विलंब किए जाने के कारण हुआ।

[अनुवाद]

ग्रामीण ऋण और माइक्रो वित्त का संवितरण

2877. श्री इकबाल अहमद सरडगी: क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या डाक विभाग का देश में ग्रामीण ऋण और माइक्रो वित्त के संवितरण का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो क्या डाक विभाग ग्राहकों की पहचान करने से लेकर पते की जांच करने तक की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए विस्तृत प्रशिक्षण कार्यक्रमों की पेशकश कर रहा है जिसके लिए विभाग प्रति ग्राहक 600-650 रु. अर्जित करता है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) जी, हां। डाक विभाग नाबार्ड के साथ मिलकर तमिलनाडु राज्य के चुनिंदा डाकघरों में एक प्रायोगिक परियोजना के माध्यम से ग्रामीण ऋण का संवितरण कर रहा है।

(ख) और (ग) डाक विभाग अपने स्टाफ को प्रचालनात्मक प्रक्रियाओं के बारे में प्रशिक्षण प्रदान करता है जबकि नाबार्ड स्वयं सहायता समूहों की पहचान के बारे में प्रशिक्षण देता है। विभाग संवितरित ऋण पर वसूले गए ब्याज के प्रतिशत के रूप में पारिश्रमिक अर्जित करता है, नियत राशि के रूप में नहीं।

बीएसएनएल/एमटीएनएल द्वारा नि:शुल्क गैर-जीवन बीमा

2878. श्री एल. राजगोपाल: क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बीएसएनएल तथा एमटीएनएल का विचार अपने सभी ग्राहकों को नि:शुल्क गैर-जीवन बीमा प्रदान करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या बीएसएनएल तथा एमटीएनएल इस संबंध में होने वाले घाटे को वहन करेंगे; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी धनराशि सहित ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) और (ख) भारत संचार निगम लिमिटेड का अपने स्थिर लाइन और पोस्ट-पेड सेल्यूलर उपभोक्ताओं को गैर-जीवन बीमा प्रदान करने का प्रस्ताव है। इस समय, महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड का ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) और (घ) उपर्युक्त भाग (क) और (ख) के मद्देनजर प्रश्न नहीं उठता।

जलवायु परिवर्तन का प्रभाव

2879. **श्री निखिल कुमार:**
प्रो. महादेवराव शिवनकर:
श्री राजेश पाठक:
श्री एकनाथ महादेव गायकवाड:
श्रीमती निवेदिता माने:
श्री सुभाष सुरेशचंद्र देशमुख:
श्री जसुभाई धानाभाई बारड़:

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या संयुक्त राष्ट्र ने ग्लोबल वार्मिंग के कारण कृषि को होने वाले खतरे के बारे में चेतावनी दी है जैसाकि दिनांक 9 अगस्त, 2007 के 'मिन्ट' में 'वार्मिंग थ्रेटन्स फार्मलैण्ड्स इन इंडिया, यू एन आफिशियल काशन्स' से समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या देश में खाद्यान्न उत्पादन पर जलवायु परिवर्तन के संभावित प्रभाव के संबंध में सरकार द्वारा कोई मूल्यांकन किया गया है;

(घ) यदि हां, तो इसका क्या परिणाम निकला; और

(ङ) इस स्थिति से निपटने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) भारतीय कृषि पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव के बारे में संयुक्त राष्ट्र (यू.एन.) के शीर्ष पदाधिकारी का सन्दर्भ लेते हुए दिनांक 9.8.2007 को 'मिन्ट' में एक रिपोर्ट प्रकाशित हुई है।

(ख) सरकार जलवायु परिवर्तन के प्रभाव का अध्ययन करने तथा इसके अनुकूलन और इसे कम करने के उपायों को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है।

(ग) और (घ) प्रारंभिक अनुरूपण और प्रायोगिक अध्ययनों ने जलवायु में परिवर्तन होने के कारण खाद्यान्न उत्पादन में कमी दर्शायी है।

(ङ) भारतीय कृषि तथा अर्थव्यवस्था पर जलवायु परिवर्तन के संभावित प्रभावों पर विचार करते हुए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने अपनी अनुसंधान रणनीति को पुन: नवीकृत किया है तथा वैश्विक जलवायु परिवर्तन के प्रति फसलों, मृदाओं, जल, मछली तथा पशुधन की संवेदनशीलता को निर्धारित करने के लिए 15 अनुसंधान केंद्रों के साथ वर्ष 2004 में जलवायु परिवर्तन के लिए भारतीय कृषि के प्रभाव, अनुकूलन और सुभेद्यता पर राष्ट्रीय नेटवर्क परियोजना शुरू की है।

आऊटसोर्सिंग में वृद्धि

2880. **श्री चन्द्रकांत खैरे:** क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आऊटसोर्सिंग बाजार में कार्यरत भारतीय कंपनियां अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के साथ मुकाबला करने में सक्षम है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा आऊटसोर्सिंग बाजार में कितनी कंपनियां कार्यरत हैं तथा गत तीन वर्षों के दौरान आज की तारीख तक कितने साफ्टवेयर का निर्यात किया गया और इससे कितनी आय हुई;

(ग) क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है और उसे हासिल कर लिया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा सरकार द्वारा ग्रामीण स्तर पर तथा गरीब लोगों को सस्ते कम्प्यूटर उपलब्ध करवाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) जी, हां।

(ख) साफ्टवेयर निर्यात संवर्धन परिषद (ईएससी) के अनुसार भारत में अनुमानत: लगभग 5000 सूचना प्रौद्योगिकी तथा सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित सेवा निर्यात कंपनियां हैं।

नैसकाम के अनुसार पिछले तीन वर्षों में कम्प्यूटर साफ्टवेयर एवं आईटीईएस/बीपीओ के क्षेत्र में भारत से हुआ निर्यात नीचे दिए अनुसार हैं:

2004-05	:	17.7 बिलियन अमरीकी डालर
2005-06	:	23.6 बिलियन अमरीकी डालर
2006-07	:	31.3 बिलियन अमरीकी डालर

(ग) और (घ) ईएससी के अनुसार कम्प्यूटर साफ्टवेयर

सेवाओं तथा आईटीईएस/बीपीओ के क्षेत्र में वर्ष 2006-07 के लिए निर्यात का लक्ष्य 14000 करोड़ रुपए (31.11 बिलियन अमरीकी डालर) निर्धारित किया गया था और इसे हासिल कर लिया गया है।

सरकार जनता को कम दाम पर वैयक्तिक कम्प्यूटर उपलब्ध कराने के लिए उद्योग को सुविधाएं उपलब्ध करा रही है। तीन कम्पनियों ने ऐसे वैयक्तिक कम्प्यूटर पेश किए हैं जिनका बाजार मूल्य 10,000/- रुपए से कम है। संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा वैयक्तिक कम्प्यूटर के प्रसार, इन्टरनेट तथा देशीय साफ्टवेयर पर गठित विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट में भारत के लिए एक दृष्टिकोण प्रस्तुत किया गया है जिसमें वर्ष 2008 तक वैयक्तिक कम्प्यूटर के प्रसार की गति बढ़ा कर 65 वैयक्तिक कम्प्यूटर प्रति 1000 व्यक्तिक करना शामिल है जो इस समय 18.5 वैयक्तिक कम्प्यूटर प्रति 1000 व्यक्ति है।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय बागवानी मिशन का विस्तार

2881. श्री सुभाष महरिया:
श्री मंजुनाथ कुन्नुर:
श्री बालासाहिब विखे पाटील:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय बागवानी मिशन चरण-II की विस्तार सूची जारी कर दी गई है;

(ख) यदि हां, तो इस परियोजना के लिए राजस्थान और कर्नाटक सहित विभिन्न राज्यों के कितने नए जिलों की पहचान की गई है;

(ग) क्या नए जिलों को शामिल करने के लिए भौगोलिक क्षेत्र और जनसंख्या को मानदण्ड के रूप में माना जा रहा है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) और (ख) 2007-08 के दौरान राष्ट्रीय बागवानी मिशन संबंधी केंद्रीय प्रायोजित स्कीम को विभिन्न राज्यों में अन्य 69 जिलों में लागू किया गया है। जबकि अब तक कर्नाटक में नये जिलों को शामिल नहीं किया गया है, राजस्थान में 6 नये जिले शामिल किये गये हैं।

(ग) और (घ) किसी जिले में बागवानी फसलों की खेती के लिये क्षमता, बागवानी फसलों के तहत मौजूदा क्षेत्र तथा सस्य-जलवायवीय दशायें प्रमुख मानदण्ड हैं जिन पर स्कीम के तहत नये जिलों को शामिल करने के लिये ध्यान दिया जाता है।

[अनुवाद]

पनधारा विकास कार्यक्रम

2882. श्री एम. शिवन्ना: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कर्नाटक में विश्व बैंक की सहायता प्राप्त पनधारा विकास कार्यक्रम की कार्यान्वयन अवधि को अप्रैल, 2007 से मार्च, 2008 तक बढ़ा दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) जी, हां। कर्नाटक में विश्व बैंक से सहायता प्राप्त पनधारा विकास कार्यक्रम के क्रियान्वयन की अवधि अप्रैल, 2007 से बढ़ाकर मार्च, 2008 कर दी गई है।

(ख) कर्नाटक में विश्व बैंक सहायता प्राप्त पनधारा विकास कार्यक्रम 10.9.2001 को शुरू हुआ और इसे 31.3.2007 को समाप्त होना था। कर्नाटक सरकार ने सूचित किया कि परियोजना के कुछ घटक निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार समय पर शुरू नहीं हो सके और परियोजना को पूरा करने में और अधिक समय लगेगा। भारत सरकार के स्तर पर इस परियोजना की समीक्षा की गई तथा विश्व बैंक से परियोजना की अवधि बढ़ाने के लिए अनुरोध किया गया। वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग ने अपने दिनांक 09.4.2007 के अ.शा. पत्र सं.-4/2/2000-एफ.बी. के तहत परियोजना की अवधि अप्रैल, 2007 से मार्च, 2008 तक बढ़ाने के लिए विश्व बैंक के अनुमोदन की जानकारी दी।

चीनी की आपूर्ति में बढ़ोत्तरी

2883. श्री पी.एस. गढ़वी: क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कुछ राज्यों, विशेष रूप से गुजरात ने केन्द्र सरकार से अपने राज्य की चीनी की आपूर्ति बढ़ाने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) इसे कब तक कार्यान्वित किए जाने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह): (क) और (ख) आंध्र प्रदेश सरकार ने हाल ही में लेवी चीनी का अपना मासिक कोटा बढ़ाने का अनुरोध किया था। तथापि, इसे स्वीकार नहीं किया गया। गुजरात को लेवी चीनी की आपूर्ति बढ़ाने के लिए हाल में गुजरात सरकार से कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

भूतपूर्व सैनिकों को ईसीएचएस सुविधाएं

2884. श्रीमती मेनका गांधी: क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने दिसंबर, 2002 में भूतपूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना (ईसीएचएस) शुरू की है;

(ख) यदि हां, तो क्या कोई मान्य स्मार्ट कार्ड धारी ईसीएचएस सदस्य भारत के किसी भी ईसीएचएस पालिक्लिनिक में इलाज करवा सकता है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या ऐसे मामले भी हैं जिनमें संबद्ध व्यक्ति के गृह नगर के अतिरिक्त किसी कस्बे अथवा क्लिनिक में कोई मान्य स्मार्ट कार्ड धारक को उपचार करने से मना कर दिया गया हो;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा उपचार न करने के क्या कारण हैं;

(च) क्या सरकार ने इस योजना की समीक्षा की है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसका क्या परिणाम निकला?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.एम. पल्लम राजू): (क) भूतपूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना दिसंबर, 2002 में मंजूर की गई थी और 1 अप्रैल, 2003 से लागू की गई थी।

(ख) और (ग) भूतपूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना का सदस्य भारत में भूतपूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना के किसी भी पालीक्लिनिक में इलाज करवा सकता है। तथापि, औषधियां अन्य स्टेशनों के अस्थाई दौरे पर सात दिनों तक सीमित हैं। यदि सदस्य को अन्य स्टेशनों पर लम्बे समय तक इलाज करवाना अपेक्षित हो तो उसे अपने मूल पालीक्लिनिक से "अस्थाई संलग्नता प्रमाण-पत्र" प्राप्त करने की जरूरत होती है जो छह माह के लिए वैध है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

(च) और (छ) इस योजना की नीतियों और प्रक्रियाओं की समीक्षा करना एक सतत प्रक्रिया है। पुनरीक्षा के क्रम में निम्नलिखित सुधार किए गए हैं:-

(1) युद्ध विधवाओं को अंशदान का भुगतान करने में छूट;

(2) चिकित्सा/अर्द्ध-चिकित्सा कर्मचारियों के संविदागत नियोजन की निबंधन और शर्तों को सरल बनाना और संशोधित करना;

(3) स्मार्ट कार्ड धारकों के लिए एसटीडी युक्त सिविल टेलीफोन का प्रावधान;

(4) भूतपूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना के लाभार्थियों को उनकी रैंक संरचना के अनुसार पैनल में रखे गए अस्पतालों में साधारण/अर्द्ध-निजी/निजी वार्ड सुविधा की हकदारी;

(5) युद्ध निशक्त पेंशनभोगियों को अंशदान का भुगतान करने में छूट।

पशुधन स्वास्थ्य एवं रोग नियंत्रण योजना

2885. श्री रवि प्रकाश वर्मा: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केंद्र सरकार ने पूरे देश में केन्द्र द्वारा प्रायोजित "पशुधन स्वास्थ्य एवं रोग नियंत्रण" योजना शुरू की है;

(ख) यदि हां, तो इस योजना के घटकों का ब्यौरा क्या है;

(ग) इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक राज्य को कितनी केन्द्रीय सहायता प्रदान की गई अथवा प्रदान की जा रही है; और

(घ) उक्त योजना के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए केन्द्र सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह): (क) और (ख) जी, हां। "पशुधन स्वास्थ्य तथा

रोग नियंत्रण कार्यक्रम'' नामक केंद्रीय प्रायोजित योजना को 2003-04 से देशभर में क्रियान्वित किया जा रहा है। इस योजना के निम्नलिखित घटक हैं:-

(1) पशु रोग नियंत्रण के लिए राज्यों को सहायता।

(2) राष्ट्रीय पशुप्लेग परियोजना।

(3) व्यावसायिक दक्षता विकास।

(4) खुरपका तथा मुंहपका रोग नियंत्रण कार्यक्रम।

(ग) विगत चार वर्षों तथा चालू वित्त वर्ष के दौरान उपर्युक्त चार घटकों के तहत प्रत्येक राज्य की प्रदान की गई केन्द्रीय सहायता का संलग्न विवरण-I से IV में दर्शाया गया है।

(घ) योजना के प्रभावकारी क्रियान्वयन के लिए प्रत्येक राज्य के लिए प्रमुख घटकों के लिए कार्य योजना स्वीकृत की जा चुकी है तथा बैठकों का आयोजन करके, विभिन्न राज्यों में अधिकारियों का दौरा करके तथा वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से इस पर नियमित रूप से निगरानी रखी जाती है।

विवरण I

''पशु रोग नियंत्रण के लिए राज्यों को सहायता'' के तहत प्रदत्त केंद्रीय सहायता

(लाख रुपए में)

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित प्रदेश का नाम	2003-04 के दौरान जारी राशि	2004-05 के दौरान जारी राशि	2005-06 के दौरान जारी राशि	2006-07 के दौरान जारी राशि	2007-08 के दौरान आज तक जारी राशि
1	2	3	4	5	6	7
1.	आंध्र प्रदेश	184.00	216.12	0.00	500.00	250.00
2.	बिहार	253.188	0.00	192.96	0.00	0.00
3.	छत्तीसगढ़	46.33	174.50	53.59	450.00	0.00
4.	गोवा	8.00	24.33	15.28	30.22	25.00
5.	गुजरात	246.715	439.37	293.00	455.00	0.00
6.	हरियाणा	211.247	327.86	256.00	150.00	200.00
7.	हिमाचल प्रदेश	67.16	75.60	8.30	103.64	75.00
8.	जम्मू-कश्मीर	74.55	203.20	200.00	200.00	200.00
9.	झारखंड	141.58	6.37	50.00	0.00	0.00
10.	कर्नाटक	74.00	451.30	400.00	865.14	0.00
11.	केरल	80.00	0.00	150.00	197.23	0.00
12.	मध्य प्रदेश	6.00	234.15	275.48	195.00	0.00
13.	महाराष्ट्र	91.20	665.65	704.65	1035.00	500.00
14.	उड़ीसा	210.25	330.06	229.00	270.00	400.00
15.	पंजाब	32.00	156.05	0.00	369.97	0.00
16.	राजस्थान	87.57	204.42	267.04	257.00	250.00

1	2	3	4	5	6	7
17.	तमिलनाडु	63.60	300.42	999.00	200.00	350.00
18.	उत्तर प्रदेश	414.15	263.33	1222.46	0.00	400.00
19.	उत्तरांचल	11.06	124.71	103.465	157.80	100.00
20.	पश्चिम बंगाल	105.40	464.97	491.775	547.00	0.00
21.	अरुणाचल प्रदेश	45.00	50.40	100.65	91.46	100.00
22.	असम	247.24	0.00	0.00	0.00	0.00
23.	मणिपुर	64.65	104.06	58.33	96.54	100.00
24.	मेघालय	42.10	23.34	81.02	97.31	75.00
25.	मिजोरम	101.05	168.87	243.68	251.10	125.00
26.	नागालैंड	176.24	315.00	345.64	301.32	150.00
27.	सिक्किम	32.09	0.00	50.86	57.27	75.00
28.	त्रिपुरा	154.23	43.33	219.82	142.08	0.00
29.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	35.20	48.30	53.63	55.20	40.00
30.	पांडिचेरी	4.00	11.70	10.23	18.80	0.00
31.	अंड. एवं निको. द्वीपसमूह	7.20	4.67	10.83	16.00	8.00
32.	चंडीगढ़	6.00	4.10	4.80	5.60	4.00
33.	दादर एवं नगर हवेली	0.20	0.33	0.00	11.40	0.00
34.	दमन एवं दीव	0.20	0.33	1.71	1.00	0.00
35.	लक्षद्वीप	3.60	13.24	12.66	16.00	8.00

विवरण II

राष्ट्रीय पशुप्लेग उन्मूलन परियोजना के तहत प्रदत्त केंद्रीय सहायता

(लाख रुपए में)

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित प्रदेश का नाम	2003-04 के दौरान जारी राशि	2004-05 के दौरान जारी राशि	2005-06 के दौरान जारी राशि	2006-07 के दौरान जारी राशि	2007-08 के दौरान आज तक जारी राशि
1	2	3	4	5	6	7
1.	आंध्र प्रदेश	10.00	40.00	35.00	35.00	0.00
2.	बिहार	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

1	2	3	4	5	6	7
3.	छत्तीसगढ़	10.00	10.00	10.00	15.00	0.00
4.	गोवा	10.00	10.00	25.00	0.00	0.00
5.	गुजरात	25.00	20.00	30.00	15.00	5.00
6.	हरियाणा	20.00	35.00	30.00	20.00	10.00
7.	हिमाचल प्रदेश	20.00	15.00	22.00	15.00	10.00
8.	जम्मू-कश्मीर	20.00	32.50	23.00	5.00	0.00
9.	झारखंड	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00
10.	कर्नाटक	25.00	40.00	38.00	49.00	0.00
11.	केरल	20.00	15.00	10.00	25.00	8.00
12.	मध्य प्रदेश	25.00	35.00	10.00	25.00	7.00
13.	महाराष्ट्र	25.00	35.00	35.00	34.94	15.00
14.	उड़ीसा	20.00	15.00	15.00	20.00	5.00
15.	पंजाब	15.00	15.00	15.00	30.00	0.00
16.	राजस्थान	25.00	20.00	30.00	15.00	10.00
17.	तमिलनाडु	10.00	15.00	30.00	25.00	0.00
18.	उत्तर प्रदेश	20.00	20.00	25.00	25.00	10.00
19.	उत्तरांचल	10.00	10.00	0.00	0.00	5.00
20.	पश्चिम बंगाल	10.00	35.00	45.00	45.00	0.00
21.	अरुणाचल प्रदेश	15.00	25.00	35.00	35.00	0.00
22.	असम	25.00	20.00	20.00	10.00	0.00
23.	मणिपुर	15.00	10.00	10.00	10.00	0.00
24.	मेघालय	25.00	10.00	0.00	5.00	5.00
25.	मिजोरम	15.00	10.00	20.00	20.00	0.00
26.	नागालैंड	15.00	10.00	15.00	15.00	10.00
27.	सिक्किम	20.00	10.00	0.00	15.00	0.00
28.	त्रिपुरा	20.00	10.00	20.00	0.00	0.00
29.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	5.00	4.00	10.00	8.00	8.00
30.	पांडिचेरी	5.00	6.00	0.00	2.00	0.00
31.	अंड. एवं निको. द्वीपसमूह	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00

1	2	3	4	5	6	7
32.	चंडीगढ़	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00
33.	दादर एवं नगर हवेली	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00
34.	दमन एवं दीव	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00
35.	लक्षद्वीप	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00

विवरण III

व्यावसायिक दक्षता विकास के तहत प्रदत्त केंद्रीय सहायता

(लाख रुपए में)

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित प्रदेश का नाम	2003-04 के दौरान जारी राशि	2004-05 के दौरान जारी राशि	2005-06 के दौरान जारी राशि	2006-07 के दौरान जारी राशि	2007-08 के दौरान आज तक जारी राशि
1	2	3	4	5	6	7
1.	आंध्र प्रदेश	3.60	5.00	3.00	1.00	3.00
2.	बिहार	1.20	1.00	1.213	1.812	0.00
3.	छत्तीसगढ़	0.80	0.00	7.50	0.00	3.00
4.	गोवा	2.00	1.25	0.00	0.00	5.00
5.	गुजरात	4.00	5.00	5.00	10.00	5.00
6.	हरियाणा	9.00	6.50	4.00	4.00	0.00
7.	हिमाचल प्रदेश	3.20	5.00	0.00	10.00	5.00
8.	जम्मू-कश्मीर	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
9.	झारखंड	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
10.	कर्नाटक	4.00	6.00	7.00	20.00	5.00
11.	केरल	7.50	8.00	8.00	20.00	0.00
12.	मध्य प्रदेश	2.00	1.50	0.00	10.00	0.00
13.	महाराष्ट्र	28.84	2.00	0.00	25.00	0.00
14.	उड़ीसा	3.20	2.50	20.00	0.00	0.00
15.	पंजाब	2.00	1.50	6.50	0.00	0.00
16.	राजस्थान	15.00	32.50	17.50	25.00	5.00

1	2	3	4	5	6	7
17.	तमिलनाडु	2.00	1.50	1.25	0.00	0.00
18.	उत्तर प्रदेश	6.08	6.00	7.00	21.188	0.00
19.	उत्तरांचल	0.80	10.00	2.037	0.00	5.00
20.	पश्चिम बंगाल	12.00	9.75	30.00	22.00	0.00
21.	अरुणाचल प्रदेश	2.40	1.50	20.00	0.00	0.00
22.	असम	2.00	1.50	0.00	0.00	0.00
23.	मणिपुर	2.40	15.50	13.50	15.00	0.00
24.	मेघालय	2.00	1.50	3.74	12.00	6.00
25.	मिजोरम	8.60	8.00	12.00	12.00	0.00
26.	नागालैंड	17.00	6.00	20.76	10.00	0.00
27.	सिक्किम	2.00	6.00	0.00	16.00	0.00
28.	त्रिपुरा	3.60	10.00	0.00	10.00	0.00
29.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	6.40	9.00	12.00	7.50	0.00
30.	पांडिचेरी	3.60	6.00	3.00	7.50	7.50
31.	अंड. एवं निको. द्वीपसमूह	9.00	10.00	10.00	12.00	6.00
32.	चंडीगढ़	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33.	दादरा एवं नगर हवेली	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34.	दमन एवं दीव	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35.	लक्षद्वीप	0.80	5.00	0.00	0.00	0.00

विवरण IV

खुरपका तथा मुंहपका रोग नियंत्रण कार्यक्रम के तहत प्रदत्त केंद्रीय सहायता

(लाख रुपए में)

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित प्रदेश का नाम	2003-04 के दौरान जारी राशि	2004-05 के दौरान जारी राशि	2005-06 के दौरान जारी राशि	2006-07 के दौरान जारी राशि	2007-08 के दौरान आज तक जारी राशि
1	2	3	4	5	6	7
1.	आंध्र प्रदेश	98.00	150.00	130.00	60.00	0.00
2.	गुजरात	88.00	150.00	80.00	0.00	0.00

1	2	3	4	5	6	7
3.	हरियाणा	116.00	200.00	55.00	0.00	50.00
4.	केरल	41.00	58.00	60.00	0.00	10.00
5.	महाराष्ट्र	122.00	180.00	0.00	123.00	25.00
6.	पंजाब	126.00	200.00	70.00	100.00	0.00
7.	तमिलनाडु	14.00	20.00	40.00	12.00	10.00
8.	उत्तर प्रदेश	282.00	524.00	260.00	100.00	60.00
9.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	7.00	10.00	5.00	4.00	3.00
10.	अंड. एवं निको. द्वीपसमूह	3.00	1.00	14.00	2.00	1.00
11.	दादर एवं नगर हवेली	2.00	1.00	0.00	0.00	0.00
12.	दमन एवं दीव	2.00	1.00	1.00	0.00	0.00
13.	लक्षद्वीप	5.00	4.00	0.00	2.00	1.00

सशस्त्र बलों के लिए सामान की खरीद

2886. श्री रघुनाथ झा: क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सीमित/खुली निविदाओं के माध्यम से कितने मूल्य के सामान की खरीद की गई;

(ख) वर्ष 2001-2006 के दौरान सीमित/खुली निविदाओं के माध्यम से खरीदी गई वस्तुओं का ब्यौरा क्या है तथा आपूर्तिकर्ताओं और दर का मद-वार तथा कमान-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अधिकांश वस्तुएं खुली निविदाओं की बजाय सीमित/एकल निविदाओं के माध्यम से खरीदी गई हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) अधिक मूल्य की वस्तुओं को सीमित निविदाओं से खरीदने के क्या कारण हैं तथा खरीद में अनियमितताओं को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी): (क) से (ङ) सामान खरीदने की शक्ति इस कवायद की विशालता के कारण विद्यमान नियमों और प्रक्रियाओं के अनुसार विभिन्न प्राधिकारियों को प्रत्यायोजित की गई है। अत: ऐसी खरीदों का कोई केंद्रीय डाटाबेस नहीं रखा जाता है।

सैन्य डेयरी फार्म को बन्द किया जाना

2887. श्री विजय बहुगुणा: क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार देहरादून (उत्तराखण्ड) के सैन्य डेयरी फार्म को बन्द करने पर विचार कर ही है;

(ख) सरकार द्वारा सैन्य डेयरी फार्म को बन्द करने के संबंध में क्या नीति अपनाई जाती है; और

(ग) उक्त डेयरी फार्म को बन्द करने के लिए सरकार द्वारा क्या मानदण्ड अपनाए जा रहे हैं?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी): (क) से (ग) ऐसे सैन्य फार्म जो आर्थिक रूप से किफायती नहीं हैं तथा जहां एनसीडीएफआई/राज्य दुग्ध फैडरेशन के जरिए वैकल्पिक स्रोत से कम मूल्य में अच्छी गुणवत्ता का दूध उपलब्ध था, वहां उनके पुनर्गठन के मुद्दे की जांच के लिए रक्षा मंत्रालय द्वारा वर्ष 2003 में गठित की गई अफसर समिति की सिफारिशों के आधार पर 27 जून, 2007 को सैन्य फार्मों के पुनर्गठन तथा देहरादून सैन्य

फार्म सहित 8 सैन्य फार्मों को बंद किए जाने के लिए आदेश जारी किए गए थे। भूमि तथा अवसंरचना की कमी, सहकारी डेयरियों के जरिए दूध की उपलब्धता, पशुओं के जीवित रहने की क्षमता तथा सैन्य टुकड़ियों की प्राथमिकता के कारण इन फार्मों को बंद करने की सिफारिश की गई थी। स्टेशन की कुल आवश्यकता के साथ-साथ सैन्य फार्मों द्वारा उत्पादित डेयरी उत्पादों का प्रतिशत, सहकारी दुग्ध डेयरियों के जरिए उपलब्ध दूध की लागत के साथ-साथ सैन्य फार्मों में दूध की उत्पादन की लागत और स्थानीय किसानों तथा सहकारी डेयरियों को प्रोत्साहन देने जैसी बातों पर भी समिति ने विचार किया था। इसके अलावा, नियंत्रक-महालेखापरीक्षक ने अपनी रिपोर्ट में विशेष तौर पर लागत लाभ समीक्षा के विश्लेषण की आवश्यकता पर जोर दिया है ताकि गैर किफायती फार्मों को बंद किया जा सके। तदनुसार, विभिन्न संगत दृष्टिकोणों के आधार पर निर्णय लिए गए थे।

इंटरनेट टेलीफोनी कंपनियों का विनियमन

2888. **श्री एकनाथ महादेव गायकवाड:**
श्रीमती निवेदिता माने:

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार इंटरनेट टेलीफोनी कंपनियों को विनियमित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ये विनियम भारतीय कंपनियों के लिए भी लागू हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) से (ङ) सरकार ने भारतीय कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत पंजीकृत कंपनियों को इंटरनेट टेलीफोनी और इंटरनेट गेटवे स्टेशनों की स्थापना की सुविधा सहित इंटरनेट सेवाएं प्रदान करने हेतु एक ही लाइसेंस जारी करने का निर्णय लिया है। लाइसेंसधारक कंपनियों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अधिकतम सीमा 74% है।

मृदा अपरदन

2889. **श्री अनन्त नायक:** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को देश के खनन क्षेत्रों में बढ़ते मृदा अपरदन की जानकारी है; और

(ख) यदि हां, तो भूमि के विकास हेतु तथा इसे और क्षति से बचाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) और (ख) भारत सरकार को देश में खनन क्षेत्रों में मृदा अपरदन की जानकारी है।

भारत सरकार ने देश में खनिज विकास और खनन के कारण निम्नीकृत क्षेत्रों के संरक्षण के लिए एक राष्ट्रीय खनिज नीति (एनएमपी), 1993 (29.11.2004 तक अद्यतन) तैयार की है। एनएमपी में यह परिकल्पित है कि खनिजों के निष्कर्षण और विकास अन्य प्राकृतिक संसाधनों जैसे भूमि जल, वायु और वन सहित निकटता से अन्त: संबंधित हैं। खनन कार्यकलापों के परिणामस्वरूप अक्सर पर्यावरणीय समस्याएं जैसे भूमि अपरदन विशेष रूप से विवृत खनन, भूमिगत खनन में भूमि धसकन, वन कटाई, वायुमण्डलीय प्रदूषण, नदियों और झरनों का प्रदूषण, कठोर अपशिष्टों का जमाव इत्यादि क्षेत्र के पारितंत्र सन्तुलन को प्रभावित करते हैं। वास्तविक वन आच्छादन वाले क्षेत्रों में विवृत खनन के फलस्वरूप वननाशन होता है। खनन और खनिजों के प्रसंस्करण के कारण प्रतिकूल पर्यावरणीय प्रभावों को रोकने और घटाने तथा प्रभावित वन क्षेत्र का भूमि सुधार और पुन: वृक्षारोपण तथा वृक्षों द्वारा आच्छादित भूमि निर्धारित मानकों और स्थापित वन प्रथाओं के अनुसार प्रत्येक मामले में खान विकास रणनीति जोकि अभिन्न अंग हैं। राष्ट्रीय खनिज नीति (एनएमपी) यह निर्दिष्ट करती है कि खनन कार्य आमतौर पर चिन्हित पारितंत्र रूप से नाजुक और जीवों से परिपूर्ण क्षेत्रों में नहीं किए जाने चाहिए। वन क्षेत्रों में खुले खनन से यथासंभव परहेज किया जाना चाहिए और इसकी अनुमति केवल तभी दी जानी चाहिए जब उसमें व्यापक समयबद्ध भूमि सुधार कार्यक्रम शामिल हों। यह भी निर्देश देती है कि वैधानिक प्राधिकारियों द्वारा अनुमोदित और लागू पर्यावरणीय प्रबंधन योजना सहित एक समुचित खनन योजना के बिना किसी पक्ष, निजी अथवा सार्वजनिक को कोई खनन पट्टा स्वीकृत नहीं किया जाएगा। पर्यावरणीय प्रबंधन योजना में पर्यावरणीय क्षति नियंत्रित करने, खनित क्षेत्रों का भूमि सुधार और निर्धारित मानकों के अनुसार वृक्षों के रोपण के लिए पर्याप्त रूप से प्रावधान होने चाहिएं। जहां तक संभव हो, भूमि सुधार और वृक्षारोपण खनिज उत्कर्षण के साथ-साथ चलने चाहिएं। एनएमपी इस बात पर भी जोर देती है कि पुराने अनुप्रयुक्त खनन स्थलों को वनों में बदलने तथा भूमि उपयोग के अन्य उपयुक्त रूपों के लिए भी प्रयास किए जाने चाहिएं।

उपर्युक्त के अतिरिक्त, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) केन्द्रीय मृदा और जल संरक्षण अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, देहरादून के साथ-साथ अपने आठ क्षेत्रीय स्टेशनों के जरिए उपयुक्त मृदा-जल संरक्षण उपायों, भूमि उपचारों, भौतिक, रासायनिक और जीव विज्ञानी भूमि सुधारों तथा कृषि वानिकी नियमनों के अर्थों में खान विकृत क्षेत्रों के पुनर्वास के लिए तथा देश में और आगे भूमि अपरदन को रोकने के लिए अपेक्षित तकनीकी समर्थन प्रदान कर रहा है।

[हिन्दी]

खाद्य सुरक्षा पैकेज

2890. **प्रो. महादेवराव शिवनकर:**
श्री कैलाश नाथ सिंह यादव:
श्री राजेश पाठक:
श्री मो. ताहिर:
श्री शिशुपाल एन. पटले:

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश के कृषि के संबंध में पिछड़े राज्यों के लिए एक खाद्य सुरक्षा पैकेज की घोषणा की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने लाभार्थी राज्यों की पहचान कर ली है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके लिए किन-किन जिलों की पहचान की गई है;

(ङ) इसके लिए क्या मानदण्ड अपनाया गया है; और

(च) उक्त पैकेज के लिए कितनी धनराशि निर्धारित की गई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) से (ग) खाद्य उत्पादन में ठहराव को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय विकास परिषद ने चावल, गेहूं और दालों के उत्पादन को ग्यारहवीं योजना के अंत तक क्रमश: 10, 8 और 2 मिलियन मी. टन तक बढ़ाने के लिये एक संकल्प पारित किया है। राष्ट्रीय विकास परिषद के संकल्प को प्रचालनात्मक बनाने के लिये सरकार ने ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान चावल, गेहूं और दालों के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए "राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन" नामक केंद्रीय प्रायोजित स्कीम पर विचार किया है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन में तीन घटक हैं यथा-राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन-चावल (एनएफएसएम-चावल), राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन-गेहूं (एनएफएसएम-गेहूं) और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा-दलहन (एनएफएसएम-दलहन)। एनएफएसएम-चावल को 12 राज्यों यथा-आंध्र प्रदेश, असम, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल के 133 अभिज्ञात जिलों में कार्यान्वित किया जाएगा। एनएफएसएम-गेहूं को 9 राज्यों यथा-बिहार, गुजरात, हरियाणा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल के 138 अभिज्ञात जिलों में कार्यान्वित किया जाएगा। एनएफएसएम-दलहन को 14 राज्यों यथा-आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल के 168 अभिज्ञात जिलों में कार्यान्वित किया जाएगा।

(घ) अभिज्ञात जिलों की सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

(ङ) विशिष्ट फसलें जिनकी उत्पादकता राज्य औसत से कम है, लेकिन उत्पादकता बढ़ने की संभावना है, के तहत विस्तृत आकार क्षेत्र वाले जिलों को मिशन में अभिज्ञात कर लिया गया है।

(च) ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान एनएफएसएम के अंतर्गत 4882.48 करोड़ रुपये का कुल वित्तीय परिव्यय निर्धारित किया गया है।

विवरण

ग्यारहवीं योजना के दौरान एनएफएसएम-चावल के क्रियान्वयन के लिए अभिज्ञात जिले

राज्य	जिला
1	2
आंध्र प्रदेश	1. अदिलाबाद
	2. गुंटूर
	3. खम्मम
	4. कृष्णा
	5. महबूबनगर
	6. मेडक
	7. नालगोंडा

1	2
	8. नेल्लोर
	9. श्रीकाकुलम
	10. विशाखापट्टनम
	11. विजयनगरम
असम	1. बारपेटा
	2. बोंगाईगांव
	3. दारंग
	4. धीमाजी
	5. गोलपारा
	6. करबीएंगलांग
	7. कोकराझार
	8. लखीमपुर
	9. मोरीगांव
	10. नालीबारी
	11. सोनीतपुर
	12. नौगांव
	13. तिनसुकिया
बिहार	1. अररिया
	2. बांका
	3. चंपारण (पूर्व)
	4. चंपारण (पश्चिम)
	5. दरभंगा
	6. गया
	7. कटिहार
	8. किशनगंज
	9. मधुबनी
	10. मधेपुरा
	11. मुजफ्फरपुर
	12. नालंदा
	13. सहर्षा
	14. समस्तीपुर
	15. सीतामड़ी
	16. सिवान
	17. सुपौल
	18. जमुई
छत्तीसगढ़	1. दांतेवाड़ा
	2. जांजगीर-चंपा
	3. जशपुर
	4. कवार्धा
	5. कोरबा
	6. कोरीया
	7. राजगढ़
	8. राजपुर
	9. राजनंद गांव
	10. सरगुजा
झारखंड	1. सिमोगा
	2. सिंहभूम (डब्ल्यू)
	3. रांची
	4. गुमला
	5. हजारीबाग
कर्नाटक	1. बेलगाम
	2. शिमोगा
	3. उत्तर कन्नड़ा
	4. दक्षिण कन्नड़ा

1	2
	5. उदुप्पी
	6. हसन
	7. रायचुर
मध्य प्रदेश	1. अनुपुर
	2. दामोह
	3. दीनदोरी
	4. कटनी
	5. मंडला
	6. पन्ना
	7. रीवा
	8. सतना
	9. शहडोल
महाराष्ट्र	1. भांद्रा
	2. चंद्रपुर
	3. गढ़चिरौली
	4. गोंडीया
	5. नासिक
	6. पुणे
उड़ीसा	1. बोलनगीर
	2. जाजपुर
	3. धेनकनाल
	4. अंगुल
	5. कालाहांडी
	6. नवापारा
	7. क्योंझार
	8. मलकानगिरी
	9. नवरंगपुर
	10. फुलबारी
	11. बौद्धा
	12. नयागढ़
	13. देवघर
	14. झारसुगुडा
	15. सुन्दरगढ़
तमिलनाडु	1. नागापट्टिनम
	2. पुदुकोटी
	3. रामनाथपुरम
	4. सिवागांगी
	5. थिरवरूर
उत्तर प्रदेश	1. आजमगढ़
	2. बदायूं
	3. बहराइच
	4. बलिया
	5. बलरामपुर
	6. बांदा
	7. बरेली
	8. बस्ती
	9. देवरिया
	10. फतेहपुर
	11. गोंडा
	12. गोरखपुर
	13. गाजीपुर
	14. हरदोई
	15. मैनपुरी
	16. मऊ

1	2
	17. मिर्जापुर
	18. रायबरेली
	19. रामपुर
	20. सहारनपुर
	21. शिवस्ती
	22. सिद्धार्थनगर
	23. सितापुर
	24. सोनभद्र
	25. सुल्तानपुर
	26. उन्नाव
पश्चिम बंगाल	1. 24 परगना (प.)
	2. कूचबिहार
	3. दीनाजपुर (उत्तर)
	4. हावड़ा
	5. जलपाईगुड़ी
	6. मिदनापुर (पूर्व)
	7. मिदनापुर (प.)
	8. पुरूलिया

ग्यारहवीं योजना के दौरान एनएफएसएम-गेहूं के क्रियान्वयन के लिए अभिज्ञात जिले

बिहार (25)	1. अरिया
	2. भागलपुर
	3. बांका
	4. भाभुआ
	5. चंपारन (पूर्वी)
	6. चंपारन (पश्चिम)
	7. दरभंगा
	8. जमुई
	9. कटिहार
	10. खगरिया
	11. किशनगंज
	12. मधुबनी
	13. मधेपुरा
	14. मुजफ्फरपुर
	15. नालंदा
	16. पूर्णिया
	17. रोहतास
	18. समस्तीपुर
	19. सारन
	20. सीतामढ़ी
	21. सुपौल
	22. वैशाली
	23. मुंगेर
	24. नवादा
	25. शेखपुरा
पश्चिम बंगाल (4)	1. जलपाईगुड़ी
	2. कूचबिहार
	3. दिनाजपुर (उत्तर)
	4. दिनाजपुर (दक्षिण)
मध्य प्रदेश (30)	1. बैतूल
	2. भिण्ड
	3. छत्तरपुर
	4. दमोह
	5. देवास

1	2
	6. पूर्वी निमाड
	7. गुना
	8. हरदा
	9. इंदौर
	10. जबलपुर
	11. कटनी
	12. रायसेन
	13. राजगढ़
	14. रीवा
	15. सागर
	16. सतना
	17. सिहोर
	18. सिवनी
	19. शिवपुरी
	20. सीधी
	21. टिकमगढ़
	22. उज्जैन
	23. विदिशा
	24. बालाघाट
	25. धार
	26. डिण्डौरी
	27. झाबुआ
	28. मण्डला
	29. पन्ना
	30. शहडोल
पंजाब (7)	1. होशियारपुर
	2. फिरोजपुर
	3. भटिण्डा
	4. रूपनगर
	5. अमृतसर
	6. संगरूर
	7. गुरदासपुर
हरियाणा (7)	1. भिवानी
	2. अंबाला
	3. गुड़गांव
	4. जमुनानगर
	5. रोहतक
	6. झज्जर
	7. महेन्द्रगढ़
उत्तर प्रदेश (38)	1. इलाहाबाद
	2. अम्बेडकर नगर
	3. आजमगढ़
	4. बहराइच
	5. बलिया
	6. बलरामपुर
	7. बरेली
	8. बस्ती
	9. चन्दौली
	10. चित्रकूट
	11. देवरिया
	12. फैजाबाद
	13. फतेहपुर
	14. गाजीपुर
	15. गोण्डा

1	2
	16. गोरखपुर
	17. हमीरपुर
	18. हरदोई
	19. जौनपुर
	20. झांसी
	21. कौशाम्बी
	22. ललितपुर
	23. लखनऊ
	24. महराजगंज
	25. महोबा
	26. मऊ
	27. मिर्जापुर
	28. प्रतापगढ़
	29. रायबरेली
	30. रविदासनगर
	31. संत कबीर नगर
	32. श्रावस्ती
	33. सिद्धार्थ नगर
	34. सीतापुर
	35. सुल्तानपुर
	36. उन्नाव
	37. सोनभद्र
	38. वाराणसी
राजस्थान (15)	1. अजमेर
	2. बांसवाड़ा
	3. भीलवाड़ा
	4. बीकानेर
	5. जयपुर
	6. जालौर
	7. झालावार
	8. कोटा
	9. नागौर
	10. पाली
	11. एस. माधोपुर
	12. सीकर
	13. सिरोही
	14. टौंक
	15. उदयपुर
महाराष्ट्र (8)	1. अहमदनगर
	2. औरंगाबाद
	3. धुले
	4. नागपुर
	5. नासिक
	6. परभनी
	7. पुणे
	8. शोलापुर
गुजरात (4)	1. अहमदाबाद
	2. साबरकांठा
	3. बांसकाठा
	4. मेहसाना

दलहन का उत्पादन बढ़ाने के लिए लक्षित राज्य और जिले

आंध्र प्रदेश	1. आदिलाबाद
	2. अनंतपुर
	3. गुडप्पा

1	2
	4. पूर्वी गोदावरी
	5. गुण्टूर
	6. खम्माम
	7. कृष्णा
	8. कुरनूल
	9. महबूबनगर
	10. नालगोंडा
	11. निजामाबाद
	12. प्रकाशम
	13. श्रीकाकुलम
	14. वारांगल
उत्तर प्रदेश	1. झांसी
	2. जालौन
	3. हमीरपुर
	4. सीतापुर
	5. बांदा
	6. चित्रकूट
	7. महोबा
	8. बहराइच
	9. बाराबंकी
	10. खेरी
	11. ललितपुर
	12. कानपुर (देहात)
	13. कौशाम्बी
	14. मिर्जापुर
	15. बंदायूं
	16. बलिया
	17. फतेहपुर
	18. बलरामपुर
	19. चन्दौसी
कर्नाटक	1. बगलकोट
	2. बेलगांव
	3. बेल्लारी
	4. बीदर
	5. बीजापुर
	6. चित्रदुर्गा
	7. धारवाड
	8. गडग
	9. गुलबर्गा
	10. कोप्पल
	11. मैसूर
	12. रायचूर
	13. तुमकुर
तमिलनाडु	1. कोयम्बटूर
	2. कुड्डालोर
	3. इरोड
	4. नागापाट्टनम
	5. नामक्काई
	6. त्रिवल्लूर
	7. त्रिवारूर
	8. थूथकुडू
	9. तिरूवन्नमलाई
	10. वेल्लोर
	11. विल्लुपुरम

1	2
	12. विरुदुनगर
मध्य प्रदेश	1. छतरपुर
	2. छिंदवाड़ा
	3. दमोह
	4. देवास
	5. गुना
	6. रीवा
	7. रायसेन
	8. सतना
	9. टीकमगढ़
	10. सागर
	11. विदिशा
	12. उज्जैन
	13. जबलपुर
	14. नरसिंहपुर
	15. शिवपुरी
	16. पन्ना
	17. राजगढ़
	18. शिवानी
	19. शाजापुर
	20. झबुआ
हरियाणा	1. रोहतक
	2. सोनीपत
	3. भिवानी
	4. हिसार
	5. सिरसा
महाराष्ट्र	1. अहमदनगर
	2. अकोला
	3. अमरावती
	4. औरंगाबाद
	5. बुलढाना
	6. चन्द्रापुर
	7. हिंगोली
	8. जलगांव
	9. जालना
	10. लातूर
	11. नागपुर
	12. नांदेड
	13. नासिक
	14. ओसमानाबाद
	15. परभनी
	16. वर्धा
	17. वासिम
	18. यवतमाल
गुजरात	1. बनासकांठा
	2. भरूच
	3. दोहड
	4. जामनगर
	5. कच्छ
	6. नर्मदा
	7. पंच महल
	8. पाटन
	9. साबरकांठा
	10. सुरत

1	2
	11. वडोदरा
उड़ीसा	1. बोलांगीर
	2. बारागढ़
	3. कटक
	4. गंजम
	5. हालाहांडी
	6. क्योंझर
	7. खुरडा
	8. नयागढ़
	9. पुरी
	10. रायगढ़
पश्चिम बंगाल	1. बीरभूम
	2. मालदा
	3. मुर्शिदाबाद
	4. नादिया
	5. पुर्लिया
राजस्थान	1. अजमेर
	2. बीकानेर
	3. बाडमेर
	4. चित्तौड़गढ़
	5. चुरू
	6. दौसा
	7. गंगानगर
	8. हनुमानगढ़
	9. जयपुर
	10. झुंझनु
	11. जोधपुर
	12. कोटा
	13. नागपुर
	14. सीकर
	15. टोंक
पंजाब	1. लुधियाना
	2. संगरूर
	3. फिरोजपुर
	4. गुरदासपुर
	5. अमृतसर
बिहार	1. अररिया
	2. औरंगाबाद
	3. भुजपुर
	4. भभूआ
	5. मधुबनी
	6. मधेपुरा
	7. मुज्जफरपुर
	8. नालन्दा
	9. पटना
	10. पुर्णिया
	11. सहरसा
	12. समस्तीपुर
	13. सुपौल
छत्तीसगढ़	1. बिलासपुर
	2. दुर्ग
	3. जसपुर
	4. कवारधा
	5. रायगढ़
	6. रायपुर
	7. राजनन्दगांव
	8. सरगुजा

[अनुवाद]

राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड

2891. डा. के.एस. मनोज: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने हाल ही में राष्ट्रीय विकास बोर्ड का गठन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके उद्देश्य क्या हैं;

(ग) उक्त बोर्ड की संरचना की प्रकृति क्या है;

(घ) क्या कायर बोर्ड, काफी बोर्ड आदि जैसे राष्ट्रीय बोर्डों की तर्ज पर उक्त बोर्ड के शासी निकाय में संसद सदस्यों के प्रतिनिधियों को नामांकित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) इसे कब तक कार्यान्वित किए जाने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह): (क) और (ख) जी, हां। राष्ट्रीय मात्स्यिकी विकास बोर्ड (एनएफडीबी) आंध्र प्रदेश सोसायटी अधिनियम, 2001 के तहत जुलाई, 2006 में पंजीकृत किया गया है। बोर्ड का मुख्य उद्देश्य केंद्र सरकार में विभिन्न मंत्रालयों/विभागों द्वारा की जा रही मात्स्यिकी संबंधी गतिविधियों के समन्वय के जरिए मात्स्यिकी एवं जलकृषि से संबंधित गतिविधियों पर केन्द्रित रूप से ध्यान देना तथा कैप्चर एवं कल्चर मात्स्यिकी के उत्पादों के उत्पादन, प्रसंस्करण, भंडारण, ढुलाई तथा विपणन के सुधार के लिए राज्यों/संघ शासित प्रदेशों के साथ समन्वयन करना है।

(ग) बोर्ड की एक शासी निकाय है जिसके अध्यक्ष कृषि मंत्री हैं जो बोर्ड को आवश्यक दिशानिर्देश एवं निर्देश देती है। बोर्ड की एक कार्यकारी समिति है जिसके अध्यक्ष सचिव, पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन हैं, जिन्हें बोर्ड के सामान्य पर्यवेक्षण, निर्देश एवं मामलों के नियंत्रण की शक्ति दी गई हैं।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) और (च) प्रश्न नहीं उठता।

दुधारू पशुओं को बर्ड फ्लू

2892. श्री विजय कृष्ण: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही में विभिन्न राज्यों में दुधारू पशुओं को बर्ड फ्लू जैसा फ्लू होने के समाचार सामने आए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त फ्लू के फैलने से रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

प्रशिक्षण-सह-उत्पादन विकास केन्द्र

2893. श्री एस.के. खारवेनथन: क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कृषि एवं ग्रामीण उद्योगों के लिए प्रशिक्षण-सह-उत्पादन विकास केन्द्र स्थापित करने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसे कब तक स्थापित किए जाने की संभावना है?

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री (श्री महावीर प्रसाद): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता है।

फ्रिक्वेंसी स्पैक्ट्रम को छोड़ने की सिफारिशें

2894. श्री के.एस. राव: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि देश के मोबाइल उपभोक्ता आधार को बढ़ाने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए फ्रिक्वेंसी स्पैक्ट्रम को छोड़ने के बारे में मंत्री समूह की क्या सिफारिशें हैं तथा इसका क्या परिणाम निकला?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): इस प्रयोजनार्थ स्पैक्ट्रम को छोड़ने एवं संसाधनों की प्राप्ति के बारे में मंत्री-समूह की सिफारिशें अभी नहीं मिली हैं।

[हिन्दी]

ऋणों की वसूली

2895. श्री रघुवीर सिंह कौशल: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकारी क्षेत्र के बैंकों तथा सहकारी बैंकों विशेष रूप से भूमि विकास बैंकों द्वारा ब्याज के रूप में ली जाने वाली धनराशि ऋण की धनराशि से अधिक होती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या ऋण की मूल धनराशि तथा वसूले गए ब्याज के संबंध में आंकड़े रखे जाते हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या कुछ राज्यों में किसानों से ऋण की मूल धनराशि से अधिक ब्याज वसूलने पर प्रतिबन्ध है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) से (च) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

[अनुवाद]

डाकघरों में चोरी और डकैती

2896. श्री प्रतीक पी. पाटील: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 2005-06 के दौरान डाकघरों में कितने चोरियां तथा डकैतियां हुईं;

(ख) क्या इन डाकघरों में सशस्त्र सुरक्षा गार्ड उपलब्ध कराए गए थे;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार बड़े डाकघरों में सशस्त्र गार्डों की व्यवस्था संबंधी नीति की समीक्षा करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) वर्ष 2005-06 के दौरान, डाकघरों में चोरी और डकैती की 398 घटनाएं सूचित की गई।

(ख) जी नहीं।

(ग) मौजूदा विभागीय अनुदेशों के अनुसार, डाक सर्किलों के प्रमुखों को, वह इलाका जहां डाकघर स्थित है, भवन की संरचना एवं नक्शा, डाकघर में प्रयुक्त तिजोरी का प्रकार, रात्रि गार्ड/चौकीदार की उपलब्धता, नजदीकी पुलिस स्टेशन से दूरी एवं पुलिस प्राधिकारियों से परामर्श करके सामान्य कानून व्यवस्था की स्थिति जैसे तथ्यों को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार से सशस्त्र गार्ड तैनात करने की मांग हेतु व्यवस्था करने के लिए शक्तियां प्रत्यायोजित की गई हैं। उपर्युक्त (क) में उल्लिखित डाकघर छोटे डाकघर थे। सशस्त्र गार्ड सामान्य बड़े डाकघरों यथा जनरल पोस्ट आफिस (जीपीओ) तथा प्रधान डाकघर (एचपीओ) में उपलब्ध कराए जाते हैं।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) उपर्युक्त (घ) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

कपास के बीजों को आवश्यक वस्तु अधिनियम में सम्मिलित किया जाना

2897. श्री बृज किशोर त्रिपाठी: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या घटिया गुणवत्ता वाले बीजी-I हाइब्रिड बीजों को कतिपय राज्यों में बीजी-II के रूप में बेचा गया था;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को कपास के बीज को आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की सूची में सम्मिलित करने हेतु राज्यों से अनुरोध प्राप्त हुए हुए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) कपास के बीजों की ऐसी धोखाधड़ी पूर्ण बिक्री को रोकने हेतु क्या कदम उठाए जाने का विचार है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) देश में बी.टी. कपास बीजों का उत्पादन और

विपणन निजी क्षेत्र की बीज कम्पनियों द्वारा किया जाता है। घटिया गुणवत्ता वाले बोलगार्ड (बीजी) संकर को बोलगार्ड-II (बीजी) के रूप बेचने के बारे में किसी राज्य से कोई सूचना नहीं मिली है।

(ख) से (घ) आंध्र प्रदेश सरकार ने अनिवार्य जिन्सों की सूची से कपास बीज को हटाने के संबंध में भारत सरकार को हवाला दिया है और मैसर्ज महाइको सीड्स लिमिटेड और अन्य बनाम आंध्र प्रदेश राज्य और अन्यों में आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय का निर्णय कि अनिवार्य जिन्स (संशोधन) अधिनियम, 2006 द्वारा कार्यान्वित किए गए संशोधनों के परिणामस्वरूप कपास बीज अनिवार्य जिन्स नहीं है, के द्वारा जारी अन्तरिम आदेश पर विचार करते हुए अनिवार्य जिन्स अधिनियम, 1955 के अंतर्गत अनिवार्य जिन्स के रूप में कपास बीजों के पुन: प्रचलन के लिए अनुरोध किया है। भारत सरकार ने आंध्र प्रदेश सरकार के अनुरोध को ध्यान में रखा है। इसके अलावा बी.टी. कपास बीजों की धोखाधड़ी से विक्रय को रोकने के लिए सरकार ने बी.टी. जीन्स की विद्यमानता का परीक्षण करने के लिए रैफरल प्रयोगशाला के रूप में केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान, नागपुर को अधिसूचित किया है। राज्य सरकारों को बीज परीक्षण प्रयोगशालाओं को सुदृढ़ करने के लिए राशि उपलब्ध करा दी गई है। सभी बी.टी. कपास उत्पादक राज्यों में बी.टी. कृषि के विभिन्न पहलुओं संबंधी जागरूकता आयोजित किए गए हैं और गुणवत्ता का विनियमन करने के बीज निरीक्षकों को पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत बी.टी. कपास बीजों के नमूने आहरित करने के लिए शक्तिसम्पन्न बनाया गया है। राज्यों को भी परामर्श दिया गया है कि नकली बी.टी. कपास बीज बेचने वाले व्यक्तियों के खिलाफ दण्डात्मक कार्रवाई करें।

[हिन्दी]

महाराष्ट्र में सिंचाई परियोजना

2898. श्री हंसराज गं. अहीर: क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या महाराष्ट्र में सिंचाई परियोजनाओं हेतु गैर-वनभूमि उपलब्ध कराने के लिए प्रीमियम मूल्यों की मांग की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या महाराष्ट्र सरकार प्रीमियम मूल्यों का भुगतान करने के लिए सहमत हो गई है; और

(घ) यदि हां, तो लंबित दावों का निपटारा कब तक किए जाने की संभावना है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जय प्रकाश नारायण यादव): (क) सिंचाई राज्य का विषय है तथा सिंचाई परियोजनाओं के लिए आयोजना, निष्पादन, वित्तपोषण तथा गैर-वनभूमि के अधिग्रहण के वास्ते मूल्य का भुगतान महाराष्ट्र राज्य सरकार के कार्यक्षेत्र में आता है। महाराष्ट्र सरकार ने सूचित किया है कि महाराष्ट्र में सिंचाई परियोजनाओं के लिए गैर-वनभूमि उपलब्ध कराने के वास्ते प्रीमियम मूल्य की मांग नहीं की गई है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

जैव-उर्वरक उत्पादन इकाइयां

2899. श्री किसनभाई वी. पटेल:
श्री सुग्रीव सिंह:

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आज की स्थिति के अनुसार विभिन्न राज्यों में कितनी जैव उर्वरक उत्पादन इकाइयां चल रही हैं और इनकी संस्थापित क्षमता कितनी है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान उक्त प्रत्येक इकाई में वास्तविक उत्पादन का ब्यौरा क्या है; और

(ग) देश में बेचे जा रहे जैव उर्वरक की गुणवत्ता को बेहतर बनाए रखने हेतु निगरानी प्रणाली का ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) और (ख) विभिन्न राज्यों में जैव-उर्वरक उत्पादन यूनिटों की अधिष्ठापित क्षमता प्रति वर्ष 43,720 मी. टन है और वर्ष 2004-05, 2005-06 तथा 2006-07 के दौरान उनका वास्तविक उत्पादन क्रमश: 10,605, 10764 और 16,145 मी. टन था। यूनिटवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) देश में विक्रय किए जा रहे जैव-उर्वरक (नियंत्रण) आदेश, 1985 के तहत राइजोबियम, एजोटोबैक्टर, एजोस्पीरिलम तथा फास्फेट साल्युबिलाइजिंग बैक्टीरिया नामक चार प्रकार के जैव-उर्वरक को अधिसूचित किया है।

विवरण

भारत में जीव उर्वरक यूनिटों की क्षमता तथा उत्पादन

(मी. टन में)

राज्य	संगठन का नाम	क्षमता	उत्पादन		
			2004-05	2005-06	2006-07
1	2	3	4	5	6
आंध्र प्रदेश	श्री कृष्ण राव, कृष्ण राव बायोप्रोडक्ट्स वृक्षमि 9/1/ए-1 रोड सं. 16 आईडीए नचराम, हैदराबाद	3000	1925	2153.00	2405.00
आंध्र प्रदेश	राडार बायोटेक विजयवाड़ा	150		8.25	44.250
आंध्र प्रदेश	रोव बायोटेक विजयवाड़ा	150		19	14.430
आंध्र प्रदेश	प्रतीखा इंडस्ट्रीज लि. एस. लिंगोटेम, वी छोटुपल, एम नालगोंडा, डी आंध्र प्रदेश	2000		0	1805.000
आंध्र प्रदेश	श्री साई एग्रो बायो लैब टेक्नोलाजी 17-1-382/एनएन/1/2, एमएनआर कालोनी, बालाजी नगर, हैदराबाद, आंध्र प्रदेश	200		0	171.900
आंध्र प्रदेश	वर्षा जैव विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी 17-1-382/एसएन/12, एमएनआर कालोनी, बालाजी नगर, हैदराबाद, आंध्र प्रदेश	75		0	11.619
आंध्र प्रदेश	एएनजी रंगा विश्वविद्यालय, हैदराबाद		30.72		
आंध्र प्रदेश	बायोटेक एग्रो, हैदराबाद		10		
आंध्र प्रदेश	गोदावरी उर्वरक एवं रसायन, हैदराबाद		20.53		
आंध्र प्रदेश	आरएसटीएल, हैदराबाद	100	2	46.32	48.420
आंध्र प्रदेश	जैव उर्वरक उत्पादन यूनिट, तिरूचिरापल्ली		31.25	19.86	
	आंध्र प्रदेश कुल	5675	2019.5	2246.43	4500.619
असम	एनई ग्रीन टेक प्रा.लि., अनुराधा काम्प्लेक्स, बरूआ मैदान, गुवाहाटी, असम	25		53.8	
असम	असम एग्रो निगम लि.		25.2		
असम	बीवीएफसी, नामरू, डिब्रूगढ़, असम	25			7.065
असम	ओरगामन आर एंड डी प्रभाग, नेहरू पार्क, जोरहाट	25			1.400
असम	निदेशक, कृषि, गुवाहाटी			52.4	
	असम कुल	75	25.2	106.2	8.465

1	2	3	4	5	6
बिहार	सामाजिक-आर्थिक परिवर्तन संघ, बरौनी, बिहार	150	15.0	41	36.900
	बिहार कुल	150	15.0	41	36.900
गोवा	कास्में बायोटेक, पणजी, गोवा	150			3.50
	गोवा कुल	150			3.50
दिल्ली	आईएआरआई, नई दिल्ली		1.37	1.23	
	दिल्ली कुल		1.37	1.23	
गुजरात	गुजरात राज्य सहकारी विपणन संघ लि., अहमदाबाद	250	54.11	192.64	232.561
गुजरात	गुजरात राज्य उर्वरक एवं रसायन लि., बड़ोदरा	600	286.16	434.05	277.270
गुजरात	कृभको, हाजीरा, सूरत	600	419.96	539.22	559.310
गुजरात	गुजरात कृषि उद्योग निगम लि.		54.11		
गुजरात	कोर्डेट कैलाल, गांधीनगर	250	128.67	205.69	181.49
	गुजरात कुल	1700	943.00	1371.6	1250.631
हरियाणा	सीसीएस हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार	75	20.16	23.48	30.22
	हरियाणा कुल	75	20.16	23.48	30.22
हिमाचल प्रदेश	एसआर विश्लेषणात्मक केमिस्ट लैब, शिमला	75	10.30	9.59	
	हिमाचल प्रदेश कुल	75	10.30	9.59	
कर्नाटक	कृषि विश्वविद्यालय, विज्ञान कृषि विभाग, सूक्ष्म जीव विज्ञान, कृषि विश्वविद्यालय, धारवाड़	50			6.91
कर्नाटक	वेस्ट कोस्ट हर्वो केम लि., 105/बी, औद्योगिक सबर्ग II टुमकुर रोड बंगलौर-22	50	34.19	38.82	25.63
कर्नाटक	राइजोबियम उत्पादन लैब, कोटनुर, गुलबर्गा	50	13.58	20.48	19.72
कर्नाटक	केसीडीसी हरालकुंटे, माडीवाला पोस्ट, बंगलौर	16000	22.42		
कर्नाटक	वाइटर प्लांट प्रोडक्ट्स, गौरीशंकर स्टेट हैरीहैली-573129, मार्फत के हास्कोटे, हसन डीटी	1000			
कर्नाटक	राइजोबियम उत्पादन लैब, धारवाड़	25	6.67	544.7	
कर्नाटक	राइजोबियम लैब हैबल, बंगलौर	75	10.92	8	11.03
कर्नाटक	कडुर एग्रो		0.50		
कर्नाटक	कर्नाटक जैव उर्वरक		820.28		

1	2	3	4	5	6
कर्नाटक	यूएएस-जीकेवीके, बंगलौर		1.82		
कर्नाटक	समर्थ बायोटेक		103.40		
कर्नाटक	मल्टीप्लेक्स बायोटेक प्रा.लि.# 420ए, पीनिया औद्योगिक क्षेत्र, पीनिया फस्ट स्टेज, बंगलौर-58	400	122.08		108.35
कर्नाटक	चैत्र उर्वरक एवं रसायन प्रा.लि. सं. ई-1, श्री कृष्ण कांप्लेक्स डी बनमूया सर्किल, मैसूर	200			170.00
	कर्नाटक कुल	17850	1135.86	612	341.64
केरल	मेसर्स एग्रो बायोटेक रिसर्च सेंटर लि., इंडस्ट्रीयल एरिया, पुवनथूरूथु पो.आ. कोट्टयम-12, केरल	500	118.19		222.69
केरल	मुख्य बिक्री प्रबंधक, जैव उर्वरक उत्पादन यूनिट, द फर्टिलाइजर एंड केमिकल्स ट्रावणकोर, इल्लुर, उद्योग मंडल-683501 केरल	10			
केरल	प्लेंट्रिक केमिकल्स एवं रसायन लि. औद्योगिक क्षेत्र कोट्टयम केरल	25			18.90
केरल	प्रबंध निदेशक पोओब्स पर्यावरण टेक लि. विलापीसला, पेयाड, तिरूवेन्द्रम, केरल	500			10.08
केरल	राज्य जैव उर्वरक लैब, तिरूअनन्तपुरम		93		
केरल	त्रावणकोर जैविक उर्वरक कंपनी कंगाजा, कोट्टयम, केरल	500			10.081
केरल	उर्वरक एवं रसायन त्रावणकोर लि., कोच्चि		2.06	8.34	
	केरल कुल	1535	213.25	8.34	261.751
मध्य प्रदेश	नाफेड जैव उर्वरक, इंदौर, एनएफएल, विजयपुर, गुना	500	595	225.57	410.40
मध्य प्रदेश	एनएफएल-विजयपुर, गुना	150	123.33	175.1	124.20
मध्य प्रदेश	कृषि व्यापार एवं विकास निगम, भोपाल	50		39.36	36.12
मध्य प्रदेश	म.प्र. राज्य कृषि उद्योग विकास निगम, भोपाल	500	615.61	383.04	443.06
मध्य प्रदेश	जेएनकेवीवी जबलपुर	100			82.27
मध्य प्रदेश	एमपी आयल सीड फेडरेशन संघ लि. धार	150			106.21
मध्य प्रदेश	इन्दौर बायोटेक इन्पुट एंड रिसर्च पी. लि., इन्दौर	250			11.50
	मध्य प्रदेश कुल	1700	1333.94	823.07	1204.76
मिजोरम	राज्य जैव उर्वरक उत्पादन यूनिट, नेलबाड़ी मिजोरम	25			1.68
	मिजोरम कुल	25			1.68

1	2	3	4	5	6
महाराष्ट्र	मै. निकुल बायो रिसर्च स्टेशन 613, नानपेठ, पुणे	150	28.5	10.26	35.05
महाराष्ट्र	माइक्रोप्लेक्स इंडिया 36 मोहता मार्केट, मेन रोड वर्धा	150	40.13	111.82	44.18
महाराष्ट्र	कुमार कृषि मित्र जैव उत्पाद प्रा.लि., 917/17, 12 गणेशवाड, फर्गुसन रोड, वैशाली होटल के पास, ब्रिटिश काउंसिल लाइब्रेरी लेन, पुणे, महाराष्ट्र	500	913.18	899.23	459.5
महाराष्ट्र	बैक्टिरियल सेक्शन कृषि कालेज, पुणे	50	12.04	9.44	34.94
महाराष्ट्र	कृषि जवान अनुभाग पुणे			9.45	
महाराष्ट्र	चौधरी एग्रोटेक श्रीदेवी कांप्लेक्स, आज्ञाराम देवी चौक, सुभाष रोड, नागपुर	50	1095.0	22.5	43.00
महाराष्ट्र	वैभव लक्ष्मी जैव नियंत्रण लैब, वर्धा, महाराष्ट्र	75	23.5	26.5	51.00
महाराष्ट्र	अरूण जैव उर्वरक एमएसईबी के पास पावर हाऊस, कुर्नाडवाड तलशिरोज, कोल्हापुर	150	132	125	145.00
महाराष्ट्र	नोमेन एग्रीबायो प्रोडक्ट्स, 6 गांधर्व अपार्टमेंट, एस. नं. 33, एर्नाकुदावना, नियर मेहंडल गैराज अभिशेष होटल के सामने, पुणे	20	1.18	1.55	2.49
महाराष्ट्र	निलायम जैव उर्वरक उत्पादन यूनिट प्लाट सं. 46/40 महड कालोनी आईटीआई के पास वर्धा	150	50.24	47.5	34.60
महाराष्ट्र	किसान एग्रोकेम, भारतीय काम्प्लेक्स मुंडाडा अस्पताल के पीछे गुजराती हाईस्कूल के पीछे नान्देड, महाराष्ट्र	50	1.18	5	1.25
महाराष्ट्र	एलोरा बायोटेक, 20 उद्योग मित्र औद्योगिक क्षेत्र, चित्तगांव, पठान, औरंगाबाद	175	14.5	26	161.50
महाराष्ट्र	के-फर्ट लैब, 25 पहली मंजिल गुरुनानक मार्किट, नान्देड़	150	104	79	88.00
महाराष्ट्र	प्राकृतिक जैविक कृषि संस्थान 11 बी, कुलकर्णी बंगला, शिक्षक नगर पौड रोड, पुणे	500	71	58.25	444.1
महाराष्ट्र	वसंत दादा चीनी उद्योग मंजरी, पुणे	300	75	102.76	200.11
महाराष्ट्र	महाराष्ट्र अनुसंधान एवं विकास केंद्र, 396, सैनिक संतोष नगर, बाले, सोलापुर, महाराष्ट्र	150	14	29.26	118.33
महाराष्ट्र	बीएआईएफ विकास आवास संघ, भारतीय कृषि उद्योग संघ, केन्द्रीय रेज, स्टेशन, उररीलीकंचन, पुणे	150	4	6	2.00
महाराष्ट्र	पर्यावरण संरक्षण अनुसंधान फाउंडेशन, अरूंधति, विश्राम बाग, सांगली, महाराष्ट्र	150	25.5	17.25	76.5

1	2	3	4	5	6
महाराष्ट्र	बायोइरा प्रौद्योगिकी बी-15 निगम भवन, पहली मंजिल, लिंक रोड, नागपुर	75		41	50.50
महाराष्ट्र	गोविंद एग्रोटेक प्रा.लि. आज्ञाराम देवी मंदिर के सामने बस स्टैंड रोड, नागपुर	150		41	139.40
महाराष्ट्र	ओम एग्रो आर्ग. ए-76 एमआईडीसी, यवतमाल	250		48	165.00
महाराष्ट्र	दीनी रसायन प्रा. लि. 37/9, एमआईडीसी रोड, पदोली, चंद्रपुर	150			3.25
महाराष्ट्र	महाराष्ट्र कृषि अनुसंधान केंद्र		12.04		
महाराष्ट्र	अविष्कार बायो फार्म प्रा.लि. अहमदनगर		132	93.16	
महाराष्ट्र	एसएमएसएमपी पाटील, अखलुनी	150	91.45	77.63	126.26
महाराष्ट्र	निर्मल सीड्स प्रा.लि., जलगांव		110	160	
महाराष्ट्र	केएनएस बायोटेक नान्देड़			5	
महाराष्ट्र	जैन बायोटे, नागपुर			6	
महाराष्ट्र	केवीके प्रभनी		10.87	1.99	
महाराष्ट्र	कृभको, लांजा			38.41	
महाराष्ट्र	एमएस इंडस्ट्रीज		8.91		
महाराष्ट्र	सैनाथ		4.76		
महाराष्ट्र	विकास कृति कृषि संस्थान केन्द्र		75		
	महाराष्ट्र कुल	3695	3049.98	2098.96	2425.96
नागालैण्ड	बायोफर्ट लैब, मेडजीफेमा	50		17.03	10.65
	नागालैण्ड कुल	50		17.03	10.65
उड़ीसा	उड़ीसा एआईसी लि., बीबीएसआर	75	21.17	35.97	15.57
उड़ीसा	उप निदेशक कृषि, बीबीएसआर	150	11.56	30	29.97
उड़ीसा	माकनक बायोफर्टिलाइजर, बीबीएसआर	250			235.00
	उड़ीसा कुल	475	32.62	65.97	280.54
पश्चिम बंगाल	कृषि विभाग, पश्चिम बंगाल	75			3.58
पश्चिम बंगाल	नोडल रिसर्च लैब		6.33		
पश्चिम बंगाल	बीसीकेवी लेकहाल कैम्प्स, कल्याणी	150		32.00	146.45

1	2	3	4	5	6
पश्चिम बंगाल	बीसीकेवी, मोहनपुर	75			27.43
पश्चिम बंगाल	नीट्रोफिक्स लैबोरेटरीज, कोलकाता	150	67.53	80.27	76.00
पश्चिम बंगाल	विवेकानन्द इंस्टी., आफ बायोटेक्नालाजी, कोलकाता	75		0.334	73.86
पश्चिम बंगाल	एक्सल बायोटेक प्रा.लि., 24-परगना, कोलकाता	1000		52	766.00
पश्चिम बंगाल	लीला एग्रोटेक	375		30	313.16
	पश्चिम बंगाल कुल	1900	74.30	194.60	1406.48
झारखंड	बिरसा कृषि विश्वविद्यालय, रांची	20		9	5.62
झारखंड	स्वर्णरेखा इंटरप्राइजेज, रांची	200			200.00
	झारखंड कुल	220		9	205.62
पंजाब	पंजाब कृषि विश्वविद्यालय, लुधियाना	10	0.37	1.19	2.00
पंजाब	बीएफ उत्पादन यूनिट, लुधियाना			1.08	
	पंजाब कुल	10	0.37	2.27	2
राजस्थान	राइजोबियम उत्पादन लैब, दुर्गापुर, जयपुर	50	34.64	50.11	18.75
राजस्थान	वस्ता महावीर बायोलैब, उदयपुर			3	
राजस्थान	नाफेड जैव उर्वरक एसपीएल-80 रीको औद्योगिक क्षेत्र, भरतपुर	500		377.48	321.00
	राजस्थान कुल	550	34.64	430.59	339.75
तमिलनाडु	मोनार्क जैव उर्वरक अनुसंधान केन्द्र, सं. 12, सीडको औद्योगिक क्षेत्र, थिरमजिसई, चेन्नई	10			3.21
तमिलनाडु	मै. एलबिटेक इन्वेसन लि., 46 एवं 48 दूसरी मंजिल मशिलमानी रोड, बालाजी रोड, चेन्नई	100			65.60
तमिलनाडु	मुख्य प्रबंधक जैव उत्पाद मद्रास उर्वरक लि., मनाली, चेन्नई	300			
तमिलनाडु	कृषि केमिस्ट जैव उत्पादन यूनिट जमाल मोहम्मद कालेज, ख्वाजामलय त्रिची-तमिलनाडु	300	224.05	215.2	226.48
तमिलनाडु	कृषि केमिस्ट जैव उर्वरक उत्पादन यूनिट सिलानेकपट्टी, सालेम, तमिलनाडु	400	259.95	299.69	315.58
तमिलनाडु	कृषि केमिस्ट जैव उर्वरक उत्पादन यूनिट कुडुमियानमलयं, पुडुकोटई, तमिलनाडु	300	195.3	224.62	

1	2	3	4	5	6
तमिलनाडु	सीमाकाटन विकास एवं अनुसंधान संघ सन्मुखमनरम पो.बा. 3871, रेसकोर्स कोयंबटूर	100	6.41	2.7	54.61
तमिलनाडु	मै. टी स्टेन्स एंड कं. लि. 8/23-24 रेसकोर्स रोड, कोयंबटूर	500		233.6	390.00
तमिलनाडु	कृषि केमिस्ट जैव उर्वरक उत्पादन यूनिट, रामनाथपुरम, आरटीओ आफिस रोड, रामनाथपुरम, तमिलनाडु	400	169.21		310.28
तमिलनाडु	मै. जेपी बायोटेक 25 चिनिया स्कूल स्ट्रीट विरुधनगर, तमिलनाडु	75			58.36
तमिलनाडु	कृषि केमिस्ट जैव उर्वरक उत्पादन यूनिट, कृषि विभाग, तमिलनाडु सरकार गुंडुसलय रोड, कुडालोर	300	125.69	240.01	
तमिलनाडु	कृषि केमिस्ट जैव उर्वरक उत्पादन यूनिट, कृषि विभाग, तमिलनाडु सरकार, सकटाई तन्जावर	300			256.93
तमिलनाडु	तमिलनाडु सहकारी चीनी संघ लि., 474, अन्नासलै, पेरियार ईवीआर भवन 5 मंजिल नन्दनम, चेन्नई	400			76.00
तमिलनाडु	ओमेगा इकोटेक उत्पाद इंडिया प्रा.लि., 63-ए भारतीय नगर मेन रोड गणपति, कोयंबटूर	500			13.25
तमिलनाडु	टीएनएयू, कोयंबटूर		3.64		
तमिलनाडु	इनोवा एग्रोटेक प्रा.लि., 2/527-1, इस्ट स्ट्रीट, कुल्लुरचंडै, विरुद्धनगर	600			
तमिलनाडु	मार्डन नर्सरी डिविजन, चेन्नई			233.6	
तमिलनाडु	एसपीआईसी, चेन्नई		104.09	1.08	
तमिलनाडु	एस्वीन अग्रिम प्रौद्योगिकी चेन्नई		38.5	14.53	
तमिलनाडु	मद्रास उर्वरक लि., चेन्नई		213	235.28	
तमिलनाडु	बीएफ उत्पादन यूनिट सकटई			243.11	
तमिलनाडु	बीएफ उत्पादन यूनिट, तिरीचापल्ली		224.06		
तमिलनाडु	बीएफ उत्पादन यूनिट, रामनाड			264.15	
तमिलनाडु	आर सुन्दर 25, चिनिया स्कूल स्ट्रीट, विरुद्धनगर	700			
	तमिलनाडु कुल	5285	1564.94	2207.57	1770.3
त्रिपुरा	क्षेत्रीय जैव उर्वरक उत्पादन केन्द्र, त्रिपुरा	50			23.25
	त्रिपुरा कुल	50			23.25

1	2	3	4	5	6
उत्तर प्रदेश	कृषि विभाग, उ.प्र., लखनऊ		130.27	125	
उत्तर प्रदेश	कृभको, वाराणसी			135.88	
उत्तर प्रदेश	इफ्फको, फुलपुर			225.42	
उत्तर प्रदेश	मोतीलाल नेहरू फार्मर्स ट्रेनिंग इंस्टीच्यूट, फुलपुर, इलाहाबाद	250			212.78
	उत्तर प्रदेश कुल	250	130.27	486.3	212.78
पांडिचेरी	रोम विजय बायोटेक सं. 5, कुडालोर, मनीकोइल, पांडिचेरी	150			146.00
पांडिचेरी	मैसर्स गोलुलाम इंटरप्राइजेज सं. 36 श्री राम नगर, कुडालोर, पोंडी मेन रोड, कानीकोइल, पांडिचेरी	2000			1681.78
पांडिचेरी	मैसर्स पैसिक बीएफ उत्पादन केन्द्र एग्रो हाऊस कृषि काम्प्लेक्स, थतनचावरी, पांडिचेरी	75		7.78	
	पांडिचेरी कुल	2225		7.78	1827.78
	कुल योग	43720	10604.70	10764.42	16145.28

विदेशी सहायता से मत्स्य बंदरगाह

2900. एडवोकेट सुरेश कुरूप: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में किसी मत्स्य बंदरगाह को खाद्य एवं कृषि संगठन (एफ.ए.ओ.) की सहायता से विकसित किए जाने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रयोजनार्थ चुने गए बंदरगाहों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इनके चयन हेतु क्या मानदंड अपनाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह): (क) कृषि मंत्रालय, भारत सरकार नए मत्स्य बंदरगाहों के विकास की बजाय मौजूदा मत्स्यन बंदरगाहों के आधुनिकीकरण के उद्देश्य से खाद्य एवं कृषि संगठन (एफएओ) की सहायता से "भारत में क्लीनर मत्स्यन बंदरगाह" संबंधी तकनीकी सहयोग कार्यक्रम (टीसीपी) क्रियान्वित कर रहा है।

(ख) टीसीपी के अंतर्गत, एक गुजरात में मंगरोल तथा दूसरा उड़ीसा में धामरा स्थित दो मत्स्यन बंदरगाहों को माडल के रूप में आधुनिकीकरण के लिए चुना गया है। इन दो मत्स्यन बंदरगाहों को (1) देश के पूर्वी तथा पश्चिमी दोनों तटों पर माडल के रूप में रखने, (2) संचालित मत्स्यन नौकाओं, मत्स्यन बंदरगाहों पर उतारी गई मत्स्य कैच की मात्रा तथा मछुआरा संख्या के संबंध में स्थानीय मत्स्यन की क्षमता की दृष्टि से चुना गया है।

कृषि क्षमता संबंधी राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक

2901. श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने सिंचाई क्षमता का पूर्ण उपयोग करने हेतु दस वर्षीय योजना तैयार करने के लिए राष्ट्रीय विकास परिषद (एन.सी.डी.) की हाल की बैठक में प्रस्तुत किए गए मध्य प्रदेश सरकार के प्रस्ताव की जांच की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या निर्णय लिए गए हैं;

(ग) भारतीय नदियों की कुल अनुमानित सिंचाई क्षमता कितनी है; और

(घ) इस समय इसका कितना उपयोग किया जा रहा है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) और (ख) जी, नहीं। कृषि क्षेत्र से संबंधित मुद्दों पर विचार करने के लिए राष्ट्रीय विकास परिषद की 29.5.2007 को हुई बैठक में किसी राज्य विशिष्ट प्रस्ताव पर विचार नहीं किया गया था। राष्ट्रीय विकास परिषद ने बहुत से मुद्दों पर विचार-विमर्श किया और एक संकल्प पारित किया जिसकी प्रति संलग्न विवरण-I पर है।

(ग) स्रोत तथा स्कीमों के अनुसार अंतिम सिंचाई क्षमता का ब्यौरा संलग्न विवरण-II पर दिया गया है।

(घ) राज्य सरकारों द्वारा सूचित किए गए अनुसार, 2006-07 तक राज्यों द्वारा 102.77 मिलियन हैक्टे. की सिंचाई क्षमता का सृजन किया गया है।

विवरण I

राष्ट्रीय विकास परिषद ने प्रस्ताव किया है कि किसानों की जरूरतों को पूरा करने के लिए कृषि विकास रणनीतियों को पुन: निर्धारित किया जाना चाहिए और राज्य सरकारों को कृषि का नवीकरण करने के लिए एक रणनीति तैयार करनी चाहिए। एनडीसी 11वीं योजना के दौरान कृषि क्षेत्र में 4 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि प्राप्त करने की अपनी प्रतिबद्धता को पुन: पुष्टि करता है और इसके बारे में प्रस्ताव पारित करता है कि केन्द्रीय और राज्य सरकारों द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए जाएंगे:

केन्द्रीय सरकार द्वारा की जाने वाली कार्रवाई

(1) केन्द्रीय स्कीम के रूप में एक खाद्य सुरक्षा मिशन शुरू करना, जिसमें गेहूं, चावल और दलहन शामिल हैं, आधार वर्ष (वर्ष 2006-07 को समाप्त वर्षत्रय) की तुलना में अगले चार वर्षों में गेहूं का 8 मिलियन मी. टन, चावल का 10 मिलियन मी. टन और दलहनों का 2 मिलियन मी. टन का अतिरिक्त उत्पादन करना था।

(2) राज्यों को कृषि-जलवायुवीय स्थितियों, प्राकृतिक संसाधनों संबंधी मुद्दों तथा प्रौद्योगिकी को ध्यान में रखकर उनके कृषि क्षेत्र को और अधिक व्यापक बनाने के लिए योजना तैयार करने की दृष्टि से प्रोत्साहित करने के वास्ते एक नई अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता स्कीम शुरू करना और पशुधन, कुक्कुट तथा मात्स्यिकी को और अधिक पूर्ण रूप से एकीकृत करना। इसमें राज्य योजनाओं को अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता हेतु विद्यमान केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों के अतिरिक्त संघीय कृषि मंत्रालय द्वारा एक नई स्कीम शामिल है ताकि भूमि सुधारों के लाभानुभोगियों के लिए विशेष स्कीमों सहित राज्य-विशिष्ट रणनीतियां संपूरित की जा सकें। नया बनाया गया राष्ट्रीय वर्षासिंचित क्षेत्र प्राधिकरण अनुरोध किए जाने पर वर्षासिंचित क्षेत्रों हेतु नियोजन में राज्यों की सहायता करेगा।

(3) आधुनिकीकरण संबंधी एक घटक जो कि उन्नत भागीदारी सिंचाई प्रबंधन और कमान क्षेत्र विकास को अपनाने से जुड़ा हुआ है, सहित एआईबीपी के जरिये सिंचाई हेतु अतिरिक्त संसाधन मुहैया कराया जाना। किसी राज्य के भीतर नदियों को जोड़ने को शामिल करने की स्कीमों को भी एआईबीपी हेतु विचार किया जा सकता है।

(4) आईसीएआर के अलावा फंड यूनिवर्सिटियों, सीएसआईआर की प्रयोगशालाओं तथा निजी संस्थाओं के लिए उचित अभिशासन तथा कार्यान्वयन ढांचे के साथ कृषि मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय रणनीतिक अनुसंधान कोष के लिए अतिरिक्त संसाधन मुहैया कराकर राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रयास पर रणनीतिक ध्यान केन्द्रित करना। राज्य कृषि विश्वविद्यायों में क्षेत्रीय रूप से केन्द्रीभूत अनुसंधान परियोजनाओं का समर्थन करने के लिए अतिरिक्त वित्तपोषण मुहैया कराया जाएगा।

(5) पूरी 11वीं योजना अवधि के लिए राज्य-वार निर्देशात्मक आवंटनों द्वारा वर्ष दर वर्ष निधि आवंटन के वर्तमान पैटर्न को बदला जाना तथा नाबार्ड द्वारा आरआईडीएफ वित्तपोषण के पैटर्न को पुन: संरचित करना, जिसमें कम ग्रामीण ऋण-डिपोजिट अनुपातों के साथ राज्यों की जरूरतों को ध्यान में रखा जाएगा। इन क्षेत्रों हेतु अवसंरचना सहित बागवानी, पशुधन, कुक्कुट और मात्स्यिकी जैसे संभावित वृद्धि क्षेत्रों के लिए राज्य कृषि योजनाओं में अभिज्ञात जरूरतों के आलोक में वित्तपोषण हेतु उपयुक्त कार्यकलापों की समीक्षा की जाएगी।

(6) उर्वरक राजसहायता कार्यक्रम को पुन: संरचित करने और इसकी किसानों को डिलीवरी के लिए कदम उठाना और ऐसी प्रणाली की तरफ जाना जो मृदाओं पर बिना प्रतिकूल प्रभावों के संतुलित पौध पोषक तत्व मुहैया कराये। मृदा स्वास्थ्य में वृद्धि के लिए जैव-उर्वरकों, आर्गेनिक खाद तथा सूक्ष्म-पोषक तत्वों के उपयोग को बढ़ावा दिया जाएगा।

(7) कृषक समुदाय में दक्षता विकास में सुधार करने के लिए कृषि की आधुनिक पद्धतियों में किसानों के प्रशिक्षण के साथ-साथ गैर-कृषि कार्यकलापों के लिए प्रासंगिक दक्षता प्रदान करने के लिए नई पहलें करना।

राज्य सरकार द्वारा की जाने वाली कार्रवाई

(1) प्रत्येक जिले, जो कि बीआरजीएफ और एनआरईजी जैसी स्कीमों से जिला स्तर पर संसाधनों सहित राज्य अथवा केन्द्र से सभी विद्यमान स्कीमों से उपलब्ध संसाधनों का पूर्ण रूप से उपयोग करता है, हेतु जिला योजना तैयार करना। जिला कृषि योजना में पशुधन और मछुवाही (फिशिंग) शामिल होंगे और इन्हें जल संचयन वे संरक्षण के लिए अन्य स्कीमों तथा लघु सिंचाई परियोजनाओं, ग्रामीण विकास कार्यों के साथ एकीकृत किया जाएगा। इस प्रयोजनार्थ प्रत्येक राज्य सरकार जिला स्तर पर समुचित यूनिट(टें) स्थापित करेगी।

(2) जिला योजनाओं के आधार पर एक राज्य कृषि योजना तैयार करना जिसका लक्ष्य प्रत्येक कृषि जलवायु क्षेत्र में सतत प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन और प्रौद्योगिकीय संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए राज्य का कृषि वृद्धि उद्देश्य प्राप्त करना है। प्रत्येक राज्य यह सुनिश्चित करेगा कि अपने कुल राज्य योजना खर्च में कृषि का बेसलाइन शेयर कम से कम कायम रखा जाए, और ऐसा करने पर यह बेस लाइन से बाहर कृषि योजना संबंधी व्यय के केन्द्रीय अंशदान को पूरा करने के लिए नए एसीए तक पहुंचने में सक्षम होगा।

(3) एआईबीपी के अधीन शुरू की गई सभी परियोजनाओं को बिना अधिक समय और लागत के पूरा करने के विशेष प्रयास करना और सिंचाई परियोजनाओं को उनके कृषि उत्पादन लक्ष्यों के आनुरुप्य प्राथमिकता देना। बेहतर जल प्रबंधन और जल उपयोग दक्षता बढ़ाना सुनिश्चित करने के लिए राज्य विशेष प्रयास करना।

(4) बीज उत्पादन को सर्वोच्च प्राथमिकता देना ताकि सही समय पर और उचित मूल्यों पर संबद्ध मुख्य फसलों और चारे के गुणवत्तापरक बीजों की आपूर्ति उपलब्ध हो सकें। बीज प्रतिस्थापन दरों में सुधार करना आवश्यक है जिससे उपज अंतरालों में कमी करने में मदद मिलेगी। प्रत्येक कृषि जलवायु क्षेत्र के लिए उपयुक्त किस्मों के बीजों का उत्पादन सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकारों और राज्य कृषि विश्वविद्यालयों अथवा आईसीएआर की संस्थाओं के बीच नजदीकी सम्पर्क होना चाहिए। उपजातीय विकास के लिए एसएयू, संबंधित राज्य विभागों तथा सार्वजनिक क्षेत्र के बीच सार्वजनिक-निजी भागीदारी पर विचार किया जा सकता है।

(5) राज्य कृषि विस्तार प्रणालियों का बड़ा विस्तार और पुनरुद्धार करना। इसमें राज्य कृषि विश्वविद्यालय तथा कृषि विज्ञान केन्द्र शामिल होंगे; और प्रत्येक जिले में समर्थन पशु संसाधन विकास, मृदा जांच क्षमता का विस्तार तथा आदान गुणवत्ता की जांच की सुविधाएं शामिल हैं। जहां भी संभव हो सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) पद्धति का उपयोग किया जाना चाहिए।

(6) वैद्यनाथन समिति की सिफारिशों को शीघ्र कार्यान्वित करने के लिए एमओयू पर शीघ्र हस्ताक्षर किया जाना (यदि अभी तक नहीं किए गए) और प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए मानिटर करने योग्य अंतिम तिथि निर्धारित करना ताकि सहकारी ऋण ढांचे को नया रूप दिया जा सके।

(7) एपीएमसी अधिनियम को संशोधित करने और उसके अधीन नियमों को अधिसूचित करने की प्रक्रिया को पूरा करके आधुनिक मंडियों के विकास को प्रोत्साहित करना, तथा साथ ही किसानों की सहकारी समितियों, ठेका कृषि तथा राज्यों द्वारा तरजीह दिए गए अन्य साधनों सहित विभिन्न प्रकार के उपकरणों के माध्यम से मंडियों तक सम्पर्कों के विकास को भी प्रोत्साहित करना। संशोधित एपीएमसी विधान के अधीन नियमों को अधिसूचित करने की प्रक्रिया को वर्ष 2007-08 के दौरान पूरा कर लिया जाना चाहिए।

इन कदमों को कार्यान्वित करने के ठोस प्रस्तावों का विस्तृत ब्यौरा केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकार दोनों के द्वारा यथासंभव शीघ्र दिया जाएगा।

विवरण II

स्रोत तथा स्कीमों के अनुसार अंतिम सिंचाई क्षमता का ब्यौरा

स्रोत	स्कीमें	अंतिम सिंचाई क्षमता (मिलियन हैक्टे. में)
सतही जल	प्रमुख एवं मध्यम सिंचाई	58.5
	लघु सिंचाई	17.4
भू-जल	लघु सिंचाई	64.0
	कुल	139.9

जल की मांग

2902. श्री आनंदराव विठोबा अडसूल: क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जल की मांग वर्ष 2010 तक बढ़कर 813 बीसीएम और वर्ष 2025 तक 1093 बीसीएम तक होने की संभावना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या परंपरागत तरीकों द्वारा पूर्ण जल क्षमता को वर्ष 2025 तक विकसित किए जाने की संभावना है; और

(घ) यदि हां, तो जल की बढ़ती मांग को पूरा करने हेतु संपूर्ण जल की संभावना का पता लगाने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जय प्रकाश नारायण यादव): (क) से (घ) "देश में विभिन्न प्रयोजनों के लिए जल की उपलब्धता एवं आवश्यकता का आकलन" संबंधी स्थायी उप समिति की रिपोर्ट के अनुसार विभिन्न क्षेत्रों के लिए कुल जल की आवश्यकता का अनुमान वर्ष 2010 तक के लिए लगभग 813 बिलियन घनमीटर (बीसीएम) और वर्ष 2025 तक के लिए लगभग 1093 बीसीएम के रूप में किया गया है। विभिन्न उद्देश्यों के लिए अनुमानित आवश्यकता निम्नलिखित है:

क्षेत्र	वर्ष में जल की मांग (बीसीएम)	
	2010	2025
सिंचाई	688	910
पेय (पशुधन सहित)	56	73
औद्योगिक	12	23
ऊर्जा	5	15
अन्य	52	72
कुल	813	1093

हालांकि एकीकृत जल संसाधन विकास योजना संबंधी राष्ट्रीय आयोग ने अपनी रिपोर्ट में उच्चतर क्षमता को अपनाते हुए कुल जल की आवश्यकता का अनुमान वर्ष 2010 तक के लिए 710 बीसीएम और वर्ष 2025 तक के लिए 843 बीसीएम के रूप में किया है।

विभिन्न आवश्यकताओं के लिए जल संसाधन परियोजनाओं का विकास एक निरन्तर प्रक्रिया है। सिंचाई क्षमता के सृजन के उद्देश्य से परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए उपाय संबंधित राज्य सरकारों द्वारा किए जाते हैं जिनमें वृहद, मध्यम और लघु सिंचाई परियोजनाओं के माध्यम से भंडारण का सृजन, जल निकायों का पुन:स्थापन, वर्षा जल संचयन और बेहतर प्रबंधन प्रक्रिया शामिल हैं। भारत सरकार विभिन्न स्कीमों/कार्यक्रमों के माध्यम से राज्य सरकारों को सहायता उपलब्ध कराती है जैसे त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (एआईबीपी); कमान क्षेत्र विकास एवं जल प्रबंधन (सीएडीडब्ल्यूएम); कृषि से सीधे तौर पर जुड़े जल निकायों की मरम्मत, पुनरुद्धार एवं पुन: स्थापन संबंधी राष्ट्रीय परियोजना आदि। भारत सरकार वर्षा जल संचयन और भूजल के पुनर्भरण को भी बढ़ावा देती है।

अस्पतालों हेतु दवाइयों की खरीद

2903. श्री संतोष गंगवार: क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सशस्त्र सेनाओं के अस्पतालों हेतु दवाइयों की खरीद के लिए मानदंड क्या हैं;

(ख) क्या इन खरीदी जाने वाली दवाइयों की गुणवत्ता की कोई जांच कराई जाती है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या दवाइयों को केवल ब्रांडिड कंपनियों से खरीदा जाता है अथवा कुछ स्थानीय कंपनियों से भी खरीदा जाता है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) आपूर्तिकर्ताओं का पैनल बनाने हेतु मानदंड क्या हैं;

(छ) क्या आपूर्तिकर्ताओं के बैंक खाते और बाजार में उनकी स्थिति का पता लगाया जाता है;

(ज) दवाइयों की स्थानीय खरीद की प्रणाली क्या है; और

(झ) कम मात्रा में स्थानीय खरीद पर क्या नियंत्रण है?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी): (क) से (झ) सशस्त्र सेनाओं के अस्पतालों के लिए सशस्त्र सेना चिकित्सा सेवा महानिदेशालय के द्वारा औषधियों की अधिप्राप्ति रक्षा अधिप्राप्ति मैनुअल-2006 (डीपीएम-2006) द्वारा नियंत्रित होती है। औषधियों की खरीद के लिए सशस्त्र सेना चिकित्सा सेवा महानिदेशालय की निविदाओं में

भाग लेने के लिए विक्रेताओं के वास्ते पात्रता मानदंड इस प्रकार हैं:-

(1) गुणता आश्वासन महानिदेशालय का पंजीकरण अथवा विनिर्माण लाइसेंस सहित राज्य/केन्द्रीय प्राधिकारियों द्वारा संयंत्र के लिए जारी अच्छा विनिर्माण प्रक्रिया प्रमाण-पत्र, पिछले तीन लगातार वर्षों के लिए प्रति वर्ष 20 करोड़ रुपए से अधिक के केवल औषधीय उत्पादों की कुल वार्षिक बिक्री, चार्टर्ड लेखाकार द्वारा विधिवत लेखा-परीक्षित पिछले तीन वर्षों के लेखा विवरण अथवा अणु का मूल आविष्कारक और विनिर्माण तथा विपणन प्रमाण-पत्र।

(2) आयातित औषधियों के लिए वार्षिक कुल बिक्री प्रमाण-पत्र और विदेशी विनिर्माता का विनिर्माण/विपणन प्रमाण-पत्र सहित विश्व स्वास्थ्य संगठन उत्तम विनिर्माण प्रक्रिया (डब्ल्यूएचओजीएमपी) प्रमाण-पत्र/औषधीय उत्पाद प्रमाण-पत्र, औषध आयात के लिए पंजीकरण प्रमाण-पत्र और औषधियों का आयात करने संबंधी लाइसेंस अपेक्षित होगा।

1.5 लाख रुपए से अधिक मूल्य के सामान के लिए खरीदी गई औषधियों की गुणता, गुणता आश्वासन महानिदेशालय द्वारा अथवा परीक्षक और अंशांकन प्रयोगशालाओं संबंधी राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड द्वारा आपूर्ति-पूर्व परीक्षण द्वारा सुनिश्चित की जाती है। 1.5 लाख रुपए से कम मूल्य के समान की गुणता क्रेता द्वारा यादृच्छिक नमूनों के बाद में प्रयोगशाला परीक्षणों द्वारा सुनिश्चित की जाती है। विदेशी उत्पादों की गुणता भारत के औषध महानियंत्रक द्वारा सुनिश्चित की जाती है।

अधिप्राप्ति किसी फर्म, जो पात्रता मानदण्ड पूरा करती है, द्वारा बताए गए न्यूनतम मूल्य के आधार पर की जाती है।

अस्पतालों और डिपुओं के कमांडेंट/कमान अफसर उन्हें प्रत्यायोजित वित्तीय शक्तियों के भीतर औषधियों की स्थानीय खरीद के लिए रक्षा अधिप्राप्ति मैनुअल-2006 में दिए गए दिशा-निर्देशों का अनुसरण करते हैं।

[हिन्दी]

पायलटरहित वायुयान "लक्ष्य"

2904. श्री रामदास आठवले: क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पायलटरहित वायुयान "लक्ष्य" का आवश्यकताओं के अनुसार विनिर्माण किया गया है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे उक्त कितने वायुयानों को रक्षा सेवाओं के उपयोग हेतु सम्मिलित किया गया है और प्रत्येक वायुयान की लागत क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार उक्त स्वदेशी वायुयान को अन्य देशों को बेचने का है; और

(घ) "लक्ष्य" वायुयान को खरीदने में किन-किन देशों न रुचि दिखाई है?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी): (क) और (ख) जी, हां। अभी तक रक्षा सेनाओं में 23 पायलट रहित टारगेट विमान (पीटीए) लक्ष्य शामिल किए गए हैं। एक विमान की उत्पादन लागत 293.75 लाख रुपए है।

(ग) और (घ) अब, सिंगापुर, मलेशिया जैसे कुछ देशों और इजरायल नौसेना ने एक टारगेट के रूप में लक्ष्य विमान के "प्रदत्त प्रदर्शन" के लिए अपनी इच्छा व्यक्त की है। हम पहले ही वर्ष 2002 के दौरान इजरायल की वायुसेना के समक्ष इसी प्रकार का एक "प्रदत्त प्रदर्शन" आयोजित कर चुके हैं।

[अनुवाद]

ऋण गारंटी निधि योजना के अंतर्गत प्रस्ताव

2905. श्री हरिभाऊ राठौड़: क्या सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और उसके बाद देश में विशेषकर महाराष्ट्र और गोवा में ऋण गारंटी निधि योजना के अंतर्गत उद्यमियों को विभिन्न सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों की स्थापना हेतु ऋण और गारंटी प्रदान करने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा प्राप्त आवेदनों और प्रस्तावों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान राज्य-वार कितने आवेदनों को स्वीकार किया गया और कितने आवेदनों को अस्वीकार किया और इन्हें अस्वीकार करने के क्या कारण हैं; और

(ग) ऐसे लंबित आवेदनों को स्वीकृति देने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री (श्री महावीर प्रसाद): (क) से (ग) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष तथा 2007-08

(31 जुलाई, 2007 तक) के दौरान क्रेडिट गारंडी फंज योजना के तहत महाराष्ट्र एवं गोवा सहित देश में सूक्ष्म एवं लघु उद्यमियों को क्रेडिट सुविधाओं पर गारंटी कवर प्रदान करने के लिए सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों हेतु क्रेडिट गारंडी फंड ट्रस्ट (सीजीटीएमएसई) द्वारा प्राप्त/अनुमोदित आवेदनों की राज्य-वार संख्या संलग्न विवरण में दी गई है। योजना के तहत सीजीटीएमएसई द्वारा कोई पात्र आवेदन निरस्त नहीं किया गया है। आवेदनों के शीघ्र क्लियरेन्स के लिए, योजना के प्रचालन को कम्प्यूटराइज्ड और बी 2 बी ई-बिजनेस अवधारणा का प्रयोग करते हुए आन-लाइन बना दिया गया है अर्थात दो या दो से अधिक व्यवसाय भागीदारों के बीच इण्टरनेट के माध्यम से बिजनेस-टू-बिजनेस प्रचालन संचालित किए जाते हैं।

विवरण

सूक्ष्म तथा लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी फण्ड स्कीम हेतु गारंटी कवर के संबंध में प्राप्त/स्वीकृत प्रस्तावों का राज्य/संघ शासित क्षेत्र-वार ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	स्वीकृत प्रस्तावों की संख्या			
		2004-05	2005-06	2006-07	2007-08 (31.7.2007 तक)
1	2	3	4	5	6
1.	अंडमान और निकोबार	0	2	13	5
2.	आंध्र प्रदेश	327	1475	3323	470
3.	अरुणाचल प्रदेश	2	22	105	3
4.	असम	159	356	1252	236
5.	बिहार	89	344	1416	483
6.	चंडीगढ़	19	47	60	26
7.	छत्तीसगढ़	184	379	180	71
8.	दादर और नगर हवेली	7	1	4	1
9.	दमन और दीव	3	5	8	3
10.	दिल्ली	48	108	79	45
11.	गोवा	16	52	69	20
12.	गुजरात	183	334	816	563
13.	हरियाणा	214	451	1085	430
14.	हिमाचल प्रदेश	156	254	503	109
15.	जम्मू-कश्मीर	293	201	182	44
16.	झारखंड	320	459	232	122
17.	कर्नाटक	737	1649	1748	779

1	2	3	4	5	6
18.	केरल	2205	3459	3867	1554
19.	मध्य प्रदेश	505	769	1038	352
20.	महाराष्ट्र	246	518	447	179
21.	मणिपुर	1	48	24	0
22.	मेघालय	5	12	226	7
23.	मिजोरम	1	41	189	11
24.	नागालैंड	1	8	44	26
25.	उड़ीसा	363	707	2319	939
26.	पांडिचेरी	6	26	137	51
27.	पंजाब	248	324	322	229
28.	राजस्थान	110	230	1457	1047
29.	सिक्किम	19	14	21	8
30.	तमिलनाडु	869	1713	3607	1306
31.	त्रिपुरा	9	43	73	58
32.	उत्तर प्रदेश	1368	1055	1109	438
33.	उत्तरांचल	19	39	106	43
34.	पश्चिम बंगाल	794	1139	1396	352

[हिन्दी]

तटवर्ती आतंकवाद

2906. श्री वी.के. दुम्मर:
श्री एल. राजगोपाल:

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने लिट्टे की बढ़ती हवाई हमले की क्षमता का आकलन किया है जिससे निकट भविष्य में भारत की सुरक्षा को खतरा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) देश में विशेषकर दक्षिण क्षेत्र में किसी प्रकार की अनहोनी से निपटने हेतु सुरक्षा संबंधी क्या पूर्वोपाय किए गए हैं अथवा किए जाने का विचार है;

(घ) उस संवेदनशील तटवर्ती क्षेत्र के लिए क्या कदम उठाए गए हैं जिनकी इस समय केन्द्रीय और राज्य आसूचना एजेंसियों द्वारा निगरानी की जा रही है;

(ङ) क्या तटवर्ती आतंकवाद से निपटने हेतु राष्ट्रीय समुद्री प्राधिकरण स्थापित किया जा रहा है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी): (क) से (च) जी, हां। किसी भी हवाई हमले से अपने क्षेत्र की रक्षा के लिए सरकार ने सभी आवश्यक कदम उठाए हैं।

स्थिति की आकस्मिकताओं को ध्यान में रखते हुए आवश्यक सुरक्षा उपायों की निरन्तर पुनरीक्षा की जाती है, उनका आकलन किया जाता है और उन्हें सुदृढ़ किया जाता है।

[अनुवाद]

मवेशियों का संरक्षण

2907. श्री एल. राजगोपाल: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आंध्र प्रदेश में ओंगोल मवेशी जैसी देशी मवेशी नस्लों का संरक्षण करने की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ओंगोल मवेशी जैसे एलिट रजिस्टर्ड मवेशी के स्वामियों को कोई नकद और अन्य प्रोत्साहन दिए जा रहे हैं;

(घ) यदि हां, तो आंध्र प्रदेश में किसानों की दी गई सहायता का ब्यौरा क्या है;

(ङ) सेंट्रल हर्ड रजिस्ट्रेशन स्कीम के लक्ष्य और उद्देश्य क्या हैं; और

(च) डेयरी उत्पादों से जुड़े अन्य मवेशियों-बैल, गाय जैसी अन्य भारतीय नस्लों के संरक्षण को प्रोत्साहित करने हेतु क्या कदम उठाए जाने का विचार है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह): (क) जी, हां।

(ख) ओंगोले गोपशु के बेहतर जर्मप्लाज्म का पता लगाने के लिए आंध्र प्रदेश के तीन जिलों में एक केंद्रीय क्षेत्र की पशुयूथ पंजीकरण योजना 1979 से काम कर रही है।

(ग) जी, हां।

(घ) वर्ष 2005-06 तथा 2006-07 के दौरान, आंध्र प्रदेश में अर्हक पंजीकृत पशुओं के 441 तथा 428 स्वामियों को प्रोत्साहन इनाम राशि के रूप में क्रमश: 177450 रुपए तथा 195750 रुपए की राशि वितरित की गई थी।

(ङ) केंद्रीय पशुयूथ पंजीकरण योजना के लक्ष्य एवं उद्देश्य इस प्रकार है:- चुनिंदा स्वदेशी गोपशु एवं भैंस नस्लों के बेहतर जर्मप्लाज्म का पता लगाना एवं उसे पंजीकृत करना, बेहतर आनुवंशिक स्टाक का प्रसार करना, संरक्षण को बढ़ावा देना, पंजीकृत पशुओं संबंधी जानकारी का प्रचार-प्रसार करना, प्रजनक संघों के गठन को सुविधाजनक बनाना तथा प्रजनन के लिए स्वदेशी सांडों की आवश्यकता की पूर्ति करना।

(च) बोवाईन के आनुवंशिक उन्नयन, देश के स्वदेशी नस्लों के विकास एवं संरक्षण के लिए, अक्तूबर, 2000 से एक राष्ट्रीय गोपशु एवं भैंस प्रजनन परियोजना (एनपीसीबीबी) क्रियान्वित की जा रही है। चरण-I में हुए लाभ का उपयोग करने के लिए अगले पांच वर्षों के लिए 775.87 करोड़ रुपए के कुल आबंटन के साथ दिसम्बर, 2006 से एनपीसीबीबी के चरण-II को प्रारंभ किया गया है। चरण-II के प्रमुख उद्देश्यों में से एक उद्देश्य यह है कि प्रजनन प्रयोजनों के लिए स्वदेशी गोपशुओं एवं भैंसों की नस्लों के सांड उत्पादन कार्यक्रम को शुरू किया जाए। केंद्रीय गोपशु विकास संगठन भी जिसमें सात केंद्रीय गोपशु प्रजनन फार्म, एक केंद्रीय हिमित वीर्य उत्पादन एवं प्रशिक्षण संस्थान और चार केंद्रीय पशुयूथ पंजीकरण एकक शामिल हैं, देश में कुछ महत्वपूर्ण स्वदेशी नस्लों के सांडों एवं हिमित वीर्य की आवश्यकता को पूरा करने के लिए सांड बछड़ों के आनुवंशिक रूप से बेहतर नस्लों, अच्छी गुणत्ता के हिमित वीर्य का उत्पादन करने तथा गोपशु एवं भैंसों के बेहतर जर्मप्लाज्म के स्थान की पहचान करने के लिए देश के विभिन्न क्षेत्रों में काम कर रहे हैं।

भारतीय हवाई क्षेत्र का उल्लंघन

2908. श्री हितेन बर्मन: क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कुछ देशों द्वारा भारतीय हवाई क्षेत्र के उल्लंघन की रिपोर्ट मिली है;

(ख) यदि हां, तो गत दो वर्षों के दौरान हवाई क्षेत्र के उल्लंघन की रिपोर्ट का ब्यौरा क्या है; और

(ग) ऐसे उल्लंघन को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्रवाई किए जाने का विचार है?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी): (क) जी, हां।

(ख) पिछले दो वर्षों अर्थात् अगस्त, 2005 से जुलाई, 2007 तक दूसरे देशों के विमानों द्वारा भारतीय वायु क्षेत्र के उल्लंघन के कुल 80 मामलों का देशवार ब्यौरा इस प्रकार है:-

देश का नाम	उल्लंघन की संख्या
पाकिस्तान	73*
बांग्लादेश	03
चीन	01
नेपाल	03

*वायु क्षेत्र उल्लंघन की इन घटनाओं में से अधिकतर घटनाएं भूकम्प प्रभावित क्षेत्र में पाकिस्तान और संयुक्त राष्ट्र के हेलिकाप्टरों द्वारा पाकिस्तान से उड़ान भरते हुए हुई जो संभवत: राहत संक्रियाओं के लिए उड़ान भर रहे थे।

(ग) संबंधित देश के साथ कूटनीतिक माध्यम के जरिए स्थापित प्रक्रिया के अनुसार मामला उठाया गया है।

सशस्त्र सेनाओं हेतु निजी अस्पतालों का पैनल बनाया जाना

2909. **श्री सुव्रत बोस:** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रक्षा कार्मिकों को बेहतर चिकित्सा सेवा प्रदान करने हेतु सेना के अस्पतालों को निजी अस्पतालों से जोड़े जाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सैन्यकर्मी चिकित्सा बीमा कवर के लिए पात्र हैं; और

(घ) यदि हां, तो बीमा कवर किन-किन रोगों के लिए उपलब्ध है और इस बीमा कवर को अन्य रोगों के लिए भी दिए जाने का कोई प्रस्ताव है?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी): (क) और (ख) सेना अस्पतालों को निजी अस्पतालों से जोड़े जाने की कोई योजना नहीं है।

(ग) और (घ) सेना कार्मिकों के लिए कोई चिकित्सा बीमा कवर नहीं है। तथापि, सेवारत सेना कार्मिकों को व्यापक चिकित्सा कवर नि:शुल्क उपलब्ध कराया जाता है।

स्पेक्ट्रम मूल्यांकन हेतु समिति

2910. **श्री चंद्रकांत खैरे:**
श्रीमती जयावहन बी. ठक्कर:

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार स्पेक्ट्रम मूल्यांकन और मूल्य निर्धारण हेतु समिति गठित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस समिति के सदस्य कौन-कौन हैं;

(ग) केन्द्र सरकार को रिपोर्ट कब तक प्रस्तुत किए जाने की संभावना है;

(घ) क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने दूरसंचार विभाग (डीओटी) से स्पेक्ट्रम के कुशल उपयोग हेतु मूल्य निर्धारण प्रणाली में प्रोत्साहन शुरू करने के लिए कहा था;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) इस संबंध में दूरसंचार विभाग द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) से (च) जी, हां। दूरसंचार विभाग में मौजूदा पद्धतियों तथा अन्य संबंधित पहलुओं को ध्यान में रखते हुए स्पेक्ट्रम मूल्यांकन/मूल्य निर्धारण के मुद्दे की जांच करने और इस दुर्लभ संसाधन का इष्टतम उपयोग सुनिश्चित करने के लिए स्पेक्ट्रम के एक उपयुक्त/उचित मूल्यांकन/मूल्य निर्धारण की सिफारिश करने के लिए एक समिति गठित की गई है। समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की है।

ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाया जाना

2911. **श्री रवि प्रकाश वर्मा:** क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में सभी दूरभाष केंद्रों में ऑप्टिकल फाइबर केबल (ओएफसी) है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार और स्थान-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान मांग पर टेलीफोन उपलब्ध कराने हेतु ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाने के लिए कितनी धनराशि आबंटित की गई है; और

(घ) उक्त अवधि के दौरान देश में विशेषकर उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाकर कितने कि.मी. क्षेत्र को कवर किए जाने की संभावना है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) और (ख) महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड के सभी मुख्य एक्सचेंज एवं सुदूर स्विचन यूनिट (दिल्ली एवं मुंबई महानगर क्षेत्रों में प्रचालनरत) आप्टिकल फाइबर केबल से जुड़े हैं। इसके अतिरिक्त, एमटीएनएल ने डिजिटल लूप कैरियर (डीएलसी) एवं डिजिटल उपभोक्ता लाइन अभिगम मल्टीप्लेक्सर (डीएसएलएएम) हेतु अभिगम नेटवर्क में फाइबर केबल भी बिछाई है।

आज की तिथि के अनुसार, बीएसएनएल के देश में स्थित 96% टेलीफोन एक्सचेंज आप्टिकल फाइबर केबल पर आधारित हैं। राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) बीएसएनएल द्वारा तीन वर्षों के दौरान मांग पर टेलीफोन उपलब्ध कराने हेतु आप्टिक फाइबर केबल बिछाने के लिए आवंटित कुल धनराशि निम्नवत् है:-

वर्ष	बीएसएनएल द्वारा आबंटित राशि (करोड़ रु. में)
2005-06	2663.71
2006-07	4026.98
2007-08	3302.13

एमटीएनएल में, टेलीफोन कनेक्शनों हेतु कोई आवेदन प्रतीक्षा सूची में दर्ज नहीं है तथा आप्टिकल फाइबर केबल के अभाव के कारण कनेक्शन प्रदान करने का कोई मामला लंबित नहीं है। तथापि, एमटीएनएल बढ़ती हुई परियात मांग को पूरा करने के उद्देश्य से अपनी मौजूदा क्षमता में वृद्धि हेतु केबल बिछा रहा है।

(घ) बीएसएनएल द्वारा देश में वर्ष 2005-06, 2006-07 एवं 2007-08 के दौरान आप्टिकल फाइबर केबल बिछाकर कवर किए गए/कवर किए जाने हेतु संभावित क्षेत्र की कि.मी. में विस्तृत जानकारी नीचे दी गई है:

	2005-06 (किमी)	2006-07 (किमी)	2007-08 (किमी)
संपूर्ण देश	18256.61	27100.00	12933.81
उत्तर प्रदेश	2027.80	2851.91	1992.35
महाराष्ट्र	1068.53	1535.09	910.90

विवरण

31.07.2007 की स्थिति के अनुसार विश्वसनीय मीडिया पर टेलीफोन एक्सचेंजों की स्थिति

क्र.सं.	सर्किल/जिले	एक्सचेंजों की कुल संख्या	ओएफसी प्रणाली से जुड़े एक्सचेंज
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	3699	3518
2.	असम	597	575
3.	बिहार	1209	1172
4.	झारखंड	477	477
5.	गुजरात	3218	3218
6.	हरियाणा	1211	1208
7.	हिमाचल प्रदेश	1005	866
8.	जम्मू-कश्मीर	370	305
9.	कर्नाटक	2723	2722
10.	केरल	1235	1221
11.	मध्य प्रदेश	2791	2591
12.	छत्तीसगढ़	628	546
13.	महाराष्ट्र और गोवा	4947	4784
14.	पूर्वोत्तर-I	327	235
15.	पूर्वोत्तर-II	221	126
16.	उड़ीसा	1155	11154
17.	पंजाब	1551	1551
18.	राजस्थान	2338	2287
19.	तमिलनाडु	2080	2008
20.	चेन्नई टेलीफोन्स	334	334
21.	उत्तर प्रदेश (पूर्व)	2300	2175
22.	उत्तर प्रदेश (पश्चिम)	957	916
23.	उत्तरांचल	454	411

1	2	3	4
24.	पश्चिम बंगाल और सिक्किम	1384	1362
25.	कोलकाता टेलीफोन्स	562	562
26.	अंडमान और निकोबार	49	38
	कुल	37822	36362

राष्ट्रीय कृषि नीति

2912. श्री अनंत नायक: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का राष्ट्रीय कृषि नीति को संशोधित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) और (ख) राष्ट्रीय कृषि नीति में संशोधन करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि राष्ट्रीय कृषक आयोग ने राष्ट्रीय कृषक नीति के संशोधित मसौदे की सिफारिश की है जिस पर सरकार सक्रियता से विचार कर रही है।

निर्णय लेने में सेवा मुख्यालयों को सम्मिलित करना

2913. श्री रघुनाथ झा: क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रक्षा संबंधी स्थायी समिति (वर्ष 2006-2007) ने अपने बाईसवें प्रतिवेदन (चौदहवीं लोक सभा) में यह सिफारिश की थी कि सेवा मुख्यालयों को निर्णय लेने की प्रक्रिया में सम्मिलित किया जाए; और

(ख) यदि हां, तो इस सिफारिश पर क्या कार्रवाई की गई है?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी): (क) और (ख) रक्षा संबंधी स्थायी समिति (14वीं लोक सभा) 2006-07, ने अपनी 22वीं रिपोर्ट के पैरा 2.6, जिसे निम्नवत् पढ़ा जाए, में निर्णय लेने की प्रक्रिया में सेवा मुख्यालयों को शामिल करने के संबंध में निम्नलिखित सिफारिश की है:-

''पैरा 2.6: समिति नोट करती है कि मंत्री समूह ने सिफारिश की थी कि निर्णय लेने की प्रक्रिया को सतत रूप से विकेन्द्रित किए जाने की जरूरत है और जहां व्यवहार्य हो सेना मुख्यालयों को शक्तियां प्रत्यायोजित की जाएं। इस प्रक्रिया से पर्याप्त तेजी, उच्चस्तर पर दक्षता और जवाबदेही सुनिश्चित होने का अनुमान था। समिति को यह बताया गया है कि निर्णय लेने में प्रक्रिया में सेना मुख्यालयों को सक्रिय रूप से शामिल करने के लिए मंत्रालय ने कई कदम उठाए थे और उन्हें वित्तीय और प्रशासनिक शक्तियां प्रत्यायोजित की थीं। समिति को यह बताया गया है कि सेना को प्रत्यायोजित की गई वित्तीय शक्तियों में वर्ष 2002 में यथा पुन: वर्ष 2006 में वृद्धि की गई थी। पूंजीगत शीर्ष, के तहत 10 करोड़ रुपए तक व्यय करने की शक्तियां पहली बार वर्ष 2006 में सह-सेनाध्यक्षों को प्रदान की गई हैं।''

2. पैरा 2.6 में की गई सिफारिश की पृष्ठभूमि में स्थायी समिति ने सेनाओं को और शक्तियां प्रत्यायोजित करने के संबंध में कतिपय सिफारिशें की हैं जिन पर विचार किया जा रहा है। तथापि, यह भी कहा जाता है कि रक्षा मंत्रालय में विशेषत: अधिप्राप्ति के संदर्भ में निर्णय लेने की प्रक्रिया रक्षा मंत्रालय के साथ सेना मुख्यालय के व्यापक संपर्क संबंधी प्रणाली पर आधारित है। सेना मुख्यालयों के निर्णय लेने की प्रक्रिया को व्यापक रूप से विकेन्द्रित करने के लिए उन्हें और वित्तीय शक्तियां प्रत्यायोजित करने के वास्ते सतत प्रयास होता रहा है। अन्य क्षेत्रों में भी निर्णय का अभिकलन अथवा निर्णय करते समय सेना मुख्यालयों के विचारों पर समुचित ध्यान दिया जाता है।

[हिन्दी]

भू-क्षरण

2914. प्रो. महादेवराव शिवनकर:
श्री राजेश पाठक:

क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय क्षेत्र भू-क्षरण के कारण नेपाल सहित विभिन्न देशों में चला जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके कारण अब तक भारत का कुल कितना क्षेत्र चला गया है;

(ग) भू-क्षरण को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक उपाय किए जाने का विचार है;

(घ) क्या पड़ोसी देशों विशेषकर नेपाल से बातचीत की गई थी; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जय प्रकाश नारायण यादव): (क) से (ङ) नदियों के आसपास कटाव एक प्राकृतिक घटना है तथा यह कछारी मैदानों में विशेष रूप से घटित होती है। कटाव के कारण नदी के दोनों किनारों पर तटरेखाएं भिन्न-भिन्न स्थानों पर परिवर्तित होती रहती हैं। एक निरन्तर प्रक्रिया होने के कारण इस संबंध में राज्य सरकारों के पास इस होने वाली भूमि संबंधी हानि का कोई लेखा जोखा उपलब्ध नहीं है।

बाढ़ प्रबन्धन राज्य का विषय होने के कारण बाढ़ नियंत्रण स्कीमों की आयोजना, अन्वेषण और कार्यान्वयन राज्य सरकारों द्वारा उनकी अपनी निधि से किया जाता है। केन्द्र सरकार द्वारा दी जाने वाली सहायता तकनीकी, उत्प्रेरक और संवर्धनात्मक स्वरूप की होती है। तथापि, केन्द्र सरकार बाढ़ प्रभावित राज्यों को विभिन्न योजना स्कीमों के तहत वित्तीय सहायता मुहैया करा रही है ताकि वे गंभीर क्षेत्रों में बाढ़ प्रबंधन कार्य प्रारम्भ कर सकें।

पड़ोसी देशों के साथ विशेष रूप से नेपाल में भूमि कटाव समस्या पर नियमित रूप से विचार-विमर्श दिए जाते हैं। इस समस्या से निपटने के लिए भारत और नेपाल के बीच जल आप्लावन समस्या संबंधी स्थाई समिति (एससीआईपी) का गठन 1986 में किया गया था। इस समिति की पिछली बैठक 30 अगस्त से 1 सितम्बर, 2006 तक पटना में आयोजित की गई।

[अनुवाद]

पेशा संबंधी मजदूरी सर्वेक्षण

2915. श्री एस.के. खारवेनथन: क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बहुत से श्रमिक/बाल श्रमिक देश के बागान क्षेत्र में कार्यरत हैं;

(ख) यदि हां, तो राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने उनकी पहचान करने और उन्हें अन्य रोजगार प्रदान करने के लिए कोई कदम उठाए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) पेशा संबंधी मजदूरी सर्वेक्षण (ओडब्ल्यूएस) के दायरे में कितने बागान लाये गये हैं; और

(च) बागान उद्योगों में कार्यरत श्रमिक/बाल श्रमिकों के रहन-सहन में सुधार के लिए ओडब्ल्यूएस के अंतर्गत और अधिक उद्योगों को लाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ऑस्कर फर्नांडीस): (क) और (ख) जी, नहीं। जून, 2005 से मार्च, 2006 के दौरान कराए गए व्यावसायिक मजदूरी सर्वेक्षण (ओ.डब्ल्यू.एस.) के छठे दौर के अनुसार, 9.78 लाख के कुल नियोजन में से, तीन बागान उद्योगों अर्थात् कहवा बागान, रबर बागान तथा चाय बागान में बाल श्रमिकों की घटना नगण्य है।

(ग) और (घ) बाल श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत, बागानों में बच्चों का नियोजन प्रतिषिद्ध नहीं है। समस्या के व्यापकता को ध्यान में रखते हुए, सरकार सर्वप्रथम जोखिमकारी व्यवसायों में कार्यरत बच्चों के पुनर्वास के लिए एक अनुक्रमिक दृष्टिकोण अपना रही है।

(ङ) तीन बागान उद्योगों अर्थात् कहवा बागान, रबर बागान तथा चाय बागानों को व्यावसायिक मजदूरी सर्वेक्षण के अंतर्गत शामिल किया जाता है।

(च) ये तीन बागान सम्पूर्ण बागान क्षेत्र का लगभग 99% नियोजन कवर करते हैं। इसे ध्यान में रखते हुए, व्यावसायिक मजदूरी सर्वेक्षण का दायरा (कवरेज) बढ़ाये जाने की कोई आवश्यकता नहीं है।

[हिन्दी]

एनआईसी का नेटवर्क

2916. श्री रघुवीर सिंह कौशल: क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में राष्ट्रीय सूचना केन्द्र (एनआईसी) का नेटवर्क स्थापित हो गया है;

(ख) यदि हां, तो राष्ट्रीय सूचना केन्द्र के साथ राज्यवार, स्थानवार कितने केन्द्र जुड़े हुए हैं;

(ग) इन केन्द्रों द्वारा राज्यवार, स्थानवार उपलब्ध करवाई गई सूचना का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या उपरोक्त सूचनाएं क्रमिक बदलावों के अनुसार अद्यतन की जाती है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) जी, हां।

(ख) सूचना विवरण के रूप में संलग्न है।

(ग) से (ङ) राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (एनआईसी) देश में केन्द्र सरकार के विभागों, राज्यों, संघ शासित क्षेत्रों तथा जिला प्रशासनों को इन्टरनेट, ई-मेल, फाइल हस्तांतरण, डेटाबेस विकास, ई-शासन अनुप्रयोग विकास, कार्यालय स्वचालन, क्षमता निर्माण, परामर्श-सेवा, होस्टिंग तथा डेटाबेस अभिगम के लिए बैकबोन ई-शासन नेटवर्क (निकनेट) तथा तकनीकी सहयोग प्रदान कर रहा है। उक्त प्रयोक्ता विभागों की परियोजनाएं बनाने, विकास करने, कार्यान्वित करने तथा अनुरक्षण के लिए तकनीकी सहयोग उपलब्ध कराया जाता है। सरकारी कर्मचारियों एवं अधिकारियों को नियमित आधार पर प्रशिक्षण दिया जाता है ताकि वे सूचना प्रौद्योगिकी आधारित प्रणालियों एवं ई-शासन अनुप्रयोगों का इस्तेमाल कर सकें। प्रयोक्ता विभाग की परियोजनाएं कार्यान्वित करने, अद्यतन बनाने एवं इनके दैनिक प्रचालन के उत्तरदायी है।

एनआईसी द्वारा कार्यान्वित/समर्थित मुख्य ई-शासन अनुप्रयोग नीचे दिए गए हैं:

- पासपोर्ट प्रबंध प्रणाली
- भू-अभिलेख कम्प्यूटरीकरण
- वेब समर्थित सेवाएं
- एगमार्कनेट (कृषि बाजार नेटवर्क)
- न्यायालयों का कम्प्यूटरीकरण
- सम्पत्ति पंजीकरण प्रणाली
- सीमा-शुल्क (सीमा शुल्क एवं ईडीआई सेवाओं का कम्प्यूटरीकरण)
- पीजीआरएएमएस (लोक शिकायत निवारण एवं निगरानी प्रणाली)
- राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना 2005
- ग्रामीण पेय जल कम्प्यूटरीकरण के लिए एकीकृत प्रणाली
- वैट कम्प्यूटरीकरण
- कम्प्यूटरीकृत ग्रामीण सूचना प्रणाली परियोजना
- (1) रूरल साफ्ट (2) रूरल बाजार (3) प्रियासाफ्ट (4) ओपन एनरिच
- स्टैमिना (बिक्री कर प्रशासन प्रबंध सूचना नेटवर्क साधित प्रणाली)
- इंडिया पोर्टल
- ई-खरीद
- सामुदायिक सूचना केन्द्र (सीआईसी)
- कम्पैक्ट/पीएओ 2000
- ई-लेखा
- नई दिशा
- सीपा (सामान्य एकीकृत पुलिस अनुप्रयोग)
- राष्ट्रीय पंचायत पोर्टल
- लोकवाणी
- नागरिकों के लाभार्थ वेब सेवाएं
- डीसी* सुइट
- कोषागार कम्प्यूटरीकरण
- वीजा जारी करने की प्रणाली

ये अनुप्रयोग विभिन्न राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों/जिलों में उनकी प्राथमिकता एवं स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार कार्यान्वित किए गए हैं। और अधिक ब्यौरे एनआईसी की वेबसाईट http://offerings.nic.in पर उपलब्ध हैं।

विवरण

राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केन्द्र के राज्यवार और स्थल-वार जुड़े केन्द्रों की संख्या

राज्यों/संघ शासित राज्य क्षेत्र का नाम	जिलों का नाम	योग
1	2	3
अंडमान व निकोबार (संघ शासित राज्य)	अंडमान (3) निकोबार (1)	4

1	2	3
आंध्र प्रदेश	आदिलाबाद (1) अनंतपुर (2) चित्तूर (1) कुडप्पा (1) ईस्ट गोदावरी (2) एलूरू (पश्चिमी गोदावरी) (1) गुंटूर (1) हैदराबाद (25) करीम नगर (1) खम्मम (2) कुप्पम (1) कुरनूल (1) मछलीपट्टनम (कृष्णा) (1) महबूबनगर (1) नलिगोंडा (1) नेल्लूर (1) निजामाबाद (1) ओंगोल (प्रकाशम) (0) रंगारेड्डी (1) संगारेड्डी (मेडक) (5) सिकन्दराबाद (1) श्रीकाकुलम (1) तिरूपति (2) विजयवाडा (1) विशाखापट्टनम (4) विजयानगरम् (1) वारंगल (1)	61
अरुणाचल प्रदेश	अनिनी (डिवांगवेली) (8) एलांग (पश्चिमी सियांग) (14) अनिनी (रोइं) (लोवर डिवांगवेली) (0) एंजाव (हवाई) (1) बोम्बीला (पश्चिमी कमेंग) (7) चांगलांग (6) दपोरीजी (अपर सुबंसिरी) (9) इटानगर (पापनपरे) (62) खोंसा (तिरप) (9) कुरुंग कुमे (कोलोरियांग) (9) पासीघाट (पूर्वी सियांग) (12) सिप्पा (पूर्वी केमेंग) (7) तवांग (5) तेजू (लोहित) (7) अपर सियांग (यिंगकियांग) (7) जीरो (लोअवर सेवांन सिरी) (6)	169
असम	बारपेटा (14) बोगांईगांव (8) धिमाजी (6) धुबरी (15) डिब्रूगढ़ (9) दिफू (कारबी आंगलांग) (14) गोयलपडा (8) गोलाघाट (11) गोवाहाटी (45) हफ्लांग (उत्तरी कछार हिल्स) (10) हेलीकांदी (6) लखीमपुर (11) कामरूपमेट्रो (32) करीमगंज (8) कोकराझार (8) लखीमपुर (11) मंगलदई (दरंग) (13) मारीगांव (7) नौगांव (19) नालबारी (13) सिवसागर (12) सिलचर (कछार) (17) तेजपुर (सोनितपुर) (18) तिनसुकिया (10)	325
बिहार	आरा (बक्सर) (1) अररिया (1) अरवल (2) औरंगाबाद (2) बांका (1) बेगूसराय (1) बेतिया (1) भागलपुर (1) भोजपुर (1) भभुया (1) छपरा (सरन) (1) दरभंगा (1) गया (1) गोपालगंज (1) हाजीपुर (वैशाली) (1) जहानाबाद (1) जमुई (1) कटिहार (1) खगडिया (1) किशनगंज (1) लखीसराय (1) माधोपुर (1) मधुबनी (1) मोतीहारी (3) मुंगेर (1) मुजफ्फरपुर (1) नालंदा (1) नवादा (1) पटना (25) पुर्णिया (1) सहरसा (1) समस्तीपुर (2) सासाराम (1) शिवहर (1) शेखपुरा (1) सीतामढ़ी (1) सिवान (1) सुपौल (1)	67
चण्डीगढ़ (संघ शासित राज्य)	चण्डीगढ़ (40)	40
छत्तीसगढ़	अम्बीकापुर (सरगुजा) (28) बस्तर (20) बिलासपुर (22) दंतेवाडा (18) धम्तरी (7) दुर्ग (20) जांजगिरि (चम्पा) (14) जसपुर (13) कांकेर (13) काबरधा (7) कोरबा (14) कोरिया (12) महासमुंद (9) रायगढ़ (18) रायपुर जिला (56) राजनंदगांव (19)	290
दादर व नगर हवेली	दादर व नागर हवेली जिला (2)	2
दमन व दीव (संघ शासित राज्य)	दमन (2) दीव (1)	3
दिल्ली राज्य एकक	केन्द्रीय दिल्ली (95) उपायुक्त कार्यालय, पूर्वी दिल्ली (4) जामनगर हाउस (2) कापसहेड़ा (3) कंझावला (4) नन्दनगरी (1) रामपुरा (2) दक्षिणी दिल्ली जिला (2) तीस हजारी (8)	121
गोवा	उत्तरी गोवा (15) दक्षिणी गोवा (मारगोवा) (2)	17
गुजरात	अहमदाबाद (5) एहवा (डांग) (1) अमरोली (1) आनन्द (1) बहरुच (1) भावनगर (1) भुज (5) डाहोड (1) गांधीनगर (4) गोधरा (1) हिम्मत नगर (1) जामनगर (1) जूनागढ़ (1) खेड़ा (1) मेहसाना (1) नर्मदा (1) नवसारी (1) पालमपुर (1) पटन (1) पोरबन्दर (1) राजकोड (2) सूरत (2) सुरेन्द्रनगर (1) वडोदरा (3) बलसाद (1)	41

1	2	3
हिमाचल प्रदेश	बिलासपुर (1) चम्बा (2) धर्मशिला (कांगड़ा) (1) हमीरपुर (1) केलोंग (लाहोल स्पिति) (4) किन्नौर (1) कुल्लू (2) मण्डी (1) नहान (सिरमौर) (1) शिमला (11) सोलन (1) ऊना (1)	27
हरियाणा	अम्बाला (1) भिवानी (1) फरीदाबाद (4) फतेहबाद (1) गुडगांव (4) हिसार (2) झज्जर (1) जींद (1) कैथल (1) करनाल (1) कुरुक्षेत्र (1) महेन्द्रगढ़ (नरनौल) (1) नूंह (मेवात) (0) पंचकूला (1) पानीपत (2) रेवाड़ी (1) रोहतक (1) सिरसा (1) सोनीपत (1) यमुना नगर (1)	27
जम्मू-कश्मीर	अनन्तनाग (15) बडगाव (9) बारामूला (16) डोडा (18) जम्मू (29) कारगिल (12) कथुआ (14) कुपवाड़ा (12) लेह (25) पुंच (7) पुलवामा (7) राजौरी (9) श्रीनगर (16) ऊधमपुर (12)	201
झारखंड	बोकारो (3) चाइबासा (पश्चिमी सिंह भूम) (2) छत्रा (1) देवघर (1) धनबाद (2) दुमका (1) पूर्वी सिंह भूम (टाटा नगर) (1) गरहवा (1) गिरीदीह (1) गोडा (2) गुमला (1) हजारीबाग (2) जमतारा (1) कोडरमा (1) लातेहर (1) लोहारदगा (1) पाकुर (1) पालमू (1) रांची (11) साहेबगंज (1) सरायकेला खरसावन (1) सिमदेगा (1)	38
कर्नाटक	बगलकोट (यादगीर) (1) बंगलौर (शहरी) (34) बंगलौर (ग्रामीण) (0) बेलगाव (1) बेलारी (1) बिदर (1) बीजापुर (1) चामराज नगर (1) चिकमंगलूर (1) चित्रदुर्गा (1) दानवेगेरी (1) धारवाड (2) गादग (1) गुलवर्ग (1) हसन (1) हावेरी (1) कारवार (1) कोलार (2) कोपल (1) मान्दया (1) मंगलौर (1) मेदीकरी (1) मैसूर (1) रायपुर (1) शिमोगा (1) तुमकुर (1) उडीपी (1)	61
केरल	अलापूझा (एलैप्पी) (1) एर्नाकुलम (13) इडुकी (1), कन्नूर (1) कासरगोद (1) कोल्लम (1) कोटायम (1) कोझीकोड (5) मालापुरम (1) पलाकड (1) पठानमथिट्टा (1) तिरूवनन्तपुरम (त्रिवेन्द्रम) (13) थरिसूर (1) वायानद (1)	42
लक्षद्वीप	कावारत्ती (2) लक्षद्वीप समूह (22) मिनिकोय (1)	25
मध्य प्रदेश	अनूपपुर (2) असोक नगर (1) बालाघाट (1) बरवानी (1) बेतूल (1) भिण्ड (1) भोपाल (20) बरहानपुर (1) छतरपुर (1) छिन्दवारी (1) दमोह (1) दतिया (1) देवास (1) धार (1) डिन्डोरी (2) गुना (1) ग्वालियर (3) हरदा (1) होशंगाबाद (2) इंदोर (4) जबलपुर (5) झबुआ (1) कटनी (1) खण्डवा (1) खारगांव (1) मांडला (1) मंदसोरे (1) मुरैना (1) नरसिम्हापुर (1) नीमच (1) पन्ना (1) राइसेन (1) राजगढ़ (1) रतलाम (1) रेवा (1) सागर (1) सतना (1) सेहोर (2) सेओनी (1) शाजापुर (1) शेहदोल (2) शिओपुर (1) शिवपुरी (1) सीधी (3) टीकमगढ़ (1) उज्जैन (1) उमेरिया (1) विदिशा (1)	83
महाराष्ट्र	अहमद नगर (2) अकोला (4) अमरावती (3) औरंगाबाद (3) बांद्रा (1) बीड (2) भंडारा (2) बुलडाना (3) चंद्रपुर (3) धुते (2) गड़चिरौली (2) गोन्दिया (2) हिंगोली (2) जलगांव (2) जालना (2) कोल्हापुर (2) लातूर (2) मुंबई (27) नागपुर (11) नान्देड (2) नन्दुरबार (2) नासिक (4) ओसमानाबाद (2) परभनी (4) पुणे (12) रायगढ़ (2) रतनागिरी (2) सांगली (2) सतारा (3) सिंधुदुर्ग (2) शोलापुर (2) ठाणे (2) वर्धा (2) वाशिम (2) यवतमल (2)	124

1	2	3
मणिपुर	विष्णुपुर (6) चंदेल (6) चुरचांदपुर (11) पूर्वी इंफाल (37) सेनापति (12) तामेंगलोंग (7) थौबल (5) उरवरूल (9) पश्चिमी इंफाल (54)	147
मेघालय	जोवाई (जांतिया हिल्स) (10) नांगोफ (आर आई-भोई) (7) नोगसंतोइन (पश्चिमी खासी हिल्स) (8) शिलोंग (पुर्वी खासी हिल्स) (5)) दक्षिणी गारो हिल्स (बाघमगढ़) (6) तूरा (पश्चिमी गारो हिल्स) (14) विलियमनगर (पूर्वी गारो हिल्स) (10)	105
मिजोरम	एजवाल (100) चमफाई (6) छिमतुईपुई (1) कोलासिब (10) लागतलाई (8) लूगलेई (7) ममित (8) साइहा (3)	143
नागालैंड	दीमापुर (7) कोहिमा (58) मोकोकचुंग (9) मोन (9) फेक (9) तूएनसंग (17) वोरवा (8) जूनहेबोटो (9)	126
उड़ीसा	अंगुल (10) बालासोर (14) बरगढ़ (14) बरिपदा (मयूरभंज) (28) बेहरामपुर (गंजम) (27) भद्रक (9) बोलांगीर (17) बोध (5) छतरपुर (9) कटक (26) दिओगढ़ (5) धेनकानल (11) गजपति (9) जगतसिंहपुर (11) जाजपुर (12) झाड़सुगुदा (7) कालाहांडी (15) केन्द्रपाड़ा (12) क्योंझर (16) खुर्दा (भुवनेश्वर) (31) कोरापुट (16) मलकानगिरि (9) नवरंगपुर (12) नयागढ़ (10) नोपाद्दा (7) फूलबनी (कन्धामल) (14) पुरी (13) रायगुडा (13) सम्भलपुर (13) सोनपुर (8) सुन्दरगढ़ (21)	415
पुडुचेरी	कराईकल (2) माहे (1) पुडुचेरी (13) यानम (1)	17
पंजाब	अमृतसर (8) भटिंडा (1) फरीदकोट (1) फतेहागढ़ साहिब (1) फिरोजपुर (1) गुरुदासपुर (1) होशियारपुर (1) जालंधर (1) कपूरथला (1) लुधियाना (2) मानसा (2) मोगा (1) मुक्तसर (1) नवानशहर (12) पटियाला (1) रोपड़ (2) संगरूर (1)	27
राजस्थान	अजमेर (3) अलवर (1) बांसवाड़ा (1) बरान (1) बाड़मेर (3) भरतपुर (1) भीलवाड़ा (1) बीकानेर (1) बूंदी (1) चित्तौड़गढ़ (1) चुरू (1) दौसा (1) धौलपुर (1) डूंगरपुर हनुमानगढ़ (1) जयपुर (18) जैसलमेर (1) जालौर (1) झालवाड़ (1) झुनीहुनुम (1) जोधपुर (5) करौली (1) कोटा (1) नागौर (1) पाली (1) राजसमुन्द (1) सवाई माधोपुर (1) सीकर (1) सिरोरी (1) श्रीगंगानगर (1) टोंक (1) उदयपुर (1)	57
सिक्किम	पूर्वी जिला सिक्किम (गंगटोक) (107) ग्यालशिंग (पश्चिमी जिला) (13) मानगन (पूर्वी जिला) (9) नामची (दक्षिणी जिला) (14)	143
तमिलनाडु	एरियालूर (1) चेन्नई (35) कोयम्बटूर (3) कुड्डालोर (2) धरमपुरी (1) डिंडुगल (1) एरोड (1) कांचीपुरम (3) कन्याकुमारी (2) करूर (1) कृष्णागिरि जिला (1) मदुरै (4) नागापट्टिनम (1) नामक्कल (1) नीलगिरीस (2) पेरामबालूर (1) पुडुकोटाई (1) रामनाथपुरम (2) सलेम (1) शिवागंगा (1) तंजावुर (1) थैनी (1) थिरूवलूर (1) थिरुवन्ना-मलाई (1) थिरुवरुर (1) तिरुचिरापल्ली (1) तुतिकोरिन (थूथकुडी जिला) (1) वेल्लूर (1) विलुपुरम (1) विरुद्धनगर (1)	75
त्रिपुरा	अगरतला (90) डलाई (10) पूर्वी त्रिपुरा (12) उदयपुर (17)	129
उत्तर प्रदेश	आगरा (1) अलीगढ़ (3) इलाहाबाद (7) अम्बेडकर नगर (1) ओरय्या (1) आजमगढ़ (1) बागपत (1) बहराइच (1) बलिया (1) बलरामपुर (1) बांदा (1) बाराबंकी (1) बरेली (4) बस्ती (संत कबीर नगर) (1) भदोही (1) बिजनौर (1) बदायूं (1) बुलन्दशहर	138

1	2	3
	(1) चन्दौली (1) चित्रकूट (1) देवरिया (1) एटा (1) इटावा (1) फैजाबाद (1) फतेहपुर (1) फिरोजाबाद (1) गौतमबुद्ध नगर (3) गाजियाबाद (4) गाजीपुर (1) गोंडा (1) गोरखपुर (2) हमीरपुर (1) हरदोई (1) जालौन (1) जौनपुर (1) झांसी (1) ज्योति फूले नगर (अमरोहा) (1) कन्नौज (1) कानपुर ग्रामीण (1) कानपुर शहरी (4) कौशांबी (1) खुशी नगर (पडराना) (1) लखीमपुर खीरी (1) ललितपुर (1) लखनऊ (39) महामायानगर (हाथरस) (1) महाराजगंज (2) महोबा (1) मैनपुरी (1) मथुरा (2) मऊनाथ भंजन मऊ (1) मेरठ (3) मिर्जापुर (1) मुरादाबाद (2) मुजफ्फरनगर (1) पीलीभीत (1) प्रतापगढ़ (1) राय बरेली (1) रापमरु (1) सहारनपुर (1) संत रविदास नगर (1) शाहजहांपुर (1) शाउजी महाराजनगर (1) सरबती (1) सिद्धार्थनगर (1) सीतापुर (1) सोनभद्रा (1) सुल्तानपुर (2) उन्नाव (1) वाराणसी 95)	
उत्तरांचल	अल्मोड़ा (4) बागेश्वर (1) चमोली (1) चम्पावत (1) देहरादून (11) हरिद्वार (4) नैनीताल (7) पौड़ी गढ़वाल (3) पिथौड़ागढ़ (1) रुद्रप्रयाग (1) टिहरीगढ़गावल (1) उधमसिंह नगर (1) उत्तरकाशी (1)	37
पश्चिम बंगाल	अलिपुर (24) दक्षिणी परगना (1) बलूटघाट (1) बांकुरा (1) बारासात (24) उत्तरी परगना (1) बेहरामपुर (मुर्शिदाबाद) (2) बर्दवान (3) कलकत्ता (35) चिनसुराह (हुगली) (1) कूच बिहार (1) दार्जिलिंग (1) दिनाजपुर दक्षिण (1) दिनाजपुर उत्तर (1) इग्लिश बाजार मलादाह (1) हावड़ा (1) जलपाईगुड़ी (1) कृष्णा नगर (1) नादिया (1) मेदनिपुर (1) पुरूलिया (1) सिलिगुड़ी (1)	56

[अनुवाद]

डाक विभाग को घाटा

2917. श्री प्रतीक पी. पाटील: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यू.ए.ई. के साथ गलत समझौते की वजह से डाक विभाग को घाटा हुआ हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके फलस्वरूप कितना घाटा हुआ;

(ग) क्या इस संबंध में जिम्मेवार अधिकारियों के विरुद्ध किसी प्रकार की सांविधिक कार्यवाही की गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) से (घ) लेखा परीक्षा ने वर्ष 2006-07 की कार्य निष्पादन समीक्षा रिपोर्ट में उल्लेख किया है कि डाक विभाग ने एक्सप्रेस पार्सल सेवा हेतु यू.ए.ई. (अमीरात पोस्ट) के साथ दिसंबर, 2001 में एक प्रचालनात्मक समझौते पर हस्ताक्षर किए और यह भी उल्लेख किया कि लेखा परीक्षा द्वारा की गई गणना के अनुसार समझौता ज्ञापन में खामियों की वजह से डाक विभाग को 9.15 करोड़ रुपये का घाटा हुआ। डाक विभाग द्वारा इसे स्वीकार नहीं किया गया है। विभाग के ध्यान में दो अधिकारियों द्वारा की गई कतिपय गलतियां ध्यान में आईं जिनमें से एक अधिकारी अधिवर्षिता की आयु प्राप्त होने पर पहले ही सेवानिवृत्त हो चुके हैं। दोनों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रारंभ की गई। अनुशासन प्राधिकारी ने जांच अधिकारी की रिपोर्ट पर विचार करने के बाद एवं जांच के दौरान मिले सबूतों के आधार पर आरोपित अधिकारियों में से एक के विरुद्ध कार्यवाही समाप्त कर दी गई है। सेवानिवृत्त अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही अभी समाप्त नहीं हुई है।

कपास की खेती

2918. श्री बृज किशोर त्रिपाठी: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान देश में राज्य-वार कपास की कितने क्षेत्र में खेती होती है;

(ख) आगामी फसल मौसम के दौरान कपास का कितना उत्पादन होने की संभावना है;

(ग) देश की प्रमुख कपास संस्थाओं के पास कपास का बिना बिका स्टाक कितना है;

(घ) क्या आगामी फसल के दौरान कपास के वायदा सौदे किये जायेंगे; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) पिछले तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान देश में कपास की पैदावार के अंतर्गत राज्यवार क्षेत्र का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) कृषि वर्ष 2007-08 के लिए कपास की बुवाई जारी है। कपास के उत्पादन के पहले अग्रिम अनुमान सितम्बर, 2007 में पता चल जायेंगे।

(ग) देश में दो प्रमुख कपास संस्थाओं यथा भारतीय कपास निगम तथा महाराष्ट्र राज्य सहकारी कपास उत्पादक विपणन परिसंघ के पास का बिना बिका भंडार 29 अगस्त, 2007 को लगभग क्रमशः 0.30 लाख गांठें तथा 1.00 लाख गांठें था।

(घ) और (ङ) सरकारी एजेंसियां वायदा व्यापार के माध्यम से कपास नहीं बेचती।

विवरण

2004-05 से 2007-08 तक कपास के अंतर्गत क्षेत्र

राज्य	क्षेत्र (लाख हैक्टेयर)			
	2004-05	2005-06	2006-07*	2007-08$
1	2	3	4	5
आंध्र प्रदेश	11.78	10.33	9.72	8.68
असम	0.01	0.01	0.01	#
छत्तीसगढ़	0.01	0.00	#	#
गुजरात	19.06	19.06	23.90	24.85
हरियाणा	6.21	5.83	5.30	4.78
हिमाचल प्रदेश	नगण्य	नगण्य	#	#
कर्नाटक	5.21	4.13	3.75	1.67
केरल	0.03	0.03	0.02	#
मध्य प्रदेश	5.76	6.20	6.39	5.14
महाराष्ट्र	28.40	28.75	30.70	31.70
मेघालय	0.07	0.07	#	#
मिजोरम	0.01	नगण्य	#	#
नागालैंड	0.02	0.01	#	#

1	2	3	4	5
उड़ीसा	0.46	0.57	0.60	#
पंजाब	5.09	5.57	6.07	6.48
राजस्थान	4.38	4.72	3.50	3.50
तमिलनाडु	1.29	1.41	1.22	0.22
त्रिपुरा	0.01	0.01	#	#
उत्तर प्रदेश	0.05	0.04	0.05	#
पश्चिम बंगाल	0.02	0.02	0.08	#
पाण्डिचेरी	0.01	नगण्य	#	#
अन्य	एन.ए	एन.ए.	0.11	0.64
समस्त भारत	87.87	86.77	91.42	87.66

*19.07.2007 को जारी चौथा अग्रिम अनुमान
$साप्ताहिक फसल मौसम निगरानी समूह की 24.08.2007 को हुई बैठक में रिपोर्टिड
#अन्य में शामिल नहीं।
एन.ए. : लागू नहीं।

इंडस परियोजना का वित्त पोषण पैटर्न

2919. श्री आनंदराव विठोबा अडसूल: क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कुछ राज्यों में कतिपय पहचान किये गये उद्योगों में बाल श्रम की रोकथाम और इसके उन्मूलन के लिए इंडस (आईएनडीयूएस) परियोजना आरम्भ की गई है;

(ख) यदि हां, तो इस योजना के वित्त पोषण पैटर्न का ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान अमरीका से इस योजना के अंतर्गत प्राप्त हुई सहायता का ब्यौरा क्या है; और

(घ) पहचान किये गए राज्यों में बल श्रम की रोकथाम और उन्मूलन में यह योजना किस सीमा तक प्रभावी होगी?

श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ऑस्कर फर्नांडीस): (क) जी, हां।

(ख) इंडस परियोजना का कुल बजट 40 मिलियन अमेरिकी डालर है जिसमें भारत सरकार और अमेरिकी श्रम विभाग (यू.एस.डी.ओ.एल.) का समान अंशदान है। भारत सरकार के 20 मिलियन अंशदान में से 13 मिलियन अमेरिकी डालर का अंशदान श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा किया जाएगा और 7 मिलियन अमेरिकी डालर का अंशदान स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा किया जाएगा।

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान यू.एस.डी.ओ.एल. निधियों से परियोजना पर किया गया व्यय इस प्रकार है:

क्र.सं.	वर्ष	अमेरिकी डालर में हुआ व्यय
1.	2004	1,468,787
2.	2005	4,491,606
3.	2006	4,506,840

(घ) योजना के अंतर्गत अब तक 92,572 बच्चों का कार्य से हटाया जा चुका है और अंतर्वर्ती अवधि की शिक्षा, सार्वजनिक शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण के माध्यम से उनका पुनर्वास किया गया है।

किसानों की लैण्ड-शेयर कंपनियां

2920. श्री के.एस. राव: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने कारपोरेट के सहयोग से लैण्ड-शेयर कंपनियां बनाने के लिए किसानों को अनुमति देने की योजना आरंभ की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इससे क्या-क्या लाभ होने की संभावना है तथा इस बारे में क्या मार्गदर्शी सिद्धांत जारी किए गए हैं;

(ग) उक्त योजना को पूर्णत: संचालित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) व्यापारिक घरानों के कपटपूर्ण रवैये से छोटे-छोटे किसानों के हितों की रक्षा के लिए क्या प्रावधान किया गया है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) सरकार के पास निगमित निकायों के सहयोग से भूमि भागीदारी कंपनियां बनाने के लिए किसानों को अनुमति देने की कोई स्कीम नहीं है। तथापि, कृषि मंत्रालय देश में संविदा खेती को बढ़ावा दे रहा है, जिसमें निगमित एजेंसियां या अन्य उत्पादकों के साथ कृषि उत्पाद की खरीद के लिए करार संपन्न करती हैं।

(ख) से (घ) संविदा खेती के लिए अपेक्षित तंत्र लागू करने के लिए, 2003 में कृषि मंत्रालय द्वारा तैयार किए गए माडल कृषि उत्पाद विपणन समिति (एपीएमसी) अधिनियम में उपयुक्त प्रावधान समाविष्ट किए गए हैं तथा इन प्रावधानों को अपना करके अपने-अपने संबंधित अधिनियम में समुचित संशोधनों पर विचार करने के लिए राज्य सरकारों को परिचालित किया। इस माडल अधिनियम में संविदा खेती प्रायोजकों के पंजीकरण और एपीएमसी के साथ संविदा खेती करारों के अभिलेखन या इस अधिनियम के तहत कोई निर्धारित प्राधिकारी, ऐसे करारों के तहत भूमि के ऊपर किसानों के स्वामित्व या अधिकारों का संरक्षण, विवाद निपटान तंत्र और विभिन्न शर्तों और निर्बंधों को सुझाने वाले एक माडल मसौदा करार का प्रावधान है।

मंत्रालय द्वारा परिचालित माडल अधिनियम की प्रकृति सुझाव स्वरूप की है, और, चूंकि कृषि राज्य का विषय है, इसलिए यह राज्य सरकारों के ऊपर निर्भर है कि वे अपने राज्यों में संविदा खेती करारों के क्रियान्वयन पर फैसला करें।

उत्सवों हेतु अतिरिक्त आबंटन

2921. श्री हरिभाऊ राठौड़: क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उत्सवों के मौसम के दौरान सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पी.डी.एस.) के अंतर्गत वितरण के लिए राज्यों को खाद्यान्नों एवं अन्य आवश्यक वस्तुओं के अतिरिक्त कोटे के आबंटन के लिए कोई नीति है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को बढ़ती कीमतों और आगामी उत्सव मौसम के मद्देनजर पी.डी.एस. के अंतर्गत अतिरिक्त कोटे के आबंटन के लिए अनुरोध प्राप्त हुए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ङ) अतिरिक्त कोटे को कब तक जारी किये जाने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह): (क) से (ङ) जिन्स-वार ब्यौरे निम्नानुसार हैं:-

(1) खाद्यान्न लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अतिरिक्त सरकार त्यौहारों, प्राकृतिक आपदाओं आदि के लिए आर्थिक लागत अथवा खुला बाजार बिक्री योजना (घरेलू) की दरों, इनमें से जो भी कम हो, पर अतिरिक्त आबंटन करती है।

विभिन्न राज्यों से लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत अतिरिक्त आवंटन करने के अनुरोध प्राप्त हुए हैं जिसके ब्यौरे संलग्न विवरण-I में दिए गए हैं। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त अनुरोधों को ध्यान में रखते हुए खुले बाजार में खाद्यान्नों की कीमतों में वृद्धि को रोकने और त्यौहारों के लिए सरकार ने समय-समय पर लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत गरीबी रेखा से ऊपर की श्रेणी के लिए सितम्बर, 2006 से जुलाई, 2007 तक प्रति माह गेहूं के तदर्थ/अतिरिक्त आवंटन किए हैं जिसके ब्यौरे संलग्न विवरण-II में दिए गए हैं।

अतिरिक्त चावल अथवा गेहूं की रिलीज के अनुरोध प्राप्त होने पर इन पर विचार किया जाता है।

(2) **लेवी चीनी** राज्यों को निर्धारित वार्षिक त्यौहार कोटा के रूप में आवंटन के लिए प्रति वर्ष 1.00 लाख टन लेवी चीनी की मात्रा विनिर्दिष्ट की गई है जो राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को अनुसूची के अनुसार उनकी पसंद के महीनों में आवंटित किया जाता है। राज्य-वार निर्धारित वार्षिक त्यौहार कोटा दर्शाने वाला ब्यौरा संलग्न विवरण-III में दिया गया है।

(3) **मिट्टी का तेल** सरकार द्वारा विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत वितरण करने हेतु तिमाही आधार पर सार्वजनिक वितरण प्रणाली की मिट्टी के तेल का आवंटन किया जाता है। इसके बाद राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के भीतर अपने सार्वजनिक वितरण प्रणाली नेटवर्क के जरिए वितरण करने का कार्य संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा किया जाता है। बाढ़, सूखा, भूकम्प आदि जैसी प्राकृतिक आपदाओं के कारण उत्पन्न होने वाली आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अतिरिक्त आवंटन किया जाता है। तथापि, त्यौहार के मौसमों के लिए कोई अतिरिक्त आवंटन नहीं किया जाता है। किसी भी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र से त्यौहार के मौसमों हेतु सार्वजनिक वितरण प्रणाली की मिट्टी की तेल का अतिरिक्त आवंटन करने का कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है।

विवरण I

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र जिनसे लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन खाद्यान्नों के अतिरिक्त आवंटन हेतु अनुरोध प्राप्त हुआ है

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र
1	2
1.	आंध्र प्रदेश
2.	अरुणाचल प्रदेश
3.	असम
4.	बिहार
5.	छत्तीसगढ़
6.	गोवा
7.	गुजरात
8.	हिमाचल प्रदेश
9.	जम्मू-कश्मीर
10.	केरल
11.	मध्य प्रदेश
12.	मणिपुर
13.	मेघालय
14.	मिजोरम
15.	नागालैंड
16.	उड़ीसा
17.	पंजाब
18.	राजस्थान
19.	सिक्किम
20.	तमिलनाडु
21.	त्रिपुरा
22.	उत्तराखंड
23.	उत्तर प्रदेश
24.	पश्चिम बंगाल
25.	अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह
26.	चंडीगढ़
27.	दादर व नगर हवेली
28.	लक्षद्वीप

विवरण II

गरीबी रेखा से ऊपर की श्रेणी के अधीन सितम्बर, 2006 से जुलाई, 2007 तक के महीनों के लिए राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को गेहूं का अतिरिक्त आवंटन

(टन में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	सितम्बर, 2006	अक्तूबर, 2006	नवम्बर, 2006	दिसम्बर, 2006	जनवरी, 2007-मार्च, 2007 (प्रति माह)	अप्रैल-जुलाई, 2007 (प्रति माह)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	4000	4000	4000	4000	4000	4000
2.	अरुणाचल प्रदेश	300	300	300	300	300	300
3.	असम	4000	4000	3000	3000	3000	3000
4.	बिहार	4000	4000	2000	2000	2000	2000
5.	छत्तीसगढ़	3000	3000	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
6.	दिल्ली	8000	8000	10000	10000	10000	10000
7.	गोवा	500	500	500	500	500	500
8.	गुजरात	5000	5000	5000	5000	5000	5000
9.	हरियाणा	2500	2500	1500	1500	1500	1500
10.	हिमाचल प्रदेश	3500	3500	3500	3500	6500	6500
11.	जम्मू-कश्मीर	5000	5000	5000	5000	5000	5000
12.	झारखंड	2000	2000	2000	2000	2000	2000
13.	कर्नाटक	4000	5000	5000	5000	5000	5000
14.	केरल*	5000	6000	8000	8000	8000	8000
15.	मध्य प्रदेश	5000	5000	5000	5000	5000	5000
16.	महाराष्ट्र	5000	6000	10000	10000	10000	10000
17.	मणिपुर	300	300	300	300	300	300
18.	मेघालय	300	300	300	300	300	300
19.	मिजोरम	300	300	300	300	300	300
20.	नागालैंड	300	300	300	300	300	300
21.	उड़ीसा	4000	5000	4000	4000	4000	4000

1	2	3	4	5	6	7	8
22.	पंजाब	2500	2500	2500	2000	12000	3000
23.	राजस्थान	6000	6000	6000	6000	6000	6000
24.	सिक्किम	300	300	300	300	300	300
25.	तमिलनाडु	4000	5000	5000	5000	6250	6250
26.	त्रिपुरा	800	800	800	800	800	800
27.	उत्तर प्रदेश	5000	5000	5000	5000	5000	5000
28.	उत्तराखंड	5000	5000	5000	5000	10000	5000
29.	पश्चिम बंगाल	10000	5000	5000	5000	5000	5000
30.	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	100	100	100	300	300	300
31.	दादर व नगर हवेली	50	50	50	50	50	50
32.	पांडिचेरी	100	100	150	150	150	150
33.	चंडीगढ़	50	50	50	50	50	50
34.	लक्षद्वीप	50	50	शून्य	50	50	50
35.	दमन व दीव	50	50	50	50	50	50
	जोड़	100000	100000	100000	99750	119000	100000

*केरल राज्य के लिए ओणम उत्सव हेतु अगस्त, 2007 में 21000 टन चावल का अतिरिक्त आवंटन किया गया है।

विवरण III

लेवी चीनी के माहवार और राज्यवार त्यौहार कोटा

क्र.सं.	राज्य	जोड़ त्यौहार कोटा	जनवरी	फरवरी	मार्च	अप्रैल	मई	जून	जुलाई	अगस्त	सितम्बर	अक्तूबर	नवम्बर	दिसम्बर
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	असम	2896.00	724.0			724.0						724.0	724.0	
2.	बिहार	7527.0	2240.0			745.0	745.0					1895.0	1902.0	
3.	झारखंड	2551.0	760.0			255.0	255.0					640.0	641.0	
4.	सिक्किम	50.0										25.0	25.0	
5.	मेघालय	200.0										100.0	100.0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
6.	मिजोरम	78.0										26.0		52.0
7.	उड़ीसा	3730.0		1000.0					865.0		1865.0			
8.	पश्चिम बंगाल	7796.0										7796.0		
9.	जम्मू-कश्मीर	868.0		434.0								434.0		
10.	अरुणाचल प्रदेश	94.0									47.0	47.0		
11.	अं. व नि. द्वीपसमूह	74.0									37.0	37.0		
12.	लक्षद्वीप	22.0								22.0				
13.	मणिपुर	208.0										120.0	88.0	
14.	नागालैंड	128.0									42.0	42.0		44.0
15.	त्रिपुरा	302.0									302.0			
16.	दिल्ली	2316.0									1158.0	1158.0		
17.	गुजरात	4878.0								2439.0		2439.0		
18.	आंध्र प्रदेश	7614.0									3807.0	3807.0		
19.	हरियाणा	1924.0										962.0	962.0	
20.	केरल	3600.0								3600.0				
21.	तमिलनाडु	6790.0									3395.0	3395.0		
22.	महाराष्ट्र	9014.0								4507.0			4507.0	
23.	कर्नाटक	5350.0									2675.0	2675.0		
24.	पंजाब	2392.0									1196.0	1196.0		
25.	उत्तर प्रदेश	15154.0	7577.0									7577.0		
26.	उत्तराखंड	782.0	391.0									391.0		
27.	राजस्थान	5092.0										2546.0	2546.0	
28.	गोवा	150.0									75.0			75.0
29.	दमन और दीव	12.0									6.0	6.0		
30.	दादरा व नगर हवेली	14.0								7.0		7.0		
31.	चंडीगढ़	112.0									56.0	56.0		
32.	हिमाचल प्रदेश	608.0										304.0	304.0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
33.	पांडिचेरी	64.0								32.0	32.0			
34.	कराईकल	18.0									9.0	9.0		
35.	माही	4.0									2.0	2.0		
36.	यनम	2.0										2.0		
37.	मध्य प्रदेश	5523.0									2762.0	2761.0		
38.	छत्तीसगढ़	2013.0									1007.0	1006.0		
39.	भूटान													
	योग	99950.0	11692.0	1434.0	0.0	1724.0	1000.0	0.0	865.0	10607.0	18473.0	42185.0	11799.0	171.0

[हिन्दी]

डी.आर.डी.ओ. से प्रौद्योगिकी का अन्तरण

2922. श्री एल. राजगोपाल: क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत पांच वर्षों के दौरान रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डी.आर.डी.ओ.) ने कितनी प्रौद्योगिकियों का विकास किया; और

(ख) वाणिज्यिक उपयोग के लिए डी.आर.डी.ओ. से निजी उद्योग/सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को अन्तरित की गई प्रौद्योगिकियों का ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी): (क) रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डी.आर.डी.ओ.) ने गत पांच वर्ष के दौरान अनेक प्रौद्योगिकियां विकसित की हैं। इनमें मिसाइल, मिश्रित सामग्री; चूर्ण धातुविज्ञान; ईंधन कोशिकाएं; पेंट; इलेक्ट्रानी युद्ध-पद्धति प्रणालियां; वैमानिकियां; मानवरहित विमान; टार्गेट ड्रान्स; डाटा प्रोसेसिंग; एंटिना; कृत्रिम आसूचना; कूट लेखन; रडार तथा सोनार; संचार प्रणालियां; सिग्नल प्रोसेसिंग; मार्ग-निर्देशन तथा नियंत्रण प्रणालियां; गाइरोस्कोप; इमेजिंग इन्फ्रारेड सीकर; संवेदी; युद्धक वाहन; नाभिकीय, जैविक तथा रासायनिक विसंदूषण स्वीट्स; पैराशूट; प्रणोदक तथा विस्फोटक; डिटोनेटर; खाद्य प्रौद्योगिकी; आदि शामिल हैं।

(ख) रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन द्वारा विकसित प्रौद्योगिकियां प्राथमिक रूप से रक्षा सेनाओं के इस्तेमाल हेतु हैं। तथापि, कई विकसित प्रौद्योगिकियां रक्षा तथा सिविल अनुप्रयोग हेतु दोहरे इस्तेमाल की प्रौद्योगिकियां हैं। अनेक प्रौद्योगिकियां वाणिज्यिक इस्तेमाल हेतु निजी उद्योगों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को हस्तांतरित की गई हैं। इनमें से कुछ महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियां टिटेनियम स्पंज; टाइफिजन किट; बायो डाइजेस्टर; सीबकथोर्न रस; बाहय पेंट; दंतारोपण; कृमि-वानस्पतिक खाद; एलोइ वेरा क्रीम; एचएपीओ बैग; सीलेन्ट्स; एट्राटिसाइड; एनबीसी फिल्टर; औषधीय उत्पाद; राशन पैक; कनस्तर; भोजन गर्म करने का यंत्र आदि हैं।

[अनुवाद]

मोटे अनाजों की खरीद

2923. श्री सुव्रत बोस: क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने विभिन्न राज्यों में सीधे किसानों से बाजरे/मोटे अनाजों की खरीद के किसी प्रस्ताव को अंतिम रूप दे दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने भारतीय खाद्य निगम (एफ.सी.आई.) को मोटे अनाजों की खरीद आरम्भ करने का निदेश दिया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसमें कितनी प्रगति हुई है; और

(ङ) एफ.सी.आई. की खरीद नीति को अधिक पारदर्शी बनाने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह): (क) से (ग) वर्तमान नीति के अनुसार न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रचालनों के अधीन मोटे अनाजों की वसूली भारत सरकार की ओर से राज्य सरकारों और उनकी एजेंसियों द्वारा की जाती है। भारतीय खाद्य निगम मोटे अनाजों की सीधे वसूली नहीं कर रहा है।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान

2924. श्री रवि प्रकाश वर्मा: क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश भर में व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों के विस्तार के लिए केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (डब्ल्यू.आई.टी.आई.) की स्थापना का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में तैयार की गई योजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ग) ग्यारहवीं योजना के दौरान राज्य-वार कितने डब्ल्यू.आई.टी.आई. की स्थापना किये जाने का प्रस्ताव है?

श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ऑस्कर फर्नांडीस): (क) और (ख) जी, हां। "पूर्वोत्तर राज्यों, सिक्किम तथा जम्मू व कश्मीर में नए औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना" नामक चल रही केन्द्र प्रवर्तित योजना के अंतर्गत अरुणाचल प्रदेश के इटनागर स्थित यूपिया तथा जम्मू व कश्मीर में जम्मू स्थित दो नए महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना की जा रही है।

योजना के लिए कुल आबंटन 137 करोड़ रुपये है। वर्ष 2001-02 में यह योजना आरंभ की गई और वित्तीय वर्ष 2008-09 तक जारी रहेगी। योजना में नए सामान्य औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना, विद्यमान औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का सुदृढ़ीकरण तथा 2 नए महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान शामिल हैं। सामान्य औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में भी महिलाएं प्रवेश प्राप्त कर सकती हैं। राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद (एनसीवीटी) ने सामान्य औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में महिलाओं के लिए 25% आरक्षण की अनुशंसा की है।

(ग) अभी ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

[हिन्दी]

अनाज बैंक

2925. श्री हंसराज गं. अहीर: क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अंत्योदय अन्न योजना के अंतर्गत सभी राज्यों में ग्रामीण अनाज बैंकों की स्थापना की गई थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो किन-किन राज्यों में अभी तक भी ग्रामीण अनाज बैंकों की स्थापना नहीं की गई है; और

(घ) देश के निर्धनों को खाद्य सुरक्षा प्रदान करने के लिए बैंकों की स्थापना हेतु सरकार द्वारा उठाए गए अथवा उठाए जाने वाले कदम क्या हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह): (क) से (ग) खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग द्वारा अब 17 राज्यों में ग्रामीण अनाज बैंकों की मंजूरी दी गई है। स्वीकृत/स्थापित ग्रामीण अनाज बैंकों की संख्या बताने वाला ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(घ) ग्रामीण अनाज बैंकों की स्थापना करने के बारे में प्रगति की समीक्षा आवधिक रूप से की जाती है और राज्य सरकारों से अनुरोध किया जाता है कि वे उन्हें स्वीकृत ग्रामीण अनाज बैंकों की शीघ्र स्थापना करें। राज्यों से प्रस्ताव प्राप्त होने पर वर्तमान पंचवर्षीय योजना के दौरान इस स्कीम के अधीन अतिरिक्त ग्रामीण अनाज बैंकों की मंजूरी दी जाएगी।

विवरण

स्वीकृत/स्थापित ग्रामीण अनाज बैंकों की संख्या

क्र.सं.	राज्य का नाम	खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग द्वारा स्वीकृत ग्रामीण अनाज बैंक		जोड़	राज्यों द्वारा स्थापित ग्रा.अ. बैंक
		2005-06	2006-07		
1.	महाराष्ट्र	–	1377	1377	–
2.	आंध्र प्रदेश	1214	3743	4957	1214
3.	पश्चिम बंगाल	–	170	170	–
4.	गुजरात	–	226	226	–
5.	मध्य प्रदेश	926	–	926	–
6.	उड़ीसा	240	–	240	–
7.	त्रिपुरा	13	–	13	–
8.	छत्तीसगढ़	262	1642	1904	262
9.	झारखंड	583	–	583	–
10.	मेघालय	44	–	44	20
11.	उत्तर प्रदेश	–	500	500	–
12.	असम	–	100	100	–
13.	सिक्किम	–	80	80	–
14.	हिमाचल प्रदेश	–	55	55	–
15.	नागालैंड	–	150	150	150
16.	उत्तराखंड	–	55	55	–
17.	मणिपुर	–	93	93	–
	योग	3282	8191	11473	1646

आलू का उत्पादन

2926. प्रो. महादेवराव शिवनकर:
श्री शिशुपाल एन. पटले:
श्री मो. ताहिर:
श्री ब्रजेश पाठक:

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत वर्षों की तुलना में चालू वर्ष के दौरान आलू के उत्पादन में कमी आई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या पिछले कुछ वर्षों के दौरान आलू की कीमतों में अत्यधिक वृद्धि हुई है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या आलू की कीमतों में वृद्धि के कारणों का पता लगाने के लिए कोई जांच की जा रही है; और

(च) सरकार ने इस संबंध में क्या कदम उठाए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) जी, नहीं। 2005-06 की तुलना में वर्ष 2006-07 के दौरान आलू के उत्पादन में कोई कमी नहीं हुई।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) बागवानी जिन्सों जैसे कि आलू के मूल्य विभिन्न घटकों जैसे उत्पादन में उतार चढ़ाव, मौसम संबंधी और बाजार में उनके आवकों की विभिन्नता के कारण सामान्य तौर पर अधिक अस्थिर रहे हैं। थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यू पी आई आधार 1993-94) में दिए गए आलू के मूल्यों की प्वाइंट से प्वाइंट तक की तुलना से यह प्रदर्शित होता है कि 5 अगस्त, 2006 और 4 अगस्त, 2007 के बीच 3.99% मूल्य में बढ़ोत्तरी हुई जो कि मुद्रा स्फीति की सामान्य दर से काफी कम है। तथापि 6 अगस्त, 2005 को डब्ल्यू पी आई में चालू मूल्य बढ़ोत्तरी मुद्रा स्फीति की सामान्य दर से अपेक्षाकृत काफी अधिक थी।

(ङ) और (च) आलू सहित विभिन्न अनिवार्य जिंसों की मंडी पहुंच और मूल्यों की नियमित निगरानी का एक तंत्र है और जब कभी अपेक्षित होता है तो उपचारी उपाय किए जाते हैं।

किसानों हेतु परिवार बीमा योजना

2927. श्री रघुवीर सिंह कौशल: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार रियायती प्रीमियम दर पर किसानों के लिए परिवार बीमा योजना आरम्भ करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को इस संबंध में कोई अनुरोध/ज्ञापन प्राप्त हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

कृषि उपज (श्रेणीकरण और चिह्नांकन) अधिनियम, 1937

2928. श्री बृज किशोर त्रिपाठी: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कृषि उपज (श्रेणीकरण और चिन्हांकन) अधिनियम, 1937 के अनुसार गुणवत्ता के मानक निर्धारित किये जाते हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारतीय उत्पादों को प्रतिस्पर्धा योग्य बनाने के लिए कोडेक्स/इंटरनेशनल स्टेण्डर्ड आर्गेनाइजेशन द्वारा निर्धारित शुद्धता मानदण्डों को अपनाने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) किन-किन कृषि उत्पादों को अब तक फलों एवं सब्जियों के सामंजस्य संबंधी कोर ग्रुप द्वारा अनुमोदन दिया गया है; और

(ङ) निर्यात प्रयोजनार्थ कृषि उत्पादों के लिए श्रेणीकरण पद्धति में सुधार के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) और (ख) जी, हां।

(ग) कृषि उत्पाद (ग्रेडिंग और विपणन) अधिनियम, 1937 केन्द्र सरकार को निम्नलिखित नियम बनाने की शक्ति प्रदान करता है:-

(1) अनुसूचित वस्तु बनाने की गुणवत्ता निर्दिष्ट करने के लिए ग्रेड विनिर्देशन निर्धारित करना।

(2) प्रत्येक ग्रेड विनिर्देशन द्वारा इंगित गुणवत्ता परिभाषित करने; और

(3) विशिष्ट ग्रेड विनिर्देशन का प्रतिनिधित्व करने के लिए ग्रेड विनिर्देशन चिन्ह विनिर्दिष्ट करना।

उक्त अधिनियम के प्रावधान के अनुसार यथा अधिसूचित मानक एगमार्क मानक कहलाते हैं।

भारतीय उत्पाद को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रतिस्पर्धा योग्य बनाने के लिए, खाद्य अपमिश्रण रोकथाम अधिनियम 1954 के तहत बनाए गए मानकों और कोडेक्स एलीमेंटेरियस कमीशन, यूरोप से संबंधित संयुक्त राष्ट्र आर्थिक आयोग (यूएनईसीई), यूरोपीय आयोग (ईसी) अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन (आईएसओ) इत्यादि द्वारा बनाए गए अंतर्राष्ट्रीय मानकों का एगमार्क मानकों का निर्धारण/ पुनर्निधारण करते समय ध्यान रखा जाता है। तथापि, मानकों का निर्धारण करते समय भारतीय उत्पाद की विशेषता और मूलभूत गुणवत्ता को ध्यान में रखा जाता है, जो वैज्ञानिक रीति से तैयार किए जाते हैं।

(घ) फलों और सब्जियों के समन्वयकरण से संबद्ध कोर समूह ने अभी तक 32 फलों और सब्जियों के नामों को अनुमोदित किया है। इनमें से, कोर समूह द्वारा लिखित, 18 फलों और सब्जियों के एगमार्क मानकों अर्थात् ताजे अंगूर, लीची, आम, अन्नास, अनार, अमरूद छिलका मटर, शुगर स्नेप पीज, ब्रुसल स्प्राउटस, गांठगोभी, रिबबेड सेलरी, स्पाइनेच, केले, पपीता, कद्दू, प्लम, टमाटर, लहसुन और प्याजों को कृषि उत्पाद (ग्रेडिंग और विपणन) अधिनियम 1937 के प्रावधान के तहत अधिसूचित कर दिया गया है।

शेष 14 फल और सब्जियों अर्थात् स्ट्राबेरी, चेरी, खरबूज, तरबूज, बीन्स, फूल गोभी, पीयर्स, ओकरा, मिर्च, केपसीकम, सपोटा, सेब, घरेकिन और गाजर के मानकों को अधिसूचित करने के लिए अनुमोदित अधिसूचना प्रकाशन के लिए भारत सरकार मुद्रणालय में भेज दी गई है।

(ङ) वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने ताजे फलों और सब्जियों के संबंध में निर्यात मानकों की तैयारी की जांच करने के लिए अध्यक्ष, कृषि और संशोधित खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (अपेडा) की अध्यक्षता में ताजे फलों और सब्जियों पर एक स्थायी समिति गठित की है। समिति के गठन में विपणन और निरीक्षण निदेशालय (डीएमआई), स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक, भारतीय मानक ब्यूरो, निर्यात निरीक्षण परिषद, व्यापार इत्यादि के सदस्य शामिल हैं। यूरोपीय आयोग ने यूरोपीय संघ के लिए ताजे फल और सब्जी के निर्यात के लिए खेप-पूर्व निरीक्षण के लिए भारत की क्रिया-विधि अनुमोदित कर दी है। इस प्रयोजन के लिए, कृषि विपणन सलाहकार को एक सरकारी अधिकारी और डीएमआई को निरीक्षण निकाय के रूप में अधिसूचित कर दिया है। विदेश व्यापार महानिदेशक, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने यूरोपीय संघ के लिए निर्यात के संबंध में ताजे फल और सब्जी के निर्यात के लिए डीएमआई को सरकारी प्रमाणन एजेंसी के रूप में अधिसूचित कर दिया है। प्रमाणन की प्रकृति स्वेच्छिक है। अंतर्राष्ट्रीय मानकों के साथ समन्वित मानकों को अधिसूचित कर दिया गया है ताकि इन मानकों के अनुसार ग्रेड किए गए फल और सब्जियां आयातक देशों में स्वीकार्य हों।

ग्रेडिंग सुविधाओं वाले पैकिंग घरानों को एगमार्क के तहत प्रमाणित करने की अनुमति दी है। विशेषज्ञता प्राप्त निजी प्रयोगशालाओं को निर्यात प्रयोजनों के लिए फल और सब्जियों के ग्रेड के लिए अनुमोदित किया गया है। इन प्रयोगशालाओं द्वारा नियुक्त कैमिकस्टों को विशेषज्ञों द्वारा ग्रेडिंग में प्रशिक्षित कर दिया गया है। डीएमआई के अधिकारियों को भी ग्रेडिंग और प्रमाणन में प्रशिक्षित कर दिया गया है।

खादी और ग्रामोद्योग आयोग के अंतर्गत प्रशिक्षण कार्यक्रम

2929. श्री एस.के. खारवेनथन: क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या खादी और ग्रामोद्योग आयोग (के.वी.आई.सी.) का विचार खादी और ग्रामोद्योग क्षेत्र में प्रशिक्षण कार्यक्रमों के आयोजन के लिए एक राष्ट्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार ग्रामीण लोगों के लिए और अधिक रोजगार के अवसरों को सृजित करने के लिए के.वी.आई.सी. के मौजूदा प्रशिक्षण केन्द्रों का प्रोन्नयन करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री (श्री महावीर प्रसाद): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता है।

न्यूनतम साझा कार्यक्रम में सिंचाई परियोजनाएं

2930. श्री आनंदराव विठोबा अडसूल: क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम (एन.सी.एम.पी.) में सिंचाई क्षेत्र को सबसे अधिक प्राथमिकता दी गई है;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार ने एन.सी.एम.पी. के अंतर्गत मौजूदा सिंचाई परियोजनाओं को तीन से चार वर्षों में पूरा करने का निर्णय लिया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या गत तीन वर्षों के दौरान और आज की तिथि तक मौजूदा सिंचाई परियोजना में से कोई अभी तक पूरी की गई है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जय प्रकाश नारायण यादव): (क) जी, हां। राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम (एन.सी.एम.पी.) में उल्लेख है कि सिंचाई को सर्वोच्च निवेश प्राथमिकता दी जाएगी और सभी निर्माणाधीन परियोजनाओं को निर्धारित समय-सीमा में पूरा किया जाएगा और यह कि जल प्रबन्धन को इसके सभी पहलुओं, सिंचाई और प्रयोजनों दोनों के लिए, पर तत्काल ध्यान दिया जाएगा।

(ख) और (ग) सिंचाई राज्य का विषय होने के कारण सिंचाई परियोजनाओं की परिकल्पना, आयोजना और कार्यान्वयन संबंधित राज्य सरकारों द्वारा उनकी प्राथमिकताओं के अनुसार किया जाता है। तथापि, भारत सरकार निर्माणाधीन सिंचाई परियोजनाओं को पूरा करने के लिए राज्य सरकारों को दिशानिर्देशों के अनुसार त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (एआईबीपी) के तहत सहायता उपलब्ध कराती है। इसके अतिरिक्त, इस कार्यक्रम के तहत और परियोजनाओं को शामिल करने के लिए एआईबीपी मानदण्डों में छूट दी गई है और प्रक्रियाओं को सरल बनाया गया है।

(घ) और (ङ) राज्य सरकारों द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार पिछले तीन वर्ष के दौरान 61 ऐसी वृहद और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं को पूरा किया यगा है जिन्हें एआईबीपी के तहत सहायता उपलब्ध कराई गई थी। पूरी की गई परियोजनाओं की सूची संलग्न विवरण में है। इस अवधि के दौरान एआईबीपी की सहायता से 1709 लघु सिंचाई स्कीमों को भी पूरा किया गया है।

विवरण

पिछले 3 वर्षों के दौरान एआईबीपी के तहत शामिल की गई और पूरी की गई परियोजनाओं की सूची

क्र.सं.	राज्य/परियोजना का नाम
1	2
	आंध्र प्रदेश
1.	श्रीराम सागर (चरण-I)
2.	नागार्जुन सागर
3.	महुवालसा
4.	सोमसिला
5.	मड्डीगेड्डा
6.	जुराला
7.	गुंडलवागु
8.	अलीसागर
	असम
9.	बोर्दिकराई
10.	कोलोंगा
11.	हवाईपुर एलआईएस
12.	कोलोंग बेसिन में एकीकृत सिंचाई स्कीम
	बिहार
13.	ऊपरी कियुल
14.	ओरनी जलाशय
	छत्तीसगढ़
15.	हसदेव बांगो
16.	जोंक डाइवर्जन
17.	बरनाई
	गोवा
18.	सलौली फेज-I
	गुजरात
19.	मुक्तेश्वर
	हरियाणा
20.	डब्ल्यू आर सी पी
	जम्मू-कश्मीर
21.	जैंगीर नहर
22.	मरवाल लिफ्ट
23.	लेथपोरा लिफ्ट
24.	कोइल लिफ्ट
25.	प्रताप नगर का आधुनिकीकरण

1	2
26.	कथुआ नगर का आधुनिकीकरण
27.	इगोफे
	कर्नाटक
28.	हीरेहल्ला
	केरल
29.	कल्लडा परियोजना
	मध्य प्रदेश
30.	बाणसागर (यूनिट-I)
31.	सिन्ध फेज-I
	महाराष्ट्र
32.	ऊपरी तापी
33.	वान
34.	जायकवाडी
35.	विष्णुपुरी
36.	बहुला
37.	खड़कवासला
38.	कदवी
39.	कसरसाइ
40.	जवलगांव
41.	कसारी
42.	सूर्या
43.	भीम
44.	पटगांव
45.	कुम्भी
	उड़ीसा
46.	ऊपरी कोलाब
47.	पोट्टेरू
48.	ससन नहर का सुधार
49.	साल्की सिंचाई परियोजना का सुधार
50.	नराज बराज
51.	सालन्दी बायां मुख्य नहर
	पंजाब
52.	यूबीडीसी की रिमाडलिंग
	राजस्थान
53.	छापी
54.	पंचाना
55.	बीसलपुर
56.	चौली
57.	माही बजाज सागर
	उत्तर प्रदेश
58.	ए.के. दोआब में खरीफ चैनल
59.	टेहरी
60.	जरौली पम्प नहर
	पश्चिम बंगाल
61.	बराज एवं डीवीसी की सिंचाई प्रणाली का आधुनिकीकरण

[हिन्दी]

शिष्टमंडलों हेतु आरक्षण नीति

2931. श्री हंसराज गं. अहीर: क्या सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने लघु उद्योगों के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों का दौरा करने वाले शिष्टमंडलों हेतु आरक्षण नीति क्रियान्वित की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इसमें आरक्षण नीति की उपयोगिता के संबंध में कोई अध्ययन कराया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री (श्री महावीर प्रसाद): (क) और (ख) जी, नहीं। यह मामला सरकार के विचाराधीन है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता है।

[अनुवाद]

स्वदेशी विमान वाहक पोत

2932. श्री रवि प्रकाश वर्मा: क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कोचीन शिपयार्ड में 37,500 टन वाले स्वदेशी विमान वाहक पोत (आई.ए.सी.) के निर्माण की सबसे महत्वाकांक्षी पोत-निर्माण परियोजना नियत समय से बहुत पीछे चल रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) स्वदेशी विमान वाहक पोत के निर्माण में विलम्ब के क्या कारण हैं;

(घ) विमान वाहक पोत के निर्माण के संबंध में अब तक कितनी प्रगति हुई है; और

(ङ) विमान वाहक पोत के निर्माण को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी): (क) और (ख) स्वदेशी विमान वाहक पोत का निर्माण पोत के वर्ष 2010 में जलावतरित (लांच) किए जाने के निर्धारित कार्यक्रमानुसार कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड में प्रगति पर है। तथापि, पोत की अन्तिम सुपुर्दगी में संभावित सुपुर्दगी से विलम्ब हो सकता है इसे पहले 2012 में किया जाना निर्धारित किया गया था।

(ग) यह विलम्ब विमान वाहक पोत जिसका डिजाइन तथा स्वदेशी निर्माण पहली बार कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड में किया जा रहा है, के आकार और निर्माण में पेचीदगियों के कारण है। इसके अलावा, विलम्ब कुछ विशेष सामग्री, जैसे विदेश से प्राप्त किए जाने वाला इस्पात, के प्राप्त होने में देरी के कारण भी हुआ है।

(घ) मुख्य डिजाइन पूरा कर लिया गया है और आउटसोर्स की गई विशेषज्ञ अभिकल्पन सामग्री पर कार्यक्रमानुसार कार्य चल रहा है। चरण-I के लिए मई, 2007 में कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड के साथ संविदा की गई है तथा हल के निर्माण और उपस्करों के लिए आर्डर दिए जाने का कार्य संविदागत समय-सूची के अनुसार चल रहा है।

(ङ) संविदा के अनुसार इस चरण हेतु अपेक्षित पर्याप्त धनराशि पोत-निर्माण कार्यक्रम के अनुसार विभिन्न सामग्रियों, उपस्करों की खरीददारी करने तथा यार्ड-प्रयास के प्रति और अवसंरचनात्मक संवर्धन हेतु मुहैया कराई गई है। यदि कोई बाधाएं हों तो उन्हें शीघ्रतापूर्वक दूर करने के लिए इस परियोजना की विभिन्न चरणों में पुनरीक्षा की जा रही है।

महिला किसानों को राज-सहायता

2933. श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने तिलहनों, दालों तथा मक्का की खेती में महिला किसानों की भूमिका तथा उनकी भागीदारी को देखते हुए केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना के अंतर्गत एक योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो क्या महिला किसानों को अधिक राजसहायता/सहायता प्रदान किए जाने का प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो क्या अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों (एस/एसटी) की महिला किसानों को विशेष पैकेज देने का कोई प्रावधान है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) से (घ) तिलहनों, दालों, तेलताड़ और मक्का (आईसोपोम) की एक केन्द्र प्रायोजित एकीकृत स्कीम तैयार की गई है और 1.4.2004 से प्रमुख दिलहनों, दालों, मक्का, तेलताड़ उत्पादित करने वाले राज्यों में क्रियान्वित की जा रही है। इन फसलों की खेती में महिलाओं की भूमिका को ध्यान में रखते हुए आईसोपोम के तहत महिला किसानों, अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों, लघु और सीमान्त किसानों को 50 प्रतिशत लागत दर या 15000/- रुपए जो भी कम हो, खेतों के लिए जल स्रोत से जल लाने के लिए स्प्रिंकलर सेटों और जल पाइपों के वितरण के घटक के तहत लागत की 33 प्रतिशत दर या 10000/- रुपए जो भी कम हो, सहायता की तुलना में अन्य श्रेणियों के किसानों के लिए अपेक्षाकृत उच्च दर से सहायता प्रदान की गई है।

तेल ताड के मामले में, ड्रिप सिंचाई घटक के तहत महिला, एससी/एसटी, लघु और सीमांत किसानों के लिए 7400/- रुपए से 9300/- रुपए तक की सीलिंग की लागत के 500 प्रतिशत की तुलना में अन्य श्रेणियों के किसानों को 5200/- रुपए से 6500/- रुपए की सीलिंग तक 35 प्रतिशत की अपेक्षाकृत उच्च दर की सहायता प्रदान की गई है।

[हिन्दी]

गेहूं का अधिक मूल्य पर आयात

2934. **श्रीमती सुमित्रा महाजन:**
श्री विजय कृष्ण:
श्री अनिल बसु:
श्रीमती किरण माहेश्वरी:
श्री सुनील खां:

क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में खरीद के लिए अदा किए जाने वाले मूल्य की तुलना में अपेक्षाकृत अधिक मूल्य पर गेहूं का आयात किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या कल्याण योजनाओं हेतु गेहूं आयात करने की बजाय इसे खुले बाजार से खरीदने का कोई प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो घरेलू बाजार और आयात मूल्य के मूल्य सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या कम मूल्य हेतु प्राप्त निविदाओं को रद्द कर दिया गया था और इन्हें बाद में अधिक मूल्य पर जारी किया गया था; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह): (क) जी, हां।

(ख) देश में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने और लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली और अन्य कल्याण योजनाओं के लिए गेहूं उपलब्ध कराने के लिए वर्ष 2007-08 के दौरान सरकार ने 5 मिलियन टन तक गेहूं का आयात करने का निर्णय लिया है। तद्नुसार, राज्य व्यापार निगम को 325.59 यूएस डालर प्रति टन के सी एंड एफ (एफओ) के भारित औसत मूल्य पर 5.11 लाख टन गेहूं आयात करने के आर्डर देने के लिए कहा गया है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) और (च) विभिन्न अंतरालों पर निविदाएं आमंत्रित करके ट्रांचे में गेहूं आयात किया जाता है। सरकार ने एक मिलियन टन गेहूं आयात करने के लिए 30.4.2007 को निविदा आमंत्रित की थी। 263 अमरीकी डालर प्रति टन पर 3.06 लाख टन गेहूं की आपूर्ति करने के लिए पेशकश प्राप्त हुई थी। इस निविदा के प्रति खरीदारी नहीं की गई। एक मिलियन टन गेहूं आयात करने के लिए 26.6.2007 को दूसरी निविदाएं आमंत्रित की गई थी और 325.59 यूएस डालर प्रति टन के सी एंड एफ (एफओ) के भारित औसत मूल्य पर 5.11 लाख टन गेहूं आयात करने के आर्डर दिया गया है। प्रथम निविदा के अधीन पेशकश स्वीकार न करने के प्रमुख कारण निम्नानुसार हैं-

(1) राज्य व्यापार निगम, वह एजेंसी जिसे सरकार द्वारा गेहूं का आयात करने का काम सौंपा गया था, ने परामर्श दिया था कि प्रमुख गेहूं निर्यातक देशों में फसल कटने के बाद अगस्त, 2007 के उपरांत प्राप्त होने वाली फसल के मूल्यों में गिरावट होने की संभावना है।

(2) अप्रैल, 2007 की अंतर्राष्ट्रीय अनाज परिषद की रिपोर्ट में 623 मिलियन टन की अच्छी वैश्विक फसल होने की सूचना दी गई थी जबकि पिछले वर्ष 593 मिलियन टन फसल हुई थी जिससे गेहूं के मूल्य कम हुए होते।

(3) जुलाई/अगस्त के महीनों में सुपुर्दगी के लिए प्राप्त हुई पेशकश जून/जुलाई के लिए प्राप्त पेशकश से कम थी जो आगामी महीनों में कम मूल्य दर्शा रही थी।

(4) उस समय अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मूल्यों में गिरावट का रूख होना।

(5) घरेलू वसूली चल रही थी तथा आयातित गेहूं के लिए अधिक मूल्य का भुगतान करने के परिणामस्वरूप भविष्य में अधिक मूल्य प्राप्त करने की आशा में व्यापारी गेहूं के स्टाक की जमाखोरी कर लेते, जिससे वसूली प्रभावित हो जाती।

[अनुवाद]

वेजिटेबल माल

2935. श्री अबु अयीश मंडल: क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में विभिन्न संगठनों को सब्जियों, फलों तथा उपभोक्ता सामग्रियों के माल स्थापित करने के लिए लाइसेंस जारी किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने ऐसे डिपार्टमेंटल स्टोरों में बेची जा रही सामग्रियों की गुणवत्ता की नियमित निगरानी हेतु कोई तंत्र बनाया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार पूरे देश में सरकारी क्षेत्र/स्वायत्त संगठनों की भागीदारी से ऐसे स्टोर स्थापित करने के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसे कब तक स्थापित किए जाने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तस्लीमुद्दीन): (क) और (ख) खुदरा क्षेत्र में किसी घरेलू निवेशक के प्रवेश पर कई प्रतिबंध नहीं है। तथापि, तैयार भोजन अथवा परोसने के लिए तैयार भोजन सहित किसी खाद्य मद के विनिर्माण, बिक्री, स्टाक, वितरण अथवा बिक्री के लिए प्रदर्शन के लिए खाद्य अपमिश्रण निवारण नियम, 1955 के नियम 50 के तहत लाइसेंस जारी किए जाते हैं।

(ग) और (घ) खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 और नियम 1955 के कार्यान्वयन/प्रवर्तन के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के खाद्य (स्वास्थ्य) प्राधिकारी जिम्मेदार हैं जो विभिन्न खाद्य मदों के नमूने लेते हैं और जहां नमूने खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 के उपबंधों तथा उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुरूप नहीं पाए जाते हैं वहां दोषियों के खिलाफ दण्डात्मक कार्रवाई करते हैं।

(ङ) जी, नहीं। फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

सीमा पार से घुसपैठ

2936. श्री दानवे रावसाहेब पाटील:
श्री कीरेन रिजीजू:
डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय:
श्री अबु अयीश मंडल:

क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आतंकवाद से निपटने और जम्मू व कश्मीर में घुसपैठ निरोधक रणनीतियों पर चर्चा करने हेतु इजरायली सेना के एक उच्च स्तरीय शिष्टमण्डल ने भारत का दौरा किया था;

(ख) यदि हां तो जम्मू व कश्मीर में घुसपैठ रोकने हेतु इस शिष्टमंडल द्वारा क्या उपाय सुझाए गए;

(ग) क्या सीमा पार से आतंकवादियों द्वारा भारत में घुसपैठ करने के समन्वित प्रयास किए जाने की वजह से नियंत्रण रेखा अचानक सुर्खियों में आ गई है;

(घ) यदि हां, तो क्या आंकड़े दर्शाते हैं कि वर्ष 2005 और 2006 की इसी अवधि की तुलना में इस वर्ष अप्रैल और मई में घुसपैठ के संबंध में दो से तीन गुणा वृद्धि हुई है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) इस स्थिति से निपटने के लिए सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी): (क) और (ख) जी, हां। इजरायल की रक्षा सेनाओं के एक तीन सदस्यीय शिष्टमंडल ने 13 से 18 जून, 2007 तक भारत की यात्रा की। इस यात्रा का उद्देश्य आतंकवाद सहित विभिन्न मुद्दों पर रक्षा सहयोग को बढ़ाना था। इस यात्रा के दौरान, इस शिष्टमंडल ने जम्मू तथा कश्मीर का भी दौरा किया। दोनों देशों द्वारा आतंकवाद का सामना करने के लिए इस्तेमाल किए जा रहे तरीकों संबंधी जानकारी का भी आपस में आदान-प्रदान किया गया।

(ग) से (ङ) वर्ष 2005, 2006 तथा 2007 में अप्रैल तथा मई में घुसपैठ के प्रयासों के तुलनात्मक आंकड़ों के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं:-

वर्ष	2005	2006	2007
अप्रैल	44	43	82
मई	33	60	68

(च) सरकार ने जम्मू तथा कश्मीर में सीमा-पार से घुसपैठ पर रोक लगाने के लिए राज्य सरकार के साथ मिलकर एक बहु-आयामी दृष्टिकोण अपनाया है जिसमें अन्य के साथ-साथ, अन्तर्राष्ट्रीय सीमा/नियंत्रण रेखा के साथ-साथ और घुसपैठ के हमेशा बदलते रहने वाले रास्तों के निकट सीमा प्रबंधन को सुदृढ़ करना और बहु-स्तरीय तथा बहु-रुपात्मक तैनाती करना, सीमा-बाड़ का निर्माण, सुरक्षा बलों के लिए उन्नत प्रौद्योगिकी, अति-सक्रिय कार्रवाई करने के लिए उन्नत आसूचना एवं संक्रियात्मक समन्वयन व आसूचना की सहक्रिया शामिल है। घुसपैठ-रोधी प्रयासों की राज्य सरकार (जिसमें जम्मू तथा कस्मीर के मुख्य मंत्री की अध्यक्षता में दो एकीकृत मुख्यालय भी शामिल हैं) और केन्द्रीय सरकार के विभिन्न स्तरों पर समय-समय पर समीक्षा की जाती है।

[अनुवाद]

किसानों को घाटा

2937. श्री के. विरूपाक्षप्पा: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा संचालित अधिकांश फार्म घाटे में चल रहे है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और ऐसे घाटे पर काबू पाने हेतु क्या उपाय किए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) और (ख) केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम, भारतीय राज्य फार्म निगम (एसएफसीआई) लिमिटेड छह फार्म चला रहा है जिसमें से बहराइच (उत्तर प्रदेश) और रायचूर (कर्नाटक) फार्मों में हानि हो रही है। बहराइच फार्म में हानि का मुख्य कारण उत्तर प्रदेश वन विभाग द्वारा अवसंरचना विकास पर लगाए गए प्रतिबंध हैं क्योंकि फार्म वन क्षेत्र में स्थित है। रायचूर फार्म में हानि का मुख्य कारण फरवरी से जुलाई के दौरान तुंगभद्रा वितरिका सं. 54 से सिंचाई जल का उपलब्ध न होना है। एसएफसीआई ने अव्यवहार्य फार्मों को बंद कर दिया है, इसके कार्यकलापों को विविधीकृत कर दिया है, डीलरों के नेटवर्क का विस्तार कर दिया है, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति स्कीम/स्वैच्छिक पृथक्करण स्कीम को कार्यान्वित किया है और निष्पादन में सुधार करने के लिए अन्य कठोर उपाय किये हैं।

[हिन्दी]

स्पीड पोस्ट केन्द्र

2938. श्री रामदास आठवले: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान देश में कितने स्पीड पोस्ट केन्द्र चल रहे हैं;

(ख) क्या देश में और ऐसे केन्द्र स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कितने स्पीड पोस्ट केन्द्र खोले जाने की संभावना है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) देश में पिछले तीन वर्षों के दौरान कार्यरत स्पीड पोस्ट केन्द्रों की संख्या नीचे दी गई है:-

वर्ष	नेशनल नेटवर्क में स्पीड पोस्ट केन्द्रों की संख्या
2004-05	151
2005-06	157
2006-07	211
2007-08 (30.08.07 तक)	266

(ख) से (ङ) स्पीड पोस्ट सेवा के नेटवर्क का विस्तार किया गया है और बाजार अपेक्षाओं, ग्राहक की जरूरतों, प्रत्याशित कारोबार, उपलब्ध परिवहन सुविधाओं आदि को ध्यान में रखते हुए आवश्यकतानुसार स्पीड पोस्ट केन्द्रों की स्थापना की गई है।

[अनुवाद]

निजी कुरियर सेवा पर प्रतिबंध

2939. श्री के.एस. राव:
श्री किसनभाई वी. पटेल:
श्री सुग्रीव सिंह:

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार के पास कितने कुरियर आपरेटर पंजीकृत हैं तथा उनके क्रियाकलापों को शासित करने वाले विनियमों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का विचार निजी कुरियर आपेरटरों तथा भारतीय डाक सेवा के सभी पहलुओं को दायरे में लाने वाला विधान बनाने तथा उपभोक्ताओं के लाभ हेतु प्रभावी तथा मूल्य वर्धित सेवाएं प्रदान करने के लिए इन सेवाओं को विनियमित करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) कुरियर प्रचालक डाक विभाग के साथ पंजीकृत नहीं हैं। तथापि, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के प्रयोजन हेतु औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग के साथ पंजीकृत निजी कुरियरों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) और (ग) भारतीय डाकघर अधिनियम, 1898 को संशोधित करने का प्रस्ताव है। इस प्रस्ताव में अन्य बातों के साथ-साथ देश में मेल क्षेत्र को नियमित करने के लिए मेल नियामक एवं विकास प्राधिकरण नियुक्त करने का प्रावधान है। तथापि, इस प्रस्ताव को अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

विवरण

सरकार द्वारा जनवरी 2000 से मई 2007 के दौरान अनुमोदित विदेशी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) एवं विदेशी प्रौद्योगिकी मामलों (एफटीसी) हेतु विस्तृत ब्यौरा

कुरियर जैसी निर्माण की मद

(राशि मिलियन में)

क्र.सं.	पंजीकरण संख्या एवं तारीख	भारतीय कंपनी का नाम एवं पता	विदेशी सहयोगी का नाम एवं पता	विदेशी इक्विटी		विदेशी इक्विटी का प्रतिशत
				रुपये में	अमरीकी डालर में	
1	2	3	4	5	6	7
देश : हांगकांग						
1.	314 29 जुलाई 2004	मालका अमित हांगकांग लि. मार्फत मुल्ला एंड मुल्ला एंड क्रेगी मुल्ला एंड कैरो मुल्ला हाउस, 51 एम.जी. रोड फोर्ट, मुंबई-400001	मालका अमित हांगकांग लि. हांगकांग	0.10	0.00	100.00
		स्थान : ग्रेटर मुम्बई (मुम्बई) (महाराष्ट्र) मंजूरी संख्या (तारीख): 354 (31 दिसंबर, 2004)		निर्माण की मद: हीरा एवं अन्य बहुमूल्य पत्थरों, बहुमूल्य धातुओं जैसी मदों एवं माल को भारत के अन्दर विभिन्न स्थानों में आवाजाही हेतु सशस्त्र कारों/वाहनों में अग्रेषण परिवहन एवं कुरियर सेवा का व्यवसाय।		

कुल तकनीकी मामले : 0 कुल वित्तीय मामले : 1 कुल विदेशी इक्विटी मिलियन रु. में: 0.10 : अमरीकी मिलियन डालर: 0.00

1	2	3	4	5	6	7
देश : जापान						
2.	172 31 अगस्त 2006	ओसीएस ओवरसीज कुरियर सर्विस कं. लि. मार्फत डीएसके लीगल, 2, पालम मार्ग, वसंत विहार, नई दिल्ली-110 057	ओवरसीज कुरियर सर्विसिज कंपनी लि., जापान	84.00	1.85	76.00
		स्थान: दिल्ली (दिल्ली) मंजूरी संस्था (तारीख): 197 (31 अक्तूबर, 2006)		निर्माण की मद: सामान्य कैरियर कुरियर, बैगेज ट्रांसपोर्टस, फोर्वडिंग एण्ड क्लियरिंग, एजेंट्स, भारत एवं विदेश में कुरियर सेवाओं के एजेंटों का पैकिंग एवं री-पैकिंग का व्यवसाय करना।		
		कुल तकनीकी मामले : 0 कुल वित्तीय मामले : 1 कुल विदेशी इक्विटी मिलियन रु. में: 84.00 अमरीकी मिलियन डालर: 1.85				
देश : यू.एस.ए.						
3.	242 9 नवंबर, 2006	फेडेरल एक्सप्रेस यूरोप, आईएनसी, मार्फत अमरचंद मंगलदास, अमरचंद टावर्स, 216, ओखला औद्योगिक एस्टेट, फेज-III, आईएएल, नई दिल्ली-110020	फेडरल एक्सप्रेस आईएनसी, (एफईई) यूएस फेडरल एक्सप्रेस इंटरनैशनल आईएलसी, (एफईआई), यूएसए	1,864.80	42.06	100.00
		स्थान : ग्रेटर मुम्बई (मुम्बई) (महाराष्ट्र) मंजूरी संख्या (तारीख) : 248 (31 जनवरी 2007)		निर्माण की मद: अंतर्राष्ट्रीय कुरियर प्रचालनों के लिए संबद्ध तथा आनुषंगिक सेवाएं प्रदान करने का व्यवसाय।		
		कुल तकनीकी मामले : 0 कुल वित्तीय मामले : 1 कुल विदेशी इक्विटी मिलियन रु. में: 1,864.80 अमरीकी मिलियन डालर: 42.06				
देश : जार्डन						
4.	554 14 सितंबर, 1998	आरमेक्स कुरियर्स (इंडिया) प्राइवेट लि. मार्फत एर्नस्ट एण्ड यंग प्राइवेट लि. दूसरा तल, द कैपिटल कोर्ट, एलएसजी फेज-III, ओलोफ पाल्मे मार्ग, मुनीरका, नई दिल्ली-110067	आरमेक्स इंटरनैशनल लि., जार्डन	0.00	0.00	0.00

1	2	3	4	5	6	7
		स्थान : ग्रेटर मुम्बई (मुम्बई) (महाराष्ट्र) मंजूरी संख्या (तारीख): 569 (02 सितंबर, 2002) कैपिटल संरचना में परिवर्तन के कारण संशोधन		निर्माण की मद: हवाई, सड़क, जल परिवहन अथवा किसी अन्य माध्यम से संगठित कुरियरों एवं कार्गो को बढ़ावा देने, व्यवस्था करने, प्रचालन, निपटान करने के लिए मौजूदा व्यवसाय को जारी रखना।	

कुल तकनीकी मामले : 0 कुल वित्तीय मामले : 1 कुल विदेशी इक्विटी मिलियन रु. में: 0.00
अमरीकी मिलियन डालर: 0.00

जनवरी 2000 से मई 2007 तक के आवक विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) का कंपनीवार विस्तृत विवरण
कुरियर जैसी निर्माण की मद

(राशि मिलियन में)

क्र.सं.	कंपनी का नाम	देश	विदेशी सहयोगी का नाम	निर्माण की मद	एफडीआई की राशि	
					रुपयों में	अमेरिकी डालर में
1	2	3	4	5	6	7
1.	नारू लाजिस्टिक्स (आई) प्रा.लि.	कोरिया (दक्षिण)	नारू इंटरनैशनल कं. लि.	डाक (इस श्रेणी में पिक अप, परिवहन एवं वितरण शामिल हैं) के अतिरिक्त कुरियर कार्यकलाप	1.00	0.02
2.	टीएनटी इंडिया प्रा.लि.	नीदरलैंड्स	टीएनटी एक्सप्रेस वर्ल्ड वाइड एनवी	डाक (इस श्रेणी में पिक अप, परिवहन एवं वितरण शामिल हैं) के अतिरिक्त कुरियर कार्यकलाप	130.00	2.94
3.	टीएनटी इंडिया प्रा.लि.	नीदरलैंड्स	टीएनटी एक्सप्रेस वर्ल्ड वाइड एनवी	डाक (इस श्रेणी में पिक अप, परिवहन एवं वितरण शामिल हैं) के अतिरिक्त कुरियर कार्यकलाप	600.00	13.59
4.	टीएनटी इंडिया प्रा.लि.	नीदरलैंड्स	टीएनटी एक्सप्रेस वर्ल्ड वाइड एनवी	डाक (इस श्रेणी में पिक अप, परिवहन एवं वितरण शामिल हैं) के अतिरिक्त कुरियर कार्यकलाप	900.00	20.38

1	2	3	4	5	6	7
5.	टीएनटी इंडिया प्रा.लि.	नीदरलैंड्स	टीएनटी एक्सप्रेस वर्ल्ड वाइड एनवी	डाक (इस श्रेणी में पिक अप, परिवहन एवं वितरण शामिल हैं) के अतिरिक्त कुरियर कार्यकलाप	1,956.00	44.16
6.	टीएनटी इंडिया प्रा.लि.	नीदरलैंड्स	टीएनटी एक्सप्रेस वर्ल्ड वाइड एनवी	कुरियर कार्यकलाप	347.00	7.88
7.	फेडरल एक्सप्रेस (इंडिया) प्रा.लि.	यूएसए	फेडरल एक्सप्रेस कारपोरेशन	कुरियर कार्यकलाप	15.00	0.33
8.	वर्ल्ड कुरियर इंडिया प्रा.लि.	यूएसए	वर्ल्ड कुरियर ग्रुप आईएनसी यूएसए	डाक (इस श्रेणी में पिक अप, परिवहन एवं वितरण शामिल हैं) के अतिरिक्त कुरियर कार्यकलाप	2.69	0.06
9.	फेडरल एक्सप्रेस (आई) प्रा.लि.	यू.एस.ए.	फेडरल एक्सप्रेस कारपोरेशन	डाक (इस श्रेणी में पिक अप, परिवहन एवं वितरण शामिल हैं) के अतिरिक्त कुरियर कार्यकलाप	10.00	0.22
10.	ब्लू डार्ट एक्सप्रेस लि.	शेयर का अर्जन	डीएचएल एक्सप्रेस (एसजीपी) पीटीई लि.	लाजिस्टिक एवं कुरियर कार्यकलाप	4,253.04	97.23
11.	ब्लू डार्ट एक्सप्रेस लि.	शेयर का अर्जन	डीएचएल एक्सप्रेस (एसजीपी) पीटीई लि.	लाजिस्टिक एवं कुरियर कार्यकलाप	1,063.03	24.35
12.	डीएचएल वर्ल्ड वाइड एक्सपोर्ट्स (आई) प्रा.लि.	शेयर का अर्जन	डीएचएल वर्ल्ड वाईड एक्सपोर्ट्स बी.वी.	आईएलटीएल एवं एक्सप्रेस सेवाएं (कुरियर)	1,051.42	22.86
13.	प्रकाश एयर फ्राइट प्रा.लि. (आई)	शेयर का अर्जन	फेडरल एक्सप्रेस इंटरनैशनल आईएनसी	घरेलू हवाई एवं सड़क मार्ग एक्सप्रेस कुरियर सेवा	1,323.30	29.85
	कुल योग (मिलियन रु. में)				11,648.47	263.88

बचत योजनाओं पर ब्याज दर

2940. श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव: क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या डाक विभाग (डी.ओ.पी.) ने वित्त मंत्रालय से डाक विभाग की जमा और बचत योजनाओं पर ब्याज दर का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/ उठाए जा रहे हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) जी, हां।

(ख) डाक विभाग द्वारा वित्त मंत्रालय के साथ ब्याज में वृद्धि संबंधी मामले को पहले 17.11.2006 को तथा 27.2.2007 को पुन: उठाया गया।

(ग) वित्त मंत्रालय का उत्तर निम्न प्रकार है:-

"भारतीय रिजर्व बैंक के तत्कालीन डिप्टी गवर्नर डा. वाई.वी. रेड्डी की अध्यक्षता में गठित विशेष समिति द्वारा उक्त नियंत्रित ब्याज दरों पर की गई सिफारिशों तथा समय-समय पर की गई पुनरीक्षा के अनुसार लघु बचत योजनाओं पर ब्याज दरें, गौण बाजार में तुलनात्मक परिपक्वता की सरकारी प्रतिभूतियों पर औसत प्राप्ति के लिए चिह्नित की गई हैं। वर्तमान में लघु बचत योजनाओं पर ब्याज दर में वृद्धि करने का कोई प्रस्ताव सरकार के पास विचाराधीन नहीं है।"

[हिन्दी]

मुफ्त उपचार/दवाओं हेतु विशेष योजना

2941. श्री हंसराज गं. अहीर:
श्री पुन्नूलाल मोहले:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार सिकल सेल, थैलेसेमिया तथा एनीमिया जैसे रोगों से पीड़ित मरीजों को मुफ्त उपचार तथा दवाइयां प्रदान करने के लिए विशेष योजना तैयार करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या नागपुर सहित देश में इन बीमारियों के निदान, उपचार तथा तत्संबंधी शोध हेतु कोई विशेष केन्द्र स्थापित किया जा रहा है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार उपचार की लगातार आवश्यकता को देखते हुए इन मरीजों को मुफ्त दवाई करने पर विचार कर रही है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) से (ङ) ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, राष्ट्रीय रोग निधि के अंतर्गत कम/खराब सामाजिक-आर्थिक स्थिति वाले रोगी 1.00 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता मांग सकते हैं। अधिकतर अस्पतालों में सिकलसेल रक्तालप्ता और थैलेसीमिया के लिए उपचार उपलब्ध है। बाल्यावस्था के विभिन्न संक्रमणों से बचाने के लिए निवारक वैक्सीनें दी जाती हैं। थैलेसीमिया के लिए उपचार का मुख्य आधार रक्ताधान है। इस प्रयोजन के लिए विभिन्न अस्पतालों के रक्त बैंकों में पर्याप्त रक्त उपलब्ध है। भारत सरकार ने इन दोनों मदों के आयात के लिए पहले ही सीमा शुल्क में छूट दे दी है। कई थैलेसेमिक सोसाइटियां भी इस औषध को या तो नि:शुल्क अथवा कम लागत पर दे रही हैं। सिन्हा द्वारा निर्मित एक नई खाई जाने वाली चेलेटिंग औषध डेस्फेरिप्रोन वर्ष 1995 से थैलेसेमिया के उपचार के लिए उपलब्ध है। इस औषध से उपचार की लागत में लगभग 40 प्रतिशत की कमी हुई है और इसे सस्ती समझा गया है और इसके लिए रोगी की स्वीकृति भी बेहतर है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने हाल ही में अन्य राज्यों के अतिरिक्त महाराष्ट्र राज्य से केन्द्रों के रूप में नागपुर, मुम्बई और पुणे के साथ सिकलसेल रक्ताल्पता और थैलेसेमिया के बारे में दो बहु-केन्द्रिक अध्ययन पूरे किए हैं। इस परियोजना के अंतर्गत प्रभावित व्यक्तियों में सिकलसेल के संकट को कम करने के लिए उपचार की एक सरल विधि है, जिसमें पोषणिक रक्ताल्पता और लौह की अल्पता वाले एस.सी.डी. के रोगियों को दी जाने वाली फालिक अम्ल और फेरोसोलेट गोलियां शामिल हैं। सिकलसेल रक्ताल्पता के रोगियों को वासोआक्कुलुसिव संकट के दौरान इलेक्ट्रल पाऊडर और बहुतायत में तरल पदार्थ पीने की सलाह दी गई है। थैलेसेमिया, इसके निदान, उपचार और निवारण के लिए जन जागरूकता बढ़ाने की एक कार्यनीति का देश में रोग के बोझ को कम करने पर महत्वपूर्ण प्रभाव होगा जैसा कि अन्य देशों में किया गया है।

[अनुवाद]

जाली पासपोर्ट

2942. श्री एम. अप्पादुरई:
श्री राकेश सिंह:

क्या **प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एजेंटों द्वारा काफी ज्यादा राशि लेकर फर्जी पासपोर्ट तथा वीजा पर भारतीयों को विदेश, विशेष रूप से मलेशिया तथा सिंगापुर भेजने के मामले सरकार के ध्यान में आए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन एजेंटों के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई है?

प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री (श्री वायालार रवि): (क) से (ग) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

भारतीय खेल प्राधिकरण के अंतर्गत प्रशिक्षु

2943. श्रीमती ज्योतिर्मयी सिकदर: क्या **युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारतीय खेल प्राधिकरण की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत प्रशिक्षण हेतु क्या आयु सीमा निर्धारित की गई है तथा योजनावार इन प्रशिक्षणों में व्यक्तियों का नामांकन करने के लिए क्या मानदंड निर्धारित किए गए हैं;

(ख) क्या सरकार को यह जानकारी है कि भारतीय खेल प्राधिकरण की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत नामांकित कई प्रशिक्षु इन प्रशिक्षण को प्राप्त करने की निर्धारित आयु सीमा के बाद भी कोचिंग/प्रशिक्षण प्राप्त करते रहते हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं?

पंचायती राज मंत्री, युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री तथा उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर): (क) भारतीय खेल प्राधिकरण फिलहाल देश में खेलों के संवर्धन व विकास के लिए निम्नलिखित योजनाएं कार्यान्वित कर रहा है:-

(1) राष्ट्रीय खेल प्रतिभा प्रतियोगिता (एनएसटीसी) योजना;

(2) सेना बाल खेल कंपनी (एबीएससी) योजना;

(3) विशेष क्षेत्र खेल (एसएजी) योजना तथा भाखेप्रा प्रशिक्षण के विस्तार केन्द्र (एसएआई) योजना;

(4) भाखेप्रा प्रशिक्षण केन्द्र योजना (एसटीसी) और भाखेप्रा प्रशिक्षण केन्द्रों के विस्तार केन्द्र;

(5) उत्कृष्टता केन्द्र योजना।

योजना-वार आयु सीमा निम्नानुसार है:-

1. राष्ट्रीय खेल प्रतिभा प्रतियोगिता (एनएसटीसी) योजना सब-जूनियर (8-14 वर्ष)
2. सेना बाल खेल कंपनी (एबीएससी) योजना सब-जूनियर (8-16 वर्ष)
3. विशेष क्षेत्र खेल (एसएजी) योजना तथा भाखेप्रा प्रशिक्षण के विस्तार केन्द्र (एसएआई) योजना-जूनियर व सीनियर (14-21 वर्ष)
4. भाखेप्रा प्रशिक्षण केन्द्र योजना (एसटीसी) और भाखेप्रा प्रशिक्षण केन्द्रों के विस्तार केन्द्र-जूनियर व सीनियर (14-21 वर्ष)
5. उत्कृष्टता केन्द्र योजना-सीनियर राष्ट्रीय (17-25 वर्ष)।

प्रशिक्षणार्थियों को शामिल करने के लिए योजनावार निर्धारित मानदंड संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) और (ग) भाखेप्रा के दिशानिर्देशों के अनुसार एक बार प्रशिक्षणार्थी योजना के अंतर्गत उच्च आयु सीमा को पार कर लें तो उन्हें योजना के अंतर्गत बने रहने का अधिकार नहीं है। अपवादिक मामलों में जहां कि प्रशिक्षणार्थी राष्ट्रीय शिविर में हैं या मान्यता प्राप्त अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंटों में पदक विजेता हैं और उसमें फिलहाल अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में अच्छा प्रदर्शन करने की क्षमता है तो ऐसे व्यक्ति को भाखेप्रा खेल संवर्धनकारी योजना के अंतर्गत प्रशिक्षण जारी रखने की अनुमति दी जाती है बशर्ते कि सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त हो। कुछ ऐसे मामले सामने आए हैं जहां यथोचित औचित्य के बिना अपवाद किया गया है, भाखेप्रा को निर्देश दिए गए हैं कि वे भाखेप्रा की खेल विधा वार निगरानी और समीक्षा समितियों के अध्यक्ष स्थानीय अर्जुन पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं के परामर्श से ऐसे सभी मामलों की समीक्षा करें।

विवरण

भाखेप्रा की खेल संवर्धनकारी योजनाओं के अंतर्गत प्रशिक्षणार्थियों को शामिल करने के लिए योजना-वार मानदंड निम्नलिखित हैं:-

राष्ट्रीय खेल प्रतिभा प्रतियोगिता (एनएसटीसी) योजना

राष्ट्रीय खेल प्रतिभा प्रतियोगिता योजना के अंतर्गत प्रशिक्षणार्थियों का चयन क्षमता और प्रदर्शन के आधार पर किया जाता है।

(1) प्रशिक्षणार्थी जो कि राज्य/राष्ट्रीय स्तरीय प्रतियोगिताओं के पदक विजेता हैं, को योजना के अंतर्गत सीधे शामिल किया जाता है, यह उनके आयु सत्यापन और चिकित्सा फिटनेस के अधीन है।

(2) प्रशिक्षणार्थी जो कि जिला स्तरीय प्रतियोगिताओं के पदक विजेता हैं या राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं में भाग लिया है, को शामिल किया जाता है बशर्ते कि वे चिकित्सा और शारीरिक रूप से फिट हो और वर्तमान में अपेक्षित क्षमता हो, जिसका निर्धारण कई प्रकार की जांच के माध्यम से किया जाता है।

(3) सुदूर जनजातीय और तटीय क्षेत्रों से चयन के लिए प्रशिक्षणार्थियों का चयन प्रतिभागियों के बीच प्रतियोगिता आयोजित करा कर भी किया जाता है। टीम खेलों के साथ-साथ वैयक्तिक स्पर्धाओं के लिए मानदंडों के अंतर्गत प्रतिभागियों को खिलाया जाता है और इनका चयन भाखेप्रा; स्कूल/अखाड़ा, भाखेप्रा कोचों, खेल वैज्ञानिक आदि के प्रतिनिधियों से गठित एक चयन समिति द्वारा किया जाता है। इस आधार पर चुने गए खिलाड़ियों को आयु सत्यापन, चिकित्सा जांच तथा अन्य जांचों के माध्यम से फिट पाए जाने के बाद दाखिला दिया जाता है।

सेना बाल खेल कंपनी (एबीएससी) योजना

सेना बाल खेल कंपनी योजना के अंतर्गत प्रशिक्षणार्थियों का चयन क्षमता और प्रदर्शन के आधार पर किया जाता है।

(1) प्रशिक्षणार्थी जो कि राज्य/राष्ट्रीय स्तरीय प्रतियोगिताओं के पदक विजेता हैं, को योजना के अंतर्गत सीधे शामिल किया जाता है, यह उनके आयु सत्यापन और चिकित्सा फिटनेस के अधीन है।

(2) प्रशिक्षणार्थी जो कि जिला स्तरीय प्रतियोगिताओं के पदक विजेता हैं या राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं में भाग लिया है, को शामिल किया जाता है बशर्ते कि वे चिकित्सा और शारीरिक रूप से फिट हो और वर्तमान में अपेक्षित क्षमता हो, जिसका निर्धारण कई प्रकार की जांच के माध्यम से किया जाता है।

(3) सुदूर जनजातीय और तटीय क्षेत्रों से चयन के लिए प्रशिक्षणार्थियों का चयन प्रतिभागियों के बीच प्रतियोगिता आयोजित करा कर भी किया जाता है। टीम खेलों के साथ-साथ वैयक्तिक स्पर्धाओं के लिए मानदंडों के अंतर्गत प्रतिभागियों को खिलाया जाता है। और इनका चयन भाखेप्रा; सेना, एसएमसी और कोचों के प्रतिनिधियों से गठित एक चयन समिति द्वारा किया जाता है।

इस आधार पर चुने गए खिलाड़ियों को आयु सत्यापन, चिकित्सा जांच तथा अन्य जांचों के माध्यम से फिट पाए जाने के बाद निम्नलिखित तरीके से दाखिला दिया जाता है:-

1. विशिष्ट खेलों/कौशल परीक्षणों का अनुप्रयोग। इसके लिए सहभागियों को खेलों के लिए तैयार किया जा सकता है और समिति द्वारा कटौती की जा सकती है।

2. इस आयु के लिए कम किए गए सहभागियों का आयु सत्यापन 8 से 16 वर्ष के बीच होना चाहिए।

3. विशिष्ट खेल/कौशल परीक्षण को क्वालीफाई करने वाले खिलाड़ियों पर परीक्षण श्रृंखला का अनुप्रयोग।

4. उपरोक्त परीक्षणों को क्वालीफाई करने वाले खिलाड़ियों की चिकित्सा जांच।

भाखेप्रा प्रशिक्षण केन्द्र (एसटीसी) योजना

भाखेप्रा प्रशिक्षण केंद्र योजना के अंतर्गत प्रशिक्षणार्थियों का चयन क्षमता और प्रदर्शन के आधार पर किया जाता है। प्रशिक्षणार्थी जो कि राज्य/राष्ट्रीय स्तरीय प्रतियोगिताओं के पदक विजेता हैं, को योजना के अंतर्गत सीधे शामिल किया जाता है बशर्ते कि वे चिकित्सा और शारीरिक रूप से फिट हो और वर्तमान में अपेक्षित क्षमता हो, जिसका निर्धारण कई प्रकार की जांच के माध्यम से किया जाता है। प्रशिक्षणार्थी जो कि जिला स्तरीय प्रतियोगिताओं के पदक विजेता है या राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं में भाग लिया है, को शामिल किया जाता है बशर्ते कि वे चिकित्सा और शारीरिक रूप से फिट हो और वर्तमान में अपेक्षित क्षमता हो, जिसका निर्धारण कई प्रकार की जांच के माध्यम से किया जाता है।

विशेष क्षेत्र खेल (एसएजी) योजना

भाखेप्रा प्रशिक्षण केंद्र योजना के अंतर्गत प्रशिक्षणार्थियों का चयन क्षमता और प्रदर्शन के आधार पर किया जाता है। प्रशिक्षणार्थी जो कि राज्य/राष्ट्रीय स्तरीय प्रतियोगिताओं के पदक विजेता हैं, को यांजना के अंतर्गत सीधे शामिल किया जाता है बशर्ते कि वे चिकित्सा और शारीरिक रूप से फिट हो और वर्तमान में अपेक्षित क्षमता हो, जिसका निर्धारण कई प्रकार की जांच के माध्यम से किया जाता है। प्रशिक्षणार्थी जो कि जिला स्तरीय प्रतियोगिताओं के पदक विजेता है या राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं में भाग लिया है, को शामिल किया जाता है बशर्ते कि वे चिकित्सा और शारीरिक रूप से फिट हो और वर्तमान में अपेक्षित क्षमता हो, जिसका निर्धारण कई प्रकार की जांच के माध्यम से किया जाता है।

उत्कृष्टता केंद्र (सीओएक्स) योजना

1. सीनियर राष्ट्रीय प्रतियोगिता तथा जूनियर अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में सर्वोत्तम छः प्रवेश के लिए पात्र हैं बशर्ते उनमें कम से कम 2-3 वर्षों के लिए प्रतियोगितात्मक खेलों में खेलने की सामर्थ्य हो।

2. उन्नत प्रशिक्षण के लिए उत्कृष्टता में उनका प्रदेश जिन्होंने भाखेप्रा की विभिन्न योजनाओं में उत्कृष्टता प्राप्त की है और उन प्रतिभाशाली खिलाड़ियों का प्रवेश जिनका भाखेप्रा तथा राष्ट्रीय खेल परिसंघों द्वारा संयुक्त रूप से पता लगाया गया है ताकि उनमें विद्यमान खेल उत्कृष्टता को विकसित किया जा सके और उन्हें अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंटों में पदक विजेता बनाया जा सके।

[हिन्दी]

खाद्य एवं पोषण सुरक्षा

2944. श्री थावरचंद गेहलोत: क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ग्यारहवीं योजना के एप्रोच पेपर में खाद्य तथा पोषण सुरक्षा का उल्लेख सरकार द्वारा किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो ग्यारहवीं योजना के एप्रोच पेपर में उक्त मामले का उल्लेख नहीं करने के क्या कारण हैं?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. राजशेखरन): (क) और (ख) राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा यथा-अनुमोदित ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दृष्टिकोण पत्र में यह कहा गया है कि खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कृषि आय में वृद्धि और कृषि उत्पादन में आत्मनिर्भरता महत्वपूर्ण है। दृष्टिकोण पत्र में ग्यारहवीं योजना में कृषि जीडीपी विकास दर को वर्तमान में लगभग 2 प्रतिवर्ष से बढ़ाकर 4 प्रतिवर्ष करने, सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुदृढ़ करने, ग्रामीण विकास और गरीबी उपशमन कार्यक्रमों का भी उल्लेख किया गया है, जिसमें मजदूरी रोजगार कार्यक्रम, स्कूल के छात्रों को दोपहर का भोजन, आदि जैसे कार्यक्रम भी शामिल हैं जिन्हें खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने और लोगों की पोषाहार स्थित में सुधार हेतु माध्यम (इंस्ट्रूमेण्ट) के रूप में प्रयोग किया गया है। लोगों के विभिन्न समूहों की पोषाहार स्थित में सुधार हेतु अन्य कार्यक्रमों में बच्चों को पूरक पोषाहार के लिए एकीकृत बाल विकास कार्यक्रम (आईसीडीएस) तथा गुणत्ता स्वास्थ्य देखभाल, स्वच्छता एवं पोषाहार तक पहुंच एवं उपलब्धता में सुधार हेतु राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य देखभाल, स्वच्छता एवं पोषाहार तक पहुंच एवं उपलब्धता में सुधार हेतु राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एनएचआरएम) शामिल हैं। दृष्टिकोण पत्र में कहा गया है कि 0-3 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों में कुपोषण को वर्तमान स्तर से आधा करना ग्यारहवीं योजना के मानीटरिंग योग्य सामाजार्थिक लक्ष्यों में से एक है।

(ग) उपर्युक्त की दृष्टि से प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

पथकर को युक्तियुक्त बनाना

2945. श्री के.एस. राव: क्या **पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार सड़कों तथा पुलों पर हमेशा के लिए पथकर संग्रह करने का है तथा सड़क परियोजना पर लगी पूंजी तथा ब्याज के पूरी तरह से वसूल हो जाने के बाद भी बहुकराधान प्रणाली को जारी रखने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) 'बनाओ, चलाओ तथा सौंपो' (बीओटी) के अंतर्गत लोक निर्माण विभाग को सड़क का हस्तांतरण किए जाने के बाद सड़कों रख-रखाव हेतु पथकर को युक्तियुक्त बनाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) राष्ट्रीय राजमार्ग (राष्ट्रीय राजमार्ग खंड और स्थाई पुल के प्रयोग के लिए फीस-लोक वित्त पोषित परियोजना) नियमावली, 1997 की धारा 11 के अनुसार फीस स्थाई रूप से एकत्र की जाएगी।

[हिन्दी]

बांधों तथा जल निकायों से मीथेन का उत्सर्जन

2946. **श्री सैयद शाहनवाज हुसैन:**
श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया:

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ब्राजील की नेशनल इंस्टीट्यूट आफ स्पेस रिसर्च के एक अध्ययन में पता चला है कि भारतीय बांध तथा जल निकाय विश्व में 27.86 प्रतिशत मिथेन का उत्सर्जन करते हैं जो कि एक ग्रीन हाउस गैस है जिसका ग्लोबल वार्मिंग में अत्यधिक योगदान है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) इस विभीषिका से बचने के लिए ग्रीन हाउस गैस के इस प्रबल कारक के सुरक्षित उत्सर्जन के लिए किन कदमों पर विचार किया जा रहा है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायण मीना): (क) से (ग) ब्राजील में किए गए अनुसंधान अध्ययनों पर आधारित कुछ समाचार प्रकाशित हुए थे और उन्हें बिना किसी भारतीय प्रायोगिक आंकड़े के बढ़ा दिया गया था। वैज्ञानिक रूप से, ग्लोबल वार्मिंग को को बढ़ाने वाली मीथेन गैस बांधों के जलाशयों से उत्सर्जित होती है। तथापि, आज की तारीख तक भारतीय बांधों को जलाशयों से उत्सर्जित होने वाली मीथेन से संबंधित कोई वैज्ञानिक अध्ययन नहीं किया गया है।

[अनुवाद]

मृदु पेयों में एस्परटेम का उपयोग

2947. **श्री कुलदीप बिश्नोई:** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रासायनिक स्वीटेनर 'एस्परटेम' का उपयोग डायट या तथाकथित शून्य कैलोरी मृदु पेयों में किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा लंबे समय में मानव पर एस्परटेम के उपयोग का क्या दुष्प्रभाव है; और

(ग) मृदु पेयों में एस्परटेम के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने के लिए सरकार ने क्या कार्रवाई की है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) और (ख) खाद्य अपमिश्रण निवारण नियम, 1955 के तहत आर्टिफिशियल स्वीटनर 'एस्परटेम' को लेबलिंग आवश्यकताओं के साथ 700 पीपीएम की अधिकतम सीमा तक कार्बोनेटिड जल में प्रयोग करने की अनुमति है। लेबलिंग आवश्यकताओं के अनुसार, खाद्य का प्रत्येक पैकेज जिसमें आर्टिफिशियल स्वीटनर अंतर्विष्ट करने की अनुमति है पर और ऐसे खाद्य पदार्थों के किसी भी विज्ञापन में निम्नलिखित लेबल होना चाहिए:-

इसमें आर्टिफिशियल स्वीटनर अंतर्विष्ट हैं एवं कैलोरी जागरूक व्यक्तियों के लिए

कार्बोनेटेड जल में एस्परटेम हेतु निर्धारित अधिकतम स्तर सुरक्षित माना जाता है। खाद्य संयोजकों संबधी संयुक्त खाद्य एवं कृषि संगठन/विश्व स्वास्थ्य संगठन विशेषज्ञ समिति द्वारा एस्परटेम का सुरक्षा मूल्यांकन किया गया है। खाद्य अपमिश्रण निवारण नियम, 1955 के तहत कार्बोनेटिड जल में एस्परटेम हेतु निर्धारित सीमा खाद्य संयोजकों संबंधी संयुक्त खाद्य एवं कृषि संगठन/विश्व स्वास्थ्य संगठन विशेषज्ञ समिति द्वारा एस्परटेम हेतु निर्धारित स्वीकार्य दैनिक उपभोग (40 एमजी/केजी बाडी वेट) के स्तर से कम है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

महाराष्ट्र में राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण

2948. **श्री तुकाराम गणपतराव रेंगे पाटील:**
श्री प्रतीक पी. पाटील:

क्या **पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा महाराष्ट्र में निर्मित अथवा निर्मित की जाने वाली सड़कों का क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) इन परियोजनाओं को पूरा करने के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार सांगली-कोल्हापुर-सांगलीपेठ सड़क को चार लेनों का बनाने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) और (ख) गत तीन वर्षों के दौरान महाराष्ट्र में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा निर्मित अथवा निर्माण के लिए प्रस्तावित सड़कों के क्षेत्रवार ब्यौरे संलग्न विवरण-I और II में दिए गए हैं।

(ग) और (घ) जी, नहीं। यह मंत्रालय मुख्यत: राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास और अनुरक्षण के लिए जिम्मेदार है तथा सांगली-कोल्हापुर-सांगली पेठ सड़क एक राष्ट्रीय राजमार्ग नहीं है।

विवरण I

महाराष्ट्र में गत तीन वर्षों के दौरान पूर्ण हो चुकी सड़क लंबाई के ब्यौरे

(लंबाई किमी. में)

	2004-05	2005-06	2006-07
स्वर्णिम चतुर्भुज	137.53	24.72	8.25
उत्तर-दक्षिण	–	–	–
पत्तन संपर्क	–	30	–
राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण-III	–	30	–
जोड़	137.53	84.72	8.25

विवरण II

महाराष्ट्र में चालू परियोजनाओं के ब्यौरे

(लंबाई किमी. में)

क्र.सं.	खंड	राष्ट्रीय राजमार्ग सं.	लंबाई (किमी.)	पूरा होने की प्रत्याशित तिथि
1	2	3	4	5
	उत्तर दक्षिण महामार्ग			
1.	काम्पटी कानून और नागपुर बाइपास सहित मध्य प्रदेश/महाराष्ट्र सीमा से नागपुर तक चार लेन बनाना (689 से 723 किमी.)	7	95.00	दिसंबर, 2008
2.	बूटीबोरी-आरओबी (22.850 से 24.650 किमी.)	7	1.80	जून, 2008
3.	बोरखेडी-जाम (36.6 से 64.0 किमी.)	7	27.40	जून, 2008
4.	जाम-वाडनेर (64 से 94 किमी.)	7	30.00	जून, 2008
5.	वाडनेर-देवधारी (94 से 123 किमी.)	7	29.00	अप्रैल, 2009
6.	देवधारी-केलापुर (123 से 153 किमी.)	7	30.00	दिसंबर, 2008

1	2	3	4	5
7.	केलापुर-पिम्पलखट्टी (153 से 175 किमी.)	7	22.00	नवम्बर, 2008
	पत्तन संपर्क			
8.	जवाहरलाल नेहरू पत्तन चरण-II 54 + आमरामार्ग + पनवेल क्रीक पुल	एसएच-54	14.35	दिसंबर, 2007
	एनएचडीपी चरण-III			
9.	धूले से पिम्पलगांव (380 से 265 किमी.)	3	118.00	दिसंबर, 2008
10.	गोडे-बडापे (थाणे) (440 से 539 किमी.)	3	100.00	अप्रैल, 2009
11.	कौधाली-तेलेगांव (50 से 100 किमी.)	6	50.00	मार्च, 2009
12.	नागपुर-कौंधाली (9.2 से 50 किमी.)	6	40.00	दिसंबर, 2008
13.	छत्तीसगढ़/महाराष्ट्र सीमा-वेनगंगा पुल	6	80.06	दिसंबर, 2013 में अथवा इससे पहले
14.	नागपुर-वेनगंगापुल	6	60.00	-वही-
15.	मध्य प्रदेश/महाराष्ट्र सीमा-धुले	3	97.00	-वही-
16.	पिम्पल गांव-नहिक गोंडे	3	60.00	-वही-
17.	कलमबोली-मुम्बरा (6 लेन)	4	20.00	-वही-
18.	पुणे-शोलापुर	9	170.00	-वही-
19.	पनवेल-इन्दापुर	17	84.00	-वही-
20.	तेलेगांव-अमरावती	6	58.00	-वही-

[अनुवाद]

मलेरिया हेतु नई दवा

2949. श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इंडियन इंस्टिट्यूट आफ साइंस, बंगलौर में मलेरिया के लिए हल्दी आधारित एक नई दवा का विकास किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) और (ख) जी, हां।

करकयूमिन, व्यापक तौर पर प्रयुक्त आयुर्वेदिक यौगिक हल्दी से लिया जाता है। करक्यूमिन एक प्रबल जीवविज्ञानी यौगिक है जिसे संवर्द्धन में पी फाल्सीपेरम की वृद्धि को रोकते हुए देखा गया है। मलेरिया परजीवी (प्लास्मोडियम बरघई) से संक्रमित चूहों में करक्यूमिन के मुखसेव्य उपयोग से ब्लड पेरासिटेमिया 80-90 प्रतिशत कम हो जाता है तथा चूहों की उत्तरजीविता काफी बढ़ जाती है।

औषध को केवल सफल क्लीनिकीय परीक्षणों तथा खाद्य एवं औषध प्रशासन द्वारा अनुमोदन के बाद ही कार्यक्रम में शामिल किया जा सकता है।

'कच्छ वनस्पति रोपण'

2950. श्री जोवाकिम बरला: क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास उड़ीसा तथा पश्चिम बंगाल सहित देश के तटवर्ती क्षेत्रों में कच्छ वनस्पति रोपण को प्रोत्साहित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायण मीना): (क) और (ख) कच्छ वनस्पतियों के विकसित होने और उनके बने रहने के लिए लवणीय व ताजे जल के उपयुक्त मिश्रण तथा मडफ्लैट जैसे साफ्ट सब्सट्रेट की आवश्यकता होती है। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने कच्छ वनस्पतियों के रोपण, उनके संरक्षण तथा प्रबंधन के लिए देश में 38 स्थलों को उपर्युक्त स्थलों के रूप में अभिनिर्धारित किया है। उड़ीसा तथा पश्चिम बंगाल सहित राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

कच्छ वनस्पतियों के संरक्षण और प्रबंधन संबंधी योजना के अंतर्गत तटीय राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों को अभिनिर्धारित स्थलों में सर्वेक्षण और सीमांकन, कच्छ वनस्पति रोपण, पुन:स्थापन और पुनरुद्धार, पूरक और वैकल्पिक व्यवसायों के लिए आजीविका सहायता, सुरक्षा और निगरानी उपायों, शिक्षा तथा जागरूकता आदि घटकों हेतु अनुमोदित प्रबंधन कार्य योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए 100 प्रतिशत केन्द्रीय सहायता दी जाती है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

राज्य/संघ शासित क्षेत्र	कच्छ वनस्पति क्षेत्र
1	2
पश्चिम बंगाल	1. सुन्दरबन
उड़ीसा	2. भतारकनिया
	3. महानदी
	4. सुबर्नरेखा
	5. देवी
	6. धामरा
	7. मैंगरोव जेनेटिक रिसोंस सेंटर
	8. चिल्का
आंध्र प्रदेश	9. कोरिंगा
	10. ईस्ट गोदावरी
	11. कृष्णा
तमिलनाडु	12. पंचावरम
	13. मुथुपेट
	14. रामनाद
	15. पुलिकट
	16. काजुवेली
अंडमान एवं निकोबार	17. नार्थ अंडमानस
	18. निकोबार
केरल	19. वेमबानाद
	20. कन्नुर (नार्थ केरल)
कर्नाटक	21. कूण्डापुर
	22. दक्षिण कन्नाडा/हान्नावर
	23. कारवर
	24. मंगलौर फारेस्ट डिविजन
गोवा	25. गोवा
महाराष्ट्र	26. आचरा-रत्नागिरि
	27. देवगढ़ विजय दूर्ग
	28. वेलदुर
	29. कंडालिका-रेवदांदा
	30. मुम्बरा-दिवा
	31. विकरोली
	32. श्रीवर्धन
	33. वेतरना
	34. वेसाई-मानोरी
	35. मानवन
गुजरात	36. कच्छ की खाड़ी
	37. खंभात की खाड़ी
	38. दमास-उभारत

पारंपरिक खेलों का उन्नयन

2951. श्री एस.के. खारवेनथन: क्या युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास कबड्डी तथा खो-खो, इत्यादि जैसे पारंपरिक खेलों के स्तर के उन्नयन हेतु कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पंचायती राज मंत्री, युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री तथा उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर): (क) से (ग) वर्तमान में, स्वामित्वधारियों के साथ विचाराधीन वृहत खेल नीति, 2007 के प्रारूप में परंपरागत खेलों के संबंध में निम्नलिखित कहा गया है:-

> "व्यापक खेल नीति के समग्र रणनीति कि एक मुख्य तत्व में, देशज खेलों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मान्यता दिलाना है जिनमें हमें सांस्कृतिक और सभ्यता की दृष्टि से लाभ हो, ऐसी गतिविधि जिससे समुदाय में गर्व और आत्मविश्वास बढ़े, जहां विशेषज्ञता और प्रशिक्षण/कोचिंग की सुविधाएं स्थानीय रूप से उपलब्ध हों, जहां स्थानीय दर्शक प्रतिभागिता निश्चित हों, जहां स्थानीय और अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण पर्यटन की उम्मीद हो और जहां देशज खेल अंतर्राष्ट्रीय मान्यता और समर्थन प्राप्त कर सकें जैसे कि पूर्वी एशियाई खेल विधाओं जैसे जूडो, कराटे, वुशु और ताईक्वांडों से हासिल किया है, शामिल हैं।"

इसी बीच, सरकार अपनी विभिन्न योजनाओं तथा भारतीय खेल प्राधिकरण की योजनाओं के माध्यम से देश से बाहर अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धाओं में प्रशिक्षण और भाग लेने, भारत में राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंटों के आयोजन, भारतीय तथा विदेशी कोचों के द्वारा राष्ट्रीय टीमों/खिलाड़ियों को कोचिंग/प्रशिक्षण, उपकरणों की प्राप्ति तथा अन्य वैज्ञानिक सहायता के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराकर कबड्डी और खो-खो जैसे परंपरागत खेलों के क्षेत्र में कार्य करने वाले परिसंघों के प्रयासों की अनुपूर्ति करती है।

राष्ट्रीय खेल प्रतिभा स्पर्धा योजना के तहत नवोदय विद्यालयों को अंगीकृत करके; अखाड़ों को अंगीकृत करके; और जनजातीय, समुद्र तटीय, पर्वतीय व ग्रामीण क्षेत्रों के लिए विशेष क्षेत्र खेल योजना के माध्यम से परंपरागत खेलों के संवर्धन के लिए भाखेप्रा के प्रयासों को गति प्रदान की जाती है।

इसके अलावा, भारतीय खेल प्राधिकरण खेलकूद को विस्तृत आधार प्रदान करने तथा ग्रामीण क्षेत्रों से छुपी हुई प्रतिभा को ढूढ़ें निकालने के लिए अखिल भारतीय ग्रामीण खेल टूर्नामेंट तथा पूर्वोत्तर खेल महोत्सव योजना भी कार्यान्वित कर रहा है।

[हिन्दी]

चंबल सफाई परियोजना के लिए निधियां

2952. श्री रघुवीर सिंह कौशल: क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राजस्थान में चंबल सफाई परियोजना को संशोधित किया गया है तथा इस संबंध में राशि को बढ़ा दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में राजस्थान सरकार की सहमति प्राप्त कर ली गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या उक्त परियोजना को पूरा करने के लिए कोई समय-सीमा निर्धारित की गई है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायण मीणा): (क) से (च) राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना के अंतर्गत चम्बल नदी में प्रदूषण उपशमन के लिए राजस्थान के केशोरायपाटन के लिए सीवेज के अवरोधन, दिशा परिवर्तन और शोधन, अल्प लागत शौचालय, नदी तट विकास और उन्नत काष्ठ आधारित शवदाहगृह से संबंधित चार स्कीमें स्वीकृत की गई है और कोटा के लिए अल्प लागत शौचालय, नदी तट विकास और उन्त काष्ठ आधारित शवदाहगृह से संबंधित तीन स्कीमें स्वीकृत की गई हैं। इन स्कीमों की कुल स्वीकृत लागत 1.36 करोड़ रुपए है। आज तक, सात स्वीकृत स्कीमों में से 6 पूरी हो चुकी है और शेष एक कार्यान्वयनाधीन है।

इसके अतिरिक्त, राजस्थान सरकार से कोटा के लिए 23.60 करोड़ रुपए की लागत से "अवरोधन, दिशा परिवर्तन और सीवेज शोधन" का एक परियोजना प्रस्ताव केन्द्र और राज्य सरकार

के बीच 70:30 लागत हिस्सेदारी आधार पर प्राप्त हुआ है। चूंकि प्रस्ताव में कोटा शहर का सारा प्रदूषण भार शामिल नहीं किया गया है, इसलिए राज्य सरकार से मंत्रालय के दिशा-निर्देशों के अनुसार संशोधित प्रस्ताव तैयार करके भेजने को कहा गया है।

[अनुवाद]

खेलकूद को बढ़ावा

2953. श्री जी.एम. सिद्दीश्वर: क्या युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान तथा आज तक किन-किन खेलों को बढ़ावा दिए जाने हेतु अनुदान प्रदान किए गए हैं तथा कितनी राशि जारी की गई;

(ख) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान केन्द्रीय सहायता से राज्यों में खेलकूद के विकास के लिए मूलभूत सुविधाएं प्रदान किए जाने संबंधी सरकार की योजना क्या है;

(ग) राज्यवार तथा स्थानवार केन्द्रीय सहायता से कितने स्टेडियम निर्मित किए गए या निर्मित किए जाने हेतु प्रस्तावित हैं; और

(घ) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान इन स्टेडियमों के निर्माण को पूरा करने के लिए कितनी केन्द्रीय सहायता प्रदान किए जाने की संभावना है?

पंचायती राज मंत्री, युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री तथा उत्तर-पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर): (क) सरकार ने राष्ट्रीय खेल परिसंघों तथा भारतीय ओलंपिक संघ को उनसे संबंधित खेल विधाओं के संवर्धन और विकास के लिए उन्हें मान्यता प्रदान की है। सरकार विभिन्न खेल विधाओं के विकास और उनमें उत्कृष्टता के लिए इन परिसंघों के प्रयासों को पूरा करने में पर्याप्त सहायता दे रही है। यह सहायता राष्ट्रीय खेल परिसंघों को वित्तीय सहायता की योजना के अंतर्गत भारत में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंटों के आयोजन के लिए, टूर्नामेंटों और विदेशों में होने वाली प्रतियोगिताओं में भारतीय टीमों की सहभागिता के लिए, भारतीय और विदेशी कोचों के माध्यम से कोचिंग के लिए अपेक्षित तकनीकी समर्थन सहित बैक-अप के लिए, उपकरण आदि मुहैया कराने के लिए दी जाती है।

पिछले तीन वर्षों के दौरान, 18 जून, 2007 तक दी गई वित्तीय सहायता का परिसंघ-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

इसके अलावा मंत्रालय द्वारा प्रतिभा खोज और प्रशिक्षण की योजना तथा राष्ट्रीय खेल विकास निधि के माध्यम से देश और विदेश में सहभागिता के लिए उत्कृष्ट खिलाड़ियों को अलग-अलग सीधे सहायता दी जा रही है।

(ख) देश के विभिन्न भागों में अत्याधुनिक प्रशिक्षण अवसंरचना की स्थापना के लिए भाखेप्रा की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत कार्रवाई की जा रही है जिससे देशभर में फैले उनके विभिन्न केंद्रों में खेल प्रतिभा का पता लगाया जा सके और उन्हें पोषण किया जा सके। इनमें पता लगाई गई विभिन्न खेल विधाओं के लिए विशेष क्षमता वाले क्षेत्र भी शामिल हैं। देश भर में 230 केंद्रों में अपेक्षित वैज्ञानिक समर्थन से लगभग 13000 प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षित किया जा रहा है।

खेल अवसंरचना की उपलब्धता में व्यापक अंतर, विशेष रूप से बुनियादी स्तर पर अंतर, को ध्यान में रखते हुए मंत्रालय को योजना आयोग से पंचायत युवा क्रीडा और खेल अभियान नामक राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम प्रारंभ करने का सिद्धांत रूप में अनुमोदन मिल गया है। इस अभियान का उद्देश्य दस वर्षों की अवधि में चरणबद्ध ढंग से सभी ग्रामों और इंटरमीडिएट पंचायतों में मूलभूत खेल अवसंरचना उपलब्ध कराना है।

(ग) और (घ) 31.3.2005 तक, मंत्रालय द्वारा प्रायोजित खेल अवसंरचना योजना के तहत सहायता उपलब्ध कराकर ग्रामीण क्षेत्रों सहित विभिन्न स्थानों में खेल सुविधाओं के सृजन के लिए राज्य सरकारों के प्रयासों को बढ़ावा दे रहा था। लेकिन 1.4.2005 से खेल अवसंरचना संबंधी योजनाएं राज्य क्षेत्र को हस्तांतरित कर दी गई थी।

खेल अवसंरचना के सृजन के लिए अनुदान की पूर्व योजना के अंतर्गत पिछले तीन वर्षों के दौरान केंद्रीय सहायता से पूरी की गई खेल अवसंरचना के राज्य-वार ब्यौरे विवरण-II में दर्शाए गए हैं।

चालू वित्तीय वर्ष 2007-08 के दौरान पूर्ववर्ती खेल अवसंरचना योजना के अंतर्गत कोई धनराशि उपलब्ध नहीं कराई गई है। राज्य-सरकारों को चल रही परियोजनाओं को अपने स्वयं के संसाधनों से पूरा करना होगा जिसके लिए योजना आयोग से अपने राज्य के वार्षिक प्लान में धनराशि के अतिरिक्त आबंटन के लिए मांग कर सकते हैं।

विवरण I

(रु. लाखों में)

क्र.सं.	परिसंघ का नाम	2004-2005	2005-2006	2006-2007	2007-2008 (18.6.2007 तक)
1	2	3	4	5	6
1.	अखिल भारतीय कैरम परिसंघ	14.25	13.98	12.68	6.42
2.	अखिल भारतीय शतरंज परिसंघ	111.90	78.94	112.46	0
3.	अखिल भारतीय कराटे-डो परिसंघा	0.00	0.00	3.45	0
4.	अखिल भारतीय बधिर खेल परिषद	30.02	13.43	19.15	5.73
5.	भारतीय एमेच्योर बेसबाल परिसंघ	12.50	07.00	15.49	0
6.	भारतीय एमेच्योर हैंडबाल परिसंघ	14.00	34.57	38.64	10.50
7.	भारतीय आत्यापात्या परिसंघ	7.50	12.00	15.50	4.00
8.	भारतीय बाल बैडमिंटन परिसंघ	5.50	0.00	0.00	0
9.	भारतीय बास्केटबाल परिसंघ	49.61	41.21	36.31	4.84
10.	भारतीय साईकल पोलो परिसंघ	6.75	0.00	30.00	0
11.	भारतीय फेंसिंग संघ	17.07	43.78	45.70	0
12.	भारतीय जिम्नास्टिक परिसंघ	18.88	14.88	66.47	2.54
13.	भारतीय शरीर सौष्ठव परिसंघ	0.00	0.00	0.00	0
14.	भारतीय कयाकिंग और केनोइंग संघ	16.06	36.50	21.23	2.67
15.	भारतीय पोलो संघ	1.62	01.10	1.55	0.40
16.	भारतीय पावर लिफ्टिंग परिसंघ	13.00	15.00	8.50	1.50
17.	भारतीय जूडो परिसंघ	56.37	64.66	48.62	6.90
18.	भारतीय खो-खो परिसंघ	18.92	12.00	2.00	0
19.	भारतीय कोर्फ बाल परिसंघ	12.50	09.00	12.50	6.00
20.	अखिल भारतीय टेनिस संघ	136.87	77.45	90.07	23.41
21.	भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ	218.37	433.43	373.19	122.44
22.	भारतीय नेटबाल परिसंघ	7.50	11.50	8.50	2.50
23.	भारतीय रोलर स्केटिंग परिसंघ	15.00	9.00	0.00	0

1	2	3	4	5	6
24.	भारतीय रोइंग परिसंघ	118.43	51.65	9.75	0
25.	भारतीय सेपक टकारो परिसंघ	7.50	10.50	13.50	3.00
26.	भारतीय शूटिंग बाल परिसंघ	12.00	0.00	0.00	0
27.	भारतीय साफ्ट बाल परिसंघ	14.00	9.80	10.00	0
28.	भारतीय स्क्वैश राकेट परिसंघ	119.37	15.42	21.94	0
29.	भारतीय तैराकी परिसंघ	11.76	53.33	13.59	0
30.	भारतीय टेबल टेनिस परिसंघ	116.78	165.10	178.75	0
31.	भारतीय ताइक्वांडो परिसंघ	6.00	0.00	0.00	0
32.	भारतीय टेनी-कोइट परिसंघ	10.50	11.00	13.00	1.50
33.	भारतीय टेनिस बाल क्रिकेट परिसंघ	7.00	17.00	11.50	3.50
34.	भारतीय रस्साकशी परिसंघ	12.50	11.50	20.75	0
35.	भारतीय वालीबाल परिसंघ	32.17	94.97	58.17	16.84
36.	भारतीय याटिंग संघ	159.88	141.30	78.40	0.77
37.	भारतीय वुशू संघ	10.50	7.10	10.50	0
38.	भारतीय थ्रो बाल परिसंघ	0.00	9.00	1.50	0
39.	पैरालंपिक	0.00	13.50	48.71	0
40.	भारतीय तीरंदाजी संघ	58.95	51.75	96.48	12.58
41.	भारतीय बिलियर्डस और स्नूकर परिसंघ	23.52	28.57	16.13	1.49
42.	भारतीय एमेच्योर मुक्केबाजी परिसंघ	81.28	142.74	97.81	20.64
43.	भारतीय हाकी परिसंघ	194.21	96.46	92.09	0
44.	भारतीय महिला हाकी परिसंघ	110.35	78.81	111.64	0
45.	भारतीय एमेच्योर कबड्डी परिसंघ	25.00	24.69	13.95	7.00
46.	भारतीय भारोत्तोलन परिसंघ	79.88	51.41	3.28	0
47.	भारतीय एथलेटिक परिसंघ	215.08	227.95	86.83	58.30
48.	भारतीय बैडमिंटन संघ	160.16	271.94	117.65	5.33
49.	भारतीय घुड़सवारी परिसंघ	32.76	31.20	29.06	0
50.	फुटबाल	119.36	70.37	30.55	47.84

1	2	3	4	5	6
51.	भारतीय गोल्फ यूनियन	32.48	37.84	33.65	2.01
52.	भारतीय कुश्ती परिसंघ	225.35	209.82	32.58	6.15
53.	भारतीय शीतकालीन खेल परिसंघ	9.64	12.51	1.65	0
54.	भारतीय महिला क्रिकेट परिसंघ	0.00	0.00	1.00	0
55.	भारतीय साईक्लिंग परिसंघ	16.38	11.73	1.00	0
56.	स्पेशल ओलंपिक भारत	0.00	0.00	4.50	1.50
57.	भारतीय ओलंपिक संघ	13.48	28.53	538.10	6.71
58.	भारतीय खेल प्राधिकरण	550.00	950.00	500.00	0
	कुल	3370.46	3866.92	3222.66	455.75

टिप्पणी: बंगाल ओलंपिक संघ को भारत-बंगला खेल के आयोजन के लिए 2006-2007 में 150.00 लाख रु. की एकमारीय अनुदान राशि जारी की गई थी।

विवरण II

खेल अवसंरचना के सृजन के लिए अनुदानों की योजना के अंतर्गत पूरी की गई परियोजनाओं की सूची

क्र.सं.	परियोजना का नाम/संबंधित फाईल संख्या के साथ स्थिति	जारी की गई राशि (रु. लाखों में)
1	2	3
	2004-2005	
1.	गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेण्डरी चिन्नादपुरम, जिला कुरूर, तमिलनाडु में वालीबाल कोर्ट सं. एफ. 25-15/2000-खेल-1	0.24150
2.	आर.के. मिशन विद्यालय कोयम्बटूर, तमिलनाडु में इंडोर स्टेडियम (श्रेणी-1) सं. एफ. 25-2/2004-खेल-1	9.00
3.	पाटिल मैदान, अजमेर, राजस्थान में इंडोर स्टेडियम श्रेणी-3 सं. एफ. 23-3/2000-खेल-1	8.725
4.	महाराष्ट्रीय मंडल, पुणे, महाराष्ट्र द्वारा पुणे में आऊटडोर स्टेडियम श्रेणी-1 सं. एफ. 16-8/99-खेल-1	8.00
5.	नागरकोईल, कन्याकुमारी जिला, तमिलनाडु में तरणताल श्रेणी-2 सं. एफ. 25-3/2000-खेल-1	2.50
6.	गवर्नमेंट हायर सेकेण्डरी स्कूल, उपीदम आंगुलम, जिला करूर, तमिलनाडु में वालीबाल कोर्ट सं. एफ. 25-15/2000-खेल-1	1.80

1	2	3
7.	येल्लापुर, जिला उत्तर कन्नड़, कर्नाटक में ताल्लुक स्टेडियम सं. एफ. 13-3/93-खेल-1	1.80
8.	गवर्नमेंट वोकेशनल हायर सेकेण्डरी स्कूल, कयार जिला कासरगेट, केरल में खेल का मैदान सं. एफ. 14-5/2000-खेल-1	1.50
9.	हवेरी, कर्नाटक में ताल्लुक स्टेडियम सं. एफ. 13-16/94-खेल-1	2.00
10.	गवर्नमेंट सीनियर सेकेण्डरी स्कूल, लोहरा, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश में बास्केटबाल कोर्ट सं. एफ. 11-4/99-खेल-1	0.10
11.	कोटली मंडी, हिमाचल प्रदेश में मिनी स्टेडियम सं. एफ. 11-6/95-खेल-1	0.22400
12.	गवर्नमेंट सीनियर सेकेण्डरी स्कूल, चलतरा, जिला मंडी, हिमाचल प्रदेश में बास्केटबाल कोर्ट सं. एफ. 11-7/2001-खेल-1	0.06250
13.	कुरुक्षेत्र हरियाणा में आऊटडोर स्टेडियम सं. एफ. 6-207/86-खेल-1	1.75
14.	आर.सी. किरे, जिला हासन, कर्नाटक में आऊटडोर स्टेडियम	1.05
15.	जिला स्टेडियम बीजापुर कर्नाटक में साइक्लिंग ट्रैक सं. एफ. 13-8/2002-खेल-1	5.40
16.	जिला यूनिट स्टेडियम, कांचीपुरम तमिलनाडु में खेल मैदान का विकास सं. एफ. 25-6/2000-खेल-1	2.35
17.	मंदसौर मध्य प्रदेश में तरणताल श्रेणी-1 सं. एफ. 15-3/2000-खेल-1	4.90
18.	राजकोट म्यूनिसिपल कार्पोरेशन, गुजरात में इंडोर स्टेडियम श्रेणी-1 सं. एफ. 9-2/99-खेल-1	20.00
19.	अरियालूर, तमिलनाडु में जिला स्तरीय खेल परिसर सं. एफ. 25-5/2001-खेल-1	6.90
20.	गवर्नमेंट हायर सेकेण्डरी स्कूल वेस्ट मम्बालो, अशोक नगर, चेन्नई, तमिलनाडु में फुटबाल मैदान का विकास सं. एफ. 25-16/2000-खेल-1	0.739
21.	लखनऊ, उत्तर प्रदेश में राज्य स्तरीय खेल परिसर सं. एफ. 27-50/92-खेल-1	5.00
22.	अड्डूकोट्टई, तमिलनाडु में जिला स्तरीय खेल परिसर सं. एफ. 25-4/2000-खेल-1	10.42925

1	2	3
23.	महबूब नगर, आंध्र प्रदेश में तरणताल श्रेणी-2 सं. एफ. 4-19/2000-खेल-1	24.00
24.	बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश में खेल छात्रावास सं. एफ. 11-6/99-खेल-1	4.50
25.	लाला दीवानचन्द मोडेरू, कुश्ती एवं योग केन्द्र, छारा झज्जर, हरियाणा द्वारा छारा झज्जर में इंडोर स्टेडियम श्रेणी-2 सं. एफ. 10-4/2001-खेल-1	4.41
26.	पड्डल ग्राउण्ड, मण्डी हिमाचल प्रदेश में इंडोर हाल श्रेणी-3 सं. एफ. 11-3/99-खेल-1	3.00
27.	आर.एल. तावड़े फाउण्डेशन, महाराष्ट्र सं. एफ. 16-22/2000-खेल-1	4.54
28.	मदुरै, तमिलनाडु में तरणताल श्रेणी-2 सं. एफ. 25-2/98-खेल-1	12.50
29.	श्रीकाकुलम, आंध्र प्रदेश में तरणताल श्रेणी-2 सं. एफ. 4-3/2000-खेल-1	6.25
	उत्तर-पूर्व राज्य	
30.	जिला टेबल टेनिस संघ, थाऊबाल, मणिपुर द्वारा थाऊबाल में इंडोर स्टेडियम श्रेणी-3 सं. एफ. 17-11/99-खेल-1	3.00
31.	नाकोहाऊ, नागालैण्ड में खेल मैदान सं. एफ. 20-16/2001-खेल-1	0.25
32.	कूमपूंग, नागालैण्ड में खेल मैदान सं. एफ. 20-18/2001-खेल-1	0.25
33.	गांगचुंग, नागालैण्ड में खेल मैदान सं. एफ. 20-21/2001-खेल-1	0.19
34.	लोंगिया, नागालैण्ड में खेल मैदान सं. एफ. 20-11/2001-खेल-1	0.25
35.	पूनबक, नागालैण्ड में खेल मैदान सं. एफ. 20-6/2001-खेल-1	0.25
36.	नाकसेन, नागालैण्ड में खेल मैदान सं. एफ. 20-22/2001-खेल-1	0.04
37.	एक्सप्रेशन, वालंटियर आर्गेनाइजेशन, दीमापुर नागालैण्ड द्वारा दीमापुर में तरणताल श्रेणी-1 सं. एफ. 20-3/99-खेल-1	36.50
38.	नागालैण्ड टेनिस संघ, नागार्जुन, दीमापुर, नागालैण्ड द्वारा नागार्जुन में इंडोर स्टेडियम श्रेणी-2 सं. एफ. 20-14/2000-खेल-1	27.50

1	2	3
39.	चानवांकन डेवलपमेंट सोसायटी, नागालैण्ड द्वारा चेन में आऊटडोर स्टेडियम श्रेणी-1 सं. एफ. 20-8/98-खेल-1	13.00
40.	वेदा स्पोर्टिंग क्लब, नागालैण्ड द्वारा चेन में इंडोर स्टेडियम श्रेणी-2 सं. एफ. 20-9/98-खेल-1	27.50
41.	मणिपुर टेनिस संघ, मणिपुर द्वारा लामफाल पाट इम्फाल में टेनिस कोर्ट सं. एफ. 17-2/2002-खेल-1	1.50
42.	उमरांगस्नू, असम में आऊटडोर स्टेडियम श्रेणी-1 सं. एफ. 6-2/2004-खेल-1	27.00
	2005-2006	
1.	खेलकूद के विकास के लिए महाराष्ट्र अनुदान को 2005-06 के दौरान अनुदान की दूसरी किश्त जारी की गई सं. एफ. 16-6/95-खेल-1	0.08
2.	अमलपुरम जिला ईस्ट गोदावरी आंध्र प्रदेश में मल्टीपर्पज जीएमसी बालयोगी मेमोरियल इंडोर स्टेडियम सं. एफ. 4-2/2003-खेल-1	45.00
3.	सेंट्रल हिन्दू मिलिट्री एजूकेशन सोसायटी, नागपुर महाराष्ट्र द्वारा तरणताल सं. एफ. 16-25/2001-खेल-1	45.00
4.	कोलांगपुर, जिला नागौन, असम में इंडोर स्टेडियम, श्रेणी-3 सं. एफ. 6-3/2002-खेल-1	7.00
5.	नागापट्टिनम तमिलनाडु में जिला स्तरीय खेल परिसर सं. एफ. 25-7/99-खेल-1	5.52667
	2006-2007	
1.	गवर्नमेंट सीनियर सेकेण्डरी स्कूल, भावराणा, जिला कांगड़ा में बास्केटबाल मैदान का विकास अंतिम किश्त जारी की गई सं. एफ. 11-8/2001-खेल-1	0.10
2.	महाराष्ट्र सरकार-डोम्बिविली (पूर्व) में इंडोर स्टेडियम, श्रेणी-1 के निर्माण के लिए अनुदान सं. एफ. 16-19/2003-खेल-1	60.00
3.	गुजरात-नवसरी नगरपालिका में तरणताल श्रेणी-1 के निर्माण के लिए अनुदान सं. एफ. 9-4/2003-खेल-1	45.00
4.	महाराष्ट्र सरकार-चिंचौली, जिला नासिक (पहाड़ी क्षेत्र) में इंडोर स्टेडियम, श्रेणी-1 के निर्माण के लिए अनुदान 2006-07 में निधि जारी की गई सं. एफ. 16-3/2002-खेल-1	90.00

1	2	3
5.	आंध्र प्रदेश-विशाखापट्टनम में तरणताल के निर्माण के लिए अनुदान सं. एफ. 4-5/93-खेल-1	21.50
6.	मणिपुर-क्याम में क्रिकेट मैदान सहित पिच के निर्माण के लिए अनुदान सं. एफ. 17-13/2000-खेल-1	0.33800
7.	आंध्र प्रदेश-वारंगल में तरणताल श्रेणी-1 के निर्माण के लिए अनुदान सं. एफ. 4-9/2000-खेल-1	5.32
8.	केरल-पथनामथिट्टा में आऊटडोर स्टेडियम के निर्माण के लिए अनुदान सं. एफ. 14-4/89-खेल-1	1.55
9.	मध्य प्रदेश-रानीताल जबलपुर में इंडोर स्टेडियम श्रेणी-2 के निर्माण के लिए अनुदान सं. एफ. 15-2/2000-खेल-1	4.06500
10.	मध्य प्रदेश-में पिछौर, जिला शिवपुरी छत्रसाल स्पोर्टस स्टेडियम का निर्माण सं. एफ. 15-4/95-खेल-1	0.60000
11.	नागालैण्ड-हिल पायनियर द्वारा चेतहाबा में इंडोर स्टेडियम श्रेणी-3 का निर्माण सं. एफ. 20-17/99-खेल-1	15.00
12.	कर्नाटक-मानिक नगर, जिला बीदर, कर्नाटक में तरणताल श्रेणी-2 के निर्माण के लिए अनुदान सं. एफ. 13-3/2000-खेल-1	12.50
13.	नागालैण्ड-फुतसेरो में इंडोर स्टेडियम श्रेणी-3 के निर्माण के लिए अनुदान सं. एफ. 20-12/98-खेल-1	10.00
14.	तमिलनाडु-डाल्फिन क्लब, जे.जे. नगर, मोयापियस, वेस्ट चेन्नई में तरणताल, श्रेणी-2 के निर्माण के लिए अनुदान सं. एफ. 25-4/2003-खेल-1	22.50
15.	तमिलनाडु सरकार-तिरूवरूर में जिला खेल परिसर में आऊटडोर स्टेडियम श्रेणी-1 और आऊटडोर खेल मैदान के निर्माण के लिए अनुदान सं. एफ. 25-6/2001-खेल-1	23.00
16.	हिमाचल प्रदेश सरकार-शिमला में आईस स्केटिंग रिंग के निर्माण के लिए अनुदान सं. एफ. 11-2/1999-खेल-1	37.43
17.	तमिलनाडु सरकार-विल्लुपुरम में जिला स्तरीय खेल परिसर के लिए अनुदान सं. एफ. 25-24/2000-खेल-1	9.25
18.	हिमाचल प्रदेश सरकार-ऊना में तरणताल का निर्माण सं. एफ. 11-2/93-खेल-1	3.00
19.	महाराष्ट्र सरकार-कटोल, महाराष्ट्र, जिला नागौन, म्यूनिसिपल काउंसिल कटोल में तरणताल श्रेणी-1 के निर्माण के लिए अनुदान सं. एफ. 16-8/2003-खेल-1	40.00

1	2	3
20.	उ.प्र. सरकार-कलहट, मिर्जापुर, रायदीप स्मारक समिति में आऊटडोर स्टेडियम श्रेणी-1 के निर्माण के लिए अनुदान सं. एफ. 27-7/2002-खेल-1	15.215
21.	तमिलनाडु सरकार-राजन थट्टन, मईलादूथुरल, जिला नागापट्टिनम में स्टेडियम श्रेणी-1 के निर्माण के लिए अनुदान सं. एफ. 25-2/2003-खेल-1	18.00
22.	हिमाचल प्रदेश सरकार-गवर्नमेंट सीनियर सेकेण्डरी स्कूल, बालकरूपी, कांगड़ा में बास्केटबाल कोर्ट के निर्माण के लिए अनुदान सं. एफ. 11-12/2001-खेल-1	0.07250
23.	उ.प्र.-सेफई, इटावा में खेल मैदान के निर्माण के लिए अनुदान सं. एफ. 27-10/2003-खेल-1	24.00
24.	मध्य प्रदेश में मुरैना आऊटडोर स्टेडियम के निर्माण के लिए अनुदान सं. एफ. 6-136/86-खेल-1	3.00
25.	तमिलनाडु, डिंडीगुल में जिला स्तरीय खेल परिसर के निर्माण के लिए अनुदान सं. एफ. 25-6/99-खेल-1	13.25
26.	उ.प्र.-पिजोखारा, मुजफ्फरनगर में इंडोर स्टेडियम श्रेणी-3 का निर्माण सं. एफ. 27-8/2002-खेल-1	2.50
27.	नागालैण्ड-सचीक्या सोसायटी नागालैण्ड द्वारा चिजामी में इंडोर स्टेडियम श्रेणी-3 का निर्माण	14.01
28.	उ.प्र.-सेफई, इटावा में (सचिव खेल एवं युवा विभाग उ.प्र. सरकार लखनऊ) खेल छात्रावास के निर्माण के लिए अनुदान सं. एफ. 27-9/2003-खेल-1	15.00
29.	असम-तेजपुर (अध्यक्ष, तेजपुर जिला खेल असम, पोलो फील्ड तेजपुर) जिला सोनितपुर असम में इंडोर स्टेडियम श्रेणी-3 का निर्माण सं. एफ. 6-2/98-खेल-1	3.00
30.	तमिलनाडु सरकार-तिरूवन्नालई तमिलानडु में जिला स्तरीय खेल परिसर का निर्माण सं. एफ. 25-3/2003-खेल-1	19.20
31.	महाराष्ट्र-सांगली में इंडोर स्टेडियम श्रेणी-1 का निर्माण (मैनेजिंग ट्रस्टी राजाराम बापू पाटिल इंडोमेंट ट्रस्ट, पो.-साखराले, जिला सांगली) सं. एफ. 16-11/99-खेल-1	33.23
32.	तमिलनाडु-इट्टीमाडू, गांव कोयम्बटूर में तरणताल श्रेणी-1 का निर्माण (माता अमृतानंदकोमई मठ इट्टीमडई, जिला कोयम्बटूर) सं. एफ. 25-8/2003-खेल-1	45.00

1	2	3
33.	हिमाचल प्रदेश-ऊना में जिला स्तरीय खेल परिसर का निर्माण सं. एफ. 11-3/98-खेल-1	8.13
34.	हरियाणा-ग्राम गढ़ी, बोहर, जिला रोहतक में इंडोर स्टेडियम श्रेणी-1 का निर्माण (अध्यक्ष सिंघू एजूकेशन फाउण्डेशन, नई दिल्ली) सं. एफ. 10-4/2003-खेल-1	15.00
35.	राजस्थान-गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेण्डरी स्कूल, देवगढ़, जिला-राजसमंद में बास्केटबाल कोर्ट का निर्माण सं. एफ. 23-2/2000-खेल-1	0.0500

तनहली विद्युत परियोजना के लिए पर्यावरणीय मंजूरी

2954. श्री प्रतीक पी. पाटील: क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार से तनहली विद्युत परियोजना हेतु एक प्रस्ताव केन्द्र सरकार के पास पर्यावरणीय मंजूरी के लिए लंबित है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं; और

(ग) उक्त प्रस्ताव को कब तक मंजूर कर दिए जाने की संभावना है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायण मीना): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

पंजाब में राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना

2955. श्री अविनाश राय खन्ना: क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान आज तक पंजाब के उन राष्ट्रीय राजमार्गों का ब्यौरा क्या है जहां चौड़ीकरण, विस्तार तथा रख-रखाव का कार्य शुरू किया गया है/अनुमोदित किया गया है;

(ख) इस संबंध में कितनी राशि व्यय हुई तथा व्यय की जाएगी;

(ग) क्या सरकार ने पंजाब में एनएच-1ए के चौड़ीकरण कार्य को अनुमोदित कर दिया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या परियोजना के लिए विशेषरूप से टांडा तथा दसुया में भूमि अधिगृहीत कर ली गई है तथा प्रभावित व्यक्तियों को मुआवजा दे दिया गया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) गत तीन वर्षों के दौरान पंजाब में राष्ट्रीय राजमार्ग सं.-1, 1ए, 10, 15, 20, 21, 22, 64, 64ए, 70, 71 और 95 के लिए चौड़ीकरण, विस्तार और अनुरक्षण कार्य अनुमोदित किए गए हैं।

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान पंजाब में राष्ट्रीय राजमार्गों के चौड़ीकरण, विस्तार और सुधार कार्यों पर लगभग 509 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं और उनके अनुरक्षण पर 62 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। चालू वर्ष (2007-08) के दौरान, पंजाब में राष्ट्रीय राजमार्गों के चौड़ीकरण, विस्तार और सुधार कार्यों पर लगभग 478 करोड़ रुपए व्यय होने की संभावना है और उनके अनुरक्षण पर 18 करोड़ रुपए का व्यय होने की संभावना है।

(ग) से (च) जी, हां। पंजाब में राष्ट्रीय राजमार्ग सं.-1ए को जलंधर से पंजाब/जम्मू-कश्मीर सीमा तक चार लेन का बनाने के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण-II (उत्तर-दक्षिण महामार्ग) के तहत अनुमोदन प्रदान किया गया है। टांडा और दसुया की भूमि सहित इस परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया चल रही है। संबंधित सक्षम प्राधिकारियों के परामर्श से

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण में प्रभावित व्यक्तियों को मुआवजा दिए जाने की कार्रवाई को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

[अनुवाद]

एचआईवी/एड्स हेतु विदेशी सहायता

2956. श्री मणी कुमार सुब्बा: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आस्ट्रेलिया ने नागालैण्ड, मणिपुर, मिजोरम और मेघालय राज्य में एचआईवी/एड्स के फैलने को रोकने के लिए और सहायता की घोषणा की है;

(ख) यदि हां, तो पूर्वोत्तर राज्यों के लिए आस्ट्रेलिया द्वारा कुल कितनी सहायता का वायदा किया गया है तथा प्रत्येक राज्य द्वारा अब तक ऐसी कितनी सहायता प्राप्त की गई है; और

(ग) एचआईवी/एड्स को रोकने तथा नियंत्रण कार्यक्रम के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) और (ख) जी, हां। आस्ट्रेलियाई सरकार ने चार पूर्वोत्तर राज्यों अर्थात् मणिपुर, नागालैण्ड, मिजोरम और मेघालय में एचआईवी/एड्स को फैलने से रोकने के लिए 10 मिलियन आस्ट्रेलियाई डालर (8.2 मिलियन अमरीकी डालर के बराबर) प्रदान करने का वचन दिया है। निधियां अभी प्राप्त होनी बाकी हैं।

(ग) उच्च जोखिम समूहों में लक्षित कार्यकलाप, बेहतर जागरूकता के लिए व्यवहार परिवर्तन संबंधी सम्प्रेषण तेज करके, निवारक उपाय, रक्त निरापदता, एचआईवी संक्रमित व्यक्तियों के लिए सहयोग और उपचार जिसमें, समयानुवर्ती संक्रमणों के उपचार सहित एचआईवी संक्रमित व्यक्तियों का उपचार शामिल है, का विस्तार करके, एन्टी रिट्रोवायरल उपचार की व्यवस्था करके तथा एचआईवी संबंधी कार्यकलापों की कार्यनीतियों को मुख्यधारा में लाकर एचआईवी को फैलने से रोकने के लिए राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम का चरण-III तैयार कर लिया गया है।

स्तंभ कोशिका संबंधी गांगुली पैनल

2957. श्री ई.जी. सुगावनम: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या स्तंभ कोशिका हेतु श्री एस.के. गांगुली पैनल ने अपने अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार को कब तक रिपोर्ट प्रस्तुत कर दिए जाने की संभावना है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के अनुसार स्तंभ कोशिकाओं के लिए दिशानिर्देश बनाने हेतु ऐसा कोई पैनल नहीं है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

विदेशों में भारतीय लोगों के लिए कल्याण केन्द्र

2958. श्री नवीन जिन्दल: क्या **प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार भारतीयों की सहायता के लिए विदेशों में कल्याण केन्द्र खोलने का है;

(ख) यदि हां, तो ये केन्द्र किन-किन स्थानों पर खोले जायेंगे;

(ग) इन केन्द्रों द्वारा किस प्रकार की सेवाएं प्रदान की जाएंगी;

(घ) क्या ये केन्द्र विदेशों में परित्यक्त बंधुओं की सहायता करेंगे; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री (श्री वायालार रवि): (क) और (ख) सरकार ने खाड़ी देशों में प्रवासी भारतीयों की सहायता के लिए दुबई में एक प्रवासी भारतीय केन्द्र स्थापित करने का निर्णय लिया है। इसके अतिरिक्त, वाशिंगटन और कोआलालम्पुर में भारतीय मिशनों के भाग के रूप में काउन्सलर, सामुदायिक कार्य (विकास) के पद सृजित किये गये हैं। वाशिंगटन स्थित काउन्सलर संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में प्रवासी भारतीयों की देखरेख करेगा और कोआलालम्पुर स्थित काउन्सलर मलेशिया, सिंगापुर और बुर्नेई में प्रवासी भारतीयों की देखरेख करेगा।

(ग) प्रस्तावित प्रवासी भारतीय केन्द्र और काउन्सलर मुख्य रूप से प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय के लिए प्रवासी फील्ड बनाने का कार्य करेंगे। वे अन्य बातों के साथ-साथ साख वाले प्रवासी भारतीय शीर्ष संगठनों और व्यावसायिक संस्थाओं के साथ सार्वजनिक-

निजी भागीदारियों को भी बढ़ावा देंगे। वे प्रवासी भारतीयों के लाभ के लिए कानूनी, वित्तीय और स्वास्थ्य संबंधी परामर्श भी देंगे।

(घ) और (ङ) जी, हां। प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय ने प्रवासी भारतीय पतियों द्वारा छोड़ दी गई महिलाओं को कानूनी/वित्तीय सहायता देने की एक योजना की घोषणा की है। योजना के अंतर्गत संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और खाड़ी में भारतीयों मिशनों में पंजीकृत भारतीय महिला संगठनों/भारतीय सामुदायिक एसोसिएशनों और गैर-सरकारी संगठनों की मार्फत परामर्शी और कानूनी सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी।

[हिन्दी]

स्वास्थ्य योजनाओं के लिए गैर-सरकारी संगठनों को वित्तीय सहायता

2959. श्री एम. अंजनकुमार यादव: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार विभिन्न स्वास्थ्य योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु आंध्र प्रदेश में गैर-सरकारी संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके अंतर्गत प्रत्येक गैर-सरकारी संगठन को कितनी सहायता दी गई है;

(ग) क्या सरकार ने उन गैर-सरकारी संगठनों के कार्यकरण की समीक्षा की है;

(घ) यदि हां, तो अनियमितताएं बरतने वाले गैर-सरकारी संगठनों के नाम क्या हैं; और

(ङ) उनके विरुद्ध आज की तिथि तक क्या कार्रवाई की गई है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पाणाबाका लक्ष्मी): (क) जी, हां। भारत सरकार, मदर गैर-सरकारी संगठन और सेवा गैर-सरकारी संगठन स्कीमों के जरिए आंध्र प्रदेश में गैर-सरकारी संगठनों को सहायता प्रदान करती है।

(ख) ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) आंध्र प्रदेश सरकार की राज्य स्वास्थ्य सोसाइटी, गैर-सरकारी संगठनों के कार्यकरण की समीक्षा करती है।

(घ) राज्य सरकार से ऐसी कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

(ङ) उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

विगत तीन वर्षों अर्थात्, वर्ष 2004-05, 2005-06 और 2006-07 के दौरान आंध्र प्रदेश में कार्य कर रहे गैर-सरकारी संगठनों को जारी किए गए सहायता अनुदान

क्र.सं.	संगठन का नाम	वित्तीय वर्ष	जारी किया गया सहायता-अनुदान (रुपए में)
1.	सेंट पीटर मल्टीपरपज हैल्थ वर्क्स (महिला), डेवलपमेंट सोसाइटी, तेनाली, आंध्र प्रदेश	2004-05	1,29,984/- रुपए
2.	राहुल मेडिकल एण्ड हेल्थ सर्विसेज सोसाइटी, महबूब नगर, आंध्र प्रदेश	2004-05	7,65,110/- रुपए
3.	हेल्थ एजूकेशन, एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट सोसाइटी, अनन्तपुर, आंध्र प्रदेश	2004-05	3,00,000/- रुपए
4.	स्टेट स्कोवा सोसाइटीज, आंध्र प्रदेश	2005-06	82,50,000/- रुपए
5.	हिन्दुस्तान लैटेक्स फेमिली प्लानिंग प्रोमोशन ट्रस्ट	2006-07	15,19,005/- रुपए

[अनुवाद]

कोल इंडिया लिमिटेड का पुनर्गठन

2960. श्री अनंत नायक: क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का कोल इंडिया लि. (सीआईएल) तथा इसकी अनुषंगी इकाइयों का पुनर्गठन करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में वित्तीय प्रभाव क्या होंगे; और

(ग) इस संबंध में सीआईएल द्वारा कितनी राशि खर्च किए जाने की संभावना है?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. दासरि नारायण राव): (क) और (ख) कोयला क्षेत्र के लिए रोडमैप तैयार करने हेतु कोयला मंत्रालय में गठित विशेषज्ञ समिति "सीआईएल को विश्वस्तरीय कंपनी बनाने के लिए इसके पुनर्गठन" के मुद्दे पर विचार कर रही है। इस संबंध में समिति की रिपोर्ट प्रतीक्षित है।

(ग) वित्तीय प्रभाव/खर्च होने वाले राशि का कोई आकलन नहीं किया गया है।

लम्बे समय से चली आ रही ऊर्जा अल्पता

2961. श्री एम.पी. वीरेन्द्र कुमार: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में महिलाओं, किशोरों, बच्चों तथा वृद्धों में ऊर्जा अल्पता को ठीक करने के लिए आवश्यक आहार संबंधी गृहणक्षमता को परिभाषित करने के लिए कोई अध्ययन कराया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पामाबाका लक्ष्मी): (क) और (ख) भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (1989) ने सामान्य वृद्धि, विकास एवं महत्वपूर्ण कार्यों को रखने के उद्देश्य से जनसंख्या में विभिन्न समूहों हेतु रिकमेंडिड डायट्री अलाउंसिस का निर्माण किया है।

क्रोनिक एनर्जी डेफिसिएन्सी (सीईडी) की समीक्षा बाडी मास इन्डेक्स (बीएमआई) द्वारा की जाती है जिसमें भार (किलोग्राम) को ऊंचाई (मीटर) 2 द्वारा विभाजित किया जाता है। 20 से 25 बीएमआई स्तर रखने वाले व्यक्तियों को सामान्य माना जाता है। क्रोनिक एनर्जी डेफिसिएन्सी (सीईडी) का स्तर निम्नलिखित अनुसार होता है:

बीएमआई	न्यूट्रीशनल ग्रेड
<16.0	III डिग्री सीईडी
16.0-17.0	II डिग्री सीईडी
17.0-18.0	I डिग्री सीईडी
18.5-20.0	कम सामान्य
20.0-25.0	सामान्य

भारतीयों के लिए आरडीए संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

भारतीयों के लिए रिकमेंडिड डायटरी अलाउंसिस (मैक्रोन्यूट्रियन्ट्स एवं मिनरल)

समूह	विवरण	बाडी वेट कि.ग्रा.	नेट एनर्जी केकाल/डी	प्रोटीन जी/डी	वसा जी/डी	कैल्शियम एमजी/डी	लौह एमजी/डी
1	2	3	4	5	6	7	8
पुरुष	सेडेंट्री वर्क		2425				
	मोडरेट वर्क	60	2875	60	20	400	28
	हैवी वर्क		3800				
महिला	सेडेंट्री वर्क		1875	50	20	400	30
	मोडरेट वर्क	50	2225				
	हैवी वर्क		2925				

1	2	3	4	5	6	7	8
	गर्भवती महिला लैक्टेशन	50	+300	+15	30	1000	38
	0-6 माह	50	+550	+25	45	1000	30
	6-12 माह		+400	+18			
शिशु	0-6 माह	5.4	108/किग्रा.	2.05/किग्रा.		500	
	6-12 माह	8.6	98/किग्रा.	1.65/किग्रा.			
बच्चे	1-3 वर्ष	12.2	1240	22	25	400	12
	4-6 वर्ष	19.0	1690	30			18
	7-9 वर्ष	26.9	1950	41			26
लड़के	10-12 वर्ष	35.4	2190	54	22	600	34
लड़कियां	10-12 वर्ष	31.5	1970	57			19
लड़के	13-15 वर्ष	47.8	2450	70	22	600	41
लड़कियां	13-15 वर्ष	46.7	2060	65			28
लड़के	16-18 वर्ष	57.1	2640	78	22	500	50
लड़कियां	16-18 वर्ष	49.9	2060	63			30

[अनुवाद]

विदेश जा रहा अशिक्षित भारतीयों को प्रशिक्षण

2962. श्री सुभाष महरिया: क्या प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार रोजगार के लिए विदेशों में जा रहे विशेषत: खाड़ी देशों में जा रहे निरक्षर तथा कम पढ़े-लिखे लोगों को प्रशिक्षण देने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) वर्ष 2006-07 के दौरान इसके अंतर्गत इस उद्देश्य हेतु कितनी राशि राज्यवार निर्धारित व जारी की गयी है?

प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री (श्री वायालार रवि): (क) और (ख) प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय ने राज्य सरकारों के परामर्श से वर्ष 2006-07 में "प्रवासी भारतीय कामगारों के लिए अभिमुखीकरण-सह-प्रशिक्षण कार्यक्रम" नामक एक योजना तैयार की है। इस योजना के अंतर्गत मंत्रालय प्रशिक्षण के खर्च का 75 प्रतिशत वहन करता है जिसमें प्रत्येक राज्य के लिए अधिकतम सीमा एक करोड़ रुपया है। योजना का उद्देश्य उत्प्रवासी भारतीयों के कौशल स्तर को प्रोन्नत कर उसे प्रवासी बाजार आवश्यकताओं के अनुरूप लाना है और उन्हें उस देश, जहां वे जा रहे हैं, के कानूनों, भाषा और संस्कृति के बारे में बुनियादी जानकारी से अवगत कराना है। वर्तमान वित्तीय वर्ष में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उपक्रम मंत्रालय की साझेदारी में योजना का विस्तार किया जा रहा है ताकि इसमें बड़ी संख्या में कारोबार शामिल किये जा सकें।

(ग) योजना को प्रायोगिक आधार पर पांच राज्यों में शुरू किया गया था और इस प्रयोजन के लिए 2006-07 के दौरान चार करोड़ रुपये की कुल राशि निर्धारित की गई थी। जारी की गई निधियों का राज्य-वार ब्यौरा निम्नानुसार है:

आंध्र प्रदेश	–	50 लाख रुपये
तमिलनाडु	–	1 करोड़ रुपये
पंजाब	–	65.61 लाख रुपये
केरल	–	1 करोड़ रुपये
कर्नाटक	–	84.39 लाख रुपये

[अनुवाद]

समुद्री प्रदूषण

2963. श्री प्रो. एम. रामदास: क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) समुद्री प्रदूषण के लैवल के संबंध में वर्तमान मानदण्ड क्या है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान देश के समुद्र तट पर स्थानवार समुद्री प्रदूषण का कितना लैवल दर्ज किया गया है;

(ग) क्या प्रदूषण लैवल स्थापित मानदण्ड के अंतर्गत है; और

(घ) यदि नहीं, तो संदूषण के बढ़ते लैवल को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना): (क) श्रेष्ठ निर्धारित उपयोग के आधार पर, समुद्री प्रदूषण के स्तरों के संबंध में निम्नलिखित पांच जल गुणवत्ता मानदण्ड विनिर्दिष्ट किए गए हैं:

एस डब्ल्यू-I	साल्ट पैन्स, शैल फिशिंग, मेरीकल्चर और पारिस्थितिकीय रूप से संवेदनशील क्षेत्र
एस डब्ल्यू-II	स्नान कान्टेक्ट, जल क्रीड़ा और वाणिज्यिक मत्स्यन
एस डब्ल्यू-III	इन्डस्ट्रियल कूलिंग, रिक्रियेशन (नान-कान्टेक्ट) और एस्थेटिक्स
एस डब्ल्यू-IV	हार्बर
एस डब्ल्यू-V	नेवीगेशन और नियंत्रित अपशिष्ट निपटान

(ख) और (ग) महासागर विकास विभाग (डीओपी), पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने "कोस्टल ओशियन मानीटरिंग एण्ड प्रिडिक्शन सिस्टम (सीओएमएपीएस)" ने देश की तटरेखा पर प्रदूषण के रूझान की निगरानी करने हेतु लगभग 76 स्थान निर्धारित किए हैं। इन स्थानों से प्राप्त परिणाम दर्शाते हैं कि देश में तट से 2 कि.मी. की दूरी से परे तटीय जल प्रदूषण मुक्त हैं, केवल मुंबई में समुद्र तट को छोड़कर, जहां ये तट से पांच कि.मी. दूरी से आगे तक स्वच्छ है। इसके अतिरिक्त, देश के तटों पर, समुद्री प्रदूषण स्थानिक है और केवल यह कुछ स्थानों पर पाया जाता है। ये स्थान डीघा और सैंडहेड्स (पश्चिम बंगाल), पुरी और गोपालपुर (उड़ीसा), विजाग और काकीनाडा (आंध्र प्रदेश), कड्डलोर और तूतीकोरिन (तमिलनाडु), वेरावल (गुजरात) आदि है।

परिणामों की समग्र तुलना यह दर्शाती है कि अधिकतर स्थानों पर, बैक्टीरिया के स्तर निर्धारित सीमाओं से अधिक है। तथापि, मुम्बई के तटीय जल के मामले में विलीन आक्सीजन निर्धारित सीमा से नीचे थी।

(घ) समुद्री प्रदूषण को रोकने के लिए किए गए उपाय निम्नलिखित हैं:

* विभिन्न उद्योगों द्वारा अपेक्षित डिस्चार्ज मानदण्डों के अनुपालन हेतु बहिस्राव शोधन संयंत्र (ईटीपी) और साझा बहिस्राव शोधन संयंत्र (सीईटीपी) स्थापित किए जा रहे हैं।
* घरेलू मल जल से उत्पन्न प्रदूषण को रोकने के लिए तटीय नगरपालिकाओं द्वारा मलजल शोधन संयंत्रों (एसटीपी) की निगरानी की जा रही है।
* पर्यावरणीय मानदण्डों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उद्योगों का नियमित निरीक्षण।
* विभिन्न पर्यावरणीय अधिनियमों के अंतर्गत अनुपालन न किए जाने के मामलों में निर्देश जारी किए जा रहे हैं।

वित्तीय क्षेत्र सुधार संबंधी समिति

2964. श्री सुग्रीव सिंह: क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने वित्तीय क्षेत्र सुधार संबंधी उच्च स्तरीय सदस्य समिति गठित की है जैसा कि दिनांक 8 अगस्त, 2007 के "फाइनान्सियल एक्सप्रेस" में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इस समिति के कौन-कौन सदस्य हैं तथा इसके विचारार्थ विषय क्या हैं;

(ग) उक्त समिति द्वारा जांच किए जाने वाले वृहद सामाजिक क्षेत्र कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) उक्त समिति द्वारा कब तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने की संभावना है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. राजशेखरन): (क), (ख) और (घ) योजना आयोग ने श्री रघुराम जी. राजन, प्रोफेसर ग्रेजुएट स्कूल आफ बिजनस, शिकागो विश्वविद्यालय की अध्यक्षता में वित्तीय क्षेत्रक सुधारों संबंधी एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। समिति के अन्य सदस्य हैं:

(1) सुमन बेरी, महानिदेशक, एनसीएईआर।

(2) उदय कोटक, सीईओ, कोटक महिन्द्रा बैंक।

(3) राजीव लाल, सीईओ, आईडीएफसी।

(4) विजय महाजन, अध्यक्ष बेसिक्स।

(5) जिया मोदी, वरिष्ठ पार्टनर, एजेडबी पार्टनर्स।

(6) ओपी भट्ट, अध्यक्ष, भारतीय स्टेट बैंक।

(7) के.वी. कामत, एमडी एवं सीईओ, आईसीआईसीआई बैंक।

(8) चित्रा रामकृष्ण, उप एमडी, एनएसई।

(9) आर. रविमोहन, एमडी एवं सीईओ, सीआरआईएसआईएल।

(10) जे.आर. वर्मा, प्रोफेसर, भारतीय प्रबंधन संस्थान, अहमदाबाद।

(11) आर. श्रीधरन, सलाहकार (एफ.आर.), योजना आयोग।

समिति के विचारार्थ विषय हैं:

(1) आगामी दशक में भारतीय अर्थव्यवस्था की वित्त पोषण आवश्यकताओं को पूरा करने में सामने आने वाली चुनौतियों की पहचान करना और वास्तविक क्षेत्रक सुधारों की पहचान करना जिससे वित्तीय क्षेत्रक की आवश्यकताएं और आसानी से पूरी हो सकेंगी।

(2) वित्तीय क्षेत्रक के विभिन्न खंडों के निष्पादन की जांच करना और उन परिवर्तनों की पहचान करना, जिनसे रियल क्षेत्रक की आवश्यकताएं पूरी हो सकेगी।

(3) विनियामक और पर्यवेक्षी बुनियादी सुविधाओं में परिवर्तनों की पहचान करना जिससे जोखिम नियंत्रण करते समय वित्तीय क्षेत्रक अपनी भूमिका बेहतर रूप से निभा सके, और

(4) अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्रों में परिवर्तनों की पहचान करना जिसमें वित्तीय और राजकोषीय नीति का संचालन और विधिक प्रणाली तथा शैक्षिक प्रणाली का प्रचालन शामिल है जिससे वित्तीय क्षेत्रक अधिक प्रभावी ढंग से कार्य कर सकेंगे।

उम्मीद की जाती है कि समिति 31 मार्च, 2008 तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर देगी।

(ग) बड़े सामाजिक क्षेत्रक कार्यक्रमों की जांच करना समिति के क्षेत्राधिकार में नहीं आता है।

[हिन्दी]

चन्दन की लकड़ी की तस्करी

2965. श्री एकनाथ महादेव गायकवाड: क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या महत्वपूर्ण वृक्षों विशेषत: चन्दन/सागोन की बड़े पैमाने पर तस्करी किये जाने की सूचना मिली है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है;

(घ) क्या हाल ही में नेपाल-चीन सीमा पर देश से तस्करी की जा रही लाल चन्दन की बड़ी खेप जब्त की गयी थी;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या उक्त मामले में कुछ अधिकारी भी लिप्त पाए गए हैं;

(छ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गयी है/किए जाने का प्रस्ताव है;

(ज) क्या मंत्रालय का विचार नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में जंगलों की सुरक्षा के लिए अर्ध-सैनिक बलों की तैनाती करने का है; और

(झ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति): (क) से (छ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ज) ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(झ) प्रश्न नहीं उठता।

अनिवार्य नेत्रदान

2966. श्री मिलिन्द देवरा: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार पश्चिमी देशों की तरह दुर्घटना में हुई सभी मौतों के मामलों में अनिवार्य नेत्रदान करने के लिए एक केन्द्रीय विधान लाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/ उठाए जाने का प्रस्ताव है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) और (ख) जी, नहीं। पश्चिमी देशों की तरह दुर्घटना में हुई सभी मौतों के मामलों में अनिवार्य नेत्रदान करने के लिए एक केन्द्रीय विधान लाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) नेत्रदान की कमी से निपटने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:-

(1) जन-जागरूकता को बढ़ाना।

(2) अस्पताल कोर्निया रिट्रीवल कार्यक्रम को बढ़ावा देना।

(3) ग्रीफ काउन्सलर्स की नियुक्ति के लिए प्रावधान।

(4) कोर्निया हेतु मांग को कम करने हेतु संक्रमण, घावों को रोकने के लिए कदम उठाने के साथ-साथ जन शिक्षा।

(5) लैट्रोजैनिक कोर्नियल क्षति को कम करने के लिए मोतियाबिंद शल्य चिकित्सा की बेहतर गुणवत्ता।

(6) नेत्र बैंकिंग चिकित्सा मानदण्डों और सेवाओं की बेहतर गुणवत्ता।

(7) रिग्राफ्टों के लिए आवश्यकता को कम करने और प्रोलोन्ग ग्राफ्ट सरवाइवल के लिए पोस्ट ओपरेटिव परिचर्या।

भारत में नकली दवाओं संबंधी रिपोर्ट

2967. श्री असादूद्दीन ओवेसी:
चौ. मुनव्वर हसन:
श्रीमती मनोरमा माधवराज:

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में नकली दवाओं में पांच गुणा वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यूरोपीय आयोग ने हाल ही में नकली दवाओं में आंकड़े जारी किए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) यह दर्शाने के लिए कोई आंकड़ा उपलब्ध नहीं है कि देश में नकली औषधों में पांच गुना वृद्धि हुई है।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता है।

(ग) से (ङ) टाइम्स आफ इंडिया में दिनांक 14.6.2007 को छपे समाचार के अनुसार यूरोपीय आयोग की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2006 में 2.7 मिलियन अमरीकी डालर मूल्य की नकली औषधें जब्त की गईं जबकि एक वर्ष पूर्व 5 लाख अमरीकी डालर मूल्य की नकली औषधें जब्त की गई थीं।

इस विषय को यूरोपीय आयोग के साथ उठाया गया था और यह पता चला कि यह आंकड़ा यूरोपियन कमीशन डायरेक्टोरेट जनरल आफ टेक्सेशन एण्ड कस्टम यूनियन से प्राप्त किया गया था जिसने यूरोपीय आयोग सीमाशुल्क सीमा पर जब्त किए गए नकली माल के बारे में वर्ष 2006 का आंकड़ा प्रकाशित किया था। इस रिपोर्ट में ऐसी वस्तुएं शामिल हैं जिनसे बौद्धिक सम्पदा अधिकारों का उल्लंघन होता है। कथित रूप से नकली दवा के ब्यौरे यूरोपीय आयोग द्वारा उपलब्ध नहीं कराए गए हैं।

[हिन्दी]

शिक्षा के क्षेत्र में आरक्षण

2968. श्री मोहन सिंह: क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने शिक्षा के क्षेत्र में आरक्षण के कार्यान्वयन का विरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है;

(ग) क्या शिक्षा के प्रत्येक चरण में पिछड़ों, कमजोर वर्गों और दलित समुदायों के लिए आरक्षण के लिए क्रियान्वयन की नीति वापस लेने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. राजशेखरन): (क) से (घ) राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने अपनी सिफारिश के भाग VII

(विवरण संलग्न है) में कहा है कि यह आवश्यक है कि आर्थिक और ऐतिहासिक-सामाजिक रूप से सुविधावंचित विद्यार्थियों के लिए शिक्षा के अवसर या अधिकार को अधिक कारगर तरीके से बढ़ाया जाए। एनकेसी ने एक वंचित सूचकांक की सिफारिश की है जिसमें सकारात्मक कार्रवाई के लिए परिवारिक शिक्षा वृत्तांत, आवास स्थान, स्कूलों के प्रकार जिनमें शिक्षा प्राप्त की गई, शारीरिक विकलांगता आदि जैसे आर्थिक पिछड़ापन, निर्धनता, जाति और सामुदायिक पिछड़ापन जैसे सूचक शामिल हैं। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की उच्च शिक्षा संबंधी विवरण से उद्धृत उद्धरण विवरण के रूप में संलग्न है।

विवरण

सामाजिक अवसरों के सृजन के द्वारा समावेशी विकास के लिए शिक्षा एक आवश्यक तंत्र है। अत:, यह सुनिश्चित करने के अलावा यह आवश्यक है कि कोई भी विद्यार्थी वित्तीय दबाव, आर्थिक और ऐतिहासिक-सामाजिक रूप से सुविधावंचित होने के कारण उच्च शिक्षा प्राप्त करने के अवसर से वंचित न हो पाये, इसलिए उच्च शिक्षा के अवसरों को अधिक कारगर तरीके से बढ़ाया जाए।

जो विद्यार्थी उच्च शिक्षा के क्षेत्र में प्रवेश करना चाहते हैं, उनके लिए वित्तीय क्षमता सुनिश्चित करते हुए उच्च शिक्षा के मार्ग में आई बाधाओं को दूर किया जा सकता है। इस कार्य को कार्यनीतियों के माध्यम से पूरा किया जा सकता है। एक कार्यनीति आवश्यक नेत्रहीन दाखिला नीति अपनाने की है। इससे वै शैक्षिक संस्थान गैर-कानूनी हो जाएंगे जो किसी विद्यार्थी का दाखिला करते समय वित्तीय स्थिति को ध्यान में रखते हुए निर्णय लेते हैं कि उसका दाखिला किया जाए या नहीं। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रत्येक संस्थान विभिन्न प्रकार के साधन अपनाने के लिए स्वतंत्र होंगे: छात्रवृत्तियां अथवा क्रास-सब्सिडी। इसके अलावा, शैक्षिक संस्थान अपनी-अपनी इच्छा से फीस निर्धारित करने के लिए इस प्रावधान के तहत समर्थ होंगे कि कम-से-कम दो बैंक जो दाखिला के अलावा बिना गिरवी रखी गई संपत्ति के, उस संस्थान में शिक्षा का पूरा खर्च देने के इच्छुक हैं। शिक्षा के खर्च में न केवल फीस शामिल होगी, बल्कि अध्ययन से संबंधित छात्रावास एवं मेस शुल्क और अन्य दूसरे खर्च जैसे-उचित जीवन निर्वाह-खर्चे शामिल होंगे। चूंकि व्यावसायिक बैंक आर्थिक रूप से वंचित विद्यार्थियों, विशेषकर व्यावसायिक पाठ्यक्रमों को धन प्रदान करने में सतर्क हो सकते हैं, अत: हमें भरपूर वित्तपोषित और व्यापक राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजना की आवश्यकता होगी, जिसका लक्ष्य आर्थिक रूप से सुविधा वंचित विद्यार्थी और ऐतिहासिक-सामाजिक रूप से सुविधावंचित समूह के विद्यार्थी, विशेष रूप से ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों के विद्यार्थी होंगे। इस प्रस्ताव की सफलता उदार सरकारी सहायता पर निर्भर करती है। उदाहरण के लिए सरकार को प्रयास करना चाहिए कि वह ऐसे विद्यार्थियों के लिए लगभग 100,000 छात्रवृत्तियां उच्च स्तर पर निर्धारित की जाए जिससे विद्यार्थी अपनी इच्छा के किसी भी संस्थानों में जाने में सक्षम हो सकें।

उपांतिक और वंचित समूहों को शामिल करना सुनिश्चित करने के लिए हमें और अधिक सक्रिय रूप से सकारात्मक कार्रवाई करने की आवश्यकता है। आरक्षण आवश्यक है, परंतु यह सकारात्मक कार्रवाई के रूप का एक हिस्सा है। शैक्षणिक उपलब्धियों में असमानता जाति और सामाजिक समूहों से संबंधित है, परंतु यह अन्य सूचकों जैसे आय, लिंग, क्षेत्र और निवास स्थान से भी मजबूती से जुड़ा है। गुणवत्ता वाले उच्च शिक्षा तक पहुंच भी कुछ विशेष प्रकार के स्कूलों के विद्यार्थियों तक ही सीमित है। अत: शैक्षणिक सुअवसरों से वंचित होना एक बहु-आयामी समस्या है तथा छात्रों द्वारा सामना की जा रही वंचना के विभिन्न महत्वपूर्ण स्तरों पर ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। एक अर्थपूर्ण और व्यापक ढांचे से बहुआयामी प्रकार के अंतरों को, जो अभी भी व्याप्त है, कम किया जा सकता है। इस प्रकार का वंचना सूचकांक छात्रों को वैटेज स्कोर दे सकता है तथा संचयी स्कोर का प्रयोग छात्रों के स्कूल परीक्षा स्कोर में किया जा सकता है। वंचना सूचकांक से स्कोर जोड़ने के बाद, सभी छात्र प्रवेश के लिए प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं।

प्रणाली को प्रभावी रूप से कार्य करने के लिए सूचकों की आसानी से पहचान व जांच होनी आवश्यक है। उसे स्कूल स्तर पर तथा उच्चतर शिक्षा के लिए प्रवेश हेतु आवेदन के समय छात्रों की विभिन्न प्रकार के प्रभावों को कवर करना चाहिए। यह प्रणाली विभिन्न प्रकार के अभावों का ध्यान रखने और यह सुनिश्चित करने के लिए कि आरक्षित वर्ग के छात्र जो किसी अन्य प्रकार के लाभ ले रहे हों उन्हें प्रवेश के समय अत्यधिक वरीयता न दी जाए, दोनों प्रकार का कार्य कर रही है।

पिछड़ापन दर्शाने वाले वे सूचक, जिनको ऐसी किसी सूचकांक के मापने की आवश्यकता है, उसमें सामाजिक पृष्ठभूमि शामिल हो सकती है, जिसमें जाति (क्षेत्रीय विभिन्नताओं को ध्यान में रखते हुए), धर्म और लिंग, पारिवारिक शिक्षा वृत्तांत, पारिवारिक आय, सरकारी और निजी विद्यालयों तथा विभिन्न स्थानों पर स्थित स्कूलों, शिक्षा के माध्यम के बीच अंतर करते हुए स्कूल के प्रकार, शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के बीच अंतर स्थापित करते हुए आवास स्थान और बुनियादी सुविधा सूचकांक सहित जिले को अलग-अलग करते हुए क्षेत्रीय वंचना के कारण अथवा सामाजिक लाभ का अवसर और शारीरिक विकलांगता जैसे सूचक शामिल हैं।

[अनुवाद]

मुसलमानों की शिक्षा हेतु आबंटन

2969. श्री विजय कृष्ण: क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या योजना आयोग की एक उप-समिति ने देश में मुसलमानों की शिक्षा के लिए ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में 5460 करोड़ रुपये के आबंटन हेतु सिफारिश की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा शुरू किए गए नवीन तरीकों और कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है;

(ग) उप-समिति द्वारा मुसलमानों के लिए संकल्पित ग्यारह-सूत्री कार्यक्रम का ब्यौरा क्या है; और

(घ) उप-समिति की सिफारिशों के कार्यान्वयन हेतु मानव संसाधन विकास मंत्रालय तथा अन्य के बीच समन्वय हेतु क्या तरीके अपनाए गए हैं?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. राजशेखरन): (क) से (घ) योजना आयोग ने ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना (वर्ष 2007-2012), के प्रतिपादन के संदर्भ में "अल्पसंख्यकों के सशक्तिकरण" संबंधी एक कार्य दल का गठन किया है। कार्य दल ने तीन उप-दलों का गठन किया, जिनमें से एक शैक्षणिक विकास से संबंधित था। इन तीन उप-दलों की रिपोर्टें कार्य दल के आंतरिक विचार-विमर्श के तहत प्रस्तुत की गई थीं और योजना आयोग को प्रस्तुत की गई कार्य दल की रिपोर्ट को अंतिम रूप देते समय उन्हें ध्यान में रखा गया था। योजना आयोग ने अभी तक ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना को अंतिम रूप नहीं दिया है।

राष्ट्रमंडल खेल 2010 के लिए समयबद्ध योजना

2970. श्रीमती ग्रांसी लक्ष्मी बोआ: क्या युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आस्टिन सेली की अध्यक्षता वाले मूल्यांकन आयोग की रिपोर्ट के अनुसार राष्ट्रमंडल खेल, 2010 के लिए योजना समयबद्धता से नहीं चल रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या प्रयास किए गए हैं?

पंचायती राज मंत्री, युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री तथा उत्तर-पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) सरकार राष्ट्रमंडल खेल, 2010 के आयोजन के लिए समुचित प्लानिंग व समय पर तैयारियां सुनिश्चित करने की आवश्यकता के प्रति सचेत है और इसके लिए अनेक संस्थागत प्रबंध किए गए हैं। इनमें खेलों के आयोजन से संबंधित विभिन्न कार्यों के समन्वय करने के लिए मानव संसाधन विकास मंत्री तथा गृह मंत्री की सह-अध्यक्षता में मंत्रियों का एक कोर समूह तैयारियों की निगरानी के लिए युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री की अध्यक्षता में एक शीर्ष समिति, खेलों के आयोजन के लिए भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष की अध्यक्षता में एक आयोजन समिति; तथा मंत्रियों के समूह के निर्णयों के कार्यान्वयन की निगरानी तथा अन्य संबंधित मुद्दों के कार्यान्वयन के लिए कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में सचिवों की समिति शामिल है। केन्द्रीय स्तर पर इन प्रबंधों के अतिरिक्त दिल्ली की मुख्यमंत्री के अधीन एक उपसमिति है जो कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के अधिकार क्षेत्र में अवसंरचना और अन्य तैयारियों से संबंधित मामलों में निर्णय लेगी। दिल्ली के उप राज्यपाल को सुरक्षा एवं कानून व्यवस्था के विशिष्ट संदर्भ सहित डीडीए के अधीन आने वाले मामलों की समग्र जिम्मेदारी दी गई है।

विभिन्न प्रतियोगिता/प्रशिक्षण स्थलों तथा अंतर्राष्ट्रीय प्रसारण केन्द्र/मुख्य प्रेस केन्द्र के लिए स्थान के संबंध में सभी स्वामित्वधारियों के बीच सहमति हो गई है। सभी स्वामित्वधारियों ने मुख्य कार्यों जैसे विस्तृत डिजाईन और अनुमानों को अंतिम रूप देने, निविदा प्रक्रिया आरंभ करने, कार्य सौंपने, कार्य आरंभ करने, कार्य पूरा करने और आयोजन समिति को सौंपने के लिए निश्चित समयसीमा दर्शाई गई है। उम्मीद है कि सभी मुख्य खेल स्थल अवसंरचना परियोजनाओं पर कार्य दिसम्बर, 2007 से पहले आरंभ हो जाएगा तथा स्थलों को 2009 के अंत तक आयोजन समिति को सौंप दिया जाएगा। मुख्य सचिव जीएनसीटीडी की अध्यक्षता में सभी संबंधित एजेंसियों/प्राधिकारियों के प्रतिनिधियों सहित एक अधिकार प्राप्त समिति गठित की गई है जो कि खेलों से संबंधित परियोजनाओं को शीघ्र मंजूरी दिलाने के लिए कार्य करेगी। दिल्ली शहरी कला आयोग (डी.यू.ए.सी.) से संबंधित मंजूरी से संबंधित मामलों के निपटान के लिए सचिव, शहरी विकास मंत्रालय की अध्यक्षता में एक अन्य समिति गठित की गई है। राष्ट्रमंडल खेलों में काफी संख्या में आगंतुकों के लिए पर्याप्त पर्यटक आवास बनाने की आवश्यकता को ध्यान में रखकर सभी संबंधित एजेंसियों द्वारा इस

संबंध में निगरानी और अन्य कार्यों के समन्वय के लिए पर्यटन मंत्रालय के अधीन एक अंतर-मंत्रालय कार्यबल का गठन किया गया है। उत्तर प्रदेश में निर्मित किए जाने वाले होटलों के संबंध में केन्द्र सरकार की मंजूरी शीघ्र दिलाने के लिए सचिव, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय की अध्यक्षता में एक समिति भी गठित की गई है।

राष्ट्रमंडल खेल 2010 में भारतीय दल का प्रदर्शन सुधारने के लिए सभी स्वामित्वधारियों के साथ विस्तृत चर्चा हुई है और शीर्ष खिलाड़ियों, जो राष्ट्रमंडल खेल, 2010 में प्रतिनिधित्व करेंगे, को वैज्ञानिक समर्थन, उपस्कर आदि प्रदान करने वाला 661.00 करोड़ रु. की अनुमानित लागत वाला एक कार्यक्रम तैयार किया है।

सरकार ने आयोजन स्थलों की अवसंरचना के स्तरोन्नयन/सृजन के लिए 1000 करोड़ रु. (±10%); 30 करोड़ रु. (±15%) की लागत के अखिल भारतीय टेनिस संघ द्वारा टेनिस आयोजन स्थल का स्तरोन्नयन तथा "खेलों के आयोजन" के लिए 767 (±15%) करोड़ रु. के आयोजक समिति के व्यय बजट के लिए भारतीय खेल प्राधिकरण की परियोजनाएं अनुमोदित की है। व्यय वित्त समिति ने खेल गांव (जो सार्वजनिक निजी भागीदारी पर विकसित किया जा रहा है) में अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र आदि तथा इस गांव में खेल अवसंरचना के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण के 325.00 करोड़ रु. (±25%) के प्रस्ताव की संस्तुति की है।

योजना आयोग ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार को 770.00 करोड़ रु. के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। योजना आयोग ने 2008 में पुणे में आयोजित होने वाले राष्ट्रमंडल युवा खेल, जो कि मुख्य राष्ट्रमंडल खेल, 2010 के पूर्व स्पर्धा के रूप में आयोजित किए जाएंगे, की खेल अवसंरचना हेतु महाराष्ट्र सरकार के 110.00 करोड़ रु. के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है।

[हिन्दी]

सीआईएल के कर्मचारियों को हटाना

2971. श्री भुवनेश्वर प्रसाद मेहता: क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान कोल इंडिया लि. और विशेष रूप से सीसीएल, ईसीएल और बीसीसीएल में सेवारत 15000 से अधिक कर्मचारियों को सेवा से लंबी अनुपस्थिति के आधार पर कथित रूप से हटा दिया गया है जिसमें से 95 प्रतिशत कर्मचारी अ.जा., अ.ज.जा. और ओबीसी श्रेणी के हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी श्रेणीवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार सभी कर्मचारियों को पुन: बहाल करने का है;

(घ) साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स सहित कोल इंडिया लि. की कितनी अनुषंगी कंपनियों ने इन कर्मचारियों को पुन: बहाल किया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. दासरि नारायण राव): (क) और (ख) जी, नहीं। तथापि, इन तीन कंपनियों में लंबी अवधि से अनुपस्थित रहने के प्रमाणित दुराचरण के कारण अनु. जाति, अनु. जनजाति और ओबीसी सहित सभी श्रेणियों के केवल 2017 कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त कर दी गई हैं जिसके ब्यौरे निम्नवत् हैं:

वर्ष	सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लि.	ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि.	भारत कोकिंग कोल लि.	जोड़
2004-05	156	310	413	879
2005-06	101	174	308	583
2006-07	74	130	351	555
जोड़	331	614	1072	2017

(ग) जी, नहीं। कामगारों के लिए लागू प्रमाणित स्थायी आदेशों में अन्य बातों के साथ-साथ बर्खास्त कर्मचारियों के लिए अपीलीय प्राधिकारी को अपील करने का प्रावधान है। ऐसी अपीलें जब कभी प्राप्त होती हैं, उन पर अपीलीय प्राधिकारी द्वारा गुणावगुण के आधार पर विचार किया जाता है। व्यक्तिगत मामले के गुणावगुण पर केवल अपीलीय प्राधिकारी के निर्णय के आधार पर बहाली की

जाती है। कामगारों की बहाली की निर्धारित क्रियाविधि का कोल इंडिया लि. और उसकी सहायक कंपनियों द्वारा अनुपालन किया जा रहा है।

(घ) और (ङ) बहाल किए कए गए कर्मचारियों की कंपनी-वार संख्या निम्नवत है-

कंपनी का नाम	2004-05	2005-06	2006-07
ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि.	24	22	22
भारत कोकिंग कोल लि.	72	32	59
सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लि.	02	02	07
वेस्टर्न कोलफील्ड्स लि.	07	06	06
साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि.	32	27	65
महानदी कोलफील्ड्स लि.	-	-	04
जोड़	137	89	163

[अनुवाद]

विभिन्न प्रमुख पत्तनों पर भीड़भाड़

2972. डा. एम. जगन्नाथः क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या फिक्की ने अपनी रिपोर्ट में यह कहा है कि सरकारी निवेश और निजी कंपनियों की पत्तन परियोजनाओं में निवेश करने में रुचि की कमी के फलस्वरूप विभिन्न प्रमुख पत्तनों पर भीड़भाड़ बढ़ी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार पत्तनों से भीड़भाड़ को दूर करने हेतु पत्तनों के आधुनिकीकरण और विस्तार में सरकारी निवेश को बढ़ाने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री (श्री टी.आर. बालू): (क) से (ङ) दिनांक 14.07.2007 को "पत्तनों और पोत-परिवहन को विकसित किए जाने हेतु कार्य-नीति" पर प्रैस के लिए जारी पृष्ठभूमि दस्तावेज में, फेडरेशन आफ इंडियन चैम्बर्स आफ कामर्स एंड इंडस्ट्रीज ने अन्य बातों के साथ-साथ यह टिप्पणी की कि पत्तनों और पोत-परिवहन अवसंरचना को विश्व स्तर का बनाने में गैर-सरकारी क्षेत्र का कम निवेश, इन परियोजनाओं के संबंध में निवेश में गैर-सरकारी निवेशकों की प्रतिभागिता के बारे में रुचि की कमी (मुख्यतः लम्बी अवधि तक चलने वाली, आय की कम आंतरिक दर और कठिन प्रक्रियाओं एवं विनियमों के कारण) के परिणामस्वरूप, विभिन्न महापत्तनों में भीड़भाड़ होती है, इससे व्यापार में अकुशलता, उच्च कार्य लागत लगती है और जिससे भारतीय पत्तन कम प्रतिस्पर्धी बन रहे हैं।

सरकार ने पृष्ठभूमिपरक दस्तावेज पर ध्यान दिया है। पत्तनों को आधुनिकीकृत बनाना और उनका विस्तार किया जाना एक लगातार चलती रहने वाली प्रक्रिया है। समुद्रीय व्यापार की मांगें ध्यान में रख कर, दिसम्बर, 2005 में सरकार द्वारा तैयार किए गए राष्ट्रीय समुद्रीय विकास कार्यक्रम के अंतर्गत एक निर्धारित अवधि में कार्यान्वित किए जाने हेतु कुल 387 परियोजनाएं (महापत्तनों के लिए 276 और पोत-परिवहन तथा अंतर्देशीय जल-परिवहन हेतु 111 परियोजनाएं) चुन ली गई हैं। उपर्युक्त कार्यक्रम, पत्तन-अवसंरचना, टनभार अभिग्रहण और सांस्थानिक क्षमता तैयार करने सहित विशिष्ट अवसंरचना में निवेश पर ध्यान देना तथा उसे बढ़ाया जाना सुकर बनाएगा। इस कार्यक्रम में लगभग 1,00,339 करोड़ रुपए का कुल निवेश किया जाना परिकल्पित है, जिसमें से लगभग 55,804 करोड़ रु. की धनराशि महापत्तनों के लिए है और शेष 44,535 करोड़ रु. की धनराशि पोत-परिवहन तथा अंतर्देशीय जल-परिवहन-क्षेत्रों के लिए है। महापत्तनों के संबंध में 55,804 करोड़ रु. की धनराशि में से 34,505 करोड़ रु. की धनराशि, गैर-सरकारी क्षेत्र से सुलभ हो जानी अपेक्षित है। शेष धनराशि, सरकारी बजट सहायता और महापत्तनों के आंतरिक तथा अतिरिक्त बजट-संसाधनों से प्राप्त होने की संभावना है।

राष्ट्रीय समुद्रीय विकास कार्यक्रम के अंतर्गत वर्ष 2011-12 तक कार्यान्वित किए जाने हेतु महापत्तनों में कुल 276 परियोजनाएं चुनी गई हैं। इन परियोजनाओं में नए घाटों के निर्माण, मौजूदा घाटों के उन्नयन, बड़े आकार के पोतों के आने की दृष्टि से पत्तन-जलमार्गों को और अधिक गहरा किए जाने, उपकरणों का उन्नयन और आधुनिकीकरण, रेल/सड़क संपर्क कायम किए जाने और अन्य सम्बद्ध परियोजनाओं सहित पत्तनों के समग्र क्रिया-कलाप शामिल हैं। यह कार्यक्रम, सरकारी-गैर सरकारी भागीदारी के माध्यम से कार्यान्वित किया जाएगा। हालांकि सरकारी धनराशि, सामान्य प्रयोक्ता अवसंरचना का निर्माण किए जाने के लिए इस्तेमाल की जाएगी, गैर-सरकारी क्षेत्र से निवेश, घाटों/टर्मिनलों इत्यादि के विकास और संचालनों जैसे वाणिज्यिक रूप से व्यवहार्य परियोजनाओं में इस्तेमाल किया जाना परिकल्पित है।

11वीं पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान महापत्तनों के माध्यम से यातायात का अबाध प्रवाह सुकर बनाने की दृष्टि से, महापत्तनों में कुल क्षमता वर्ष 2011-12 के दौरान 708.09 मिलियन टन के अनुमानित यातायात की तुलना में 1001.80 मिलियन टन प्रति वर्ष के स्तर तक बढ़ा दिए जाने की योजना है।

समवर्ती सूची में खेल

2973. श्री भर्तृहरि महताब: क्या युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या खेलों को संविधान की समवर्ती सूची में शामिल करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है?

पंचायती राज मंत्री, युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री तथा उत्तर-पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) खेलों की प्रविष्टि को राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित करने के लिए राज्य सभा में दिनांक 24.11.1988 को एक संविधान संशोधन विधेयक लाया गया था, किंतु यह पारित नहीं हुआ। हालांकि कैबिनेट को यह बता दिया गया था कि अधिकांश राज्य सरकारों ने इस प्रस्ताव को अनुमोदन दे दिया था। वृहत राष्ट्रीय खेल नीति के प्रारूप में भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची में 'खेल' विषय को राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित करने की आवश्यकता पर पुन: बल दिया गया। प्रारूप पर विचार-विमर्श जारी है।

(घ) चूंकि अभी राज्य सरकारों सहित सभी स्वामित्वधारियों के साथ विस्तृत विचार-विमर्श चल रहा है इसलिए इस प्रस्ताव को अंतिम रूप देने के लिए कोई समय-सीमा निश्चित करना संभव नहीं है।

[हिन्दी]

आरटीआई एक्ट का प्रचार

2974. श्री रशीद मसूद:
श्री मिलिन्द देवरा:
श्री सर्वे सत्यनारायण:
श्री जसुभाई धनाभाई बारड़:
श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु:

क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आरटीआई एक्ट के बारे में जागरूकता पैदा करने की जरूरत है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 2005-06 और 2006-07 के दौरान सरकार द्वारा इस प्रयोजनार्थ विज्ञापन और पुस्तकें प्रकाशित करने तथा उस पर खर्च की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या आरटीआई एक्ट का प्रचार करने हेतु धनराशि की भारी कमी है, जैसाकि दिनांक 18 जून, 2007 के 'हिन्दुस्तान टाइम्स' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश पचौरी): (क) जी हां, श्रीमान।

(ख) विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए वर्ष 2006 में एक अभियान प्रारम्भ किया था। मीडिया के माध्यम से इस अधिनियम का प्रचार करने के लिए अगली पहलें भी शुरू कर दी गई हैं।

(ग) जी नहीं, श्रीमान।

(घ) से (च) प्रश्न ही नहीं उठते हैं।

[अनुवाद]

निजी क्षेत्र/एनजीओ में प्रतिनियुक्ति

2975. श्रीमती वसुंधरा राजे सिंधिया:
श्री एम. राजा मोहन रेड्डी:
श्री हरिकेवल प्रसाद:
श्री तुकाराम गणपतराव रेंगे पाटील:

क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत दस वर्षों के दौरान और चालू वर्ष में आज की तारीख तक अपनी सेवा से त्यागपत्र देने वाले आईएएस/आईआरएस अधिकारियों का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) केन्द्र सरकार द्वारा इस प्रवृत्ति को रोकने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान और चालू वर्ष में आज की तारीख तक वर्ष-वार कितने आईएएस/सरकारी अधिकारियों ने विदेशों में कार्य करना शुरू कर दिया है या गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ)/निजी क्षेत्रों में नौकरी कर ली है;

(घ) सरकार द्वारा सरकारी अधिकारियों को त्यागपत्र देने और एनजीओ/निजी क्षेत्रों में नौकरी करने की अनुमति देने हेतु क्या दिशानिर्देश निर्धारित किए गए हैं;

(ङ) क्या आईएएस अधिकारियों को इस संबंध में ढील देकर एनजीओ/निजी क्षेत्र में नौकरी करने की अनुमति दी गई है;

(च) क्या अन्य संवर्गों के सरकारी कर्मचारियों को भी इसी प्रकार की ढील दी जा रही है;

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ज) क्या सरकार को इस प्रकार की कोई शिकायत मिली है कि प्रतिनियुक्ति पर गए ऐसे अधिकारी अपने प्रभाव का प्रयोग करके संबंधित निजी क्षेत्र की कम्पनियों को लाभ पहुंचा रहे हैं जिससे सरकार को घाटा हुआ है; और

(झ) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश पचौरी): (क) उपलब्ध रिकार्ड के अनुसार अपेक्षित सूचना नीचे दी गई है:-

वर्ष	भारतीय प्रशासनिक सेवा	भारतीय राजस्व सेवा
2004	02	04
2005	03	07
2006	02	12
2007 (आज तक)	01	07

ब्यौरा संलग्न विवरण-I से III के अनुसार।

(ख) भारत सरकार द्वारा, केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों आदि की श्रेणियों के लिए व्यापक वेतन पैकेज तैयार करने और उभरते वैश्विक आर्थिक परिदृश्य की मांगों के साथ केन्द्रीय सरकारी संगठनों के कामकाज का तालमेल बैठाने के लिए छठे केन्द्रीय वेतन आयोग का गठन किया गया है। यह अन्य संगत कारकों के साथ कर्मचारियों को उपलब्ध कुल प्रसुविधाओं, उनके युक्तिसंगतता/सरलीकरण की आवश्यकता, केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में उपलब्ध मौजूदा वेतन संरचना और सेवानिवृत्ति प्रसुविधाओं को भी ध्यान में रखेगा।

(ग) पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान, आज तक की स्थिति निम्नवत् है:-

विदेश नियुक्ति पर (भारतीय प्रशासनिक सेवा)	- 51
(गैर-भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों) की विदेश नियुक्ति के संबंध में सूचना केन्द्रीकृत रूप में रखी जाती है।) भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग) नियमावली, 1954 के नियम 6(2)(ii) के अंतर्गत जिसमें गैर-सरकारी संगठन/निजी क्षेत्र शामिल हैं)	- 64

(घ) से (छ) सरकार ने भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों सहित सरकारी अधिकारियों को सरकारी सेवा से त्याग-पत्र देने और गैर-सरकारी संगठन/निजी क्षेत्र में उन्हें पदभार ग्रहण करने की अनुमति देने के बारे में कोई दिशा-निर्देश निर्धारित नहीं किए हैं। फिर भी, सरकारी अधिकारी के सरकारी सेवा से सेवा-निवृत्त होने के पश्चात् उसके द्वारा वाणिज्यिक रोजगार प्राप्त करने के बारे में नियम और दिशा-निर्देश हैं।

(ज) और (झ) ऐसी कोई रिपोर्टें प्राप्त नहीं हुई हैं।

विवरण I

भारतीय प्रशासनिक सेवा के उन सदस्यों की सूची जिन्होंने पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान आज तक की स्थिति के अनुसार त्यागपत्र दिया है

क्र.सं.	नाम	त्यागपत्र की तिथि
1.	संजीव सभलोक, भा.प्र.से. (ए.एम.: 82)	20.1.2004
2.	इकबाल सिंह धालिवाल	21.10.2004
3.	ए.के. झा, भा.प्र.से. (बी.एच.: 89)	13.1.2005
4.	सुप्रवीण कुमार, भा.प्र.से. (एच.वाई.: 99)	27.5.2005
5.	एस.वी. अय्यर, भा.प्र.से. (एम.पी.: 81)	28.8.2005
6.	श्री राजीव तलवार, भा.प्र.से. (एजीएमयूटी: 78)	29.8.2006
7.	श्री संजय नारायेण, भा.प्र.से. (एम.एच.: 76)	1.11.2006
8.	सुश्री एसथेर निंधौवुंग हंगल, भा.प्र.से. (परिवीक्षाधीन) 2005 बैच	27.7.2007

विवरण II

आई.आर.एस. (सी. एंड सी.ई.) के अधिकारियों का वर्षवार ब्यौरा जिन्होंने पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान आज की तारीख की स्थिति के अनुसार सेवा से त्याग-पत्र दिया है

वर्ष	क्र.सं.	अधिकारी(यों) का नाम (सर्वश्री)	पदनाम	त्यागपत्र की तारीख
2004	1.	एम.के. शेरवानी	उप निदेशक	13.12.2004
	2.	प्रशांत कुमार	सहायक आयुक्त	3.9.2004
	3.	राजेश कुमार	उप आयुक्त	9.9.2004
	4.	ए.वी. सोलंकी	सहायक निदेशक	26.3.2004
2005	5.	श्रीनिवास टाटा	सहायक आयुक्त	8.7.2005
	6.	के. ज्वाहमांचे	सहायक आयुक्त	21.4.2005
	7.	अतुल गुप्ता	अपर आयुक्त	27.4.2006
	8.	डा. वमन पारखी	संयुक्त आयुक्त	10.1.2005
	9.	बी.बी. रेड्डी	सहायक आयुक्त	22.12.2005
2006	10.	हरजिंदर सिंह	सहायक आयुक्त	20.2.2006
	11.	विराग गुप्ता	सहायक आयुक्त	17.2.2006
	12.	पूनम	परिवीक्षाधीन	17.2.2006
	13.	डी.एन. चौधरी	संयुक्त आयुक्त	30.6.2006
	14.	मनीष श्रीवास्तव	संयुक्त आयुक्त	27.7.2006
	15.	संजय अग्रवाल	सहायक आयुक्त	31.8.2006
	16.	डा. सतीश टी. डोगरे	संयुक्त आयुक्त	16.10.2006
	17.	पी. सारा वानन	सहायक आयुक्त	16.3.2006
2007	18.	पी. विनय कुमार	अपर आयुक्त	18.1.2007
	19.	के.आर. चौधरी	सहायक आयुक्त	6.2.2007
	20.	पी.जी. साह	सहायक आयुक्त	28.2.2007
	21.	रमाकांत सिंह	सहायक आयुक्त	31.5.2007
	22.	विपिन सपरा	अपर आयुक्त	15.6.2007

विवरण III

आई.आर.एस. (आई.टी.) कार्मिकों की सूची, जिन्होंने पिछले दस वर्षों में आई.आर.एस. (30.08.2007 की स्थिति के अनुसार) से त्यागपत्र दिया है

क्र.सं.	नाम	त्याग-पत्र की तारीख
1.	आर.सी. मीणा	5.3.1998
2.	संजय यशरे	18.9.1998
3.	आर.एस. पुरी	19.11.1998
4.	कुणाल मधुकर	9.4.1999
5.	जी. कृष्णा किशोर	7.7.1999
6.	जे.वी.एस. गिल	20.10.1999
7.	पपिया घोष भल्ला	1.12.2000
8.	कल्याणकृत रे	15.12.2000
9.	यू.एस. भट्टी	28.5.2002
10.	राम राज	11.7.2003
11.	ए.के. सिन्हा	7.2.2003
12.	सलील गुप्ता	24.1.2005
13.	मोनिका मोहंती	11.8.2005
14.	रेखा दिवाकर	10.3.2006
15.	नीना लाथ गुप्ता	10.4.2006
16.	बी.डी. सिन्हा	7.7.2006
17.	राजा लक्ष्मी कामथ	29.11.2006
18.	जी.एस.डी. बाबू	25.06.2007
19.	हिमांशु शेखर सिन्हा	27.8.2007

सीआईएल के कर्मचारियों से एकत्र किया गया संदान

2976. श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु:
श्री जसुभाई धानाभाई बारड़:
श्री चन्द्र शेखर दुबे:

क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) और साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (एसईसीएल) सहित इसकी सहायक कंपनियों ने प्रधान मंत्री राहत कोष में जमा कराने हेतु राशि एकत्र की थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी कंपनीवार और सहायक कंपनीवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सीआईएल और इसकी सहायक कंपनियों ने एकत्र की गई राशि को प्रधान मंत्री राहत कोष में जमा नहीं कराया है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कदम उठाए गए हैं?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. दासरि नारायण राव): (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

जंगली हाथियों द्वारा मारे गए व्यक्ति

2977. श्री टेकलाल महतो: क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान झारखण्ड में जंगली हाथियों द्वारा मचाए गए उत्पात में कितने व्यक्ति मारे गए और कितने मकानों को नुकसान पहुंचा;

(ख) सरकार द्वारा अभी तक कितने व्यक्तियों को मुआवजा दिया गया है;

(ग) सरकार द्वारा जंगली हाथियों द्वारा मचाए गए उत्पात को रोकने हेतु क्या कार्यवाही की गई है और इस संबंध में खर्च की गई राशि का वर्ष-वार और जिले-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा जंगली हाथियों को दूर भगाने हेतु कितनी राशि खर्च की गई है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति): (क) से (घ) राज्य सरकार से प्राप्त सूचना के आधार पर झारखण्ड राज्य से संबंधित विवरण निम्नलिखित है:-

वर्ष	मारे गए व्यक्तियों की संख्या	मकानों, फसलों को नुकसान होने की घटनाओं की सं.	उत्पात रोकने हेतु खर्च की गई राशि (लाख रुपये में)	जंगली हाथियों को भगाने हेतु खर्च की गई राशि (लाख रुपये में)
2004-05	63	3645	72.73 रु.	24.54 रु.
2005-06	91	5501	43.80 रु.	26.90 रु.
2006-07	67	7849	120.678 रु.	25.48 रु.

विगत तीन वर्षों में जंगली हाथियों द्वारा मारे गए प्रत्येक वयस्क के आश्रितों/रिश्तेदारों को एक लाख रुपये और प्रत्येक माइनर को पचास हजार रुपये के हिसाब से कुल 220 लोगों को मुआवजा दिया गया है। मारे गए एक वयस्क व्यक्ति के लिए मुआवजा का भुगतान नहीं किया जा सका क्योंकि वह अविवाहित था और उसके कोई आश्रित या अभिभावक जीवित नहीं थे। जंगली हाथियों के उत्पात को रोकने हेतु हजारीबाग, धनबाद, बोकारो, दुमका, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला जिलों में राशि खर्च की गई है।

परमाणु सामग्री की सुरक्षा

2978. श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया: क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत ने परमाणु सामग्री की भौतिक सुरक्षा पर आईएईए अभिसमय पर वर्ष 2005 में अपनाए गए संशोधन की अभिपुष्टि करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो संशोधित अभिसमय का ब्यौरा क्या है;

(ग) इसके फलस्वरूप देश को उपलब्ध सुविधाओं और उससे संबंधित प्रतिबंधों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) इससे भारत की सुरक्षा और विद्युत संबंधी हितों को क्या लाभ होगा?

प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री पृथ्वीराज चव्हाण): (क) से (घ) भारत, आईएईए की 1980 में अपनाई गई परमाणु सामग्री की भौतिक सुरक्षा संबंधी कन्वेंशन (सीपीपीएनएम) का एक पक्षकार है। इस कन्वेंशन का मूल उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय परिवहन के दौरान परमाणु सामग्री की प्रभावी भौतिक सुरक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग सुगम बनाना था। वर्ष 2005 में सीपीपीएनएम के पक्षकार 118 राष्ट्रों ने विस्तृत बातचीत के बाद उन संशोधनों को अपनाया जिसका लक्ष्य शांतिपूर्ण घरेलू उपयोग, भंडारण के साथ-साथ परिवहन में परमाणु सामग्री और सुविधाओं की उच्च स्तरीय भौतिक सुरक्षा को बढ़ावा देना था। इसके अंतर्गत, चोरी हुई अथवा तस्करी की गई परमाणु सामग्री का पता लगाने और बरामद करने, तोड़-फोड़ के किसी भी वैकिरणिकी परिणाम को कम करने और संबंधित अपराधों को रोकने और उनका मुकाबला करने की तत्काल कार्रवाई के संबंध में राष्ट्रों के बीच और साथ मिलकर विस्तारित सहयोग का भी प्रावधान है। इन संशोधनों का इरादा आतंकवादी कर्म और तोड़-फोड़ के कर्म करने वालों की जांच करने, उन पर मुकदमा चलाने और उनके प्रत्यर्पण में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग हेतु कानूनी आधार को मजबूत बनाने का भी है जिससे आतंकवाद से मुकाबला करने के अंतर्राष्ट्रीय कानूनी ढांचे को सुदृढ़ किया जा सके। भारत ने इस बातचीत में सक्रिय रूप से हिस्सा लिया। मंत्रिमंडल ने सीपीपीएनएम के संशोधन के संबंध में भारत के अनुसमर्थन को अनुमोदन दे दिया है। यह कन्वेंशन एक प्रोत्साहक साधन है जिसका लक्ष्य विश्वभर में परमाणु सामग्री और सुविधाओं की उच्च स्तरीय भौतिक सुरक्षा को बढ़ावा देना है।

राष्ट्रपति का हिंदी में अभिभाषण

2979. श्री किसनभाई वी. पटेल:
श्री सुग्रीव सिंह:

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि भिन्न-भिन्न देशों में स्थित भारतीय दूतावासों, वाणिज्यिक दूतावासों और अन्य कार्यालयों में से बहुत कम ने राष्ट्रपति के अभिभाषण को हिंदी में पढ़ा;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) ऐसे महत्वपूर्ण अवसरों पर हिंदी का प्रयोग सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्द शर्मा): (क) और (ख) 26 जनवरी, 2007 को गणतंत्र दिवस के अवसर पर

राष्ट्रपति का भाषण विदेश स्थित लगभग 120 मिशनों में हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों में पढ़ा गया था। राष्ट्रपति के भाषण के हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों रूपांतरों की प्रतियां अधिकतर मिशनों द्वारा परिचालित की गयी थीं।

(ग) ऐसे अवसरों पर मिशनों के अधिकारी एवं कर्मचारी भारतीय मूल के लोगों और विदेशों में रह रहे भारतीयों के साथ अतिथियों से बातचीत सामान्य तौर पर हिंदी में करते हैं।

सड़क अवसंरचना का विकास और रख-रखाव

2980. श्री जी. करुणाकर रेड्डी:
प्रो. प्रेम कुमार धूमल:

क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सड़कों की खराब हालत और उस पर बढ़ता यातायात भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास में बाधा उत्पन्न कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कुल राष्ट्रीय राजमार्ग का दो प्रतिशत भाग 40 प्रतिशत यातायात भार को सहन करता है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सड़क अवसंरचना के विकास हेतु उपलब्ध धनराशि अपर्याप्त है; और

(च) यदि हां, तो इस प्रयोजनार्थ धनराशि उपलब्ध कराने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) और (ख) यह मंत्रालय मुख्यत: राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास और अनुरक्षण के लिए जिम्मेदार है। भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास पर राष्ट्रीय राजमार्गों की स्थिति और उन पर बढ़ते यातायात के प्रभाव के बारे में कोई आकलन नहीं किया गया है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) और (च) सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर उपकर लगाकर राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास के लिए धनराशि बढ़ाने के अनेक उपाए किए हैं और राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण-III और उसके बाद की परियोजनाओं का कार्यान्वयन मुख्यतया सार्वजनिक-निजी भागीदारी के माध्यम से निर्माण, प्रचालन और हस्तांतरण आधार पर करने का निर्णय लिया है।

बांस के फूलों वाले वन

2981. श्री मणि शारेनामै: क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) बांस के फूलों के अंतर्गत कितना वन क्षेत्र है;

(ख) बांस के फूलों से निपटने हेतु कितनी धनराशि जारी की गई है;

(ग) बांस के फूल खिलने के बाद बांस की अनुमानत: कितनी मात्रा बेकार हो रही है;

(घ) बांस के फूल खिलने से पहले मणिपुर में कितनी मात्रा में बांस का उत्पादन हुआ;

(ङ) चालू वर्ष के दौरान कितने वन क्षेत्र में बांस रोपण किए जाने की योजना है और इस कार्यक्रम हेतु कितनी राशि स्वीकृत की गई;

(च) क्या ग्रामीणों को बांस रोपण का कोई प्रशिक्षण दिया गया है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति): (क) सात पूर्वोत्तर राज्यों में बांस के फूलों के अंतर्गत लगभग 14,23,117 हेक्टेयर वन क्षेत्र है।

(ख) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम (सीएसएस) के अंतर्गत बांस के फूलों से निपटने के लिए विभिन्न वित्तीय वर्षों (एफवाई) में जारी की गई निधि की राशियां निम्न प्रकार से है:

वित्त वर्ष 2005-06 - 17.82 करोड़ रुपये

वित्त वर्ष 2006-07 - 25.00 करोड़ रुपये

वित्त वर्ष 2007-08 - 6.28 करोड़ रुपये

(ग) और (घ) फूलों के खिलने के बाद बांसों को सुखाया जाता है तथा अधिकतर अनुपयोगी हो जाते हैं। बांस के फूल खिलने से पहले मणिपुर में निकाले गए बांसों की संख्या लगभग 21,37,278 है।

(ङ) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम के अंतर्गत पौधरोपण सहित विभिन्न कार्यकलापों के लिए वर्तमान वित्त वर्ष में लगभग 27 करोड़ रुपयों का आबंटन प्रस्तावित है।

(च) और (छ) राष्ट्रीय बांस मिशन में किसानों/उद्यमियों को प्रशिक्षण दिए जाने का प्रावधान है। राज्य सरकारों के अलावा, बेंत और बांस प्रौद्योगिकी केन्द्र द्वारा लक्षित समूहों को प्रशिक्षण दिया जाता है जिन्हें मिशन के अंतर्गत बांस तकनीकी सहायता ग्रुप के रूप में नामित किया गया है।

ओजोन परत

2982. श्री एन.एस.वी. चित्तन: क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेफ्रिजरेटरों और ए.सी. मशीन के बढ़ते प्रयोग से ओजोन परत को नुकसान हो रहा है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा ओजोन परत को बचाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायण मीना): (क) और (ख) जी, हां। भारत ओजोन परत की सुरक्षा के लिए वियना कन्वेंशन और ओजोन क्षयकारी पदार्थों पर मांट्रियल प्रोटोकाल का एक पक्षकार है। ओजोन क्षयकारी पदार्थों (ओडीएस) को चरणबद्ध रूप से समाप्त करने के लिए 1993 में कंट्री प्रोग्राम तैयार किया गया था और निम्नलिखित कदम उठाए गए:-

* पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम, 1986 के तहत ओजोन क्षयकारी पदार्थ (विनियमन और नियंत्रण) नियमावली, 2000 को 19.7.2000 को अधिसूचित किया गया।
* गैर-ओडीएस प्रौद्योगिकी के लिए अपेक्षित सामान पर सीमाशुल्क और उत्पाद शुल्क के भुगतान पर छूट देकर राजकोषीय प्रोत्साहन दिया गया।
* जागरूकता अभियान चलाए गए।
* रेफ्रिजरेटर्स और मोबाइल एयर कंडीशनर्स में क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, जो ओजोन परत को क्षति पहुंचाते हैं, के उपयोग को दिनांक 1.1.2003 से चरणबद्ध रूप से समाप्त कर दिया गया है। एयर कंडीशनर्स में हाइड्रोक्लोरोकार्बन्स (एचसीएफसी) उपयोग किया जाता है, जिसकी ओजोन क्षयकारी क्षमता कम है और इसे मांट्रियल प्रोटोकाल के अनुसार दिनांक 1.1.2040 तक समाप्त कर दिया जाएगा।

[हिन्दी]

दिल्ली-गुड़गांव राष्ट्रीय राजमार्ग-8 पर दुर्घटना

2983. श्री पंकज चौधरी:
श्री राजीव रंजन सिंह 'ललन':
श्री सूरज सिंह:

क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली-गुड़गांव राष्ट्रीय राजमार्ग-8 पर काफी अधिक दुर्घटनाएं होती हैं;

(ख) यदि हां, तो कितनी दुर्घटनाएं हुई और उसमें कितने लोग हताहत हुए;

(ग) क्या राष्ट्रीय राजमार्ग-8 पर दिल्ली-गुड़गांव सड़क के आसपास की घनी आबादी के कारण लोगों को सड़क पार करने में समस्या आ रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा बढ़ती दुर्घटनाओं को रोकने और लोगों के सामने आ रही समस्याओं को सुलझाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) और (ख) भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, राष्ट्रीय राजमार्ग-8 दिल्ली-गुड़गांव खंड पर 1.1.2007 से 31.7.2007 तक 709 सड़क दुर्घटनाएं और 47 लोगों की मृत्यु दर्ज की गई है।

(ग) और (घ) सड़क पर दुर्घटनाएं और उनमें मृतकों की संख्या, सड़क पर वाहनों की संख्या, आबादी, सड़क की चौड़ाई, गति, विभिन्न यातायात परिस्थितियों आदि जैसे अनेक कारकों पर निर्भर करती हैं।

(ङ) सड़क प्रयोक्ताओं की सुरक्षा मुख्यत: संबंधित राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। तथापि, इस विभाग ने सड़क प्रयोक्ताओं के लिए सड़क सुरक्षा में सुधार हेतु अनेक उपाय किए हैं जो इस प्रकार हैं:-

(1) सड़क सुरक्षा, राष्ट्रीय राजमार्गों/एक्सप्रेस मार्गों की योजना के स्तर पर सड़क डिजाइन का अभिन्न अंग है।

(2) भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा सड़क सुरक्षा बढ़ाने के लिए सड़क फर्नीचर, सड़क चिह्नांकन/सड़क संकेत, कुशल परिवहन व्यवस्था (इंटेलीजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम) का प्रयोग करके राजमार्ग यातायात प्रबंधन व्यवस्था को लागू करना, निर्माण के दौरान ठेकेदारों में अनुशासन बढ़ाना, चुनिंदा खंडों पर सड़क सुरक्षा संपरीक्षा जैसे विभिन्न उपाय किए गए हैं।

(3) असंगठित क्षेत्र में भारी मोटर वाहन चालकों के लिए पुनश्चर्या प्रशिक्षण।

(4) सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा सड़क सुरक्षा क्रियाकलापों में गैर-सरकारी संगठनों की भागीदारी।

(5) देश में आदर्श चालक प्रशिक्षण स्कूलों की स्थापना।

(6) दृश्य-श्रव्य प्रिंट मीडिया के माध्यम से सड़क सुरक्षा जागरूकता संबंधी प्रचार अभियान।

(7) सड़क सुरक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले स्वैच्छिक संगठनों/व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार की स्थापना।

(8) वाहनों के सुरक्षा मानक कठोर बनाना।

(9) राष्ट्रीय राजमार्ग दुर्घटना राहत सेवा स्कीम के अंतर्गत विभिन्न राज्य सरकारों/गैर-सरकारी संगठनों के लिए क्रेनों और एंबुलेंसों की व्यवस्था। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण भी अपने प्रचालन और अनुरक्षण करार के अंतर्गत पूरे हो चुके अपने प्रत्येक राष्ट्रीय राजमार्ग पर 60 कि.मी. की दूरी पर एंबुलेंस सेवा प्रदान करता है।

(10) दो लेन वाले राष्ट्रीय राजमार्गों को चार लेन का और चार लेन वाले राष्ट्रीय राजमार्गों को 6 लेन आदि का बनाना और सुधार कार्य करना।

उपर्युक्त के अलावा, दुर्घटना की बढ़ती संख्या को रोकने और लोगों को होने वाली समस्या के निवारण के लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग-8 दिल्ली-गुड़गांव खंड पर निम्नलिखित उपाय किए जा रहे हैं:-

1. धीमी गति से चलने वाले यातायात को तेज गति से चलने वाले यातायात से अलग करना।
2. पैदल यात्रियों के लिए सड़क पार करने की पर्याप्त व्यवस्था।
3. माध्यिका पर बाड़ कार्य की व्यवस्था।

[अनुवाद]

सड़क परियोजनाओं में भ्रष्टाचार

2984. श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव:
श्री रवि प्रकाश वर्मा:
श्री आनंदराव विठोबा अडसूल:

क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या प्रधानमंत्री ने सड़क निर्माण परियोजनाओं में भ्रष्टाचार पर चिंता व्यक्त की है और पारदर्शी कार्यान्वयन की आवश्यकता पर बल दिया है जैसा कि दिनांक 24 मई, 2007 के 'दि हिन्दू' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा सड़क निर्माण परियोजनाओं में भ्रष्टाचार को समाप्त करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) से (ग) भ्रष्टाचार के बारे में माननीय प्रधानमंत्री की टिप्पणी सामान्य रूप से सड़क कार्यों के बारे में थी। संवैधानिक रूप से भारत सरकार केवल राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास और अनुरक्षण के लिए जिम्मेदार है और अन्य सभी सड़कें राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनिक नियंत्रण में हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण कार्यों में भ्रष्टाचार की संभावना से बचने के लिए ठेके सौंपने और उनके कार्यान्वयन में पारदर्शी प्रक्रिया अपनाई जाती है। भ्रष्टाचार को रोकने के लिए सरकार के पास उपयुक्त तंत्र है।

गंगा द्वारा गाद का निक्षेप

2985. श्री रेवती रमन सिंह: क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इलाहाबाद में गंगा नदी में भारी गाद जमा हो गई है;

(ख) क्या मुख्य धारा फाफामऊ के निचले इलाके की ओर मुड़ गई है;

(ग) क्या बाएं किनारे की ओर स्पर्शी बहाव के फलस्वरूप, मुख्य धारा से संपत्ति की भारी हानि होने, रेल और सड़क संपर्क कटने और दीर्घकालीन नुकसान होने की संभावना है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा स्थिति को सुधारने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायण मीना): (क) से (घ) जल संसाधन मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार इलाहाबाद में गंगा नदी द्वारा इसके मार्ग में परिवर्तन से संबंधित मामले का अध्ययन करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार, गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग (पटना), रेल मंत्रालय और केन्द्रीय जल आयोग के अधिकारियों को शामिल करते हुए एक तकनीकी दल गठित किया गया था जिसने मई, 2007 में इस स्थल का निरीक्षण किया। तकनीकी दल ने पाया कि पिछले कुछ वर्षों से गंगा नदी फाफामऊ की तरफ शिफ्ट हो रही थी। यह देखा गया कि सड़क और रेलवे पुलों से उर्ध्व प्रवाह से 1.5-2.0 कि.मी. पर भूमि कटाव हुआ है।

दल ने यह भी देखा है कि सड़क और रेलवे पुल के पास गोला पत्थर डाल दिए जाने के कारण पहुंच मार्ग सुरक्षित है और नदी का बहाव मंद हो गया है फाफामऊ शहर जाने वाली मौजूदा सड़क को गंगा नदी के समानांतर निर्मित किया गया था यह नदी के बहाव से 600 से 700 मीटर दूर है और शहर को सुरक्षा प्रदान करती है भूमि कटाव रोकने और नदी के ऊर्ध्वप्रवाह को पुलों की तरफ घुमाव करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कुछ सुरक्षा कार्य किए गए थे। वर्तमान में, सड़क और रेलवे पुलों अथवा फाफामऊ शहर को स्पर्शी बहाव से कोई खतरा नहीं है।

दल ने (1) मौजूदा वर्षा ऋतु के दौरान नदी के बहाव पैटर्न की कड़ी निगरानी (2) पुलों के समीप नदी के व्यवहार का नमूना अध्ययन करने और (3) राज्य सरकार द्वारा नदी की पहुंच के 20 कि.मी. के दायरे में (पुलों के पास 10 कि.मी. ऊर्ध्व प्रवाह एवं अधोप्रवाह) में दूर संवेदी तकनीक द्वारा आकृति-मूलक अध्ययन करने की आवश्यकता की सिफारिश की है। जल संसाधन मंत्रालय द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार को अपेक्षित अध्ययन करने और उपचारात्मक उपाय करने के सुझाव पहले ही दिए जा चुके हैं।

स्विट्जरलैंड के साथ द्विपक्षीय सहयोग

2986. श्री रवि प्रकाश वर्मा:
श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव:
श्री आनंदराव विठोबा अडसूल:

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या स्विट्जरलैंड वर्ष 1960 से भारत को द्विपक्षीय विकास सहयोग सहायता मुहैया करा रहा है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान स्विट्जरलैंड द्वारा मुहैया कराई गई सहायता का ब्यौरा क्या है; और

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान ऐसी सहायता से शुरू की गई परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्द शर्मा): (क) और (ख) जी, हां। स्विट्जरलैंड 1964 से ही भारत को आर्थिक और तकनीकी सहायता प्रदान करता रहा है। तथापि वर्ष 2003 में और तत्पश्चात 2004 में द्विपक्षीय विकास सहायता से संबंधित भारत सरकार के दिशा-निर्देशों में संशोधन किए जाने के पश्चात् गैर जी-8 देशों से आधिकारिक विकास सहायता तभी स्वीकार्य है जब:

* ऐसे किसी देश की आधिकारिक विकास सहायता के अंतर्गत वार्षिक वचनबद्धता कम से कम 25 मिलियन अमरीकी डालर की हो, और
* यह अन्य शर्तों को पूरा करता हो, मुख्यत: यह कि यह दाता राष्ट्र से आपूर्तियों/परामर्श से जुड़ा नहीं हो।

वर्ष 2003-2004 के बाद स्विट्जरलैंड की सहायता से चलायी जाने वाली किसी परियोजना पर हस्ताक्षर नहीं किए गए हैं।

(ग) वर्ष 2003 के पूर्व हस्ताक्षरित परियोजनाएं, जो पिछले तीन वर्षों से चल रही हैं, के संबंध में पिछले तीन वर्षों के दौरान स्विट्जरलैंड द्वारा किए गए संवितरण के ब्यौरे नीचे की तालिका में दिए गए हैं:

परियोजना का नाम	ऋण/अनुदान	संवितरण (करोड़ रु.)			
		2004-05	2005-06	2006-07	2007-08 (31 जुलाई, 2007 की स्थिति के अनुसार)
नेरियामंगलम जल विद्युत परियोजना	ऋण	14.329	0.248	1.541	00.00
रेशम उत्पाद परियोजना	अनुदान	2.50	00.00	00.00	00.00
नेरियामंगलम जल विद्युत परियोजना	अनुदान	9.587	00.00	1.027	00.00

[हिन्दी]

कोयला हेतु विनियामक आयोग

2987. श्री गणेश सिंह: क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार कोयला आपूर्ति की दरें और गुणवत्ता के समुचित नियंत्रण हेतु एक विनियामक आयोग गठित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसे कब तक गठित किए जाने की संभावना है?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. दासरि नारायण राव): (क) से (ग) सरकार ने, सभी स्टेकहोल्डरों के परामर्श से विनियामक की आवश्यकता सहित विभिन्न मुद्दों की जांच करने और उसके बाद उपयुक्त विनियामक ढांचे का सुझाव देने के लिए भारतीय प्रशासनिक स्टाफ कालेज (ए.एस.सी.आई.) हैदराबाद की नियुक्ति परामर्शदाता के रूप में की है। कोयला विनियामक की नियुक्ति के लिए विधायी अनुदान की आवश्यकता होगी। इसलिए विनियामक प्राधिकरण के गठन के लिए समय-सीमा बता पाना मुश्किल है।

[अनुवाद]

पर्यावरण अदालतें

2988. श्री निखिल कुमार: क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विधि आयोग ने देश के पर्यावरण संबंधी कानूनों की अपनी समीक्षा पूरी कर ली है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या देश में पर्यावरण संबंधी मामले दिन-प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं; और

(घ) यदि हां, तो देश के विभिन्न हिस्सों में पर्यावरण अदालतें कब तक स्थापित किए जाने की संभावना है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायण मीना): (क) और (ख) भारतीय विधि आयोग ने देश के पर्यावरणीय नियमों की समीक्षा का कार्य प्रारम्भ नहीं किया है। तथापि, विधि आयोग ने पर्यावरणीय न्यायालयों पर अपनी 186वीं रिपोर्ट में अन्य बातों के साथ-साथ प्रत्येक राज्य (अथवा राज्यों के समूह के लिए) में पृथक पर्यावरणीय न्यायालयों को गठित किए जाने के लिए सिफारिश की है।

(ग) और (घ) पर्यावरण और वन मंत्रालय के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार, देश के विभिन्न न्यायालयों में पर्यावरण से संबंधित मामले अधिक संख्या में है। पर्यावरण और वन मंत्रालय ने सिद्धांत रूप में राष्ट्रीय पर्यावरण अधिकरण और कुछ क्षेत्रीय पर्यावरण अधिकरणों को गठित किए जाने के लिए विधान के अधिनियमन को प्रस्तावित करने का निर्णय लिया है। इन अधिकरणों को उक्त विधान के अधिनियमन के पश्चात गठित किया जा सकता है।

नर्सिंग पाठ्यक्रम हेतु नई योजना

2989. श्री अधीर चौधरी: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश में नर्सिंग पाठ्यक्रम हेतु नई योजना लागू करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं; और

(ग) इन योजनाओं को कब तक बनाए जाने तथा इनके कब तक कार्य शुरू करने की संभावना है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पाणाबाका लक्ष्मी): (क) से (ग) देश में उपचर्या पाठ्यक्रमों के लिए नई स्कीमें शुरू करने का सरकार का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, दसवीं परियोजना अवधि के दौरान निम्नलिखित क्षेत्रों में सक्षम प्राधिकारियों के अनुमोदन के अध्यधीन उपचर्या शिक्षक के सुदृढ़ीकरण का प्रस्ताव है-

(1) उन जिलों (230) में सहायक नर्स धात्री और सामान्य उपचर्या धात्री विद्यालयों की स्थापना करना जिन जिलों में ये दोनों प्रशिक्षण संस्थान नहीं हैं।

(2) स्नातकोत्तर उपचर्या (एमएससी नर्सिंग) संस्थानों की स्थापना करना।

(3) देश भर में अखिल भारतीय स्तर पर स्थिति में सुधार तथा उच्च गुणवत्ता वाली उपचर्या शिक्षा तक पहुंच का अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से क्षेत्रीय उत्कृष्टता संस्थान की स्थापना करना।

(4) नर्सधात्री प्रैक्टिशनरों का संवर्ग (काडर) तैयार करना तथा प्रशिक्षण संस्थाएं स्थापित करना।

[हिन्दी]

नये रोजगार का सृजन

2990. श्री सुभाष सुरेशचंद्र देशमुख: क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या प्रति वर्ष एक करोड़ नए रोजगार सृजित करने के संबंध में सुझाव देने हेतु योजना आयोग द्वारा गठित विशेष समूह ने सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस पर क्या कार्रवाई की गई है/किए जाने का विचार है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. राजशेखरन): (क) से (ग) योजना आयोग ने वर्ष 2001 में "दसवीं योजना अवधि के दौरान प्रतिवर्ष दस मिलियन रोजगार सुअवसरों का लक्ष्य निर्धारित करने संबंधी एक विशेष दल" का गठन किया था। विशेष दल ने मई, 2002 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी थी। रिपोर्ट की एक प्रति संसद के ग्रंथालय में रख दी गई है। विशेष दल द्वारा दिए गए सुझावों को दसवीं पंचवर्षीय योजना तैयार करते समय ध्यान में रखा गया था।

[अनुवाद]

झीलों का विकास

2991. श्रीमती निवेदिता माने:
श्री एकनाथ महादेव गायकवाड:
श्री असादूद्दीन ओवेसी:
श्री प्रतीक पी. पाटील:

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना के अंतर्गत झीलों के विकास हेतु केन्द्र सरकार को प्राप्त प्रस्तावों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सभी प्रस्तावों को स्वीकृति दे दी गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) शेष प्रस्तावों को कब तक स्वीकृत किए जाने की संभावना है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना): (क) से (ङ) मंत्रालय शहरी और अर्धशहरी क्षेत्र में प्रदूषित और अवक्रमित झीलों के संरक्षण और प्रबंधन के लिए जून, 2001 से राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना (एनएलसीपी) स्कीम का कार्यान्वयन केन्द्र सरकार और संबंधित राज्य सरकारों के बीच 70:30 लागत हिस्सेदारी के आधार पर कर रहा है। इस मंत्रालय द्वारा एनएलसीपी के अंतर्गत विचारार्थ प्राप्त हुए झील संरक्षण प्रस्तावों का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। अब तक प्राप्त हुए प्रस्तावों में से, मंत्रालय ने 617.34 करोड़ रु. की अनुमानित लागत से 48 झीलों के संरक्षण के लिए 32 परियोजनाएं स्वीकृत की हैं। कुछ लंबित प्रस्ताव, जिनमें तकनीकी कमियां है, उनमें राज्य सरकार द्वारा सुधार किए जाने की आवश्यकता है। नई झीलों के लिए प्रस्तावों पर एनएलसीपी के दिशा-निर्देशों, प्रदूषण की स्थिति, प्राथमिकता और योजना के अंतर्गत निधि की उपलब्धता की शर्त पर विचार किया जाता है।

विवरण

एनएलसीपी के अंतर्गत विचारार्थ प्राप्त हुए प्रस्तावों की राज्य-वार स्थिति

क्र.सं.	राज्य	प्राप्त प्रस्तावों की संख्या
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	1
2.	बिहार	1
3.	छत्तीसगढ़	1
4.	गुजरात	2
5.	झारखंड	1
6.	कर्नाटक	19
7.	महाराष्ट्र	16
8.	मध्य प्रदेश	6
9.	उड़ीसा	1
10.	पांडिचेरी	1
11.	राजस्थान	6
12.	त्रिपुरा	1
13.	तमिलनाडु	4

1	2	3
14.	उत्तर प्रदेश	4
15.	उत्तराखण्ड	2
16.	पश्चिम बंगाल	2
17.	जम्मू-कश्मीर	1
18.	केरल	1
19.	सिक्किम	1
20.	मणिपुर	1
	कुल	72

[हिन्दी]

ईएसी द्वारा रिपोर्ट जारी करना

2992. श्री रामजीलाल सुमन:
श्री राजीव रंजन सिंह 'ललन':
श्री रघुवीर सिंह कौशल:

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आर्थिक सलाहकार परिषद (ईएसी) ने 'वर्ष 2007-08 हेतु आर्थिक दृष्टिकोण' पर अपनी रिपोर्ट जारी कर दी है;

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं तथा बेरोजगारी के संबंध में क्या सूचना है;

(ग) क्या 'एसोचेम' द्वारा इस संबंध में कोई अध्ययन किया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या बेरोजगारी की समस्या नियंत्रण में है; और

(च) यदि हां, तो बेरोजगारी की वर्तमान स्थिति से संबंधित आंकड़े क्या हैं?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. राजशेखरन): (क) जी, हां।

(ख) आर्थिक सलाहकार परिषद (ईएसी) की रिपोर्ट में राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन के रोजगार एवं बेरोजगारी संबंधी सर्वेक्षणों के परिणामों का विश्लेषण किया गया है, और इसमें उल्लेख किया गया है कि अनौपचारिक क्षेत्रक और कृषि में रोजगार की उत्पादकता एक उभरती हुई चुनौती है, ताकि रोजगार की गुणवत्ता में एक महत्वपूर्ण सुधार हो। उक्त रिपोर्ट में रोजगार संबंधी अनुच्छेद में बेरोजगारी नियंत्रण हेतु कोई नीति निर्धारण नहीं है।

(ग) और (घ) एसोचैम द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना में उल्लेख किया गया है कि सार्वजनिक क्षेत्रक निजी क्षेत्रक की तुलना में ज्यादा उत्साह से महिलाओं को रोजगार प्रदान कर रहे हैं।

(ङ) और (च) बेरोजगारी दर जो वर्ष 1999-2000 में 7.3 प्रतिशत थी वर्ष 2004-05 में बढ़कर 8.3 प्रतिशत हो गई।

[अनुवाद]

पम्बा नदी में प्रदूषण

2993. श्री पी.सी. थामस: क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पम्बा नदी के प्रदूषण उपशमन हेतु एक विस्तृत परियोजना केन्द्र सरकार के विचारार्थ प्रस्तुत की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा इस पर क्या कार्रवाई की गई है;

(घ) इस योजना हेतु कितनी धनराशि आवंटित और जारी की गई है; और

(ङ) इस परियोजना के क्रियान्वयन की वर्तमान स्थिति क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायण मीना): (क) और (ख) केरल में पम्बा नदी के प्रदूषण उपशमन हेतु 319.70 करोड़ रु. की लागत से एक परियोजना दिसम्बर, 2002 में प्रस्तुत की गई थी।

(ग) से (ङ) राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना (एनआरसीपी) के तहत 18.45 करोड़ रु. की लागत से केन्द्र और राज्य सरकार के बीच 70:30 लागत हिस्सेदारी आधार पर पम्बा और सबरीमाला में पम्बा नदी के प्रदूषण उपशमन के लिए पम्बा कार्य योजना चरण-I को मई 2003 में मंजूर की गई थी। परियोजना में केन्द्र और राज्य सरकार का हिस्सा 12.92 करोड़ रु. और 5.53 करोड़ रु. है। केन्द्र के हिस्से में से, अनुमोदित कार्यों को निष्पादित करने के

लिए 1.75 करोड़ रु. की राशि केरल सरकार को जारी की जा चुकी है। अपेक्षित वन भूमि के लिए मंजूरी न मिलने के कारण इस परियोजना का कार्यान्वयन रोक दिया गया था।

पड़ोसी देशों के साथ संबंध

2994. श्री अनवर हुसैन: क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि विगत दो वर्षों के दौरान पड़ोसी देशों के साथ संबंध सुधारने हेतु सरकार द्वारा किए गए प्रयासों का ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्द शर्मा): भारत पड़ोसियों के साथ घनिष्ठ राजनैतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक संपर्क बनाने को सर्वोच्च प्राथमिकता देता है। पिछले दो वर्षों के दौरान सर्वोच्च स्तर पर और मंत्रिस्तरीय एवं अन्य यात्राओं के जरिए अपने पड़ोसियों के साथ इसके क्रियाकलाप में पर्याप्त वृद्धि हुई है (ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए है)।

विवरण

भारत ने 3-4 अप्रैल, 2007 तक नई दिल्ली में 14वें सार्क शिखर सम्मेलन की सफलतापूर्वक मेजबानी की। सार्क देशों में अफगानिस्तान को 8वें सदस्य के रूप में प्रवेश दिया, सार्क खाद्य बैंक, एक दक्षिण एशियाई विश्वविद्यालय की स्थापना पर करार संपन्न किए और भौतिक, आर्थिक और सार्वजनिक संपर्क में सुधार लाने तथा जल, ऊर्जा, खाद्य, पर्यावरण, शिक्षा, स्वास्थ्य, सांस्कृतिक आदान-प्रदान, आतंकवाद और अन्य क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर सहमत हुए।

(2) भारत और भूटान ने अपने संबंधों को और ऊंचे स्तर पर ले जाने के लिए 8 फरवरी, 2007 को एक मैत्री संधि संपन्न की। भारत ने नेपाल में शांति प्रक्रिया को सुदृढ़ बनाने और उसकी तात्कालिक प्राथमिकताओं और जरूरतों को पूरा करने में अपना समर्थन दिया है। भारत 750 मिलियन अमरीकी डालर मूल्य की मानवीय, वित्तीय और परियोजना सहायता देकर अफगानिस्तान के पुनर्निर्माण में मदद कर रहा है।

(3) श्रीलंका के साथ भारत के आर्थिक सहयोग और व्यापार तथा बंगलादेश, म्यांमा और मालद्वीव के साथ राजनैतिक, आर्थिक, तकनीकी एवं सांस्कृतिक पहलों के जरिए हमारे संबंध और संवर्द्धित हुए हैं। अनसुलझे मामलों का समाधान करने के लिए उच्च-स्तरीय संपर्कों, संयुक्त आयोग की बैठकों, समग्र वार्ता तथा वरिष्ठ अधिकारी स्तर की अन्य बैठकें पाकिस्तान के साथ जारी हैं।

(4) नवंबर, 2006 में चीनी राष्ट्रपति की भारत यात्रा के दौरान भारत और चीन ने अपने संबंधों को नये गुणात्मक स्तर पर उन्नत बनाने के लिए एक "दस-सूत्रीय नीति" को स्वीकार किया। भारत और इंडोनेशिया ने नवंबर, 2005 में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति की भारत यात्रा के दौरान एक नई सामरिक भागीदारी बनने का भी निर्णय लिया; नए क्षेत्रों में सहयोग के जरिए इंडोनेशिया और थाइलैंड के साथ संबंध सुदृढ़ हुए।

सरकारी अस्पतालों में गलत निदान के मामले

2995. श्री रघुनाथ झा:
श्री प्रभुनाथ सिंह:
श्री राजेश पाठक:

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) के डाक्टरों द्वारा एक महिला को कैंसर के मरीज के रूप में गलत निदान करने की लापरवाही का मामला सरकार की जानकारी में आया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस घटना की कोई जांच करवाई है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले हैं तथा दोषी पाए गए डाक्टरों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है;

(ङ) पिछले तीन वर्षों के दौरान दिल्ली में एम्स, सफदरजंग अस्पताल और आर.एम.एल. अस्पताल में गलत निदान किए जाने के कितने मामलों की रिपोर्ट मिली है;

(च) सरकार द्वारा प्रत्येक मामले में क्या कार्रवाई की गई है; और

(छ) सरकार द्वारा भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पाणाबाका लक्ष्मी): (क) से (छ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

एड्स नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत गैर-सरकारी संगठनों को अनुदान

2996. श्रीमती के. रानी: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) तमिलनाडु में एड्स नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत कार्यरत गैर-सरकारी संगठनों के नाम क्या हैं तथा इनके द्वारा किए जा रहे कार्य का ब्यौरा क्या है;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान केन्द्र सरकार द्वारा इन गैर-सरकारी संगठनों को वर्ष-वार कुल कितनी धनराशि जारी की गई;

(ग) क्या केन्द्र सरकार को इस गैर-सरकारी संगठनों के विरुद्ध कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इनके विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है/किए जाने का विचार है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) तमिलनाडु राज्य एड्स नियंत्रण सोसाइटी द्वारा राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम के तहत वित्त पोषित गैर-सरकारी संगठनों के नाम और उनके कार्य का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान तमिलनाडु राज्य एड्स नियंत्रण सोसाइटी द्वारा इन गैर-सरकारी संगठनों को जारी की गई निधियों का वर्ष-वार ब्यौरा नीचे दिया गया है:-

2004-05 (लाख रुपये में)	2005-06 (लाख रुपये में)	2006-07 (लाख रुपये में)
481.44	864.72	864.72

(ग) और (घ) नाको के दिशा-निर्देशों के अनुसार गैर-सरकारी संगठनों को मासिक क्रियाकलाप रिपोर्ट, व्यय के लेखा परीक्षित विवरण और अर्ध-वार्षिक एवं वार्षिक आधार पर उपयोग संबंधी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने होते हैं। राज्य एड्स नियंत्रण समितियों से निधियों के उपयोग किए जाने की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है जिसको उपरोक्त रिपोर्टें प्रस्तुत की जाती हैं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

लक्षित कार्यकलाप कर रहे गैर-सरकारी संगठन

क्र.सं.	गैर-सरकारी संगठनों के नाम और पता के साथ उनके अधिकारियों के नाम	समूह	किए गए कार्य
1	2	3	4
1.	डा. आर. केम्पेडी, अध्यक्ष अन्नई आरूंगे और सेवा केन्द्र सिवकासी मेन रोड, कार्थीगायपट्टी, माली पोस्ट जिला-विरूद्धनगर	पेशेवर यौनकर्मी (सीएसडब्ल्यूएस)	उच्च जोखिम वाले लोगों में एचआईवी/एड्स की रोकथाम एवं नियंत्रण संबंधी कार्यकलाप
2.	तिरू. पी. थांगापांडियन, सचिव एसोसिएशन फार नीडी ग्रोथ और इनवायरमेंट लाइब्रेसन 21, मारावर स्ट्रीट, मेन रोड, मनमदुरै, जिला-शिवगंगा	प्रवासी कर्मी	कम जोखिम वाले लोगों में एचआईवी/एड्स की रोकथाम एवं नियंत्रण संबंधी कार्यकलाप
3.	तिरू. ए. बक्थावक्वलम, कार्यकारी निदेशक एसोसिएशन फार रूरल मास इंडिया 4/253-थिलागर स्ट्रीट गांधी नगर, वाजहूधारेड्डी, विलुपुरम	पुरुष के साथ यौन संबंध स्थापित करने वाले पुरुष हिजडा	उच्च जोखिम वाले लोगों में एचआईवी/एड्स की रोकथाम एवं नियंत्रण संबंधी कार्यकलाप
4.	तिरू. एम. नागार्जुन, सचिव भारती ओमेन डेवलपमेंट सेंटर, थिलागम कातुर, कानाक्कलन अय्यमपट्टी पोस्ट, जिला-थिरूवरूर	सीएसडब्ल्यू और ट्रकर्स	कम जोखिम वाले लोगों में एचआईवी/एड्स की रोकथाम एवं नियंत्रण संबंधी कार्यकलाप

1	2	3	4
5.	तिरू. सी. चार्ल्स प्रभु, निदेशक सेन्ट्रल फार एक्सन एण्ड रूरल एजूकेशन ने 64-डी, ओडाकडू, इंदिरा नगर, चितोडू, जिला-इरोड	राजपथ ट्रकर्स और सफाई कर्मी	कम जोखिम वाले लोगों में एचआईवी/एड्स की रोकथाम एवं नियंत्रण संबंधी कार्यकलाप
6.	थिरू. टी.एस. रामकुमार, निदेशक सेंटर फार सोसल रिकांस्ट्रक्सन सेल्वाभवन 85, बी/3, कनाईनगर न्यू स्ट्रीट, कोट्टर पोस्ट, नागरकोइल जिला-कन्याकुमारी	सीएसडब्ल्यू	कम जोखिम वाले लोगों में एचआईवी/एड्स की रोकथाम एवं नियंत्रण संबंधी कार्यकलाप
7.	थिरू. पी. भगवाथीस्वार्न, सचिव सेंटर फार सोसल डेवलपमेंट कुलाला स्ट्रीट, थिरूनैनानकुरूची, अमानडिविलाई जिला-कन्याकुमारी	प्रवासी (कृषि कामगार, डब्ल्यूआईपी)	कम जोखिम वाले लोगों में एचआईवी/एड्स की रोकथाम एवं नियंत्रण संबंधी कार्यकलाप
8.	डा. जे. टैगोर डेरोज, निदेशक, चेवल्लियर, जे.एल.पी. रोड विक्टोरिया मेमोरियल ट्रस्ट सोसाइटी, डोरेस सेंटर, 42, पोलपेट्टई, अपोजिट न्यू बस स्टैंड तूतीकोरिन	औद्योगिक कामगार (पुरुष और महिला कार्यकर्ता)	कम जोखिम वाले लोगों में एचआईवी/एड्स की रोकथाम एवं नियंत्रण संबंधी कार्यकलाप
9.	श्रीमती आर. कमालम, सचिव, चितरंजनदास, आरगेनाइजेशन फार वूमेन नं. 111-5ई-1 ओल्ड स्टेट बैंक कालोनी, तूतीकोरिन	औद्योगिक कार्यकर्ता	कम जोखिम वाले लोगों में एचआईवी/एड्स की रोकथाम एवं नियंत्रण संबंधी कार्यकलाप
10.	सुश्री पी. सुसीला पांडियन, प्रोग्राम निदेशक, कम्युनिटी एक्सन फार सोसल ट्रांसफारमेशन मेन रोड, पुथाथांकुडिरूप्पू, पोस्ट-थिरूवेरूथांपल्ली जिला-तिरूनेलवेली	बीड़ी बनाने वाले कामगार, अप्रवासी किशोर और सीएसडब्ल्यू	कम जोखिम वाले लोगों में एचआईवी/एड्स की रोकथाम एवं नियंत्रण संबंधी कार्यकलाप
11.	थिरू. थामस एंटोनी प्रोजेक्ट कोआर्डिनेटर कम्युनिटी एक्शन ट्रस्ट, टर्मिनल काम्पलेक्स माधवराम, चेन्नई	ट्रकर्स	कम जोखिम वाले लोगों में एचआईवी/एड्स की रोकथाम एवं नियंत्रण संबंधी कार्यकलाप
12.	थिरू. ए. जोसेफ बासकरन, मानागिंग ट्रस्टी फाउण्डेशन फार इनफ्रास्ट्रक्चर रिकांस्ट्रक्शन और इम्प्लोयमेंट, नं. 1/82-ई, अन्ना नगर, सिरूमुगई, पोस्ट जिला-कोयम्बटूर	ट्रकर्स	कम जोखिम वाले लोगों में एचआईवी/एड्स की रोकथाम एवं नियंत्रण संबंधी कार्यकलाप
13.	थिरू. एस. सैयद अहमद, मैनेजिंग ट्रस्टी फाउण्डेशन फार ह्यूमन राइट्स और डेवलपमेंट 36/39, सेक्कीलर स्ट्रीट, बीबी. कुलम, मदुरै	कैदी	कम जोखिम वाले लोगों में एचआईवी/एड्स की रोकथाम एवं नियंत्रण संबंधी कार्यकलाप

1	2	3	4
14.	डा. एमएलई, मनोहरन, निदेशक, ग्रामोदय 1080, साऊथ स्ट्रीट मदुरू रोड, विरालीमलई जिला-पुडुकोट्टई	सीएसडब्ल्यू	उच्च जोखिम वाले लोगों में एचआईवी/एड्स की रोकथाम एवं नियंत्रण संबंधी कार्यकलाप
15.	डा. एम.एल.ई. मनोहरन, परियोजना निदेशक ग्रामोदय, पो.बा. नं. 6 मनापरई जिला-त्रीची	प्रवासी	कम जोखिम वाले लोगों में एचआईवी/एड्स की रोकथाम एवं नियंत्रण संबंधी कार्यकलाप
16.	कवि. के.सी. अरूमुगम ग्रीन मीडिया ग्लोबल ट्रस्ट, गम्बुम पंचायत यूनियन काम्पलेक्स, गांधी नगर, कुमीली रोड, कुमबुम, थेनी	सीएसडब्ल्यू	उच्च जोखिम वाले लोगों में एचआईवी/एड्स की रोकथाम एवं नियंत्रण संबंधी कार्यकलाप
17.	थिरू. आर. वेलूचामी, सचिव हेल्थ एजूकेशन एंड डेवलपमेंट सोसाइटी 65/2, चोवेरी नगर, कुलिथालई, जिला-करौर	ट्रकर्स (संयुक्त)	कम जोखिम वाले लोगों में एचआईवी/एड्स की रोकथाम एवं नियंत्रण संबंधी कार्यकलाप
18.	थिरू. एम.एस. अंटोसाथिस बाबू, सचिव हेल्थ एंड एजूकेशन अल्टरनेटिव डेवलपमेंट सर्विस एचआईवी/एड्स ड्राप इन केयर सूर्या सुपर मार्केट अप्सटायर्स, नियर न्यू बस स्टैण्ड थिरूचेंगोडे, जिला-नामक्कल	सीएसडब्ल्यू	उच्च जोखिम वाले लोगों में एचआईवी/एड्स की रोकथाम एवं नियंत्रण संबंधी कार्यकलाप
19.	डा. यू. मनी, मुख्य कार्यकारी, हेल्थ एजूकेशन एसोसिएशन फार रूरल एंड ट्राइबल्स नं. 97/ए, मेन रोड, इनाडू पोस्ट, कालरायन हिल्स ब्लाक, संकरपुरम तालुक, वेलूपुरम जिला	आदिवासी	कम जोखिम वाले लोगों में एचआईवी/एड्स की रोकथाम एवं नियंत्रण संबंधी कार्यकलाप
20.	सुश्री डी. रेवथी, मैनेजिंग डायरेक्टर, ह्यूमन मिरर ट्रस्ट 4/502-डी, के.वी.एस.एस. इलाम, अंदावर नगर, जिला-नामक्कल	प्रवासी	कम जोखिम वाले लोगों में एचआईवी/एड्स की रोकथाम एवं नियंत्रण संबंधी कार्यकलाप
21.	डा. राजवेंकटेश्वर, परियोजना निदेशक ह्यूमन अपलिफ्ट ट्रस्ट श्री मैकंडर काम्पलेक्स, कालपल्यम रोड, मानाचनालूर जिला-त्रिची	महिला और पुरुष वर्गों के 32 से 53 वर्ष की आयु वाले व्यक्ति	
22.	सुश्री ए. मीनाक्षी, सचिव इमायम सोसल वेलफेयर एसोसिएशन नं. 3 अन्ना नगर 1 स्ट्रीट गणपति, कोयम्बटूर	कैदीकर्मी	कम जोखिम वाले लोगों में एचआईवी/एड्स की रोकथाम एवं नियंत्रण संबंधी कार्यकलाप

1	2	3	4
23.	थिरू. ए.जे. हरिहरन, सचिव इंडियन कम्यूनिटी वेलफेयर आर्गेनाइजेशन प्लाट नं. 1369, 18 मेन रोड, आई ब्लाक, 6 स्ट्रीट, वालालर कालोनी, अन्ना नगर वेस्ट, चेन्नई	एमएसएम	उच्च जोखिम वाले लोगों में एचआईवी/एड्स की रोकथाम एवं नियंत्रण संबंधी कार्यकलाप
24.	थिरू. पप्पू मानिक्कम, अध्यक्ष, इंस्टीट्यूट फार सोसल अवारनेस एंड रूरल डेवलपमेंट 31-ए, हाउसिंग बोर्ड कालोनी, साथुर जिला-विरूद्धनगर	औद्योगिक कार्यकर्ता और डब्ल्यूआईपी	कम जोखिम वाले लोगों में एचआईवी/एड्स की रोकथाम एवं नियंत्रण संबंधी कार्यकलाप
25.	थिरू. वी. मुरूगेसन, सामान्य सचिव, इंटीग्रेटेड पीपल सर्विस सोसाइटी, 31, गांधीपुरम, उडूमलई बाईपास धारापुरम जिला इरोड	औद्योगिक कार्यकर्ता	कम जोखिम वाले लोगों में एचआईवी/एड्स की रोकथाम एवं नियंत्रण संबंधी कार्यकलाप
26.	थिरू. एम. अनबरसन, सचिव, मक्कल विल्लिप्पूनरवू कालवी संगम 38, संथाइपट्टई, स्ट्रीट, श्रीविल्लीपुट्टुर, जिला-विरूद्धनगर	औद्योगिक कार्यकर्ता	कम जोखिम वाले लोगों में एचआईवी/एड्स की रोकथाम एवं नियंत्रण संबंधी कार्यकलाप
27.	थिरू. जी. बाबू, प्रेसीडेंट, मास एक्सन नेटवर्क इंडिया ट्रस्ट 14, फस्ट फ्लोर, वेस्ट सिवन कोईल स्ट्रीट, वाडापलानी, चेन्नई	ट्रकर्स	कम जोखिम वाले लोगों में एचआईवी/एड्स की रोकथाम एवं नियंत्रण संबंधी कार्यकलाप
28.	सुश्री ओ. जायाकारूपाई, मैनेजिंग ट्रस्टी, मर्सी ट्रस्ट, 50, मनियादी कोइल स्ट्रीट, एस. आलाकुलम, जिला-मदुरै	सीएसडब्ल्यू	उच्च जोखिम वाले लोगों में एचआईवी/एड्स की रोकथाम एवं नियंत्रण संबंधी कार्यकलाप
29.	टीएमटी. एम. प्रसन्ना, सचिव, मदर सारदा देवी सोसल सर्विस सोसायटी, 9, दुर्गा इलाम, वाई.एम.आर. पाट्टी (वेस्ट), जिला-डिंडीगुल	ट्रकर्स	कम जोखिम वाले लोगों में एचआईवी/एड्स की रोकथाम एवं नियंत्रण संबंधी कार्यकलाप
30.	थिरू. वी. रंजीथ, सचिव, मूवमेंट फार लाडु डेवलपमेंट, 87, सौंदर्यवल्ली स्ट्रीट, विथीयानानधम नगर, बझूधारेड्डी जिला-वेलूपुरम	औद्योगिक कार्यकर्ता	कम जोखिम वाले लोगों में एचआईवी/एड्स की रोकथाम एवं नियंत्रण संबंधी कार्यकलाप

1	2	3	4
31.	मि. कलायसेल्वी, निदेशक न्यू लाइफ सोसल वेलफेयर सेन्टर, नं. 65 लक्ष्मी अमन कोइल स्ट्रीट, कारनोदइ चेन्नई	प्रवासी (संयुक्त)	कम जोखिम वाले लोगों में एचआईवी/एड्स की रोकथाम एवं नियंत्रण संबंधी कार्यकलाप
32.	थिरू. सी. जगदीश रोसारियो, निदेशक, आर्गेनाइजेशन फार एक्स एंड सोसल इंटीग्रेसन सर्विस 891, राजा नगर (ईस्ट साइड बस स्टैण्ड), आंडीमाडम, जिला-पेराम्लूर	चालक निर्माण कामगार और अन्य श्रमिक तथा जनसामान्य	
33.	सुश्री बी. अनन्धी, सचिव पेंगल मुनेत्र संगम, 8, आर.के. पुरम, बिशप डाऊन जिला-नीलगिरी	प्रवासी (चाय संपदा श्रमिक और प्रबंधक)	कम जोखिम वाले लोगों में एचआईवी/एड्स की रोकथाम एवं नियंत्रण संबंधी कार्यकलाप
34.	थिरू. पी. मनोहरन, परियोजना निदेशक, पीपुल एसोसिएशन फार कम्युनिटी, हेल्थ एजूकेशन ट्रस्ट, प्लाट नं. 42, थिरूवेल्लुरवर स्ट्रीट, पोनमेनी जेया नगर, मदुरै	आईडीयू और उनके पति/पत्नी	उच्च जोखिम वाले लोगों में एचआईवी/एड्स की रोकथाम एवं नियंत्रण संबंधी कार्यकलाप
35.	टीएमटी एन.ए. विजयालक्ष्मी, परियोजना समन्वयकर्ता, पब्लिक वेलफेयर एंड डेवलपमेंट सोसायटी, कानाक्कमपल्याम गांव, टी.एन. पाल्याम ब्लाक वाया, कालीपट्टी, गोबीचेटीपल्यम तालुक, जिला-इरोड	आदिवासी	कम जोखिम वाले लोगों में एचआईवी/एड्स की रोकथाम एवं नियंत्रण संबंधी कार्यकलाप
36.	सुश्री आर. सेलवरानी, मैनेजिंग ट्रस्टी एंड डायरेक्टर, रूरल डेवलपमेंट ट्रस्ट, 4/255-ए, श्री चक्र नगर, अनेयूर पोस्ट, मदुरै	सम्पदा कामगार	कम जोखिम वाले लोगों में एचआईवी/एड्स की रोकथाम एवं नियंत्रण संबंधी कार्यकलाप
37.	थिरू. डी. सेलवम, अध्यक्ष हेल्थ एजूकेशन एंड एक्सन डेवलपमेंट, 1926, शक्तिविनयागर, स्ट्रीट, विलांडाह्र, आडीमाडम, पेराम्बलूर	एमएसएस	उच्च जोखिम वाले लोगों में एचआईवी/एड्स की रोकथाम एवं नियंत्रण संबंधी कार्यकलाप
38.	सुश्री एस. रेजिना मेरी, सचिव रूरल ओमेन डेवलपमेंट सेटर, 61, अपस्टेअर्स, सिंगापुर लाइन, इरूंधिरापट्टी रोड, इल्लूप्पुर-622 102, अन्नावेसल ब्लाक, जिला-पुडुकोट्टई	प्रवासी (उच्च जोखिम वाले लोग)	कम जोखिम वाले लोगों में एचआईवी/एड्स की रोकथाम एवं नियंत्रण संबंधी कार्यकलाप

1	2	3	4
39.	सुश्री के. हुसैनारा, सचिव, रूरल एजूकेशन एंड इकोनोमिक डेवलपमेंट एसोसिएशन, 11-ए, सिवाकोइल कुलाक्कल स्ट्रीट, देवाकोट्टई जिला-शिवागंगई	प्रवासी (संयुक्त)	कम जोखिम वाले लोगों में एचआईवी/एड्स की रोकथाम एवं नियंत्रण संबंधी कार्यकलाप
40.	डा. सी. सतीश कुमार, मैनेजिंग ट्रस्टी, सरस (ए ट्रस्ट फार सोसल सर्विस), 203 बी, मेन बाजार, जिला-नीलगिरी	व्यावसायिक यौन कार्यकर्ता	उच्च जोखिम वाले लोगों में एचआईवी/एड्स की रोकथाम एवं नियंत्रण संबंधी कार्यकलाप
41.	श्री एस. सुब्बैया, परियोजना निदेशक, सोशल वेलफेयर सेन्टर फार वीकर सेक्शन्स, 5बी/6, सिडको मेन रोड, काव्यारासु कन्नाडासन नगर, चेन्नई-600 118	सीएसडब्ल्यूएस	उच्च जोखिम वाले लोगों में एचआईवी/एड्स की रोकथाम एवं नियंत्रण संबंधी कार्यकलाप
42.	सुश्री डी. रुक्मिनी, कार्यकारी सचिव, सोसाइटी फार एजूकेशन एण्ड पीपुल्स एक्शन फार डेवलपमेंट (सेपड) पंचायत यूनियन आफिस रोड, के. पारामती-639 111 करूर जिला	चेम्बर कर्मी और विद्युत करघा कर्मी	कम जोखिम वाले लोगों में एचआईवी/एड्स की रोकथाम एवं नियंत्रण संबंधी कार्यकलाप
43.	श्री पी. मुरूगन, सचिव, सोसाइटी फार रूरल डेवलपमेंट एण्ड प्रोटेक्शन फार इनवायरमेंट (एसआरडीपीई) जेयम नगर (नजदीक मुरुगेसन मोटर्स) सुक्कनवदनपट्टी, चेन्नई-625 531	औद्योगिक कर्मी	कम जोखिम वाले लोगों में एचआईवी/एड्स की रोकथाम एवं नियंत्रण संबंधी कार्यकलाप
44.	सुश्री आर. उमा गौरी, महा सचिव, तमिलनाडु रूरल इनवायरमेन्ट ईको डेवलपमेंट आर्गेनाइजेशन, 43-ए, कक्कन स्ट्रीट, प्रथम तल, शेनाय नगर, मदुरै-625 020	निर्माण एवं प्रवासी कर्मी	कम जोखिम वाले लोगों में एचआईवी/एड्स की रोकथाम एवं नियंत्रण संबंधी कार्यकलाप
45.	सुश्री वी.के. अमीरतावली, अध्यक्ष, तमिलनाडु डिप्रेस्ड वोमेन वेलफेयर सोसाइटी, सं. 15/1, थर्ड क्रास मुलाईवसल स्ट्रीट, डी. नगर थिरूवेरम्बूर त्रिची-620 013	औद्योगिक कर्मी	कम जोखिम वाले लोगों में एचआईवी/एड्स की रोकथाम एवं नियंत्रण संबंधी कार्यकलाप

1	2	3	4
46.	श्री सी. कार्तिकेयन, समन्वयकर्ता, टेडी ट्रस्ट, टेनकासी रोड, आलमपट्टी पो.आ. पोस्ट बाक्स नं. 25, तिरूमंगलम-625706 मदुरै जिला	ट्रकर्स और सीएसडब्ल्यू	उच्च जोखिम वाले लोगों में एचआईवी/ एड्स की रोकथाम एवं नियंत्रण संबंधी कार्यकलाप
47.	श्री एस. वनिवासन, सचिव	सीएसडब्ल्यू	उच्च जोखिम वाले लोगों में एचआईवी/ एड्स की रोकथाम एवं नियंत्रण संबंधी कार्यकलाप
48.	श्री एम. सुन्दर मूर्ति, प्रबंध न्यासी ट्रस्ट फार एमलगेमेटेड सर्विसेज इन एजूकेशन एण्ड डेवलपमेंट, टेसेड ट्रस्ट, 10/23, सिगरविलान स्ट्रीट, एन.एच-2, मराईमलाई नगर, कांचीपुरम जिला-603 209	औद्योगिक कर्मी	कम जोखिम वाले लोगों में एचआईवी/ एड्स की रोकथाम एवं नियंत्रण संबंधी कार्यकलाप
49.	श्री ए. ननदुराई, निदेशक विडिवेली समुगा सेवाई अमाइपू, 225, वन्दे मातरम् बिल्डिंग, कुप्पनपुरम, मनूर पोस्ट, तिरूनेलवेली, जिला-627 201	प्रवासी कर्मी	कम जोखिम वाले लोगों में एचआईवी/ एड्स की रोकथाम एवं नियंत्रण संबंधी कार्यकलाप
50.	श्री वी. सम्पत, अध्यक्ष वालन्टरी एजूकेशनल एण्ड इकोनामिकल डेवलपमेंट आर्गेनाइजेशन (वीडो) नं. 74, भारतीदसन नगर नियर मिलिटरी रोड, ओरिक्काई, कांचीपुरम-631 502	सीएसडब्ल्यू	उच्च जोखिम वाले लोगों में एचआईवी/ एड्स की रोकथाम एवं नियंत्रण संबंधी कार्यकलाप
51.	श्री एस. फ्रैन्सिस पोर्सिगुला, सचिव, वीकेयर सोशल सर्विस सोसाइटी, नं. 4/88, नेताजी स्ट्रीट, सिंगापेरूमल कोप्पल-603 204 कांचीपुरम जिला	औद्योगिक कर्मी और यौन कर्मी	कम जोखिम वाले लोगों में एचआईवी/ एड्स की रोकथाम एवं नियंत्रण संबंधी कार्यकलाप
52.	सुश्री एम. सरला परियोजना, निदेशक वूमेन्स आर्गेनाइजेशन इन रूरल डेवलपमेंट (वर्ड) 7-सी अन्डीकाड, वेदीरासमदालायम रोड, अग्रहरम पोस्ट, पल्लीवलायम-638 008 नामक्कल जिला	ट्रकर्स और औद्योगिक (विद्युत करघा) कर्मी	कम जोखिम वाले लोगों में एचआईवी/ एड्स की रोकथाम एवं नियंत्रण संबंधी कार्यकलाप

माता पिता से बच्चों में संक्रमण से रोकथाम संबंधी कार्य करने वाले गैर सरकारी संगठन (पीपीटीसीटी)

क्र.सं.	गैर-सरकारी संस्थान के नाम
1	2
1.	डा. अयुधा हरी, कन्सल्टैन्ट गाइनाकोलाजिस्ट एण्ड लेप्रोस्कोपिक सर्जन, मिथ्रस फाउन्डेशन, 1, आठवा क्रास स्ट्रीट करपागम गार्डेन्स, अदायार, चेन्नई-600020
2.	कार्यक्रम निदेशक, दक्षिण भारत एड्स एक्शन कार्यक्रम, एसआईएएपी, 8-11 जीवननांथम स्ट्रीट, लक्ष्मीपुरम, तिरूवन्म्यूर, चेन्नई-600 041।
3.	अंध्यक्ष, महिला शिक्षा और जागरूकता विकास, के. चेटिटपल्यम, तिरूपुर-641 608 जिला कोयम्बटूर
4.	अध्यक्ष, कोयम्बटूर नेटवर्क फार पाजिटिव प्यूपल सीएनपी, नंबर 454, एसबीए काम्पलेक्स, निकट मणि थियेटर, कामराजरोड, होप कालेज पीलामेडू जिला कोयम्बटूर-641 608
5.	सचिव, महिला शिक्षा आर्थिक विकास सोसायटी, 19-3 पांडियान नगर, मेलूर मदुरै
6.	अध्यक्ष, महिला कल्याण ट्रस्ट समिति, 9, कासिमणि मालीगई, निकट तालूक कार्यालय, ओराथांडु-614 625 तंजावूर।
7.	निदेशक, दलित महिला विकास सोसायटी, 1-24 कालाईगनेर, स्ट्रीट, सेथुवलई, वेल्लोर।
8.	परियोजना निदेशक, रीड सेन्टर, 6-69, के-29, रोहिणी काम्पलेक्स, लक्ष्मीपुरम मेन रोड, कोइलपेटी, टूटीकोरिन-628 502।
9.	निदेशक, सेंटर फार एक्शन, डिवलेपमेंट रिसर्च एंड एजूकेशन इन इंडिया, कुरूमाथुर, कुजीथुराई, कन्याकुमारी-629 163।
10.	सचिव, सेंटर फार ह्यूमन एंड नेचुरल रिसार्स डिवलेपमेंट, 1-362, एसबीआई कालोनी, कीरावडाकराई, पेरियाकुलम थेनी।
11.	सचिव, ग्रामीण समाज कल्याण सोसायटी, 1-984, कनथापलायम, पोलुर तालुक, तिरूवनामलई-606 901।
1	2
12.	निदेशक, नेसाक्करांग, नंबर 22-23 म्युसिपिल शापिंग काम्पलेक्स धाली रोड, उदुमलपेट-642 126, कोयम्बटूर।
13.	प्रबंधन न्यास, बलासम न्यास, नंबर 77, सेककीलर स्ट्रीट, विरूद्धनगर-626 001।
14.	सचिव, प्रोजेक्ट कनसर्न इंटरनेशनल, 115-1 शिवालय नगर, चौथा मेन रोड, रेडियुर, जिला सलेम-636 004।
15.	सोसल एक्शन फार डेवलपमेंट आफ ह्यूमन अरग, साधु न्यू नंबर 36, ओल्ड नंबर 18-ए डोमिंग स्ट्रीट सेंटहोम, चेन्नई-4।
16.	टी. विजय, सचिव, अरासन ग्रामीण विकास सोसायटी, 129-डी, अन्ना सलाई, कालाकाड, तिरूनेलवेली।
17.	निदेशक, न्यू लाइफ कम्यूनिटी विकास परियोजना, 448-279 बंगलौर रोड, कृष्णागिरि-635 001।
18.	शानमुगाराजन, निदेशक, दि सोरस ट्रस्ट, सन्थानामलयम, अन्ना नगर, मदुरै-20
19.	कार्यकारी निदेशक, मीरा फाउंडेशन, 2-196 अम्माचियम्मान कोइल स्ट्रीट, शक्ति नगर, मदुरै-14।
20.	महा सचिव, दि वाल्यूंटरी हेल्थ, एजूकेशन एंड रूरल डेवलपमेंट सोसायटी, 41 ओल्ड नंबर 19, सर्किलुर रोड, यूनाईटिड इंडिया कालोनी, कोडाम्बक्कम, चेन्नई-600 024।
21.	दि सेक्रेट्री, पीपल्स डेवलपमेंट इनीसिएटिव्स (पीडीआई) 32, कजियार स्ट्रीट, बीमानगर, त्रिची-620001
22.	दि डायरेक्टर, जनप्रिय ट्रस्ट, नार्थ क्रिश्चियन स्ट्रीट, उक्कीनकोट्टाई, तिरूनवेल्ली डिस्ट्रिक्ट-627202
23.	दि मैनेजिंग ट्रस्टी, रूरल रिकन्स्ट्रक्शन आर्गेनाइजेशन (आरआरओ) 8/66, वीएम कालोनी, नार्थ अरियान्की पुरम, अम्बई ताल्लुक, तिरूनवेल्ली-627603
24.	दि डायरेक्टर, अरूमबुगल ट्रस्ट, 201, कुमारीसन कालोनी, त्यागराज नगर, तिरूनवेल्ली-627011
25.	दि सेक्रेट्री एंड डायरेक्टर, पुअर्स अपलिफ्ट सोशल हेल्थ एवं एजूकेशन सोसायटी, (पीयूएसएचईएस) 12, वूरहीस कालेज कैम्पस, अरणी रोड, वेल्लौर-1
26.	दि प्रेसीडेंट, कारूण्य कम्युनिटी डेवलपमेंट सेन्टर, 208, अरियूर रोड, तोरापाड़ी पोस्ट, वेल्लोर-632002

1	2
27.	दि एडमिनिस्ट्रेटिव प्रेसीडेंट, एथेनकोट्टासन मुथुमिज काजागाम, 7-26बी, नाडुवुरकराई, मोन्डईकाड-629252 कन्याकुमारी डिस्ट्रिक्ट
28.	दि प्रेसीडेंट, सेवा निलायम सोसायटी इन एसोसिएशन विथ राइडर, चेसायर फाउन्डेशन, राजाथानी पोस्ट, आउनडिपट्टी, थेनी-625512
29.	दि एक्जूक्यूटिव डायरेक्टर, मधार नाला थोन्डु निरूवनम (एमएनटीएन), थिरूवेन्दीपुरम मेन रोड, पाथरीकुप्पम एंड पी ओ, कुड्डालोर-607401
30.	दि सेक्रेट्री, एसोसिएशन फार लव एंड अवेयरनेस इन्स्टीट्यूटशन (एएलएआई) पटवर्दी थोट्टम, कुप्पीचिपालयम, नानजयनपालयम पोस्ट, धारापुरम-638657
31.	दि सेक्रेट्री, सेंटर फार रूरल डेवलपमेंट एंड एजूकेशन, 48-सी, इलानगोवाडिकल स्ट्रीट, रामनाथापुरम-623501
32.	दि सेक्रेटरी, जीवाक्कल सोशियल वेलफेयर यूथ सोसायटी, 272, के.के. नगर, थिरूथंगल-626130, सिवकासी तालूक, विरूधूनगर, डिस्ट्रिक्ट
33.	कम्युनिटी हेल्थ एजूकेशन सोसाइटी, (सीएचईएस) न्यू नम्बर 198, ओल्ड नम्बर 102ए, रंगाराजापुरम मेन रोड, कोदम्बक्कम, चेन्नई-600 024
34.	मिस. ए.जी. मनिमेकलई सोसायटी फार एजूकेशन एण्ड इकोनोमिक डेवलपमेंट (सीड), 3/273, मेन रोड, थिरूमरूगल, नागापट्टीनम-609 702
35.	दि सेक्रेटरी, स्टार (सोशियल, ट्रांसफोरमेशन थ्रो एक्शन एण्ड रिसर्च), महलीर थिट्टम, जयमकोंडम ब्लाक, पेरम्बलूर डिस्ट्रिक
36.	दि डायरेक्टर, वेंकटेश्वरा एजूकेशनल एण्ड रूरल डेवलपमेंट ट्रस्ट, नं. 1/136, कंचनम-610 201
37.	श्री बास्कर, रिहेबीलाइजेशन इम्प्रूवमेंट थ्रो सेल्फ एम्पलायमेंट (आरआईएसई), आर-2, एलआईजी फ्लैट्स, 86 स्टी. अशोक नगर, चेन्नई-83
38.	सरस्वती वूमेन एजूकेशनल सर्विस ट्रेनिंग इम्प्रूवमेंट सेंटर (एसडब्ल्यूईएसटीआईसी), आ. लोकायनकोट्टी, सोलाईपुदूर पोस्ट, आडुनचंतरम-624 619

एचआईवी-टी.बी. मुद्दों पर कार्य कर रहे गैर-सरकारी संगठन

क्र.सं.	गैर-सरकारी संस्थान का नाम
1	2
1.	कम्युनिटी हेल्थ एजूकेशन सोसायटी, न्यू नं. 198, ओल्ड नं. 102ए, रंगाराजपुरम, मेन रोड, कोदमक्कम, चेन्नई-600 024
2.	डा. अमूधा हरि, मिथरास फाउण्डेशन, 1, 8वां क्रोस स्ट्रीट काजपगम गार्डन, अदयार, चेन्नई-600 020
3.	दि डायरेक्टर, सोशियल एक्शन फार डेवलपमेंट आफ ह्यूमन उर्ज (एसएडीएचयू), न्यु नं. 36, ओल्ड नं. 18ए, डोमिंग स्ट्रीट संतोम, चेन्नई-600004
4.	दि प्रोग्राम डायरेक्टर, साउथ इंडिया एड्स एक्शन प्रोग्राम (एसआईएएपी), नं. 8/11 जीवनाथम स्ट्रीट, लक्ष्मीपुरम, थिरूवंमियूर, चेन्नई-600 041
5.	दि प्रेजिडेंट, वूमेन एजूकेशन एण्ड एयवरनेस डेवलपमेंट, के. चेत्तीपलायम, त्रिचूर-641 608, कोयम्बटूर डिस्ट्रिक
6.	दि प्रेजिडेंट, कोयम्बटूर नेटवर्क फार पाजिटिव प्यूपल (सीएनपी+), नं. 545, एसबीए काम्पलैक्स, नीयर मनिस थियेटर, कामराज रोड, होप कालेज, पीलमेदू, कोयम्बटूर-641 004
7.	दि एक्जीक्यूटिव डायरेक्टर, मदर नाला थोंदू नीरूवनम, थिरूवंदिपुरम मेन रोड, पझ्रिकुप्पम एण्ड पीओ, कुड्डालोर-607 401, कुड्डालोर डिस्ट्रिक
8.	दि एक्जीक्यूटिव डायरेक्टर, मीरा फाउण्डेशन, 2/196, एम्माछीम्मन कोइल स्ट्रीट, शक्ति नगर, मदुरई-14
9.	दि सेक्रेटरी, एसोसिएशन फार लव एण्ड एयवरनेस इंस्टीट्यूट, पथावरथी थोट्टम, 41, (ओल्ड नं. 19), सर्कुलर रोड, यूनाइटिड इंडिया कालोनी, कोडमबक्कम, चेन्नई-600 024
10.	दि जनरल सेक्रेटरी, दि वालंटरी हेल्थ, एजूकेशन एण्ड रूरल डेवलपमेंट सोसायटी, 41 (ओल्ड नं. 19), सर्कुलर रोड, यूनाइटिड इंडिया कालोनी, कोडमबक्कम, चेन्नई-638 657
11.	दि एडमिनेस्ट्रेटिव प्रेजिडेंट, एथेनकोट्टासन मुथूमिझ कझागम, 7-46बी, नजूवूजकरई, मोंदईकड-629252, कन्याकुमारी डिस्ट्रिक

1	2
12.	दि डायरेक्टर, सरस्वती वूमन एजूकेशनल सर्विस ट्रेनिंग इम्प्रूवमेंट सेंटर, अपो. लोकायनकोट्टई, सोलइपुदूर पोस्ट, ओड्डनछरम-624619
13.	दि डायरेक्टर, न्यू लाइफ कम्यूनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, 448/279, बंगलौर रोड, कृष्णागिरी-635001
14.	दि सेक्रेटरी, सोसायटी फार वूमेन एजुकेशन इकोनोमिक डेवलपमेंट, 19/3, पांडीयन नगर, मेलूर, मदुरै-625 106
15.	सुश्री ए.जी. मनिमेकलई, सोसायटी, फार एजूकेशन एण्ड इकोनोमिक डेवलपमेंट, 3/273, मेन रोड, 609 702, थिरूमगरूगल, नागापट्टिनम
16.	दि सेक्रेटरी, प्रोजेक्ट कंर्सन इंटरनेशनल, 115/1, शिवाया नगर, चौथा मेन रोड, रेड्डीयूर, सलेम डिस्ट्रिक-636 004
17.	निदेशक, नेसक्करंगल, नं. 22/23, म्युनिसिपल शापिंग काम्पलैक्स, धलई रोड, ऊदमलपेट-642126, कोयम्बटूर
18.	दि सेक्रेटरी, स्टार (सोशियल, ट्रांसफारमेशन थ्रो एक्शन एण्ड रिसर्च), महलीर थिट्टम, जयमकोंडम ब्लाक, पेराम्बलूर डिस्ट्रिक
19.	दि सेक्रेटरी, सेंटर फार रूरल डेवलपमेंट एण्ड एजुकेशन, 48-सी, एलंगचवदिगल स्ट्रीट, रामनाथपुरम-623 501
20.	दि डायरेक्टर, दि सोर्स ट्रस्ट, संथनमनियालम, अन्ना नगर, मदुरै-20
21.	दि प्रेजिडेंट, वूमेन वेलफेयर ट्रस्ट कमेटी, 9 कासीमनि मालिगई, नीयर तालूक आफिस, आरथानादू-614 625, तंजावूर
22.	दि सेक्रेटरी, सेंटर फार ह्यूमन एण्ड नेचूरल रिसोर्सेज डेवलपमेंट, 47, शास्त्री नगर सेकेंड स्ट्रीट, टी. कलईपट्टी, तिरूनवेली
23.	दि प्रेजिडेंट, सेवा निलायम सोसायटी इन एसोसिएशन, राइडर-शिशिर फाउण्डेशन, राजाथनी पोस्ट, अंदीपट्टी, थेनी
24.	दि मैनेजिंग ट्रस्ट, रूरल रिकंस्ट्रेक्शन आर्गेनाइजेशन, 8/66, वीएम कालोनी, नार्थ अरियानायकी पुरम, अम्बई तालूक, तिरूनेलवरी
25.	दि डायरेक्टर, अरूम्बुगल ट्रस्ट, 201, कुमारसेन कालोनी, थियागराज नगर, तिरूनेलवेली
26.	मि. बास्कर, रिहेबीलाइजेशन इम्प्रूवमेंट थ्रो सेल्फ एम्पलायमेंट, आर-2, एलआईजी फ्लैटस, 86 स्ट्रीट, अशोक नगर, चेन्नई
27.	दि सेक्रेटरी, रूरल सोशियल वेलफेयर सोसायटी, 1/1984, कंथलपलायम एण्ड पोस्ट, पोलूर तालूक, थिरूवन्नामलई
28.	दि डायरेक्टर, वेंकटेश्वर एजूकेशनल एण्ड रूरल डेवलपमेंट ट्रस्ट, उन. 1/136-बी, मेन रोड, कोइलपट्टी, तूतीकोरीन
29.	दि सेक्रेटरी, अरासन रूरल डेवलपमेंट सोसायटी, 129-डी, अन्ना सलई, कलकद, तिरूनवेल्ली डिस्ट्रिक
30.	दि प्रोजेक्ट डायरेक्टर, रीड सेंटर, 6/69, के-29, रोहिनी काम्पलैक्स, लक्ष्मीपुरम मेन रोड, कोइलपट्टी, तूतीकोरीन
31.	दि सेक्रेटरी, प्यूपल्स डेवलपमेंट इनिसिएटिवक, 32, कजीयार स्ट्रीट, बीमनगर, त्रिची
32.	दि सेक्रेटरी एवं डायरेक्टर, पूवर्स अपलिफ्ट इन सोशियल हेल्थ एण्ड एजूकेशन सोसायटडी, 12, वूरही कालेज कैम्पस, अर्नी रोड, वेल्लोर-1
33.	दि एक्जीक्यूटिव डायरेक्टर, मधर नाला थोन्दू निरूवनम, थिरूवेंधिपुरम मेन रोड, पथिरूकुप्पम एण्ड पीओ, कुड्डालोर, कुड्डालोर डिस्ट्रिक
34.	दि मैनेजिंग ट्रस्टी, बलोसम ट्रस्ट, नं. 77, सिक्कीलर स्ट्रीट, विरूदूनगर
35.	दि डायरेक्टर, सेंटर फार एक्शन, डेवलपमेंटर रिसर्स एण्ड एजूकेशन इन इंडिया, कुरूमाथुर, कुझाथूरई, कन्याकुमारी
36.	दि डायरेक्टर, जनप्रिया ट्रस्ट, नार्थ क्रिश्चियन स्ट्रीट, उक्कीरनकोट्टी, तिरूनवेली डिस्ट्रिक
37.	दि डायरेक्टर, दलित वूमेन्स डेवलपमेंट सोसायटी, 1/24, कलईग्नेर स्ट्रीट, सेथूवलई, वेल्लोर डिस्ट्रिक
38.	दि सेक्रेटरी, जीवक्कल सोशियल वेलफेयर यूथ सोसायटी, 272, के.के. नगर, थिरूथंगल, सिवकासी तालूक, विरूदूनगर डिस्ट्रिक
39.	आदिवासी, गुदालूर
40.	एसएलआरटीसी, वेल्लोर
41.	सिट्टीलिंगी, धर्मपुरी
42.	रीड, डिंडीगुल

सामुदायिक परिचर्या केन्द्रों पर कार्य कर रहे गैर-सरकारी संगठन

क्र.सं.	गैर-सरकारी संस्थान का नाम
1	2
1.	एन ए ए डिस्ट्रिक प्यूपल वेलफेयर सर्विस, 23, कावासराय स्ट्रीट, कंडकमूदिरम, गुदियाट्टम, वेल्लोर डिस्ट्रिक
2.	अनबलायम, वैराम मैमोरियल काम्पलैक्स, बाई पास रोड, अपो. सिवा आटोमोबाइल्स, सुब्राहमणियापुरम, त्रिची डिस्ट्रिक
3.	कम्युनिटी एक्शन फार सोशियल ट्रांसफारमेशनल, पूथाथनकुदिरूप्पु, चेरनमहादेवी (वाया), थियुविरूथनपुल्लई पोस्ट, थियुविरूथनपुल्लई डिस्ट्रिक
4.	एचआईवी पाजिटिव प्यूपल वेलफेयर सोसाटी, न्यू नं. 70, ओल्ड नं. 269, लेबर कालोनी, गुइंदी, चेन्नई
5.	फेमिली प्लानिंग एसोसिएशन आफ इंडिया, मदुरै ब्रांच, एफपीएआई भवन, एफपीएआई रोड, टीएनएचबी कालोनी, इल्यिास नगर, मदुरै, मदुरै डिस्ट्रिक
6.	मीनाक्षी मिशन हास्पिटल एण्ड रिसर्च सेंटर, लेक एरिया, मेलूर रोड, मदुरै डिस्ट्रिक
7.	रमन्ना महाऋषि रंगाम्मल हास्पिटल, शिव नगर, अथियांदल विलेज, थिरूवन्नामलई डिस्ट्रिक
8.	दि एसोसिएशन अरूलगम हासपिक बंगरापुरम, रेड्डीअचेतरम पोस्ट, डिंजीगुल डिस्ट्रिक
9.	क्रिश्चियन मेडिकल कालेज एण्ड हास्पिटल, इदा स्कूददर रोड, पोस्ट बाक्स नं. 3, वेल्लोर
10.	सोसायटी आफ दि सिस्टर आफ दि प्रेजेंटेशन आफ दि ब्लेस्ड विरगिन मेरी कम्युनिटी हेल्थ डिपार्टमेंट, पेरियाकुलम रोड, थेनी
11.	क्रिश्चियन फैलोशिप आस्पिटल, आड्डाचतरम, डिंडीगुल डिस्ट्रिक
12.	प्रोजेक्ट कंसर्न इंटरनेशनल, नं. 115/1, शिवाया नगर, चौथ मेन रोड, रेड्डीयूर सलेम
13.	शरणालयम, 'ए होम फार दि चिल्ड्रेन आफ गौड' 34, थिरूवेंगद नगर, पालघाट रोड, पोल्लाची, कोयम्बटूर डिस्ट्रिक
14.	बेथास्दा हास्पिटल, पो.बा. नं. 56, अम्बूर, वेल्लोर डिस्ट्रिक
15.	दि सलवेशन आर्मी कम्युनिटी हेल्थ एण्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्टस, कैथरीन बूथ हास्पिटल, नगरकोइल, कन्याकुमारी डिस्ट्रिक
16.	आरोग्य अग्म, औंदीपट्टी, थेन्नी डिस्ट्रिक
17.	जेम्स मेमोरियल चेरिटेबल ट्रस्ट, कोलाचेल, पोस्ट, कन्याकुमारी, डिस्ट्रिक
18.	फण्डर एवं मैनेजिंग ट्रस्टी, संथम रूरल डेवलपमेंट आर्गेनाइजेशन, ए-24, हाउसिंग यूनिट अन्ना नगर, नीयर बस स्टैण्ड, धर्मपुर, इरोड डिस्ट्रिक
19.	ग्रामियम, नं.-9 पेरियार स्ट्रीट, (गोकुलम बिल्डिंग) कावेरी नगर, कुलीथालई, करूर डिस्ट्रिक
20.	रूरल इंटरगेटिड डेवलपमेंट आर्गेनाइजेशन, सवग्राम, मोर्रापुर, धर्मपुरी डिस्ट्रिक
21.	कम्युनिटी आर्गेनाइजेशन फार अप्परेस्ड एण्ड डिस्प्रेस्ड अपलिफ्टमेंट, नं. 164 एम एम प्लाजा, पहली मंजिल
22.	हट कम्युनिटी केयर सेंटर, नं. 164 एम एम प्लाजा, पहली मंजिल, त्रिचिरापल्लई मेन रोड, मदनगोपालापुरम, पेरामबलूर
23.	किंगस्ले कम्युनिटी सेंटर, किंगस्ले गार्डन, कांडीकुप्पम, कृष्णागिरी

पाजिटिव नेटवर्कों के बारे में कार्य कर रहे गैर-सरकारी संगठन

1.	तमिलनाडु नेटवर्क आफ पाजिटिव प्यूपल, न्यू नं. 70, ओल्ड नं. 269, लेबर कालोनी, गुइंडी, चेन्नई
2.	साउथ इंडिया पाजिटिव नेटवर्क, दूर नं. 119/285, पेपर मिल्स रोड, पेरावल्लूर, चेन्नई
3.	तमिलनाडु अरावनीघल एसोसिएशन, 20/29, कट्टाबोमन स्ट्रीट, कामराज नगर, न्यू पेरेंगलथूर, चेन्नई
4.	एचआईवी/एड्स न्यास के साथ जी रहे और प्रभावित लोग-न्यास नं. 247/2, पेरियाकुलम रोड, कंवेंट स्कूल अपो. थेनी, थेनी डिस्ट्रिक
5.	कुड्डालोर डिस्ट्रिक एचआईवी पाजिटिव सोसायटी, नं. 5, लक्ष्मी बालाजी इल्म, नेइवेली मेन रोड, पदालूर, कुड्डालोर डिस्ट्रिक

कालाबाजारी के माध्यम से कोयले की बिक्री

2997. श्री भरहरि महतो: क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ (एन.सी.सी.एफ.) को कोयला आवंटित करने का उद्देश्य क्या है;

(ख) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान और चालू वर्ष में एन.सी.सी.एफ. द्वारा उठाए गए और उपभोक्ताओं को बेचे गए कोयले की मात्रा का ब्यौरा क्या है;

(ग) एन.सी.सी.एफ. को किस दर पर कोयला दिया गया और उनके द्वारा किस दर पर इसे बेचा गया;

(घ) क्या कालाबाजारी के माध्यम से कोयला की बिक्री किए जाने के संबंध में कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ङ) यदि हां, तो क्या इन शिकायतों की जांच की गई है;

(च) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले;

(छ) कोयले की कालाबाजारी रोकने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(ज) क्या एन.सी.सी.एफ. को कोयला आवंटित करने के उद्देश्य हासिल कर लिए गए हैं; और

(झ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. दासरि नारायण राव): (क) एक बहु राज्य कोआपरेटिव सोसाइटी, भारतीय राष्ट्रीय कोआपरेटिव उपभोक्ता संघ लि. (एनसीसीएफ) को उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय की सिफारिश पर कोयले का आवंटन इस उद्देश्य हेतु किया गया था कि वे उन छोटे तथा लघु उपभोक्ताओं को कोयले का वितरण करे जिनके पास लिंकेज अथवा स्पांसरशिप नहीं है और जिन्हें अपनी कोयले की आवश्यकता को पूरा करने के लिए कोयला कंपनियों से सीधा संपर्क करने में कठिनाई होती है।

(ख) एनसीसीएफ को 2 मिलियन टन प्रति वर्ष कोयले का आवंटन करने का आदेश दिसम्बर, 2004 में जारी किया गया था। तथापि, एनसीसीएफ द्वारा उठाए गए कोयले की वास्तविक मात्रा निम्नानुसार है:

वर्ष	सीआईएल द्वारा प्रेषित मात्रा
2004-05	0.89 लाख टन
2005-06	3.30 लाख टन
2006-07	1.49 लाख टन
2007-08 (जुलाई, 2007 तक)	0.31 लाख टन

(ग) एनसीसीएफ को अधिसूचित मूल्य के 120% पर कोयले की आपूर्ति की जा रही है। एनसीसीएफ को कोयला कंपनियों द्वारा वसूले गए आधार मूल्य अतिरिक्त 5% से अनधिक मूल्य पर देश भर के छोटे तथा लघु उपभोक्ताओं को कोयले का वितरण करने की सलाह दी गई है। ढुलाई प्रभार और शुल्क/उपकर अतिरिक्त होंगे।

(घ) से (झ) एनसीसीएफ द्वारा कोयले की बिक्री में तथाकथित अनियमितताओं की शिकायतें प्राप्त हुई थी। सीआईएल के मुख्य सतर्कता अधिकारी को उन शिकायतों की जांच करने का निर्देश दिया गया था। अपनी रिपोर्ट में, उन्होंने एनसीसीएफ की वितरण नेटवर्क प्रणाली में सुधार करने के कतिपय उपायों का सुझाव दिया है। उनकी रिपोर्ट के आधार पर उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय को अनुवर्ती कार्रवाई करने का अनुरोध किया गया था। इसके अलावा, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय द्वारा दी गई सूचना के अनुसार कोयले के तथाकथित डायवर्जन से संबंधित मामले की सीबीआई (एसीबी), कोलकाता द्वारा जांच की जा रही है।

कोयले के किसी दुरुपयोग को रोकने के लिए सीआईएल को कोयले की आपूर्ति को सख्ती से मानीटर करने का निदेश दिया गया है।

कोल इंडिया लि. ने यह सुनिश्चित करने के लिए एक "निगरानी तंत्र" स्थापित किया है कि एनसीसीएफ द्वारा कोयले की बिक्री में कोई अनियमितता न बरती जाए।

यह व्यवस्था की गई है ताकि लघु उपभोक्ताओं को कोयला सुलभ हो सके। इस उद्देश्य को इच्छुक उपभोक्ताओं को एनसीसीएफ द्वारा अब तक सम्भव सीमा तक कोयले की आपूर्ति करके प्राप्त किया जा रहा है।

ध्वनि प्रदूषण

2998. श्री मदन लाल शर्मा:
प्रो. एम. रामदास:

क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) ने अपने अध्ययन में दिल्ली सहित देश के सभी बड़े शहरों में सभी वाहनों के लिए ध्वनि प्रदूषण जांच करवाना अनिवार्य बनाने का सुझाव दिया है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस पर क्या कार्रवाई की गई है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायण मीना): (क) और (ख) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा अगस्त-सितम्बर, 2006 के दौरान दिल्ली में शहर के रिहायशी व्यापारिक और औद्योगिक क्षेत्रों वाले स्थानों पर ध्वनि स्तर के आकलन के लिए एक अध्ययन किया गया। अध्ययन में पाया गया कि सभी क्षेत्रों में ध्वनि उत्पादन में, वहनीय ध्वनि का एक बहुत बड़ा हिस्सा है और दिए गए सुझावों में, बड़े शहरों में वाहनों के लिए ध्वनि जांच भी एक सुझाव है।

वाहनों से ध्वनि स्तर को कम करने के लिए, पर्यावरण (सुरक्षा) नियम, 1986 के अंतर्गत दुपहियों और तिपहियों, यात्री कारों और व्यापारिक वाहनों के लिए उत्पादन अवस्था में यथा लागू ध्वनि सीमाएं अधिसूचित की गई हैं।

[हिन्दी]

बांग्लादेश और नेपाल की जेलों में भारतीय कैदी

2999. श्री गिरधारी लाल भार्गव:
श्रीमती किरण माहेश्वरी:
श्री दलपत सिंह परस्ते:

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) बांग्लादेश और नेपाल की जेलों में कितने भारतीय कैदी हैं;

(ख) ये कितने समय से जेलों में बंद हैं तथा इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा उन्हें जेलों से रिहा कराने हेतु क्या ठोस कदम उठाए गए हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. अहमद): (क) 854 भारतीय राष्ट्रिक बांग्लादेश तथा 339 नेपाल की अलग-अलग जेलों में कैद हैं।

(ख) और (ग) जिन आरोपों के अंतर्गत इन व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है, उनमें अनधिकार प्रवेश, तस्करी आदि हैं। भारत सरकार विदेश स्थित अपने मिशनों और केंद्रों के माध्यम से और संबंधित देशों के अधिकारियों के साथ द्विपक्षीय बैठकों के माध्यम से, विदेशी जेलों में बंद भारतीय राष्ट्रिकों को शीघ्र रिहा कराने के लिए हर संभव प्रयास करती है और आवश्यक सहायता मुहैया कराती है, जिसमें शीघ्र सुनवाई का अनुरोध करना, सजा में छूट की मांग करना, बंदियों और कैदियों के लिए कोंसली सहायता की मांग करना, कानूनी और अन्य मामलों में सलाह/दिशा-निर्देश मुहैया कराना, भारत में उनके परिवारों के साथ बातचीत करना, विदेशी जेलों में निष्पक्ष एवं मानवीय व्यवहार सुनिश्चित करना और उनकी संभावित रिहाई पर उनके भारत प्रत्यावर्तन को सुसाध्य बनाना।

[अनुवाद]

दिल्ली-जयपुर एक्सप्रेस-वे

3000. डा. करण सिंह यादव:
श्री कुलदीप बिश्नोई:

क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार दिल्ली और जयपुर के बीच एक्सप्रेस हाइवे का निर्माण करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या दिल्ली-गुड़गांव एक्सप्रेस-वे का निर्माण कार्य निर्धारित समय-सीमा से पीछे चल रहा है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) और (ख) सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण-VI के अंतर्गत देश में 1000 कि.मी. एक्सप्रेस मार्गों के निर्माण के लिए अनुमोदन दे दिया है। वडोदरा-मुम्बई खंड (400 कि.मी.) की पहचान कर ली गई है। अन्य 600 कि.मी. की पहचान अधिक यातायात वाले दूसरे उच्च घनत्व वाले कारीडोरों में से यातायात की मात्रा के आधार पर की जाएगी जिसमें राष्ट्रीय राजमार्ग-8 पर दिल्ली-जयपुर (261 कि.मी.) भी एक कारीडोर है। दिल्ली-जयपुर खंड को शामिल करने के बारे में अंतिम निर्णय प्राथमिकता अध्ययन के आधार पर लिया जा सकता है।

(ग) जी, हां।

(घ) राष्ट्रीय राजमार्ग 8 के दिल्ली-गुड़गांव खंड (14.300 से 42.000 किमी.) को जुलाई, 2005 तक पूरा किया जाना था। किंतु भूमि उपलब्ध न होने और दिल्ली एवं हरियाणा सरकारी की सिफारिश के अनुसार कार्य विस्तार के कारण कार्य पूरा करने की इस समय-सीमा को दिसंबर, 2007 तक बढ़ा दिया गया है।

ग्रामीण अवसंरचना पर बजटीय व्यय

3001. श्री बाडिगा रामकृष्णा: क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विश्व बैंक के अनुमान के अनुसार ग्रामीण अवसंरचना के स्टाक में 1 प्रतिशत वृद्धि के परिणामस्वरूप राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में 1 प्रतिशत की वृद्धि होती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह सच है कि 1993-94 तथा 2003-04 के बीच ग्रामीण अवसंरचना तथा सामाजिक सेवाओं पर बजटीय व्यय का हिस्सा 32 प्रतिशत से घटकर 25 प्रतिशत पर आ गया है;

(घ) यदि हां, तो व्यय में इतनी तीव्र गिरावट के क्या कारण है;

(ङ) क्या घटता हुआ निवेश ग्रामीण अवसंरचना की खराब स्थिति हेतु एक महत्वपूर्ण अवरोध है; और

(च) यदि हां, तो ग्रामीण अवसंरचना पर अधिक व्यय के लिए क्या रचनात्मक योजानएं हैं?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. राजशेखरन): (क) और (ख) विश्व विकास रिपोर्ट 1994 में यह कहा गया है कि अवसंरचना के स्टाक में 1% वृद्धि का संबंध सभी देशों के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में 1% वृद्धि से है। यह परिणाम क्रास-कंट्री एसोसिएशन से प्राप्त है और इस रिपोर्ट में ग्रामीण अवसंरचना का उल्लेख विशेष रूप से नहीं है।

(ग) वित्त मंत्रालय, आर्थिक मामले विभाग, आर्थिक प्रभाग द्वारा प्रकाशित ''इंडियन पब्लिक फाइनान्स स्टैटिस्टिक्स'' (विभिन्न मुद्दे) में उपलब्ध सूचना के आधार पर केन्द्र और राज्य सरकारों के कुल व्यय में सामाजिक और सामुदायिक सेवा और अवसंरचना (विद्युत, सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण, परिवहन और संचार) पर बजटीय व्यय का हिस्सा वर्ष 1993-94 में 29.8% से बढ़ कर वर्ष 2003-04 में 32.1% हो गया है।

(घ) से (च) प्रश्न ही नहीं उठता।

स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना

3002. श्री बालासाहिब विखे पाटील:
श्री रघुवीर सिंह कौशल:

क्या **पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना और पूर्व-पश्चिम एवं उत्तर-दक्षिण गलियारा का निर्माण कार्य समय पर तथा इसके लिए आबंटित की गई निधि से पूरा नहीं हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और आज की तिथि तक कितना कार्य पूरा हुआ है एवं कितना कार्य लंबित है और इस पर कुल कितना व्यय हुआ है;

(ग) क्या भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के लिए वर्ष 2005-06 तथा 2006-07 के संशोधित बजट अनुमानों में कमी की गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) और (ख) अब तक स्वर्णिम चतुर्भुज का लगभग 96% कार्य (कुल 5846 किमी. में से 5597 किमी.) पूरा हो चुका है। शेष कार्य, कार्य-निष्पादन न करने वाले ठेकेदारों के ठेके रद्द करने और पुन: सौंपे जाने, भूमि अधिग्रहण, सुविधाओं के स्थानांतरण, पर्यावरण/वन/रेलवे स्वीकृति प्राप्त करने आदि में विलंब जैसे विभिन्न कारणों से पूरा नहीं हो सका है।

जहां तक उत्तर-दक्षिण और पूर्व-पश्चिम महामार्गों का संबंध है 1390 किमी. में 4 लेन बनाने का कार्य पूरा कर लिया गया है और 4931 किमी. में यह कार्य प्रगति पर है। 821 किमी. के लिए ठेके अभी सौंपे जाने हैं।

(ग) और (घ) वर्ष 2005-06 के लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण हेतु 16,169.74 करोड़ रु. का बजट प्राक्कलन था। इसमें मुख्यत: बाजार ऋण से आंतरिक और बाह्य बजट संसाधनों से 8500 करोड़ रु. शामिल है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण का संशोधित प्राक्कलन आईईबीआर के 4082 करोड़ रु. सहित 11,001.74 करोड़ रु. था। यह कमी मुख्यत: आईईबीआर में थी। यह कमी विदेशी सहायता प्राप्त उन परियोजनाओं के लिए धनराशि की कम आवश्यकता के कारण हुई थी जो अधिकांश रूप से पूरी होने वाली थी अथवा पूरी हो चुकी थी। बजट प्राक्कलन, 2006-07 के मुकाबले में संशोधित प्राक्कलन 2006-07 में कोई परिवर्तन नहीं था।

अन्य देशों के साथ समझौता ज्ञापन

3003. श्री दुष्यंत सिंह: क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास अभिशासन तथा लोक प्रशासन के क्षेत्र में कुछ अन्य देशों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार का सहयोग किन देशों के साथ स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है;

(ग) ऐसे समझौता ज्ञापनों की मुख्य विशेषताएं क्या हैं; और

(घ) समझौता ज्ञापनों के अंतर्गत इस प्रकार का सहयोग स्थापित किए जाने के मुख्य उद्देश्य क्या हैं?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश पचौरी): (क) जी, हां।

(ख) भारत गणराज्य, ब्राजील संघीय गणराज्य और दक्षिण अफ्रीका गणराज्य के बीच लोक प्रशासन एवं गवर्नेंस के क्षेत्र में सहयोग के संबंध में एक समझौता ज्ञापन पर संबंधित सरकारों द्वारा हस्ताक्षर किये जाने हैं।

(ग) इस प्रस्तावित समझौता ज्ञापन की मुख्य विशेषताएं निम्नानुसार हैं:-

(1) निम्नलिखित क्षेत्रों में लोक प्रशासन और गवर्नेंस के क्षेत्र में सहयोग:

* एकीकृत मानीटरिंग तथा मूल्यांकन;
* ई-गवर्नेंस;
* मानव संसाधन विकास;
* नागरिक उन्मुख सेवा प्रदायगी;
* भ्रष्टाचार निवारण तथा आचार संहिता; और
* उत्तरदायित्व तथा पारदर्शिता।

(2) तीन पक्षों द्वारा लोक प्रशासन संबंधी गठित कार्य दल इस समझौता ज्ञापन के कार्यान्वयन के लिये जिम्मेदार होगा।

(3) यह कार्य दल सहयोग के प्रत्येक क्षेत्र के लिये विशिष्ट कार्यकलापों की पहचान करके इस समझौता ज्ञापन के कार्यान्वयन हेतु कार्यवाही के कार्यक्रम को अंतिम रूप देगा।

(4) यह कार्य दल कार्यक्रम के कार्यान्वयन की प्रगति की समीक्षा करेगा और संबंधित सक्षम प्राधिकारी को एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

(घ) इस प्रस्तावित समझौता ज्ञापन के अंतर्गत सहयोग के मुख्य उद्देश्य निम्न प्रकार से है:-

(1) अच्छे अभिशासन का संवर्द्धन करने के लिए क्षेत्रीय और विश्वव्यापी स्तर पर भारत-ब्राजील-दक्षिण अफ्रीका की पहलों एवं सहयोग को समेकित करना;

(2) लोक प्रशासन एवं अभिशासन के क्षेत्र में संयुक्त प्रयासों एवं सहयोग से कुशल, सुगम, पारदर्शी एवं उत्तरदायी लोक सेवा के जरिए संबंधित देशों के लोगों के सामाजिक एवं आर्थिक विकास को बढ़ावा देना;

(3) तीनों देशों के बीच दक्षिण-दक्षिण सहयोग को सुदृढ़ बनाना और सहस्राब्दि विकासात्मक लक्ष्यों एवं सतत विकास को प्राप्त करने हेतु लोक प्रशासन एवं अभिशासन के क्षेत्र में त्रिपक्षीय सहयोग का संवर्द्धन करना।

[हिन्दी]

गिर राष्ट्रीय उद्यान का कार्यकरण

3004. श्री जीवाभाई ए. पटेल:
श्री वी.के. दुग्मर:

क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने गिर-राष्ट्रीय उद्यान के कार्यकरण की कोई समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो इसके निष्कर्ष क्या है; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान उक्त राष्ट्रीय उद्यान में किए गए विकासात्मक कार्यों का ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति): (क) और (ख) राज्य सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार गिर सुरक्षित क्षेत्र (पीए) की प्रबन्ध योजना की 5 मई, 2006 को प्रबन्ध योजना समीक्षा समिति द्वारा समीक्षा की गई थी। समिति ने गिर सुरक्षित क्षेत्र की नई प्रबन्ध योजना के लिए निम्नलिखित उद्देश्य निर्धारित किए:

1. गिर वनों को इस तरह सुरक्षित और संरक्षित करना जो कि एशियाई शेरों तथा अन्य सभी जीव स्वरूपों और प्रणालियों के चरम और सतत संरक्षण के अनुरूप हो, जो मिलकर इस विलक्षण पारिप्रणाली को गठित करते हैं।
2. शेयर पर्यावासों को संरक्षित और समेकित करना।
3. वनों की स्थिति, उनके पारिस्थितिकीय कार्यों और अधिकतम उत्पादकता को बेहतर बनाना।
4. मानव जनित दबावों से जैव-विविधता पर नेगेटिव प्रभावों को कम करना।
5. पारिव्यवस्था की बेहतर समझ और प्रबंधन के लिए महत्वपूर्ण वैज्ञानिक निवेश उपलब्ध कराने हेतु पारिस्थितिकीय अध्ययन और पारिस्थितिकीय अनुसंधान को जारी रखना।
6. अवैध शिकार रोधी और अतिक्रमण रोधी कार्यों सहित वन्यजीव सुरक्षा, अवैध चराई को रोकना, अग्नि सुरक्षा, पर्यावास प्रबंध, स्वास्थ्य देखभाल अनुसंधान और मानीटरिंग, जागरूकता और शिक्षा, पारिविकास और पारिपर्यटन, गिर सुरक्षित क्षेत्र के प्रबंध के लिए प्राथमिक कार्य है।

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान गिर सुरक्षित क्षेत्र में विकासात्मक कार्यों में, अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित भी शामिल हैं:

1. सर्वेक्षण और सीमांकन
2. खरपतवार को हटाने सहित पर्यावास सुधार कार्य
3. वन्यजीवों के लिए खाद्य और जल की सुविधा
4. प्रकृति शिक्षा, विस्तार और अनुकूलन
5. वाच टावरों, सड़कों, भवनों, वायरलैस नेटवर्कों का प्रबंध
6. वन्यजीवों का बचाव, देखभाल और उपचार
7. दावानल सुरक्षा
8. पारिविकास गतिविधियां जैसे स्वरोजगार, सामुदायिक सुधार कार्य, गिर सुरक्षित क्षेत्र के आस पास रहने वाले लोगों को प्रशिक्षण और शिक्षा।
9. आरक्षित और अनारक्षित चरागाहों के सुधार सहित अवक्रमित वन क्षेत्रों में पौध रोपण।

[अनुवाद]

कैंसर निधि की स्थापना

3005. श्री चन्द्रभूषण सिंह: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार एक कैंसर निधि की स्थापना करने के बारे में विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) और (ख) जी, हां। ये ब्यौरे एकत्रित किए जा रहे हैं।

औद्योगिक घरानों को वन क्षेत्र का आवंटन

3006. श्री जुएल ओराम:
श्री गिरिधर गमांग:

क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मंत्रालय द्वारा विभिन्न औद्योगिक घरानों को विभिन्न राज्यों में उद्योग स्थापित करने के लिए कितना वन क्षेत्र आवंटित किया गया है;

(ख) पर्यावरणीय मानदंडों का कितना पालन किया गया है;

(ग) औद्योगिक इकाइयों को स्थापित करने हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए केन्द्र सरकार द्वारा सरकारी और निजी क्षेत्र की कंपनियों से प्राप्त प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति): (क) और (ख) आठ उद्योग स्थापित करने के लिए वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के उपबंधों के अंतर्गत अभी तक लगभग 23.8 हैक्टेयर वन भूमि वनेतर प्रयोग के लिए दी गई है। वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अंतर्गत इन परियोजनाओं को अनुमोदित करते समय प्रतिपूरक वनीकरण की शर्त हमेशा रखी जाती है ताकि वनों के नुकसान की भरपाई हो सके।

(ग) और (घ) राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों की सरकारों से सूचना एकत्र की जा रही है।

हेपेटाइटिस बी.

3007. श्री आनंदराव विठोबा अडसूल:
श्री विजय कृष्ण:
श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव:

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हेपेटाइटिस बी. रोधी टीकाकरण कार्यक्रम सभी राज्यों में क्रियान्वित किया जाएगा;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) हेपेटाइटिस बी. रोधी टीकाकरण कार्यक्रम सभी राज्यों में कब तक क्रियान्वित किया जाएगा?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) से (ग) हेपेटाइटिस बी. टीकाकरण रोग प्रतिरक्षण कार्यक्रम का कार्यान्वयन विचाराधीन है।

कोयला खानों में भूमिगत आग

3008. श्री सुव्रत बोस: क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भूमिगत आग से भारत कोकिंग कोल लि. (बी.सी.सी.एल.) का कुल कितना क्षेत्र प्रभावित हुआ है, अभी तक कुल कितना कोयला जल गया है और अग्नि शमन परियोजना के संबंध में अभी तक कितनी प्रगति हुई है;

(ख) आग के कारण धंसान के परिणामस्वरूप झरिया कोलफील्ड तथा अन्य कोयला भंडारों के कुल कितने भंडार के प्रभावित होने का अनुमान है;

(ग) आग को बुझाने तथा झरिया शहर को बचाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का प्रस्ताव है;

(घ) क्या सरकार का विचार झरिया शहर को किसी अन्य स्थान पर बसाने के लिए कोई योजना तैयार करने का है;

(ङ) यदि हां, तो प्रस्तावित पुनर्वास योजना सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. दासरि नारायण राव): (क) आग से प्रभावित बीसीसीएल का कुल सतही क्षेत्र राष्ट्रीयकरण के समय आकलन किए गए पिछले लगभग 17 वर्गमीटर की तुलना में 1995 में 8.9 वर्ग किलोमीटर आकलित किया गया है। पिछले आकलन के अनुसार जले हुए कोयले की मात्रा 37 मिलियन टन है।

बीसीसीएल भूमिगत तथा सतही आग को नियंत्रित करने के लिए उपाय कर रही है तथा 1997-98 से आग को नियंत्रित करने की 22 आग परियोजनाएं शुरू की गई हैं और आग को नियंत्रित करने के लिए 76 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। 1997-98 से आग तथा धंसाव को नियंत्रित करने हेतु कोयला मंत्रालय ने 13 पर्यावरणीय उपाय एवं धंसाव नियंत्रण (ईएमएससी)/पुनर्स्थापन, आग तथा धंसाव नियंत्रण (आरसीएफएस) योजनाएं स्वीकृत की हैं। इनमें से 6 ईएमएससी/आरसीएफएस योजनाएं पूरी हो गई हैं और 6 योजनाएं चल रही हैं। धनबाद/पाथरडिह रेलवे लाइन को तोड़ने के कारण आरसीएफएस की एक योजना को रद्द कर दिया गया है। इसके अलावा, आग, धंसाव तथा पुनर्स्थापन (2006) से निपटने के लिए मास्टर प्लान के अधीन आग तथा धंसवा नियंत्रण की 5 नई योजनाएं शुरू की गई हैं।

(ख) 1.4.2007 की स्थिति के अनुसार 1200 मीटर तक की गहराई तक बीसीसीएल के पट्टा क्षेत्र के भीतर झरिया कोलफील्ड में भूवैज्ञानिक कोयला भंडार 16815.66 मिलियन टन है और ब्यौरे निम्नवत् हैं-

प्रमुख कोकिंग कोयला	–	4690.62 मिलियन टन
मध्यम कोकिंग कोयला	–	5486.23 मिलियन टन
नान-कोकिंग कोयला	–	6638.81 मिलियन टन
योग	–	16815.66 मिलियन टन

सीएमपीडीआईएल द्वारा तैयार बीसीसीएल के अद्यतन मास्टर प्लान (जुलाई, 2006) के अनुसार यह अनुमान लगाया गया कि लगभग 37 मिलियन टन अच्छी कोटि का प्रमुख कोकिंग कोयला समाप्त हो गया है और लगभग 1864 मि. टन कोयला आग के कारण अवरुद्ध हो गया है।

(ग) और (घ) मुख्य झरिया कस्बे के नीचे इस समय कोई आग नहीं है और मुख्य झरिया कस्बे को पुन: बसाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। सीएमपीडीआईएल ने बीसीसीएल में आग, धंसाव तथा पुनर्स्थापन से निपटने के लिए एक मास्टर प्लान तैयार किया है जिसमें 595 स्थानों की खतरे के रूप में पहचान की गई है एवं इन क्षेत्रों में रह रहे लोगों की सुरक्षा के लिए इनको शिफ्ट करने की आवश्यकता है। ये क्षेत्र पूरे कोलफील्ड में फैले हुए हैं और इनमें अधिकांश बीसीसीएल के क्षेत्र शामिल हैं।

आग तथा धंसाव के प्रभाव के कारण झरिया कस्बे के निकट कुछ क्षेत्रों जैसे चौथालकुली, कटरा मोडड़, इंदिरा चौक, कुकुरथापा, परसाटांड के निकट न्यू कालोनी, खास झरिया (आग), शमसरनगर, बोकापहाड़ी, 1 पिट क्षेत्र, धस्कापट्टी, सुरटांड तथा हनुमानगड़ी की सीएमपीडीआईएल द्वारा शिफ्ट करने की पहचान की गई है। मास्टर प्लान में 595 स्थलों से लगभग 98000 मकानों को 12 वर्षों की अवधि के भीतर शिफ्ट करने पर विचार किया गया है।

(ङ) और (च) मास्टर प्लान के अनुसार सीएमपीडीआईएल के प्रस्तावित पुनर्स्थापन तथा पुनर्वास पैकेज की मुख्य विशेषताएं मास्टर प्लान के अनुसार निम्नवत हैं-

(क) निजी अधिकृत मकानों के लिए (नान-बीसीसीएल)

(1) मार्किट दर के अनुसार भूमि तथा भवन हेतु नकद मुआवजा

(2) पुनर्स्थापन स्थल पर 100 वर्ग मीटर का भूमि का प्लाट जिसमें सभी सुविधाएं एवं अवसंरचना हों यदि उपर्युक्त पेशकश स्वीकार्य नहीं है तो मकान के प्रमुख को 40 वर्गमीटर का निर्मित फ्लैट दिया जाएगा। इसके अलावा, 10,000 रुपए प्रति मकान के हिसाब से शिफ्टिंग भत्ता एवं राज्य की न्यूनतम मजदूरी के अनुसार 2 वर्ष में 250 दिनों की आय उपार्जन का प्रस्ताव है।

(ख) अनधिकृत मकानों के लिए (नान-बीसीसीएल)

(1) आर एंड आर पैकेज के अनुसार अतिक्रमणकारियों को लगभग 27 वर्गमीटर के

तिमंजिले भवन में एक निर्मित मकान दिया जाएगा जिसमें सभी बेसिक सुविधाएं एवं अवसंरचना जैसे सड़क, नालियां, जलापूर्ति और विद्युतीकरण होगा। इसके अलावा, 10,000 रु. प्रति मकान के हिसाब से शिफ्टिंग भत्ता तथा 2 वर्षों की अवधि में 250 दिनों की आय उपार्जन का प्रस्ताव है। झारखंड सरकार द्वारा अभी इस प्रस्तावित आर एंड आर पैकेज को अनुमोदित किया जाना है।

स्तन कैंसर

3009. श्री प्रबोध पण्डा: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में प्रति वर्ष स्तन कैंसर के कितने नए मामलों का निदान किया जाता है;

(ख) स्तन कैंसर के खतरे के नियंत्रण के लिए सरकार द्वारा क्या निवारक कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है;

(ग) क्या वैज्ञानिकों ने स्तन कैंसर से संबंधित किन्हीं जीनों की पहचान की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या देश में इस संबंध में कोई अनुसंधान किया गया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) और (ख) भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद द्वारा संकलित पूर्वोत्तर रजिस्ट्रियों सहित जनसंख्या आधारित कैंसर रजिस्ट्री में पाए गए स्तन कैंसरों की घटना-दर के आधार पर देश में निदान किए गए स्तन कैंसरों के नए रोगियों की संख्या 1,23,445 होने का अनुमान लगाया गया है।

स्वास्थ्य राज्य का विषय है, इसलिए यह सुनिश्चित करना राज्य सरकारों का काम है कि कैंसर का शुरू में ही पता लगाने, उसके निदान तथा उपचार की पर्याप्त सुविधाएं हों। राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण कार्यक्रम की योजनाओं के अंतर्गत केन्द्र सरकार जिला कैंसर नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत जांच, स्वास्थ्य शिक्षा को बढ़ावा देने, जागरूकता इत्यादि उत्पन्न करने के जरिए कैंसर का शुरू में पता लगाने पर विशेष जोर देती है। देश में 25 क्षेत्रीय कैंसर केन्द्र हैं जो व्यापक कैंसर परिचर्या उपचार प्रदान कर रहे हैं।

(ग) से (च) भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के अनुसार स्तन कैंसर अति-संवेदनशीलता जीन बी आर सी ए-1 और बी आर सी ए-2 में उत्परिवर्तनों के लिए 80 प्रतिशत से अधिक आनुवंशिक स्तन कैंसर के उत्तरदायी हैं। पी 53 (ट्यूमर, सप्रेसर जीन) जैसे अन्य जीन जो सेल्लुर वृद्धि और विभेदीकरण को नियंत्रित करता है, को स्तन कैंसर सहित 50 प्रतिशत से अधिक मानव कैंसरों में उत्परिवर्तित किए जाने के लिए भी जाना जाता है।

कोशिका विज्ञान और निवारण अर्बुदविज्ञान संस्थान, नोएडा देश के अनेक उन्नत केन्द्रों में स्तन कैंसर के हेतुकी के आनुवंशिक और अधिआनुवंशिक पहलुओं की जांच की जा रही है।

[हिन्दी]

कालिन्दी कुंज से पलवल तक बाइपास सड़क का निर्माण

3010. डा. राजेश मिश्रा:
श्री सज्जन कुमार:
श्री अवतार सिंह भड़ाना:

क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केंद्र सरकार का विचार कालिन्दी कुंज से पलवल तक एक बाइपास सड़क का निर्माण करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त बाइपास सड़क का निर्माण कार्य कब तक आरंभ होने की संभावना है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) जी, नहीं। यह मंत्रालय मुख्यत: राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास और अनुरक्षण के लिए जिम्मेदार है। कालिन्दी-कुंज-पलवल सड़क राष्ट्रीय राजमार्ग व्यवस्था का हिस्सा नहीं है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

आयुष दवाओं का प्रत्याचन

3011. श्री उदय सिंह: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केंद्र सरकार ने उन अनेक आयुर्वेदिक, यूनानी तथा सिद्ध दवाओं को प्रत्यायन प्रदान किया है जो बाजार में आसानी से उपलब्ध हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या विशेषज्ञों ने परम्परागत दवाओं के विनियमन के लिए पृथक मानदण्डों की सिफारिश की है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) से (ग) आयुर्वेदिक, यूनानी और सिद्ध औषधियों को औषिध और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 तथा नियमावली, 1945 के अंतर्गत विनियमित किया गया है। आयुर्वेदिक, यूनानी और सिद्ध औषधियों के विक्रय हेतु विनिर्माण का लाईसेंस आयुर्वेदिक, सिद्ध और यूनानी औषधियों के राज्य औषध लाईसेंस प्राधिकारियों द्वारा दिया जाता है। इन औषधियों के मानक आयुर्वेद, सिद्ध और यूनानी औषधियों की संबंधित भेषजसंहिता समितियों द्वारा निर्धारित किए जाते हैं।

ड्रेजिंग कारपोरेशन आफ इंडिया द्वारा किया गया कार्य

3012. **श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी:**
श्री प्रहलाद जोशी:

क्या **पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान सरकार द्वारा ड्रेजिंग कारपोरेशन आफ इंडिया को आबंटित की गई निधियों का ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान कारपोरेशन द्वारा किए गए कार्यों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार पत्तनों पर गाद निकालने का कार्य सरकारी-निजी भागीदारी आधार पर करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या इन कारपोरेशन में भ्रष्टाटार के संबंध में शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(च) यदि हां, तो इसे रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं एवं क्या उपाए किए गए हैं?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री (श्री टी.आर. बालू): (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान, भारत-सरकार द्वारा भारतीय निष्कर्षण निगम को कोई धनराशि आवंटित नहीं की गई है।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान, भारतीय निकर्षण निगम द्वारा किए यए कार्यों का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) और (घ) इस समय पत्तन जलमार्गों को और अधिक गहरा किए जाने की परियोजनाओं को सरकारी-गैर-सरकारी भागीदारी के आधार पर करवाए जाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ङ) और (च) इस निगम में भ्रष्टाचार के संबंध में, इस विभाग में दो शिकायतें मिली हैं और इनकी जांच की जा रही है। ऐसे मामलों की भारतीय निकर्षण निगम के मुख्य सतर्कता अधिकारी और केन्द्रीय सतर्कता-आयोग के परामर्श से इस विभाग के मुख्य सतर्कता अधिकारी विधिवत् जांच की जाती है। संगत नियमों/ प्रक्रियाओं के अनुसार सुधारात्मक कदम उठाए जाते हैं।

विवरण

पिछले तीन वर्षों के दौरान महापत्तनों के ड्रेजिंग ठेकों का विवरण

(मात्रा-मिलियन घनमीटर में)
(मूल्य करोड़ रुपए में)

राज्य और पत्तन	2004-05		2005-06		2006-07	
	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
1	2	3	4	5	6	7
1. रख-रखाव - ड्रेजिंग						
राज्य: पश्चिम बंगाल कोलकाता पत्तन न्यास	16.87	325.12	13.20	282.60	17.10	320.00

1	2	3	4	5	6	7
राज्य: उड़ीसा पारादीप पत्तन न्यास	2.50	26.10	2.80	27.34	2.90	28.32
राज्य: आंध्र प्रदेश विशाखापट्टनम पत्तन न्यास	0.60	6.48	0.40	6.98	0.70	5.72
राज्य: केरल कोचीन पत्तन न्यास	0.00	0.00	0.00	0.00	16.80	31.59
राज्य: कर्नाटक नव मंगलूर पत्तन न्यास	6.66	21.13	5.90	28.75	6.00	26.71
राज्य: गोवा मुरगांव पत्तन न्यास	3.54	9.67	3.40	10.67	0.00	0.00
राज्य: महाराष्ट्र जवाहर लाल नेहरू पत्तन न्यास	0.87	10.60	1.00	11.79	0.80	15.17
राज्य: गुजरात कांडला पत्तन न्यास	4.53	56.24	2.20	24.40	0.00	0.00
कुल	35.57	455.34	28.90	392.53	44.30	427.51
2. कैपिटल ड्रेजिंग						
राज्य: तमिलनाडु सेतुसमुद्रम	0.00	0.00	3.80	38.46	6.50	127.05
कुल	0.00	0.00	3.80	38.46	6.50	127.05

जानवरों के शरीर के अंगों का अवैध व्यापार

3013. **श्री सर्वे सत्यनारायण:**
श्री नरहरि महतो:
श्री जी. करूणाकर रेड्डी:
श्री मणी कुमार सुब्बा:
श्री सुव्रत बोस:

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जानवरों के शरीर के अंगों का गुप्त व्यापार करने वाला एक संगठित अवैध शिकार नेटवर्क है जिनका संबंध अंतर्राष्ट्रीय आपरेटरों के साथ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान सामने आए अवैध शिकार की घटनाओं का राज्य-वार तथा वर्ष-वार ब्यौरा क्या है और इसमें बाघों/तेंदुओं अथवा अन्य जंगली जानवरों की कितनी खालों को बरामद किया गया;

(घ) उक्त अवधि के दौरान अवैध शिकार के लिए वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत सजा प्राप्त/दंडित किए गए वन अधिकारियों सहित अन्य व्यक्तियों की संख्या राज्य-वार कितनी है; और

(ङ) अवैध शिकार और जानवरों के शरीर के अंगों के अवैध व्यापार को रोकने के लिए क्या कारगर कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति): (क) और (ख) अंतर्राष्ट्रीय गुप्त बाजारों वन्यजीव और उनके

व्युतपन्नों की आकर्षक मांग को देखते हुए, संगठित अवैध शिकार के नेटवर्क का अंतर्राष्ट्रीय प्रचालकों के साथ संबंध की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है। महत्वपूर्ण वन्यजीवों के अंग और उत्पाद जिनकी भारत के बाहर तस्करी की जाती है, में बाघ, तेंदुआ, गैंडा, भालू, कस्तूरी मृग, टर्टल, टारटॉयस, तिब्बती हिरण आदि शामिल हैं। इनका मुख्यत: उपयोग पारंपरिक औषधियों, वाईनों, रिलिज्यिस रेलिक्स सहित पारंपरिक टानिकों, नक्काशी, सजावटी सामानों, वस्त्र, बैग आदि के लिए किया जाता है।

(ग) उपलब्ध सूचना के अनुसार, गत तीन वर्षों के दौरान प्रमुख प्रजातियों नामश: बाघ, तेंदुआ, हाथी, गैंडा, स्टार कछुआ, भालू, कस्तूरी मृग और ऊदबिलाव से संबंधित अवैध शिकार/जब्त की घटनाओं का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

(ङ) अवैध शिकार और पशुओं के शरीर के अंगों के अवैध व्यापार को रोकने के लिए उठाए कदमों में शामिल हैं:-

(1) वन्यजीव (सुरक्षा) अधिनियम, 1972 के उपबंधों के तहत शिकार और वाणिज्यिक शोषण के विरुद्ध बाघ, शेर, हाथी, तेंदूआ गैंडा, वन्य भैंस, तिब्बती हिरण, समुद्री टर्टल्स, कोरल आदि सहित संकटापन्न वन्य पशुओं को कानूनी सुरक्षा मुहैया कराई गई हैं।

(2) वन्यजीव (सुरक्षा) अधिनियम को संशोधित करके और अधिक कड़ा बनाया गया है। अपराधों के मामले में सजा और अधिक कड़ी बनाई गई है। अधिनियम में वन्यजीव अपराध करने में उपयोग में लाये गए उपस्कर, वाहन अथवा हथियार की जब्ती का भी प्रावधान है।

(3) वन्यजीव के शिकार और उनके उत्पादों के अवैध व्यापार को रोकने के लिए वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो गठित किया गया है।

(4) वन्यजीव (सुरक्षा) अधिनियम, 1972 के अंतर्गत वन्यजीव अपराधियों को गिरफ्तार करने और उन पर मुकदमा चलाने के लिए केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) को अधिक शक्तिसम्पन्न बनाया गया है।

(5) राज्य सरकारों को फील्ड फारमेशन सुदृढ़ बनाने और सुरक्षित क्षेत्रों में और उनके आस-पास गहन रूप से पेट्रोलिंग करने हेतु अनुरोध किया गया है।

(6) वन्यजीव (सुरक्षा) अधिनियम, 1972 के उपबंधों के अनुसार वन्यजीव और उनके वास-स्थलों को बेहतर सुरक्षा प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्य सृजित किए गए हैं।

(7) वन्यजीवों को बेहतर सुरक्षा प्रदान करने के लिए विभिन्न केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों, अर्थात् 'राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों का विकास' 'बाघ परियोजना' और 'हाथी परियोजना' के अंतर्गत राज्य/संघ शासित प्रदेशों की सरकारों को वित्तीय और तकनीकी सहायता मुहैया कराई जाती है।

(8) प्रभावी संचार तंत्रों के माध्यम से कड़ी सतर्कता रखी जाती है।

विवरण

वन्यजीवों और उनके उत्पादों के अवैध शिकार/जब्ती के महत्वपूर्ण मामलों की संख्या

क्र.सं.	राज्य के नाम	वर्ष		
		2003	2004	2005
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	2	–	11
2.	असम	1	2	4
3.	बिहार	1	1	2
4.	छत्तीसगढ़	–	2	5
5.	गुजरात	2	–	–
6.	हरियाणा	2	4	–
7.	हिमाचल प्रदेश	1	3	3
8.	जम्मू-कश्मीर	1	–	–
9.	झारखंड	6	9	2
10.	कर्नाटक	8	10	3
11.	महाराष्ट्र	15	14	–
12.	मध्य प्रदेश	11	11	9
13.	मेघालय	–	–	1
14.	मणिपुर	–	–	1
15.	उड़ीसा	17	19	20

1	2	3	4	5
16.	पंजाब	–	–	10
17.	राजस्थान	2	4	–
18.	सिक्किम	–	–	3
19.	तमिलनाडु	24	14	–
20.	त्रिपुरा	–	–	1
21.	उत्तरांचल	23	14	3
22.	उत्तर प्रदेश	13	10	6
23.	पश्चिम बंगाल	39	11	6
24.	दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र	13	8	21

[हिन्दी]

वन कानूनों के अंतर्गत जेल भेजे गए जनजातीय लोग

3014. श्री मनसुखभाई डी. वसावा:
डा. धीरेंद्र अग्रवाल:

क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वन कानूनों के अंतर्गत बड़ी संख्या में जनजातीय लोग जेल भेजे गए हैं;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष जनजातीय लोगों के विरुद्ध राज्य-वार ऐसे कितने मामले दर्ज किए गए;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान विभिन्न राज्यों में पेड़ों को अवैध रूप से काटने के कुल कितने मामले हुए; और

(घ) इस पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति): (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

रासायनिक अपशिष्टों का अवैध रूप से नदियों में डाला जाना

3015. एडवोकेट सुरेश कुरूप: क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान देश की नदियों में रासायनिक अपशिष्टों को अवैध रूप से डाले जाने के बारे में सरकार की जानकारी में आए मामलों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) सरकार द्वारा दोषी कम्पनियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गयी है/किए जाने का विचार है; और

(ग) सरकार द्वारा ऐसा पाटन रोकने हेतु क्या उपाय किए गए हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायण मीना): (क) और (ख) जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 और वर्ष 2000 और 2003 में यथा संशोधित परिसंकटमय अपशिष्ट (प्रबंधन और हथालन) नियमावली, 1989 के अंतर्गत नदियों में रासायनिक अपशिष्ट डालना प्रतिबंधित है।

(ग) राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों द्वारा खतरनाक अपशिष्ट उत्पन्न करने वाले उद्योगों को सूचीकृत किया गया है। इन उद्योगों को ऐसे अपशिष्टों के सुरक्षित निस्तारण के लिए या तो निजी अथवा सामूहिक शोधन संग्रहण एवं निपटान सुविधाएं (टीएसडीएफ) स्थापित करना आवश्यक है। आंध्र प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल राज्यों ने परिसंकटमय अपशिष्ट (प्रबंधन एवं हथालन) नियमावली में दिए गए उपबंधों के अनुसार टीएसडीएफ स्थापित कर लिए हैं। दिल्ली, गोवा, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, उड़ीसा, पंजाब, तमिलनाडु और उत्तरांचल राज्यों तथा दमन, दीव एवं दादरा नगर हवेली व पाण्डिचेरी ने स्थलों की पहचान कर ली है और टीएसडीएफ की स्थापना कर रहे हैं।

राष्ट्रीय कोयला ग्रिड का गठन

3016. श्री एल. राजगोपाल: क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार राष्ट्रीय कोयला ग्रिड बनाने की अपनी प्रक्रिया के रूप में आंध्र प्रदेश की सिंगरेनी कोलियरीज का अधिग्रहण करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने इस संबंध में सलाह मशवरा किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या राष्ट्रीय कोयला ग्रिड के गठन के लिए विदेशी कंपनियों या संस्थानों से सहायता अथवा सहयोग मांगा गया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. दासरि नारायण राव): (क) जी, नहीं। ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(ख) से (च) उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठते।

राष्ट्रीय उद्यान को खनन हेतु पट्टे पर दिया जाना

3017. श्रीमती मेनका गांधी: क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जम्मू एवं कश्मीर राज्य सरकार के भूगर्भ एवं खनन विभाग ने पर्यावरण मंत्रालय से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त किए बिना राष्ट्रीय उद्यान की सैकड़ों एकड़ भूमि जिप्सम के खनन के उद्देश्य से पट्टे पर दे दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस राष्ट्रीय उद्यान के क्षेत्र में हो रही कमी को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति): (क) राज्य सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार, भूगर्भ और खनन विभाग, जम्मू एवं कश्मीर सरकार ने जम्मू एवं कश्मीर राज्य में राष्ट्रीय उद्यान का कोई क्षेत्र खनन प्रयोजन हेतु पट्टे पर नहीं दिया है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

कुपोषण में कमी लाने के लिए पौष्टिक आहार योजना

3018. श्री सचिन पायलट: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में कुपोषण की उच्च दर में कमी लाने के लिए दीर्घकालिक लागत प्रभावी रणनीति के रूप में वर्ष 1993 की राष्ट्रीय पोषण नीति तथा वर्ष 1995 की पोषण हेतु राष्ट्रीय कार्य योजना दोनों में पौष्टिक आहार की सिफारिश की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भोजन में आवश्यक सूक्ष्म पोषक तत्व (विटामिन तथा खनिज तत्व) की मात्रा बढ़ाने हेतु किन्हीं अन्य उपायों पर भी विचार किया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) और (ख) सरकार ने राष्ट्रीय पोषण नीति (1993) अपनाई है जिसमें देश में कई मंत्रालयों द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से समाधान की जा रही बहुमुखी समस्या-कुपोषण/अल्पोषण के निवारण और नियंत्रण के लिए अनिवार्य खाद्य पदार्थों का पुष्टिकरण, लघु अवधि कार्यनीतियों में एक प्रत्यक्ष कार्यकलाप है।

(ग) से (ङ) अनिवार्य सूक्ष्म पोषकों अर्थात् विटामिन और खनिज समेत खाद्य पदार्थों के पुष्टिकरण के मानव खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 में अभिनिर्धारित किए गए हैं। जिन क्षेत्रों में पुष्टिकरण किया जा रहा है उसमें वनस्पति का विटामिन ए से पुष्टिकरण, सीधे मानक, उपभोग हेतु नमक को अनिवार्य रूप से आयोडीनयुक्त करना, साधारण नमक को लौह युक्त बनाना और आटे तथा मैदे आदि का पुष्टिकरण शामिल है।

[हिन्दी]

रक्त बैंक

3019. श्री हेमलाल मुर्मू: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने प्रत्येक राज्य में रक्त बैंकों की संख्या का पता लगाने के लिए कोई सर्वेक्षण कराया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सी.एम.वी. (साइको मगोलो वाइरस) की जांच अनिवार्य नहीं की गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) और (ख) जी, नहीं। औषध और प्रसाधन सामग्री अधिनियम के उपबंधों के अनुसार रक्त बैंक शुरू करने से पहले लाइसेंस प्राप्त करना अनिवार्य है। लाइसेंसशुदा रक्त बैंक की राज्य-वार संख्या दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

(ग) और (घ) जी, हां। औषध और प्रसाधन सामग्री अधिनियम के उपबंधों के अनुसार रक्त की प्रत्येक यूनिट को रक्तधान से संचरण होने वाले पांच संक्रमणों अर्थात् एचआईवी, हेपेटाइटिस-सी, एचबीएसएजी, वीडीआरएल और मलेरिया से मुक्त होना होता है। तदनुसार, सीएमवी के लिए जांच अनिवार्य नहीं है।

विवरण

31 अगस्त, 2007 तक की स्थिति के अनुसार देश में चल रहे 2343 लाइसेंससुदा रक्त बैंकों की राज्य-वार सूची

क्र.सं.	राज्य का नाम	रक्त बैंकों की संख्या
1	2	3
1.	अंडमान एवं निकोबार	2
2.	आंध्र प्रदेश	238
3.	अरुणाचल प्रदेश	3
4.	असम	71
5.	बिहार	85
6.	चंडीगढ़	4
7.	छत्तीसगढ़	36
8.	दादरा एवं नगर हवेली	1
9.	दमन व दीव	1
10.	दिल्ली	53
11.	गोवा	9
12.	गुजरात	177
13.	हरियाणा	54
14.	हिमाचल प्रदेश	19
15.	जम्मू-कश्मीर	26
16.	झारखंड	14
17.	कर्नाटक	168
18.	केरल	144
19.	मध्य प्रदेश	121
20.	महाराष्ट्र	280
21.	मणिपुर	3
22.	मेघालय	5
23.	मिजोरम	5
24.	नागालैंड	4
25.	उड़ीसा	73
26.	पांडिचेरी	14
27.	पंजाब	92
28.	राजस्थान	74
29.	सिक्किम	3
30.	तमिलनाडु	255
31.	त्रिपुरा	7
32.	उत्तर प्रदेश	168
33.	उत्तरांचल	26
34.	पश्चिम बंगाल	109
	कुल	2343

कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा काम में लगाए गए श्रमिकों को मजदूरी

3020. श्री रामदास आठवले: क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) के अधीन प्रत्येक अनुषंगी कोयला खान में ठेकेदारों द्वारा कितने श्रमिकों को काम पर लगाया गया;

(ख) क्या श्रमिकों को ठेके में हुए समझौते के अनुसार मजदूरी दी जा रही है; और

(ग) यदि नहीं, तो दोषी ठेकेदारों के विरुद्ध प्रबंधन द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. दासरि नारायण राव): (क) कोल इंडिया लि. (सीआईएल) से प्राप्त सूचना के अनुसार ठेकेदारों द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान लगाए गए श्रमिकों का वर्षवार और कंपनीवार ब्यौरा नीचे दिया गया है-

कंपनी का नाम	निम्नलिखित तारीख को तैनात किए गए ठेकेदारों के कामगारों की संख्या		
	31.3.2005	31.3.2006	31.3.2007
ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि.	5027	7264	7264
भारत कोकिंग कोलफील्ड्स लि.	688	641	1109
सेंट्रल कोलफील्ड्स लि.	7500	7327	7454
वेस्टर्न कोलफील्ड्स लि.	2665	2341	2350
साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि.	6000	4225	6843
नार्दर्न कोलफील्ड्स लि.	5778	6098	5608
महानदी कोलफील्ड्स लि.	5974	5815	6502
नार्थ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि.	486	890	707

(ख) सीआईएल ने सूचित किया है कि ठेकेदारों द्वारा श्रमिकों को वेतन का भुगतान संविदा की शर्तों के अनुसार किया जा रहा है।

(ग) उपर्युक्त भाग (ख) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

ई-कचरा तथा नगरपालिका ठोस अपशिष्ट

3021. श्री अर्जुन सेठी: क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने देश में वार्षिक तौर पर पैदा होने वाले इलेक्ट्रानिक कचरे के प्रबंधन के लिए मसौदा दिशा-निर्देश जारी किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इनके प्रबंधन हेतु राज्यों/संघ राज्य-क्षेत्रों को ये दिशा-निर्देश परिचालित कर दिए गए हैं; और

(घ) दो महत्वपूर्ण नियमों-हजार्डस वेस्ट (मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग) रूल्स, 2003 तथा म्यूनिसिपल सालिड वेस्ट (मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग), 2000 का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायण मीणा): (क) से (ग) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा इलैक्ट्रानिक अपशिष्टों का पर्यावरणीय दृष्टि से बेहतर ढंग से प्रबंधन करने के लिए ड्राफ्ट गाइडलाइंस तैयार की गई हैं। ये गाइडलाइंस इलैक्ट्रानिक अपशिष्ट के पुन: चक्रण और उनके शोधन हेतु पर्यावरणीय दृष्टि से बेहतर प्रौद्योगिकियों का वर्गीकरण करने तथा उन्हें परिभाषित करने से संबंधित है ये गाइडलाइंस टिप्पणियों और सुझावों के लिए सीपीसीबी की वेबसाइट www.cpcb.nic.in पर उपलब्ध हैं। इन गाइडलाइनों को अंतिम रूप देने के लिए पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा एक टास्क फोर्स का गठन किया गया है।

(घ) वर्ष 2000 और 2003 में संशोधित किए गए परिसंकटमय अपशिष्ट (प्रबंधन और हथालन) नियमों, 1989 में इस प्रकार के अपशिष्टों के एकत्रण, भंडारण, परिवहन, शोधन तथा निपटान की व्यवस्था की गई है। इन नियमों को कार्यान्वित करने के लिए जिन प्राधिकरणों को दायित्व सौंपा गया है, उसमें राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड तथा केन्द्र शासित प्रदेशों की प्रदूषण नियंत्रण समितियां शामिल हैं। इन नियमों के अंतर्गत अपेक्षित अनुसार:

(1) खतरनाक अपशिष्ट पैदा करने वाली इकाइयों को राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों तथा प्रदूषण नियंत्रण समितियों द्वारा प्राधिकार दिए गए हैं।

(2) अनेक राज्यों ने शोधन, भंडारण निपटान सुविधाएं स्थापित की हैं; और

(3) पर्यावरणीय वृद्धि के बेहतर पुन: चक्रण प्रणाली को प्रोत्साहित करने के लिए पुन: चक्रणकर्ताओं के पंजीकरण की एक योजना चल रही है।

नगर ठोस अपशिष्ट (प्रबंधन और हथालन) नियम, 2000 में नगर अपशिष्टों के एकत्रण, भंडारण, पृथक्करण, परिवहन, प्रसंस्करण तथा निपटान के लिए विस्तृत अनुपालन मापदंड निर्धारित किये गए हैं। इन निमयों के अनुसार नगर प्राधिकरण इन नियमों के उपबंधों के कार्यान्वयन तथा नगर अपशिष्ट के प्रबंधन हेतु किसी तरह की ढांचागत सुविधाएं विकसित करने के लिए उत्तरदायी है।

शहरी विकास मंत्रालय ने जवाहर लाल नेहरू अर्बन रिन्यूअल मिशन के अंतर्गत दिसंबर, 2005 से 21 शहरों के संबंध में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन परियोजनाओं को अनुमोदित किया है और 10 चुनिंदा आईएएफ एयर फील्ड शहरों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और ड्रेनेज संबंधी 'केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीम के अंतर्गत 99.34 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से 10 एयर फील्ड शहरों के लिए ठोस अपशिष्ट प्रबंधन परियोजनाएं' अनुमोदित की गई हैं।

बारहवें वित्त आयोग ने वर्ष 2005-2010 तक की अवधि के लिए सहायता अनुदान के रूप में स्थानीय निकायों के लिए 5,000 करोड़ रुपए हस्तांतरित किए हैं जिनमें से 2500 करोड़ रुपए की केन्द्रीय सहायता श्रेणी-I के सभी 423 शहरों में बेहतर ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए अलग से रखी गई है।

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय तथा केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड नगर ठोस अपशिष्ट के प्रबंधन हेतु लागत हिस्सेदारी आधार पर पायलट परियोजनाएं स्थापित करने के लिए राज्यों को वित्तीय सहायता प्रदान करते हैं।

[हिन्दी]

मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग

3022. श्री कैलाश जोशी:
श्री गणेश सिंह:

क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 2004-05, 2005-06 तथा 2006-07 के दौरान किन-किन सड़कों को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किया गया;

(ख) क्या सरकार का विचार ऐसी और सड़कों को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का विचार मध्य प्रदेश में स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना तथा उत्तर-दक्षिण एवं पूर्व-पश्चिम गलियारे के अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई में वृद्धि करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) वर्ष 2004-05 के दौरान किसी नए राष्ट्रीय राजमार्ग की घोषणा नहीं की गई है। वर्ष 2005-06 और 2006-07 के दौरान घोषित राष्ट्रीय राजमार्गों के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) और (ग) चूंकि फिलहाल विद्यमान राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास पर जोर दिया जा रहा है, और सड़कों को राष्ट्रीय राजमार्गों के रूप में घोषित करना सरकार की प्राथमिकता नहीं है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

क्र.सं.	राज्य	रा.रा. सं.	खंड	लंबाई (कि.मी.)
1	2	3	4	5
1.	जम्मू-कश्मीर	1डी	श्रीनगर-कारगिल-लेह	422
2.	उत्तर प्रदेश	एनई-II	पूर्वी बाह्य एक्सप्रेस मार्ग	90
		24 बी	लखनऊ-रायबरेली-इलाहाबाद	185
			उपजोड़	275
3.	तमिलनाडु	226	तंजावुर-गंधारवकुटई-शिवगंगा-मनमदुरई	144

1	2	3	4	5
		227	त्रिरुचिलापल्ली-जोड़ते हुए-लालगुड्डी-कुमारतच्ची-चिदंबरम	135
			उपजोड़	279
4.	गुजरात	228	अहमदाबाद-डांडी (डांडी विरासत मार्ग)	374
5.	पश्चिम बंगाल	2बी	बुरदवान-बोलपुर	52
			उपजोड़	59
6.	बिहार	2सी	डेहरी-अकबरपुर-बिहार/उ.प्र. सीमा	105
7.	हरियाणा	एनई-II	पूर्वी बाह्य एक्सप्रेस मार्ग	44
			कुल जोड़	1551

[अनुवाद]

विरासत मार्गों का विकास तथा रखरखाव

3023. श्री काशीराम राणा: क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री विरासत मार्गों के विकास के बारे में 13 दिसंबर, 2006 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3013 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने विरासत मार्गों के विकास तथा रखरखाव का कार्य अपने हाथ में लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में कोई बजटीय आबंटन किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) और (ख) लोक सभा के 13 दिसंबर, 2006 के लिखित प्रश्न संख्या 3013 के उत्तर में इस प्रश्न का उल्लेख किया गया है जो अहमदाबाद-डांडी के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग 228 पर विरासत मार्ग के विकास के संबंध में था। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने गुजरात सरकार से अहमदाबाद-डांडी विरासत मार्ग, राष्ट्रीय राजमार्ग 228 के अधिग्रहण करने की प्रक्रिया दिनांक 1 अप्रैल, 2007 से प्रारंभ कर दी है। अभी तक अधिग्रहीत किए खंडों के ब्योरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) और (घ) इस राष्ट्रीय राजमार्ग के लिए अलग से कोई बजट आबंटन नहीं किया गया है।

विवरण

गुजरात राज्य से अब तक अधिग्रहीत कर लिए गए अहमदाबाद-डांडी विरासत मार्ग, राष्ट्रीय राजमार्ग 228 के खंडों के ब्यौरे इस प्रकार हैं:-

जिला	प्राप्त दस्तावेज/संबंधित प्रभाग से लिया गया प्रभार (कि.मी. में)						
	एनएच	एसएच	ओडीआर	एमडीआर	वीआर	अन्य/मिसिंग लिंक	जोड़ (किमी.)
1	2	3	4	5	6	7	8
अहमदाबाद	12	7.00	–	–	–	–	19.00
खेडा	18.90	19.27	–	6.70	9.00	0.30	54.17

1	2	3	4	5	6	7	8
आनंद	0.30	35.35	–	2.60	13.70	–	51.85
भरूच	0.00	70.80	–	4.80	38.10	23.00	136.70
सूरत	–	24.20	2.70	9.78	0.00	–	36.68
नवसारी	0.00	16.00	–	–	–	–	16.00
जोड़	31.20	172.52	2.70	23.88	60.80	23.30	314.40

गहरे समुद्री पत्तन

3024. श्री बसुदेव आचार्य: क्या **पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने गहरे समुद्र पत्तन के निर्माण हेतु तकनीकी आर्थिक व्यवहार्यता अध्ययन करने के लिए वैश्विक कंपनियों से प्रस्ताव आमंत्रित किए गए हैं जैसा कि दिनांक 26 जुलाई, 2007 के 'बिजनेस लाइन' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गहरे समुद्री पत्तन बनाए जाने हेतु सरकार के पास कुल कितने प्रस्ताव विचाराधीन है;

(घ) तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है/किए जाने का प्रस्ताव है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री (श्री टी.आर. बालू): (क) से (ङ) भारत सरकार ने पश्चिम बंगाल की तट-रेखा पर एक आधुनिक गहरा समुद्र पत्तन विकसित किए जाने के लिए परामर्शक सेवाएं मुहैया करवाए जाने हेतु प्रस्ताव आमंत्रित किए हैं। इस समय, पश्चिम बंगाल की तट-रेखा के साथ-साथ गहरा समुद्री पत्तन स्थापित किए जाने का एक प्रस्ताव है। प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर, सात फर्मों की अंतिम सूची तैयार की गई है। प्रतिभागिता के लिए अनुरोध के कागजात, दिनांक 20 जुलाई, 2007 को इन सात सूचीबद्ध परामर्शकों को जारी कर दिया गया है। प्रतिभागिता के लिए अनुरोध के कागजात में कार्य के उद्देश्य के साथ-साथ तकनीकी-आर्थिक पूर्व-व्यवहार्यता, स्थल चयन, विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करना, परियोजना का ढांचा तैयार करना, बोली के कागजात तैयार करना, बोली प्रक्रिया की व्यवस्था करना और परियोजना के चालू होने तक पर्यवेक्षण करना परिकल्पित है।

प्रदूषण के संबंध में विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट

3025. श्री जसुभाई धाभाई बारड़:
श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु:
श्री एकनाथ महादेव गायकवाड:
श्रीमती निवेदिता माने:

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट के अनुसार प्रदूषण भारत में 'मेजर किलर' है जैसा कि दिनांक 15 जून, 2007 के "द हिन्दुस्तान टाइम्स" में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/ उठाए जाने का विचार है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायण मीना): (क) और (ख) वर्ष 2002 में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा "प्रिवेंटिव डिसीज थ्रू हैल्दी एन्वायरमेंटस" नामक अध्ययन किया गया था और यह सांख्यिकीय विश्लेषण हेतु सीमित डाटा पर आधारित है। रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि पूरे विश्व में रोग के बोझ (स्वस्थ जीवन वर्षों की हानि) का 24 प्रतिशत और सभी मौतों (असामयिक मृत्यु दर) का अनुमानत: 23 प्रतिशत पर्यावरणीय घटकों जैसे असुरक्षित पेयजल, घटिया सफाई, इनडोर वायु प्रदूषण से संबंधित श्वसन संदूषणों के कारण है।

(ग) विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा किया गया अध्ययन किसी अर्थपूर्ण सांख्यिकीय विश्लेषण के लिए सीमित डाटा पर आधारित है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने स्वयं अपनी रिपोर्ट में यह टिप्पणी की है कि मात्रात्मक आंकड़ों के अभाव को देखते हुए पर्यावरणीय स्वास्थ्य और स्वास्थ्य देखभाल अनुमान विशेषज्ञों द्वारा प्रदान किए गए थे।

(घ) पर्यावरणीय प्रदूषण को रोकने और नियंत्रित रखने के लिए विभिन्न कदम उठाए गए हैं, जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं:

* विभिन्न उद्योगों के लिए बहिस्राव और उत्सर्जन मानकों को अधिसूचित करना।
* जल प्रदूषण नियंत्रण उपकरणों को लगाने के लिए, नदियों और झीलों में बहिस्राव छोड़ने वाले उद्योगों की पहचान करना।
* विभिन्न नगरों के लिए परिवेशी वायु गुणता प्रबंध के लिए कार्य योजनाएं तैयार करना।
* स्वच्छतर उत्पादन प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देना।
* पर्यावरणीय अनुपालन के लिए औद्योगिक इकाइयों की नियमित मानीटरिंग।
* अनुपालन न करने वाली इकाइयों के मामले में पर्यावरणीय अधिनियमों के अंतर्गत निर्देश जारी करना।

[हिन्दी]

वन भूमि पर आदिवासियों तथा अनुसूचित जातियों का पुनर्वास

3026. श्री चन्द्रभान सिंह: क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वन भूमि पर आदिवासियों तथा अनुसूचित जातियों के लोगों का पुनर्वास करने के संबंध में मध्य प्रदेश सरकार से प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो इस अवधि का ब्यौरा क्या है तथा ऐसे कितने प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं; और

(ग) कितने मामले लंबित पड़े हैं तथा इन मामलों में पुनर्वास प्रक्रिया कब तक पूरी हो जाने की संभावना है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति): (क) से (ग) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को वन भूमि पर आदिवासियों और अनुसूचित जातियों के लोगों के पुनर्वास के लिए मध्य प्रदेश राज्य सरकार से 15 प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। राज्य सरकार से वर्ष 1986 से 1996 की अवधि के दौरान 7 प्रस्ताव प्राप्त हुए थे जबकि वर्ष 1996 से अब तक 8 प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। इस मंत्रालय ने प्राप्त हुए 15 प्रस्तावों में से 6 प्रस्तावों को अनुमोदित कर दिया है और एक प्रस्ताव को सिद्धांत रूप से अनुमोदन प्रदान कर दिया है। शेष 8 प्रस्तावों में से 7 प्रस्ताव अनिवार्य विवरण हेतु मध्य प्रदेश सरकार के पास लम्बित है, जबकि 1 प्रस्ताव को अस्वीकृत कर दिया गया है। इस प्रकार, वन भूमि पर लोगों के पुनर्वास के लिए मध्य प्रदेश सरकार से प्राप्त कोई भी प्रस्ताव पर्यावरण एवं वन मंत्रालय में लंबित नहीं है।

[अनुवाद]

भारतीय नौवहन-निगम द्वारा अर्जित लाभ

3027. श्री बालासोवरी वल्लभनेनी: क्या **पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय नौवहन निगम ने चालू वित्तीय वर्ष के दौरान काफी अधिक लाभ अर्जित किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) कंपनी की वृद्धि दर को बढ़ाने के लिए चालू वर्ष के दौरान क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री (श्री टी.आर. बालू): (क) और (ख) वर्ष 2007-08 की प्रथम तिमाही के दौरान भारतीय नौवहन निगम ने कर के पश्चात 206.12 करोड़ रु. का निवल लाभ घोषित किया। भारतीय नौवहन निगम ने बल्क क्षेत्र में कर से पूर्व 218.82 करोड़ रु. का लाभ दर्ज किया और ब्याज तथा अन्य क्षेत्र, जिसमें अन्य संगठनों की ओर प्रबंधित अपतट, यात्री पोत और जलयान शामिल हैं, ने कर और ब्याज से पूर्व 15.77 करोड़ रु. का लाभ रिकार्ड किया। लाइनर डिवीजन ने 46.28 करोड़ रु. का घाटा दर्ज किया।

(ग) भारतीय नौवहन निगम नौवहन के लगभग प्रत्येक क्षेत्र में अपनी उपस्थिति से यह भारत में एक प्रमुख नौवहन कंपनी है। अपनी प्रमुख स्थिति को कायम रखने और मार्किट शेयर बनाए रखने के उद्देश्य से भारतीय नौवहन निगम की ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना (2007-2012) के दौरान लगभग 62 जलयानों के अधिग्रहण की योजना है। बेड़े में पुराने जलयानों को बदलना और नये जलयानों का परिवर्धन भारतीय नौवहन निगम को भविष्य में भी निरन्तर पर्याप्त लाभ कमाने के लिए सशक्त बनाएगा।

पर्यावरणीय समस्या के रूप में खराब स्वच्छता व्यवस्था

3028. श्री एन. जनार्दन रेड्डी: क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एशिया में खराब स्वच्छता व्यवस्था प्रमुख पर्यावरणीय समस्या रही है जैसा कि दिनांक 8 अगस्त, 2007 के 'द हिन्दुस्तान टाइम्स' में समाचार प्रकाशित हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायण मीना): (क) और (ख) 'बैंक फाल्ट्स एशिया फार पूअर सेनीटेशन' नामक एक न्यूज रिपोर्ट दिनांक 8.8.2007 के दी हिन्दुस्तान टाइम्स में प्रकाशित हुई थी जिसमें एशियाई विकास बैंक की कुछ टिप्पणियों को व्यक्त किया गया था, जो विशिष्ट रूप से भारत के संबंध में नहीं थी बल्कि कुल मिलाकर एशिया में उचित सफाई की कमी के संबंध में थी जिससे सतही और भू-जल का प्रदूषण होता है।

सफाई में सुधार लाने के लिए शहरी विकास मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए कार्यों के अतिरिक्त, यह मंत्रालय देश की नदियों और झीलों में घरेलू प्रदूषण भार से निपटने के लिए दो केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों नामश: राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना (एनआरसीपी) और राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना (एनएलसीपी) का कार्यान्वयन कर रहा है। एनएलसीपी के तहत 567 करोड़ रुपए की अनुमोदित लागत से 13 राज्यों की 46 झीलों के संरक्षण/कायाकल्प कार्य शामिल हैं। एनआरसीपी के तहत 4783 करोड़ रुपए की अनुमोदित लागत से 20 राज्यों के 160 शहरों को शामिल किया गया है और इस योजना के तहत किए गए प्रदूषण उपशमन उपायों में अवरोधन और दिशा परिवर्तन (आई एण्ड डी), सीवेज शोधन संयंत्र (एसटीपी), अल्प लागत शौचालय (एलसीएस), विद्युत और/या उन्नत काष्ठ आधारित शवदाहगृह, नदी तट विकास (आरएफडी) कार्य जैसे स्नान घाटों में सुधार और वनीकरण, जन भागीदारी आदि जैसे कार्य शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, एनआरसीपी के तहत प्रतिदिन कुल 2924 मिलियन लीटर की सीवेज शोधन क्षमता और अल्प लागत शौचालय (एलसीएस) की 138 स्कीमें पूरी की गई हैं।

अंतर राज्य संपर्क हेतु राज्य सड़क

3029. श्री मोहन जेना: क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 2006-07 के दौरान अंतर राज्यीय संपर्क तथा आर्थिक महत्व की राज्य सड़कों हेतु केंद्रीय प्रायोजित योजना के अंतर्गत स्वीकृति हेतु राज्य सरकारों द्वारा भेजे गए प्रस्तावों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या उड़ीसा के जाजपुर जिले में छाटिया कलाकला सड़क को अभी स्वीकृति दी जानी शेष है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके लिए धनराशि कब तक जारी कर दिए जाने की संभावना है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) वर्ष 2006-07 के दौरान अंतर राज्यीय सड़क संपर्क और आर्थिक महत्व की राज्यीय सड़कों के लिए केंद्र द्वारा प्रायोजित स्कीम के अंतर्गत राज्यीय सड़कों के सुधार के लिए राज्य सरकारों से स्वीकृति के लिए प्राप्त प्रस्तावों के राज्यवार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) और (ग) राज्य सरकार द्वारा अग्रेषित उड़ीसा के जाजपुर जिले में छाटिया-कलाकला सड़क के प्रस्ताव को दोषपूर्ण पाया गया और उसे राज्य सरकार को वापस कर दिया गया है।

विवरण

वर्ष 2006-07 के दौरान अंतर्राज्यीय संपर्क और आर्थिक महत्व की राज्यीय सड़कों के लिए केंद्र द्वारा प्रायोजित स्कीम के अंतर्गत राज्यीय सड़कों के सुधार के लिए राज्य सरकारों से स्वीकृति हेतु प्राप्त प्रस्तावों के राज्य-वार ब्यौरे

क्र.सं.	राज्य	अंतर्राज्यीय संपर्क		आर्थिक महत्व	
		सं.	लागत (करोड़ रु.)	सं.	लागत (करोड़ रु.)
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	0	0	2	8.69
2.	अरुणाचल प्रदेश	1	14.47	0	0

1	2	3	4	5	6
3.	असम	2	4.95	0	0
4.	बिहार	1	3.89	0	0.00
5.	छत्तीसगढ़	0	0.00	3	52.00
6.	गोवा	0	0.00	0	0.00
7.	गुजरात	2	7.01	1	3.61
8.	हरियाणा				
9.	हिमाचल प्रदेश		सूचना एकत्र की जा रही है।		
10.	जम्मू-कश्मीर				
11.	झारखंड	2	47.69	2	56.63
12.	कर्नाटक	6	33.58	1	14.27
13.	केरल	3	26.29	0	0.00
14.	मध्य प्रदेश	12	53.31	4	13.16
15.	महाराष्ट्र	2	6.70	1	4.95
16.	मणिपुर	0	0.00	0	0.00
17.	मेघालय	0	0.00	0	0.00
18.	मिजोरम	0	0.00	0	0.00
19.	नागालैंड	0	0.00	1	21.92
20.	उड़ीसा	2	9.96	2	9.30
21.	पंजाब		सूचना एकत्र की जा रही है।		
22.	राजस्थान	6	15.19	0	0.00
23.	सिक्किम	2	12.00	0	0.00
24.	तमिलनाडु	1	16.94	0	0.00
25.	त्रिपुरा	0	0.00	0	0.00
26.	उत्तराखंड		सूचना एकत्र की जा रही है।		
27.	उत्तर प्रदेश				
28.	पश्चिम बंगाल	1	7.75	0	0.00
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह		सूचना एकत्र की जा रही है।		

1	2	3	4	5	6
30.	चंडीगढ़		सूचना एकत्र की जा रही है।		
31.	दादर व नगर हवेली	2	5.89	0	0.00
32.	दमन और दीव	0	0.00	0	0.00
33.	दिल्ली		सूचना एकत्र की जा रही है।		
34.	लक्षद्वीप	0	0.00	0	0.00
35.	पांडिचेरी	0	0.00	0	0.00

[हिन्दी]

औषधियों के वितरण में अनियमितताएं

3030. **प्रो. महादेवराव शिवनकर:**
श्री शिशुपाल एन. पटले:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकारी अस्पतालों में औषधियों के वितरण के संबंध में अनियमितता बरतने के मामले सरकार के ध्यान में आए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत वर्ष के दौरान इन अस्पतालों द्वारा औषधियों की खरीद पर कुल कितनी धनराशि खर्च की गई है;

(घ) गरीब व्यक्तियों के नाम पर फर्जी नुस्खा पर्ची बनाकर कुल कितनी धनराशि की औषधियां बाजार में बेची गईं;

(ङ) कितने अस्पतालों में ऐसे मामले पकड़े गए हैं तथा इनमें अस्पतालों के कितने कर्मचारियों को संलिप्त पाया गया है; और

(च) उनके विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पनाबाका लक्ष्मी): (क) से (च) दिल्ली में केन्द्रीय सरकार के अस्पतालों में औषधों के वितरण में अनियमितताओं का कोई मामला ध्यान में नहीं आया है। तथापि, डा. राम मनोहर लोहिया अस्पताल में एक मामले का पता लगाया गया है जहां इस अस्पताल का एक कर्मचारी फर्जी/नकली प्रेस्क्रिपशन बना रहा था और दिल्ली पुलिस ने उसके विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 409/411/120-बी दिनांक 17.8.2007 के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट सं. 340/07 के तहत एक मामला दर्ज किया है।

औषधों को खरीदने के लिए कोई अलग निधि प्रदान नहीं की जाती है। केन्द्र सरकार के अस्पताल आपूर्तियों और सामग्री के लिए आबंटित निधियों से औषधें अधिप्राप्त कर रहे हैं।

भारतीय खेल प्राधिकरण के कार्य-निष्पादन के विरुद्ध शिकायतें

3031. **श्रीमती रूपाताई डी. पाटील:** क्या **युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय खेल प्राधिकरण के कार्य-निष्पादन के विरुद्ध शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या प्राप्त शिकायतों के आधार पर सरकार का विचार भारतीय खेल प्राधिकरण के कार्य-निष्पादन की समीक्षा करने का है; और

(ग) यदि हां, तो देश में खिलाड़ियों और खेल प्रतिभाओं के प्रशिक्षण के लिए भारतीय खेल प्राधिकरण में समुचित परिवर्तन लाने की दिशा में क्या कदम उठाए गए हैं?

पंचायती राज मंत्री, युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री तथा उत्तर-पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर): (क) से (ग) भारतीय खेल प्राधिकरण के कार्य-निष्पादन के बारे में शिकायतें मंत्रालय में नेमी तौर पर प्राप्त होती है और महानिदेशक, भाखेप्रा के परामर्श से इन पर कार्रवाई की जाती है अथवा भाखेप्रा के

शासी निकाय में और इसकी समितियों में इसे उठाया जाता है। भाखेप्रा के विभिन्न केन्द्रों में हाल ही में किये गये दौरे के दौरान, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय से संबंधित संसदीय स्थायी समिति ने भाखेप्रा के अवसंरचना को विकसित व सुदृढ़ करने तथा उसकी गतिविधियों के लिए अनेक सिफारिशों की गई हैं। इस पर कार्रवाई की जा रही है। इसके अलावा, व्यापक खेल नीति, 2007 के मसौदे में यह उल्लेख किया गया है:

"वृहत खेल नीति के लक्ष्यों और उद्देश्यों के लिए भारतीय खेल प्राधिकरण और नेहरू युवा केन्द्र संगठन की भूमिका को कारगर ढंग से पूरा करने के लिए उन पर नई और जवाबदेही अतिरिक्त जिम्मेदारियों से मेल खाने के लिए इनमें आमूल-चूल परिवर्तन की आवश्यकता है।"

पासपोर्टों की चोरी

3032. श्री चन्द्र मणि त्रिपाठी:
श्री श्रीपाद येसो नाईक:

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या महाराष्ट्र की नासिक स्थित सरकारी प्रिंटिंग प्रैस से राजनयिक पासपोर्ट गायब पाए गए हैं, जैसाकि दिनांक 28 मई, 2007 के "एशियन ऐज" में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) क्या पालम विमानपत्तन पर भी पासपोर्टों की चोरी की घटनाएं हुई हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या खोए हुए पासपोर्ट बरामद कर लिए गए हैं;

(ङ) यदि नहीं, तो उन्हें बरामद करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(च) अनधिकृत व्यक्तियों द्वारा इन कोरे राजनयिक पासपोर्टों के दुरुपयोग को रोकने के लिए क्या सावधानियां बरती गई हैं; और

(छ) भविष्य में ऐसे मामलों की पुनरावृत्ति को रोकने हेतु क्या कदम उठाने पर विचार किया गया है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. अहमद): (क) से (ग) इंडिया सेक्युरिटी प्रैस, नासिक द्वारा 500 साधारण पासपोर्ट की पुस्तिकाओं को विदेश मंत्रालय के राजनयिक थैला अनुभाग को स्पीड पोस्ट से भेजी गयी थीं, जिन्हें विदेश स्थित भारतीय मिशनों को भेजा जाना था; ये पुस्तिकाएं पालम हवाई अड्डे, दिल्ली पर चोरी हो गयी।

(घ) से (च) दिल्ली पुलिस ने 467 पासपोर्ट पुस्तिकाएं ढूंढ़ ली हैं और 33 अभी भी गुम हैं। दिल्ली पुलिस शेष 33 पासपोर्ट पुस्तिकाओं का पता लगाने और दोषियों को गिरफ्तार करने का प्रयास कर रही है। इस बीच मंत्रालय ने सभी 33 गुम पासपोर्टों को रद्द कर दिया है, ताकि उनका दुरुपयोग न हो पाए।

(छ) यह निर्णय किया गया है कि इंडिया सेक्युरिटी प्रेस, नासिक से निकलने वाले सभी यात्रा दस्तावेजों को आगे से संवेदनशील सामग्री मानी जाएगी और उस खेप के प्राप्त नहीं हो जाने तक डाक विभाग उस पर कड़ी नजर रखेगा। निर्धारित अवधि के भीतर उस खेप की प्राप्ति नहीं होने पर यात्रा दस्तावेजों की स्थिति पर नजर रखने के लिए स्वचालित अलार्म की व्यवस्था करने के लिए एक साफ्टवेयर प्रणाली का भी विकास किया जा रहा है।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना

3033. श्री इकबाल अहमद सरडगी: क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कर्नाटक सरकार ने राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना (एन.एल.सी.पी.) के अंतर्गत केन्द्र सरकार को टुमकुर में अमानीकेर, बीजापुर के बेगम तालाब, हुबली की उनाकल झील, बागलकोट की मुचाकांधी झील, दावणगेरे जिले की जगलूर झील, मगाड़ी कस्बे के गौराम्या तालाब तथा होम्बालम्या तालाब के एकीकृत संरक्षण हेतु छह प्रस्ताव भेजे हैं;

(ख) यदि हां, तो इनमें से प्रत्येक परियोजना की लागत कितनी है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार के पास ये प्रस्ताव अब भी लंबित हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इन प्रस्तावों पर कब तक अंतिम निर्णय लिए जाने की संभावना है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायण मीणा): (क) और (ख) जी, हां। कर्नाटक सरकार ने राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना के अंतर्गत विचार करने के लिए टुमकुर अमानीकेर टैंक (10.05 करोड़ रुपए), उनाकल झील, हुबली (12.07 करोड़ रुपए), मुचाकांधी झील, बागलकोट (1.58 करोड़ रुपए), जगलूर झील, दावणगेर (10.00 करोड़ रुपए) और गोराम्या एवं होम्बालम्या झील मगाड़ी बंगलौर (4.63 करोड़ रुपए) के संरक्षण/पुनरुद्धार और प्रबंधन के लिए प्रस्ताव भेजे हैं।

(ग) से (ङ) मुचाकांधी झील के प्रस्ताव को राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना के अधिदेश के अंतर्गत शामिल किए जाने योग्य नहीं पाया गया और इसकी अस्वीकृति की सूचना राज्य सरकार को दे दी गई है। अमानीकेर टैंक, उनाकल झील और मगाड़ी शहर के टैंकों के संरक्षण के लिए प्रस्तावों के बारे में राज्य सरकार से तकनीकी स्पष्टीकरण और पूर्व-अपेक्षित अधिदेशात्मक निवेशों जैसे कि परियोजना लागत में राज्य का हिस्सा वहन करने की वचनबद्धता और संचालन तथा रखरखाव विवरण सहित अन्य ब्यौरा देने के लिए कहा गया है। इस बारे में राज्य सरकार से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है। लंबित परियोजना प्रस्तावों में तकनीकी कमियां होने के कारण राज्य सरकार द्वारा उनमें सुधार करने की आवश्यकता है। नई झीलों के प्रस्तावों पर राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना के दिशानिर्देशों, प्राथमिकता, प्रदूषण स्तर और योजना के अंतर्गत निधियों की उपलब्धता की शर्त पर विचार किया जाता है।

इसरो से वैज्ञानिकों का बड़ी संख्या में पलायन

3034. श्री के.एस. राव: क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय अंतरिक्ष वैज्ञानिक भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) की नौकरी छोड़ रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष कितने अंतरिक्ष वैज्ञानिकों ने इसरो की नौकरी छोड़ी तथा उनका प्रतिशत कितना है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) स्कूलों और कालेजों में छात्रों को अंतरिक्ष अध्ययन तथा अंतरिक्ष अनुसंधान में भाग लेने हेतु प्रोत्साहन तथा प्रेरित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार इस संबंध में नई पहल करने तथा अंतरिक्ष वैज्ञानिकों को अधिक वित्तीय लाभ प्रदान करने का है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री पृथ्वीराज चव्हाण): (क) जी, हां।

(ख)

वर्ष	भर्ती किए गए वैज्ञानिकों/ इंजीनियरों की कुल संख्या	वर्ष के दौरान इसरो छोड़ने वाले वैज्ञानिकों/इंजीनियरों की कुल संख्या	वर्ष के दौरान भर्ती किए गए वैज्ञानिकों/इंजीनियरों में से नौकरी छोड़ने वाले वैज्ञानिकों/इंजीनियरों की प्रतिशतता
2004	360	105	29.17%
2005	346	100	28.90%
2006	354	187	52.82%

देश में सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार के क्षेत्र में अत्यधिक वृद्धि तथा निजी क्षेत्र द्वारा उच्चतर पारिश्रमिक पैकेज दिया जाना वैज्ञानिकों/इंजीनियरों के इसरो छोड़ने के मुख्य कारण हैं।

(ग) स्कूलों और कालेजों में छात्रों को अंतरिक्ष अध्ययन तथा अंतरिक्ष अनुसंधान में भाग लेने हेतु प्रोत्साहित एवं प्रेरित करने के लिए उठाए गए कदम के रूप में इसरो केंद्रों का दौरा करने के अवसर प्रदान करना; खुली चर्चा, प्रदर्शनियों, प्रतियोगिताओं तथा राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के अवसर पर प्रतिवर्ष संगोष्ठियों इत्यादि के आयोजन शामिल हैं।

(घ) से (च) अंतरिक्ष विभाग ने इसरो के वैज्ञानिकों/इंजीनियरों के लिए अधिक वेतन और कार्य निष्पादन आधारित वार्षिक वेतनवृद्धि, विशेष भत्ते इत्यादि जैसे विशेष प्रोत्साहन दिए जाने हेतु एक प्रस्ताव छठे वेतन आयोग को प्रस्तुत किया है।

[हिन्दी]

अस्पताल के कचरे का निपटान

3035. श्री हंसराज गं. अहीर: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने अस्पताल के कचरे के निपटान हेतु कोई दिशानिर्देश जारी किए हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या देश में निजी क्षेत्र के अस्पतालों में कचरे के निपटान की कोई प्रणाली है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) अस्पताल के कचरे के कारण फैलने वाली बीमारियों के मद्देनजर सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) से (घ) वन और पर्यावरण मंत्रालय ने जैव-चिकित्सीय (प्रबंधन और संचालन) नियम, 1998 और पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के तहत उसके संशोधन अधिसूचित किये हैं। इन नियमों में संकलन, पृथक्करण, लेबल लगाना, भंडारण, परिवहन, उपचार और जैव-चिकित्सीय अपशिष्टों (बीएमडब्ल्यू) के निपटान के बारे में विशेष उल्लेख किया गया है और ये जैव-चिकित्सीय अपशिष्टों के सृजन करने वाले संस्थान के प्रत्येक पदाधिकारी के लिए अनिवार्य है कि वे यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाएं कि ऐसे अपशिष्टों का मानव और पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। ऐसी संयुक्त जैव-चिकित्सीय अपशिष्ट उपचार सुविधाएं (सीबीडब्ल्यूटीएफ) उपलब्ध हैं जो सरकारी अस्पताल तथा निजी क्षेत्र स्वास्थ्य परिचर्या एककों में जैव-चिकित्सीय अपशिष्टों को संसाधित करने की सुविधा प्रदान करती है।

[अनुवाद]

अवैज्ञानिक वनरोपण

3036. श्री रनेन बर्मन: क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत में विलायती बबूल (प्रेडपस जुलीफ्लोरा) के अवैज्ञानिक वनरोपण के कारण पर्यावरण संतुलन प्रभावित हुआ है;

(ख) क्या इसके परिणामस्वरूप वन्य जीवों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है; और

(ग) इस स्थिति से निपटने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति): (क) जी, नहीं। तथापि, प्रोसोपिस जुलीफ्लोरा प्रतिकूल जलवायु और ऐडाफिक स्थितियों में, जैसे कि अत्यधिक क्षारीय मृदा और शुष्क क्षेत्रों में उगता है। ये प्रजातियां प्राकृतिक रूप से बीज प्रकीर्णन के माध्यम से बिना रोपण किए भी अच्छी मृदा पर तेजी से फैलती है।

(ख) और (ग) जी, नहीं। तथापि कुछ क्षेत्रों में यह घासभूमियों को प्रभावित करता है जो वन्यजीवों जैसे ब्लैक बक और नीलगाय का वास-स्थल है। भारत सरकार वास-स्थलों में सुधार करने के लिए राष्ट्रीय उद्यानों और अभ्यारण्यों के विकास की केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम के अंतर्गत राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को सहायता प्रदान कर रही है।

राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम

3037. श्री के.सी. पल्लानी शामी: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम (एन.एम.एच.पी.) के क्रियान्वयन हेतु राज्य-वार कितना आबंटन किया गया है; और

(ख) देश में मानसिक रूप से अस्वस्थ मरीजों को समुचित चिकित्सा सहायता प्रदान करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) राज्य सरकारों से पूरे प्रस्ताव मिलने पर राज्य सरकारों को अनुदान जारी किए जाते हैं। वर्ष 2004-05, 2005-06 और 2006-07 के दौरान राज्यों/संघ क्षेत्रों का जारी किए गए धन को दर्शाने वाला एक सूची संलग्न विवरण में है।

(ख) राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत सामान्य स्वास्थ्य प्रणाली के एक भाग के रूप में मानसिक स्वास्थ्य प्रदान करने के लिए प्रयास किए जाते हैं। इस संबंध में केन्द्र सरकार राज्य सरकार के प्रयासों को जिला मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम चिकित्सा महाविद्यालयों/सामान्य अस्पतालों के मनश्चिकित्सीय खंडों के सुदृढ़ीकरण और मानसिक अस्पतालों को चिकित्सीय एककों जैसा बनाने के लिए उनके आधुनिकीकरण/उन्नयन के माध्यम से पूरा करती है। 10वीं योजना के दौरान मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम को 27 जिलों से बढ़ाकर 128 जिलों तक विस्तार किया गया, चिकित्सा महाविद्यालयों/सरकारी अस्पतालों के 71 मनश्चिकित्सीय खंडों को सुदृढ़ किया गया और 23 मानसिक अस्पतालों को आधुनिक बनाया गया।

विवरण

क्र.सं.	राज्य संघ क्षेत्र	जारी की गई धनराशि (रुपए में)		
		2004-05	2005-06	2006-07
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	5833610	31800000	45311000
2.	छत्तीसगढ़	7860000	0	17460000
3.	गोवा	28100	0	0
4.	गुजरात	7860000	50542000	27248000
5.	हरियाणा	0	5000000	0
6.	हिमाचल प्रदेश	2620000	0	0
7.	जम्मू-कश्मीर	10480000	4300000	5000000
8.	झारखण्ड	27420000	0	0
9.	कर्नाटक	12080000	4900000	43780800
10.	केरल	13549150	64500000	3299258
11.	मध्य प्रदेश	5240000	30100000	29975000
12.	महाराष्ट्र	6231000	87540000	33406000
13.	उड़ीसा	15720000	15100000	0
14.	पंजाब	0	0	18440000
15.	राजस्थान	0	0	0
16.	तमिलनाडु	25757000	31700000	19852000
17.	उत्तर प्रदेश	29068960	44592000	30000000
18.	उत्तरांचल	0	0	0
19.	पश्चिम बंगाल	0	53920000	26917000
20.	अरुणाचल प्रदेश	527250	0	4420000
21.	असम	15860000	35000000	3825000
22.	मणिपुर	2050000	8723000	0
23.	मेघालय	0	0	0
24.	मिजोरम	1159000	0	3531000

1	2	3	4	5
25.	नागालैण्ड	0	3628000	0
26.	सिक्किम	1149000	0	0
27.	त्रिपुरा	542000	0	5000000
28.	चण्डीगढ़	473030	834600	3609600
29.	दमन व दीव	935696	500000	4000000
30.	दादरा व नगर हवेली	0	0	2620000
31.	दिल्ली	3396500	0	8130000
32.	पांडिचेरी	150000	0	0
33.	बिहार	0	0	0
34.	लक्षद्वीप	0	0	0
35.	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	0	0	0

यमुना के जल में क्लोराइड की मात्रा

3038. श्री जोवाकिम बखला: क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यमुना नदी के जल में क्लोराइड की मात्रा अधिक पाई गई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं तथा जल कितना संदूषित है; और

(ग) यह सुनिश्चित करने के लिए कि कारखानों से कचरा नदियों में न डाला जाए, सरकार द्वारा क्या ठोस कदम उठाए गए हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायण मीना): (क) से (ग) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा दी गई सूचना के अनुसार यमुना नदी के जल में क्लोराइड की मात्रा को सामान्यतया पेयजल गुणता के लिए 250 मिलीग्राम प्रतिलीटर की अनुज्ञेय सीमा के भीतर पाया गया है। यद्यपि कुछ स्थानों में क्लोराइड मान निर्धारित सीमा से अधिक पाया गया है। जल निकायों में क्लोराइड सामान्यतया घरेलू औद्योगिक बहिस्राव के निस्तारण और नदी कैचमेंट क्षेत्र से सतह रनआफ के कारण होता है। इस मंत्रालय द्वारा 1993 में तीन राज्यों उत्तर प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली में शुरू किए गए यमुना कार्ययोजना चरण-II के अंतर्गत घरेलू सीवेज से निपटने के लिए विभिन्न प्रदूषण निवारण स्कीमें कार्यान्वित की गई हैं। जल गुणता को स्नान श्रेणी तक प्राप्त करना इस कार्य योजना की अनिवार्यता है। इस योजना के अंतर्गत कुल 257 स्कीमें पूरी की गई हैं जिसमें प्रतिदिन 750 मिलियन लीटर की अतिरिक्त शोधन क्षमता तैयार करने के लिए 34 सीवेज शोधन संयंत्र स्थापित किए गए हैं। इस शोधन क्षमता में उत्तर प्रदेश में 402 एमएलडी, हरियाणा में 318 एमएलडी और दिल्ली में 30 एमएलडी हैं। दूसरी ओर औद्योगिक प्रदूषण का पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत कानूनी उपबंधों के कार्यान्वयन के माध्यम से निपटान किया जाता है। इसके अलावा के.प्र.नि.बो. द्वारा दी गई रिपोर्ट के अनुसार कोई विशिष्ट उद्योग यमुना नदी में क्लोराइड की मात्रा को नहीं बढ़ा रहा है।

सिल्वर फॉयल का इस्तेमाल

3039. श्री एस.के. खारवेनथन: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि मिठाइयों तथा अन्य खाद्य पदार्थों को बनाने में सिल्वर फॉयल का इस्तेमाल मानव-उपभोग के लिए बहुत हानिकारक है क्योंकि इसमें निकल, लीड, क्रोमियम और कैडमियम मिला होता है;

(ख) क्या सरकार की जानकारी में पीएफए अधिनियम के उल्लंघन के मामले आए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा प्रत्येक मामले में क्या कार्रवाई की गई है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) सिल्वर लीफ (चांदी का वर्क) खाद्य पदार्थ हेतु मानदण्ड खाद्य अपमिश्रण निवारण नियम, 1955 में निर्धारित है। इसमें सिल्वर की प्रतिशतता 99.9 से कम हीं होगी।

(ख) से (घ) खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1955 का कार्यान्वयन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों खाद्य स्वास्थ्य प्राधिकारियों द्वारा किया जाता है जो समय-समय पर नमूने लेते हैं और जहां पर ये नमूने खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 और खाद्य अपमिश्रण निवारण नियम, 1955 के प्रावधानों के अधीन निर्धारित मानदण्डों के अनुरूप नहीं पाए जाते, वहां पर खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 के प्रावधानों के अनुसार आवश्यक कार्रवाई की जाती है। राज्यों/संघ क्षेत्रों सरकारों से खाद्य पदार्थों में प्रयुक्त होने वाले सिल्वर लीफ से नमूनों की जांच करने और खाद्य अपमिश्रण निवारण नियम, 1955 के प्रावधानों का उल्लंघन होने की स्थिति में आवश्यक कार्रवाई करने का अनुरोध किया गया है।

[हिन्दी]

सी.जी.एच.एस. में रिक्त पद

3040. **श्री राकेश सिंह:**
श्री चन्द्रभान सिंह:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सी.जी.एच.एस. के यूनानी चिकित्सा भंडार डिपो सहित विभिन्न सी.जी.एच.एस. औषधालयों में चिकित्सा तथा परा-चिकित्सा कर्मचारियों के पद बड़ी संख्या में रिक्त हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी श्रेणीवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) रिक्त पदों को भरने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) और (ख) सी.जी.एच.एस. में 331 चिकित्सीय एवं 293 परा-चिकित्सीय पद रिक्त हैं। उनके ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) इन रिक्त पदों को भरने के लिए पहले से ही कदम उठा लिए गए हैं।

विवरण

सी.जी.एच.एस. में रिक्त चिकित्सीय एवं परा-चिकित्सीय पदों का ब्यौरा

चिकित्सीय (30.6.2007 तक की स्थिति के अनुसार)

1.	एस.ए.जी.	65
2.	जी.डी.एम.ओ.	161
3.	विशेषज्ञ	53
4.	दंत सर्जन	8
5.	आयुष	44
	कुल	331

परा-चिकित्सीय (31.3.2007 तक की स्थिति के अनुसार)

1.	भंडार अधीक्षक/सहायक एस.एस.	4
2.	वरिष्ठ एएनएम/एएनएम	21
3.	डेंटल टेक्नीशियन/हाईजैनिस्ट	3
4.	डार्क रूम सहायक	4
5.	वरिष्ठ ईसीजी/ईसीजी तकनीशियन	3
6.	प्रयोगशाला तकनीशियन	27
7.	प्रयोगशाला सहायक	8
8.	वरिष्ठ फार्मासिस्ट	4
9.	फार्मासिस्ट (एलोपैथी)	114
10.	फार्मासिस्ट (होम्यो)	10
11.	फार्मासिस्ट (यूनानी)	1
12.	फार्मासिस्ट (आयुर्वेदिक)	9
13.	रेडियोग्राफर एक्सरे तकनीशियन	5
14.	स्टाफ नर्स	78
15.	स्टोर कीपर	2
	कुल	293

[अनुवाद]

आई.सी.यू. में आधुनिक उपकरण

3041. श्री जी.एम. सिद्दीश्वर: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विश्व स्वास्थ्य संगठन ने आकलन किया है कि भारतीय अस्पतालों में गहन चिकित्सा इकाइयां (आई.सी.यू.) वैश्विक मानकों के अनुरूप नहीं है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या आई.सी.यू. की सुविधा वाले अस्पताल आधुनिक उपकरणों से युक्त है;

(घ) यदि नहीं, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है;

(ङ) क्या सभी अस्पतालों में प्रशिक्षित परा-चिकित्सा कर्मचारी हैं; और

(च) यदि नहीं, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) और (ख) विश्व स्वास्थ्य संगठन ने सूचना दी है कि उसने भारत में गहन चिकित्सा इकाइयों का कोई मूल्यांकन नहीं किया है।

(ग) और (घ) गहन चिकित्सा इकाइयों वाले सभी केन्द्र सरकार के अस्पताल आधुनिक उपकरणों से सुसज्जित हैं।

(ङ) और (च) केन्द्र सरकार के सभी अस्पतालों में प्रशिक्षित अर्ध-चिकित्सा स्टाफ उपलब्ध है।

अलापुन्हा में कैंसर के अधिक मामले

3042. डा. के.एस. मनोज: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने केरल के अलापुन्हा जिले में कैंसर में बढ़ते मामलों के बारे में कोई अध्ययन कराया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा उसका क्या परिणाम निकला?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) और (ख) जी, नहीं। अलापुन्हा जिले में कैंसर के बढ़ते हुए मामलों का कोई अभिलिखित साक्ष्य नहीं है। वर्ष 2001-02 में भारतीय चिकित्सा अनुसंधान (आईसीएमआर) की कैंसर एटलस परियोजना के पास उपलब्ध सीमित आंकड़ों से ऐसा पता चला है कि अलापुन्हा जिले में 21.07 आशोधित दर है जबकि इसकी तुलना में केरल के अन्य 13 जिलों में यह 38.05 है।

चिकित्सा स्वास्थ्य हेतु पृथक आयोग

3043. डा. ई.जी. सुगावनम: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश में चिकित्सा तथा स्वास्थ्य शिक्षा और स्वास्थ्य परिचर्या को बढ़ावा देने के लिए एक पृथक आयोग का गठन करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या प्रशिक्षण संस्थानों के प्रत्यापन की प्रणाली तैयार करने का भी कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) और (ख) चिकित्सा अनुदान आयोग की स्थापना करने का एक प्रस्ताव है। योजना आयोग के परामर्श से ब्यौरे तैयार किए जा रहे हैं।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 60 पर पुल

3044. श्री सुनील खां: क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार रानीगंज के धंसाई वाले क्षेत्र के कारण राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 60 का पश्चिम बंगाल के बांकुरा जिला से होकर मिदनापुर से रानीगंज तक पथांतरण करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) राष्ट्रीय राजमार्ग-60 पर सेल, तारापुर और कासीनारा में पुलों के पुनर्निर्माण हेतु कोई प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) और (ख) रानीगंज क्षेत्र के जलमग्न होने के कारण राष्ट्रीय राजमार्ग 60 को पश्चिम बंगाल के बांकुरा जिले से होते हुए मिदनापुर से रानीगंज तक डायवर्ट करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, इस खंड के उन्नयन के लिए किए गए साध्यता अध्ययन के अनुसार, भीड़भाड़ वाले कस्बों से बचने के लिए चन्द्रकोना और मंगलपुर में बाइपासों की पहचान की गई है।

(ग) से (ङ) राष्ट्रीय राजमार्ग 60 पर सेल, तारापुर और कासीनारा में पुलों के पुनर्निर्माण के लिए वार्षिक योजना 2007-08 में प्रावधान किया गया है। इन पुलों के लिए प्रस्ताव राज्य सरकार से प्रतीक्षित हैं।

[हिन्दी]

योग संबंधी राष्ट्रीय नीति

3045. श्री सुभाष महरिया: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अच्छे स्वास्थ्य के लिए योग को लाभकारी पाया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सरकार ने योग संबंधी कोई राष्ट्रीय नीति बनाई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पनाबाका लक्ष्मी): (क) और (ख) योग एक जीवन शैली, स्वस्थ जीवन जीने की एक कला और शरीर एवं मस्तिष्क के लाभार्थ एक समेकित चिकित्सा पद्धति है। योग शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य की प्राप्ति के लिए होता है। स्वामी विवेकानंद योग अनुसंधान प्रतिष्ठान (बंगलौर), कैवल्य धाम (लोनावला) आदि जैसे योग संस्थानों द्वारा निष्पादित अनुसंधान कार्य से सिद्ध हो गया है कि योग अच्छे स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होता है।

(ग) और (घ) भारत सरकार ने भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी (भाचिप एवं हो.)-2002 पर एक राष्ट्रीय नीति तैयार की है जिसमें आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी चिकित्सा पद्धतियां शामिल हैं। इस नीति के अंतर्गत निम्नलिखित आधारभूत उद्देश्यों को निर्धारित किया गया है:-

(1) अच्छे स्वास्थ्य का संवर्धन करना और हमारे लोगों, विशेषकर उन लोगों तक जिन्हें भाचिप एवं हो. के माध्यम से निवारक, संवर्धनात्मक, न्यूनीकरण और उपचारात्मक मध्यस्थताओं के द्वारा स्वास्थ्य आवरण प्राप्त नहीं हुआ है, उन तक स्वास्थ्य परिचर्या को विस्तारित करना।

(2) आदर्श उत्कृष्टता संस्थान केंद्रों की स्थापना और अवसंरचनागत सुविधाओं के सृजन द्वारा सहायता विस्तारित करने के प्रयोजनार्थ समकालिक संबद्धता और अनुसंधान के परिप्रेक्ष्य में पाठ्यचर्या को आशोधित करके अध्यापकों और चिकित्सकों की गुणवत्ता में सुधार लाना।

(3) ऐसी वहनीय भाचिप एवं हो. सेवाओं एवं औषधियों को सुनिश्चित करना जो सुरक्षित और प्रभावकारी हों।

(4) देश में उपयोग करने और निर्यात के प्रयोजनार्थ औषधियों की गुणवत्ता में सुधार लाने संबंधी सहायता उपलब्ध कराने हेतु भेषजसंहितागत मानकों के अंतर्गत अपेक्षित ऐसी कच्ची औषधियों की उपलब्धता को सुग्राही बनाना जो प्रमाणिक हों तथा जिनमें आवश्यक घटक समाविष्ट हों।

(5) स्वास्थ्य परिचर्या वितरण प्रणाली और राष्ट्रीय कार्यक्रमों में भाचिप एवं हो. को समेकित करने के साथ अस्पतालों, औषधालयों और चिकित्सकों की वृहद अवसंरचना के अधिकतम उपयोग को सुनिश्चित करना।

(6) विशेषकर जीर्ण और नवीन जीवन शैली से संबंधित आविर्भावित रोगों के निदानार्थ संबंधित उपचार और औषधियों को प्रगामी रूप से विधिमान्यकृत करने के लिए अनुसंधान का पुनरभिविन्यास और प्राथमिकरण करना।

(7) भारत और विदेश में इन चिकित्सा पद्धतियों की क्षमता के बारे में जागरूकता उत्पन्न करना तथा अन्य पणधारियों एवं स्वास्थ्य उपलब्धकर्ताओं को सुग्राही बनाना।

(8) इन चिकित्सा पद्धतियों की प्रगति और विकास के लिए पूर्ण अवसर उपलब्ध कराना और उनकी सार्थकता और क्षमता संबंधी उपयोग को सुनिश्चित करने के साथ-साथ उनकी महिमा को पुनर्जीवित करना।

[अनुवाद]

भारतीय जहाजरानी निगम द्वारा अभिकर्त्ताओं की नियुक्ति

3046. श्री सुग्रीव सिंह:
श्री किसनभाई वी. पटेल:

क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय जहाजरानी निगम ने उपभोक्ताओं को अपनी सेवाएं प्रदान करने के लिए अभिकर्त्ताओं को नियुक्त किया है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे अभिकर्त्ताओं द्वारा प्रदान की जा रही सेवाओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) भारतीय जहाजरानी निगम द्वारा अभिकर्त्ताओं के लिए क्या मानदंड निर्धारित किए गए है;

(घ) क्या इन अभिकर्त्ताओं द्वारा कंपनी को अपने लेखे प्रस्तुत करने के लिए बनाए गए मार्गदर्शी सिद्धांतों का उल्लंघन किया जाता है;

(ङ) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान ऐसे अभिकर्त्ताओं का संख्या कितनी है जिन्होंने उक्त मार्गदर्शी सिद्धान्तों का उल्लंघन किया है;

(च) उक्त अवधि के दौरान उन पर अधिरोपित शास्ति का ब्यौरा क्या है; और

(छ) भविष्य में ऐसे अपराध की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए क्या कार्रवाई की गई है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री (श्री टी.आर. बालू): (क) और (ख) भारतीय नौवहन निगम के पास एजेंटों का व्यापक नेटवर्क है जो विश्व भर में फैला हुआ है। भारतीय नौवहन निगम द्वारा नियुक्त एजेंटों द्वारा मुहैया कराई जाने वाली सेवाओं का संक्षिप्त ब्यौरा नीचे दिया गया है:-

(1) कस्टम हाउस, पोर्ट हैल्थ, इमीग्रेशन काउन्सुलर तथा अन्य औपचारिकताओं को पूरा करना तथा पत्तन में हमारे जलयान को तुरन्त प्रवेश के लिए, यदि अपेक्षित हो तो संचालन और खींचने की व्यवस्था करना।

(2) जलयान की, अब वह पत्तन पर हो, सभी रख-रखाव संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करना जैसा कि भारतीय नौवहन निगम ने तथा/अथवा जलयान के मास्टर ने निर्देश दिया है जिसमें रसद की आपूर्ति, बंकर्स, जल-भंडार, अतिरिक्त पुर्जों की प्राप्ति एवं प्रेषण, जलयान के उपकरणों की मरम्मत, मास्टर को नकद अग्रिम, क्रू के सदस्यों के पत्रों को प्राप्त करना और भेजना, कानूनी सहायता, पोत क्रू के सदस्यों और अन्य कार्मिकों को चिकित्सा तथा चिकित्सालय में भर्ती होने संबंधी सेवाएं देना, क्रू के सदस्यों और अन्य कार्मिकों की उपस्थित दर्ज करना और छुट्टी पर भेजना, क्रू/अधिकारियों के लिए होटल वास, देश-प्रत्यावर्तन की व्ययस्था करना, अथवा अन्य कोई सेवा जो भारतीय नौवहन निगम द्वारा अपेक्षित हो तथा सभी अन्य संभार तंत्रीय सहायता, जब कभी भी आवश्यक हों, प्रदान करना।

(3) जलयानों को तुरंत भेजने/काम पूरा करके लौटाने के लिए पत्तन राज्य नियंत्रण और अन्य प्राधिकारियों के साथ संपर्क करना।

(4) जलयानों के आगमन/बर्थिंग/दैनिक कार्यकरण/प्रस्थान के बारे में नियंत्रण सेवा और परिचालन विभाग को दी जाने वाली सूचना देना।

(5) जहाजी माल के लिए निवदेन, जहाजी माल बुक करना/प्राप्त करना, निर्यात किए जाने वाले जहाजी माल को कंटेनर में भरना/खाली करने के लिए अंतर्देशीय कंटेनर डिपो (आईसीडी)/कंटेनर फ्रेट स्टेशन परिचालकों के साथ संपर्क करना, जहाजी माल का दस्तावेजीकरण, नौवहन आदेश तैयार करना और जारी करना, जहाजी माल की तुरन्त धुलाई/लदान, परिवहन आदि की सुनिश्चितता के लिए रेलवे, सीमा शुल्क और पोत वणिक (शिपर्स), लागत और भाड़ा (सी एण्ड एफ) एजेंट आदि हेतु आई सी डी/सी एफ एस परिचालकों के साथ निकट संपर्क और समन्वय करना।

(6) पोतों के आगमन, जहाजी माल के लदान/अलदान के लिए पोत की तैयारी के बारे में पोत वणिक और/अथवा परेषिती को सूचित करना और पोतों/जहाजी माल की तुरन्त और उचित संभलाई के लिए जहाजी कुलियों, टर्मिनल आपरेटरों, सीमा शुल्क आदि के साथ समन्वय करना।

(7) भारतीय नौवहन निगम द्वारा उपयोग में लाई जाने वाली सभी वस्तुएं, सामग्री, मशीनों और उपकरण के आयात/प्रयोग/निर्यात के लिए भारतीय नौवहन निगम द्वारा जब कभी भी अपेक्षित हो, सभी परमिट्स, लाइसेंस आदि प्राप्त करना।

(8) जब कभी अपेक्षित हो टर्मिनल प्रचालकों और ट्रांसपोर्टरों के साथ भारतीय नौवहन निगम की वस्तुसूची में शामिल कंटेनरों के आवागमन और उनकी स्थिति पर नजर रखना और उनकी देखरेख करना।

(9) नौवहन सम्मेलन की स्थानीय बैठकों में भारतीय नौवहन निगम का प्रतिनिधित्व करना।

(10) समय-समय पर इस निगम द्वारा एजेंटों को सौंपे गए अन्य कार्य करना।

(ग) भारतीय नौवहन निगम के एजेंट, विश्व के प्रमुख पत्तनों/क्षेत्रों में, जहां भी भारतीय नौवहन निगम के जलयान चलते हों, उस पत्तन पर आने वाले जलयानों की अपेक्षाओं को पूरा किए जाने के प्रयोजन से नियुक्त किए जाते हैं। एजेंट नियुक्त करने की आवश्यकता उस समय होती है जब भारतीय नौवहन निगम का कोई जलयान किसी ऐसे पत्तन/क्षेत्र में आता है जहां उस पोत की अपेक्षाओं की पूर्ति के लिए कोई एजेंट नियुक्त नहीं हो और/अथवा वहां कार्गो/व्यापार की उपलब्धि हो अथवा भारतीय नौवहन निगम को उसकी जानकारी हो। जब भी कोई मौजूद एजेंट भारतीय नौवहन निगम से अपना व्यापार समाप्त करना चाहता है या भारतीय नौवहन निगम उनकी सेवाएं समाप्त कर देता है तो भारतीय नौवहन निगम के जलयानों को और उसके व्यापार संबंधी अबाध सेवाएं सुनिश्चित किए जाने की दृष्टि से नए एजेंट की नियुक्ति करना अपेक्षित होता है। योग्यता के मापदंडों में अनुभव और वित्तीय साख शामिल होती हैं।

(घ) पहले के निर्धारित मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार, एजेंटों द्वारा कंपनी को यात्रा के खाते 20 दिनों के भीतर दिए जाने होते थे। तथापि, कई एजेंटों ने भारतीय नौवहन निगम द्वारा निर्धारित की गई समय सीमा के भीतर एजेंसी करार द्वारा यथाअपेक्षित उचित साक्ष्य दस्तावेजों के साथ पूरी यात्रा के खाते देने में कठिनाई जाहिर की जिसका मुख्य कारण था पत्तन प्राधिकारियों अथवा सेवाएं उपलब्ध करवाने वालों से साक्ष्य दस्तावेजों का प्राप्त नहीं होना। तदनुसार, अब मार्गदर्शी सिद्धांत में संशोधन कर लिया गया है और सभी एजेंटों को जलयान के यात्रा प्रारंभ करने की तिथि से 35 दिनों के भीतर यात्रा का लेखा देना होता है।

(ङ) और (च) जहां तक खाते उपलब्ध करवाने संबंधी दिशानिर्देशों का उल्लंघन करने पर जुर्माना करने का प्रश्न है, इस प्रकार का कोई जुर्माना अभी तक किसी भी एजेंट पर नहीं किया गया है। तथापि, नीचे दिए गए ब्यौरे के अनुसार पिछले तीन वर्षों के दौरान कुछ अनियमितताओं के कारण कुछ एजेंटों की सेवाओं को समाप्त कर दिया गया:

	एजेंट का नाम	सेवा समाप्त करने की तारीख
1.	कानू ग्रुप, दुबई	09.04.2006
2.	युसुफ-बिन-अहमद कानू डब्ल्यू.एल.एल., बहरीन	09.04.2006
3.	युसुफ-बिन-अहमद कानू, रास तनूरा	09.04.2006
4.	स्टेट इंटरप्राइज फार वाटर ट्रांसपोर्ट, बसरा	31.07.2006
5.	आर. जुमाभाय एंड सन्स, पेनान्ग	13.12.2006
6.	एहलर्स एजेंसी एन.वी. एंटवर्प	26.12.2006
7.	आर.ए. बर्क, डब्लिन	08.02.2007

(छ) संशोधित किए गए एजेंसी करारों में एजेंटों द्वारा खाते जमा करने के लिए नियम का उल्लंघन करने पर जुर्माने के प्रावधान से युक्त खंड जोड़े गए हैं। यह एजेंटी को इस नियम के उल्लंघन से रोकने के उपाय के रूप में कार्य करेगा। इसके अलावा, एजेंटों के खातों के खर्चों और पैसे के हिसाब पर उचित नियंत्रण रखने के लिए कार्यालय में खातों की देख-रेख और मिलान के कार्य में तेजी लाई गई है। भारतीय नौवहन निगम, प्रमुख एजेंटों के खातों, काम-काज, अवसंरचना, एजेंटों द्वारा दी जाने वाली सेवाओं आदि के आवधिक रूप से निरीक्षण करवाने की व्यवस्था का प्रयास भी कर रहा है, ताकि उन्हें भारतीय नौवहन निगम को बेहतर सेवाएं उपलब्ध करवाने के योग्य बनाया जा सके। भारतीय नौवहन निगम ने आगामी 24 महीनों में अपने सभी प्रमुख एजेंटों के पास जाने का कार्यक्रम तैयार किया है। भारतीय नौवहन निगम ने अगस्त/सितंबर, 2007 में निम्नलिखित एजेंटों और सितंबर और दिसंबर, 2007 के बीच 3 या 4 अन्य एजेंटों के पास जाने की योजना बनाई है:

1.	मैसर्स ए.वी. भानोजी राव गरुडा	विशाखापट्टनम
2.	मैसर्स ओशनमास्टर्स एल.एल.सी.	दुबई और संयुक्त अरब अमीरात के अन्य पत्तन
3.	मैसर्स के.एन.एस. एजेंसी	अमेरिका

भारतीय नौवहन निगम ने एजेंसी ग्रेडिंग की एक पद्धति भी प्रारंभ की है जिसमें प्रमुख एजेंटों को विभिन्न प्रभागों द्वारा रेटिंग प्रदान की जाती है और उसके बाद निगमित ग्रेडिंग तैयार की जाती है और एजेंटों द्वारा हासिल की गई रेटिंग के आधार पर एजेंटों

के निष्पादन में सुधार लाने के लिए भारतीय नौवहन निगम द्वारा अनुवर्ती कार्रवाई की जा रही है।

नवीं मुंबई के लिए तटीय क्षेत्र प्रबंधन योजना

3047. श्री मिलिन्द देवरा: क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को नवीं मुंबई के लिए तटीय क्षेत्र प्रबंधन योजना (सी.जैड.एम.पी.) संबंधी प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त प्रस्ताव केन्द्र सरकार के पास लम्बित है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इस प्रस्ताव को कब तक मंजूरी मिलने की संभावना है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायण मीना): (क) जी, हां।

(ख) केन्द्र सरकार को तटीय विनियम जोन अधिसूचना के अंतर्गत 25 नवंबर, 1998 को महाराष्ट्र सरकार से नवीं मुम्बई की संशोधित तटीय जोन प्रबंधन योजना का अनुमोदन प्राप्त करने के लिए प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। प्रस्ताव में नवीं मुंबई के तटीय विनियमन जोन-III से तटीय विनियम जोन-II के कतिपय क्षेत्रों के पुन: वर्गीकरण की मांग की गई है और इसे स्वीकार नहीं किया गया था।

(ग) जी, नहीं।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

ध्वनि प्रदूषण संबंधी उच्चतम न्यायालय के निदेश

3048. श्री रघुवीर सिंह कौशल: क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उच्चतम न्यायालय ने ध्वनि प्रदूषण को रोकने के लिए कोई निदेश जारी किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उपर्युक्त संदर्भ में कोई सेन्ट्रल मॉडल लेन है;

(घ) यदि हां, तो क्या इस संबंध में उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी किए गए निदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया गया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या सरकार द्वारा इस संबंध में कोई मार्गदर्शी सिद्धांत जारी किए गए हैं; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायण मीना): (क) से (ग) माननीय उच्चतम न्यायालय ने ध्वनि प्रदूषण के संबंध में 1988 की रिट याचिका संख्या 72 के मामले में- लाउडस्पीकरों और हाई वाल्यूम प्रोड्यूसिंग सिस्टम के उपयोग को प्रतिबंधित करने हेतु कानूनों का क्रियान्वयन-के संबंध में अपने जुलाई, 2005 के फैसले में निदेश दिया—पटाखों, लाउडस्पीकरों, वाहनों आदि से उत्पन्न ध्वनि के नियंत्रण हेतु उपाय किए जाने हैं और ध्वनि प्रदूषण के प्रभावों के प्रति सभी स्तरों पर जन समूह के बीच सामान्य जागरूकता उत्पन्न किए जाने की आवश्यकता है।

(घ) से (ङ) माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशों के अनुसरण में, राज्य सरकारों और संघ शासित प्रदेशों को माननीय न्यायालय के निदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के क्रम में कार्य योजना तैयार करने के लिए अनुरोध किया है। राज्य सरकारों को नियमित रूप से, विशेषकर त्यौहार के अवसरों के दौरान ध्वनि स्तरों की निगरानी के लिए भी अनुरोध किया है।

(च) और (छ) मंत्रालय ने विभिन्न क्षेत्रों/जोनों में ध्वनि प्रदूषण, रात्रि घंटों (10.00 अपराह्न से 06.00 पूर्वाह्न) आदि के दौरान लाउडस्पीकरों के उपयोग के संदर्भ में परिवेशी वायु गुणवत्ता मानदंडों को कवर कर ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम, फरवरी 2000 में जारी किए थे। अक्तूबर, 2002 के उपरान्त संशोधन में राज्य सरकार (सरकारों) को कैलेन्डर वर्ष के दौरान 15 दिनों से कम, सीमित अवधि के किसी सांस्कृतिक अथवा धार्मिक पर्व के अवसरों के दौरान अथवा रात्रि घंटों (अपराह्न 10.00 से 12.00 मध्य रात्रि तक) के दौरान लाउडस्पीकरों और पब्लिक एड्रेस सिस्टम के उपयोग को अनुमत करने के लिए अधिकार सम्पन्न किया गया था। इसके अतिरिक्त, ध्वनि के स्तरों के नियंत्रण के लिए निर्माण अवस्था पर मोटर वाहनों, पटाखों, डीजल, जेनेरटर सेटों के लिए ध्वनि मानक अधिसूचित किए गए हैं।

वनरोपण पर खर्च की गई धनराशि

3049. **श्री हरिसिंह चावड़ा:**
श्री तुकाराम गणपतराव रेंगे पाटील:

क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान वनरोपण पर खर्च की गई धनराशि का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान वनों से अर्जित की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अनेक वनों में वन माफिया सक्रिय हैं जो वनों को नुकसान पहुंचा रहे हैं;

(घ) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान ऐसी कितनी घटनाएं हुई हैं और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है; और

(ङ) इसके क्या परिणाम निकले?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति): (क) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, अवक्रमित वनों और समीपवर्ती भूमियों के पुनरुद्धार के लिए देश में राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम स्कीम क्रियान्वित कर रहा है। यह स्कीम द्वि-स्तरीय मेकनिजम, वन प्रभाग स्तर पर वन विकास एजेंसी और ग्राम स्तर पर संयुक्त वन प्रबंधन समितियों द्वारा क्रियान्वित की जा रही है। पिछले तीन वर्षों के दौरान, राज्यवार (2004-05 से 2006-07) खर्च की गई धनराशि का ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ख) मंत्रालय वनों से प्राप्त आय का रिकार्ड नहीं रखता।

(ग) से (ङ) माफिया की सक्रिय भागीदारी से वनों के नुकसान के बारे में कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है। तथापि अवैध कटाई की कुछ घटनाएं हुई है और राज्य सरकारों द्वारा सूचित ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है। वनों का संरक्षण और प्रबंधन संबंधित राज्य सरकार का उत्तरदायित्व और दोषियों के खिलाफ मौजूदा अधिनियमों/नियमों के अनुसार कार्रवाई की जाती है। यह सूचना, भारत सरकार के स्तर पर नहीं रखी जाती है।

विवरण I

राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम के अंतर्गत जारी धनराशि

(करोड़ रु.)

क्र.सं.	राज्य	2004-05	2005-06	2006-07	कुल
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	14.33	7.08	11.06	32.47
2.	छत्तीसगढ़	17.63	17.63	13.05	48.31
3.	गुजरात	9.01	12.34	17.53	38.88
4.	हरियाणा	7.46	4.35	9.20	21.01
5.	हिमाचल प्रदेश	10.60	9.08	11.56	31.24
6.	जम्मू-कश्मीर	4.09	5.?	5.83	15.31
7.	कर्नाटक	21.49	23.?	23.54	68.08
8.	मध्य प्रदेश	17.38	12.61	15.83	45.82
9.	महाराष्ट्र	13.32	14.89	15.93	44.14
10.	उड़ीसा	11.97	12.05	14.07	38.09
11.	पंजाब	0.14	3.97	3.37	7.48
12.	राजस्थान	4.80	7.26	5.62	17.68

1	2	3	4	5	6
13.	तमिलनाडु	14.48	20.92	17.22	52.62
14.	उत्तर प्रदेश	18.54	17.04	11.88	47.46
15.	उत्तराखंड	10.88	13.35	11.51	35.54
16.	गोवा	0.00	0.00	0.00	0.00
17.	झारखंड	8.66	7.85	19.03	35.54
18.	बिहार	2.74	3.42	4.94	11.10
19.	केरल	1.48	5.04	12.75	19.27
20.	पश्चिम बंगाल	6.03	5.92	7.00	18.95
	कुल (अन्य राज्य)	195.03	203.24	230.92	629.19
21.	अरुणाचल प्रदेश	0.76	2.89	2.93	6.58
22.	असम	8.03	5.50	13.60	27.13
23.	मणिपुर	5.43	6.30	7.78	19.51
24.	नागालैण्ड	5.60	5.37	7.22	18.19
25.	सिक्किम	4.37	6.43	7.41	18.21
26.	त्रिपुरा	4.66	4.27	4.37	13.30
27.	मिजोरम	11.70	10.06	13.09	34.85
28.	मेघालय	2.45	5.18	5.44	13.07
	कुल (पूर्वोत्तर राज्य)	43.00	46.00	61.84	150.84
	कुल योग	238.03	249.24	292.76	780.03

विवरण II

क्र.सं.	राज्य	2003-04				2004-05				2005-06			
		वृक्षों की अवैध कटाई के मामलों की संख्या	अवैध रूप से काटे गए वृक्षों की संख्या	इमारती लकड़ी की हानि (मात्र क्यूबिक (मीटर में)	हानियों का मूल्य (लाख रुपये में)	वृक्षों की अवैध कटाई के मामलों की संख्या	अवैध रूप से काटे गए वृक्षों की संख्या	इमारती लकड़ी की हानि (मात्र क्यूबिक (मीटर में)	हानियों का मूल्य (लाख रुपये में)	वृक्षों की अवैध कटाई के मामलों की संख्या	अवैध रूप से काटे गए वृक्षों की संख्या	इमारती लकड़ी की हानि (मात्र क्यूबिक (मीटर में)	हानियों का मूल्य (लाख रुपये में)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	अन्य राज्य												
1.	आंध्र प्रदेश	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए
2.	बिहार	252	3045	59.13	1.81	236	1979	84.1	2.06	122	856	72.83	2.05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3.	छत्तीसगढ़	14637	123504	8961.09	318.65	12689	111258	8795.51	277.03	15165	105134	9347.1	299.33
4.	गुजरात	8846	72241	4559	642.09	8333	64578	4163	609.51	8470	61832	4314	609.15
5.	गोवा	237	811	244.83	5.85	269	788	127.4	9.1	212	901	140.86	5.01
6.	हरियाणा	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	5153	एनए	एनए	एनए	4430	एनए	एनए
7.	हिमाचल प्रदेश	2862	4198	1708.436	114.11	4079	4792	2038.513	142.8	1515	2404	1245.495	72.48
8.	जम्मू-कश्मीर	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए
9.	झारखण्ड	914	4097	655.47	30.18	620	8323	324.9	19.21	449	8538	375.79	20.76
10.	कर्नाटक	7674	8736	2678.76	246.35	6841	8403	2652.97	221.9	5942	7016	2399.43	181.3
11.	केरल	3908	2790	6363.16	3.81	1297	6151	77,911.90	6.58	978	3045	13570.33	3.99
12.	मध्य प्रदेश	45525	287449	एनए	एनए	38924	239494	एनए	एनए	42777	240400	एनए	एनए
13.	महाराष्ट्र	43391	210026	18436	1047	37716	192487	16878	917	43567	193296	14732	838
14.	उड़ीसा	39966	55212	14133.19	1172.572	35502	48725	9042.091	714.008	25639	28464	4527.87	349.634
15.	पंजाब	4843	15335	4091.93	93.46	3483	13060	4361.63	147.87	3909	12367	3113.64	78.09
16.	राजस्थान	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए
17.	तमिलनाडु	41	29	629.972	1.99	34	16	647.465	1.86	27	23	310.65	4.41
18.	उत्तर प्रदेश	4279	17051	2539.7	90.35	3881	16087	2468.62	92.75	1774	8024	1204.28	50.3
19.	उत्तरांचल	1698	3682	1357.49	46.73	1822	6142	1543.17	95.44	1792	4094	2551	49.58
20.	पश्चिम बंगाल	12674	एनए	12711.7	973.04	13457		10310.15	926.34	एनए	एनए	एनए	एनए
	पूर्वोत्तर राज्य												
1.	असम	1648	एनए	2989.46	96.14	1735	एनए	2586.85	124.17	1639	एनए	2281.64	91.31
2.	अरुणाचल प्रदेश	189	399	एनए	एनए	146	382	एनए	एनए	178	293	एनए	एनए
3.	मणिपुर	4	285	260.77	2.4	40	226	504.79	8.22	17	45	555.23	9.28
4.	मेघालय	एनए	एनए	एनए	एनए	159	एनए	एनए	127	एनए	एनए	एनए	एनए
5.	मिजोरम		2023	326.39	10.83	एनए	एनए	490.77	11.84		219	275.26	7.97
6.	नागालैण्ड	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	53.3	0.42	16	एनए	575.12	एनए
7.	सिक्किम	30	35	35.14	3.33	40	45	47.29	5.35	25	65	45.36	3.78
8.	त्रिपुरा	467	एनए	1761.94	8.8	173	एनए	838.23	4.19	960	एनए	2036.44	10.18

एनए - उपलब्ध नहीं

[अनुवाद]

चीन द्वारा वास्तविक नियंत्रण रेखा पर निर्माण कार्य

3050. श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया: क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान चीन द्वारा वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) पर अपनी ओर वृहत उन्नयन और अवसंरचना के निर्माण की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी विकास और निर्माण का ब्यौरा क्या है; और

(ग) वास्तविक नियंत्रण रेखा पर भारत की ओर वाले क्षेत्र में समानान्तर उसी तरह की अवसंरचना को विकसित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

विदेश मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी): (क) से (ग) सरकार को चीन द्वारा तिब्बत में विकसित किए जा रहे बुनियादी ढांचे की जानकारी है। इसमें किंघई प्रांत में गोलमुड से ल्हासा तक रेलवे लाइन शामिल है, जिसे 1 जुलाई, 2006 को औपचारिक रूप से खोला गया। चीनी मीडिया रिपोर्टों में यह कहा गया है कि किंघई-तिब्बत रेलवे को ल्हासा से शिगाजे तक बढ़ाए जाने की आशा है। ऐसी खबरें भी हैं कि चीनी अपने तेप लाइन को तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र तक बढ़ा रहा है।

सरकार भारत की सुरक्षा को प्रभावित करने वाले सभी घटनाक्रमों पर निरंतर नजर रखती है और इसके संरक्षण के लिए सभी आवश्यक उपाय करती है।

केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा कर्मियों के लिए सेवानिवृत्ति की आयु

3051. डा. धीरेंद्र अग्रवाल:
श्री ए.एफ.जी. ओसमानी:

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवाओं के सामान्य ड्यूटी करने वाले चिकित्सा अधिकारियों के उपसंवर्गों की सेवानिवृत्ति की आयु में वृद्धि करने के संबंध में प्रस्ताव की वर्तमान स्थिति का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या यह सच है कि केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के चार उप संवर्गों में से केवल तीन उप संवर्गों की सेवानिवृत्ति की आयु में वृद्धि की गई है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या मंत्रिमंडल ने सामान्य ड्यूटी करने वाले चिकित्सा अधिकारियों की सेवानिवृत्ति की आयु में वृद्धि करने संबंधी प्रस्ताव को नामंजूर कर दिया है; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पाणाबाका लक्ष्मी): (क) यह प्रस्ताव छठे केन्द्रीय वेतन आयोग को भेज दिया गया है।

(ख) और (ग) केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के केवल तीन विशेषज्ञ उप-संवर्गों की सेवानिवृत्ति की आयु को मुख्य रूप से निम्नलिखित कारणों से बढ़ाया गया है:-

(1) विशेषज्ञ उप-संवर्ग में चिकित्सकों की कमी

(2) विशेषज्ञ का देर से सेवा में आना

(3) शिक्षण संकाय की कमी।

(घ) और (ङ) इस प्रस्ताव को मंत्रिमंडल के सामने लाया गया था जिसने इसको आगे न ले जाने का निर्णय लिया क्योंकि छठे केन्द्रीय वेतन आयोग द्वारा इसी प्रकार के मुद्दों की जांच की जा रही है।

निर्धनता और भूख से संबंधित समस्याएं

3052. श्री किन्जरपु येरननायडु: क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास देश में निर्धनता, भूख, बीमारी और निरक्षरता से संबंधित अनेक समस्याओं के समाधान का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि नहीं, तो देश में निर्धन लोगों के संरक्षण हेतु समस्याओं का सामना करने के लिए कोई नई नीति नहीं बनाए जाने के विशेष कारण क्या हैं; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में शुरू की गई योजनाओं अथवा प्रस्तावित योजनाओं का ब्यौरा क्या है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. राजशेखरन): (क) से (ग) सरकार आमतौर पर लोगों के, और विशेष तौर पर गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों के जीवन स्तर में सुधार के लिए अनिवार्य सार्वजनिक सेवाएं जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा, स्वच्छ पेय

जल, स्वच्छता इत्यादि पहुंचाने के उद्देश्य से कई कार्यक्रम लाभान्वित करती आ रही है। इनमें से महत्वपूर्ण हैं: राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन स्वजल धारा, बुनियादी सेवाओं और बुनियादी सुविधाओं में सुधार के लिए पूर्ण स्वच्छता अभियान, सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा यथा-अनुमोदित ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना (वर्ष 2007-08 से 2011-12 तक) के दृष्टिकोण पत्र में ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान प्रतिवर्ष 9% विकास लक्ष्य निर्धारित किया गया है तथा इसका उद्देश्य इस अवधि के अंत तक अर्थव्यवस्था को लगभग 10% के संधारणीय विकास पथ पर लाना है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दृष्टिकोण पत्र में कृषि क्षेत्रक में 4% की विकास दर की उपलब्धि का लक्ष्य रखा गया है। उसके लिए ग्रामीण संपर्कता में सुधार, सिंचाई क्षमता सृजन को बढ़ाने, जलसंभर प्रबंधन, वर्षाजल संग्रहण और भूजल पुनर्भरण, विस्तार प्रणाली को पुनर्जीवित करना जो किसानों को विश्वविद्यालयों और बेहतर प्रयोगों, इत्यादि से जोड़ती है, पर ध्यान केन्द्रित किया गया है। दृष्टिकोण पत्र में सभी की बुनियादी भौतिक अवसंरचना और स्वास्थ्य और शिक्षा सेवाओं तक पहुंच सुनिश्चित करने के द्वारा क्षेत्रों और समुदायों के बीच असमानताओं को घटाने का उल्लेख किया गया है। दृष्टिकोण पत्र में इस विकास की समावेशिता को प्रतिबिम्बित करते हुए निष्पादन के अन्य आयामों जैसे, आय और निर्धनता, शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला और बाल मुद्दे, बुनियादी सुविधा और पर्यावरण, के क्षेत्र में मानीटर करने योग्य लक्ष्य भी तय किए गए हैं।

नई दवाइयों के लिए नैदानिक परीक्षण

3053. **श्री एकनाथ महादेव गायकवाड:**
श्रीमती निवेदिता माने:

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या औषध तकनीक सलाहकार बोर्ड (ड्रग्स टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड) ने इस बात की सिफारिश की है कि देश और विदेश में नई दवाओं की खोज करने वाली औषध अन्वेषण फर्मों को नई दवाओं के सभी चरणों में नैदानिक परीक्षण करने की अनुमति दी जाए जैसाकि दिनांक 18 जुलाई, 2007 के "द बिजनेस स्टैण्डर्ड" में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) औषध तकनीक सलाहकार बोर्ड (डी.टी.ए.बी.) की सिफारिश पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पनाबाका लक्ष्मी): (क) से (ग) जी, हां।

औषध तकनीकी सलाहकार बोर्ड की 6 जुलाई, 2007 को आयोजित 55वीं बैठक में देश में नई औषधों के समवर्ती चरण-I क्लिनिकल परीक्षण के लिए सहमति हुई।

औषध और प्रसाधन सामग्री अधिनियम और उसके अधीन बने नियमों की अनुसूची वाई में संशोधन के लिए औषध तकनीकी सलाहकार बोर्ड की अनुशंसाओं पर अब विचार किया जा रहा है।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय नदी जल संरक्षण योजना

3054. **श्री धावरचन्द गेहलोत:** क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 2003 से जून 2007 की अवधि के दौरान राष्ट्रीय नदी जल संरक्षण योजना के अंतर्गत मंजूर की गई योजनाओं का नदी-वार और राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) उन योजनाओं के क्या नाम हैं जिनका काम रोक दिया गया है और इसके क्या कारण हैं तथा उक्त कार्य कब से रोका गया है;

(ग) क्या सरकार को इन योजनाओं के क्रियान्वयन के संबंध में भ्रष्टाचार और अनियमितताओं की कोई शिकायतें मिली हैं; और

(घ) यदि हां, तो ऐसी योजनाओं के नाम क्या हैं और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायण मीणा): (क) राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना (एनआरसीपी) के अंतर्गत वर्ष 2003-04 से जून, 2007 तक राज्य-वार और नदी-वार मंजूर की गई स्कीमों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) से (घ) राजस्थान के केशोरायपाटन शहर में सीवेज के अवरोधन और दिशा परिवर्तन तथा शोधन की स्कीम, जो 18.5.2005 को शुरू हुई और संविदागत समस्याओं के कारण ठेकेदार ने इसे 15.7.2005 को रोक दिया, को छोड़कर उपरोक्त में से किसी भी स्कीम का काम नहीं रोका गया है।

उत्तर प्रदेश जल निगम, उत्तर प्रदेश के राज्य कार्यान्वयन अभिकरण द्वारा दी गई सूचना के अनुसार इलाहाबाद के सालोरी में सीवेज शोधन संयंत्र के संबंध में एक शिकायत प्राप्त हुई है और इस मामले में जांच शुरू की गई है।

विवरण

राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना के अंतर्गत राज्यवार और नदीवार स्वीकृत की गई स्कीमें

क्र.सं.	राज्य	नदी	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08 जून तक
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	गोदावरी					
		मूसी		1			
2.	बिहार	गंगा					
3.	दिल्ली	यमुना				2	
4.	गोवा	मांडवी					
5.	गुजरात	साबरमती					
6.	हरियाणा	यमुना				7	1
7.	झारखंड	सुबनरिखा					
		दामोदर					
		गंगा					
8.	कर्नाटक	भद्रा	1				
		तुंगभद्रा	3				
		कावेरी	4				
		टुंग	1				
		पेन्नार					
9.	केरल	पाम्बा	6				
10.	मध्य प्रदेश	बेतवा					
		ताप्ती	1				
		खान					
		नर्मदा					
		चंबल					
		शिप्रा					
11.	महाराष्ट्र	कृष्णा					
		गोदावरी					
		कृष्णा	1				

1	2	3	4	5	6	7	8
12.	नागालैंड	धीफु एवं धनश्री			6		
13.	उड़ीसा	ब्राह्मणी	4	3	3	1	
		महानदी					
		कोस्टल एरिया					
14.	पंजाब	सतलुज	1	5	1		
15.	राजस्थान	चंबल					
16.	सिक्किम	रानी छू		1			
17.	तमिलनाडु	कावेरी	6	4		1	
		अड्यार, क्युम		4		1	
		वेन्नार					
		वेगई				2	
		ताम्रबर्णी					
18.	उत्तर प्रदेश	यमुना			1	3	
		गोमती	9				
		गंगा	4	4	2		
19.	उत्तरांचल	गंगा	1	7	1	7	
20.	पश्चिम बंगाल	दामोदर			2		
		गंगा	12	61	8	3	
		महानंदा			1		
	कुल जोड़		54	90	25	27	1

[अनुवाद]

भारत जर्मनी सहयोग के अंतर्गत स्वास्थ्य परियोजनाएं

3055. श्री बृज किशोर त्रिपाठी: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही स्वास्थ्य, परिवार नियोजन, एच.आई.वी./एड्स परियोजना के लिए संघीय गणराज्य जर्मनी वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करता है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 2006-07 और 2007-08 के दौरान पारस्परिक सहयोग से चलायी जा रही परियोजनाओं का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त सहायता की निबंधन और शर्तों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) उक्त परियोजनाओं के लिए निर्धारित लक्ष्यों और उक्त परियोजनाओं के अंतर्गत अभी तक प्राप्त की गई उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पनाबाका लक्ष्मी): (क), (ख) और (घ) जी, हां। ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए है।

(ग) भारत-जर्मन स्वास्थ्य विकास सहकारिता में एक एफडब्ल्यू द्वारा संचालित वित्तीय सहकारिता तथा जर्मन गणराज्य संघ सरकार द्वारा पूर्ण स्वामित्व वाले जर्मन तकनीकी निगम द्वारा संचालित तकनीकी सहकारिता शामिल है।

वित्त सहकारिता घटक के तहत निधियां अनुदान सहायता के साथ-साथ आसान ऋण के बतौर संयुक्त रूप में प्रदान की जाती हैं जबकि तकनीकी सहकारिता घटक का वित्तपोषण 100% सहायता अनुदान से किया जाता है।

विवरण

परियोजना	केन्द्र/राज्य	कार्यकलाप
1	2	3
(1) वित्तीय सहायता		
1. सामाजिक विपणन कार्यक्रम चरण-II	मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, हिमाचल प्रदेश	कुल प्रजननता दर में कमी, गर्भ निरोधकों के लिए मुफ्त वैयक्तिक पसन्द, एचआईवी/एड्स संक्रमण की दर में कमी और ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में कम आय वाले समूहों में प्रजनन स्वास्थ्य (शिशु, बाल एवं मातृ मृत्यु दर में कमी) के लिए सहयोग। पश्चिम बंगाल में चुनिंदा जिलों में प्रायोगिक चरण के रूप में टीके की शुरूआत।
2. पल्स पोलियो रोग प्रतिरक्षण कार्यक्रम	राष्ट्रीय स्तर	5 वर्ष की आयु वाले सभी बच्चों के प्रतिरक्षण द्वारा वाइल्ड पोलियो वायरस को फैलने से रोकने के लिए निधियों की प्रदानगी। इस प्रकार, भारत और विश्व से पोलियो उन्मूलन का लक्ष्य प्राप्त करना। विश्व बैंक, डीएफआईडी, यूनीसेफ, विश्व स्वास्थ्य संगठन, जेबीआईसी, डेनिडा समेत भारत सरकार के कार्यक्रम में सहयोग देना।
3. बुनियादी स्वास्थ्य कार्यक्रम	महाराष्ट्र	बुनियादी स्वास्थ्य केन्द्रों तथा ग्राम स्वास्थ्य स्टेशनों का नवीकरण और निर्माण, चिकित्सा उपकरणों की आपूर्ति और गर्भ निरोधकों की सामाजिक विपणन एवं सामाजिक फ्रेंचाइजिंग द्वारा परियोजना क्षेत्रों (4 जिलों) में बुनियादी स्वास्थ्य परिचर्या की व्यवस्था में मात्रात्मक एवं गुणवत्तापरक सुधार में सहयोग।
4. बुनियादी स्वास्थ्य कार्यक्रम	पश्चिम बंगाल	बुनियादी स्वास्थ्य केन्द्रों तथा ग्राम स्वास्थ्य स्टेशनों का नवीकरण और निर्माण, चिकित्सा उपकरणों और बुनियादी औषधों की आपूर्ति द्वारा परियोजना क्षेत्रों (4 जिलों) में बुनियादी स्वास्थ्य परिचर्या की व्यवस्था में मात्रात्मक एवं गुणवत्तापरक सुधार में सहयोग। चार क्षेत्रों-आपातकालिक परिवहन

1	2	3
		(एम्बूलेंसों), उचित दाम की फार्मेसी दुकानें, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों और नैदानिक सेवाओं की आऊटसोर्सिंग में सार्वजनिक निजी भागीदारी की शुरूआत।
5. द्वितीयक स्तरीय स्वास्थ्य परिचर्या सुविधाएं चरण I एवं II का उन्नयन	कर्नाटक	द्वितीयक स्वास्थ्य परिचर्या सुविधाओं के नवीकरण और विस्तार संगत टेरिफ प्रणाली की शुरूआत तथा कचरा निपटान सुविधाओं के निर्माण द्वारा गुलबर्गा मंडल में बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं की व्यवस्था में सहायता।
(2) तकनीकी सहायता		
1. भारत-जर्मन विकास सहकारिता/बुनियादी स्वास्थ्य कार्यक्रम	हिमाचल प्रदेश	अस्पताली मानकों, स्वास्थ्य प्रबंधन सूचना प्रणाली, सार्वजनिक-निजी भागीदारी के विकास एवं कार्यान्वयन हेतु वित्तीय तथा तकनीकी सहायता।
2. भारत-जर्मन विकास सहकारिता/बुनियादी स्वास्थ्य कार्यक्रम	महाराष्ट्र	प्रायोगिक सामाजिक स्वास्थ्य बीमा स्कीमों, राज्य स्वास्थ्य नीति, स्वास्थ्य कार्मिकों के लिए सतत चिकित्सा शिक्षा, टेलीमेडिसन और स्वास्थ्य क्षेत्र में सार्वजनिक-निजी भागीदारी के उन्नयन हेतु स्कीमों के विकास तथा कार्यान्वयन के लिए वित्तीय एवं तकनीकी सहायता।
3. भारत-जर्मन विकास सहकारिता/बुनियादी स्वास्थ्य कार्यक्रम	पश्चिम बंगाल	अनिवार्य सेवाओं के पैकेज और उपचार नयाचारों के मानकों, अस्पताली मानकों, सामाजिक स्वास्थ्य बीमा और अस्पतालों कचरा प्रबंधन प्रणाली आदि के विकास एवं कार्यान्वयन हेतु वित्तीय एवं तकनीकी सहायता।
4. भारत-जर्मन विकास सहकारिता	राष्ट्र स्तर	योजना एवं प्रसार कार्यशालाओं के लिए वित्तीय तथा तकनीकी सहायता तथा सामाजिक स्वास्थ्य बीमा एवं गुणवत्ता आश्वासन मानक आदि, जुलाई, 2007 में शुरू राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम-III का पूर्व मूल्यांकन तथा एड्स, मलेरिया और क्षयरोग के लिए वैश्विक निधि हेतु देश-समन्वय-तंत्र के सुदृढ़ीकरण के लिए तकनीकी सहायता योजना तैयार करने जैसे राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन तथधा प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के विभिन्न तनकीकी एवं नीतिगत मुद्दों के संबंध में मसौदा दस्तावेजों को तैयार करना।

[हिन्दी]

आधुनिक तकनीकों के माध्यम से आंकड़े एकत्रित करना

3056. श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव:
श्री हरिसिंह चावड़ा:
प्रो. महादेवराव शिवनकर:
श्री राजेश पाठक:

क्या सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने आधुनिक तकनीकों के माध्यम से सांख्यिकीय आंकड़े एकत्रित करने के लिए कोई कार्रवाई की है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों का तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) सरकार द्वारा उक्त आंकड़ों की विश्वसनीयता प्रमाणित करने के लिए क्या प्रयास किए गए हैं; और

(घ) इसके परिणामस्वरूप सरकार को कितनी सफलता मिली है?

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जी.के. वासन): (क) और (ख) सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय आजकल मुद्रित अनुसूचियों की सहायता से आंकड़े एकत्र करता है जिनका प्रचार नमूने के रूप में लिए गए गांवों या शहरी ढांचा सर्वेक्षण खण्डों में अवस्थित चुनिंदा परिवार/उद्यमों में किया गया है। इन गांवों या शहरी ढांचा खण्डों का चयन सर्वेक्षण विशिष्ट वैज्ञानिक प्रतिचयन अभिकल्प के आधार पर किया जाता है। तथापि, मंत्रालय के राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संघटन के क्षेत्र संकार्य प्रभाग ने अतीत में कुछ प्रयास किए थे ताकि सिम्प्यूटर्स का प्रयोग करने की व्यवहारिकता का पता चल सके। उनके प्रयोग के प्रारंभिक परीक्षण में सूचित कुछ समस्याओं के कारण, मोबीलिस कम्प्यूटर के प्रयोग की व्यवहार्यता का अध्ययन करने के लिए एक और प्रयास की संभावना का पता लगाया जा रहा है।

(ग) और (घ) भारत ने एक विकेन्द्रीकृत सांख्यिकीय प्रणाली है और केन्द्र एवं राज्य सरकारों दोनों के विभिन्न मंत्रालय, विभाग और अन्य अभिकरण, आवश्यकतानुसार प्रशासनिक अभिलेखों या जनगणनाओं एवं प्रतिदर्श सर्वेक्षणों के माध्यम से आंकड़ों का संकलन करते हैं। ये आंकड़े प्रतिचयन और/या गैर-प्रतिचयन त्रुटियों के अध्यधीन हैं। आंकड़ा संग्रहण और आंकड़ों की प्रोसेसिंग के समय ऐसी त्रुटियों को नियंत्रित करने के लिए सांख्यिकीय तकनीक और अन्य उपाय लागू किए जाते हैं। बहरहाल, सांख्यिकीय प्रणाली में सुधार एक सतत प्रक्रिया है।

[अनुवाद]

शहरी जनसंख्या के बीच जोखिम के कारक

3057. श्री रायापति सांबासिवा राव: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की तुलना में शहरी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के खराब स्वास्थ्य में योगदान देने वाले विभिन्न जोखिम कारकों का पता लगाने के लिए कोई अध्ययन कराया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा शहरी जनसंख्या के बीच इन जोखिम कारकों को रोकने के लिए क्या विभिन्न कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पनाबाका लक्ष्मी): (क) जी, हां। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने तुलनात्मक अध्ययन किया है।

(ख) प्रतिवेदन का ब्यौरा विवरण के रूप में संलग्न है।

(ग) कार्यान्वित किए जा रहे रोग नियंत्रण कार्यक्रमों में निम्नांकित शामिल हैं जिनमें अन्य बातों के साथ शहरी जनता के लिए समर्थन और निवारण घटकों के जरिए जोखिम वाले कारणों को कम करने की व्यवस्था है:

- राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण कार्यक्रम
- राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम
- प्रजनन और बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम
- व्यापक रोग प्रतिरक्षण कार्यक्रम
- संशोधित राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम
- राष्ट्रीय वैक्टरजन्य रोग नियंत्रण कार्यक्रम
- राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम
- राष्ट्रीय दृष्टिहीनता नियंत्रण कार्यक्रम
- राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम

- नशामुक्ति कार्यक्रम
- राष्ट्रीय मधुमेह हृदय-वाहिका रोग तथा आघात निवारण व नियंत्रण कार्यक्रम का प्रायोगिक चरण

तंबाकू सेवन को रोकने के लिए "सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद (विज्ञापन प्रतिषेध तथा व्यापार और वाणिज्य, उत्पादन, आपूर्ति और वितरण विनियमन) अधिनियम, 2003" का अधिनियमन भी ऐसे प्रयत्नों में शामिल है।

2003 का यह अधिनियम सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान पर रोक लगाता है, सभी प्रकार के विज्ञापनों पर पाबंदी लगता है, तभी तंबाकू उत्पादों पर स्वास्थ्य संबंधी विशेष चेतावनियों को दिखाना अनिवार्य करता है। 2003 के इस अधिनियम के कारगर कार्यान्वयन के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने भी कुछेक राज्यों में राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम (एनटीसीपी) को आरंभ किया है।

विवरण

भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने "भारत में गैर संचारी रोगों के जोखिम कारकों की निगरानी के लिए प्रहरी स्वास्थ्य मानीटरिंग केंद्र" शीर्षक से देश के छह भौगोलिक क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने वाला एक छह केन्द्रों का अध्ययन किया। ये छह केन्द्र थे:- व्यापक ग्रामीण स्वास्थ्य सेवा परियोजना, बल्लभगढ़ (हरियाणा), मद्रास मधुमेह अनुसंधान प्रतिष्ठान, चेन्नई, आईसीएमआर का क्षेत्रीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान केन्द्र, डिब्रूगढ़, सरकारी मेडिकल कालेज, नागपुर, श्री चित्रा तिरूनल आयुर्विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, त्रिवेन्द्रम और स्वास्थ्य एवं व्यवहार और संबद्ध विज्ञान संस्थान, दिल्ली। अध्ययन किए गए मुख्य जोखिम कारक तंबाकू का इस्तेमाल, एलकोहल का इस्तेमाल, भौतिक कार्यकलाप और आहार व्यवहार थे। प्रश्नावली में एल्कोहलिक पेयों, आहार चलनों और अन्य स्थानीय संबद्ध कारकों की किस्मों पर ध्यान दिया गया। अध्ययन किए गए अन्य कारक रक्तचाप, पल्स रेट, कमर और मोटापा थे। आंकड़े शहरी, ग्रामीण क्षेत्रों और मलिन जनसंख्या (डिब्रूगढ़ को परिशहरी क्षेत्र में शामिल किया गया) से एकत्र किए गए।

मुख्य गैर-संचारी रोगों के लिए जोखिम कारकों वाले व्यक्तियों की संख्या

जोखिम कारक	शहरी			ग्रामीण			अर्ध शहरी/मलिन क्षेत्र		
	पुरुष	महिला	कुल	पुरुष	महिला	कुल	पुरुष	महिला	कुल
अध्ययन किए गए व्यक्तियों की संख्या	7556	7665	15221	6668	6849	13517	7580	8070	15650
धूम्रपान	2268	71	2339	2055	323	2378	3034	267	3301
	(300.2)	(9.3)	(153.7)	(308.2)	(47.2)	(175.9)	(400.3)	(33.1)	(211.0)
धूम्रपान रहित तंबाकू	1750	660	2410	2592	1451	4046	3074	1794	4868
	(231.6)	(86.1)	(158.3)	(388.7)	(211.9)	(299.3)	(405.5)	(222.4)	(311.1)
एलकोहल इनटेक	3028	258	3386	3268	570	3838	4148	1103	5251
	(400.7)	(33.7)	(222.5)	(490.1)	(83.2)	(283.9)	(547.2)	(136.7)	(335.6)
फल अथवा सब्जी अथवा दोनों को एक से अधिक बार परोसने पर उपभोग	540	738	1278	1063	1415	2478	862	1008	1870
	(71.5)	(96.3)	(84.0)	(159.4)	(206.6)	(183.3)	(113.7)	(124.9)	(119.5)
शारीरिक निष्क्रियता (प्रति सप्ताह 150 मिनट से अनधिक)	4804	4648	9452	2455	2604	5059	3914	3515	7429
	(635.8)	(606.4)	(621.0)	(368.2)	(380.2)	(374.3)	(516.4)	(435.7)	(474.8)
सामान्य से ऊपर रक्तचाप के स्तर (सामान्य 130-129, 80-84)	2090	2344	4434	2159	451	2610	2700	2209	4909
	(276.6)	(305.8)	(291.3)	(323.8)	(65.8)	(193.1)	(356.2)	(273.8)	(313.7)
बाडी मास इंडेक्ट सामान्य से ऊपर (>25 कि.ग्रा./एमटी^{2})	2304	2926	5230	618	950	1568	1262	2075	3337
	(304.9)	(381.7)	(343.6)	(92.7)	(138.7)	(116.0)	(166.5)	(257.2)	(213.3)
कमर का दायरा सामान्य से ऊपर (सामान्य पुरुष - 90 सें.मी. सामान्य महिलाएं - 80 सें.मी.	2333	4352	6685	811	1974	2785	1367	3215	4582
	(308.8)	(567.8)	(439.2)	(121.6)	(288.2)	(206.0)	(180.3)	(398.5)	(292.8)

लघु कोष्ठक में दिए गए आंकड़े प्रति 1000 संख्या को दर्शाते हैं।

स्रोत:- गैर-संचारी जोखिम कारकों का आईसीएमआर-विश्व स्वास्थ्य संगठन सर्वेक्षण (2003-2005)

भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद शहरी क्षेत्रों में मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं के विभिन्न पहलुओं पर दो अध्ययन कर रहा है। ''शहरी मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं और सेवा की जरूरतें'' पर कार्य बल अध्ययन उत्तरी और दक्षिणी भारत के तीन प्रमुख शहरों अर्थात् चेन्नई, दिल्ली और लखनऊ में किया जा रहा है। अध्ययन में मानसिक बीमारियों के उपचार के लिए मानव संसाधनों की कमी, तनाव, एल्कोहल और किशोर बच्चों से संबद्ध समस्याओं का उल्लेख किया गया है। यह पाया गया कि सेवाओं का संवितरण और उपलब्धता एक समान नहीं थी अथवा चेन्नई और दिल्ली में समान रूप से संवितरित थी लेकिन लखनऊ में अधिक प्रतीत होती है। तीन शहरों में मनश्चिकित्सकों की कमी थी। लखनऊ में सरकारी और प्राइवेट क्षेत्र सेवाओं के भार को लगभग समान रूप से वहन करते हैं। चेन्नई और दिल्ली में सरकारी क्षेत्र लगभग दो-तिहाई सेवा भार को वहन करता है। सरकारी क्षेत्र प्राथमिक परिचर्या स्तर, सामान्य स्वास्थ्य सेवाएं चेन्नई और दिल्ली में अपेक्षाकृत कम अनुपात में सेवा भार को वहन करती हैं। प्राथमिक परिचर्या स्तर पर अनौपचारिक क्षेत्र चेन्नई और दिल्ली में उपयुक्त अनुपात में सेवाभार को वहन करते हैं। उपचार केन्द्रों में पहुंचने वाले एक तिहाई से लेकर आधी संख्या में रोगी सामान्य मानसिक विकारों के लिए ऐसा करते हैं। सामान्य मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं अवसाद, बेचैनी, तनाव और एल्कोहल और नशीली औषधों का दुरुपयोग करना है। पहुंच के लिए मुख्य बाधाएं वित्तीय और यातायात से संबद्ध समस्याएं हैं।

राष्ट्रीय राजमार्ग 28 और 28ए को चार लेन वाला बनाना

3058. श्री रघुनाथ झा: क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 28 और 28ए को चार लाइनों वाला बनाने संबंधी निर्माण कार्य की वर्तमान प्रगति क्या है; और

(ख) उक्त निर्माण कार्य में विलंब के क्या कारण हैं?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) और (ख) राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण-II के अंतर्गत लखनऊ (जहां से यह उत्तर प्रदेश में प्रारंभ होता है) से मुजफ्फरपुर (बिहार में) तक राष्ट्रीय राजमार्ग 28 को 4 लेन का बनाने का कार्य इस समय प्रगति पर है। लखनऊ से उत्तर प्रदेश/बिहार सीमा (गोरखपुर बाइपास को छोड़कर) तक सड़क खंड में कार्यों को दिसंबर, 2008 तक पूरा करने का लक्ष्य है और गोरखपुर बाइपास को दिसंबर, 2009 तक पूरा करने का लक्ष्य है। उत्तर प्रदेश/बिहार सीमा से मुजफ्फरपुर तक सड़क खंड में कार्यों को मार्च, 2009 तक पूरा करने का लक्ष्य है। निर्माण कार्य की प्रगति प्रारंभ में 4 लेन के लिए अपेक्षित विद्यमान/प्रस्तावित मार्गाधिकार से वृक्षों की कटाई के संबंध में राज्य सरकार से स्वीकृति प्राप्त करने और वृक्षों को वहां हटाने और वृक्षों को वहां से हटाने में हुए विलंब के कारण धीमी थी। मुजफ्फरपुर से बरौनी के समीप राष्ट्रीय राजमार्ग 28 के अंतिम छोर तक राष्ट्रीय राजमार्ग 28 के सड़क खंड को 4 लेन का बनाने के लिए अभिनिर्धारित नहीं किया गया है।

बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग 28ए के पिपराकोठी-मोतिहारी-रक्सौल खंड को राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण-III के अंतर्गत 4 लेन का बनाने के लिए शामिल किया गया है। डिजाइन, निर्माण, वित्त और प्रचालन पद्धति के अंतर्गत इस खंड को 4 लेन का बनाने के लिए साध्यता व प्रारंभिक डिजाइन रिपोर्ट तैयार करने के लिए परामर्शी सेवाओं हेतु निविदाएं प्राप्त हो चुकी हैं। इस खंड के लिए परामर्शी सेवाओं को नवंबर, 2007 तक सौंपने का लक्ष्य है। प्रस्ताव के लिए किए गए अनुरोध के अनुसार, साध्यता व प्रारंभिक अध्ययन रिपोर्ट तैयार करने के लिए सेवाएं पूरी करने के लिए नियम समय-सीमा 9 महीने है।

[हिन्दी]

साफ्ट ड्रिंक्स के हानिकारक प्रभाव

3059. श्री अनंत गुढ़े:
श्री श्रीचन्द कृपलानी:
श्रीमती कल्पना रमेश नरहिरे:
श्री अवतार सिंह भड़ाना:

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कोल्ड/साफ्ट ड्रिंक्स में विद्यमान एसिटिक एसिड सहित कतिपय तत्व स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने कोल्ड/साफ्ट ड्रिंक्स में विद्यमान तत्वों के विनियमन संबंधी मार्ग-दर्शी सिद्धान्तों की कोई समीक्षा की है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले;

(ङ) क्या पेप्सी कोला इंडिया सहित सभी कोल्ड/साफ्ट ड्रिंक्स बनाने वाली कंपनियों द्वारा इन मार्ग-दर्शी सिद्धांतों का कड़ाई से पालन किया जा रहा है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) यदि नहीं, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपचारात्मक कार्रवाई की गई है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) से (घ) कार्बनयुक्त जल के मानक खाद्य अपमिश्रण निवारण नियमावली, 1955 में विहित किए गए हैं। खाद्य अपमिश्रण निवारण नियमावली, 1955 में यथा निर्धारित मानकों के अनुरूप तैयार किया गया कार्बनयुक्त जल सुरक्षित समझा जाता है तथा इसके मानकों की समय-समय पर समीक्षा की जाती है।

(ङ) से (छ) खाद्य अपमिश्रण निवारण नियमावली, 1955 में कार्बनयुक्त जल के निर्धारित मानक अनिवार्य हैं।

खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 तथा उसके अधीन बनी नियमावली राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों द्वारा कार्यान्वित की जाती है जो विभिन्न प्रकार के खाद्य उत्पादों के नमूने नियमित रूप से लेती हैं और खाद्य अपमिश्रण निवारण नियमावली, 1955 के मानकों के अनुरूप इन नमूनों के नहीं पाए जाने पर इस नियमावली के तहत समुचित कार्रवाई करती हैं।

आग लगने के कारण वनसंपत्ति को नुकसान

3060. **श्री संजय धोत्रे:**
श्रीमती भावना पुंडलिकराव गवली:

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वन विकास निगम, महाराष्ट्र के पश्चिम चांदा क्षेत्र के अंतर्गत तादोबा बाघ परियोजना का कई हैक्टेयर वन क्षेत्र आग लगने के कारण नष्ट हो गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके परिणामत: कितना अनुमानित नुकसान हुआ है; और

(ग) भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति): (क) से (ग) राज्य से इस संबंध में सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर प्रस्तुत कर दी जाएगी।

[अनुवाद]

देवप्रयाग में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट

3061. **श्री विजय बहुगुणा:** क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उत्तराखंड राज्य सरकार ने देवप्रयोग में जलमल व्ययन संयंत्र की स्थापना हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए केन्द्र सरकार को कोई प्रस्ताव भेजा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस प्रस्ताव पर केन्द्र सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है; और

(घ) इस संबंध में कब तक स्वीकृति दिए जाने की संभावना है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायण मीणा): (क) से (घ) उत्तराखंड सरकार द्वारा चल रही गंगा कार्य योजना चरण-II के अंतर्गत 366.42 लाख रुपए की अनुमोदित लागत पर देवप्रयाग में गंगा नदी के प्रदूषण निवारण के लिए सीवेज शोधन संयंत्र स्थापित करने का एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। केन्द्र सरकार द्वारा प्रस्ताव की जांच की गई थी और प्रारंभिक टिप्पणियों के साथ इसे 30.4.2007 को राज्य सरकार को लौटा दिया गया था। उत्तराखंड सरकार से निर्धारित मार्गनिर्देशों के अनुसार संशोधित परियोजना प्रस्ताव तैयार करने का अनुरोध किया गया है।

प्रवासी भारतीय दिवस

3062. **श्री बालासोवरी वल्लभनेनी:** क्या **प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हर वर्ष प्रवासी भारतीय दिवस आयोजित करने तथा अनिवासी भारतीयों को आकर्षित करने के लिए उठाए गए कदमों के बावजूद, उन्होंने इस तरह से भारत की विकास परियोजनाओं में भाग नहीं लिया, जैसी कि उनसे आशा थी;

(ख) यदि हां, तो इसके प्रमुख कारण क्या हैं;

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/ उठाए जाने का प्रस्ताव है;

(घ) क्या सरकार का विचार हर वर्ष मिनी प्रवासी भारतीय दिवस आयोजित करने के है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री (श्री वायालार रवि): (क) से (ग) प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन प्रतिवर्ष किया जाता है ताकि पूरे विश्व में बड़ी संख्या में प्रवासी भारतीय समुदाय को एक

मंच मिल सके और इस प्रकार वे अपने मूल के देश के साथ संबंधों को सुदृढ़ बना सकें। प्रवासी भारतीय दिवस का उद्देश्य भारतीय डायस्पोरा को भारत की विकास प्रक्रिया में शामिल करना भी है। डायस्पोरा को शामिल करना एक दीर्घावधि प्रक्रिया है और इसके परिणाम निकट भविष्य में मिलने की संभावनाएं हैं। तथापि भारत के सामाजिक-आर्थिक विकास में भाग लेने में डायस्पोरा की रुचि को बढ़ाने में प्रवासी भारतीय दिवस का योगदान रहा है।

(घ) और (ङ) मंत्रालय 23 दिसम्बर, 2007 को न्यूयार्क में पहले प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन कर रहा है जिसका उद्देश्य है ''डायस्पोरा को जोड़ने में एक कदम और''। यह भारत सरकार द्वारा भारतीय उद्योग परिसंघ की साझेदारी में न्यूयार्क में 23-27 सितम्बर, 2007 को आयोजित किये जा रहे ''इंडिया @ 60' सेलिब्रेशन्स'' के एक भाग के रूप में आयोजित किया जा रहा है। प्रवासी भारतीय दिवस-न्यूयार्क का केन्द्र बिंदु भारत में प्रवासी भारतीयों के निवेशों को बढ़ाना होगा।

दृष्टिहीनता के मामले

3063. श्री नवीन जिन्दल: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में दृष्टिहीनता के मामलों में कमी आई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उपचार के पश्चात कितने लोगों की आंखों की रोशनी फिर से आई है;

(घ) क्या उक्त अवधि के दौरान कतिपय राज्यों में दृष्टिहीनता के मामलों में वृद्धि हुई है;

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/ उठाए जाने का विचार है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) और (ख) जी, हां। राष्ट्रीय दृष्टिहीनता नियंत्रण कार्यक्रम (एनपीसीबी) के तहत 2001-2004 में कराए गए सर्वेक्षण के अनुसार दृष्टिहीनता की व्यापतता घटकर 1.1% रह गई है जबकि 1986-89 में यह 1.49% थी।

(ग) राष्ट्रीय दृष्टिहीनता नियंत्रण कार्यक्रम के तहत 10वीं पंचवर्षीय योजनावधि (2002-2007) में नेत्र ज्योति वापस लाने के लिए देश में मोतियाबिन्द के लगभग 2,24,94,133 आपरेशन किए गए।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) और (च) प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

राजस्थान में राष्ट्रीय राजमार्गों को चार लेन का बनाया जाना

3064. श्री श्रीचन्द कृपलानी:
श्री दुष्यंत सिंह:

क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान राजस्थान सरकार द्वारा राष्ट्रीय राजमार्गों को चार लेन का बनाए जाने से संबंधित कुल कितने प्रस्ताव केंद्र सरकार के पास स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किए गए;

(ख) केन्द्र सरकार द्वारा उन पर क्या कार्रवाई की गई है;

(ग) केंद्र सरकार के पास कितने प्रस्ताव स्वीकृति हेतु लंबित है; और

(घ) इन प्रस्तावों को कब तक कार्यान्वित किए जाने की संभावना है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) राजस्थान सरकार ने राजस्थान में राष्ट्रीय राजमार्गों को 4 लेन का बनाने के लिए निम्नलिखित प्रस्ताव भारत सरकार को भेजे हैं:-

क्र.सं.	रारा सं.	रारा खंड
1.	8	किशनगढ़-अजमेर-ब्यावर-उदयपुर
2.	11	जयपुर-रींगस-सीकर
3.	12	जयपुर-टोंक-कोटा-झालावाड़-मध्य प्रदेश सीमा
4.	14	ब्यावर-पाली-सिरोही-पिंडवाड़ा

(ख) से (घ) राष्ट्रीय राजमार्ग 11 के जयपुर-रींगस-सीकर खंड और राष्ट्रीय राजमार्ग 12 के जयपुर-टोंक-कोटा-झालावाड़ खंड को 4 लेन का बनाने का कार्य राष्ट्रीय राजमार्ग विकास

परियोजना चरण-IIIक में और राष्ट्रीय राजमार्ग 8 के किशनगढ़-अजमेर-ब्यावर खंड और राष्ट्रीय राजमार्ग 14 के ब्यावर-पाली-सिरोही-पिंडवाड़ा खंड को 4 लेन का बनाने का कार्य राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण-IIIख में शामिल किया गया है। इन खंडों की साध्यता अध्ययन और विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के लिए परामर्शी कार्य प्रगति पर है अथवा हाल में सौंप दिए गए हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग 8 के ब्यावर-उदयपुर खंड को 4 लेन का बनाने का कार्य राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के किसी चरण में शामिल नहीं किया गया है किंतु इसके लिए डीबीएफओ आधार पर साध्यता अध्ययन करने का प्रस्ताव है। चूंकि परियोजना रिपोर्टें अभी पूरी की जानी हैं, इन खंडों को 4 लेन का बनाने के लिए कोई लक्ष्य बता पाना अभी संभव नहीं है।

राष्ट्रीय राजमार्ग 12 का झालावाड़-मध्य प्रदेश सीमा खंड 4 लेन का बनाए जाने के लिए अर्हक नहीं है।

[अनुवाद]

ओमान में मारे गए/गुम हुए भारतीय

3065. **श्री असादुद्दीन ओवेसी:**
श्री हरिभाऊ राठौड़:
श्री पन्नियन रवीन्द्रन:
श्री अविनाश राय खन्ना:

क्या **प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि विभिन्न देशों में अनेक भारतीय मारे गए/गुम हुए हैं, जिनमें ओमान में हाल ही में आए चक्रवात में मारे गए/गुम हुए लोग भी शामिल हैं;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान देश-वार और वर्ष-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) मरने/गुम होने के क्या कारण हैं;

(घ) क्या मृतकों की पहचान कर ली गई है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या मृतकों के परिवारों को मुआवजे का भुगतान किया गया है;

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ज) यदि नहीं, तो मुआवजे का भुगतान करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं; और

(झ) गुम हुए लोगों का पता लगाने के लिए क्या उपाय किए गए हैं?

प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री (श्री वायालार रवि): (क) से (झ) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

[हिन्दी]

आयोडीन युक्त नमक की मांग और उपलब्धता

3066. **श्री महावीर भगोरा:** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में लोगों में आयोडीन की कमी को दूर करने के लिए प्रयुक्त आयोडीन युक्त नमक की मांग और उपलब्धता का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ख) आयोडीन युक्त नमक में आयोडीन की मात्रा के लिए निर्धारित मानदंड क्या हैं;

(ग) क्या बाजार में उपलब्ध नमक में आयोडीन की मात्रा के परीक्षण लगातार किए जाते हैं और यदि हां, तो आयोडीन युक्त नमक में पाई गई आयोडीन की मात्रा का प्रतिशत कितना है;

(घ) क्या सरकार का विचार गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को मुफ्त आयोडीन युक्त नमक उपलब्ध कराने का है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) मानव के प्रत्यक्ष उपभोग के लिए सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में आयोडीन युक्त नमक की जरूरत लगभग 50 लाख मीट्रिक टन प्रति वर्ष है जबकि 2006-07 में आयोडीन युक्त नमक का उत्पादन 52 लाख मीट्रिक टन था।

(ख) खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम/नियमावली, 1954 के अंतर्गत विहित मानकों के अनुसार आयोडीन युक्त नमक में आयोडीन की मात्रा उत्पादन स्तर पर 30 पीपीएम (पार्ट प्रति मिलियन) से कम और खुदरा स्तर पर 15 पीपीएम से कम नहीं होनी चाहिए।

(ग) राष्ट्रीय आयोडीन अल्पता विकार नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत नमक और मूत्र स्राव में आयोडीन की मात्रा की जांच करने के लिए प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के स्वास्थ्य निदेशालय में एक आयोडीन अल्पता विकार अनुवीक्षण प्रयोगशाला है। इसके अलावा, नमक में आयोडीन की मात्रा का पता लगाने के लिए खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम/नियमावली के अंतर्गत 72 सरकारी स्वास्थ्य प्रयोगशालाएं हैं। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एनएफएचएस) II-1998-99 के अनुसार देश की लगभग 49% जनता पर्याप्त रूप से आयोडीन युक्त नमक का उपभोग कर रही है।

(घ) से (च) ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

नए कला केन्द्रों की स्थापना

3067. श्री रशीद मसूद: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार एड्स की रोकथाम के लिए नए कला केन्द्रों की स्थापना करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इन कला केन्द्रों को कहां-कहां स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है;

(घ) क्या वर्ष 2006 में खोले गए कला केन्द्रों ने अपने निर्धारित लक्ष्य हासिल कर लिए हैं; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) से (ग) जी, हां। संलग्न विवरण में दिए गए ब्यौरे के अनुसार वर्ष 2007-08 के दौरान 46 नए एआरटी केन्द्र खोले जा रहे हैं।

(घ) और (ङ) वर्ष 2006 के दौरान (अप्रैल, 2006 से मार्च, 2007 तक) राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम के अधीन 65 एआरटी केन्द्र खोले गए। प्रत्येक एआरटी केन्द्र में उपचार किए जाने वाले रोगियों की संख्या के बारे में कोई निर्धारित लक्ष्य नहीं हैं। क्लिनिकल आधारों और सीडी 4 काउंटस पर एआरटी के लिए उनकी पात्रता के लिए पीएलएचए का मूल्यांकन किया जाता है। सभी पात्र रोगियों को एआरटी के लिए नामांकित किया जाता है।

विवरण

2007-08 के दौरान स्थापित किए जाने वाले प्रस्तावित एआरटी केन्द्र

क्र.सं.	राज्य	केन्द्र का नाम
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश (7)	जिला मुख्यालय अस्पताल, आदिलाबाद
2.		जिला मुख्यालय अस्पताल, कुरनूल
3.		जिला मुख्यालय अस्पताल, मेडक
4.		जिला मुख्यालय अस्पताल, महबूबनगर
5.		जिला मुख्यालय अस्पताल, नालगोंडा
6.		जिला मुख्यालय अस्पताल, नेल्लोर
7.		जिला मुख्यालय अस्पताल, विजयनगरम
8.	कर्नाटक (8)	जिला अस्पताल, चिकमगलूर
9.		जिला अस्पताल, कारवार
10.		जिला अस्पताल, उडुपी
11.		जिला अस्पताल, बिदार
12.		जिला अस्पताल, तुमकुर
13.		जिला अस्पताल, हवेरी
14.		जिला अस्पताल, शिमोगा
15.		जिला अस्पताल, बंगलौर
16.	महाराष्ट्र (9)	जिला अस्पताल, ठाणे
17.		जिला अस्पताल, नासिक
18.		जिला अस्पताल, अहमदनगर
19.		जिला अस्पताल, चन्द्रापुर

1	2	3
20.		जिला अस्पताल, जलगांव
21.		जिला अस्पताल, रत्नागिरी
22.		जिला अस्पताल, सतारा
23.		जिला अस्पताल, वर्धा
24.		जिला अस्पताल, परभनी
25.	तमिलनाडु (7)	ट्यूटीकोरिन सरकारी मेडिकल कालेज एवं अस्पताल, ट्यूटीकोरिन
26.		सरकारी जिला मुख्यालय अस्पताल, कुडलौर
27.		सरकारी जिला मुख्यालय अस्पताल, तिरुवल्लूर
28.		सरकारी जिला मुख्यालय अस्पताल, पेरम्बलूर
29.		सरकारी जिला मुख्यालय अस्पताल, तिरुवन्नामलाई
30.		सरकारी जिला मुख्यालय अस्पताल, कृष्णागिरी
31.		सरकारी जिला मुख्यालय अस्पताल, डिंडगुल
32.	मणिपुर (1)	जिला अस्पताल, चंदेल
33.	पश्चिम बंगाल (2)	बर्दवान मेडिकल कालेज, बर्दवान
34.		मिदनापुर मेडिकल कालेज, मिदनापुर
35.	उत्तर प्रदेश (3)	बाबा राघव दास मेडिकल कालेज, गोरखपुर
36.		मोतीलाल नेहरू मेडिकल कालेज, इलाहाबाद
37.		जेएन मेडिकल कालेज, अलीगढ़
38.	बिहार (2)	दरभंगा मेडिकल कालेज लहरियासराय, दरभंगा
39.		जेएलएन मेडिकल कालेज, भागलपुर
40.	राजस्थान (2)	एस.पी. मेडिकल कालेज, बीकानेर
41.		आर.एन.टी. मेडिकल कालेज, उदयपुर
42.	मध्य प्रदेश (1)	गांधी मेडिकल कालेज, भोपाल
43.	गुजरात (1)	पं. दीन दयाल उपाध्याय मेडिकल कालेज, राजकोट
44.	उड़ीसा (2)	वीएसएस मेडिकल कालेज, बुरला
		एससीबी मेडिकल कालेज, कटक
45.	असम (1)	सिल्चर मेडिकल कालेज, सिल्चर

[अनुवाद]

कृत्रिम रक्त

3068. श्री चाडिगा रामकृष्णा: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ब्रिटेन में वैज्ञानिकों ने प्लास्टिक अणुओं से बना कृत्रिम रक्त तैयार किया है, जो कि एक विकल्प के रूप में कार्य करता है और जिसको स्टोर करने में आसानी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कृत्रिम रक्त का जैविकीय परीक्षण पूरा हो गया है; और

(घ) यदि हां, तो इसका क्या परिणाम निकला?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) और (ख) जी, हां। भारतीय आयुर्विज्ञान

अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली द्वारा प्रदान की गई सूचना के अनुसार रसायन विज्ञान विभाग, शेफील्ड यूनिवर्सिटी (ब्रिटेन) के वैज्ञानिकों ने पालीमर विकसित किया है जो आक्सीजन में संलीन हो सकता है। इस खोज को डा. लांस ट्वीमैन और उनके सहकर्मियों द्वारा केमिकल कम्युनिकेशन्स एंड सुप्रामालीक्युलर केमिस्ट्री, 2006 जर्नल में प्रकाशित किया गया है जो कृत्रिम रक्त का निर्माण करने के लिए इस पालीमर का प्रयोग करने की कोशिश कर रहे हैं।

(ग) और (घ) जी, नहीं। चूंकि यह उत्पाद अभी पूरी तरह से तैयार नहीं है, इसलिए जीवविज्ञानी परीक्षण के लिए यह उपलब्ध नहीं है।

राष्ट्रीय सेवा स्वयंसेवी योजना

3069. श्री बालासाहिब विखे पाटील: क्या युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा राष्ट्रीय सेवा स्वयंसेवी (एनएसवी) योजना कार्यान्वित की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) वर्ष 2007-08 के दौरान इस योजना के लिए कितना बजटीय आबंटन उपलब्ध कराया गया है;

(घ) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान विशेषकर महाराष्ट्र में आज की तिथि तक खर्च की गई धनराशि का योजनावार और राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या जिन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए इस योजना को शुरू किया गया था उन्हें प्राप्त करने में यह योजना सफल रही है, यह सुनिश्चित करने के लिए कोई समीक्षा की गयी है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ज) वर्तमान में कितने स्वयंसेवी मौजूद हैं और उनकी तैनाती के दौरान उन्हें क्या कार्य सौंपे गए हैं?

पंचायती राज मंत्री, युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री तथा उत्तर-पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर): (क) और (ख) राष्ट्रीय सेवा स्वयं सेवक योजना, नेहरू युवा केन्द्र संगठन और राष्ट्रीय सेवा योजना के माध्यम से कार्यान्वित की जा रही है। योजना का लक्ष्य ऐसे छात्रों को पूर्णकालिक आधार पर विशेष अवधि के लिए राष्ट्र निर्माण की गतिविधियों में स्वैच्छिक आधार पर स्वयं को शामिल करने के लिए अवसर उपलब्ध कराना है जिन्होंने अपनी स्नातक स्तर तक की शिक्षा पूरी कर ली है। इस योजना के अंतर्गत नामांकित प्रत्येक स्वयं सेवक को 1000/- रु. प्रति माह विशेष वृत्ति प्रदान की जाती है।

(ग) वर्ष 2007-08 के लिए योजना के तहत 15.00 करोड़ रु. का बजटीय प्रावधान किया गया है।

(घ) चालू वित्त वर्ष के दौरान, पिछले तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीय सेवा स्वयं सेवक योजना के तहत महाराष्ट्र सहित खर्च की गई राशि का अब तक राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में है।

(ङ) से (छ) जी हां। मीडिया अध्ययन केन्द्र द्वारा इस योजना का पिछली बार मूल्यांकन 1996 में कराया गया था। मूल्यांकन में अन्य बातों के साथ-साथ यह दर्शाया गया था कि यह योजना स्वयं सेवकों को सामाजिक मुद्दों को समझने तथा उनमें सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना विकसित करने में सक्षम रही है। एक दशक से अधिक समय बीत जाने को ध्यान में रखकर सरकार आगे स्वतंत्र मूल्यांकन पर विचार कर रही है।

(ज) वर्तमान में, नेहरू युवा केन्द्र संगठन में 5000 स्वयं सेवक तथा राष्ट्रीय सेवा योजना में 300 स्वयं सेवक हैं।

नेहरू युवा केन्द्र संगठन से जुड़े स्वयं सेवक नये युवा क्लब स्थापित करने तथा वर्तमान युवा क्लबों/महिला मंडलों को सक्रिय, उत्तरदायी और प्रगतिशील बनाये रखने के कार्य में जिला युवा समन्वयक की सहायता करते हैं। इसके अलावा, वे युवा क्लबों को अपनी वार्षिक कार्य योजना को तैयार करने तथा सरकार की विविध योजनाओं के तहत सहायता अनुदान के लिए आवेदन करने में भी सहायता देते हैं।

राष्ट्रीय सेवा योजना से जुड़े हुए स्वयं सेवकों को परिसर तथा अंगीकृत गांवों/समुदायों में विभिन्न सामाजिक मुद्दों से जुड़े हुए जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने के कार्य तथा राष्ट्रीय सेवा योजना के विशेष शिविर तथा नियमित गतिविधियों के आयोजन में रा से यो एकक को सहायता देने के कार्य सौंपे जाते हैं।

विवरण

चालू वित्त वर्ष के दौरान आज तक खर्च की गई राशि का राज्य-वार ब्यौरा

(रुपयों में)

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम	वर्ष 2007-08 के दौरान आज तक खर्च की गई राशि
1	2	3
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	1,80,900
2.	आंध्र प्रदेश	20,10,355
3.	अरुणाचल प्रदेश	2,17,700
4.	असम	17,13,400
5.	बिहार	29,61,400
6.	चंडीगढ़	53,600
7.	छत्तीसगढ़	6,03,369
8.	दादरा और नगर हवेली	67,00
9.	दमन और दीव	53,600
10.	दिल्ली	87,100
11.	गोवा	73,700
12.	गुजरात	13,03,099
13.	हरियाणा	7,37,000
14.	हिमाचल प्रदेश	5,50,000
15.	जम्मू-कश्मीर	8,17,400
16.	झारखंड	10,73,300
17.	कर्नाटक	11,58,521
18.	केरल	9,96,104
19.	लक्षद्वीप	40,200
20.	मध्य प्रदेश	26,11,600
21.	महाराष्ट्र	20,72,300
22.	मणिपुर	3,95,200
23.	मेघालय	2,21,100
24.	मिजोरम	1,33,900
25.	नागालैंड	3,38,300
26.	उड़ीसा	15,57,000
27.	पांडिचेरी	1,24,664
28.	पंजाब	7,89,510
29.	राजस्थान	15,39,600
30.	सिक्किम	2,61,300
31.	तमिलनाडु	21,70,165
32.	त्रिपुरा	2,59,500
33.	उत्तर प्रदेश	43,47,289
34.	उत्तराखंड	7,41,600
35.	पश्चिम बंगाल	18,85,942

भारतीय नौवहन निगम द्वारा पोतों/जलयानों की खरीद

3070. श्री दुष्यंत सिंह:
श्री मित्रसेन यादव:

क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय नौवहन निगम (एससीआई) का विचार वर्ष 2007-08 के दौरान अतिरिक्त पोतों/जलयानों को खरीदने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) प्रत्येक पोत/जलयानों पर अनुमानित कितना व्यय किए जाने की संभावना है;

(घ) एस.सी.आई. द्वारा नए पोतों/जलयानों को कब तक खरीद लिया जाएगा;

(ङ) क्या पोतों को खरीदने की निविदा हाल ही में आमंत्रित की गई थी; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उन पर क्या कार्रवाई की गई है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री (श्री टी.आर. बालू): (क) से (च) भारतीय नौवहन निगम की वर्ष 2007-08 के दौरान, 1280.71 करोड़ रु. की अनुमानित लागत से नीचे दिए गए ब्यौरे के अनुसार, 31 जलयानों का आदेश देने की एक योजना है:

परियोजना का नाम	जलयानों की संख्या	वर्ष 2007-08 के दौरान अनुमानित व्यय (करोड़ रु.)
हैंडीमैक्स बल्क कैरियर	6	181.56
अपतटीय आपूर्ति जलयान	5	66.75
केपसाईज बल्क कैरियर	2	124.60
सुएजमैक्स टैंकर	2	138.84
एफ्रामैक्स टैंकर	4	234.96
लार्ज रेंज-II उत्पाद टैंकर	2	121.04
कंटेनर जलयान	2	124.60
पैनामैक्स बल्क कैरियर	4	128.16
रसायन कैरियर	4	160.20

भारतीय नौवहन निगम ने अब तक चालू वित्त वर्ष में 6 जलयानों के निर्माण के आदेश दिए हैं। ये जलयान सितंबर, 2010 से अप्रैल 2011 के बीच की अवधि तक सुपुर्द किए जाएंगे। भारतीय नौवहन निगम ने वर्ष 2005-06 के दौरान 12 जलयानों का आदेश भी दिया है जिन्हें अक्तूबर, 2008 से जुलाई, 2010 के बीच की अवधि तक सुपुर्द किया जाएगा।

भारतीय नौवहन निगम ने 16 जलयानों की खरीद के लिए पहले ही वैश्विक निविदाएं आमंत्रित कर ली हैं। इनमें से 6 जलयानों की खरीद से संबंधित निविदाओं को अंतिम रूप दिया जा चुका है। बाकी के जलयानों के लिए चालू वित्त वर्ष (2007-08) के दौरान निविदाएं आमंत्रित की जाएंगी।

[हिन्दी]

जनसंख्या स्थिरीकरण के लिए योजना

3071. **श्री सुभाष सुरेशचंद्र देशमुख:**
प्रो. प्रेम कुमार धूमल:

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में जनसंख्या स्थिरीकरण के लिए कोई योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ऐसी योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए विश्व बैंक द्वारा धनराशि आवंटित की गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पाणाबाका लक्ष्मी): (क) और (ख) जनसंख्या स्थिरीकरण राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के उद्देश्यों में एक है। सरकार का दृष्टिकोण प्रजनन स्वास्थ्य सेवाओं की पूरी न हुई जरूरतों को पूरा करने के लिए व्यापक गर्भनिरोधक विकल्पों के साथ-साथ सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना है जिनमें प्रसव, सुरक्षित गर्भपात, जनन मार्गीय संक्रमणों का उपचार तथा परिवार नियोजन सेवाएं शामिल हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन में प्रजनन और बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम (आरसीएच-II) का दूसरा चरण भी शामिल है जिसका उद्देश्य कुल प्रजनन दर, मातृ एवं शिशु रुग्णता एवं मृत्यु में कमी ला कर परिवार कल्याण कार्यक्रम के निष्पादन को बेहतर करना है। प्रजनन और बाल स्वास्थ्य-II का उद्देश्य राष्ट्रीय जनसंख्या नीति, 2000 में परिकल्पित लक्ष्यों एवं उद्देश्य को हासिल करने में देश को समर्थ बनाते हुए लोगों के प्रजनक जीवन स्तर का उन्नयन करने की दृष्टि से लाभार्थियों को आवश्यकता आधारित, ग्राहक केन्द्रित, मांग प्रेरित, उच्च गुणवत्ता वाली सेवाएं उपलब्ध कराना है।

(ग) और (घ) प्रजनन और बाल स्वास्थ्य-II के कार्यान्वयन के समर्थन में विश्व बैंक ने करीब 360 मिलियन यूएस डालर की वित्तीय सहायता को मंजूरी दी है।

[अनुवाद]

पंचायती राज के लिए धनराशि का आवंटन

3072. **श्री प्रबोध पाण्डा:** क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दसवें वित्त आयोग में पंचायती राज संस्था के लिए कुल कितनी धनराशि का आवंटन किया गया;

(ख) क्या सभी राज्यों ने आवंटित धनराशि का शत-प्रतिशत उपयोग किया है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) किन-किन राज्यों ने कुल आबंटित धनराशि का 80 प्रतिशत से कम उपयोग किया है;

(ङ) क्या केन्द्र सरकार का विचार इन राज्यों के विरुद्ध कोई कदम उठाने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पंचायती राज मंत्री, युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री तथा उत्तर-पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर): (क) दसवें वित्त आयोग ने 1996-2000 की अवधि में पंचायती राज संस्थाओं के लिए 4380.93 करोड़ रुपये की सिफारिश की थी।

(ख) और (ग) जी, नहीं। विभिन्न कारणों, जैसे पंचायत चुनाव सम्पन्न न होने, जारी अनुदान का उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत न किए जाने एवं स्थानीय निकायों को अनुदान हस्तांतरित नहीं होने के कारण आबंटित अनुदान सभी राज्यों को जारी नहीं की जा सकी थी।

(घ) बिहार में जारी की गयी अनुदान राशि का 80 प्रतिशत से कम उपयोग किया। अरुणाचल प्रदेश, गोवा, जम्मू एवं कश्मीर, मेघालय एवं नागालैंड से उपयोगिता की सूचना नहीं प्राप्त हुई।

(ङ) और (च) जी, नहीं। दसवें वित्त आयोग (1996-2000) की सिफारिशों को कार्यान्वित करने के संबंध में वित्त मंत्रालय द्वारा ऐसे कोई दिशा-निर्देश निर्गत नहीं किए गए थे।

औद्योगिक और पर्यावरणीय प्रदूषण

3073. श्रीमती निवेदिता माने:
श्री एकनाथ महादेव गायकवाड:

क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा औद्योगिक और पर्यावरणीय प्रदूषण कम करने के लिए राज्य सरकारों को सहायता उपलब्ध कराने हेतु कोई योजना तैयार की गई है अथवा किए जाने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान चालू वर्ष में इस प्रयोजनार्थ विभिन्न राज्यों द्वारा राज्यवार कितनी सहायता उपलब्ध कराई गई और धनराशि का उपयोग किया गया?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायण मीना): (क) से (ग) पर्यावरण और वन मंत्रालय, राज्यों एवं संघ शासित प्रदेशों को राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों और प्रदूषण नियंत्रण समितियों के सुदृढ़ीकरण, सीईटीपी की स्थापना के लिए सांझा बहिस्राव शोधन संयंत्रों, सांझा खतरनाक अपशिष्ट शोधन, भंडारण और निपटान सुविधाओं की स्थापना के उद्देश्य से खतरनाक अपशिष्टों के लिए प्रबंधन अवसंरचना को तैयार करने, नगरीय ठोस अपशिष्ट के लिए प्रदर्शनीय परियोजनाओं आदि के लिए प्रदूषण निवारण सहायता स्कीमों के अंतर्गत वित्तीय सहायता उपलब्ध कराता है। पिछले तीन वर्षों के दौरान इन स्कीमों के अंतर्गत उपलब्ध कराई गई निधियों का ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

राष्ट्रीय परिवेशी वायु एवं जल गुणता निगरानी कार्यक्रम के अंतर्गत केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा विभिन्न अनुसंधान संस्थानों, विश्वविद्यालयों, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों और प्रदूषण नियंत्रण समितियों को रिलीज की गई राशियों का विस्तृत ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

राष्ट्रीय नदी संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत नदियों में जल प्रदूषण निवारण के लिए विभिन्न राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों को उपलब्ध कराई गई राशियों का विस्तृत ब्यौरा संलग्न विवरण-III में दिया गया है।

विभिन्न एजेंसियों को पिछली राशियों का उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त होने के बाद राशियां रिलीज की जाती हैं।

विवरण I

क. गत तीन वित्तीय वर्षों के दौरान 'प्रदूषण उपशमन हेतु सहायता' के अंतर्गत राज्य-वार और वर्ष-वार जारी की गई निधियां

(लाख रुपये में)

क्र.सं.	रा.प्र.नि. बोर्ड/प्रदूषण नियंत्रण समिति	2004-05	2005-06	2006-07
1	2	3	4	5
1.	अरुणाचल प्रदेश	4.44	00.00	01.72
2.	आंध्र प्रदेश	4.60	00.00	00.00

1	2	3	4	5
3.	असम	00.00	112.00	109.00
4.	बिहार	00.00	00.00	00.00
5.	छत्तीसगढ़	00.00	100.00	15.00
6.	चण्डीगढ़	00.00	11.91	13.04
7.	दिल्ली	41.35	36.22	28.30
8.	गुजरात	20.00	00.00	00.00
9.	गोवा	18.92	30.00	103.26
10.	हिमाचल प्रदेश	20.00	00.00	00.00
11.	झारखण्ड	94.26	00.00	00.00
12.	केरल	1.125	00.00	55.25
13.	लक्षद्वीप	2.26	3.95	03.68
14.	मध्य प्रदेश	00.00	00.00	75.00
15.	मेघालय	2.50	12.00	26.72
16.	मिजोरम	7.31	37.13	11.94
17.	नागालैंड	15.96	1.96	09.46
18.	उड़ीसा	30.00	00.00	00.00
19.	पंजाब	00.00	00.00	16.00
20.	राजस्थान	00.00	00.00	00.00
21.	सिक्किम	6.925	1.50	04.91
22.	त्रिपुरा	32.02	33.70	65.18
23.	उत्तर प्रदेश	12.32	00.00	00.00
24.	उत्तरांचल	30.50	6.50	00.00
25.	पश्चिम बंगाल	18.00	00.00	00.00
	कुल	387.01	390.08	538.46

ख. सांझा बहिस्राव शोधन संयंत्रों को बढ़ावा देने के लिए परियोजना लागत का 25% केन्द्रीय सहायता के रूप में कवर करने के लिए जारी की गई निधियां

1.	गुजरात	0.00	23.00	211.97
2.	महाराष्ट्र	392.00	410.00	223.03
3.	पंजाब	3.00	0.00	00.00
	कुल	395.00	433.00	435.00

ग. गत तीन वित्तीय वर्षों के दौरान राज्यों को 'परिसंकटमय पदार्थों के प्रबंधन हेतु अवसंरचना सृजित करना' स्कीम के अंतर्गत जारी की गई सहायता

1.	अंडमान एवं निकोबार	00.00	0.00	0.00
2.	अरुणाचल प्रदेश	00.00	4.50	2.00
3.	आंध्र प्रदेश	00.00	00.00	40.00
4.	असम	2.00	00.00	0.00
5.	बिहार	13.00	12.00	4.92
6.	चण्डीगढ़	00.00	2.00	0.00
7.	छत्तीसगढ़	00.00	00.00	0.00
8.	दिल्ली	12.80	00.00	0.00
9.	गोवा	5.13	00.00	0.00
10.	गुजरात	161.07	00.00	112.50
11.	हरियाणा	00.00	00.00	0.00
12.	हिमाचल प्रदेश	9.00	00.00	0.00
13.	जम्मू-कश्मीर	00.00	00.00	0.00
14.	झारखंड	8.50	8.50	0.00
15.	कर्नाटक	00.00	00.00	66.85
16.	केरल	00.00	00.00	83.00
17.	लक्षद्वीप	00.00	00.00	0.00
18.	मध्य प्रदेश	7.50	00.00	0.00
19.	महाराष्ट्र	00.00	30.87	25.29
20.	मणिपुर	00.00	00.00	5.13,500
21.	मेघालय	00.00	00.00	0.00
22.	मिजोरम	00.00	13.05	0.00
23.	नागालैंड	00.00	00.00	0.00
24.	उड़ीसा	00.00	00.00	0.00
25.	पांडिचेरी	00.00	3.90	3.90
26.	सिक्किम	00.00	00.00	0.00
27.	त्रिपुरा	00.00	00.00	0.00
28.	उत्तरांचल	7.47	6.42	0.00
29.	पश्चिम बंगाल	7.35	00.00	23.00

विवरण II

क. गत तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीय जल गुणवत्ता मानीटरी कार्यक्रम (एनडब्ल्यूएमपी) के लिए रा.प्र.नि. बोर्ड/प्र.नि.स. को जारी की गई निधियां (रुपयों में)

राज्य/संघ शासित प्रदेश	2004-05	2005-06	2006-07
1	2	3	4
आंध्र प्रदेश	523472	496359	663793
असम	275310	162240	661360
बिहार	109471	251282	281859
छत्तीसगढ़	–	–	539275
गोवा	154230	–	447080
गुजरात	435947	–	918260
हरियाणा	27412	–	186225
हिमाचल प्रदेश	302870	484630	585495
झारखंड	–	–	34500
कर्नाटक	457654	403797	628010
केरल	467618	507959	601997
मध्य प्रदेश	380030	380030	1112750
महाराष्ट्र	536050	625937	822753
मणिपुर	78720	–	241730
मेघालय	125420	129345	96615
मिजोरम	–	–	63500
नागालैंड	21450	–	113200
उड़ीसा	517267	385040	329648
पंजाब	208905	–	470894
राजस्थान	32396	165669	282181
सिक्किम	212760	212760	215640
तमिलनाडु	444386	–	642698
त्रिपुरा	79445	–	151260

1	2	3	4
उत्तर प्रदेश	704494	210631	1152281
उत्तरांचल	24240	145245	37240
पश्चिम बंगाल	687312	25012	489083
चण्डीगढ़	–	–	57220
लक्षद्वीप	4200	–	1940
पाण्डिचेरी	–	–	150945
कुल	6811059	4585936	11988432

(ख) राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता मानीटरी कार्यक्रम (एनएएमपी) के अंतर्गत विभिन्न मानीटरी अभिकरणों को किए गए भुगतान का ब्यौरा

क्र.सं.	मानीटरिंग अभिकरण का नाम	2004-05 (रुपये में राशि)	2005-06 (रुपये में राशि)	2006-07 (रुपये में राशि)
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश रा.प्र.नि. बोर्ड	779167	927917	573750
2.	असम रा.प्र.नि. बोर्ड	304583		368334
3.	बिहार रा.प्र.नि. बोर्ड		2598000	394305
4.	चण्डीगढ़ रा.प्र.नि. बोर्ड	417917		1615000
5.	छत्तीसगढ़ ई.सी.बी.	1056111	658750	871250
6.	गुजरात रा.प्र.नि. बोर्ड	1062500	1381250	4324583
7.	गोवा रा.प्र.नि. बोर्ड	226667		1190000
8.	झारखण्ड रा.प्र.नि. बोर्ड	736667		1728333
9.	जम्मू-कश्मीर रा.प्र.नि. बोर्ड			1376000
10.	हरियाणा रा.प्र.नि. बोर्ड	262083		
11.	हिमाचल प्रदेश एस.ई.पी. और पी.सी.बी.	1642167	2147666	2295000
12.	कर्नाटक रा.प्र.नि. बोर्ड	432083	935000	3105000
13.	केरल रा.प्र.नि. बोर्ड	750833	1281667	1097917
14.	महाराष्ट्र रा.प्र.नि. बोर्ड	141667		1133333
	केटीएचएम नासिक		255000	
	टीएमसी ठाणे		127500	

1	2	3	4	5
	पूना विश्वविद्यालय, पूना		255000	
	वीएनआईटी नागपुर (पूर्व वीआरसीई)		215985	
	डब्ल्यूआईटी सोलापुर		170000	
15.	मेघालय रा.प्र.नि. बोर्ड	297500		524167
16.	मणिपुर रा.प्र.नि. बोर्ड			225000
17.	मध्य प्रदेश रा.प्र.नि. बोर्ड	2125556	3319861	510000
18.	मिजोरम रा.प्र.नि. बोर्ड			
19.	नागालैंड रा.प्र.नि. बोर्ड			1586590
20.	उड़ीसा रा.प्र.नि. बोर्ड	602084	545416	1211250
21.	पंजाब रा.प्र.नि. बोर्ड		1416667	250000
22.	पांडिचेरी रा.प्र.नि. बोर्ड	552500		255000
23.	राजस्थान रा.प्र.नि. बोर्ड	991667	2699167	2871250
24.	तमिलनाडु रा.प्र.नि. बोर्ड	828750	1175833	1112084
25.	त्रिपुरा रा.प्र.नि. बोर्ड			345000
26.	उत्तर प्रदेश रा.प्र.नि. बोर्ड	1237222		4016250
27.	उत्तरांचल इ.पी. और पी.सी.बी.		115694	288055
28.	पश्चिम बंगाल रा.प्र.नि. बोर्ड	276250	1112083	
29.	नीरी	2960860		5986171
	कुल	17684834	21338456	39253622

विवरण III

राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना (एनआरसीपी) के अंतर्गत उपयोग में लाये गए राज्य-वार व्यय (जारी की गई निधियां) और निधियां

(लाख रुपये में)

क्र.सं.	योजना/राज्य	2004-05		2005-06		2006-07	
		जारी की गई निधियां	राज्यों द्वारा किया गया व्यय #	जारी की गई निधियां	राज्यों द्वारा किया गया व्यय #	जारी की गई निधियां	राज्यों द्वारा किया गया व्यय #
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	1600.00	93.06	5200.00	7659.75	4785.00	4152.03
2.	बिहार	0.00	9.01	33.72	0.00	7.19	0.00

1	2	3	4	5	6	7	8
3.	झारखंड	0.00	3.13	0.00	3.18	0.00	0.00
4.	गुजरात	1200.00	1092.62	0.00	521.97	0.00	0.00
5.	गोवा	510.00	905.24	100.00	0.00	0.00	0.00
6.	कर्नाटक	1368.00	1062.94	580.00	1191.30	0.00	295.80
7.	महाराष्ट्र	880.00	1324.18	1069.77	840.93	1009.00	1298.42
8.	मध्य प्रदेश	1200.00	664.18	200.00	561.28	415.00	240.17
9.	उड़ीसा	675.00	780.90	825.00	1038.54	1104.00	1447.96
10.	पंजाब	1141.00	3853.32	1274.00	2662.94	1535.00	3272.13
11.	राजस्थान	26.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
12.	तमिलनाडु	16861.00	16419.57	10307.40	23807.11	8271.77	2874.33
13.	दिल्ली	190.00	0.00	100.00	0.00	2650.00	0.00
14.	हरियाणा	240.00	240.84	424.00	0.00	777.20	0.00
15.	उत्तर प्रदेश	100.00	1414.87	1678.00	2791.25	3865.00	5369.23
16.	उत्तरांचल	200.00	297.07	450.00	157.68	825.00	171.91
17.	पश्चिम बंगाल	2746.00	1641.53	4848.00	3351.81	1800.00	1728.60
18.	केरल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19.	सिक्किम	179.00	3.50	0.00	3.76	504.50	805.23
20.	नागालैंड	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00
	कुल योग (नदी)	29116.00	29805.96	27557.89	44591.50	27548.66	21655.81

#->राज्यों द्वारा ऊपर दिखाये गये व्यय में, पिछले वर्षों के लिए राज्य सरकार द्वारा अत्यधिक शेष राशि से आगे बढ़ाये गए भारत सरकार के शेयर की बकाया राशि शामिल है। इस राशि में राज्य सरकारों के शेयर से व्यय भी शामिल हैं।

[हिन्दी]

हाथियों का गुम होना

3074. श्री अधीर चौधरी: क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान देश में कितने हाथी गुम पाए गए;

(ख) इन हाथियों के गुम होने का सही कारण क्या है; और

(ग) हाथियों की कम होती संख्या को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति): (क) से (ग) पूरे देश में जंगली हाथियों की संख्या की गणना पांच वर्षों में एक बार की जाती है। पिछली गणना वर्ष 2002 में की गई थी। वर्ष 2007 की गणना का कार्य चल रहा है और

दिसंबर, 2007 तक यह गणना पूरा होने की संभावना है। देश में जंगली हाथी के पिछली गणना के तुलनात्मक अनुमानित संख्या निम्नलिखित है:

वर्ष	अनुमानित संख्या
1980	15627
1985	18975
1989	20862
1993	25604
1997	25877
2002	26413

उपर्युक्त आंकड़ों से यह स्पष्ट है कि देश में जंगली हाथियों की संख्या में कमी नहीं आई है। फिर भी केंद्रीय सरकार ने हाथियों के संरक्षण हेतु कुछ कदम उठाए हैं जिसमें वर्ष 1991-92 में केन्द्रीय प्रायोजित योजना "हाथी परियोजना" शुरू करना है, देश में हाथी रिजर्वों का सृजन, वन्यजीव अपराध ब्यूरो का सृजन, हाथी दांत के व्यवसाय पर रोक आदि शामिल हैं। राज्य सरकार/संघ शासित प्रदेशों की सरकारों से समय-समय पर प्राप्त सूचना के अनुसार हाथी की मृत्यु का मुख्य कारण, प्राकृतिक मृत्यु, बिजली के करंट लगने से मृत्यु, ट्रेन दुर्घटनाओं से मृत्यु, अवैध शिकार से मृत्यु होना आदि हैं।

पृथक चिकित्सा अनुसंधान विभाग

3075. श्री एल. राजगोपाल: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार चिकित्सा अनुसंधान और शिक्षा के लिए एक पृथक विभाग की स्थापना करने का है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) प्रस्तावित विभाग के उद्देश्य क्या हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पनाबाका लक्ष्मी): (क) और (ख) वर्तमान तथा भावी स्वास्थ्य चुनौतियों की जटिलताओं तथा आधुनिक जीवविज्ञान द्वारा प्रदत्त अवसरों को देखते हुए, इन पर किसी भी एक अभिकरण द्वारा प्रभावी ढंग से काबू पा लिए जाने की संभावना नहीं है। देश में स्वास्थ्य अनुसंधान कार्यकलापों को संचालित एवं समन्वित करने के लिए एक नए विभाग की अत्यावश्यकता है। उपर्युक्त परिकल्पना को मूर्त रूप देने के लिए केवल स्वास्थ्य अनुसंधान से संबंधित कार्य करने के लिए सचिव की अध्यक्षता में एक अलग विभाग अपेक्षित है और भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद प्रस्तावित विभाग के अधीन एक सोसाइटी बनी रहेगी।

(ग) इसका लक्ष्य एवं उद्देश्य ज्ञान के सृजन एवं विकास के लिए मौलिक 'ब्लू स्काई' अनुसंधान; बेहतर या नवीन उपकरणों (निदान-शास्त्र, औषध, वैक्सीन, युक्तियां इत्यादि); के विकास पर लक्षित-कार्यनीतिगत अनुसंधान; विकसित नए उपकरणों का परीक्षण-नैदानिक अनुसंधान; तथा क्षेत्र/कार्यक्रम की स्थिति के अंतर्गत उपकरणों की कार्यक्षमता का मूल्यांकन करना, जीन एवं जीन संबंधी कार्यों की नवीन जानकारी के प्रयोग को बढ़ावा देना, विशेषतया स्वास्थ्य क्षेत्र द्वारा अनुसंधान के परिणामों का उपयोग करते हुए स्वास्थ्य क्षेत्र में संरचनात्मक जीवविज्ञान के लिए क्षमता बढ़ाना; नैदानिक अनुसंधान एवं अनुसंधान के परिणामों को उत्पादों के रूप में परिवर्तित करना-प्रचालनात्मक अनुसंधान से संबंधित कार्य करना एवं इन्हें बढ़ावा देना है।

[अनुवाद]

नई गामा चिकित्सा सुविधाएं

3076. श्री किसनभाई वी. पटेल: क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश में स्वास्थ्य परिचर्या क्षेत्र के लिए कुशल गामा चिकित्सा वन्ध्यकरण सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए एक नई गामा चिकित्सा सुविधा की स्थापना करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यह सुविधा सरकार के ग्रामीण स्वास्थ्य परिचर्या कार्यक्रम को किस हद तक सहायता प्रदान करेगी?

प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री पृथ्वीराज चव्हाण): (क) और (ख) परमाणु ऊर्जा विभाग के चिकित्सा और आइसोटोप प्रौद्योगिकी बोर्ड (ब्रिट) ने वर्ष 1974 में मुंबई में एक गामा किरण की सुविधा की स्थापना चिकित्सा उत्पादों के निर्जर्मीकरण के लिए की थी। उसके बाद, दो और सुविधाएं विभाग की सहायता से श्रीराम अप्लाइड रिसर्च सेंटर, दिल्ली और किदवई मेमोरियल इंस्टीट्यूट आफ आंकोलाजी, बैंगलोर में स्थापित की गई थी। ब्रिट, देश में ऐसे संयंत्र स्थापित करने के लिए निजी उद्यमियों को प्रोत्साहित कर रहा है और ऐस पांच निजी संयंत्र सोनीपत

(हरियाणा), कोलकाता (पश्चिमी बंगाल), वडोदरा (गुजरात) मुंबई (महाराष्ट्र) और बंगलौर (कर्नाटक) में चिकित्सा उत्पादों के निर्जर्मीकरण और खाद्य पदार्थों के संसाधन के लिए सेवाएं उपलब्ध करा रहे हैं। इनके अतिरिक्त, छः संयंत्रों का निर्माण निजी उद्यमियों द्वारा किया जा रहा है-महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में प्रत्येक जगह तीन-तीन। परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड (एईआरबी) ने निजी उद्यमियों द्वारा छः और संयंत्र स्थापित करने के लिए (हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, गुजरात, कर्नाटक और तमिलनाडु में प्रत्येक जगह एक-एक) स्थल संबंधी अनुमति दे दी है।

(ग) देश में विभिन्न हिस्सों में स्थापित ऐसी सुविधाओं से शहरी और ग्रामीण क्षेत्र के लाभ हेतु निर्जर्मीकृत चिकित्सा और सुरक्षित खाद्य उत्पादों की उपलब्धता सुलभ हो सकेगी।

[हिन्दी]

पंचायतों को सुदृढ़ करने के लिए समिति

3077. श्री हेमलाल मुर्मू: क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय योजनाओं के अंतर्गत पंचायतों की भूमिका को सुदृढ़ करने के लिए एक समिति का गठन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) समिति द्वारा अपनी रिपोर्ट कब तक प्रस्तुत किए जाने की संभावना है?

पंचायती राज मंत्री, युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री तथा उत्तर-पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर): (क) से (ग) जी, हां। मंत्रिमण्डल सचिव के कार्यालय आदेश सं. 563/9/2/2007-सीए-IV दिनांक 16.08.2007 के तहत सचिव, पंचायती राज तथा सचिव (समन्वय तथा लोक शिकायत) मंत्रिमंडल सचिव की सह-अध्यक्षता में एक समिति का गठन हुआ था ताकि संगत संवैधानिक प्रावधानों के अनुरूप योजनाकरण और कार्यान्वयन में पंचायतों की भूमिका को उपलब्ध कराने के लिए केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों को पुनर्गठित करने के लिए सभी संबंधित मंत्रालयों को दिनांक 8 नवम्बर, 2004 के मंत्रिमंडल सचिव के निदेशों के कार्यान्वयन की प्रगति की समीक्षा की जा सके। सितंबर, 2007 के अंत तक संबंधित मंत्रालयों के साथ इस विचार-विमर्श की प्रक्रिया को पूरा कर लिये जाने की संभावना है।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय राजमार्गों को क्षति

3078. श्री जी. करूणाकर रेड्डी:
श्री तुकाराम गणपतराव रेंगे पाटील:
श्री हरिकेवल प्रसाद:

क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय राजमार्ग थोड़े समय में क्षतिग्रस्त हो रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान कितने राष्ट्रीय राजमार्ग क्षतिग्रस्त हुए हैं;

(ग) इसके क्या कारण हैं तथा इस पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है;

(घ) क्या सरकार का विचार राष्ट्रीय राजमार्गों को राज्य सरकारों को सौंपने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) से (ग) राष्ट्रीय राजमार्ग विकसित किए जाने के बाद थोड़े समय में क्षतिग्रस्त नहीं होते है जब तक कि बाढ़, चक्रवात, सुनामी, भूस्खलन, भूकम्प आदि जैसी प्राकृतिक आपदाओं से क्षतिग्रस्त न हों। ऐसी क्षतिग्रस्त सड़कों को यातायात योग्य स्थिति में रखने के लिए तत्काल उन पर मरम्मत कार्य किए जाते हैं।

(घ) और (ङ) संवैधानिक रूप से, केंद्र सरकार राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास और अनुरक्षण के लिए जिम्मेदार है। इसलिए, राष्ट्रीय राजमार्गों को इनकी अधिसूचना वापस लिए बगैर सौंपा नहीं जा सकता। तथापि, राष्ट्रीय राजमार्गों को राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 के तहत प्रावधानों के अनुसार विकास और अनुरक्षण के लिए राज्य सरकारों सहित विभिन्न निष्पादन एजेंसियों को सौंपा जाता है।

टाइगर टास्क फोर्स की रिपोर्ट

3079. डा. एम. जगन्नाथ:
श्री जसुभाई धानाभाई बारड़:
श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु:
श्रीमती निवेदिता माने:

क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 'टाइगर टास्क फोर्स' तथा राष्ट्रीय वन आयोग ने यह सुझाव दिया है कि वन्यजीवों तथा वन क्षेत्र जो कि भारतीय वन सर्वेक्षण की रिपोर्ट के अनुसार पिछले दशक में कम हो गए हैं, के संरक्षण के लिए वन संवर्ग को सुदृढ़ बनाया जाए जैसाकि दिनांक 18 जून, 2007 के 'द हिन्दुस्तान टाइम्स' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा 'टाइगर टास्क फोर्स' और राष्ट्रीय वन आयोग द्वारा अन्य क्या सुझाव दिए गए हैं;

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/ उठाए जाने का प्रस्ताव है; और

(घ) बाघ संरक्षण तथा संकटापन्न प्रजातियों के रक्षित प्रजनन तथा फैलाव के लिए सरकार द्वारा अन्य क्या उपाय किए गए हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति): (क) और (ख) टाइगर टास्क फोर्स और नेशनल फोरेस्ट कमीशन ने क्रमश: बाघों और वनों के संरक्षण को सुदृढ़ करने के लिए अनेक सिफारिशें की हैं; इनमें अन्य बातों के साथ-साथ व्यावसायिक विशेषज्ञता को सुदृढ़ बनाना तथा वन फील्ड स्टाफ को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना शामिल है।

(ग) यद्यपि टाइगर टास्क फोर्स की अत्यावश्यक सिफारिशों का कार्यान्वयन किया जा रहा है, तथापि नेशनल फारेस्ट कमीशन की रिपोर्ट की केन्द्र और राज्यों द्वारा आवश्यक कार्रवाई हेतु जांच की गई है।

(घ) बाघों के बन्दीगृह प्रजनन का कोई प्रस्ताव नहीं है बाघों के संरक्षण हेतु सरकार द्वारा किए गए उपायों का विवरण संलग्न है।

विवरण

वन्य बाघों की सुरक्षा के लिए सरकार द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:-

वैधानिक उपाय

1. राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण और बाघ एवं अन्य संकटापन्न प्रजाति अपराध नियंत्रण ब्यूरो के गठन के लिए उपबंध की व्यवस्था करने के लिए वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 में संशोधन करना। बाघ रिजर्व में किए गए अपराधों के मामलों में दण्ड और अधिक कड़े कर दिए गए हैं। अधिनियम में वन्यजीव अपराधों के लिए प्रयोग में लाए गए उपकरणों, वाहनों अथवा हथियारों को जब्त करने का भी प्रावधान है।

प्रशासनिक उपाय

2. राज्यों से यथा प्रस्तावित बाघ रिजर्वों को वित्तीय सहायता द्वारा वर्षा ऋतु में पेट्रोलिंग के लिए विशेष कार्यनीति सहित चोरी छिपे शिकार को रोकने की गतिविधियों का सुदृढ़ीकरण, सूचना/ बेतार सुविधाओं का सुदृढ़ीकरण करने के अतिरिक्त स्थानीय लोगों के कार्यबल सहित भूतपूर्व सैनिकों/होमगार्डों को शामिल करके एंटीपोचिंग दस्तों की तैनाती।

3. बाघ रिजर्व प्रबंधन में सामान्य मानकों के सुनिश्चित करना, रिजर्व विशेष बाघ संरक्षण योजना तैयार करना, संसद में वार्षिक/ लेखा परीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत करना, मुख्यमंत्रियों की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय संचालन समितियों के गठन और बाघ संरक्षण फाउन्डेशन की स्थापना के द्वारा बाघ संरक्षण को सुदृढ़ करने के लिए 4.9.2006 से राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण का गठन।

4. वन्यजीवों के अवैध व्यापार को प्रभावी रूप से नियंत्रित करने के लिए 6.6.2007 से एक बहुउद्देशीय बाघ एवं अन्य संकटापन्न प्रजाति अपराध नियंत्रण ब्यूरो (वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो) का गठन किया गया है जिसमें पुलिस, वन, कस्टम और अन्य प्रवर्तन एजेंसियों के अधिकारी शामिल हैं।

5. आठ नए बाघ रिजर्व घोषित करने के लिए, सिद्धांत रूप में, अनुमोदन दे दिया गया है।

वित्तीय उपाय

6. वन्यजीवों को प्रभावी सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से राज्यों की क्षमता और अवसंरचना बढ़ाने के लिए बाघ परियोजना और राष्ट्रीय उद्यानों एवं अभ्यारण्यों के विकास जैसी विभिन्न केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों के अंतर्गत राज्यों को वित्तीय और तकनीकी सहायता उपलब्ध कराई गई है।

अंतर्राष्ट्रीय सहयोग

7. चीन के साथ बाघ संरक्षण के संबंध में प्रोटोकाल के अलावा भारत का नेपाल के साथ वन्यजीव और संरक्षण में सीमा पार अवैध व्यापार को नियंत्रित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन विद्यमान है।

8. बाघ संरक्षण से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों का निराकरण करने के लिए बाघ रेंज देशों का एक ग्लोबल बाघ मंच सृजित किया गया है।

9. साइटस (सीआईटीईएस) के पक्षकारों के सम्मेलन की चौदहवीं बैठक जो हेग में 3 से 15 जून, 2007 तक आयोजित हुई थी, के दौरान में भारत ने चीन, नेपाल और रूसी फेडरेशन के साथ एक संकल्प प्रस्तुत किया जिसमें वाणिज्यिक पैमाने पर आपरेशन्स ब्रीडिंग बाघों के साथ पक्षकारों के लिए दिशानिर्देश दिए गए हैं ताकि ऐसी बंधक संख्या को ऐसे स्तर तक सीमित रखा जा सके जो केवल वन्य बाघों के संरक्षण के लिए सहायक हो। इस संकल्प को किंचित संशोधनों के साथ स्वीकार कर लिया गया। इसके अलावा भारत ने हस्तक्षेप करते हुए चीन से अपील की कि बाघ फार्मिंग को चरणों में समाप्त किया जाए और एशियाई बड़ी बिल्लियों के अंगों और व्युत्पन्नों के भंडार को समाप्त किया जाए। बाघों के शरीर के अंगों के व्यापार पर रोक जारी रखने के महत्व पर बल दिया गया।

[हिन्दी]

अस्पतालों में औचक निरीक्षण

3080. **श्री तुकाराम गणपतराव रेंगे पाटील:**
श्री हरिकेवल प्रसाद:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा दिल्ली के किसी अस्पताल में औचक निरीक्षण किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो ये औचक निरीक्षण किन-किन तारीखों पर किए गए;

(ग) उक्त औचक निरीक्षणों के दौरान किन अनियमितताओं का पता चला है;

(घ) ऐसी अनियमितताओं के लिए दोषी पाए गए अधिकारियों के नाम तथा संख्या कितनी है; और

(ङ) ऐसे अधिकारियों के विरुद्ध की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) से (ङ) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय और स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय के अधिकारी समय-समय पर विभिन्न प्रशासनिक समस्याओं को सुलझाने के लिए दिल्ली के तीन केंद्रीय सरकारी अस्पतालों नामत: डा. राम मनोहर लोहिया अस्पताल, सफदरजंग अस्पताल और लेडी हार्डिंग मेडिकल कालेज एवं संबद्ध अस्पतालों का दौरा करते हैं लेकिन हाल ही में कोई औचक निरीक्षण नहीं किया गया है।

वरिष्ठ नागरिकों को स्वास्थ्य परिचर्या सुविधाएं

3081. **श्री पंकज चौधरी:** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों को बेहतर स्वास्थ्य परिचर्या सुविधाएं प्रदान करने के लिए कोई निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में एक उच्चाधिकार समिति गठित की है;

(घ) यदि हां, तो उक्त समिति द्वारा की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या उक्त समिति द्वारा की गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा कोई कार्यवाही की गई है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) से (च) जी, हां। वरिष्ठ नागरिकों को इस समय सामान्य स्वास्थ्य परिचर्या प्रदाय पद्धति के अंग के रूप में स्वास्थ्य परिचर्या के विभिन्न स्तरों पर स्वास्थ्य परिचर्या सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। 11वीं पंचवर्षीय योजना में बुजुर्गों की स्वास्थ्य परिचर्या के लिए एक राष्ट्रीय कार्यक्रम आरंभ करने का प्रस्ताव है।

[अनुवाद]

पोतों का निरीक्षण

3082. **श्री बालासोवरी वल्लभनेनी:** क्या **पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 15 साल से अधिक पुराने पोतों का निरीक्षण किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) आज की तारीख तक कितने पोतों का निरीक्षण किया गया तथा इस संबंध में दिशानिर्देश क्या हैं?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री (श्री टी.आर. बालू): (क) से (ग) 15 वर्षों से अधिक पुराने अपतटीय आपूर्ति जलयानों का निरीक्षण करने के लिए समुद्रीय वाणिज्य विभाग और इंडियन रजिस्टर आफ शिपिंग को 10 जुलाई, 2007 को अनुदेश जारी कर दिए गए हैं। विद्यमान अनुदेशों के अनुसार अन्य पोतों जैसे 15 वर्षों से अधिक पुराने आयल टैंकरों को परिस्थिति आकलन स्कीम (''कंडीशन्स एससैमैंट स्कीम'') से गुजरना अपेक्षित है, जिसके अनुसार पोत की ढांचात्मक स्थिति की समुद्रीय प्रशासन द्वारा जांच की जाती है। इसी प्रकार बल्क कैरियर्स को उच्च सर्वेक्षण अपेक्षाओं, अर्थात् विस्तृत सर्वेक्षण प्रक्रियाओं से गुजरना होता है। इसके अलावा, नौवहन महानिदेशालय के अंतर्गत समुद्रीय वाणिज्य विभाग के सर्वेक्षक, वर्ष में कम से कम एक बार सभी भारतीय ध्वज वाले जलयानों की ध्वज स्टेट का निरीक्षण करते हैं, जब वे भारतीय पत्तनों पर होते हैं। यह, संबंधित वर्गीकरण समितियों, जिन्हें नौवहन महानिदेशालय ने शक्तियां प्रदान की हैं, द्वारा किए गए वार्षिक सर्वेक्षण और निरीक्षण के अलावा होता है। इसके अलावा, सभी जलयान पांच वर्षों में दो बार सुरक्षा प्रबंधन लेखापरीक्षा के अध्यधीन होते हैं। निरीक्षण के दौरान पाई गई कमियों को जलयान के समुद्र में जाने से पूर्व दूर कर दिया जाता है। उपर्युक्त निरीक्षण वाणिज्य पोत-परिवहन अधिनियम, 1958 के प्रावधान और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों, अंतर्राष्ट्रीय समुद्रीय संगठन समझौतों तथा भारत द्वारा अनुसमर्थित न्यायाचार और नौवहन निदेशालय, मुम्बई द्वारा समय-समय पर जारी किए गए विभिन्न नोटिसों/परिपत्रों/मार्गनिर्देशों के अनुसार किए जाते हैं।

10 जुलाई, 2007 के अनुदेश जारी करने के पश्चात् अब तक तेरह अपतटीय आपूर्ति जलयानों का निरीक्षण किया गया है।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय राजमार्ग को चार लेन का बनाने के लिए प्रस्ताव

3083. श्री गणेश सिंह:
श्री कैलाश जोशी:

क्या **पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केंद्र सरकार को मध्य प्रदेश राज्य सरकार से 'भारत जोड़ो परियोजना' के अंतर्गत राज्य से जाने वाले राष्ट्रीय राजमार्गों को चार लेन का बनाने के संबंध में कोई प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो ऐसे प्रस्तावों की तिथि क्या है तथा ऐसे राष्ट्रीय राजमार्गों के नाम क्या हैं;

(ग) क्या केंद्र सरकार द्वारा इन प्रस्तावों को मंजूरी दे दी गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इन प्रस्तावों को कब तक मंजूरी दिए जाने की संभावना है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) और (ख) मध्य प्रदेश लोक निर्माण विभाग ने मई, 2004 में भारत जोड़ो परियोजना के अंतर्गत निम्नलिखित खंडों को 4/2 लेन का बनाने का प्रस्ताव किया था।

क्र.सं.	राष्ट्रीय राजमार्ग सं.	प्रस्तावित खंड	चौड़ीकरण के लिए प्रस्ताव
1.	3	इंदौर-खालघाट-सेंधवा और महाराष्ट्र सीमा तक	4 लेन बनाना
2.	12	भोपाल-जबलपुर	4 लेन बनाना
3.	27	इलाहाबाद-मंगवा	4 लेन बनाना
4.	86 विस्तार	सिहोर-देवास	4 लेन बनाना
5.	75	झांसी-धसन सीमा से छतरपुर-पन्ना-बेला	2 लेन बनाना

(ग) से (ङ) राष्ट्रीय राजमार्ग 3 का इंदौर से महाराष्ट्र सीमा खंड, राष्ट्रीय राजमार्ग 12 का भोपाल-जबलपुर खंड और झांसी-खजुराहो खंड (जो राष्ट्रीय राजमार्ग 75 के प्रस्तावित झांसी-बेला खंड का हिस्सा है) को राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण-III के अंतर्गत 4 लेन का बनाने के लिए अनुमोदन दे दिया गया है। राष्ट्रीय राजमार्ग 27 के इलाहाबाद-मंगवा खंड और राष्ट्रीय राजमार्ग 75 के झांसी-बेला खंड के बाकी खंडों का कम यातायात और पारस्परिक प्राथमिकता को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण-III में शामिल करने के लिए अनुमोदन नहीं दिया गया है। राष्ट्रीय राजमार्ग 86 विस्तार का भोपाल-सिहोर-देवास खंड की अधिसूचना वापस ले ली गई और इस समय यह खंड राष्ट्रीय राजमार्ग नहीं है।

[अनुवाद]

आयुर्विज्ञान पाठ्यक्रमों की मान्यता समाप्त करना

3084. श्री अनन्त नायक: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद (एमसीआई) ने देश के कई अन्डरग्रेजुएट तथा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों की मान्यता समाप्त कर दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ग) ऐसे पाठ्यक्रम कर रहे छात्रों पर इसका क्या प्रभाव पड़ा है;

(घ) इस पर सरकार की प्रतिक्रिया का ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद ने कई आयुर्विज्ञान कालेजों में 3000 सीटें रद्द कर दी हैं;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(छ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ज) क्या सरकार का विचार कालेजों में सीटों की बहाली के लिए निर्देश जारी करने का है; और

(झ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) से (झ) भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद आयुर्विज्ञान शिक्षा की गुणवत्ता को प्रभावित करने वाली गंभीर कमियों के आधार पर भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद अधिनियम, 1956 की धारा-19 के अधीन मान्यता वापिस लेने के लिए मेडिकल कालेजों के विरुद्ध कार्रवाई शुरू करने हेतु केन्द्र सरकार को संस्तुति करने के लिए सक्षम है। केन्द्र सरकार देश में चलाए जा रहे किसी स्नातक-पूर्व और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम की मान्यता समाप्त करने के लिए अन्तिम प्राधिकारी होने के नाते आयुर्विज्ञान संस्थाओं, विश्वविद्यालय और संबंधित राज्य सरकार से परामर्श करने के बाद इस मामले में भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद की सिफारिशों पर उपयुक्त निर्णय लेती है। आयुर्विज्ञान शिक्षा की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के हित में भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद आयुर्विज्ञान संस्थाओं का आवधिक निरीक्षण करती है और संबंधित आयुर्विज्ञान संस्थानों को तब तक आगे प्रवेश न देने की सलाह देती है जब तक केन्द्र सरकार मान्यता समाप्त करने के लिए उसके प्रस्ताव पर अन्तिम निर्णय नहीं ले लेती।

हाल ही में भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद ने निरीक्षण के समय शिक्षण संकाय, अवसंरचना, नैदानिक सामग्री और उपरकणों आदि के संदर्भ में पाई गई कमियों के कारण 16 आयुर्विज्ञान संस्थाओं में एमबीबीएस पाठ्यक्रमों की मान्यता समाप्त करने के लिए केन्द्र सरकार को सिफारिश की। इनमें से 12 सरकारी मेडिकल कालेज और 4 निजी मेडिकल कालेज हैं। जहां तक स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों का संबंध है भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद ने 9 (नौ) मेडिकल कालेजों (पांच सरकारी क्षेत्र में और 4 निजी क्षेत्र में) को विभिन्न मान्यताप्राप्त स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में आगे प्रवेश न देने की सलाह दी क्योंकि परिषद ने उनकी मान्यता समाप्त करने के लिए केन्द्र सरकार को सिफारिश की।

यह मंत्रालय भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद की इन सिफारिशों की जांच कर रहा है और भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद अधिनियम में निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुसार यथा समय आवश्यक कार्रवाई करेगा।

खान को बंद करने की योजना

3085. श्री जुएल ओराम: क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने खान (कोयला) को बंद करने संबंधी योजना को तैयार करने के लिए एक प्रस्ताव किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी कंपनी-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) ऐसी योजना को कार्यान्वित करने के लिए सीआईएल द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. दासरि नारायण राव): (क) खान प्रचालकों द्वारा खनिज रियायत नियमावली, 1960 के अधीन खान को बंद करने संबंधी योजनाएं तैयार करना अनिवार्य है। प्रत्येक रिपोर्ट में खान को बंद करने संबंधी योजना के अध्याय के साथ परियोजना रिपोर्ट और पर्यावरणीय प्रबंध योजनाएं (ईएमपी) तैयार की जा रही हैं।

(ख) खान को बंद करने संबंधी योजना के साथ तैयार की गई सीआईएल की कंपनी-वार ईएमपी निम्नवत हैं:

क्र.सं.	कंपनी का नाम	2005-06	2006-07	2007-08
1.	ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि.	1	1	–
2.	भारत कोकिंग कोल लि.	–	2	–
3.	सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लि.	3	2	–
4.	वेस्टर्न कोलफील्ड्स लि.	18	10	–
5.	साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि.	25	10	–
6.	नार्दर्न कोलफील्ड्स लि.	5	–	–
7.	महानदी कोलफील्ड्स लि.	12	8	2
	जोड़	64	33	2

सभी केप्टिव कोयला प्रचालकों के लिए संबंधित खान योजना अनुमोदित कर दी गई है जिसमें खान को बंद करने संबंधी योजना भी शामिल है।

(ग) खान को बंद करने संबंधी योजना का उद्देश्य भूमि का पुनरुद्धार, खनित क्षेत्रों का पुनरुद्धार तथा खनित क्षेत्र को असावधानीवश प्रवेश करने के प्रति सुरक्षित बनाना है। जैसे-जैसे खान प्रगति करती है, सीआईएल निरंतर निगरानी रखती है तथा खान को बंद करने संबंधी योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए सभी आवश्यक उपाय करती है।

समेकित रोग निगरानी कार्यक्रम की असफलता

3086. श्री इकबाल अहमद सरडगी:
श्री कुलदीप बिश्नोई:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार की अपने समेकित रोग निगरानी कार्यक्रम को पूर्व चेतावनी प्रणाली में बदलने की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में अब तक क्या प्रगति की गई है; और

(ग) सरकार द्वारा ऐसे कार्यक्रम का पुनर्निर्धारण करने तथा महामारी फैलने पर किसी असफलता के प्रति जवाबदेह बनाने के लिए क्या उपाय किए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) से (ग) भारत सरकार द्वारा नवम्बर, 2004 में समेकित रोग निगरानी परियोजना शुरू की गई थी जिसका उद्देश्य रोग के प्रकोप की शीघ्र पहचान को बढ़ावा देने तथा रोगों की रोकथाम तथा नियंत्रण के लिए उपयुक्त कार्रवाई करने के लिए निगरानी कार्यकलापों को सुदृढ़ करना है। सरकार ने निर्णय लिया है कि राष्ट्रीय वेस्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम तथा राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत रोग निगरानी के भाग के रूप में समेकित रोग निगरानी परियोजना में आरंभिक चेतावनी प्रणाली शामिल होनी चाहिए।

मंत्रालय ने सभी राज्यों, जिला मुख्यालयों तथा सरकारी मेडिकल कालेजों को जोड़ते हुए सूचना प्रौद्योगिकी नेटवर्क स्थापित करने तथा संचालति करने की प्रक्रिया भी शुरू की है। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र 35 राज्य मुख्यालयों, 600 जिला मुख्यालयों तथा अन्य मेडिकल कालेजों और संक्रामक रोग अस्पतालों को कवर करने के लिए दोहरी कनेक्टिविटी (सैटेलाइट और ब्राडबैंड) स्थापित करता आ रहा है-132 केंद्र स्थापित किए जा चुके हैं। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र को रोग प्रकोप की चेतावनी प्राप्त करने के लिए एक केन्द्रीकृत काल सेंटर स्थापित करने के लिए भी कहा गया है। कार्यक्रम के चरण-I चरण-II के तहत लाभान्वित सभी जिलों की प्रयोगशालाओं का बेसलाइन सर्वेक्षण उन्हें सुदृढ़ करने के लिए कराया गया है। द्रुत सहायता दल भी निर्मित करके इन जिलों में प्रशिक्षित किए गए हैं। ये क्रियाकलाप राज्य सरकारों की मदद के लिए परिकल्पित है ताकि महामारी का रूप लेने वाले रोगों का शीघ्रता से पता लगाकर उनके प्रकोप को रोका जा सके।

एकीकृत रोग निगरानी प्रणाली राज्य अभी अपने निगरानी तंत्रों की स्थापना के विभिन्न चरणों में हैं तथा डाटा का अन्त: प्रवाह आरंभिक स्तर पर है। एकीकृत रोग निगरानी प्रणाली के पूर्ण रूप से कार्यान्वित हो जाने पर इससे आसन्न प्रकोपों में शीघ्र चेतावनी देने वाले संकेतों का पता लगने तथा समय पर कारगर सहायता करने का अनुमान है। केन्द्रीय निगरानी एकक चरण-I और चरण-II के तहत लाभान्वित 75% जिलों से साप्ताहिक रोग निगरानी रिपोर्टें इस समय प्राप्त करता है। परियोजना के अंतर्गत आंकड़ों को सभी तीन जिला राज्य और केन्द्र स्तरों पर विश्लेषित किया जाता है जबकि जिला निगरानी एकक कार्रवाई शुरू करता है। राज्य और केन्द्रीय निगरानी एकक बढ़ते हुए रोग लक्षणों का पता लगाने और कार्रवाइयों का अनुवीक्षण भी करते हैं।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय राजमार्ग 16 पर निर्माण कार्य

3087. श्री हंसराज गं. अहीर: क्या **पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय राजमार्ग 16 पर हो रहे निर्माण कार्य की गति काफी धीमी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं; और

(ग) उक्त राजमार्ग का निर्माण कार्य पूरा करने के लिए सरकार द्वारा क्या प्रभावी कदम उठाए गए हैं?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) और (ख) राष्ट्रीय राजमार्ग 16 (निजामाबाद-जगदलपुर सड़क) की लगभग 505 किमी. लंबाई आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ राज्यों से गुजराती है।

इसमें से 288 किमी. लंबाई विकास के लिए मंत्रालय द्वारा सीमा सड़क संगठन को सौंप दी गई है। आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में सीमा सड़क संगठन के इस राष्ट्रीय राजमार्ग के नक्सली प्रभावित खंडों में निर्माण कार्य की गति बुरी तरह बाधित हुई है।

(ग) सीमा सड़क संगठन, राज्य सरकारों द्वारा विशेषत: छत्तीसगढ़ द्वारा कार्यान्वित 'एरिया डोमिनेन्स' नीति के तहत प्रदान की गई स्थानीय सुरक्षा की सहायता से कार्यों का निष्पादन कर रहा है।

[अनुवाद]

हैल्थ कार्ड सिस्टम

3088. श्री के.सी. पल्लामी शामी:
श्री सुनील खां:

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश में उचित स्वास्थ्य परिचर्या सुनिश्चित करने के लिए सभी स्कूलों के छात्रों सहित प्रत्येक नागरिक के लिए हेल्थ कार्ड सिस्टम शुरू करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

विदेश में भारतीय उच्चायोगों की स्थिति

3089. श्री एस.के. खारवेनथन: क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विदेश विशेष रूप से बर्मिंघम (ब्रिटेन) में भारतीय उच्चायोगों में न्यूनतम सुविधाओं की कमी है जिससे भारतीय तथा भारत आने वाले विदेशियों को असुविधा होती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने विदेश में भारतीय उच्चायोगों की स्थिति सुधारने के लिए कोई कदम उठाए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. अहमद): (क) और (ख) यद्यपि विदेश स्थित कुछ भारतीय मिशनों एवं केन्द्रों के कोंसली और वीजा विंगों में आवश्यकतानुसार सुधार लाने पर विचार किया जा रहा है, बर्मिंघम का प्रधान कोंसलावास सिटी सेंटर के निकट शहर के वाणिज्यिक क्षेत्र में स्थित है, जोकि सार्वजनिक परिवहन से अच्छी तरह जुड़ा है। आगंतुक कक्ष में एक फोटोकापी मशीन और एक फोटो-मशीन के अलावा प्रसाधन की सुविधाएं, दल, साफ्ट-ड्रिंक्स, चाय, कापी इत्यादि जैसी पर्याप्त सुविधाएं हैं।

(ग) से (ङ) विदेश स्थित भारतीय मिशनों/केंद्रों के कोंसली एवं वीजा विंगों की स्थिति में सुधार लाने के लिए सरकार कदम उठाती रही है। हाल ही में विदेश स्थित भारतीय मिशनों/केंद्रों के कोंसली एवं वीजा विंगों के कार्यकरण में सुधार लाने के लिए 220 नए पदों का सृजन किया गया है। मिशन के इन विंगों में बड़ी संख्या में पासपोर्ट एवं वीजा सेवाओं की भीड़-भाड़ से बचने की दृष्टि से चुनिंदा भारतीय मिशनों/केंद्रों में पासपोर्ट एवं वीजा आवेदन संग्रहण कार्य को आउटसोर्स पर कराना शुरू किया गया है। विदेश स्थित संबंधित भारतीय मिशनों/केंद्रों के कोंसली एवं वीजा विंग में, जहां आवश्यक हो, सुधार लाने के लिए अपेक्षित राशि की उन्हें उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए मंत्रालय, वित्त मंत्रालय के साथ परामर्श कर रहा है।

तमिलनाडु में उत्थापित राजमार्गों का निर्माण

3090. श्री ई.जी. सुगावनम: क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या तमिलनाडु राज्य सरकार ने केंद्र सरकार को राज्य में उत्थापित राजमार्गों के निर्माण हेतु कोई प्रस्ताव भेजा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) राजमार्गों को कब तक निर्मित किए जाने की संभावना है;

(घ) क्या अन्य राज्य सरकारों से भी इसी प्रकार के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) चेन्नै पत्तन जाने वाले ट्रैफिक के लिए यातायात की भीड़ की समस्या समाप्त करने के लिए तमिलनाडु के मुख्यमंत्री से उत्थापित एक्सप्रेस मार्ग परियोजना का अनुरोध प्राप्त हुआ है।

(ख) और (ग) राष्ट्रीय राजमार्ग 4 पर मदुरवोयल से चेन्नै पत्तन (लंबाई 18.3 किमी.) तक उत्थापित राजमार्ग का प्रस्ताव साध्यता अध्ययन के स्तर पर है। इस राजमार्ग के निर्माण के समय के बारे में बता पाना अभी संभव नहीं है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

खेल परिसंघों के विरुद्ध शिकायतें

3091. श्री सुभाष महरिया: क्या युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को गत तीन वर्षों के दौरान सरकारी धनराशि के दुरुपयोग के संबंध में कई खेल एसोसिएशनों/राष्ट्रीय खेल परिसंघ के विरुद्ध शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उनके विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

पंचायती राज मंत्री, युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री तथा उत्तर-पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर): (क) से (ग) यद्यपि, सरकार को खेल परिसंघों के कार्यकरण के बारे में खिलाड़ियों, अन्य हितबद्ध पक्षों, लोक प्रतिनिधियों जैसे सांसदों और विद्यालयों युवाओं के लिए संसदीय मैच के प्रतिनिधियों से शिकायतें प्राप्त होती ही रहती है और सदन में भी उठाई जाती है और मीडियों में आई रिपोर्टों पर ध्यान भी दिया जाता है किंतु फिलहाल खेल एसोसिएशनों/परिसंघों द्वारा सरकारी धनराशि के दुरुपयोग के बारे में किसी शिकायत विशेष की जांच नहीं की जा रही है।

1 जनवरी, 2006 को राष्ट्रीय खेल परिसंघों/भारतीय ओलंपिक संघ से लगभग 25.78 करोड़ राशि के 884 उपयोग प्रमाण-पत्र; बकाया थे जो अब (1 सितम्बर, 2007 की स्थिति के अनुसार) लगभग 214 करोड़ रुपए से घटकर 6.61 करोड़ रुपए रह गए हैं। नवम्बर, 2006 में उपयोग प्रमाण-पत्र लंबित रखने वाले राष्ट्रीय खेल परिसंघों को 31 दिसम्बर, 2006 तक धनराशि जारी रखने के लिए वित्त मंत्रालय की अनुमति प्राप्त की गई थी जिसे बाद में 31 मार्च, 2007 तक बढ़ा दिया गया था।

राष्ट्रमंडल खेल 2010 के लिए पदक संभावितों के प्रशिक्षण जैसी विशेष अपेक्षाओं को ध्यान में रखकर 2000 के बाद उपयोग प्रमाण-पत्र लंबित न रखने वाले राष्ट्रीय खेल परिसंघों को धनराशि जारी रखने के लिए मई 2007 में मंत्रालय द्वारा निर्णय लिया गया था बशर्ते कि 2000 से पूर्व की अवधि से संबंधित लंबित उपयोग प्रमाण-पत्र के निपटारे के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हों।

सामान्य वित्तीय नियमावली के अनुसार सीएजी उन सभी राष्ट्रीय खेल परिसंघों/भारतीय ओलंपिक संघ के लेखाओं की परीक्षा करता है जो किसी वित्तीय वर्ष में सरकार से 1.00 करोड़ रुपए से अधिक धनराशि प्राप्त करते हैं। 'राष्ट्रीय खेल परिसंघों को सहायता' स्कीम के अंतर्गत राष्ट्रीय खेल परिसंघों को उनके द्वारा वित्तीय अनियमितता बरतने के आरोप में निलंबित अथवा उनकी मान्यता समाप्त करने का प्रावधान है। अभी तक किसी राष्ट्रीय खेल परिसंघ के विरुद्ध इन प्रावधानों के अंतर्गत कार्रवाई नहीं की गई है।

वृहत राष्ट्रीय खेल नीति 2004 के मसौदे में यह सुनिश्चित करने का लक्ष्य है कि सभी राष्ट्रीय खेल परिसंघों/भारतीय ओलंपिक संघ का कार्यकरण एक "खुले, जनतांत्रिक, निष्पक्ष, पारदर्शी और उत्तरदायी" ढंग से हो।

[अनुवाद]

कोयला क्षेत्र पुनर्वास के लिए विश्व बैंक से ऋण

3092. श्री सुग्रीव सिंह: क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विश्व बैंक ने कोयला क्षेत्र पुनर्वास परियोजना योजनाओं के अंतर्गत सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड के राजरप्पा ओपनकास्ट प्रोजेक्ट के लिए धनराशि संस्वीकृत की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) अब तक खरीदी गई हैवी अर्थ माइनिंग मशीनरी का ब्यौरा क्या है;

(घ) विश्व बैंक के ऋण के राजरप्पा ओपनकास्ट प्रोजेक्ट तथा अन्य परियोजनाओं को कितनी सहायता मिली है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. दासरि नारायण राव): (क) जी, हां। कोल इंडिया द्वारा विश्व बैंक ऋण लिया गया जिसमें राजरप्पा परियोजना लाभार्थियों में से एक है।

(ख) सीआईएल द्वारा अन्तिम रूप से लिया गया ऋण 522.60 मिलियन यू.एस. डालर (आईबीआरडी और जेबीआईसी बैंक से प्रत्येक से 261.30 मिलियन यू.एस. डालर) था जबकि अनुमोदित प्रारंभिक राशि 530 मिलियन यू.एस. डालर थी। आईबीआरडी ऋण फ्लोटिंग ब्याज दर (छमाही एलआईबीओआर) पर प्राप्त किया गया था जिसमें 1.46% से 7.09% के बीच भिन्नता थी। जेबीआईसी ऋण भी फ्लोटिंग ब्याज आधार पर था और ब्याज दर में 1.05% से 2.79% के बीच भिन्नता है।

ऋण की शर्तों में यह भी शर्त थी कि सामान की खरीद के लिए विश्व बैंक के मानक बोली दस्तावेज में यथा उल्लिखित उनके दिशा-निर्देशों के अनुसार ऋण के विरुद्ध खरीद की जानी थी।

कोल इंडिया लि. को ऋण समेकित आधार पर मंजूर किया गया तथा इसका उपयोग इसकी विभिन्न सहायक कंपनियों में स्थित 23 ओपनकास्ट परियोजनाओं के विकास/अनुरक्षण के लिए किया गया। परियोजना विशिष्ट आधार पर कोई ऋण मंजूर नहीं किया गया।

(ग) ब्यौरे संलग्न विवरण-I में दिए गए हैं।

(घ) और (ङ) यह ऋण उत्पादन बढ़ाने/बनाए रखने के लिए किया गया। उपकरणों के आर्डर 1998-99 में दिए गए। वर्ष 1998-99 से 2006-07 तक के वर्षवार उत्पादन आंकड़े संलग्न विवरण-II में दिए गए हैं। विश्व बैंक परियोजना ऋण के तहत शामिल परियोजनाओं के लिए समेकित उत्पादन 96.30 मि.ट. से बढ़कर 162.81 मि.ट. हो गया है।

जहां तक राजरप्पा का संबंध है, वास्तव में उत्पादन वर्ष 1998-99 में 2.30 मि.ट. से घटकर 0.73 मि.ट. हो गया है। मुख्यत: ऐसा भूमि अधिग्रहण और पुनर्स्थापन और पुनर्वास (आर. एंड आर.) समस्या के कारण हुआ है।

विवरण I

विश्व बैंक ऋण (सीएसआरपी) के विरुद्ध आर्डर किए गए उपकरण की सूची

क्र.सं.	उपकरण	मात्रा
1.	वाकिंग ड्रगलाइन	3
2.	इले. रोप शावेल 10 एम3	22
3.	हाइड्रोलिक एक्सवेटर 2.8/4.5 एम3	14
4.	हाइड्रोलिक एक्सवेटर 4.3/6 एम3	8
5.	रियर डम्पर 50टी	216
6.	रियर डम्पर 85टी	63
7.	रियर डम्पर 120टी	160
8.	क्रावलेर डोजर 242 केवी	48
9.	क्रावलेर डोजर 310 केवी	97
10.	क्रावलेर डोजर 634 केवी	5
11.	व्हील्ड डोजर 336 केवी	35
12.	ड्रिल 160 एमएम	31
13.	ड्रिल 250 एमएम	34
14.	ड्रिल 311 एमएम	5
15.	फ्रांट एंड लोडर 3.7 एम3	3
16.	मोटर ग्रेडर 210 केवी	26
17.	क्रेन व्हील माउटेड 30टी	2
18.	क्रेन व्हील माउटेड 70टी	3
19.	टायर हैन्डलर	2
20.	वाटर स्प्रिंगलेर 28 केएल	13

विवरण II

विश्व बैंक परियोजनाओं में उत्पादन (मिलियन टन)

	1998-99	1999-2000	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07
सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लि.									
के.डी. हसलोंग	2.30	2.95	3.50	3.38	3.62	3.40	3.57	3.77	3.01
पारेज ईस्ट	0.54	0.89	1.38	1.40	1.66	1.52	1.66	1.62	1.31
राजरप्पा	2.30	2.31	1.71	1.48	1.35	1.40	1.51	0.72	0.73
साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि.									
धनपुरी	1.03	1.19	1.18	1.19	0.75	0.73	0.69	0.84	0.90
दीपिका	6.99	8.22	9.11	11.96	12.68	13.66	15.39	17.94	19.08
कुसमुण्डा	5.19	5.22	5.61	5.97	6.68	7.60	7.60	8.09	9.07
मणिकपुर	1.42	1.54	1.85	2.37	2.27	2.34	2.50	2.61	2.95
गेवरा	17.29	18.02	18.89	18.97	19.54	21.89	26.16	26.48	27.22
वेस्टर्न कोलफील्ड्स लि.									
उमरेर	2.50	2.50	2.65	3.40	2.91	2.31	2.63	2.58	2.87
सस्ती	1.20	1.42	1.41	1.29	1.41	1.42	1.41	1.51	1.46
पदमपुरी	1.27	1.27	1.33	1.34	1.36	1.26	1.47	2.35	2.36
निजय	2.00	1.89	2.18	2.20	2.19	2.37	2.58	2.78	2.91
दुर्गापुर	1.30	1.74	1.80	2.00	2.02	2.02	1.88	1.48	2.14
नार्दर्न कोलफील्ड्स लि.									
जयंत	8.59	9.15	9.30	9.12	9.01	9.66	10.00	9.90	10.57
निगाही	4.13	4.50	5.40	6.06	7.59	9.50	10.40	11.05	11.10
दुधीचुआ	4.77	5.23	7.92	8.50	9.25	9.36	10.20	10.41	10.89
बीना	5.50	5.20	4.99	4.56	4.61	4.32	4.65	4.55	4.66
झिंगगुरदा	3.75	4.76	4.11	4.29	4.08	3.89	4.08	4.32	4.50
महानदी कोलफील्ड्स लि.									
लखनपुर	3.00	4.15	4.48	4.71	5.91	6.77	9.19	9.92	10.16
समलेश्वन	3.84	3.49	3.50	4.09	3.84	4.55	4.83	5.78	7.67
अनंता	6.69	7.03	7.63	7.00	7.82	9.47	7.41	8.66	12.26
भरतपुर	5.30	5.10	5.20	6.14	7.00	9.60	10.80	9.02	9.22
जगन्नाथ	5.40	5.02	5.43	5.69	5.20	4.34	3.57	4.45	5.57
कुल उत्पादन	96.30	102.79	110.56	117.11	122.75	133.48	144.18	150.81	162.61

राष्ट्रीय जलमार्ग

3093. श्री बृज किशोर त्रिपाठी:
श्री जी. करूणाकर रेड्डी:
श्री हरिकेवल प्रसाद:
डा. धीरेंद्र अग्रवाल:

क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) इस समय देश में राष्ट्रीय जलमार्गों की राज्य-वार कुल कितनी लम्बाई है;

(ख) क्या एशियाई विकास बैंक ने देश के जलमार्गों के बारे में कोई रिपोर्ट दी है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) क्या केन्द्र सरकार जलमार्गों हेतु अवसंरचना सुविधाओं के विकास के लिए राज्य सरकारों को सहायता प्रदान करती है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और वर्ष 2006-07 तथा 2007-08 के दौरान राज्य सरकारों को राज्यवार कितनी धनराशि आबंटित की गई और इसमें से कितनी धनराशि का उपयोग किया गया; और

(च) देश में जलमार्गों के विस्तार, विकास और ईष्टतम उपयोग हेतु केन्द्र सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री (श्री टी.आर. बालू): (क) तीन मौजूदा राष्ट्रीय जलमार्गों की कुल लंबाई, नीचे दिए गए ब्यौरे के अनुसार 2716 कि.मी. है:

(1) गंगा-भागीरथी-हुगली नदी प्रणाली का इलाहाबाद से हल्दिया तक का विस्तार (1620 कि.मी.)। यह जलमार्ग, उत्तर प्रदेश (502 कि.मी.), बिहार (लगभग 743 कि.मी.), झारखंड (लगभग 16 कि.मी.) और पश्चिम बंगाल (लगभग 629 कि.मी.) राज्यों से गुजरता है।

(2) ब्रह्मपुत्र नदी का सदिया से धुबरी तक का विस्तार (891 कि.मी.)। यह पूरा जलमार्ग असम राज्य में अवस्थित है; और

(3) चंपाकारा से उद्योगमंडल कैनालों (205 कि.मी.) के साथ-साथ पश्चिमी तट कैनाल का कोल्लम से कोट्टापुरम तक का विस्तार।

(ख) और (ग) विवरण, संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(घ) राज्य सरकारों को अंतर्देशीय जल परिवहन का विकास करने हेतु प्रोत्साहन दिए जाने की दृष्टि से वर्ष 2006-07 तक केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित एक योजना लागू थी। इस योजना के अंतर्गत सिक्किम सहित उत्तर पूर्वी राज्यों को 100% अनुदान और अन्य राज्यों को 90% अनुदान दिया जा रहा था। तथापि, योजना आयोग ने 1 अप्रैल, 2007 से यह योजना समाप्त कर दी है (सिक्किम सहित उत्तर पूर्वी राज्यों को छोड़कर जिनमें इसे उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय के अंतर्गत केन्द्रीय क्षेत्र की योजना के रूप में जारी रखा गया है)।

(ङ) वर्ष 2007-08 के दौरान केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना के अंतर्गत किसी राज्य को कोई राशि नहीं दी गई है। वर्ष 2006-07 तक और उसके दौरान केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना के अंतर्गत राज्यों को आवंटित किए गए और उन राज्यों द्वारा 31.07.2007 तक प्रयोग में लाए गए धन के बारे में दी गई जानकारी के अनुसार संलग्न विवरण-II में दिए गए हैं।

(च) देश में जलमार्गों के विस्तार, विकास और ईष्टतम उपयोग के प्रयोजन से उठाए गए/उठाए जा रहे कदम निम्नानुसार हैं:-

(1) अंतर्देशीय जलमार्गों के विकास और विनियमन के लिए भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन।

(2) राष्ट्रीय जलमार्गों की घोषणा करना और उनका विकास करना। तीन जलमार्गों को पहले से ही राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया जा चुका है और तीन अन्य जलमार्गों को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किए जाने की प्रक्रिया जारी है।

(3) राष्ट्रीय जलमार्गों के विकास के लिए बजटीय आवंटन में बढ़ोत्तरी।

(4) अंतर्देशीय जल यातायात अवसंरचना के विकास, प्रचालन और प्रबंधन में गैर-सरकारी क्षेत्र को प्रोत्साहित करना।

(5) निजी स्वामित्व के अंतर्गत अंतर्देशीय जल यातायात के बेड़े को बढ़ाने के लिए सुविधाकारी संरचना उपलब्ध करवाना।

(6) राज्यों को केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना के माध्यम से अपने संभावित जलमार्गों का विकास करने को प्रोत्साहित करना।

विवरण I

एशियन डेवलपमेंट बैंक की रिपोर्ट पर संक्षिप्त टिप्पणी

भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण के दसवीं योजना अवधि के अनुमोदित परिव्यय के अंतर्गत, अंतर्देशीय जल परिवहन क्षेत्र के लिए बाहरी सहायता के रूप में 10 करोड़ रु. का प्रावधान किया गया था। तदनुसार, भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण/पोत परिवहन मंत्रालय ने आर्थिक कार्य मंत्रालय के माध्यम से अंतर्देशीय जल परिवहन विकास परियोजनाओं हेतु वित्तीय सहायता के प्रयोजन से एशियन डेवलपमेंट बैंक से संपर्क किया। तत्पश्चात, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने 1.25 मिलियन अमरीकी डालर की एक तकनीकी सहायता का अनुमोदन किया और पहले किए गए अध्ययनों की समीक्षा करने और एशियन डेवलपमेंट बैंक से वित्तीय व्यवस्था के लिए परियोजनाएं तैयार करने के लिए वर्ष 2003-04 में एक परामर्शक (मैसर्स सीपीसीएच ट्रांसकाम, कैनेडा) को काम सौंपा। इस अध्ययन को दो चरणों में किया गया। पहले चरण में परामर्शक ने दूसरे चरण में और अधिक व्यापक अध्ययन करने के लिए तीन संभावित परियोजनाओं का निर्धारण किया। वह हैं राष्ट्रीय जलमार्ग सं. 1 (रा.ज. 1) का हल्दिया-पटना खंड, राष्ट्रीय जलमार्ग सं. 2 (रा.ज. 2) का धुबरी-डिब्रुगढ़ खंड और उड़ीसा में ब्राह्मणी नदी। उपर्युक्त परामर्शक ने नवंबर, 2006 में दूसरे चरण की रिपोर्ट भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण और एशियन डेवलपमेंट बैंक को दे दी जिसमें उन्होंने यह उल्लेख किया कि एशियन डेवलपमेंट बैंक ऋण की शुरूआती परियोजना के अंतर्गत ब्राह्मणी नदी प्रणाली में कार्यान्वित करने योग्य कोई परियोजना नहीं है। रा.ज. 1 और रा.ज. 2 की परियोजनाओं के बारे में परामर्शक ने अंतर्देशीय जलमार्ग यातायात को "तेजी से प्रारंभ" करने की दृष्टि से निम्नलिखित पांच शर्तों को पूरा करना अतिआवश्यक बताया:

(1) नदी की नौचालनात्मकता

(2) बेड़े का विकास

(3) टर्मिनल का विकास

(4) संस्थागत उपाय

(5) प्रोटोकाल करार का विस्तार

उपर्युक्त रिपोर्ट में उपरोक्त शीर्षों के अंतर्गत तीन चरणों में उपायों की सिफारिश की गई है, अर्थात् (1) परिवर्तन अवधि (अर्थात् एशियन डेवलपमेंट बैंक से ऋण अनुबंध होने तक), (2) छोटी अवधि का ऋण कार्यान्वयन काल (2 वर्ष) और (3) मध्यम अवधि काल (आगामी 6 वर्ष)।

भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण ने एशियन डेवलपमेंट बैंक को इस रिपोर्ट के प्राप्त होने की सूचना दे दी है। तथापि, इस रिपोर्ट पर एशियन डेवलपमेंट बैंक की ओर से कोई प्रत्युत्तर अथवा आगे की कार्रवाई नहीं की गई है।

विवरण II

केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना के अंतर्गत, वर्ष 2005-06 तक, वर्ष 2006-07 के दौरान राज्यों को दिया गया केन्द्र का हिस्सा और उन राज्यों द्वारा द्वारा अब तक धन के प्रयोग के बारे में दी गई जानकारी

(लाख रु. में)

क्र.सं.	राज्य	जारी की गई धनराशि			राज्यों द्वारा दी गई धन के प्रयोग से संबंधित जानकारी
		2005-06 तक	2006-07 के दौरान	कुल	
1	2	3	4	5	6
1.	असम	710.40	375.41	1085.81	771.80
2.	आंध्र प्रदेश	15.00	52.50	67.50	16.84
3.	बिहार	21.00	0.00	21.00	0.00
4.	गोवा	21.80	37.38	59.18	51.175

1	2	3	4	5	6
5.	हिमाचल प्रदेश	105.66	0.00	105.66	17.96
6.	कर्नाटक	51.03	0.00	51.03	56.70 (राज्य के हिस्से सहित)
7.	केरल	65.30	0.00	65.30	0.00
8.	महाराष्ट्र	1037.81	0.00	1037.81	377.19
9.	मध्य प्रदेश	170.53	42.96	213.49	36.00
10.	मणिपुर	0.00	178.15	178.15	0.00
11.	नागालैंड	0.00	15.12	15.12	0.00
12.	उड़ीसा	50.07	0.00	50.07	51.10 (राज्य के हिस्से सहित)
13.	त्रिपुरा	9.32	0.00	9.32	0.00
14.	उत्तर प्रदेश	2.00	0.00	2.00	0.00
15.	पश्चिम बंगाल	1823.71	498.49	2322.20	1773.81
	जोड़	4083.63	1200.00	5283.63	3152.575

महानगरों में हृदय रोगी

3094. श्री रायापति सांबासिवा राव: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश के विभिन्न महानगरों में प्रति हजार व्यक्तियों में कितने व्यक्ति हृदय रोगी हैं; और

(ख) महानगरों में होने वाले हृदय रोग के मामलों को कम करने के लिए सरकार द्वारा क्या प्रयास किए गए हैं अथवा किए जाने का प्रस्ताव है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) और (ख) मेट्रो शहरवार हृदय रोगियों के कोई विशेष आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। तथापि, भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के अनुसार 1990 के दौरान दिल्ली और चेन्नई (दोनों शहरों) की शहरी जनसंख्या के संबंध में कोरोनरी हृदय रोग की व्यापतता क्रमश: प्रति 1000 जनसंख्या पर 78 और प्रति 1000 जनसंख्या पर 40 है। दिल्ली और वेल्लौर की शहरी और ग्रामीण जनसंख्या में कोरोनरी हृदय रोग और उच्च रक्तचाप पर भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद द्वारा किए गए महामारी संबंधी अध्ययन (1994) के अनुसार दिल्ली की शहरी और ग्रामीण जनसंख्या में कोरोनरी हृदय रोग की व्यापतता प्रति 1000 जनसंख्या पर 76.8 और 53.4 सूचित की गई थी।

11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान राष्ट्रीय मधुमेह, कार्डियोवास्कुलर रोग और आघात निवारण और नियंत्रण कार्यक्रम शुरू किया जाना प्रस्तावित है जिसमें जनजागरूकता बनाने पर ध्यान दिया जाएगा। इस कार्यक्रम का प्रथम चरण वर्तमान वर्ष में छह राज्यों के चयनित जिलों में शुरू किया गया।

[हिन्दी]

बाघों का अवैध शिकार

3095. श्री अनंत गुडे:
श्रीमती कल्पना रमेश नरहिरे:

क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश के विभिन्न भागों में आरक्षित वन क्षेत्रों में बाघों का अवैध शिकार किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और देश में राज्यवार कितने बाघों का अवैध शिकार किया गया है; और

(ग) बाघ रिजर्वों जैसे आरक्षित वन क्षेत्रों के संरक्षण हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का प्रस्ताव है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति): (क) और (ख) वर्ष 1999 से 2004 के दौरान अवैध शिकार के कारण मारे गए बाघों का विवरण, जैसा कि राज्यों से प्राप्त हुआ, संलग्न विवरण-I पर है।

(ग) बाघ संरक्षण के लिए सरकार द्वारा किए गए उपायों का ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

विवरण I

क्र.सं.	राज्य	अवैध शिकार के कारण मारे गए बाघ
1.	आंध्र प्रदेश	7
2.	असम	12
3.	बिहार	3
4.	छत्तीसगढ़	3
5.	कर्नाटक	6
6.	केरल	1
7.	महाराष्ट्र	28
8.	मध्य प्रदेश	15
9.	उड़ीसा	1
10.	राजस्थान	6
11.	तमिलनाडु	3
12.	उत्तरांचल	10
13.	उत्तर प्रदेश	28
14.	पश्चिम बंगाल	7
	कुल	130

विवरण II

वन्य बाघों की सुरक्षा के लिए सरकार द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:-

वैधानिक उपाय

1. राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण और बाघ एवं अन्य संकटापन्न प्रजाति अपराध नियंत्रण ब्यूरो के गठन के लिए उपबंध की व्यवस्था करने के लिए वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 में संशोधन करना। बाघ रिजर्व में किए गए अपराधों के मामलों में दण्ड और अधिक कड़े कर दिए गए हैं। अधिनियम में वन्यजीव अपराधों के लिए प्रयोग में लाए गए उपकरणों, वाहनों अथवा हथियारों को जब्त करने का भी प्रावधान है।

प्रशासनिक उपाय

2. राज्यों से यथा प्रस्तावित बाघ रिजर्वों को वित्तीय सहायता द्वारा वर्षा ऋतु में पेट्रोलिंग के लिए विशेष कार्यनीति सहित चोरी छिपे शिकार को रोकने की गतिविधियों का सुदृढ़ीकरण, सूचना/बेतार सुविधाओं का सुदृढ़ीकरण करने के अतिरिक्त स्थानीय लोगों के कार्यबल सहित भूतपूर्व सैनिकों/होमगार्डों को शामिल करके एंटीपोंचिंग दस्तों की तैनाती।

3. बाघ रिजर्व प्रबंधन में सामान्य मानकों के सुनिश्चित करना, रिजर्व विशेष बाघ संरक्षण योजना तैयार करना, संसद में वार्षिक/लेखा परीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत करना, मुख्यमंत्रियों की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय संचालन समितियों के गठन और बाघ संरक्षण फाउन्डेशन की स्थापना के द्वारा बाघ संरक्षण को सुदृढ़ करने के लिए 4.9.2006 से राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण का गठन।

4. वन्यजीवों के अवैध व्यापार को प्रभावी रूप से नियंत्रित करने के लिए 6.6.2007 से एक बहुउद्देशीय बाघ एवं अन्य संकटापन्न प्रजाति अपराध नियंत्रण ब्यूरो (वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो) का गठन किया गया है। जिसमें पुलिस, वन कस्टम और अन्य प्रवर्तन एजेंसियों के अधिकारी शामिल हैं।

5. आठ नए बाघ रिजर्व घोषित करने के लिए, सिद्धांत रूप में, अनुमोदन दे दिया गया है।

वित्तीय उपाय

6. वन्यजीवों को प्रभावी सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से राज्यों की क्षमता और अवसंरचना बढ़ाने के लिए बाघ परियोजना और राष्ट्रीय उद्यानों एवं अभ्यारण्यों के विकास

जैसी विभिन्न केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों के अंतर्गत राज्यों को वित्तीय और तकनीकी सहायता उपलब्ध कराई गई है।

अंतर्राष्ट्रीय सहयोग

7. चीन के साथ बाघ संरक्षण के संबंध में प्रोटोकाल के अलावा भारत का नेपाल के साथ वन्यजीव और संरक्षण में सीमा पार अवैध व्यापार को नियंत्रित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन विद्यमान है।

8. बाघ संरक्षण से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों का निराकरण करने के लिए बाघ रेंज देशों का एक ग्लोबल बाघ मंच सृजित किया गया है।

9. साइटस (सीआईटीईएस) के पक्षकारों के सम्मेलन की चौदहवीं बैठक जो हेग में 3 से 15 जून, 2007 तक आयोजित हुई थी, के दौरान में भारत ने चीन, नेपाल और रूसी फेडरेशन के साथ एक संकल्प प्रस्तुत किया जिसमें वाणिज्यिक पैमाने पर आपरेशन्स ब्रीडिंग बाघों के साथ पक्षकारों के लिए दिशानिर्देश दिए गए हैं ताकि ऐसी बंधक संख्या को ऐसे स्तर तक सीमित रखा जा सके जो केवल वन्य बाघों के संरक्षण के लिए सहायक हो। इस संकल्प को किंचित संशोधनों के साथ स्वीकार कर लिया गया। इसके अलावा भारत ने हस्तक्षेप करते हुए चीन से अपील की कि बाघ फार्मिंग को चरणों में समाप्त किया जाए और एशियाई बड़ी बिल्लियों के अंगों और व्युत्पन्नों के भंडार को समाप्त किया जाए। बाघों के शरीर के अंगों के व्यापार पर रोक जारी रखने के महत्व पर बल दिया गया।

पत्तन विकास हेतु प्रस्ताव

3096. **श्री हरिसिंह चावड़ा:**
श्री वी.के. दुग्मर:

क्या **पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को गुजरात राज्य सरकार से पत्तनों के विकास हेतु कोई प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त प्रस्तावों पर केन्द्र सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री (श्री टी.आर. बालू): (क) से (ग) गुजरात सरकार से, महापत्तनों से इतर पत्तनों, अर्थात् मगदल्ला पत्तन, नवलाखी पत्तन, पोरबंदर पत्तन, ओखा पत्तन और वेरावल पत्तन का विकास किए जाने से संबंधित प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। महापत्तनों से इतर पत्तन संबंधित राज्य सरकारों के क्षेत्राधिकार में अंतर्गत आते हैं जिनके ऊपर इन पत्तनों के विकास की जिम्मेदारी होती है। तथापि, भारत सरकार के पास राष्ट्रीय समुद्री विकास कार्यक्रम के अंतर्गत तटीय नौवहन को बढ़ावा देने की दृष्टि से सात लघु पत्तनों अर्थात् चुनिंदा समुद्री राज्यों से एक-एक पत्तन के विकास का एक प्रस्ताव है। चूंकि प्रत्येक समुद्री राज्य से एक ही पत्तन शामिल किया जाना था अत: गुजरात से मगदल्ला पत्तन को शामिल किया गया है। इसे केन्द्र द्वारा प्रायोजित एक नई योजना, जिसे अभी सरकार द्वारा अनुमोदित किया जाना है, के अंतर्गत किया जाना प्रस्तावित है।

[अनुवाद]

तपेदिक के मामलों का पता लगाने हेतु सर्वेक्षण

3097. **श्री रवि प्रकाश वर्मा:**
श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव:
श्री आनंदराव विठोबा अडसूल:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने प्रतिवर्ष तपेदिक से प्रभावित होने वाले व्यक्तियों की सही संख्या का पता लगाने हेतु कोई सर्वेक्षण कराया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या परिणाम निकले हैं; और

(ग) देश में प्रतिवर्ष तपेदिक के कितने नए मामले घटित हुए?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पाणाबाका लक्ष्मी): (क) और (ख) जी, हां। जनवरी, 2000 और 2003 के बीच क्षयरोग संक्रमण वार्षिक खतरे का अनुमान लगाकर व्याप्त क्षयरोग की जानपदिक रोगविज्ञानी स्थिति का आकलन करने के लिए भारत के विभिन्न अंचलों में राष्ट्रव्यापी आधार पर सभी वर्गों का सर्वेक्षण किया गया था। अनुमान के अनुसार भारत

में प्रति लाख जनसंख्या पर लगभग 75 नए स्मियर पाजिटिव क्षयरोगी हैं जिससे प्रतिवर्ष कुल लगभग 8 लाख नए स्मियर पाजिटिव रोगी हो जाते हैं। क्षयरोग सर्वेक्षण का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) अनुमान है कि भारत में प्रतिवर्ष प्रति लाख जनसंख्या पर लगभग 168 नए क्षय रोगी हैं जिससे प्रतिवर्ष कुल लगभग 1.8 मिलियन रोगी हो जाते हैं जिनमें से 0.8 मिलियन रोगी स्मूटम पाजिटिव रोगी हैं।

विवरण

क्षयरोग संक्रमण का राष्ट्रीय वार्षिक जोखिम (एआरटीआई) सर्वेक्षण

यह अध्ययन जनवरी, 2000 और 2003 के बीच केन्द्रीय क्षयरोग प्रभाग के सहयोग से क्षयरोग अनुसंधान केन्द्र, चेन्नई और अन्य संस्थाओं के साथ राष्ट्रीय क्षयोरग संस्थान, बंगलौर द्वारा किया गया था।

सर्वेक्षण के प्रयोजन के लिए देश को चार अंचलों में वर्गीकृत किया गया था अर्थात् उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम, जिसमें से प्रत्येक की लगभग समान जनसंख्या थी। 26 जिलों में 1 वर्ष से 9 वर्ष की आयु के बीच के 188103 बच्चों की जांच की गई।

सर्वेक्षण के लिए जिलों का आंचलिक चयन इस प्रकार है:-

उत्तरी जोन: रायबरेली, हरदोई, जौनपुर, गुरदासपुर, कांगड़ा, दिल्ली।

दक्षिण जोन: दक्षिण कन्नड़, बेलगाम, मल्लाप्पुरम, मेडक, कन्याकुमारी, चेंगलपट।

पश्चिम जोन: जूनागढ़, नागपुर, रत्नागिरी, ठाणे, झबुआ, कोटा।

पूर्वी जोन: समस्तीपुर, पूर्वी सिंहभूम, पापुमपारे, कटक, कामरूप, ईस्ट सिक्किम, जलपाईगुड़ी, बर्दमान।

सर्वेक्षण को चार अंचलों में से प्रत्येक में औसत ए आर टी आई का अनुमान लगाने के लिए तैयार किया गया था। विभिन्न राज्यों/संघ राज्यों क्षेत्रों का अंचलवार वितरण और आंचलिक ए आर टी आई अनुमानों के आधार पर प्रति लाख जनसंख्या पर कुल अनुमानित नए स्मियर पाजिटिव रोगी संक्षेप में नीचे दिए गए हैं:-

जोन	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	प्रति लाख जनसंख्या पर अनुमानित नए स्मूटम पाजिटिव रोगी	क्षयरोग संक्रमण का वार्षिक खतरा (एआर टीआई)
उत्तर	हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, पंजाब, उत्तर प्रदेश, चण्डीगढ़, दिल्ली, उत्तरांचल	95	1.9%
पूर्वी	असम, बिहार, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैण्ड, उड़ीसा, सिक्किम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल अण्डमान और निकोबार, अरुणाचल प्रदेश, झारखण्ड	65	1.3%
दक्षिण	आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, पांडिचेरी, लक्षद्वीप	50	1%
पश्चिम	गोवा, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, दादरा और नागर हवेली, दमण और दीव, छत्तीसगढ़	80	1.6%

अध्ययन से लिए गए आंचलिक एआरटीआई अनुमानों को 1.5 प्रतिशत की राष्ट्रीय एआरटीआई का अनुमान लगाने के लिए भी इस्तेमाल किया गया था (अनुमानित नए स्मियर पाजिटिव रोगी - 75/- लाख)।

उपर्युक्त तालिका यह प्रदर्शित करती है कि उत्तरी अंचल में एआरटीआई उच्चतम है, उसके बाद पश्चिम जोन और पूर्वी जोन का स्थान है। दक्षिण अंचल में एआरटीआई निम्नतम है।

राष्ट्रमंडल खेल, 2010 हेतु चिकित्सा सुविधाएं

3098. श्री नवीन जिन्दल: क्या युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार वर्ष 2010 में होने वाले राष्ट्रमंडल खेल हुत अत्याधुनिक चिकित्सा सुविधाएं और आपातकालीन सेवाएं प्रदान करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का विचार है?

पंचायती राज मंत्री, युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री तथा उत्तर-पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर): (क) और (ख) जी, हां। चिकित्सा सुविधाओं में खेल गांव में एक

पालीक्लीनिक स्थापित करने सहित, प्रतियोगिता और प्रशिक्षण स्थलों में चिकित्सा प्रबंध, विभिन्न सरकारी अस्पतालों में सुविधा का उन्नयन, सामान्य स्वास्थ्य और साफ-सफाई प्रबंध, आपदा प्रबंधन के लिए लिंक अस्पताल का चुनाव, खेल दवाइयों हेतु केन्द्र स्थापित करना, पूर्णत: सुसज्जित एडवांस लाइफ स्पोर्ट एम्बुलेंस, पर्याप्त चिकित्सा/विभिन्न रक्त समूह की उपलब्धता आदि शामिल है।

(ग) सरकार ने स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन एक समिति गठित की है जो कि केंद्र सरकार, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार और खेल आयोजन समिति के पास उपलब्ध चिकित्सा सुविधाओं के सर्वोत्तम उपयोग के लिए कार्य योजना तैयार करेगी। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के अधीन स्वास्थ्य सेवा निदेशालय में एक राष्ट्रमंडल खेल सैल गठित किया गया है और चिकित्सा प्रबंधों से संबंधित विभिन्न गतिविधियों की मुख्य सचिव, जीएनसीटीडी के स्तर सहित विभिन्न स्तरों पर समय-समय पर निगरानी की जा रही है।

[हिन्दी]

एसईआईएए और एसईएसी का गठन

3099. श्री श्रीचन्द कृपलानी: क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को विभिन्न राज्यों विशेषकर राजस्थान से पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने हेतु राज्यस्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एसईआईएए) और राज्यस्तरीय विशेषकर मूल्यांकन समिति (एसईएसी) के गठन के लिए प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन प्रस्तावों पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयनारायण मीना): (क) और (ख) असम, आंध्र प्रदेश, चण्डीगढ़, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, कर्नाटक, लक्षद्वीप, महाराष्ट्र, मेघालय, पुडुचेरी, पंजाब, राजस्थान और पश्चिम बंगाल से राज्यस्तरीय प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एसईआईएए) और राज्यस्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) के गठन के लिए प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं।

(ग) छ: राज्यों नामश: आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, मेघालय, उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बंगाल के लिए एसआईएए और एसईएसीज गठित कर दी गई है। चण्डीगढ़, जम्मू और कश्मीर और छत्तीसगढ़ के प्रस्ताव प्रक्रियाधीन है जबकि असम, गोवा, हिमाचल प्रदेश, लक्षद्वीप, पुडुचेरी, पंजाब और राजस्थान के प्रस्ताव अधूरे हैं और इनसे स्पष्टीकरण मांगें गए है।

[अनुवाद]

सांप के काटने से होने वाली मृत्यु की घटनाएं

3100. श्री असादूद्दीन ओवेसी:
श्री मोहन रावले:
श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव:
श्री आनंदराव विठोबा अडसूल:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत में सांप के काटने से होने वाली मृत्यु की घटनाएं विश्व में सबसे अधिक होती हैं जैसा कि दिनांक 2 अगस्त, 2007 के "द टाइम्स आफ इंडिया" में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या केन्द्र सरकार सांप के काटे जाने का उपचार करने के संबंध में कोई राष्ट्रीय नीति बनाने की योजना बना रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) उपर्युक्त राष्ट्रीय नीति को कब तक कार्यान्वित किया जाएगा?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पनाबाका लक्ष्मी): (क) और (ख) संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के स्वास्थ्य सेवा निदेशालय से प्राप्त सूचना पर आधारित संकलित आंकड़ों के अनुसार देश में सर्प दंश के कारण सूचित मौतों की संख्या वर्ष 2004 में 1423, वर्ष 2005 में 1502 और वर्ष 2006 में 1114 है।

(ग) से (ङ) सर्प दंश के लिए उपचार प्रोटोकोल को अंतिम रूप दिया जा रहा है। प्रभावी उपचार के लिए प्रोटोकोल से संबंधित सूचना राज्य सरकारों सहित सभी पणधारियों को व्यापक रूप से प्रचारित की जाएगी।

[हिन्दी]

अनुकंपा आधार पर रोजगार

3101. श्री सुभाष सुरेशचंद्र देशमुख: क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान देश में कोयला कंपनियों के मृतक श्रमिकों के आश्रितों को अनुकंपा आधार पर रोजगार प्रदान करने हेतु कितने मामले लंबित हैं; और

(ख) लंबित मामलों का कब तक निपटारा किए जाने की संभावना है?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. दासरि नारायण राव): (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान कोल इंडिया लि. और इसकी सहायक कंपनियों के मृत श्रमिकों के आश्रितों को अनुकम्पा के आधार पर रोजगार प्रदान करने के लम्बित मामलों की कंपनी-वार संख्या निम्नवत है:

कंपनी का नाम	31.3.2005 की स्थिति के अनुसार	31.3.2006 की स्थिति के अनुसार	31.3.2007 की स्थिति के अनुसार
ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि.	2069	2302	1053
भारत कोकिंग कोल लि.	381	817	489
सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लि.	829	956	826
वेस्टर्न कोलफील्ड्स लि.	174	213	155
साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि.	126	184	27
नार्दर्न कोलफील्ड्स लि.	13	22	18
महानदी कोलफील्ड्स लि.	42	77	38
कोल इंडिया लि. (नार्थ-ईस्ट कोलफील्ड्स)	200	209	186
सेन्ट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजायन इंस्टीच्यूट लि.	7	6	11
जोड़	3841	4786	2803

(ख) मृत कर्मचारियों के आश्रितों को रोजगार प्रदान करने के लिए लम्बित मामलों पर नियमित रूप से कार्रवाई की जा रही है। यह एक सतत प्रक्रिया है और पात्र आश्रितों को शीघ्रतिशीघ्र रोजगार प्रदान करने के लिए भरसक प्रयास किए जाते हैं।

[अनुवाद]

प्रति व्यक्ति आय

3102. श्री जी.एम. सिद्देश्वर: क्या **सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) इस समय देश में प्रति व्यक्ति आय कितनी है;

(ख) क्या वर्तमान प्रति व्यक्ति आय को विकास के दृष्टिकोण से कम माना जाता है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण है; और

(घ) प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जी.के. वासन): (क) 31 मई, 2007 को जारी किये गए संशोधित अनुमानों के अनुसार 2006-07 के दौरान देश में वर्तमान मूल्यों पर 29,382 रु. प्रति व्यक्ति आय का अनुमान लगाया गया है।

(ख) और (ग) विकास के दृष्टिकोण से यह इंगित करने का कोई मानदंड नहीं है कि क्या प्रति व्यक्ति आय कम है अथवा अधिक? तथापि, विश्व बैंक के विश्व विकास संकेतक डाटाबेस, 2007 के अनुसार वर्ष 2006 में भारत में प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय 820 अमरीकी डालर थी तथा 209 देशों की सूची में भारत का स्थान 161 था। क्रय शक्ति समानता के संदर्भ में वर्ष 2006 में भारत में प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति आय 3800 अमरीकी डालर थी तथा 209 देशों में से इसका स्थान 145 था।

(घ) अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर बढ़ाने तथा प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि करने हेतु बहु-शाखीय नीतियां हैं। सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में सुधार हेतु सरकार ने कुछेक उपाय किये हैं जिनमें — कृषि, अवसंरचनात्मक ढांचा जैसे विद्युत एवं सड़कें, स्वास्थ्य तथा शिक्षा में सार्वजनिक निवेश को बढ़ाया जाना; शासन-व्यवस्था में सुधार करना तथा वितरण प्रणाली की कार्यकुशलता को बढ़ाना शामिल है। प्रति व्यक्ति आय में सुधार करने की नीतियों तथा उपायों का ब्यौरा ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के अप्रोच पेपर में सूचीबद्ध है जिसे संसद के पुस्तकालय में रखा गया है।

फास्ट रिएक्टर फ्यूल रिप्रोसेसिंग प्लांट

3103. श्री किसनभाई वी. पटेल: क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या फास्ट रिएक्टर फ्यूल रिप्रोसेसिंग (एफआरएफआरपी) के द्वितीय चरण को इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र में शुरू किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) एफआरएफआरपी के अंतर्गत कितना व्यय किया गया है और इसके परिणामस्वरूप क्या उपलब्धियां हासिल की गई हैं; और

(घ) इस प्लांट को कब तक शुरू किए जाने की संभावना है?

प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री पृथ्वीराज चव्हाण): (क) जी, हां।

(ख) फास्ट रिएक्टर ईंधन संसाधन संयंत्र (एफआरएफआरपी) के दूसरे चरण में फास्ट ब्रीडर टैस्ट रिएक्टर (एफबीटीआर) के ईंधन को नियमित आधार पर पुनर्संसाधित किया जाएगा और पीएफबीआर ईंधन के वास्तविक पुनर्संसाधन से पहले प्रायोगिक अनुभव प्राप्त करने के लिए 500 मेगावाट-ई के प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर (पीएफबीआर) के मिश्रित आक्साइड ईंधन के कुछेक उप-समुच्चयों को भी पुनर्संसाधित किया जाएगा।

(ग) आज तक 1155.56 लाख रुपए की राशि खर्च की गई है। इस अनुसंधान और विकास कार्य में प्रायोगिक संयंत्र संबंधी कई अध्ययन शामिल हैं जिनकी परिणति प्रोसेस फ्लो शीट और उपस्करों के पुष्ट डिजायन बनाने में हुई।

(घ) इस परियोजना को दिसंबर 2009 के अंत तक कमीशन करना निर्धारित किया गया है।

स्केलेटल फ्लूरोसिस

3104. श्री किन्जरपु येरननायडु: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट के अनुसार स्केलेटल फ्लूरोसिस द्वारा प्रभावित लोगों के भोजन और जल में फ्लूराइड के अनेक स्रोतों का पता चला है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) और (ख) फ्लोराइड की अधिक मात्रा का प्रमुख और सबसे सामान्य स्रोत जल है जिससे स्केलेटल फ्लूरोसिस और फ्लोरोसिस हो सकता है। अन्य स्रोत खाद्य उत्पाद, औद्योगिक उत्सर्जन, फ्लोराइट वाली औषधें, टूथ पेस्ट आदि होते हैं।

ओसीआई और एनआरआई के बीच समानता

3105. श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया: क्या **प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय मूल के प्रवासी नागरिकों और अनिवासी भारतीयों के बीच समानता का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो यदि विभिन्न आधिकारिक और अन्य प्रामणिक वर्गों से कोई आपत्तियां प्राप्त की गई हैं तो वे क्या हैं; और

(ग) इस मामले में क्या निर्णय लिया गया है?

प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री (श्री वायालार रवि): (क) से (ग) जी, हां। प्रवासी भारतीय नागरिकों को उपलब्ध लोगों को अधिसूचित करने का एक प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है। मामले पर भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के साथ विचार-विमर्श किया जा रहा है।

पारिस्थितिकीय दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्र

3106. श्री अनन्त नायक: क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा पारिस्थितिकीय दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान की गई है;

(ख) यदि हां, तो उन क्षेत्रों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है जिनकी पारिस्थितिकीय दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्र के रूप में पहचान की गई है;

(ग) क्या सरकार देश में पारिस्थितिकीय दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्रों में मकानों के निर्माण पर कोई प्रतिबंध लगाया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायण मीना): (क) और (ख) निम्नलिखित क्षेत्रों को पारिस्थितिकी भंगुर क्षेत्र/पारि-संवेदी जोन के रूप में अधिसूचित किया गया है:-

1.	महाबलेश्वर-पंचगनी	–	महाराष्ट्र
2.	माथेरन	–	महाराष्ट्र
3.	दहानु	–	महाराष्ट्र

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की 150वीं वर्षगांठ

3107. श्री रघुवीर सिंह कौशल: क्या **युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वर्ष 1857 में भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की 150वीं वर्षगांठ पर समारोह आयोजित करने के लिए नेहरू युवा केन्द्रों हेतु धनराशि स्वीकृत की गई थी; और

(ख) यदि हां, तो उक्त केन्द्रों द्वारा देश में विशेषकर राजस्थान में आयोजित कार्यक्रमों/प्रकाशित सामग्रियों का भाषा-वार ब्यौरा क्या है और इन पर कितनी धनराशि खर्च की गई?

पंचायती राज मंत्री, युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री तथा उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर): (क) जी, हां।

(ख) नेहरू युवा केंद्र संगठन ने राजस्थान सहित सभी राज्यों में स्कूल स्तर, ग्राम स्तर, ग्राम समूह स्तर, जिला स्तर तथा राज्य स्तर पर भी विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए हैं। कार्यक्रमों में अन्य बातों के साथ-साथ सेमिनार, वाद-विवाद, निबंध लेखन, प्रभात फेरी, साइकल रैली आदि शामिल है। इन सभी कार्यक्रमों में "1857" का विषय रहा है। राष्ट्रीय स्तर पर नेहरू युवा केंद्र संगठन ने 7-10 मई, 2007 तक मेरठ से दिल्ली तक राष्ट्रीय युवा रैली का आयोजन करके स्वतंत्रता के प्रथम युद्ध के 150वें वर्ष को मनाने के लिए हुए राष्ट्रीय समारोह के उद्घाटन समारोह में भाग लिया जो 11 मई, 2007 को दिल्ली में लाल किले पर विशाल समारोह के रूप में संपन्न हुआ और उसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, अध्यक्ष यूपीए तथा अन्य विशिष्ट व्यक्तियों ने भाग लिया।

भाषावार प्रकाशित सामग्री का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

क्र.सं.	प्रकाशित और वितरित सामग्री	भाषाएं
1.	ब्रोशर: सांझी शहादत सांझी विरासत	अंग्रेजी
2.	बुकलेट-1: जंगे-ए-आजादी 1857	अंग्रेजी
3.	बुकलेट-2: भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में आम लोगों की हिस्सेदारी	अंग्रेजी और हिन्दी
4.	जंगे-ए-आजादी 1857 के बारे में हैंडबिल	हिन्दी
5.	स्मारिका: 1857	हिन्दी
6.	पुस्तक-सांझी शहादत के कुछ फूल	हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी
7.	राष्ट्रीय युवा रैली के बारे में पोस्टर	हिंदी, अंग्रेजी, मराठी, गुजराती, उड़ीया, बंगला, आसामी, तेलगू, तमिल, मलयालम, कन्नड़, कश्मीरी, उर्दू, पंजाबी, मणिपुरी

किया गया खर्च

स्वतंत्रता के प्रथम युद्ध, 1857 की 150वीं वर्षगांठ के उद्घाटन कार्यक्रम के आयोजन में आज की तारीख तक 13.50 करोड़ रु. (अलेखा-परीक्षित) का व्यय किया गया है जिसमें राजस्थान में कार्यक्रमों हेतु 34,45,299/- रु. शामिल हैं।

[अनुवाद]

वन भूमि पर अतिक्रमण

3108. श्री इकबाल अहमद सरडगी:
श्री जी.एम. सिद्दीश्वर:

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में वन भूमि पर अतिक्रमण के मामलों में बेतहाशा वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो ऐसी वनभूमि का राज्य-वार ब्यौरा क्या है जिस पर अतिक्रमण किया गया है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति): (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम हेतु धनराशि का आबंटन

3109. श्री हंसराज गं. अहीर: क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान आबंटित धनराशि की तुलना में ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत के अन्तरिक्ष कार्यक्रम हेतु अधिक धनराशि की मांग की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अन्तरिक्ष कार्यक्रम की मांगों के अनुसार आबंटन किया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) यदि नहीं, तो क्या अपर्याप्त धनराशि के आबंटन की वजह से देश के अन्तरिक्ष कार्यक्रम पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है?

प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री पृथ्वीराज चव्हाण): (क) जी, हां।

(ख) 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान आबंटित 13250 करोड़ रुपये की तुलना में 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए 36750 करोड़ रुपये की धनराशि की मांग की गई है, जिसमें उन्नत प्रमोचक राकेट प्रणालियों के विकास, उपग्रह संचार और उपग्रह नौवहन के संवर्धन, भू-पर्यवेक्षण तथा अंतरिक्ष विज्ञान संबंधी अनुसंधान शामिल हैं।

(ग) 11वीं पंचवर्षीय योजना के लिए आबंटन को अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(ङ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

[अनुवाद]

भारतीय जन स्वास्थ्य मानक

3110. श्री के.सी. पल्लानी शामी: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय जन स्वास्थ्य मानकों में अवसंरचनात्मक, कार्मिक उपस्कर एवं प्रबंधन संबंधी मानदण्डों को परिभाषित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या स्वास्थ्य उपकेन्द्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों और जिला स्तरीय अस्पतालों के लिए मानक निर्धारित किये गए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या उनके प्रोन्नयन के लिए सुविधाओं संबंधी कोई सर्वेक्षण किया गया है; और

(च) यदि हां, तो राज्य-वार विशेषकर राजस्थान का तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) से (घ) जी, हां। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन में इष्टम स्तर की गुणवत्तायुक्त स्वास्थ्य परिचर्या प्रदान करने के लिए उप केन्द्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों, उप संभागीय/उप जिला अस्पतालों के लिए 31-50 और 51-100 की पलंग क्षमता तथा जिला अस्पतालों के लिए 101-200, 201-300 और 301-500 की पलंग क्षमता हेतु मानकों के एक सेट की सिफारिश की गई है। ये मानक संरचनात्मक, कार्मिक, उपकरण और प्रबंधन से संबद्ध मानदण्डों के संबंध में गुणवत्ता के स्तर का उल्लेख करने के लिए हैं जिसे इन संस्थाओं द्वारा पूरा करने अथवा प्राप्त करने की आशा की जाती है।

(ङ) से (च) जी, हां। इन संस्थाओं का भारतीय जन स्वास्थ्य मानकों के अनुरूप उन्नयन के लिए आवश्यक निधियों का सही अनुमान लगाने के लिए प्रत्येक संस्था का एक सुविधा सर्वेक्षण किए जाने की आवश्यकता है। सभी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सभी संस्थाओं का सुविधा सर्वेक्षण करने की प्रक्रिया में हैं। अब तक 16 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से 674 संस्थाओं की सुविधा सर्वेक्षण

रिपोर्टें प्राप्त हुई हैं। राज्यवार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं। जहां तक राजस्थान सरकार का संबंध है, अभी तक सुविधा सर्वेक्षण रिपोर्टें प्राप्त नहीं हुई हैं।

विवरण

भारतीय जनस्वास्थ्य मानक (आईपीएचएस) सुविधा सर्वेक्षण की स्थिति

क्र.सं.	राज्य	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों की संख्या जिनके लिए आईपीएचएस सुविधा सर्वेक्षण रिपोर्टें प्राप्त हुई
1.	पश्चिम बंगाल	21
2.	त्रिपुरा	9
3.	पांडिचेरी	4
4.	मिजोरम	9
5.	दादरा और नगर हवेली	1
6.	गोवा	5
7.	छत्तीसगढ़	126*
8.	पंजाब	1
9.	उत्तरांचल	30
10.	हरियाणा	17
11.	मणिपुर	16
12.	असम	102*
13.	केरल	116*
14.	महाराष्ट्र	105
15.	उड़ीसा	110
16.	चण्डीगढ़	2**
	महायोग	674

*ब्लाक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को शामिल किया गया।
**एक उप जिला अस्पताल शामिल है।

अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के शिपयार्ड की स्थापना

3111. श्री एस.के. खारवेनथन: क्या **पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को भारतीय तट पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर के शिपयार्ड की स्थापना के लिए घरेलू और विदेशी दोनों प्रकार की अनेक कंपनियों से रुचि की अभिव्यक्ति (ईओआई) प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री (श्री टी.आर. बालू): (क) और (ख) दो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के शिपयार्ड, पूर्वी तट और पश्चिमी तट प्रत्येक पर एक, स्थापित करने के उद्देश्य से भारत सरकार ने इन शिपयार्डों की स्थापना के लिए वैश्विक प्रतिस्पर्धा में भाग लेने हेतु अनुभवी और इच्छुक शिपयार्डों/फर्मों से रुचि की अभिव्यक्ति आमंत्रित करने के लिए इन्नौर पत्तन लिमिटेड और मुम्बई पत्तन न्यास को नोडल अभिकरणों के रूप में नामित किया है।

तद्नुसार, इन्नौर पत्तन लिमिटेड ने इस संबंध में रुचि की अभिव्यक्ति आमंत्रित की और निम्नलिखित 09 फर्मों ने अपनी रुचि की अभिव्यक्ति प्रस्तुत की है:-

1. आईएमसी लिमिटेड, चेन्नई
2. एस्सार कंस्ट्रक्शन लिमिटेड
3. लार्सन एण्ड ट्यूबरो लिमिटेड, मुम्बई
4. मैकनल्टी आफशोर कंस्ट्रक्शन लिमिटेड, यू.के.
5. गुडअर्थ मेरीटाइम लिमिटेड, चेन्नई
6. एबीजी शिपयार्ड लिमिटेड, मुम्बई
7. एपीजे शिपिंग लिमिटेड, कोलकाता
8. एसटी एक्स शिपबिल्डिंग कंपनी लिमिटेड, सियोल, कोरिया
9. शपूरजी पलोन्जी एण्ड कंपनी लिमिटेड, मुम्बई

मुम्बई पत्तन न्यास ने भी भारत के पश्चिमी तट पर एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर के शिपयार्ड की स्थापना के लिए इच्छुक पार्टियों

से रुचि की अभिव्यक्ति आमंत्रित की है। निम्नलिखित तीन फर्मों ने अपनी रुचि की अभिव्यक्ति प्रस्तुत की है:-

1. एटीएक्स कारपोरेशन, मुम्बई (एक प्रसिद्ध कोरियन शिपयार्ड)
2. भारती शिपयार्ड लिमिटेड, मुम्बई
3. लार्सन एण्ड ट्यूबरो लिमिटेड, मुम्बई

इच्छुक पार्टियों द्वारा प्रस्तुत किए गए रुचि की अभिव्यक्ति के मूल्यांकन के लिए कार्रवाई आरंभ कर दी गई है।

केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं संबंधी कृतिक बल

3112. श्री बृज किशोर त्रिपाठी: क्या **पंचायती राज मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने सभी प्रकार की केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं को पंचायती राज संस्थाओं के अंतर्गत लाने के लिए किसी कृतिक बल का गठन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त कृतिक बल ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है;

(घ) यदि हां, तो कृतिक बल की सिफारिशों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है?

पंचायती राज मंत्री, युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री तथा उत्तर-पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर): (क) से (ङ) संविधान के भाग-IX के अनुच्छेद 243 जेड डी के साथ पठित तथा ग्यारहवीं अनुसूची में अभिव्यक्त भावना के अनुरूप "स्थानीय स्वायत्त शासन की संस्थाओं" के रूप में कार्य कर रही पंचायती राज संस्थाओं द्वारा संविधान की ग्यारहवीं अनुसूची में सूचीबद्ध 29 विषयों से संबंधित इन केन्द्र प्रायोजित स्कीमों (सी.एस.एस.) का नियोजन और कार्यान्वयन किया जाना है। जहां कुछ केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के मार्गदर्शी सिद्धांत पंचायती राज संस्थाओं की केन्द्रीयता घोषित करते हैं, वहीं कुछ अन्य केन्द्र प्रायोजित योजनाएं हैं जिसमें पीआरआई को केन्द्रीय भूमिका दी जानी है। सभी केन्द्र प्रायोजित योजनाओं में पीआरआई की भूमिका को स्पष्ट और सुनिश्चित करने के उद्देश्य से मंत्रिमंडल सचिवालय के तत्वावधान में सचिव पंचायती राज एवं सचिव (समन्वय एवं लोक शिकायत) मंत्रिमंडल सचिवालय की सह-अध्यक्षता में संबंधित केन्द्रीय मंत्रिलयों से समीक्षा समिति द्वारा परामर्श किया जा रहा है।

[हिन्दी]

पंचायतों को सीधे ही धनराशि का आबंटन

3113. श्री हरिसिंह चावड़ा: क्या **पंचायती राज मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने धनराशि को सीधे ग्राम पंचायतों को आबंटित करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या किसी राज्य ने केन्द्र सरकार के इस निर्णय के प्रति असंतोष दर्शाया है;

(ङ) यदि हां, तो उन राज्यों के नाम क्या हैं और इसके क्या कारण हैं; और

(च) इस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

पंचायती राज मंत्री, युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री तथा उत्तर-पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर): (क) से (ग) जी, नहीं। केन्द्र सरकार द्वारा धनराशि को सीधे ग्राम पंचायतों को आबंटित करने का कोई निर्णय नहीं लिया गया है। तथापि, सरकार का अपने राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम में निर्धारित उद्देश्यों में से एक उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि पंचायतों को निर्गत की जाने वाली राशि न तो विलंबित हो और न ही इसका उपयोग अन्य कार्यों में किया जाय। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पंचायती राज मंत्रालय की एक समिति ने इस मामले पर गहराई से विचार किया और मई, 2005 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। इस समिति की सिफारिशों के अनुसार, पंचायती राज मंत्रालय इस स्थिति का समर्थन करता है कि पंचायतों के लिए निर्धारित वित्तीय अन्तर्प्रवाह पहले राज्य सरकारों के संचित निधि में जाना चाहिए और तत्पश्चात् उसे बिना विलंब या विपथन के सीधे पंचायतों को अंतरित कर दिया जाना चाहिए। पिछड़ा क्षेत्र अनुदान कोष कार्यक्रम के अंतर्गत एवं बारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर निधियों को जारी किया जाना, निधि प्रवाह के इस पैटर्न के अनुरूप है।

(घ) से (च) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

मृदु पेयों से बच्चों में मोटापा

3114. **श्री रवि प्रकाश वर्मा:**
श्रीमती मनोरमा माधवराज:
श्री मोहन रावले:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कार्बोनेटेड पेयों में स्वास्थ्य के लिए हानिकारक तत्व होते हैं जिससे बच्चों में मोटापा हो जाता है जैसाकि दिनांक 7 अगस्त, 2007 के ''टाइम्स आफ इंडिया'' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार कार्बोनेटेड पेयों के विज्ञापनों पर प्रतिबंध लगाने का है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा की गई कार्यवाही/उठाए गए कदम सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) और (ख) कार्बोनेटेड पेय केवल केलोरी प्रदान करते हैं और उनमें महत्वपूर्ण पोषक तत्वों की कमी होती है जिसके परिणामस्वरूप वे शरीर की वजन बढ़ाते हैं जिसकी वजह से मोटापा और अन्य खुराक संबंधी चिरकारी गैर-संचारी विकार होते हैं।

(ग) और (घ) कार्बोनेटेड पेयों के विज्ञापन को प्रतिबंधित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, स्कूली बच्चों और वयस्क जनसंख्या के बीच कार्बोनेटेड पेयों सहित जंक फूड के बढ़ते उपभोग को देखते हुए केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के स्वास्थ्य मंत्रियों को स्कूल और कालेज कैंटीनों में से जंक फूड और कार्बोनेटेड पेयों को हटाने के लिए अनुदेश जारी करने पर विचार करने हेतु पत्र लिखे हैं। सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य मंत्रियों को भी पत्र जारी किए गए हैं जिसमें संबंधित राज्यों में शैक्षणिक संस्थानों की कैंटीनों से जंक फूड और कार्बोनेटेड फूड को हटाने के लिए चिकित्सा और कृषि विश्वविद्यालयों सहित सभी विश्वविद्यालयों को अनुदेश जारी करने पर विचार करने के लिए कहा गया है।

भारत से दक्ष व्यावसायिकों का पलायन

3115. **श्री नवीन जिन्दल:**
श्री एस. अजय कुमार:

क्या **प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार यूरोपीय देशों के साथ अगले कुछ वर्षों में भारत से दक्ष व्यावसायिकों के पलायन को सुगम बनाने पर बातचीत कर रही है;

(ख) यदि हां, तो इन देशों के नाम सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारत ने इस संबंध में इंटरनेशनल आर्गनाइजेशन फार माइग्रेशन के साथ किसी समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किये हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि बातचीत कब तक पूरी होने की संभावना है?

प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री (श्री वायालार रवि): (क), (ख) और (ङ) जी, हां। विनिर्माण, कृषि और सड़क निर्माण क्षेत्रों में पोलैण्ड में भारतीय उत्प्रवासियों के पलायन को सरल बनाने के लिए पोलैण्ड के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के लिए सरकार बातचीत कर रही है। शीघ्र वार्ताओं के लिए पोलैण्ड सरकार को समझौता ज्ञापन का एक प्रारूप भेजा गया है। चर्चा का पहला दौर जून 2007 में नई दिल्ली में हुआ था जब पोलैण्ड के श्रम मंत्री भारत आए थे।

(ग) और (घ) जी, हां। ''एशिया और यूरोपीय संघ के बीच क्षेत्रीय विचार-विमर्श तथा प्रबंधित और कानूनी उत्प्रवास को कारगर बनाने संबंधी कार्यक्रम'' को लागू करने के लिए भारत और इंटरनेशनल आर्गनाइजेशन फार माइग्रेशन के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए हैं। समझौता ज्ञापन का उद्देश्य भारत और यूरोपीय संघ के सदस्य राज्यों के बीच प्रबंधित उत्प्रवास को प्रशासित करने के लिए क्षमता का सृजन करना है।

[हिन्दी]

चुंगी केंद्र

3116. **श्री सुभाष महरिया:**
श्रीमती किरण माहेश्वरी:

क्या **पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या चुंगी केंद्रों की स्थापना के लिए विशिष्ट मार्गदर्शी सिद्धांत हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन चुंगी केंद्रों की स्थापना के लिए क्या मानदंड हैं;

(ग) क्या कुछ ऐसे स्थानों पर चुंगी केंद्रों की स्थापना की गई है जहां राष्ट्रीय राजमार्ग का कार्य अधूरा है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) राष्ट्रीय राजमार्ग-8 पर कुल कितना पथकर वसूला गया है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) और (ख) राष्ट्रीय राजमार्ग (राष्ट्रीय राजमार्ग खंड और स्थायी पुलों के प्रयोग के लिए फीस-लोक वित्तपोषित परियोजनाएं) नियमावली, 1997 के अनुसार, पथकर का संग्रहण प्रथम राष्ट्रीय राजमार्ग खंड के प्रारंभिक स्थल से अथवा उसी निष्पादन एजेंसी के अधिकार-क्षेत्र में पार किए जाने वाले प्रथम स्थायी पुल के प्रवेश स्थल से 80 किमी. की दूरी में केवल एक स्थान पर ही किया जाएगा, चाहे मुक्त और निर्बाध यातायात आवागमन के लिए उस लंबाई में परियोजनाओं की संख्या कितनी भी हो। जहां यह संभव नहीं है, वहां संग्रहण केंद्रों की संख्या न्यूनतम रखी जाएगी और इसका निर्धारण केंद्र सरकार से अनुमोदन से किया जाएगा।

(ग) और (घ) जी, नहीं। प्रयोक्ता शुल्क राष्ट्रीय राजमार्गों के पूरे हो चुके खंडों पर ही संग्रहीत किया जाता है।

(ङ) वर्ष 2006-07 के दौरान राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 8 पर भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा संग्रहीत कुल प्रयोक्ता शुल्क की राशि 373.94 करोड़ रु. है।

[अनुवाद]

एचआईवी रोगियों हेतु जेनेरिक दवाइयां

3117. श्री किन्जरपु येरननायडु: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने पिछले तीन वर्षों में सस्ती दरों पर एचआईवी औषधियों की आपूर्ति के लिए कदम उठाए हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने उच्च गुणवत्ता वाली जेनेरिक दवाइयों को और अधिक सस्ती दरों पर उपलब्ध करवाने के प्रयास किये हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) से (ग) जी, हां।

एचआईवी/एड्स के उपचार के लिए आवश्यक एंटीरिट्रोवाइरल औषधें भारत में विनिर्मित उच्च गुणवत्ता वाली जेनेरिक दवाएं होती हैं और इनका प्रापण अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगी बोली के जरिए किया जा रहा है और कार्यक्रम के तहत इनकी आपूर्ति की जाती है।

[हिन्दी]

पारादीप पत्तन का तल कर्षण

3118. श्री सुग्रीव सिंह: क्या **पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वर्ष 2004-05 और 2006-07 के दौरान पारादीप पत्तन में कार्गो स्पीलेज को हटाने के लिए तल कर्षण किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या पत्तन उपयोगकर्त्ताओं और स्टीवडोर द्वारा लेबर वाटर में सामान फेंकने के मामले सरकार के ध्यान में आए हैं;

(घ) यदि हां, तो पत्तन-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) गत तीन वर्षों के दौरान ऐसे पत्तन उपयोगकर्त्ताओं के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री (श्री टी.आर. बालू): (क) और (ख) पारादीप पत्तन ने कार्गो के छितराव को हटाने और घाट पर अपेक्षित डुबाव को बनाए रखने के प्रयोजन से घाट के मुहाने की ड्रेजिंग करवाई है। वर्ष 2005-06 और 2006-07 के दौरान गाद/छितरे हुए कार्गो की निम्नानुसार मात्रा का निकर्षण करके उसे निकाला गया:

वर्ष	निकर्षित मात्रा	किया गया व्यय
2005-06	12,578 एमटी	31,44,500/- रु.
2006-07	11,551 एमटी	28,87,750/ रु.
	जोड़:	60,32,250/- रु.

(ग) और (घ) यद्यपि पत्तनों प्रयोक्ताओं और स्टीवडोर्स प्रचालकों द्वारा समुद्र में कार्गो के छितराने के संबंध में सरकार को कोई विनिर्दिष्ट रिपोर्ट नहीं प्राप्त हुई है, फिर भी यह देखा गया है कि शुष्क बल्क कार्गो के लदान/अलदान के दौरान पत्तन और स्टीवडोर्स प्रचालकों द्वारा बचाव के उपाय किए जाने के बावजूद कार्गो की कुछ मात्रा प्रचालन के दौरान बंदरगाह के पानी में अपरिहार्य रूप से गिर जाती है। इस प्रकार के छितराव का पत्तन-वार ब्यौरा एकत्रित किया जा रहा है।

(ङ) पारादीप पत्तन न्यास द्वारा जनवरी, 2006 से स्टीवडोर्स प्रचालकों से 0.30 पैसे प्रति टन की एक नाममात्र राशि ली जा रही है ताकि समय-समय पर घाट के मुहाने की ड्रेजिंग करवाने पर आने वाले खर्च को पूरा किया जा सके। तथापि, पत्तन प्रयोक्ताओं के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की गई है क्योंकि सामान्यत: कोई भी पत्तन प्रयोक्ता कार्गो को बंदरगाह में गिरना नहीं चाहेगा।

[अनुवाद]

आसियान क्षेत्रीय फोरम

3119. श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया: क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत ने हाल ही में मनिला में हुई आसियान क्षेत्रीय फोरम (एआरएफ) की बैठक में किसी समुद्री सुरक्षा पैकेज की घोषणा की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर फोरम द्वारा क्या निर्णय लिया गया है?

विदेश मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी): (क) से (ग) जी, हां। 2 अगस्त, 2007 को मनीला में 14वें आसियान क्षेत्रीय मंच (एआरएफ) की बैठक में भारत ने क्षमता निर्माण आसियान क्षेत्रीय मंच के सदस्य रायों को सहायता की पेशकश की है, ताकि इस क्षेत्र से होकर गुजरने वाले समुद्री मार्गों की संरक्षा और सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। भारत जलदस्युता-रोधी, खोज एवं बचाव, अपतट एवं बंदरगाह की सुरक्षा, तस्करी-रोधी और स्वापक नियंत्रण एवं अतिक्रमण रोधी प्रचालनों के विषयों पर आसियान क्षेत्रीय मंच के सदस्य राज्यों के लिए विशेष रूप से समुद्री सुरक्षा के संबंध में प्रशिक्षण माड्यूल का अभिकल्पन एवं आयोजन करेगा।

[हिन्दी]

कोयला खानों में सुरक्षा मानदंडों का उल्लंघन

3120. श्री हंसराज गं. अहीर: क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कोल इंडिया लि. (सीआईएल) ने वेस्टर्न कोलफील्ड्स में विस्फोट के दौरान सुरक्षा मानदंडों का उल्लंघन किया था जैसा कि दिनांक 31 जुलाई, 2007 के "लोकमत समाचार" में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या विस्फोटों के दौरान सुरक्षा मानदण्डों के उल्लंघन के संबंध में कोई जांच की गई है जिससे आवासीय क्षेत्रों में असुरक्षा की भावना उत्पन्न होती है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. दासरि नारायण राव): (क) जी, हां। कोल इंडिया लि. (सीआईएल) ने वेस्टर्न कोलफील्ड्स लि. में विस्फोट के दौरान सुरक्षा मानदंडों का उल्लंघन नहीं किया है जैसा कि 31.7.2007 में "लोकमत समाचार" में समाचार प्रकाशित हुआ है।

(ख) उपर्युक्त भाग (क) के दिए गए उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ग) से (ङ) तथापि, डब्ल्यूसीएल के सुरक्षा विभाग समाचार पत्र में प्रकाशित रिपोर्ट में यथा उल्लिखित आरोपों की जांच की गई है और जांच से यह पता चला है कि 31.7.2007 को प्रकाशित "दैनिक लोकमत समाचार" में प्रकाशित रिपोर्ट गलत है।

[अनुवाद]

आईसीएमआर केंद्र

3121. श्री के.सी. पल्लानी शामी: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) के कितने केंद्र स्थित हैं;

(ख) क्या आईसीएमआर का विचार देश के विभिन्न हिस्सों में विशेषकर तमिलनाडु में और अधिक ऐसे केन्द्र खोलने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इनके मुख्य कार्य क्या हैं एवं इनकी स्थापना के लिए किन-किन स्थानों की पहचान की गई है; और

(घ) उक्त नये केंद्र कब तक खोले जाने की संभावना है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के देश के विभिन्न भागों में स्थित 26 केंद्र हैं, इनमें से 20 केंद्र विशिष्ट स्वास्थ्य विषयों (जैसे कि क्षयरोग, कुष्ठ, हैजा तथा आंत्रीय रोग, एड्स, मलेरिया, वेक्टर नियंत्रण, प्रजनन, अर्बुद विज्ञान, प्रतिरक्षा रूधिर विज्ञान, चिकित्सीय सांख्यिकी इत्यादि) पर संकेन्द्रित हैं और 4 क्षेत्रीय संस्थान हैं।

(ख) से (घ) भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के अनुसार, परिषद का केरल में अलप्पजा तथा उत्तर प्रदेश में गोरखपुर में राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान के क्षेत्र एककों की स्थापना करने का प्रस्ताव है। किंग्स इंस्टीट्यूट आफ प्रिवेंटिव मेडिसिन, चेन्नई में भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान परिषद के उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना करने का भी प्रस्ताव है।

कोयला क्षेत्र सुधारों पर शंकर रिपोर्ट

3122. श्री इकबाल अहमद सरडगी: क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कोयला क्षेत्र सुधारों पर श्री टी.एल. शंकर की अध्यक्षता वाली विशेषज्ञ समिति ने सरकार को रिपोर्ट का दूसरा भाग सौंप दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसमें क्या सिफारिशों की गई हैं;

(ग) क्या सरकार ने समिति की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है; और

(घ) यदि हां, तो इनको क्रियान्वित करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए अथवा उठाए जाने वाले कदम क्या हैं?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. दासरि नारायण राव): (क) कोयला क्षेत्र में सुधारों पर शंकर समिति की प्रारूप रिपोर्ट (भाग-II) को अंतिम रूप देने के लिए इस पर नई दिल्ली में 21.8.2007 को आयोजित समिति की बैठक में चर्चा की गई। अंतिम रिपोर्ट शीघ्र उपलब्ध हो जाने की संभावना है।

(ख) से (घ) उपर्युक्त भाग (क) के दिए गए उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठते।

सीआरएफ से धनराशि का आबंटन

3123. श्री बृज किशोर त्रिपाठी:
डा. के.एस. मनोज:

क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान राज्य-वार विभिन्न शीर्षों के अंतर्गत केंद्रीय सड़क निधि (सीआरएफ) से आबंटित राशि का ब्यौरा क्या है;

(ख) वर्ष 2006-07 और 2007-08 के दौरान राज्य-वार अनुमोदित/निष्पादित विकास कार्यों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार विभिन्न राज्यों को केंद्रीय सड़क निधि के आबंटन से संबंधित मानदंडों को संशोधित करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) संशोधित मानदण्डों को कब तक लागू किया जाएगा?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) वर्ष 2004-05, 2005-06 और 2006-07 के दौरान राज्यीय सड़कों के लिए और आर्थिक महत्व और अंतर्राज्यीय संपर्क स्कीमों के लिए केंद्रीय सड़क निधि के अधीन आबंटित धनराशि के राज्यवार ब्यौरे संलग्न विवरण-I में दिए गए हैं।

(ख) वर्ष 2004-05, 2005-06 और 2006-07 के दौरान केंद्रीय सड़क निधि से अनुमोदित राज्यीय सड़कों पर विकास कार्यों और आर्थिक महत्व तथा अंतर्राज्यीय संपर्क स्कीमों के राज्य-वार ब्योरे संलग्न विवरण-II में दिए गए हैं।

(ग) जी, नहीं।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण I

वर्ष 2004-05, 2005-06 और 2006-07 के दौरान केंद्रीय सड़क निधि और आर्थिक महत्व और अंतर-राज्यीय संपर्क स्कीम के अंतर्गत आबंटित धनराशि के राज्यवार ब्यौरे

(करोड़ रु.)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	2004-05		2005-06		2006-07	
		सीआरएफ आबंटन	आर्थिक महत्व और अंतर राज्यीय संपर्क स्कीम के अंतर्गत आबंटन	सीआरएफ आबंटन	आर्थिक महत्व और अंतर राज्यीय संपर्क स्कीम के अंतर्गत आबंटन	सीआरएफ आबंटन	आर्थिक महत्व और अंतर राज्यीय संपर्क स्कीम के अंतर्गत आबंटन
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	74.70	7.01	131.71	14.91	131.07	5.83
2.	अरुणाचल प्रदेश	9.25	8.91	16.22	5.21	16.26	3.87
3.	असम	13.57	16.63	24.72	10.73	24.61	12.24
4.	बिहार	21.91	2.00	39.57	6.71	38.65	3.22
5.	छत्तीसगढ़	20.28	2.96	37.13	2.96	38.63	0.50
6.	गोवा	4.02	0.00	7.54	0.00	7.95	0.00
7.	गुजरात	55.21	14.50	97.72	22.00	96.60	12.15
8.	हरियाणा	32.09	7.00	53.51	8.64	56.57	2.82
9.	हिमाचल प्रदेश	9.75	0.00	17.23	2.00	17.24	2.09
10.	जम्मू-कश्मीर	27.43	0.00	48.60	1.30	49.04	0.99
11.	झारखंड	17.44	0.00	32.09	0.00	34.03	0.50
12.	कर्नाटक	52.76	8.50	95.13	11.86	94.70	27.00
13.	केरल	25.20	0.00	46.21	0.00	45.92	0.25
14.	मध्य प्रदेश	52.01	4.48	93.29	6.55	93.69	8.83
15.	महाराष्ट्र	91.60	2.76	158.71	9.52	156.61	5.57
16.	मणिपुर	3.06	0.10	5.07	0.55	5.09	1.54
17.	मेघालय	3.96	0.30	7.57	0.51	7.73	2.46
18.	मिजोरम	2.55	1.00	4.59	6.09	4.59	0.34
19.	नागालैंड	2.13	2.95	3.82	3.97	3.98	3.68

1	2	3	4	5	6	7	8
20.	उड़ीसा	27.27	4.10	48.87	8.70	50.63	17.03
21.	पंजाब	37.36	0.00	63.05	5.20	63.82	5.03
22.	राजस्थान	67.87	0.50	121.16	7.28	119.80	7.31
23.	सिक्किम	1.06	3.42	1.99	8.27	2.01	4.68
24.	तमिलनाडु	57.98	0.00	103.50	0.00	104.74	0.25
25.	त्रिपुरा	1.74	1.86	3.16	0.84	3.15	1.47
26.	उत्तराखंड	10.13	6.17	18.25	8.93	18.46	6.87
27.	उत्तर प्रदेश	80.61	6.70	142.00	8.50	142.17	12.85
28.	पश्चिम बंगाल	32.59	0.00	56.14	0.82	54.21	7.60
29.	अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	1.69	0.00	2.90	0.00	1.86	0.00
30.	चंडीगढ़	2.04	0.00	3.47	0.00	2.24	0.00
31.	दादर व नगर हवेली	0.99	0.00	1.69	0.50	1.08	0.50
32.	दमन व दीव	0.70	0.00	1.22	0.00	0.77	2.40
33.	दिल्ली	24.98	0.00	43.84	0.00	43.84	0.00
34.	लक्षद्वीप	0.05	0.00	0.09	0.00	0.12	0.00
35.	पांडिचेरी	2.02	0.00	3.60	0.00	3.60	0.00

विवरण II

केन्द्रीय सड़क निधि और वर्ष 2006-07 और 2007-08 के दौरान आर्थिक महत्व और अंतर-राज्यीय संपर्क स्कीमों के अंतर्गत अनुमोदित प्रस्तावों के राज्यवार ब्योरे (आज की स्थिति के अनुसार)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	2006-2007		2007-2008 (आज की स्थिति के अनुसार)	
		अनुमोदित प्रस्तावों की संख्या	धनराशि (करोड़ रु.)	अनुमोदित प्रस्तावों की संख्या	धनराशि (करोड़ रु.)
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	24	63.87	0	0.00
2.	अरुणाचल प्रदेश	11	42.30	0	0.00
3.	असम	7	23.37	2	9.08
4.	बिहार	5	18.46	0	0.00

1	2	3	4	5	6
5.	छत्तीसगढ़	10	24.54	0	0.00
6.	गोवा	3	10.59	0	0.00
7.	गुजरात	27	55.69	0	0.00
8.	हरियाणा	2	29.74	7	86.70
9.	हिमाचल प्रदेश	2	4.25	0	0.00
10.	जम्मू-कश्मीर	2	52.35	0	0.00
11.	झारखंड	8	88.97	0	0.00
12.	कर्नाटक	251	253.42	4	20.86
13.	केरल	5	42.76	3	31.23
14.	मध्य प्रदेश	27	103.02	11	70.31
15.	महाराष्ट्र	65	199.74	16	64.61
16.	मणिपुर	2	7.02	0	0.00
17.	मेघालय	0	0.00	0	0.00
18.	मिजोरम	5	29.57	1	0.00
19.	नागालैंड	0	0.00	0	0.00
20.	उड़ीसा	14	73.98	9	40.93
21.	पंजाब	6	46.89	0	0.00
22.	राजस्थान	90	176.53	0	0.00
23.	सिक्किम	8	48.96	3	16.45
24.	तमिलनाडु	28	77.70	14	31.55
25.	त्रिपुरा	0	0.00	1	14.62
26.	उत्तराखंड	0	0.00	0	0.00
27.	उत्तर प्रदेश	17	183.17	1	9.55
28.	पश्चिम बंगाल	2	47.16	0	0.00
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0	0.00	0	0.00
30.	चंडीगढ़	0	0.00	0	0.00
31.	दादर व नगर हवेली	0	0.00	0	0.00
32.	दिल्ली	26	43.67	0	0.00
33.	पांडिचेरी	0	0.00	0	0.00

भारत और पाकिस्तान के बीच वार्ता

3124. श्री किन्जरपु येरननायडु: क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पिछले छह माह के दौरान कश्मीर सहित द्विपक्षीय संबंधी के विभिन्न मुद्दों पर भारत और पाकिस्तान के बीच कोई वार्ता की गई;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या परिणाम निकले;

(ग) क्या दोनों देशों के बीच संधियों और समझौतों पर हस्ताक्षर किये गए;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या हाल ही में विश्वास बहाल किए जाने वाले उपायों से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की गई;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या परिणाम निकले;

(छ) क्या हाल ही में कुछ अन्य देशों द्वारा भारत और पाकिस्तान के बीच वार्ता प्रक्रिया में मध्यस्थता की कोई विशेष पेशकश की गई है; और

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी): (क) और (ख) समग्र वार्ता के चौथे दौर का सूत्रपात करने और तीसरे दौर की समीक्षा हेतु विदेश सचिवों ने 13-14 मार्च, 2007 के बीच इस्लामाबाद में मुलाकात की। पिछले छह महीनों के दौरान समग्र वार्ता के स्वरूप के भीतर अन्य वार्ताओं में निम्नलिखित शामिल है:- (1) 6-7 अप्रैल, 2007 के बीच रावलपिंडी में रक्षा सचिव स्तर की वार्ता, (2) 17-18 मई, 2007 के बीच रावलपिंडी में सर क्रीक वार्ता, (3) 28-29 जून, 2007 के बीच इस्लामाबाद में सचिव (संस्कृति) स्तर की वार्ता, (4) 3-4 जुलाई, 2007 के बीच नई दिल्ली में गृह सचिव स्तर की वार्ता, (5) 31 जुलाई से 2 अगस्त, 2007 के बीच नई दिल्ली में वाणिज्य सचिव स्तर की वार्ता, (6) 30-31 अगस्त, 2007 के बीच तुलबुल नौवहन परियोजना पर सचिव, जल संसाधन स्तर की वार्ता। विदेश सचिवों ने विश्वासोत्दपाक उपायों तथा जम्मू-कश्मीर सहित शांति और सुरक्षा पर चर्चा की। विश्वासोत्पादक उपायों पर दोनों पक्ष निम्नलिखित के लिए सहमत थे:

(1) समुद्र में होने वाली घटनाओं की रोकथाम पर करार सम्पन्न करने हेतु बातचीत में शीघ्रता लाने, (2) आई.बी., नियंत्रण रेखा और ए.जी.पी.एल. पर पूर्ण युद्ध विराम कायम करने; (3) स्वीकृत क्षेत्रों में तिमाही फ्लैग बैठकों के आयोजन हेतु पद्धतियों संबंधी करार पर हस्ताक्षर करने और उक्त बैठकों को संपन्न करने; (4) भूलवश सीमा-पार करने वालों की शीघ्र वापसी के स्वरूप करार पर हस्ताक्षर करने व उसे संपन्न करने; (5) सीमा के साथ-साथ नई चौकियों और रक्षा कार्यों को अंजान नहीं देने पर करार संपन्न करने के लिए और अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर नए सीमा नियंत्रण दिशा-निर्देशों के लिए प्रारूप का प्रस्ताव करने के लिए जम्मू-कश्मीर के मुद्दे पर दोनों पक्ष निम्नानुसार सहमत थे: (1) पहले से स्वीकृत जम्मू-कश्मीर से संबंधित विश्वासोत्पादक उपायों के क्रियान्वयन को सुनिश्चित करना; (2) ट्रक सेवा का प्रचालन सुनिश्चित करना, (3) सीमा पार करने के पांच स्थानों के प्रचालन/पुनर्गठन को सुनिश्चित करना। जनता का जनता से संपर्क करने के लिए दोनों पक्ष निम्नलिखित पर सहमत थे: (1) द्विपक्षीय वीजा करार, (2) कौंसली सुविधा उपलब्ध कराने से संबद्ध करार, (3) धार्मिक स्थलों की यात्राओं पर प्रोतोकोल की समीक्षा, और (4) यह कि दोनों पक्षों के बंदियों के प्रति मानवीय व्यवहार और उनकी शीघ्र रिहाई सुनिश्चित करने के लिए दोनों पक्षों के चार जजों से बंदियों पर न्यायिक समिति गठित की जाएगी। नाभिकीय विश्वासोत्पादक उपायों पर दोनों पक्षों ने सुरक्षा सिद्धांतों पर चर्चाएं आयोजित करने का निर्णय लिया।

(ग) और (घ) नाभिकीय शस्त्रों से संबंधित दुर्घटनाओं से जोखिम कम करने संबंधी करार पर 21 फरवरी, 2007 को नई दिल्ली में हस्ताक्षर हुए।

(ङ) और (च) जी, हां। ब्यौरे उपर्युक्त पैरा (ख) में दिए गए अनुसार हैं।

(छ) भारत और पाकिस्तान के बीच पारस्परिक हित के सभी मुद्दों पर द्विपक्षीय तौर पर चर्चा जारी है।

(ज) प्रश्न नहीं उठता।

ई-वेस्ट का सर्वेक्षण

3125. श्री अमिताभ नन्दी: क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में विभिन्न स्रोतों से सृजित 'ई-वेस्ट' के संबंध में सर्वेक्षण कराया है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान राज्य-वार देश में सृजित 'ई-वेस्ट' का कुल अनुमान क्या है;

(ग) क्या 'ई-वेस्ट' में मुख्य योगदान देने वाले कारकों का पता लगा लिया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) देश में 'ई-वेस्ट' की समस्या को नियंत्रित करने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना): (क) से (घ) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मार्गदर्शन में किए गए सर्वेक्षण के आधार पर यह आकलन किया गया है कि इलेक्ट्रिकल और इलैक्ट्रानिक उपकरणों से इस तरह का लगभग 1,46,000 टन अपशिष्ट प्रतिवर्ष उत्पन्न होता है। अधिकांश ई-अपशिष्ट बड़े शहरों, जैसे दिल्ली, मुम्बई व अन्य शहरों में उत्पन्न होता है।

(ङ) भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने वर्ष 2000 और 2003 में यथा संशोधित परिसंकटमय अपशिष्ट (प्रबंधन और हथालन) नियम, 1989 अधिसूचित किए हैं, जिसमें ई-अपशिष्ट को शामिल किया गया है। इलैक्ट्रानिक उद्योग में प्रचालन के समय उत्पन्न होने वाले अवशेषों और अपशिष्टों को परिसंकटमय अपशिष्ट माना जाता है और इन्हें इन नियमों की अनुसूची की क्रम सं. 31 में सूचीबद्ध किया गया है। इसके अलावा, ई-अपशिष्ट का निर्यात और आयात इन नियमों की अनुसूची 3 के अंतर्गत इलैक्ट्रिकल और इलैक्ट्रानिक्स असैंबलीज के रूप में विनियमित किया जाता है और इन्हें श्रेणी ए-1180 और बी 1110 में शामिल किया गया है। इस तरह के अपशिष्टों के आयात की मंजूरी केवल सीधे पुन: प्रयोग के लिए दी जाती है, न कि पुन: चक्रण अथवा अंतिम रूप से निपटान के लिए।

केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों और केन्द्र शासित प्रदेशों की प्रदूषण नियंत्रण समितियों तथा उद्योगों के लिए ई-अपशिष्ट हथालन के संबंध में "ड्राफ्ट गाइड लाईंस फार एनवायरनमेंटली साउंड मैनेजमैंट आफ ई-वेस्ट" तैयार किए हैं। ये ड्राफ्ट गाइड लाइन्स सीपीसीबी की वेबसाइट www.cpcb.nic.in टिप्पणियों और सुझावों के लिए उपलब्ध हैं। इन दिशानिर्देशों को अंतिम रूप देने के लिए पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा एक टास्क फोर्स का गठन किया गया है।

[हिन्दी]

पारेषण लाइन के लिए आवंटित धनराशि

3126. श्री दानवे रावसाहेब पाटील: क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान पारेषण लाइन के लिए भारी धनराशि आवंटित की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इससे कितनी सफलता प्राप्त हुई है;

(ग) इस संबंध में ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान आवंटित की जाने वाली धनराशि और निर्धारित किए गए लक्ष्य का ब्यौरा क्या है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. राजशेखरन): (क) और (ख) दसवीं योजना अवधि के दौरान विद्युत क्षेत्र में ट्रांसमिशन लाइन के लिए आवंटित धनराशि 57,135 करोड़ रुपये (केंद्रीय क्षेत्र में 21,520 करोड़ रुपये और राज्य क्षेत्र में 35,615 करोड़ रुपये) थी। केंद्रीय क्षेत्र के आबंटन में केवल 1150 करोड़ रुपये की बजटीय सहायता शामिल थी तथा शेष 20,370 करोड़ रुपये केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र की कम्पनियों द्वारा आंतरिक संसाधनों और बाजार उधार से प्राप्त किए गए। राज्यों ने अपने परिव्यय के लिए मुख्य रूप से अपनी योजनाओं से धन प्रदान किया। केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा दी गई सूचना के आधार पर वास्तविक खर्च 44,740 करोड़ रुपये (केंद्रीय क्षेत्र में 19,454 करोड़ रुपये और राज्य क्षेत्र में 25,286 करोड़ रुपये) था। भौतिक क्षमता की दृष्टि से दसवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान 220 केवी और इससे अधिक क्षमता वाली 46,000 सीकीएस की नई ट्रांसमिशन लाइनें बढ़ाई गई तदनुसार 77,700 एमवीए/एमडब्ल्यू ट्रांसमिशन क्षमता बढ़ी।

(ग) ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना को अभी अंतिम रूप दिया जाना है।

[अनुवाद]

आतंकवाद को रोकने के लिए पड़ोसी देशों के साथ सहयोग

3127. श्री अबु अयीश मंडल: क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने आतंकवाद को रोकने के लिए पड़ोसी देशों के साथ समझौता किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उसके क्या परिणाम रहे?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्द शर्मा): (क) और (ख) जी, हां। भारत ने आतंकवाद की रोकथाम के लिए कई पड़ोसी देशों के साथ द्विपक्षीय संयुक्त कार्यदल एवं अन्य तंत्रों का गठन किया है। सार्क देशों ने आतंकवाद के दमन पर क्षेत्रीय अभिसमय तथा अतिरिक्त प्रोतोकोल संपन्न किया है। बिम्स्टेक देशों (बंगलादेश, भूटान, भारत, म्यांमा, नेपाल, श्रीलंका एवं थाईलैंड) ने आतंकवाद के विरुद्ध एक संयुक्त कार्यदल का गठन किया है, जो

सूचना-भागीदारी, क्षमता निर्माण और अंतर-अभिकरण सहयोग पर केंद्रित है।

[हिन्दी]

विदेशों में भारतीयों के साथ दुर्व्यवहार

3128. **श्री चंद्रकांत खैरे:**
डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय:
श्री श्रीपाद येसो नाईक:

क्या **प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान विदेशों में भारतीयों के साथ दुर्व्यवहार के मामले संबंधित देशों के 'प्रोटेक्टर आफ इमिग्रन्ट्स' (पी.ओ.ई.) के पास दर्ज कराए गए हैं तथा अवैध भर्ती एजेंसियों के विरुद्ध शिकायतें दर्ज की गई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्रवाई की गई है;

(ग) प्रवासी बीमा योजना के अंतर्गत गत तीन वर्षों के दौरान कितने व्यक्तियों को क्षतिपूर्ति दी गई है;

(घ) अपंजीकृत अवैध भर्ती एजेंसियों को प्रतिबंधित करने के लिए राज्य सरकार/पुलिस प्राधिकारियों को जारी अनुदेश/दिशा-निर्देश क्या हैं;

(ङ) क्या रियाद में भारतीय दूतावास में सामुदायिक कल्याण विभाग की रिपोर्ट के अनुसार खाड़ी देशों में रह रहे भारतीय मूल के लोग सुरक्षित नहीं हैं;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, इसके क्या कारण हैं; और

(छ) भारतीय मूल के लोगों की सुरक्षा के लिए क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं?

प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री (श्री वायालार रवि): (क) और (ख) जी, हां। समय-समय पर विदेशों में कामगारों के साथ दुर्व्यवहार के मामले सामने आते हैं, जो उत्प्रवास संरक्षियों, विदेशों में भारतीय मिशनों और उत्प्रवासियों से भी मंत्रालय में प्राप्त होते हैं। पंजीकृत भर्ती एजेंटों द्वारा भर्ती किये गये ऐसे उत्प्रवासियों के मामले में कारण बताओ नोटिस जारी करने, पंजीकरण प्रमाण-पत्र को निलम्बित/रद्द करने आदि जैसी कार्रवाई की जाती है। अपंजीकृत एजेंटों द्वारा भेजे गये व्यक्तियों के मामलों को आवश्यक कानूनी कार्रवाई करने के लिए राज्य पुलिस अधिकारियों को सौंपा जाता है। पंजीकृत और साथ ही अपंजीकृत भर्ती एजेंटों के विरुद्ध मंत्रालय में प्राप्त शिकायतों की संख्या और उन पर की गई कार्रताई को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

(ग) उपलब्ध जानकारी के अनुसार, फरवरी, 2007 तक 249 दावे निपटा दिये गये थे।

(घ) समय-समय पर प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय अंपजीकृत अवैध भर्ती एजेंटों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने के लिए पंजाब, आंध्र प्रदेश, केरल आदि जैसे विभिन्न श्रमिक निर्यातक राज्यों के मुख्यमंत्रियों को लिखता रहा है। राज्य सरकारों के मुख्य सचिवों को भी स्थिति से अवगत कराया गया था और उनसे ऐसी शिकायतों की निगरानी करने और अपेक्षित कानूनी कार्रवाई के लिए उन्हें राज्य पुलिस अधिकारियों के साथ उठाने का अनुरोध किया गया था। यह एक सतत प्रक्रिया है और समय-समय पर इसे दोहराया जाता रहता है।

(ङ) और (छ) सऊदी अरब में भारतीय दूतावास के समुदाय कल्याण प्रकोष्ठ ने यह सूचित नहीं किया है कि उस देश में रहने वाले भारतीय मूल के व्यक्ति सुरक्षित नहीं हैं।

विवरण

पंजीकृत भर्ती एजेंटों के विरुद्ध शिकायतें

वर्ष	शिकायतों की संख्या	जारी किये गये कारण बताओ नोटिस	निलम्बित/रद्द किये गये पंजीकरण प्रमाण पत्रों की संख्या	समाप्त/हल कर दी गयी शिकायतों की संख्या	लम्बित मामलें जिनपर अनुवर्ती कार्रवाई की जा रही है
2005	41	41	24	17	शून्य
2006	167	167	65	69	28*
2007 (अभी तक)	76	76	1+5* (गत वर्ष की शिकायत में से)	17	58

अपंजीकृत भर्ती एजेंटों के विरुद्ध शिकायतें

वर्ष	शिकायतों की संख्या	जारी की गई अभियोजन स्वीकृति	राज्य सरकार/उत्प्रवास संरक्षी को कार्रवाई के लिए सौंपे गये मामले
2005	53	8	45
2006	78	21	57
2007 (अभी तक)	33	6	27

कश्मीर मुद्दे पर वक्तव्य

3129. **श्री राजीव रंजन सिंह 'ललन':**
श्री सूरज सिंह:

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान पाकिस्तान के संसदीय रक्षा सचिव के वक्तव्य की ओर गया है जिसमें उन्होंने जेहाद के माध्यम से कश्मीर मुद्दे के समाधान के बारे में कहा है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

विदेश मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी): (क) और (ख) सरकार को कश्मीर की ''आजादी'' के लिए जेहाद छेड़ने की वकालत करने की पाकिस्तान की विदेश नीति पर बहस के दौरान पाकिस्तान की राष्ट्रीय असेम्बली में पाकिस्तान के संसदीय रक्षा सचिव मेजर (सेवानिवृत्त) सैयद तनवीर हुसैन द्वारा दिए गए वक्तव्य के संबंध में प्रैस रिपोर्टों की जानकारी है। इस्लामाबाद स्थित भारतीय उच्चायोग ने पाकिस्तान की सरकार के समक्ष भारत पर इस निर्मूल आरोप के प्रति विरोध प्रकट किया है।

[अनुवाद]

वृद्ध लोगों में एच.आई.वी. के मामले

3130. **श्री दलपत सिंह परस्ते:** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में विशेषकर 60 से 65 वर्ष के आयु समूह के लोगों में एच.आई.वी. के मामले सरकार के ध्यान में आए हैं;

(ख) यदि हां, तो राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस पर क्या कार्रवाई की गई है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन में उपलब्ध सूचनानुसार, 60 वर्ष से अधिक उम्र के आयु-समूह में एड्स के कुल 555 रोगी राज्य एड्स नियंत्रण सोसायटियों द्वारा पिछले तीन वर्षों में सूचित किए गए हैं।

(ख) पिछले 3 वर्षों के राज्यवार ब्यौरे विवरण में संलग्न हैं।

(ग) भारत सरकार ने राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम चरण-III प्रारम्भ किया है। इसका उद्देश्य अधिक जोखिम वाले समूहों तथा आम लोगों में नए संक्रमणों की रोकथाम करने, उपचार सुविधा बढ़ाने, कार्यक्रम प्रबन्धन सुधारने तथा सूचना प्रबन्धन तंत्रों को सुदृढ़ करने वाली चहुंमुखी कार्यनीति के जरिए निवारण, परिचर्या, सहायता तथा उपचार कार्यक्रमों को समेकित करते हुए अगले 5 वर्षों में देश के अन्दर इस महामारी को रोकना और मिटाना है। परिचर्या और सहायता सहित जागरूकता वृद्धि तथा निवारण उपायों से संबंधित क्रियाकलाप 60-65 वर्षों के आयु समूह सहित सभी वयस्कों के लिए हैं।

विवरण

60 वर्ष से अधिक उम्र के एड्स रोगियों की सूचित संख्या (2005-2007)

राज्य	2005	2006	(जून, 2007 तक)	कुल
1	2	3	4	5
अहमदाबाद एमएसीएस	1	2	0	3
अण्डमान व निकोबार द्वीपसमूह	0	0	0	0

1	2	3	4	5
आंध्र प्रदेश	19	78	38	135
अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	0
असम	0	0	0	0
चण्डीगढ़	1	9	8	18
छत्तीसगढ़	0	1	1	2
दमन और दीव	0	0	0	0
दिल्ली	17	23	7	47
गोवा	3	0	0	3
गुजरात	5	0	0	5
हरियाणा	0	0	0	0
हिमाचल प्रदेश	0	1	0	1
जम्मू-कश्मीर	0	1	2	3
झारखंड	0	0	2	2
कर्नाटक	0	15	5	20
मध्य प्रदेश	3	4	2	9
महाराष्ट्र	0	12	46	58
मणिपुर	1	0	1	2
मेघालय	0	0	1	1
मिजोरम	0	0	0	0
मुम्बई एमएसीएस	38	77	60	175
नागालैण्ड	0	0	0	0
उड़ीसा	0	0	0	0
पांडिचेरी	0	0	0	0
राजस्थान	3	11	2	16
सिक्किम	0	0	0	0
तमिलनाडु	33	0	0	33
उत्तर प्रदेश	0	0	0	0
उत्तरांचल	0	1	0	1
पश्चिम बंगाल	11	10	0	21
कुल	135	245	175	555
एड्स के कुल सूचित रोगी	25738	29166	11302	66206

दवाइयों की बिक्री

3131. श्रीमती झांसी लक्ष्मी बोज्जा: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के कुछ कर्मचारी सी.जी.एच.एस. के माध्यम से वितरण की जाने वाली दवाइयों की चोरी और बिक्री के आरोपों के संबंध में गिरफ्तार किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) दोषी व्यक्तियों के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई है; और

(घ) भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) जी, हां।

(ख) से (घ) दिल्ली पुलिस, उत्तरी जिला द्वारा एकत्रित की गई आसूचना रिपोर्ट के आधार पर 6.6.2007 को एक व्यक्ति नामत: श्री माया राम को तब पकड़ा गया था जब वह खुले बाजार में केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना की आपूर्ति वाली दवाइयां बेच रहा था। इस संबंध में भारतीय दंड संहिता की धारा 420/411 के अंतर्गत दिनांक 6.6.2007 को पुलिस थाना, चांदनी चौक, दिल्ली में एक एफआईआर 230/2007 दर्ज की गई थी।

जांच के दौरान बहुत सारी दवाइयां जो केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना आपूर्ति के लिए, बिक्री के लिए नहीं, थी, आरोपी के घर से जब्त की गई थी। आरोपी श्री माया राम के कहने पर किसी श्री लाल चन्द को पकड़ा गया और केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना आपूर्ति चिन्हित बेनेड्रील सिरप की 100 बोतलें बरामद की गई। दोनों आरोपी व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया गया है।

आरोपी श्री माया राम के कहने पर 8.6.2007 को एक व्यक्ति नामत: श्री जगदीश, जो केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना कर्मचारी हैं, को गिरफ्तार किया गया था और उसके घर से केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना आपूर्ति की दवाई की बोतलें बरामद की गई।

आरोपी के कहने पर केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना औषधालय के एक स्टोर कीपर नामत: श्री बालिक राम गौतम को गिरफ्तार किया गया और उसके घर से केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना आपूर्ति की दवाई की बोतलें बरामद की गई।

केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के कर्मचारियों श्री जगदीश और श्री गौतम जिनको पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया था, को पुलिस द्वारा गिरफ्तार करने की तारीख से निलंबित माना गया है। तत्कालीन प्रभारी मुख्य चिकित्सा अधिकारी डा. जी.एस. गोयल को यह स्पष्ट करने का एक अवसर दिया गया कि क्यों न आरोपी श्री बालिक राम गौतम के बयान पर उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाए। उनसे प्राप्त स्पष्टीकरण की जांच के बाद, डा. गोयल से औषधालय का प्रभारी होने का कार्यभार वापिस ले लिया गया है।

भंडारों के औचक निरीक्षण और चेकिंग को तेज करने और अपने-अपने जोन में सख्त निगरानी रखने के लिए औषधालयों के प्रभारी मुख्य-चिकित्सा अधिकारियों को निर्देश देने के लिए जोनों के सभी अपर निर्देशकों को अनुदेश जारी किए गए हैं ताकि भविष्य में ऐसी घटना न हो। ऐसा होने पर भविष्य में औषधालयों के प्रभारी मुख्य चिकित्सा अधिकारी ऐसी किसी रिपोर्ट के लिए प्रत्यक्ष रूप से जिम्मेवार होंगे।

कनेक्टिविटी बढ़ाने हेतु पुलों का निर्माण

3132. श्री मणी कुमार सुब्बा: क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या असम राज्य सरकार से ठोल्डा, जोरहाटा, निमातीघाट, धुबरी क्षेत्र में कनेक्टिविटी बढ़ाने हेतु ब्रह्मपुत्र नदी पर तीन पुलों के निर्माण के संबंध में कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और तत्संबंधी अनुमानित लागत कितनी है; और

(ग) पुलों के निर्माण कार्य के कब तक शुरू हो जाने की संभावना है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

कोयला उत्पादन के कार्य को बाहरी स्रोत से कराना

3133. श्री वसुदेव आचार्य: क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) बी.सी.सी.एल. में 1 जनवरी, 2007 की स्थिति के अनुसार कितने खंडों तथा किन-किन कोयला खानों में बाहरी स्रोतों से कार्य करवाया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कानून के अंतर्गत बाहरी स्रोत से कार्य करवाने की अनुमति है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या बी.सी.सी.एल. ने कुंआ कोयला खान में अच्छी गुणवत्ता के कोयले के विशाल भंडार होने के बावजूद इसमें बाहरी स्रोत से कार्य करवाने का निर्णय लिया है; और

(च) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. दासरि नारायण राव): (क) और (ख) भारत कोकिंग कोल लि. (बीसीसीएल) में कोयला उत्पादन के कार्य को बाह्य स्रोतों से नहीं कराया गया है। तथापि निम्नलिखित 8 पैचों में ओवरबर्डेन हटाने और कोयले की ढुलाई के लिए 1.1.2007 की स्थिति के अनुसार हैवी अर्थ मूविंग मशीनरी (हैम) को किराए पर लेने के लिए ठेके दिए जा रहे हैं-

क्र.सं.	खान का नाम	पैचों की संख्या
1.	दमोदा	1
2.	जमुनिया	1
3.	चंदोर	1
4.	तेतुलमारी	1
5.	बागडीगी	1
6.	बरारी	2
7.	गोंडुडीह	1
	कुल	8

(ग) और (घ) श्रम मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी की गई 30 मई, 2005 की अधिसूचना के तहत बीसीसीएल को अधिसूचना में विनिर्दिष्ट कार्यों में ठेका श्रमिकों को लगाने के संबंध में अधिसूचना की तारीख से 5 वर्ष तक की छूट दी गई है।

(ङ) और (च) कुइया कोलियरी में, भूमिगत तथा ओपनकास्ट खनन के कार्य विभागीय तौर पर किए जा रहे हैं। उत्पादन में वृद्धि करने के लिए क्षेत्र के एक भाग का खनन भविष्य के हैम द्वारा किया जाएगा।

यूरेनियम का वाणिज्यिक खनन

3134. श्री अनवर हुसैन: क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यूरेनियम कारपोरेशन आफ इंडिया (यूसीआईएल) की वेस्ट खासी हिल्स डिस्ट्रिक्ट में यूरेनियम के करोड़ों रुपये के वाणिज्यिक खनन की स्थापना करने की योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार तथा जिला-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन समस्याओं को सुलझाने के लिए कोई कार्यवाही की गई है;

(घ) क्या राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एसपीसीबी) ने इस संबंध में मंजूरी दे दी है; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री पृथ्वीराज चव्हाण): (क) और (ख) जी, हां। यूरेनियम कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड का विचार सभी आवश्यक सांविधिक अनुमतियां प्राप्त कर लेने के बाद मेघालय के पश्चिमी खासी हिल्स जिले में काइलैंग, पाइनडैंगसोहिआंग, मवथापा में खान और संसाधन संयंत्र स्थापित करने का है।

(ग) जी, हां। इस परियोजना को स्थापित करने के संबंध में लोगों की चिंताओं सहित सभी पहलुओं के समाधान हेतु कार्यवाही शुरू कर दी गई है।

(घ) मेघालय राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने 12.06.2007 को हुई पर्यावरण संबंधी जन सुनवाई की कार्यवाहियों को पर्यावरण और वन मंत्रालय (एमओईएफ) को प्रस्तुत कर दिया है। अनुमति की प्रतीक्षा है।

(ङ) ऊपर (घ) के मद्देनजर यह प्रश्न ही नहीं उठता।

एम.सी.आई. एक्ट में संशोधन

3135. श्री एल. राजगोपाल: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार नए चिकित्सा महाविद्यालयों की स्थापना के लिए राज्यों को श्रेणीबद्ध करने हेतु एम.सी.आई. एक्ट में संशोधन करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) और (ख) सरकार देश के पूर्वोत्तर राज्यों और पहाड़ी एवं आदिवासी क्षेत्रों सहित राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन सकेन्द्रित राज्यों में मेडिकल कालेज खोलने के लिए शर्तों में छूट प्रदान करने के लिए भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद के विनियमों में संशोधित करने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है।

विलक्षण जल पौधे

3136. डा. के.एस. मनोज: क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि विलक्षण जल पौधे, जिसे जल पुष्प के नाम से जाना जाता है, का प्रसार और संग्रहण पर्यावरण के लिए है, पर्यावरण के लिए एक खतरा बन गया है तथा इसके परिणामस्वरूप केरल की झीलों में नौवहन में बाधा उत्पन्न होती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन पौधों को नष्ट करने के लिए कोई वैज्ञानिक पद्धति विकसित की गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायण मीना): (क) से (घ) जल पुष्क एक हानिकारक खरपतवार है जो देश के जल निकायों में प्रचुर मात्रा में उत्पन्न हो रहा है और फैल रहा है, जिससे आमतौर पर कृषि में समस्या और नौ-वहन में बाधा उत्पन्न हो रही है। इन खरपतवारों को केवल जैविक और मैकेनिकल तरीकों से नियंत्रित किया जा रहा है। इन खरपतवारों को कम्पोस्टिंग, बायो-गैस उत्पादन, कागज विनिर्माण, सजावटी उद्देश्यों आदि के लिए उपयोग किया जा रहा है, जो लागत प्रभावी नहीं पाया गया है।

[हिन्दी]

केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सी.बी.आई.) द्वारा आरोप पत्र दायर करने में विलम्ब

3137. श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव:
श्री एम. अंजनकुमार यादव:
श्री वी.के. दुग्मर:

क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा मारे गए छापों से संबंधित अधिकांश मामलों में केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा आरोप पत्र दायर करने में अनावश्यक विलम्ब हुआ है;

(ख) यदि हां, तो क्या विलम्ब के कारणों की पहचान करने के लिए कोई विश्लेषण किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या उपचारात्मक उपाय किए जाने का विचार है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश पचौरी): (क) से (ग) केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो किसी मामले में जांच पूरी होते ही आरोप-पत्र दाखिल कर देती है तथापि, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा कुछ मामलों की जांच करने में समय लगता है क्योंकि ये मामले उलझे हुए स्वरूप के होते हैं जिनमें भारी भरकम दस्तावेजों की छानबीन और बड़ी संख्या में गवाहों की जांच करना अपेक्षित होता है। फिर भी, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो सभी मामलों में यथाशीघ्र जांच पूरी करने का प्रयास करती है। मासिक और तिमाही समीक्षा बैठकें आयोजित करने की एक निर्धारित प्रणाली है जहां केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा अन्वेषणाधीन मामलों की जांच इस दृष्टि से की जाती है कि इन्हें शीघ्र अंतिम रूप दिया जा सके।

[अनुवाद]

सुपुर्द न किए गए पासपोर्टों का निपटान

3138. श्री रघुनाथ झा:
श्री प्रभुनाथ सिंह:

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पासपोर्ट मैन्युअल, 2001 में यह उपबंध है कि भेजे गए पासपोर्टों की सुपुर्दगी न होने पर वापस आए ऐसे पासपोर्टों को केवल एक वर्ष बाद ही नष्ट कर दिया जाए;

(ख) क्या भेजे गए पासपोर्टों की सुपुर्दगी न होने पर वापस आए बहुत सारे पासपोर्टों को क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय/पासपोर्ट कार्यालयों द्वारा नष्ट नहीं किया गया तथा इस श्रेणी के पासपोर्टों का उचित रख-रखाव भी नहीं किया गया; और

(ग) यदि हां, तो ऐसे पासपोर्टों का दुरुपयोग रोकने के लिए उनका सही हिसाब-किताब रखना तथा समय पर उनको नष्ट करना सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. अहमद): (क) और (ख) पासपोर्ट मैनुअल 2001 के अनुसार सुपुर्द न किए गए पासपोर्टों को केवल एक वर्ष के लिए रखा जाना चाहिए जिसके बाद, यदि आवेदक की ओर से इस संबंध में कोई पूछताछ न हो तो उन्हें नष्ट कर दिया जाना चाहिए। सुपुर्द न किए गए सभी पासपोर्टों का रिकार्ड रखा जाना होता है। 2000-01 से 2004-05 की अवधि की पासपोर्ट, वीजा एवं कॉंसली सेवाओं की निष्पादन लेखा-परीक्षा संबंधी भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट में जैसा कि उल्लेख किया गया है, एक वर्ष के बाद भी पासपोर्ट कार्यालयों द्वारा सुपुर्द न किए गए कुछ पासपोर्टों को नष्ट नहीं किया गया था।

(ग) सुपुर्द न किए गए पासपोर्टों के संबंध में पासपोर्ट मैनुअल 2001 के प्रावधानों का कड़ाई से अनुपालन किए जाने हेतु सभी पासपोर्ट कार्यालयों को निर्देश पुन: जारी किए गए हैं। पासपोर्ट कार्यालयों को यह भी अनुदेश दिए गए हैं कि सुपुर्द न किए गए वापस आए पासपोर्टों संबंधी अर्ध-वार्षिक स्थिति रिपोर्ट भेजी जाए।

[हिन्दी]

वेक्टर जनित बीमारियों हेतु धनराशि

3139. **श्री रशीद मसूद:**
श्री मणी कुमार सुब्बा:
डा. धीरेंद्र अग्रवाल:
श्री मिलिन्द देवरा:

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राज्य सरकारों विशेषकर उत्तर प्रदेश, झारखण्ड तथा पूर्वोत्तर राज्यों को चिकनगुनिया, डेंगू और मलेरिया जैसी वेक्टर जनित बीमारियों की रोकथाम के लिए धनराशि आवंटित की गई है; और

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष के दौरान इस प्रयोजनार्थ राज्य-वार कुल कितनी धनराशि जारी तथा खर्च की गई?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पाणाबाका लक्ष्मी): (क) और (ख) जी, हां। पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्यों से प्राप्त उपयोगिता प्रमाण-पत्रों और व्यय विवरणों के अनुसार राज्य-वार निर्मुक्त और उपयोग की गई निधियों को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

विवरण

राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम

उपयोगिता प्रमाण-पत्र/व्यय विभाग के अनुसार निर्मुक्ति और व्यय और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के पास उपलब्ध शेष

(रुपए करोड़ में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	2004-05					2005-06					2006-07					2007-08	
		2004-05 में आदि शेष	2004-05 में निर्मुक्त की गई राशि	कुल उपलब्ध	उपयोगिता प्रमाण पत्र/व्यय विवरण के अनुसार व्यय	2005-06 में आदि शेष	2005-06 में निर्मुक्त की गई राशि	व्यय और रिफंड की विविध रसीदें/अन्य डीएमडीएस/ राज्य से हस्तांतरण	कुल उपलब्ध	उपयोगिता प्रमाण पत्र/व्यय विवरण के अनुसार व्यय	2006-07 में आदि शेष	2006-07 में निर्मुक्त की गई राशि	व्यय और रिफंड की विविध रसीदें/अन्य डीएमडीएस/ राज्य से हस्तांतरण	कुल उपलब्ध	उपयोगिता प्रमाण पत्र/व्यय विवरण के अनुसार व्यय	2007-08 में आदि शेष	2007-08 में निर्मुक्त की गई राशि	कुल उपलब्ध
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1.	आंध्र प्रदेश	219.22	80.44	299.66	271.86	27.80	498.00	39.43	565.23	540.38	24.85	620.56	4.25	649.66	649.66	0.00	714.26	714.26
2.	अरुणाचल प्रदेश	0.00	152.00	152.00	152.00	0.00	226.03	0.00	226.03	0.00	226.03	200.76	0	426.79	332.84	93.95	153.1	247.05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
3.	असम*	1064.48	550.00	1614.48	771.84	842.64	442.97	0.00	1285.61	49.52	1236.09	595	0	1831.09	1570.17	260.92	542	802.92
4.	बिहार*	904.67	906.83	1811.50	160.35	1651.15	549.29	0.00	2200.44	471.16	1729.28	473.87	0	2203.15	549.50	1653.65	0	1653.65
5.	छत्तीसगढ़	108.64	513.11	621.75	404.62	217.13	633.53	641.18	1491.84	1061.35	430.49	572.18	15.6	1018.27	1018.27	0.00	330.05	330.05
6.	गोवा	17.50	0.00	17.50	16.49	1.01	37.42	0.00	38.43	18.79	19.64	19.82	0	39.46	16.89	22.57	75	97.57
7.	गुजरात	99.15	310.62	409.77	273.68	136.09	420.20	1.12	557.41	493.37	64.04	716.7	1.01	781.75	328.49	453.26	341.69	794.95
8.	हरियाणा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.64	0.00	44.64	29.38	15.26	4.61	0	19.87	11.64	8.23	0	8.23
9.	हिमाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.48	0.00	15.48	0.00	15.48	0	0	15.48	6.24	9.24	0	9.24
10.	जम्मू-कश्मीर	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.83	0.00	15.83	0.00	15.83	4.06	0	19.89	12.77	7.12	0	7.12
11.	झारखंड	436.17	136.74	572.91	283.29	289.62	380.65	17.31	687.58	342.60	344.98	505.64	17.7	868.32	328.98	539.34	410.71	950.05
12.	कर्नाटक	59.50	0.00	59.50	59.50	0.00	164.44	0.00	164.44	72.61	91.83	319.42	0	411.25	111.76	299.49	0	299.49
13.	केरल	105.00	0.00	105.00	98.03	6.97	211.96	0.00	218.93	140.67	78.26	383.44	0	461.70	15.73	445.97	403.9	849.87
14.	मध्य प्रदेश	272.72	343.54	616.26	442.28	173.98	527.31	20.22	721.51	596.27	125.24	1087.97	89.4	1302.61	910.37	392.24	356.18	748.42
15.	महाराष्ट्र	255.02	218.38	473.40	381.76	91.64	444.54	132.67	668.85	826.94	-158.09	1005.22	16.45	863.58	559.64	303.94	455.35	759.29
16.	मणिपुर	120.78	0.00	120.78	0.00	120.78	164.61	0.00	285.39	0.00	285.39	189.19	0	474.58	72.70	401.88	0	401.88
17.	मेघालय	56.60	49.00	105.60	105.60	0.00	182.56	0.00	182.56	0.00	182.56	165.39	0	347.95	263.13	84.82	122.91	207.73
18.	मिजोरम	0.00	32.00	32.00	32.00	0.00	218.40	0.00	218.40	88.38	130.02	224.33	0	354.35	312.41	41.94	149.28	181.05
19.	नागालैंड	18.62	58.15	76.77	76.77	0.00	205.31	0.00	205.31	0.00	205.31	241.22	0	446.53	414.76	31.77	149.28	180.67
20.	उड़ीसा	398.84	550.40	949.24	667.52	281.72	678.98	0.00	960.70	856.54	104.16	953.31	0.77	1058.24	435.55	622.69	876.7	1499.39
21.	पंजाब	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.19	0.00	39.19	0.00	39.19	0	0	39.19	24.86	14.33	0	14.33
22.	राजस्थान	125.85	157.65	283.50	148.86	134.64	207.84	0.00	342.48	139.61	202.87	379.76	63.99	646.62	111.61	535.01	247.5	782.51
23.	सिक्किम	2.00	0.00	2.00	2.00	0.00	20.95	0.00	20.95	0.00	20.95	8.71	0	29.66	25.37	4.29	0	4.29
24.	तमिलनाडु	168.00	0.00	168.00	156.82	11.18	284.12	0.00	295.30	82.88	212.42	421.19	0	633.61	10.65	622.96	200	822.96
25.	त्रिपुरा	23.36	105.45	128.81	128.81	0.00	201.86	0.00	201.86	80.18	121.68	192.02	0	313.70	192.82	120.88	138.97	259.85
26.	उत्तर प्रदेश	166.75	46.40	213.15	0.00	213.15	730.99	0.00	944.14	747.20	196.94	625.2	0	822.14	501.36	320.78	0	320.78
27.	उत्तरांचल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.87	0.00	32.87	0.00	32.87	0	0	32.87	12.27	20.60	0	20.60
28.	पश्चिम बंगाल	230.81	112.22	343.03	62.81	280.22	297.60	0.00	577.82	103.75	474.07	476.54	0	950.61	400.99	549.62	254.37	803.99
29.	दिल्ली	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.47	0.00	22.47	14.43	8.04	170.5	0	178.54	1.29	177.25	0	177.25
30.	पांडिचेरी	7.00	0.00	7.00	7.00	0.00	32.66	0.00	32.66	14.73	17.93	140.65	0	158.58	12.50	146.08	0	146.08
31.	अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	7.00	177.00	184.00	184.00	0.00	216.49	0.00	216.49	6.30	210.19	354	0	564.19	419.52	144.67	4.56	149.23
32.	चंडीगढ़	0.00	13.00	13.00	13.00	0.00	31.08	0.00	31.08	0.00	31.08	26	0	57.08	57.08	0.00	11.42	11.42
33.	दादर एवं नगर हवेली	7.00	9.50	16.50	16.50	0.00	42.39	0.00	42.39	5.82	36.57	39.46	0	76.03	67.39	8.64	3.65	12.29
34.	दमन एवं दीव	7.00	9.00	16.00	16.00	0.00	24.14	0.00	24.14	5.68	18.46	19.86	0	38.32	29.18	9.15	3.46	12.60
35.	लक्षद्वीप	7.00	3.00	10.00	10.00	0.00	20.23	0.00	20.23	3.13	17.10	12.35	0	29.45	0.00	29.45	2.8	32.25
	कुल	4888.68	4534.43	9423.11	4943.39	4479.72	8267.03	851.93	13598.68	6791.67	6807.01	11148.93	209.17	18165.11	9788.39	8376.72	5936.59	14313.31

*31.8.2007 तक अनंतिम

[अनुवाद]

चिकनगुनिया संबंधी अध्ययन

3140. श्री बाडिगा रामकृष्णा: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आईसीएमआर ने चिकनगुनिया के संबंध में कोई अध्ययन किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस बीमारी के लिए उत्तरदायी म्यूटेन्ट-वैरायटडी के किसी वायरस अथवा वैक्टर का पता चला है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) से (ग) भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के अनुसार मई, 2007 में केरल स्वास्थ्य प्राधिकारियों से एक रिपोर्ट प्राप्त हुई थी कि हजारों लोग ज्वर एवं अन्य लक्षणों के साथ अस्पताल में भर्ती हैं। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद, राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम प्रभाग, दिल्ली तथा राष्ट्रीय संचार रोग संस्थान, दिल्ली के अधिकारियों वाले एक दल ने प्रभावित क्षेत्रों में सर्वेक्षण किया। सर्वेक्षण से अत्यधिक एडीज सूचकांकों के कारण समस्या की गंभीरता प्रदर्शित हुई। इन क्षेत्रों में वयस्क मच्छरों के किए गए अवतरण संग्रहण से एडीज एल्बोपिक्टस की विद्यमानता प्रदर्शित हुई। परिणामों से आगे यह प्रकट हुआ है कि चिकनगुनिया विषाणु की व्याप्त प्रजाति मध्य/पूर्वी अफ्रीकी जीनोटाइप वंशावली की है।

गरीब मरीजों को स्वास्थ्य सुविधाएं

3141. श्री रायापति सांबासिवा राव: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने सरकारी अस्पतालों में गरीब मरीजों को पूर्ण स्वास्थ्य परिचर्या प्रदान करने के लिए कोई नवीन कदम उठाए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकारी सहायता प्राप्त अस्पतालों में गरीब और जरूरतमन्द मरीजों को मुफ्त चिकित्सा उपलब्ध कराने के लिए प्रणाली है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) से (घ) देश के सभी नागरिकों को जन स्वास्थ्य सुविधा केन्द्रों में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण सुविधाएं उपलब्ध हैं। ये सेवाएं गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले व्यक्तियों के लिए सभी स्तरों पर पूरी तरह से नि:शुल्क हैं।

प्राथमिक परिचर्या स्तर पर जन स्वास्थ्य सेवाओं में 144988 उप-केन्द्र, 22669 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और 3910 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र सम्मिलित हैं। द्वितीयक परिचर्या के लिए जिला अस्पताल और उससे उंचे स्तर के लिए मेडिकल कालेज अस्पताल और अन्य तृतीयक परिचर्या संस्थान उपलब्ध हैं।

सरकार जनसंख्या विशेषकर गरीब और कमजोर वर्गों, को सुलभ, वहनीय, जिम्मेवार, प्रभावी और विश्वसनीय प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या सुविधाएं प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन शुरू किया है। 18 राज्यों जिसमें 8 सशक्त कार्रवाई समूह राज्य (बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, उत्तराखण्ड, उड़ीसा और राजस्थान), 8 पूर्वोत्तर राज्यों, हिमाचल प्रदेश और जम्मू व कश्मीर शामिल हैं, पर विशेष ध्यान के साथ गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों के लिए पूरे देश में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन को शुरू किया गया है।

विदेश दौरों हेतु दिशा-निर्देश

3142. श्री बालासोवरी वल्लभनेनी: क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने मंत्रियों तथा अधिकारियों द्वारा विदेशी दौरों हेतु हाल ही में नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्द शर्मा): (क) और (ख) विदेश मंत्रालय ने यात्रा करने वाले भारतीय गणमान्य व्यक्तियों, प्रतिनिधिमंडलों और अधिकारियों के लिए विदेश स्थित भारतीय मिशनों/केन्द्रों द्वारा की जाने वाली प्रोटोकोल औपचारिकताओं के प्रावधानों से संबंधित अपने मानक दिशा-निर्देशों को हाल ही में अद्यतन बनाया है तथा पुन: जारी किया है।

मंत्रालय ने अन्य केंद्रीय और राज्य सरकार के विभागों को भी लिखा है, जिसमें सरकारी गणमान्य व्यक्तियों और प्रतिनिधिमंडलों द्वारा विदेश यात्राओं के संबंध में विदेश मंत्रालय द्वारा दी जाने वाली राजनैतिक स्वीकृति को शीघ्र सुसाध्य बनाने के उपाय सुझाए गए हैं।

कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा निजी ठेकेदारों की सेवा लेना

3143. **श्री किसनभाई वी. पटेल:** क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कोल इंडिया लिमिटेड ने उकनी, नीलजय तथा चारगांव खुले मुहाने की खानों में कोयला समलाई संयंत्रों से कोयले के लदान के लिए निजी ठेकेदारों की सेवा ली है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी खानवार तथा कंपनीवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में सरकार के ध्यान में कोई अनियमितता/समस्या आई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर सरकार ने क्या कार्रवाई की है;

(ङ) क्या कोल इंडिया लिमिटेड के मुख्य सतर्कता अधिकारी ने इस संबंध में कोई जांच कराई है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. दासरि नारायण राव): (क) से (च) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस

3144. **श्री नवीन जिन्दल:**
श्री वाडिगा रामकृष्णा:
श्री रेवती रमन सिंह:

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार की ओर से महात्मा गांधी के जन्मदिवस 2 अक्तूबर को "अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस" घोषित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ से बातचीत करने के प्रयास किए जा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले;

(ग) क्या किसी पक्ष द्वारा इस कदम का विरोध किया जा रहा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है?

विदेश मंत्री (प्रणब मुखर्जी): (क) और (ख) महात्मा गांधी के जन्मदिवस, 2 अक्तूबर को "अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस" के रूप में प्रति वर्ष समारोहपूर्वक मनाने की 142 देशों के सह-प्रयोजन के साथ "अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस" के भारत की पेशकश पर संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 15 जून, 2007 को सर्वसम्मति से एक संकल्प पारित किया।

(ग) से (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

बड़े पत्तनों की स्थापना

3145. **श्री एस.के. खारवेलथन:**
श्री अनन्त नायक:

क्या **पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वर्ष 2006-2007 के दौरान कुछ प्रमुख पत्तनों ने लाभ अर्जित किया है;

(ख) यदि हां, तो पत्तन-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार देश में बड़े पत्तनों की स्थापना करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इन बड़े पत्तनों की कब तक स्थापना किए जाने की संभावना है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री (श्री टी.आर. बालू): (क) और (ख) वर्ष 2006-07 के दौरान महापत्तनों के लिए कर से पूर्व निवल अधिशेष (सरप्लस) के अनन्तिम आंकड़े निम्न प्रकार हैं:-

पत्तन का नाम	(करोड़ रु.)
1	2
मुरगांव	40.46
जवाहरलाल नेहरू	569.14
कांडला	213.18
कोचीन	26.66
नव मंगलूर	109.16

1	2
मुम्बई	176.47
विशाखापट्टनम	187.82
पारादीप	292.92
तूतीकोरिन	113.45
चेन्नई	262.78
कोलकाता	465.11
इन्नौर पत्तन लिमिटेड	34.62

(ग) से (ङ) पश्चिम बंगाल की तट-रेखा पर एक गहरे डुबाव का पत्तन स्थापित करने के लिए कार्रवाई आरंभ कर दी गई है। ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के लिए पत्तन क्षेत्र हेतु कार्यदल द्वारा योजना आयोग को प्रस्तुत की गई अपनी रिपोर्ट में अन्य बातों के साथ-साथ ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान 5 नये गहरे डुबाव वाले पत्तन स्थापित करने की सिफारिश की गई है।

[हिन्दी]

विदेशों में स्थित भारतीय दूतावासों द्वारा तत्काल कार्यवाही में कमी

3146. श्री सुभाष महरिया: क्या **प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विभिन्न देशों में, विशेषकर खाड़ी देशों में कार्यरत प्रवासी भारतीय कामगारों की दुर्घटना में/असामयिक मृत्यु होने पर वहां स्थित भारतीय दूतावास उनके मृत शरीरों को भारत भेजने के लिए तत्काल कार्यवाही नहीं करते हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या भारतीय दूतावासों को इस संबंध में संबंधित देशों के स्थानीय प्रशासन से उचित समर्थन मिलता है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या प्रयास किये गए हैं?

प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री (श्री वायालार रवि): (क) कुवैत, कतर, ओमान, यमन और सऊदी अरब जैसे खाड़ी देशों सहित विदेशों में भारतीय मिशनों से प्राप्त सूचना के अनुसार, मिशन भारतीय नागरिकों के शवों को सभी अपेक्षित स्थानीय औपचारिकताओं को पूरा करने के बाद, भेजने के लिए तत्काल कार्यवाही करते हैं। तथापि

(1) ओमान के मामले में प्रक्रिया को पूरा करने में कुछ दिनों का समय लगता है और अधिकतर मामलों में शव को एक सप्ताह अथवा दस दिन के भीतर भारत भेज दिया जाता है।

(2) सऊदी अरब के मामले में मृतक भारतीय नागरिकों के शवों को भेजने में देरी होती है और कुछ मामलों में, प्राकृतिक मृत्यु के मामलों में 4-6 सप्ताह का समय लगता है और यदि मृत्यु अप्राकृतिक कारण, जैसे सड़क दुर्घटना, औद्योगिक हादसा और हत्या के कारण हुई हो तो 16 सप्ताह अथवा अधिक समय लगता है।

(ख) सऊदी प्रायोजकों द्वारा आवश्यक औपचारिकताएं पूरी करने में विलम्ब होने के मुख्य कारणों में, जांच का पूरा न होना, पुलिस और चिकित्सा संबंधी औपचारिकताओं का प्राप्त न होना, भारत से अपेक्षित दस्तावेजों का प्राप्त न होना, आदि शामिल हैं।

(ग) से (ङ) स्थानीय सरकारें सहयोगी रही हैं और अनिवार्य स्थानीय औपचारिकताओं को पूरा करने में सभी संभव शीघ्र सहायता प्रदान करती हैं।

(च) सऊदी अरब में मिशन प्रक्रियाओं को सरल बनाकर ऐसे विलम्ब को कम करने के लिए हमेशा मामले को प्रायोजकों और संबंधित सऊदी प्राधिकारियों के सर्वोच्च स्तरों पर उठाते हैं। मंत्रालय विदेशों में भारतीय मिशनों से संपर्क बनाए रख कर शवों को शीघ्रता से भिजवाने की निगरानी करता है।

[अनुवाद]

पूर्वोत्तर राज्यों में उल्फा उग्रवादियों द्वारा हिन्दी भाषी प्रवासियों की हत्या

अ.सू. प्र. 1. श्री निखिल कुमार: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पिछले कुछ महीनों में असम और अन्य पूर्वोत्तर राज्यों में उल्फा उग्रवादियों द्वारा काफी संख्या में हिन्दी भाषी प्रवासियों की हत्या की गई है जैसा कि 12 अगस्त, 2007 के ''दि टाइम्स आफ इंडिया'' और ''हिन्दुस्तान टाइम्स'' तथा 13 अगस्त, 2007 के ''द हिन्दू'' में समाचार प्रकाशित हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने असम और पूर्वोत्तर क्षेत्र की राज्य सरकारों से एक विस्तृत रिपोर्ट मांगी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या केन्द्र सरकार की टीम ने उन राज्यों का दौरा किया है जहां उल्फा उग्रवादियों द्वारा हिन्दी भाषी प्रवासियों की हत्या की जा रही है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) केन्द्र सरकार द्वारा असम और पूर्वोत्तर राज्यों में हिन्दी भाषी प्रवासियों की सुरक्षा हेतु क्या कदम उठाए गए है/उठाए जाने का विचार है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल): (क) और (ख) असम में चालू वर्ष के दौरान उल्फा उग्रवादियों ने जनवरी, 2007 में 61 हिन्दी भाषी लोगों की, जिनमें ज्यादातर श्रमिक और छोटे विक्रेता थे एवं मई, 2007 में 10 लोगों की हत्या कर दी। हाल ही की हिंसा की कार्रवाई में यूनाइटिड लिब्रेशन फ्रंट आफ असम (उल्फा) और कर्बी लांगरी नार्थ कछार हिल्स लिब्रेशन फ्रंट (के एल एन एल एफ) के उग्रवादियों के संयुक्त ग्रुपों ने कर्बी एंग्लांग जिले में 8-12 अगस्त, 2007 के बीच 28 हिन्दी भाषी लोगों की हत्या कर दी। अन्य पूर्वोत्तर राज्यों से इस प्रकार की हत्याओं की कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

(ग) से (च) मंत्रालय, राज्य सरकार के साथ निकट और सतत रूप से संपर्क बनाए हुए है और नियमित आधार पर सुरक्षा स्थिति की समीक्षा की है। इस वर्ष के शुरू में केन्द्रीय गृह सचिव और केन्द्रीय गृह मंत्री द्वारा भी अपने गुवाहाटी दौरे के दौरान स्थिति की समीक्षा की गई। हाल ही की घटना के पश्चात, विशेष सचिव की अध्यक्षता में गृह मंत्रालय के एक उच्च स्तरीय सरकारी दल ने, जिसमें महानिदेशक, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल और महानिदेशक, सीमा सुरक्षा बल भी शामिल थे, 13-14 अगस्त, 2007 को असम का दौरा किया। इस दल ने 13 अगस्त, 2007 को आयोजित एकीकृत मुख्यालय की बैठक में भाग लिया। श्री श्रीप्रकाश जायसवाल, गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री ने भी 14 अगस्त, 2007 को गुवाहाटी का दौरा किया और स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ कर्बी एंग्लांग में बोकोलिया, अम्पाहार का दौरा किया जहां 8 अगस्त, 2007 को घटनाएं हुईं जिनमें 8 हिन्दी भाषी लोग मारे गए।

राज्य सरकार और सुरक्षा बलों ने विद्रोह रोधी अभियान, गश्त, घेरा डालने और तलाशी अभियान तेज कर दिए हैं। कर्बी एंग्लांग जिले में, जहां हाल ही में हिंसा की घटनाएं हुईं, अलग-थलग और दूर-दराज के क्षेत्रों में रह रहे लगभग 4000 हिंदी भाषी लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेज दिया गया है।

(छ) असम राज्य सरकार ने जिले में छः अतिरिक्त पुलिस स्टेशनों और तेरह अतिरिक्त पुलिस चौकियों को गठित करने का अनुमोदन किया है। स्थिति से निपटने और उग्रवादियों के खिलाफ अभियान तेज करने हेतु राज्य सरकार की मदद करने के लिए अतिरिक्त केन्द्रीय बलों की तैनाती की गई है। मौजूदा एकीकृत मुख्यालयों को सुदृढ़ किया गया है और असम के मुख्य मंत्री अब इन बैठकों की अध्यक्षता करते हैं। राज्य सरकार को भी राज्य में समग्र सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए 2000 भूतपूर्व-सैनिकों को नियुक्त करने के लिए प्राधिकृत किया गया है।

अध्यक्ष महोदय: सभा अपराह्न 3.00 बजे तक के लिए स्थगित होती है।

पूर्वाह्न 11.33 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा अपराह्न 3.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अपराह्न 3.00 बजे

लोक सभा अपराह्न 3.00 बजे समेवत हुई।

[**उपाध्यक्ष महोदय** *पीठासीन* हुए]

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह (महाराजगंज, बिहार): उपाध्यक्ष महोदय, मेरी बात सुनिए। हमारा निवेदन यह है कि हमने सुबह ही नोटिस दिया था कि प्रश्नकाल और पूरे दिन की कार्यवाही स्थगित करते हुए हमारी बात सुनी जाए। जब हम लोग अपनी बात कहना चाहते हैं तो हाउस एडजर्न हो रहा है। *...(व्यवधान)* इस विषय पर एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह से व्यवहार किया जा रहा है। *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: आप लोग मेरी बात सुनिए।

...(व्यवधान)

श्री प्रभुनाथ सिंह: उपाध्यक्ष महोदय, यह विषय देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। ...*(व्यवधान)*

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव (झंझारपुर): महोदय, हमें भी अपनी बात कहने का मौका दिया जाए। ...*(व्यवधान)* हमने भी इसके लिए नोटिस दिया है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: श्री टी.आर. बालू, अब सभापटल पर पत्र रखे जायेंगे।

अपराह्न 3.01 बजे

सभा पटल पर रखे गए पत्र

[अनुवाद]

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री (श्री टी.आर. बालू): मैं सभापटल पर निम्नलिखित पत्र रखता हूं-

(1) हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड और पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के बीच वर्ष 2007-2008 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एलटी-6916/2007]

(2) भारतीय अन्तर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1985 की धारा 36 के अंतर्गत भारतीय अन्तर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (भारत में अन्तर्देशीय जलमार्ग का वर्गीकरण) विनियम, 2006 जो 20 जनवरी, 2007 के भारत के साप्ताहिक राजपत्र में अधिसूचना संख्या 3 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एलटी-6917/2007]

...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: श्री मणिशंकर अय्यर-उपस्थित नहीं।

...*(व्यवधान)*

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश पचौरी): मैं प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम, 1985 की धारा 37 की उपधारा (3) के अंतर्गत केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण (अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों के वेतन और भत्ते और सेवा की शर्तें) संशोधन नियम, 2007 जो 3 अगस्त, 2007 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 536(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखी गई। **देखिए** संख्या एलटी-6918/2007]

...*(व्यवधान)*

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पाणाबाका लक्ष्मी): मैं सभा पटल पर निम्नलिखित पत्र रखती हूं-

(1) (एक) नेशनल इंस्टीट्यूट आफ होमियोपैथी, कोलकाता के वर्ष 2005-2006 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखा-परीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टीट्यूट आफ होमियोपैथी, कोलकाता के वर्ष 2005-2006 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एलटी-6919/2007]

(3) भारतीय नर्स परिषद् अधिनियम, 1947 की धारा 16 की उपधारा (3) के अंतर्गत जनरल नर्सिंग एण्ड मिडवाइफरी में डिप्लोमा के लिए पाठ्यक्रम और विनियम-संशोधित 2001 जो 19 अगस्त, 2006 के भारत के साप्ताहिक राजपत्र में अधिसूचना संख्या 11-1/2006-आईएनसी में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। **देखिए** संख्या एलटी-6920/2007]

...*(व्यवधान)*

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): मैं राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 की धारा 10 के अंतर्गत भारत के राजपत्र में 26 जुलाई, 2007 को प्रकाशित अधिसूचना सं. का.आ. 1226(अ) और का.आ. 1227(अ), जो उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 58 (मेरठ-मुजफ्फरनगर खंड) के विभिन्न भागों के निर्माण (चौड़ा करने, चार लेन वाला बनाने आदि), अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है, की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखी गई। **देखिए** संख्या एलटी-6921/2007]

...(व्यवधान)

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायण मीना): मैं सभापटल पर निम्नलिखित पत्र रखता हूं-

(1) पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 3 के अंतर्गत जारी निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)-

(एक) का.आ. 679(अ) जो 27 अप्रैल, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 29 जनवरी, 1998 की अधिसूचना संख्या का.आ. 93(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(दो) का.आ. 1219(अ) जो 26 जुलाई, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 29 जनवरी, 1998 की अधिसूचना संख्या का.आ. 93(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(तीन) का.आ. 506(अ) जो 31 मार्च, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 30 सितम्बर, 1996 की अधिसूचना संख्या का.आ. 671(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

[ग्रंथालय में रखी गई। **देखिए** संख्या एलटी-6922/2007]

(2) (एक) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली के वर्ष 2005-2006 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली के वर्ष 2005-2006 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एलटी-6923/2007]

...(व्यवधान)

अपराह्न 3.04 बजे

सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति ने 31 अगस्त, 2007 को सभा को प्रस्तुत अपने आठवें प्रतिवेदन में यह सिफारिश की है कि निम्नलिखित सदस्यों को उनके नाम के आगे दी गई अवधि के लिए सभा की बैठकों में अनुपस्थिति की अनुमति दी जाए:-

1. श्री सदशिवराव डी. मंडलिक	23.02.2007 से 13.03.2007
2. श्रीमती सुष्मिता बाउरी	23.02.2007 से 21.03.2007 तथा 26.04.2007 से 17.05.2007
3. कुमारी ममता बनर्जी	23.02.2007 से 21.03.2007 तथा 18.04.2007 से 19.05.2007

4. श्री लक्ष्मण सेठ	26.04.2007 से 22.05.2007
5. श्री प्रकाश परांजपे	26.04.2007 से 17.05.2007 तथा 10.08.2007 से 14.09.2007
6. श्री शिबू सोरेन	28.11.2006 से 19.12.2006 23.02.2007 से 20.03.2007 तथा 26.04.2007 से 06.05.2007
7. श्री रघुनाथ झा	26.04.2007 से 17.05.2007
8. श्री खगेन दास	10.08.2007 से 14.09.2007
9. श्री हरीश नागपाल	23.02.2007 से 20.03.2007 तथा 26.04.2007 से 17.05.2007
10. श्री जसुभाई डी. बारड़	23.02.2007 से 20.03.2007 तथा 26.04.2007 से 17.05.2007
11. श्री राजेश रंजन	27.04.2006 से 28.04.2006 10.05.2006 से 23.05.2006 24.07.2006 से 25.08.2006 तथा 22.11.2006 से 01.12.2006
12. डा. मोहम्मद शहाबुद्दीन	28.11.2006 से 19.12.2006 23.02.2007 से 20.03.2007 तथा 26.04.2007 से 06.05.2007

क्या सभा समिति द्वारा यथा संस्तुत की अनुमति प्रदान करती है?

अनेक माननीय सदस्य: जी हां।

उपाध्यक्ष महोदय: अनुमति प्रदान की गई। सदस्यों को तदनुसार सूचित किया जाएगा।

...(व्यवधान)

अपराह्न 3.04½ बजे

अधीनस्थ विधान संबंधी समिति

सत्रहवां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री एन.एन. कृष्णदास (पालघाट): मैं अधीनस्थ विधान संबंधी समिति का सत्रहवां प्रतिवेदन (हिन्दी और अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

...(व्यवधान)

अपराह्न 3.04¾ बजे

श्रम संबंधी स्थायी समिति

तेईसवां और चौबीसवां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री सुरवरम सुधाकर रेड्डी (नालगौंडा): मैं श्रम संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं:

(1) श्रम और रोजगार मंत्रालय की वर्ष 2007-2008 की अनुदानों की मांगों के बारे में श्रम संबंधी स्थायी समिति के बीसवें प्रतिवेदन (चौदहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी तेइसवां प्रतिवेदन।

(2) वस्त्र मंत्रालय की वर्ष 2007-2008 की अनुदानों की मांगों के बारे में श्रम संबंधी स्थायी समिति के इक्कीसवें प्रतिवेदन (चौदहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी चौबीसवां प्रतिवेदन।

अपराह्न 3.05 बजे

(इस समय श्री वीरेन्द्र कुमार और कुछ अन्य माननीय सदस्य आए और सभापटल के निकट खड़े हो गए।)

अपराह्न 3.05¼ बजे

परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी स्थायी समिति

एक सौ तेईसवां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री समिक लाहिरी (डायमंड हार्बर): महोदय, मैं 'नाविक भविष्य निधि (संशोधन) विधेयक, 2007' के बारे में परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी स्थायी समिति के एक सौ तेईसवें प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

...(व्यवधान)

अपराह्न 3.05½ बजे

कार्य मंत्रणा समिति

इकतालीसवां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी): महोदय, मैं कार्य मंत्रणा समिति का इकतालीसवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

अपराह्न 3.05¾ बजे

मंत्रियों द्वारा वक्तव्य

(एक) कृषि और सहकारिता विभाग, कृषि मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2007-08) के बारे में कृषि संबंधी स्थायी समिति के सत्ताइसवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति*

[अनुवाद]

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह): महोदय, श्री शरद पवार की ओर से मैं लोक सभा समाचार भाग-2 दिनांक 1 सितम्बर, 2004 द्वारा जारी माननीय अध्यक्ष, लोक सभा के निदेश 73-क के अनुसरण में कृषि संबंधी स्थायी समिति (2007-08) के सत्ताईसवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति संबंधी विवरण सभा पटल पर रखता हूं।

कृषि संबंधी स्थायी समिति ने कृषि और सहकारिता विभाग (डीएसी) की वर्ष 2007-08 की अनुदानों की मांगों की जांच की और 27.04.2007 को लोक सभा को सत्ताईसवां प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। प्रतिवेदन में 19 सिफारिशें अंतर्विष्ट हैं। सरकार के की-गई-कार्यवाही उत्तर 8 जुलाई, 2007 को समिति को भेजे गए थे।

कृषि संबंधी स्थायी समिति की सिफारिशों के कार्यान्वयन के संबंध में की-गई-कार्यवाही की स्थिति का ब्यौरा संलग्न विवरण में दी गई है।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: श्री मणिशंकर अय्यर-उपस्थित नहीं।

अपराह्न 3.06 बजे

(दो) 2 सितम्बर, 2007 को जीएसएलवी-एफ 04) इनसैट-4 सीआर का सफल प्रक्षेपण*

[अनुवाद]

प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री पृथ्वीराज चव्हाण): मुझे इस महान सदन को यह सूचना देते हुए खुशी हो रही है कि भू-तुल्यकारी उपग्रह प्रमोचक राकेट, जीएसएलवी-एफ04 ने आंध्र प्रदेश में श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से सितम्बर 2, 2007 को हमारे नवीनतम संचार उपग्रह, इन्सैट-4 सीआर को सफलतापूर्वक प्रमोचित किया है।

2140 किलोग्राम वजन वाला इन्सैट-4 सीआर इन्सैट-4 श्रृंखला का तीसरा उपग्रह है। 12 उच्च-शक्ति वाले के.यू.-बैण्ड प्रेषानुकरों से युक्त इन्सैट-4 सीआर उपग्रह डायरेक्ट-टू-होम (डीटीएच) दूरदर्शन तथा अन्य संचार सेवाओं के लिए इन्सैट की क्षमता का संवर्धन करेगा।

इन्सैट-4 सीआर के कक्षा में प्रवेश करने का साथ ही, कर्नाटक के हासन स्थित मुख्य नियंत्रण सुविधा में संकेत प्राप्त हुए और प्रारंभिक जांच से पता चला है कि उपग्रह सामान्य रूप से कार्य कर रहा है। उपग्रह की कक्षा बढ़ाने हेतु युक्तिचालन कार्य

*सभा पटल पर रखा गया और ग्रन्थालय में भी रखा गया, देखिए संख्या एलटी 6924/2007

*सभा पटल पर रखा गया और ग्रन्थालय में भी रखा गया, देखिए संख्या एलटी 6925/2007

सितम्बर 3, 2007 को प्रारंभ किया गया है और यह सितम्बर 5-7, 2007 तक जारी रहेगा। तत्पश्चात् उपांगों का प्रस्तरण, त्रि-अक्षीय स्थायीकरण, नीतभार को कार्यशील बनाने और कक्षीय परीक्षण का कार्य किया जाएगा। इन्सैट-4सीआर को सितम्बर, 2007 के अंत तक प्रचालनीकृत किया जाएगा।

मैं सदस्यों से अनुरोध करता हूं कि वे मेरे साथ इसरो के अध्यक्ष तथा इसरो दल के सभी सदस्यों को बधाई दें और सफलता के लिए उन्हें शुभकामनाएं दें।

अपराह्न 3.06¼ बजे

समिति का चुनाव

अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की कोर्ट

[अनुवाद]

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी): श्री अर्जुन सिंह की ओर से मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की संविधियों की संविधि 14 के खण्ड 1 और खण्ड 2 के उपखंड (24) के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से जैसाकि अध्यक्ष निदेश दें, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की कोर्ट के सदस्य के रूप में, संविधियों के अन्य उपबंधों के अध्यधीन, कार्य करने के लिए अपने में से छह सदस्य निर्वाचित करें। इस प्रकार निर्वाचित सदस्य विश्वविद्यालय के कर्मचारी नहीं होंगे।"

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की संविधियों की संविधि 14 के खण्ड 1 और खण्ड 2 के उपखंड (24) के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से जैसाकि अध्यक्ष निदेश दें, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की कोर्ट के सदस्य के रूप में, संविधियों के अन्य उपबंधों के अध्यधीन, कार्य करने के लिए अपने में से छह सदस्य निर्वाचित करें। इस प्रकार निर्वाचित सदस्य विश्वविद्यालय के कर्मचारी नहीं होंगे।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: आज की कार्यसूची में शामिल ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर किसी और दिन विचार किया जाएगा।

...(व्यवधान)

अपराह्न 3.06½ बजे

भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण विधेयक, 2007*

[अनुवाद]

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि विमानपत्तनों पर दी जाने वाली वैमानिक सेवाओं के लिए टैरिफ और अन्य प्रभारों को विनियमित करने और विमानपत्तनों के कार्यपालन मानकों को मानीटर करने तथा विवादों का न्याय निर्णयन और अपीलों का निपटान करने के लिए विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण की स्थापना और अपील अधिकरण की भी स्थापना करने तथा उनसे संबंधित या उनसे आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि विमानपत्तनों पर दी जाने वाली वैमानिक सेवाओं के लिए टैरिफ और अन्य प्रभारों को विनियमित करने और विमानपत्तनों के कार्यपालन मानकों को मानीटर करने तथा विवादों का न्याय निर्णयन और अपीलों का निपटान करने के लिए विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण की स्थापना और अपील अधिकरण की भी स्थापना करने तथा उनसे संबंधित या उनसे आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री प्रफुल पटेल: मैं विधेयक प्रस्तुत** करता हूं *...(व्यवधान)*

महोदय, विधेयक के कई खण्डों में भारत की समेकित निधि से होने वाले व्यय शामिल हैं। गलती से ये खण्ड मोटे या तिरछे अक्षरों में मुद्रित नहीं हो पाए हैं।

---

*भारत के राजपत्र, असाधारण भाग-II, खण्ड-2, दिनांक 5.9.2007 में प्रकाशित।

**राष्ट्रपति की सिफारिश से पुर:स्थापित।

[श्री प्रफुल पटेल]

महोदय, मैं आपकी अनुमति से ऐसे खण्ड सभा के ध्यान में लाना चाहता हूं। वे खण्ड जिनमें भारत की समेकित निधि से होने वाला व्यय शामिल हैं, निम्नलिखित हैं:

खण्ड 3(1), खण्ड 6(2), खण्ड 6(3), खण्ड 9(3), खण्ड 22, खण्ड 25(3) और खण्ड 34।

अपराह्न 3.07 बजे

नियम 377 के अधीन मामले*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: आज के लिए सूचीबद्ध नियम 377 के अधीन मामलों को सभा पटल पर रखा माना जाए।

(एक) झारखंड में सिंदरी उर्वरक कारखाने को शीघ्र पुनः चालू किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री चन्द्र शेखर दुबे (धनबाद): महोदय, आपके माध्यम से माननीय मंत्री, रसायन एवं उर्वरक, इस्पात का ध्यान 2002 से बंद झारखण्ड राज्य स्थित एक मात्र सिन्द्री खाद कारखाने को पुनः चालू करने का कार्य अभी तक प्रारंभ नहीं होने की ओर आकृष्ट करते हुए सूचित करना चाहता हूं कि वर्तमान केन्द्रीय सरकार द्वारा देश के अंदर उर्वरक के उत्पाद में बढ़ोत्तरी की दिशा में पहल कर पी.डी.आई.एल. के विशेषज्ञ दल द्वारा किए गए सर्वेक्षण एवं प्रतिवेदन की पूर्ण समवीक्षा कर सिन्द्री खाद कारखाने को चालू करने का निर्णय मंत्रिमंडल द्वारा लिया जा चुका है। केबिनेट की मंजूरी के बाद भी सिन्द्री कारखाना को चालू करने का कार्य अभी तक प्रारंभ नहीं हो पाया है। इस कारखाने के उत्पाद से न केवल झारखण्ड अपितु बिहार, बंगाल और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों को उत्तम किस्म के उर्वरक की आपूर्ति होती थी। इसके बंद होने से पूर्वी क्षेत्र के राज्यों में खाद की कमी होने के कारण किसानों, व्यवसायियों तथा कारखाने में कार्यरत कर्मचारियों को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही उर्वरक आयात से आयातित व्यवसाय अतिशेष पर भी भार बढ़ा है।

अत: मैं सरकार से मांग करता हूं कि सिन्द्री कारखाना को चालू करने का कार्य प्रथम प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र प्रारंभ कराया जाये। यह यू.पी.ए. सरकार की प्रतिबद्धता है, इसे चौदहवीं लोक सभा के कार्यकाल के अंतर्गत अवश्य पूर्ण कराया जाये।

*सभा पटल पर रखे गए।

(दो) पांडिचेरी के कराईकल में कावेरी एसेट के अन्य पिछड़े वर्ग के कर्मचारियों के हितों की रक्षा किए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री एस.के. खारवेनथन (पलानी): भारत सरकार द्वारा 1994 के दौरान कराईकल में पुडुचेरी, कावेरी एसेट शुरू किया था। यह तेल और प्राकृतिक गैस के उत्खनन के लिए प्राथमिक संस्था के रूप में कार्य कर रही है। इस संगठन में लगभग 500 अन्य पिछड़े वर्गों के कर्मचारी कार्यरत हैं। अन्य पिछड़े वर्ग के कर्मचारियों के कल्याण और 27% आरक्षण के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए वर्ष 1994 में एक एसोसिएशन बनाई गई थी।

ओ.एन.जी.सी. प्रबंधन के आदेश सं. एचयू/सी.ए./8/(20)/95 दिनांक 31.2.1995 के निदेश के अनुसार उक्त एसोसिएशन अन्य पिछड़े वर्ग के कर्मचारियों के वेतन चिट्ठे से वर्ष 1995 से 2004 (खाता कोड संख्या 193129) तक अंशदान की कटौती की गई और उसे एसोसिएशन को प्रेषित किया गया।

दक्षिण क्षेत्र में "श्रमिक" के कार्यान्वयन के पश्चात् बिना पूर्व सूचना के वेतन चिट्ठे से अंशदान की कटौती को रोक दिया गया। इसके परिणामस्वरूप, एसोसिएशन माननीय अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक, निदेशक (मानव संसाधन) से वेतन चिट्ठे के अंशदान की कटौती के लिए आईएनएफओ-टाइप 0057 और वेजज टाइप 9212 को सक्रिय बनाने के लिए बार-बार अभ्यावेदन दे रही है और ओ.एन.जी.सी. प्रबंधन के साथ विधिक स्तरों पर इस एसोसिएशन की आवधिक बैठकों के आयोजन के लिए तथा सुविधाओं अर्थात् एसोसिएशन के कार्यकरण हेतु कक्ष की व्यवस्था आदि करने के लिए आदेश जारी करने का भी अनुरोध कर रही है।

उक्त एसोसिएशन ने ओ.एन.जी.सी. अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक से आवधिक बैठकों और अन्य लाभों के लिए आदेश जारी करने का अनुरोध किया है। लेकिन अभ्यावेदन अभी भी लंबित है। इस अभ्यावेदन के लंबित रहने के दौरान ही कुछ श्रमिक नेताओं ने आफ आल इंडिया ओएनजीसी ओवीसी एण्ड एमबीसी इम्पलाइज वेलफेयर एसोसिएशन नामक एक एसोसिएशन का गठन किया और इसके लिए अचानक 28 अगस्त, 2007 को अनुमति प्रदान कर दी गई और अप्रैल, 2005 से भूतलक्षी प्रभाव से वेतन चिट्ठे से अंशदान संगठित करने का भी निर्देश दिया गया।

इसलिए, मैं भारत सरकार से 28 अगस्त, 2007 को जारी आदेश को निरस्त करने और ओएनजीसी ओवीसी इम्पलाइज वेलफेयर एसोसिएशन और अ.पि.व. के कर्मचारियों के हितों की रक्षा के लिए अनुकूल आदेश जारी करने का अनुरोध करता है।

(तीन) सौराष्ट्र के मूंगफली उत्पादकों को फसल बीमा की बकाया राशि का भुगतान किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री वी.के. दुम्मर (अमरेली): महोदय, देश में फसल बीमा योजना आरम्भ की गयी है, जिसमें कई विसंगतियां थीं, जिसे कि इस सरकार ने दूर किया है। मेरा सरकार से यह भी अनुरोध है कि फसल बीमा योजना के भुगतान की एक समय-सीमा रखी जाये। साथ ही किसानों को जो औपचारिकताएं पूरी करनी पड़ती हैं उनको आसान बनाया जाये। इसके लिए फसल बीमा प्राधिकरण का गठन भी किया जाये। जो फसल बीमा योजना की शिकायत का निपटारा प्रभावी ढंग से कर सके। गुजरात के सौराष्ट्र रीजन में एवं मेरे संसदीय क्षेत्र अमरेली में 2006-2007 वित्तीय वर्ष के फसल बीमा योजना के अंतर्गत मूंगफली की फसल बीमा का भुगतान अभी तक नहीं हो पाया है, जिसके कारण किसानों को बहुत दिक्कत हो रही है और उन्होंने जो ऋण ले रखा था उसका भुगतान करने में असमर्थ है और दूसरी ओर अल्पकाल के लिए ऋण नहीं मिल रहा है।

सदन के माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि गुजरात के सौराष्ट्र के रीजन के मूंगफली के किसानों को कृषि फसल बीमा योजना के अंतर्गत अब तक जो राशि लंबित है, उसका तुरंत भुगतान किया जाये एवं कृषि फसल बीमा योजना को भुगतान एक निश्चित समय के अंतर्गत कर दिये जाने का प्रावधान जल्द से जल्द रखा जाये।

(चार) हुबली-अंकोला रेल लाइन परियोजना और चामराजनगर कानपुर-बंगलोर नई रेल के संबंध में कर्नाटक सरकार द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों पर शीघ्र कार्यवाही किए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री इकबाल अहमद सरडगी (गुलबर्गा): महोदय, कर्नाटक सरकार ने केन्द्र सरकार को निम्नलिखित दो प्रस्ताव प्रस्तुत किये हैं:

(एक) हुबली-अंकोला नई रेल लाइन परियोजना 9.1.2007 को प्रेषित की गई। लगभग 998 करोड़ की लागत वाली यह 167 कि.मी. नई रेल लाइन परियोजना बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह उत्तर कर्नाटक के भीतरी इलाके को पश्चिम तट पर स्थित पत्तनों से जोड़ती है। इससे लौह अयस्क की हास्पेट क्षेत्र से पत्तनों तक निर्यात हेतु ढुलाई करने में मदद मिलेगी। इस कार्य का कार्यान्वयन हो रहा था। राज्य वन विभाग ने अपनी मंजूरी दे दी है। पर्यावरण और वन मंत्रालय तथा रेलवे को केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति से मंजूरी लेनी होगी।

(दो) चामराजनगर-कनकपुर-बंगलौर नई रेल लाइन परियोजना। इस परियोजना का रेल मंत्रालय ने सर्वेक्षण किया था। चामराजनगर कर्नाटक का सबसे पिछड़ा जिला है। इसमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोग काफी अधिक संख्या में रहते हैं। यह रेल लाइन चामराजनगर को बंगलौर से जोड़ती है और इससे चामराजनगर एवं रामनगरम ज़िले का सामाजिक-आर्थिक विकास करने में मदद मिलेगी।

उक्त दोनों प्रस्ताव जनवरी, 2007 में प्रस्तुत किये गये थे तथा ये कर्नाटक राज्य के लिये महत्वपूर्ण हैं।

मेरा सरकार से आग्रह है कि वह इन दोनों प्रस्तावों पर विचार करने और इन्हें मंजूरी प्रदान करने हेतु तत्काल कदम उठायें।

(पांच) पालनपुर और गांधीधाम के बीच स्थानीय रेल सेवा बहाल किए जाने, गुजरात मेल को पालनपुर तक बढ़ाए जाने और माउंट आबू तथा अहमदाबाद के बीच डीएमयू रेल सेवा शुरू किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री हरिसिंह चावड़ा (बनासकांठा): महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र बनासकांठा के पालनपुर से गांधीधाम के बीच मीटर गेज से ब्राड गेज लाइन बदलने से पहले कई लोकल रेल सेवाएं चलती थीं परन्तु ब्राड गेज लाइन बनने के बाद इस रेलवे खंड पर कोई लोक रेल सेवा वर्तमान समय में नहीं चल रही है जिसके कारण इस रेलवे प्रखंड के आसपास के गांव के लोगों को बहुत असुविधा हो रही है। वर्तमान समय से मुम्बई से अहमदाबाद के बीच गुजरात मेल चलती है, वह पन्द्रह घंटे अहमदाबाद रेलवे स्टेशन पर खड़ी रहती है। अगर इस रेल सेवा को पालनपुर तक बढ़ा दिया जाये तो उत्तर गुजरात से मुम्बई जाने वाले रास्ते के यात्रियों को बहुत सुविधा होगी और रेलवे को अतिरिक्त आय भी मिलेगी। साथ ही सदन के माध्यम से यह भी निवेदन है कि माउंट आबू से अहमदाबाद के बीच एक डी.एम.यू. रेल सेवा चलती है। लोगों की मांग के अनुसार दो डी.एम.यू. रेल सेवा अहमदाबाद और पालनपुर तक चलाया जाये।

[श्री हरिसिंह चावड़ा]

सदन के माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि पालनपुर से गांधीधाम तक पूर्व की भांति लोकल रेल सेवा चलायी जाये, मुम्बई से अहमदाबाद चलने वाली रेल सेवा को पालनपुर तक बढ़ाया जाये एवं माउंट आबू से अहमदाबाद के बीच एक और डी.एम.यू. रेल सेवा चलाई जाये।

(छह) देश में बाल मृत्यु की बढ़ती घटनाओं की जांच कराए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

सुश्री इन्ग्रिड मैक्लोड (नामनिर्दिष्ट): मैं सरकार का ध्यान देश में विभिन्न जिला अस्पतालों में शिशु मृत्यु दर में अचानक हुई वृद्धि की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। हाल ही में सरकारी बाल रोग चिकित्सकों की लापरवाही से उन्हीं बच्चे जिन्हें बचाने के लिए उन्हें नियोजित किया गया है, की मृत्यु की कई रिपोर्टें आई हैं। छत्तीसगढ़ राज्य के रायगढ़ के जिला अस्पताल में भर्ती गरीब परिवारों के बच्चों की घोर दुर्दशा इसका उदाहरण है। 2005 से छत्तीसगढ़ के रामगढ़ जिला अस्पताल में शिशु मृत्यु दर के 1024 मामले सामने आए हैं। इसी वर्ष 179 बच्चों की मृत्यु हई है। 1 मई से 3 जून, 2007 तक 34 दिनों में 59 बच्चों की मृत्यु हुई है। अस्पताल में उपलब्ध जीवन रक्षक सुविधाओं से बच्चों की मृत्यु दर की तुलना करें। प्रति वर्ष 40 लाख रुपये की दवाएं खरीदी जाती है। पिछले वर्ष अचानक बीमारियां फैल जाने के कारण 2 करोड़ रुपये की दवाएं खरीदी गई थीं। तब एक इसी अस्पताल में इतने सारे बच्चे कैसे मर गए। मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि इस मामले की जांच करायें और अपराधिक तथा चिकित्सीय लापरवाही के लिए इस अस्पताल के चिकित्सकों की जिम्मेदारी निर्धारित करें।

(सात) अरुणाचल प्रदेश के सभी प्रशासनिक केन्द्रों को जोड़े जाने तथा तेजपुर (असम) से तवांग (अरुणाचल प्रदेश) तक डिफेंस रोड को चौड़ा किए जाने के लिए आवश्यक धनराशि उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता

श्री कीरेन रिजीजू (अरुणाचल पश्चिम): अरुणाचल प्रदेश पूर्वोत्तर का सबसे बड़ा राज्य है और सामरिक रूप से संवेदनशील स्थान पर स्थित है जिसके पूर्व में बर्मा, उत्तर में चीन और पश्चिम में भूटान स्थित है। राज्य में सड़क संपर्क देश में सबसे कम है और 70% से भी अधिक क्षेत्र में सड़क संपर्क नहीं है। सीमा क्षेत्रों में स्थानीय लोगों को अभी भी अपने निकटतम प्रशासनिक केंद्रों तक पहुंचाने के लिए बेहद कठिन और ऊबड़-खाबड़ क्षेत्रों से गुजरते हुए कई दिन तक पैदल चलना पड़ता है। राज्य सरकार की सभी जिला मुख्यालयों को जोड़ने वाले पूर्व-पश्चिम राजमार्ग का निर्माण करने संबंधी मांग काफी समय से लंबित है।

मैं दोहराना चाहूंगा और सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय से अनुरोध करूंगा कि कम से कम अरुणाचल प्रदेश राज्य के सभी प्रशासनिक केन्द्रों को जोड़ने और तेजपुर से तवांग तक रक्षा मार्ग जो कि बीआरओ द्वारा अनुरक्षित किया जाता है, को चौड़ा करने के कार्य को तुरंत पूरा करने हेतु आवश्यक निधियां मुहैया कराने के लिए तुरंत कदम उठाये जाये।

(आठ) हरियाणा को भाखड़ा नहर के जल का उपयोग करने से रोके जाने और रावी-व्यास नदी का शेष 0.17 एम.ए.एफ. जल राजस्थान को दिए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री राम सिंह कस्वां (चुरू): महोदय, हरियाणा ने नई लिंक नहर का निर्माण कर राजस्थान के पानी पर नया संकट खड़ा कर दिया है। हरियाणा हांसी, भिवानी व रोहतक जिलों की फसलों को सींचने के लिए लिंक नहर का निर्माण कर रहा है, जिसके लिए वह भाखड़ा मुख्य नहर से पानी लेने की तैयारी कर चुका है। हरियाणा भांखड़ा मेन लाईन के जरिए रावी-व्यास पानी को भाखड़ा सतलुज लिंक नहर से रोहतक तक ले जाना चाहता है, इसी नहर से राजस्थान का पानी आता है। हरियाणा के इस कदम के खिलाफ पंजाब तो सुप्रीम कोर्ट चला गया है तथा राजस्थान सरकार ने भी इसके लिए तैयार कर ली है। हरियाणा की इस नई नहर के लिए भाखड़ा मुख्य नहर से पानी दिया जाता है, तो राजस्थान की सिंधमुख-नोहर के लिए पानी का संपट पैदा हो जाएगा। इस नहर से 1 लाख 12 हजार हेक्टेयर क्षेत्र की सिंचाई होती है। सिधमुख-नोहर के लिए राजस्थान के 0.57 एम.ए.एफ. दावे पर 0.47 एम.ए.एफ. पर फैसला किया गया था, जिसमें वर्तमान ने 0.30 एम.ए.एफ. पानी ही उपलब्ध करवाया जा रहा है। राजस्थान ने वर्ष 2002 में ही सिधमुख-नोहर परियोजना से सिंचित क्षेत्र की सिंचाई हेतु पूर्ण क्षमता विकसित कर ली है। अत: रावी व्यास के अधिक्य पानी से राजस्थान के हिस्से का शेष 0.17 एम.ए.एफ. पानी आबंटित किया जाना अत्यंत आवश्यक है।

मेरा भारत सरकार से अनुरोध है कि हरियाणा द्वारा नई नहर के निर्माण से उपयोग होने वाले पानी पर तुरंत रोक लगायी जाये एवं रावी व्यास के अधिक्य पानी से राजस्थान के हिस्से का शेष 0.17 एम.ए.एफ. पानी राजस्थान को तुरंत आबंटित किया जाये।

(नौ) राजस्थान के समग्र विकास हेतु राज्य को अतिरिक्त धनराशि उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता

श्री गिरधारी लाल भार्गव (जयपुर): महोदय, राज्य के सुधार की सुविधा के तहत राजस्थान को कम राशि दी जाती है, जबकि अन्य राज्यों को अधिक राशि दी जा रही है। राजस्थान एक विशाल मरूस्थलीय पहाड़ी और भारत के सम्पूर्ण राज्यों में सबसे बड़ा राज्य है। जहां की खेती वर्षा पर ही निर्भर है और राजस्थान को हिन्दुस्तान के पानी का कुल एक प्रतिशत ही पानी मिलता है।

मेरी केन्द्र सरकार से मांग है कि राजस्थान को राजकोषीय सुविधा के तहत राज्य को अधिक प्रोत्साहन राशि मिलनी चाहिए, जिसके लिए अभी तक वंचित रहा है, जिससे कि इसके विकास में बाधा उत्पन्न हो रही है।

(दस) उत्तर प्रदेश के जालौन संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में राष्ट्रीय सम विकास योजना के तहत कार्यों के असंतोषजनक कार्यान्वयन की जांच किए जाने की आवश्यकता

श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा (जालौन): महोदय, मेरे लोक सभा क्षेत्र जालौन में केंद्रीय सरकार द्वारा समविकास योजना के अंतर्गत करोड़ों रुपया दिया गया, उसका उपयोग सही तरीके से नहीं किया गया, जो सड़कें बनाई गई, उसका पैसा अधिकारियों एवं ठेकेदारों द्वारा पूरा नहीं लगाया गया है। विद्युत विभाग में जो पैसा दिया गया, तार नहीं बदले गये तथा कहां-कहां पैसा खर्च किया उसके पोस्टर नहीं लगाये हैं। कोंच नगर में 5 एम.वी.ए. की जगह 8 एम.वी.ए. का सब स्टेशन बनाया गया था एवं मेरे द्वारा निजी धन पर इसका उद्घाटन करने वाला पत्थर अधिशासी अभियंता द्वारा हटा दिया गया है एवं भूमि संरक्षण विभाग ने जो पैसा लेकर बन्धी कार्य मजदूरों द्वारा कराना था, वह मजदूरों से न कराकर कांट्रेक्टर से कराया गया तथा मस्टररौल में भी अनियमितताएं पाई गई हैं।

मेरी केन्द्र सरकार से मांग है कि सिक्किम समविकास योजना के तहत जिन विभागों को पैसा दिया गया उसका सदुपयोग नहीं किया गया है।

अत: केन्द्रीय स्तर पर कमेटी बनाकर उपरोक्त बिन्दुओं की जांच कराने का कष्ट करें तथा जांच के समय मुझे भी अवगत कराया जाये।

(ग्यारह) अजमेर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में विभिन्न जल योजनाओं के लिए धनराशि की लंबित किश्तें जारी किए जाने की आवश्यकता

प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर): महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र अजमेर जिले में ग्रामीण विकास विभाग, भारत सरकार द्वारा संचालित विभिन्न जलग्रहण योजनाओं तथा डीडीएपी, डीडीपी, आईडब्ल्यूडीपी आदि के अंतर्गत विभिन्न बैचों की बकाया किस्तें नहीं भेजे जाने के कारण योजनाओं की प्रगति पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। डीपीएपी-बैच 7, 8 और 10 (हरियाली 11) की क्रमश: पंचम किस्त और तृतीय किस्त तथा डीपीए बैच-7 की 5वीं, 6वीं तथा 7वीं किस्तें तथा डीडीपी बैच-8 की भी 5वीं, 6वीं और 7वीं किस्तें तथा डीडीपी-11 (हरियाली-11) की द्वितीय किस्त तथा आईडब्ल्यूयूडीपी सापली (अराई ब्लाक) की चौथी किस्त बकाया है। कई बार डीआरओ, अजमेर द्वारा राज्य सरकार के माध्यम से भारत सरकार को लिखे जाने तथा मेरे द्वारा लिखित में अनुरोध करने पर भी ग्रामीण विकास विभाग, भारत सरकार द्वारा इन किस्तों की राशियां प्रेषित नहीं की गई। परिणामस्वरूप योजनाओं में वास्तविक व्यय प्रगति नहीं आ पा रही है। 2007-2008 द्वारा निर्धारित व्यवस्थानुसार कार्य संपन्न नहीं हो पा रहा है तथा प्रस्तावित किस्तों की राशि प्राप्त न होने पर आगामी किस्तों का प्रस्ताव भी भारत सरकार को नहीं भेजा जा सकता। किस्तों के अभाव में मजदूरों की मजदूरी का भुगतान भी कई महीनों से बकाया चल रहा है। मेरी अध्यक्षता में होने वाली सतर्कता समिति की त्रैमासिक बैठकों में भी यह प्रकरण उठाया जा चुका है। अत: भारत सरकार से अनुरोध है कि उपरोक्त डीपीएपी, डीडीपी तथा आईडब्ल्यूडीपी के किस्तों की बकाया राशि का अविलंब भुगतान कराए जाने के आदेश प्रदान करावें, जिससे अजमेर जिले में ग्रामीण विकास की गाड़ी आगे गति पकड़ सके।

(बारह) बंगाल के महान स्वतंत्रता सेनानी श्री वीरेन्द्र नाथ ससमाल के सम्मान में स्मारक टिकट जारी किए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री प्रशान्त प्रधान (कोंटई): स्वतंत्रता-पूर्व के युग में बंगाल में अंग्रेजी शासन के खिलाफ लड़ने के लिये हमारे प्यारे देश को कई स्वतंत्रता सेनानी और नेता दिये। वीरेन्द्र नाथ ससमाल उन स्वतंत्रता सेनानियों में से एक थे जिन्होंने अंग्रेजी सरकार के साथ कभी समझौता नहीं किया। बंगाल में न केवल एक प्रख्यात नेता, राजनीतिज्ञ बल्कि भारत में भी एक विख्यात हस्ती थे जो जीवन के किसी भी क्षेत्र में समझौता नहीं करते थे। वे गरीबों में इतने विख्यात थे कि लोग उन्हें 'देशारपन' करते थे। उन्होंने बंगाल के मिदनापुर जिले में आम लोगों पर लगाये गये अवैध कर के खिलाफ यूनियन बोर्ड आंदोलन आरंभ किया।

इस प्रकार के नेता और स्वतंत्रता सेनानी को सरकार को भारी सम्मान देना चाहिये। इस संबंध में, मैं संचार और सूचना प्रौद्योगिकी

[श्री प्रशान्त प्रधान]

मंत्री का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि वे शीघ्र एक ऐसा डाक टिकट जारी करें जिसमें उनका फोटो भी हो।

(तेरह) वैज्ञानिक पद्धति से गरीबी की रेखा से नीचे आने वाले परिवारों की पहचान के लिए तथा सभी पात्र परिवारों को इसमें शामिल किए जाने की दृष्टि से मानकों की पुनरीक्षा किए जाने की आवश्यकता

श्री पी. करूणाकरन (कासरगोड): मैं सरकार का ध्यान न केवल केरल, अपितु हमारे देश के विभिन्न राज्यों में कुछ गंभीर मुद्दों की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों की पहचान हेतु योजना आयोग और केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित मानक बिल्कुल भी वैज्ञानिक नहीं है। इसके कारण गरीब व्यक्तियों तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्गों से संबंधित लोगों को अत्यधिक कठिनाई का सामना करना पड़ता है। यह सभी राज्यों के मामले में सत्य है। योजना आयोग और केंद्र सरकार ने गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों की पहचान करने के संबंध में कोई गंभीर अध्ययन नहीं किया है। अखिल भारतीय स्तर पर निर्धारित मानकों से प्रत्येक राज्य में वास्तविक स्थिति का भी पता नहीं चलता है। इसके परिणामस्वरूप, अनेक परिवारों को गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले लोगों संबंधी सूची से बाहर कर दिया गया है। प्रत्येक राज्य हेतु केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित कोटे की कोई वैधता नहीं है। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति परिवारों से संबंधित गरीब परिवारों को भी विभिन्न योजनाओं के लाभ नहीं दिये गये हैं। यह केरल राज्य और अनेक अन्य राज्यों को खाद्यान्न के आबंटन के मामले में सत्य है। भारत सरकार ने केरल राज्य में गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले 15.54 लाख परिवारों का अनुमान लगाया था, परन्तु अगस्त, 2002 तक राज्य में गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों की वास्तविक संख्या 20.22 लाख थी। केरल राज्य को 58.273 मीट्रिक टन खाद्यान्न पाने का अधिकार है। परन्तु आबंटन केवल 41.824 मीट्रिक टन है। अत:, सरकार को राज्य द्वारा सभी पहचान किये गये गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों को गरीबी की रेखा से नीचे रहने वालों के लिये निर्धारित दरों पर खाद्यान्नों का आबंटन करना है। केंद्र सरकार को भी पात्र परिवारों को लाभ देने के मद्देनजर मानकों में परिवर्तन करने हेतु अवश्य ही कदम उठाने चाहिये।

(चौदह) उत्तर प्रदेश के सलेमपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में एक केन्द्रीय विद्यालय स्थापित किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री हरिकेवल प्रसाद (सलेमपुर): महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र सेलमपुर में कोई भी केन्द्रीय विद्यालय नहीं है इसके लिए ग्राम पंचायत चेरो ने चेरो गांव के पास केंद्रीय विद्यालय हेतु भूमि आबंटित कर दी है और इसकी सूचना जिला प्रशासन को भी दे दी है। यह भूमि सड़क के किनारे पर स्थित है और सलेमपुर से मात्र पांच किलोमीटर की दूरी पर है। सलेमपुर में केंद्रीय विद्यालय स्थापित करने हेतु काफी समय से मांग की जा रही है परन्तु सरकार ने इस पर अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की है। इस साल कई सांसदों को उनके कोटे में प्रवेश भी नहीं दिया क्योंकि कोटा में बताया गया कि जिन सांसदों के संसदीय क्षेत्रों में केंद्रीय विद्यालय नहीं थे, उनको अपने कोटे के लाभ से वंचित होना पड़ा। यह संसदीय इतिहास में पहली बार हुआ है। संसदीय क्षेत्र में स्कूल नहीं होने पर पास के जिले में कोटे के अंतर्गत प्रवेश दे दिया जाता है। साथ ही साथ यह भी अनुरोध है कि प्रत्येक सांसद के संसदीय क्षेत्र में एक-एक केंद्रीय विद्यालय खोला जाये।

सदन के माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि मेरे संसदीय क्षेत्र सलेमपुर में शीघ्र एक केंद्रीय विद्यालय स्थापित किया जाये।

(पन्द्रह) बिहार के पटना विश्वविद्यालय को केन्द्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिए जाने की आवश्यकता

श्री राम कृपाल यादव (पटना): महोदय, पटना विश्वविद्यालय देश के अति प्राचीन विश्वविद्यालय में गिना जाता है। यह विश्वविद्यालय प्राचीन होने के साथ-साथ कई सब्जेक्ट्स में अपना एक उच्च स्थान रखता है। पटना विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा देने के लिए काफी दिनों से मांग होती आ रही है। सदन में माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री जी ने आश्वासन भी दिया था। किंतु, इस संबंध में अभी तक कोई ठोस कार्रवाई केंद्र सरकार द्वारा नहीं की गई है। इस कारण बिहार की जनता में काफी रोष है। केन्द्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा मिलने से पटना विश्वविद्यालय का मान सम्मान और गौरव बढ़ेगा। आजादी की 60वीं वर्षगांठ पर प्रधानमंत्री जी की चिंता एवं अधिक केन्द्रीय विश्वविद्यालय खोलने की घोषणा से बिहार के लोगों में आशा की किरण जागी है। बिहार वैसे ही उपेक्षित है वहां मेधा की कमी नहीं है। वहां से मेधावी छात्रों का तो पलायन हो रहा है। बिहार में भी कम से कम एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय होने से वहां उच्च शिक्षा के स्तर में काफी सुधार होने के साथ-साथ वहां के मेधावी छात्रों का पलायन रूकेगा और राज्य के विकास में मील का पत्थर साबित होगा।

अत: मैं इस सदन के माध्यम से माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री जी का ध्यान इस ओर आकृष्ट करना चाहता हूं और आग्रह करता हूं कि विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा देने के लिए जल्द से जल्द कार्रवाई करने की कृपा करें।

(सोलह) गैर-सरकारी संगठनों के माध्यम से गुजरात के परभनी जिले में "कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय" योजना का कार्यान्वयन किए जाने की आवश्यकता

श्री तुकाराम गणपतराव रेंगे पाटील (परभनी): महोदय देश में अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों की बालिकाओं को शिक्षा दिये जाने हेतु उनको होस्टल व्यवस्था उपलब्ध कराने हेतु कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय नामक योजना की शुरूआत की गई है। परन्तु मेरे संसदीय क्षेत्र परभनी जिले में आज तक राज्य सरकार ने कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय के प्रस्ताव को मंजूरी नहीं देने से न केवल मेरे संसदीय क्षेत्र बल्कि पूरे महाराष्ट्र के अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों की बालिकाओं को इस योजना से वंचित होना पड़ रहा है। राज्य सरकार के पास इस योजना को चलाने के लिए समुचित ढांचा नहीं है और जिला परिषद काम की अधिकता एवं स्टाफ की कमी से इस योजना को सफलतापूर्वक नहीं चला पायेगी। अत: इस योजना को गैर-सरकारी संगठनों के माध्यम से चलाया जाये।

सदन के माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि इस योजना को महाराष्ट्र में गैर-सरकारी संगठनों के माध्यम से चलाया जाये।

(सत्रह) नीलांचल इस्पात निगम लिमिटेड को यथाशीघ्र स्टील आथोरिटी आफ इंडिया लिमिटेड के साथ मिलाए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री भर्तृहरि महताब (कटक): वाणिज्य मंत्रालय के एम.एम.टी.सी. द्वारा स्थापित एक परियोजना, नीलांचल इस्पात निगम का विलय स्टील अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड के साथ होने वाला है। यद्यपि वाणिज्य मंत्रालय की नीलांचल इस्पात निगम लिमिटेड पर नियंत्रण है, फिर भी, मंत्रालय की इसके विस्तार अर्थात् इस्पात निर्माण में कोई रुचि नहीं है। उन्हें कच्ची सामग्री की आपूर्ति पर प्रत्येक बार और अंतिम रूप से तैयार उत्पादों की बिक्री पर 6% कमीशन मिलता है। परन्तु उड़ीसा सरकार, जो एक अन्य प्रवर्तक है, को कोई हिस्सा नहीं मिलता है। चूंकि एम.एम.टी.सी. इस्पात निर्माण के कारोबार में नहीं है, अत: उनके पास इस क्षेत्र में कोई विशेषज्ञता नहीं है। और इस तरह भविष्य में विस्तार हेतु निधियों का निवेश करने में कोई स्पष्ट रुचि नहीं दर्शाई जा रही है तथा प्रतिस्पर्धी विश्वव्यापी बाजार का सामना करने के लिये इस्पात और अन्य मूल्यवर्धित उत्पादों के उत्पादन और विस्तार करने की तत्काल आवश्यकता है।

स्टील अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड भी विश्वव्यापी बाजार में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने की दौड़ में शामिल है और उसने अपने अर्जित लाभों से सभी इकाईयों के विस्तार का कार्य आरम्भ किया है। नीलांचल इस्पात निगम लिमिटेड के साथ विलय करने की तत्काल आवश्यकता है। हाल ही में आई.डी.बी.आई. ने एन.आई.एन.एल. के शेयरों का मूल्यांकन किया था। बाद में एक अन्य निजी मूल्यांकन करने वाले ने भी इसका मूल्यांकन किया था। ऐसा समझा गया है कि दोनों मूल्यांकन लगभग एक जैसे थे। इसमें रुचि रखने वाले लोगों द्वारा एन.आई.एन.एल. संयंत्र को निजी हाथों में हस्तांतरित करने संबंधी प्रयास किया गया है, इसलिये मैं सरकार से इस प्रयास को विफल करने तथा शीघ्रतिशीघ्र स्टील अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड के साथ एन.आई.एन.एल. का निर्विघ्न विलय सुनिश्चित करने का अनुरोध करता हूं।

(अठारह) भारत के पूर्व उप प्रधानमंत्री स्व. श्री वाई.बी. चव्हाण की महाराष्ट्र के सतारा जिले में स्थित समाधि को संरक्षित किए जाने की आवश्यकता

श्री श्रीनिवास दादासाहेब पाटील (कराड़): विगत तीन वर्षों से भारी बाढ़ से भारत के दिवंगत उप प्रधानमंत्री श्री वाई.बी. चौव्हाण की 'समाधि', जो कृष्णा नदी और कोयना नदी के संगम पर स्थित है, को काफी क्षति पहुंची है। बाध से 'समाधि' को संरक्षित करने के मद्देनजर महाराष्ट्र के सतारा जिले में कृष्णा नदी के तट पर बाढ़ से बचाव वाले ढांचे के निर्माण की अत्यधिक आवश्यकता है। केंद्र सरकार को इसके हेतु आवश्यक निधियां उपलब्ध करानी चाहिये।

(उन्नीस) झारखंड में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 80 के अनुरक्षण और सुधार के लिए धनराशि जारी किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री हेमलाल मुर्मू (राजमहल): महोदय, झारखण्ड राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों के अनुरक्षण, मरम्मत और विस्तार आदि कार्यों के लिए विस्तृत प्रस्ताव राज्य सरकार के द्वारा केंद्र सरकार को व्यक्तिगत साक्षात्कार के आधार पर समर्पित किया गया है, जिसमें जर्जर राष्ट्रीय राजमार्ग 80 का भी उल्लेख है। इस संबंध में हमने केन्द्र सरकार को लोक सभा और पत्र के माध्यम से समय-समय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते रहे हैं, परंतु प्रगति शून्य है। राजमार्ग-80 झारखण्ड के पिछड़े क्षेत्रों सहित ऐतिहासिक और पर्यटन स्थल राजमहल के विकास के लिए जीवनरेखा हो सकता है, परंतु उपेक्षित है।

[श्री हेमलाल मुर्मू]

आदिवासी राज्य झारखण्ड के विकास के लिए सड़कों के उन्नयन एवं विकास के लिए प्राथमिकता होनी चाहिए। प्रतिवर्ष बाढ़ के कारण एनएच-80 क्षतिग्रस्त हो जाता है परंतु इसके मरम्मत के लिए आवश्यक उपाय नहीं किये जाते।

अतः राष्ट्रीय राजमार्ग-80 के अनुरक्षण, मरम्मत, चौड़ीकरण, उन्नयन एवं विकास के लिए समयबद्ध परियोजनाएं शुरू करने और एनएच-80 पर प्रस्तावित पुल निर्माण हेतु विशेष आर्थिक पैकेज जारी करने हेतु आवश्यक निर्देश जारी करने की महती कृपा की जाये।

(बीस) देश में राष्ट्रीय राजमार्गों की दशा में सुधार लाए जाने की आवश्यकता

श्री रामदास आठवले (पंढरपुर): महोदय देश में नेशनल हाईवे की बहुत ही खराब स्थिति है, जिसके परिणामस्वरूप हमारे देश में सड़क दुर्घटनाओं में तेजी से वृद्धि हो रही है और प्रत्येक वर्ष न केवल हजारों लोग सड़क दुर्घटनाओं में मर जाते हैं बल्कि बड़ी संख्या में गंभीर रूप से घायल भी हो जाते हैं। इन दुर्घटनाओं का एक प्रमुख कारण यह है कि नेशनल हाईवे की स्थिति ठीक नहीं है तथा जो सड़क दुर्घटनाएं होती हैं, वह आमने-सामने होती हैं।

नेशनल हाईवे को वन-वे बनाये जाने की आवश्यकता है, ताकि सड़क दुर्घटनाओं में कमी आ सके तथा इसके अलावा सड़क बनाने वाली अच्छी कंपनियों को ही कान्ट्रेक्ट दिये जाने चाहिए एवं सरकार विदेश से इस प्रकार की तकनीकी भी विकसित करें ताकि हमारे देश में जो सड़क बनायी जाये वह कम से कम 20-25 वर्षों तक अच्छी हालत में रहे।

मेरा सदन के माध्यम से केंद्र सरकार से अनुरोध है कि वह इस बारे में समुचित कदम उठाए।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी): महोदय, ऐसा प्रतीत होता है कि वे सच्चर समिति के प्रतिवेदन पर चर्चा का विरोध कर रहे है। *...(व्यवधान)* अब उनकी पोल खुल गई है। *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: सभा कल पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत होने के लिये स्थगित होती है।

अपराह्न 3.07 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा गुरुवार, 6 सितम्बर, 2007/15 भाद्रपद, 1929 (शक) के पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई।

अनुबंध I

तारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका

(दिनांक 03.09.2007)

क्र.सं.	सदस्य का नाम	तारांकित प्रश्नों की संख्या
1.	श्री बृज किशोर त्रिपाठी	281
2.	श्री मोहन रावले	282
3.	श्री थावरचन्द गेहलोत	283
4.	डा. सत्यनारायण जटिया श्रीमती रूपाताई डी. पाटील	284
5.	श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया	285
6.	श्री एस.के. खारवेनथन श्री सूरज सिंह	286
7.	श्री किसनभाई वी. पटेल श्री सुग्रीव सिंह	287
8.	श्री मनसुखभाई डी. वसावा श्री काशीराम राणा	288
9.	श्री श्रीपाद येसो नाईक श्री चन्द्र मणि त्रिपाठी	289
10.	श्री एम. राजा मोहन रेड्डी	290
11.	श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु श्री जसुभाई धानाभाई बारड़	291
12.	श्री पारसनाथ यादव श्री किन्जरपु येरननायडु	292
13.	श्री के.जे.एस.पी. रेड्डी श्री जी. करूणाकर रेड्डी	293
14.	एडवोकेट सुरेश कुरूप	294
15.	श्री नरहरि महतो	295
16.	श्री श्रीचन्द कृपलानी श्री अनंत गुढ़े	296
17.	श्री जे.एम. आरून रशीद	297
18.	श्री हरिभाऊ जावले	298
19.	श्री फ्रांसिस फैन्थम	299
20.	श्री पी.सी. गद्दीगउडर	300

तारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका

(दिनांक 05.09.2007)

क्र.सं.	सदस्य का नाम	तारांकित प्रश्नों की संख्या
1.	श्री इकबाल अमहद सरडगी	301
2.	श्री बृज किशोर त्रिपाठी	302
3.	श्रीमती रूपाताई डी. पाटील	303
4.	श्री रनेन बर्मन श्री हितेन बर्मन	304
5.	श्री धर्मेन्द्र प्रधान श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव	305
6.	श्री रायापति सांबासिवा राव श्री किन्जरपु येरननायडु	306
7.	डा. के.एस. मनोज	307
8.	श्री अनंत गुढ़े श्री श्रीचन्द कृपलानी	308
9.	श्री सुनील खां	309
10.	श्री सुरेश कलमाडी	310
11.	श्री पी.एस. गढ़वी	311
12.	श्रीमती करूणा शुक्ला श्री श्रीपाद येसो नाईक	312
13.	डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय श्री चन्द्र मणि त्रिपाठी	313
14.	श्री के.सी. पल्लानी शामी	314
15.	श्री राकेश सिंह	315
16.	श्री संजय धोत्रे श्री महावीर भगोरा	316
17.	श्री विजय बहुगुणा	317
18.	श्रीमती प्रिया दत्त श्री एम. अप्पादुरई	318
19.	श्री हरिसिंह चावड़ा डा. धीरेंद्र अग्रवाल	319
20.	श्री रवि प्रकाश वर्मा श्री अजय चक्रवर्ती	320

अतारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका
(दिनांक 03.09.2007)

क्र.सं.	सदस्य का नाम	प्रश्न संख्या
1	2	3
1.	आरुन रशीद, श्री जे.एम.	2854
2.	आचार्य, श्री बसुदेव	2831
3.	अडसूल, श्री आनंदराव विठोबा	2754, 2857, 2902, 2919, 2930
4.	अग्रवाल, डा. धीरेंद्र	2808
5.	अहीर, श्री हंसराज गं.	2752, 2842, 2898, 2925, 2931
6.	आठवले, श्री रामदास	2815, 2874, 2904, 2938
7.	बहुगुणा, श्री विजय	2833, 2887
8.	बारड़, श्री जसुभाई धानाभाई	2879
9.	बर्मन, श्री हितेन	2762, 2840, 2908
10.	बर्मन, श्री रनेन	2804
11.	बसु, श्री अनिल	2823, 2934
12.	भडाना, श्री अवतार सिंह	2854
13.	भगोरा, श्री महावीर	2759
14.	बिश्नोई, श्री जसवंत सिंह	2805
15.	बिश्नोई, श्री कुलदीप	2849
16.	बोस, श्री सुब्रत	2773, 2855, 2909, 2923
17.	चक्रवर्ती, श्री अजय	2802
18.	चारेनामै, श्री मणि	2792
19.	चावड़ा, श्री हरिसिंह	2876
20.	देशमुख, श्री सुभाष सुरेशचंद्र	2793, 2809, 2871, 2879
21.	धनराजू, डा. के.	2834
22.	धोत्रे, श्री संजय	2758, 2819, 2870
23.	धूमल, प्रो. प्रेम कुमार	2764, 2841
24.	दत्त, श्रीमती प्रिया	2779
25.	गदाख, श्री तुकाराम गंगाधर	2766, 2856
26.	गद्दीगठडर, श्री पी.सी.	2800
27.	गढ़वी, श्री पी.एस.	2797, 2883
28.	गायकवाड, श्री एकनाथ महादेव	2784, 2879, 2888
29.	गमांग, श्री गिरिधर	2811
30.	गांधी, श्रीमती मेनका	2829, 2884
31.	गंगवार, श्री संतोष	2869, 2903
32.	गवली, श्रीमती भावना पुंडलिकराव	2758, 2819, 2870
33.	गुढ़े, श्री अनंत	2862
34.	हुसैन, श्री सैयद शाहनवाज	2807, 2921
35.	जगन्नाथ, डा. एम.	2830, 2862
36.	जावले, श्री हरिभाऊ	2863
37.	जयाप्रदा, श्रीमती	2814, 2859
38.	झा, श्री रघुनाथ	2832, 2865, 2886, 2913
39.	जिन्दल, श्री नवीन	2756, 2846
40.	जोशी, श्री कैलाश	2761
41.	जोशी, श्री प्रहलाद	2850
42.	कलमाडी, श्री सुरेश	2822
43.	खैरे, श्री चंद्रकांत	2776, 2787, 2862, 2880, 2910
44.	खां, श्री सुनील	2796, 2817, 2862, 2934
45.	खारवेनथन, श्री एस.के.	2843, 2893, 2915, 2929

1	2	3
46.	कौशल, श्री रघुवीर सिंह	2757, 2848, 2895, 2916, 2927
47.	कृपलानी, श्री श्रीचन्द	2862
48.	कृष्ण, श्री विजय	2839, 2892, 2934
49.	कुन्नुर, श्री मंजुनाथ	2881
50.	कुरूप, एडवोकेट सुरेश	2860, 2900
51.	'ललन', श्री राजीव रंजन सिंह	2796, 2818
52.	माधवराज, श्रीमती मनोरमा	2778
53.	महाजन, श्रीमती सुमित्रा	2934
54.	महरिया, श्री सुभाष	2780, 2804, 2881
55.	महतो, श्री नरहरि	2861
56.	माहेश्वरी, श्रीमती किरण	2934
57.	महताब, श्री भर्तृहरि	2810
58.	महतो, श्री टेक लाल	2807
59.	माने, श्रीमती निवेदिता	2879, 2888
60.	मनोज, डा. के.एस.	2782, 2860, 2891
61.	मसूद, श्री रशीद	2794
62.	मेहता, श्री भुवनेश्वर प्रसाद	2788
63.	मिश्रा, डा. राजेश	2753, 2854
64.	मुकीम, मो.	2838
65.	मो. ताहिर, श्री	2890, 2926
66.	मंडल, श्री अबु अयीश	2935, 2936
67.	मुर्मू, श्री हेमलाल	2862, 2870
68.	नाईक, श्री श्रीपाद येसो	2854
69.	नन्दी, श्री अमिताभ	2791
70.	नरहिरे, श्रीमती कल्पना रमेश	2766, 2856, 2862
71.	नायक, श्री अनन्त	2836, 2889, 2912
72.	निखिल कुमार, श्री	2790, 2879
73.	ओवेसी, श्री असादूद्दीन	2806, 2867
74.	पल्लानी शामी, श्री के.सी.	2777
75.	पाण्डा, श्री प्रबोध	2786, 2872
76.	पाण्डेय, डा. लक्ष्मीनारायण	2854, 2936
77.	परस्ते, श्री दलपत सिंह	2769, 2844
78.	पटेल, श्री किसनभाई वी.	2853, 2899, 2939
79.	पाठक, श्री ब्रजेश	2835, 2879, 2890, 2914, 2926
80.	पाटील, श्री बालासाहिब विखे	2881
81.	पाटील, श्री प्रतीक पी.	2755, 2852, 2896, 2917
82.	पाटील, श्री दानवे रावसाहेब	2936
83.	पाटील, श्रीमती रूपाताई डी.	2864
84.	पटले, श्री शिशुपाल एन.	2890, 2926
85.	राजगोपाल, श्री एल.	2821, 2878, 2906, 2907, 2922
86.	रामकृष्णा, श्री बाडिगा	2816, 2830, 2854
87.	राव, श्री के.एस.	2770, 2845, 2894, 2920, 2939
88.	राव, श्री रायापति सांबासिवा	2813
89.	राठौड़, श्री हरिभाऊ	2798, 2875, 2905, 2921
90.	रावले, श्री मोहन	2859
91.	रेड्डी, श्री जी. करूणाकरन	2768, 2866
92.	रिजीजू, श्री कीरेन	2936
93.	सज्जन कुमार, श्री	2854
94.	सरडगी, श्री इकबाल अहमद	2820, 2877
95.	सिंधिया, श्री ज्योतिरादित्य माधवराव	2789, 2854, 2858, 2901

1	2	3
96.	सेन, श्रीमती मिनाती	2862
97.	शाक्य, श्री रघुराज सिंह	2783
98.	शांडिल्य, डा. कर्नल (सेवानिवृत्त) धनीराम	2837
99.	शिवाजीराव, श्री अधलराव पाटील	2787, 2854, 2857, 2933, 2940
100.	शिवन्ना, श्री एम.	2825, 2882
101.	शिवनकर, प्रो. महादेवराव	2835, 2879, 2890, 2914, 2926
102.	सिद्दीश्वर, श्री जी.एम.	2767
103.	सिंह देव, श्रीमती संगीता कुमारी	2760
104.	सिंह, चौधरी विजेन्द्र	2826
105.	सिंह, श्री चन्द्रभान	2799
106.	सिंह, श्री गणेश	2785, 2868
107.	सिंह, श्री प्रभुनाथ	2827, 2865
108.	सिंह, श्री राकेश	2765
109.	सिंह, श्री सुग्रीव	2853, 2899, 2939
110.	सिंह, श्री सूरज	2796
111.	सुब्बा, श्री मणी कुमार	2774, 2851
112.	सुब्बारायण, श्री के.	2801
113.	सुगावमन, श्री ई.जी.	2775, 2802
114.	सुमन, श्री रामजीलाल	2818
115.	सुरेन्द्र, श्री चेंगरा	2771, 2847
116.	ठक्कर, श्रीमती जयाबहन बी.	2910
117.	थामस, श्री पी.सी.	2828
118.	ठुम्मर, श्री वी.के.	2763, 2876, 2906
119.	त्रिपाठी, श्री चन्द्र मणि	2854
120.	त्रिपाठी, श्री बृज किशोर	2854, 2897, 2918, 2928
121.	वीरेन्द्र कुमार, श्री एम.पी.	2803
122.	वर्मा, श्री रवि प्रकाश	2787, 2885, 2911, 2924, 2932
123.	विरूपाक्षप्पा, श्री के.	2937
124.	यादव, श्री अनिरुद्ध प्रसाद उर्फ साधु	2824
125.	यादव, श्री एम. अंजनकुमार	2760
126.	यादव, श्री गिरिधारी	2781
127.	यादव, श्री कैलाश नाथ सिंह	2890
128.	यादव, श्री मित्रसेन	2793
129.	येरननायडु, श्री किन्जरपु	2812, 2873

अतारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका
(दिनांक 05.09.2007)

क्र.सं.	सदस्य का नाम	प्रश्न संख्या
1	2	3
1.	आचार्य, श्री बसुदेव	3024, 3133
2.	अडसूल, श्री आनंदराव विठोबा	2984, 2986, 3007, 3097, 3100
3.	अग्रवाल, डा. धीरेंद्र	3014, 3051, 3093, 3139
4.	अहीर, श्री हंसराज गं.	2941, 3035, 3087, 3109, 3120
5.	अजय कुमार, श्री एस.	3115
6.	अप्पादुरई, श्री एम.	2942
7.	आठवले, श्री रामदास	3020
8.	बहुगुणा, श्री विजय	3061
9.	बारड़, श्री जसुभाई धानाभाई	2974, 2976, 3025, 3079
10.	बर्मन, श्री रनेन	3036

1	2	3
11.	बखला, श्री जोवाकिम	2950, 3038
12.	भडाना, श्री अवतार सिंह	3010, 3059
13.	भगोरा, श्री महावीर	3066
14.	भार्गव, श्री गिरधारी लाल	2999
15.	बिश्नोई, श्री कुलदीप	2947, 3000, 3086
16.	बोस, श्री सुव्रत	3008, 3013
17.	बोचा, श्रीमती झांसी लक्ष्मी	2970, 3131
18.	चारेनामै, श्री मणि	2981
19.	चावड़ा, श्री हरिसिंह	3049, 3056, 3096, 3113
20.	चित्तन, श्री एन.एस.वी.	2982
21.	चौधरी, श्री पंकज	2983, 3081
22.	चौधरी, श्री अधीर	2989, 3074
23.	देवरा, श्री मिलिन्द	2966, 2974, 3047, 3139
24.	देशमुख, श्री सुभाष सुरेशचंद्र	2990, 3071, 3101
25.	धोत्रे, श्री संजय	3060
26.	धूमल, प्रो. प्रेम कुमार	2980, 3071
27.	दुबे, श्री चन्द्र शेखर	2976
28.	गायकवाड, श्री एकनाथ महादेव	2965, 2991, 3025, 3053, 3073
29.	गमांग, श्री गिरिधर	3006
30.	गांधी, श्रीमती मेनका	3017
31.	गवली, श्रीमती भावना पुंडलिकराव	3060
32.	गेहलोत, श्री थावरचन्द	2944, 3054
33.	गुढ़े, श्री अनंत	3059, 3095
34.	हसन, चौ. मुनव्वर	2967
35.	हुसैन, श्री अनवर	2994, 3134
36.	हुसैन, श्री सैयद शाहनवाज	2946
37.	जगन्नाथ, डा. एम.	2972, 3079
38.	जेना, श्री मोहन	3029
39.	झा, श्री रघुनाथ	2995, 3058, 3138
40.	जिन्दल, श्री नवीन	2958, 3063, 3098, 3144, 3115
41.	जोशी, श्री कैलाश	3022, 3083
42.	जोशी, श्री प्रहलाद	3012
43.	खैरे, श्री चंद्रकांत	3128
44.	खां, श्री सुनील	3044, 3088
45.	खन्ना, श्री अविनाश राय	2955, 3065
46.	खारवेनथन, श्री एस.के.	2951, 3039, 3089, 3111, 3145
47.	कौशल, श्री रघुवीर सिंह	2952, 2992, 3002, 3048, 3107
48.	कृपलानी, श्री श्रीचन्द	3058, 3063, 3099
49.	कृष्ण, श्री विजय	2969, 3007
50.	कुरूप, एडवोकेट सुरेश	3015
51.	'ललन', श्री राजीव रंजन सिंह	2983, 2992, 3129
52.	माधवराज, श्रीमती मनोरमा	2967, 3114
53.	महरिया, श्री सुभाष	2962, 3045, 3091, 3116, 3146
54.	महतो, श्री नरहरि	2997, 3013
55.	माहेश्वरी, श्रीमती किरण	2999, 3116
56.	महताब, श्री भर्तृहरि	2973
57.	महतो, श्री टेक लाल	2977
58.	माने, श्रीमती निवेदिता	2991, 3025, 3053, 3073, 3079
59.	मनोज, डा. के.एस.	3042, 3123, 3136

1	2	3
60.	मसूद, श्री रशीद	2974, 3067, 3139
61.	मेहता, श्री भुवनेश्वर प्रसाद	2971
62.	मिश्रा, डा. राजेश	3010
63.	मोहले, श्री पुन्नूलाल	2941
64.	मंडल, श्री अबु अयीश	3127
65.	मुर्मू, श्री हेमलाल	3019, 3077
66.	नाईक, श्री श्रीपाद येसो	3032, 3128
67.	नन्दी, श्री अमिताभ	3125
68.	नरहिरे, श्रीमती कल्पना रमेश	3059, 3095
69.	नायक, श्री अनन्त	2960, 3084, 3106, 3145
70.	निखिल कुमार, श्री	2988
71.	ओराम, श्री जुएल	3006, 3085
72.	ओसमानी, श्री ए.एफ.जी.	3051
73.	ओवेसी, श्री असादूद्दीन	2967, 2991, 3065, 3100
74.	पल्लानी शामी, श्री के.सी.	3037, 3088, 3110, 3121
75.	पाण्डा, श्री प्रबोध	3009, 3072
76.	पाण्डेय, डा. लक्ष्मीनारायण	3128
77.	परस्ते, श्री दलपत सिंह	2999, 3130
78.	पटेल, श्री जीवाभाई ए.	3004
79.	पटेल, श्री किसनभाई वी.	2979, 3046, 3076, 3103, 3143
80.	पाठक, श्री ब्रजेश	2995, 3056
81.	पाटील, श्री बालासाहिब विखे	3002, 3069
82.	पाटील, श्री प्रतीक पी.	2948, 2954, 2991
83.	पाटील, श्री दानवे रावसाहेब	3126
84.	पाटील, श्रीमती रूपाताई डी.	3031
85.	पटले, श्री शिशुपाल एन.	3030
86.	पायलट, श्री सचिन	3018
87.	प्रभु, श्री सुरेश प्रभाकर	2974, 2976, 3025, 3079
88.	प्रसाद, श्री हरिकेवल	2975, 3078, 3080, 3093
89.	राजगोपाल, श्री एल.	3016, 3075, 3135
90.	रामदास, प्रो. एम.	2963, 2998
91.	रामकृष्णा, श्री बाडिगा	3001, 3068, 3140, 3144
92.	राणा, श्री काशीराम	3023
93.	रानी, श्रीमती के.	2996
94.	राव, श्री के.एस.	2945, 3034
95.	राव, श्री रायापति सांबासिवा	3057, 3094, 3141
96.	राठौड़, श्री हरिभाऊ	3065
97.	रवीन्द्रन, श्री पन्नियन	3065
98.	रावले, श्री मोहन	3100, 3114
99.	रेड्डी, श्री जी. करूणाकरन	2980, 3013, 3078, 3093
100.	रेड्डी, श्री एम. राजा मोहन	2975
101.	रेड्डी, श्री एम. श्रीनिवासुलु	3012
102.	रेड्डी, श्री एन. जनार्दन	3028
103.	रेंगे पाटील, श्री तुकाराम गणपतराव	2948, 2975, 3049, 3078, 3080
104.	सज्जन कुमार, श्री	3010
105.	सरडगी, श्री इकबाल अहमद	3033, 3086, 3108, 3122
106.	सत्यनारायण, श्री सर्वे	2974, 3013
107.	सिंधिया, श्री ज्योतिरादित्य .माधवराव	2946, 2978, 3050, 3105, 3119

1	2	3
108.	सिंधिया, श्रीमती यशोधरा राजे	2975
109.	सेठी, श्री अर्जुन	3021
110.	शर्मा, श्री मदन लाल	2998
111.	शिवाजीराव, श्री अधलराव पाटील	2984, 2986, 3007, 3097, 3100
112.	शिवनकर, प्रो. महादेवराव	3030, 3056
113.	सिद्दीश्वर, श्री जी.एम.	2953, 3041, 3102, 3108
114.	सिंह देव, श्रीमती संगीता कुमारी	3056, 3137
115.	सिकदर, श्रीमती ज्योतिर्मयी	2943
116.	सिंह, श्री चन्द्र भूषण	3005
117.	सिंह, श्री चन्द्रभान	3026, 3040
118.	सिंह, श्री दुष्यंत	3003, 3064, 3070
119.	सिंह, श्री गणेश	2987, 3022, 3083
120.	सिंह, श्री मोहन	2968
121.	सिंह, श्री प्रभुनाथ	2995, 3138
122.	सिंह, श्री राकेश	2942, 3040
123.	सिंह, श्री रेवती रमन	2985, 3144
124.	सिंह, श्री सुग्रीव	2964, 2979, 3046, 3092, 3118
125.	सिंह, श्री सूरज	2983, 3129
126.	सिंह, श्री उदय	3011
127.	सुब्बा, श्री मणी कुमार	2956, 3013, 3132, 3139
128.	सुगावमन, श्री ई.जी.	2957, 3043, 3090
129.	सुमन, श्री रामजीलाल	2992
130.	ठक्कर, श्रीमती जयाबहन बी.	2949
131.	थामस, श्री पी.सी.	2993
132.	तुम्मर, श्री वी.के.	3004, 3096, 3137
133.	त्रिपाठी, श्री चन्द्र मणि	3032
134.	त्रिपाठी, श्री बृज किशोर	3055, 3093, 3112, 3123
135.	वल्लभनेनी, श्री बालासोवरी	3027, 3062, 3082, 3142
136.	वसावा, श्री मनसुखभाई डी.	3014
137.	वीरेन्द्र कुमार, श्री एम.पी.	2961
138.	वर्मा, श्री रवि प्रकाश	2984, 2986, 3097, 3114
139.	यादव, श्री एम. अंजनकुमार	2959, 3137
140.	यादव, डा. करण सिंह	3000
141.	यादव, श्री मित्रसेन	3070
142.	येरननायडु, श्री किन्जरपु	3052, 3104, 3117, 3124

अनुबंध II

तारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका (3.09.07)

कृषि	:	281, 284, 285, 287, 292, 293, 299
संचार और सूचना प्रौद्योगिकी	:	288, 289
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण	:	283, 290, 294, 296, 300
रक्षा	:	291, 295, 297
श्रम और रोजगार	:	282
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम	:	286
जल संसाधन	:	298

तारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका (5.9.07)

प्रधान मंत्री	:	
परमाणु ऊर्जा	:	313
कोयला	:	305, 311
उत्तर-पूर्व क्षेत्र विकास	:	
पर्यावरण और वन	:	302, 304, 309, 315, 317
विदेश	:	
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण	:	301, 306, 312, 314, 316, 318
प्रवासी भारतीय कार्य	:	
पंचायती राज	:	319
कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन	:	
योजना	:	
पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग	:	303, 307, 310
अंतरिक्ष	:	
सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन	:	
युवक कार्यक्रम और खेल	:	308, 320

अतारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका (3.9.07)

कृषि	:	2754, 2757, 2758, 2759, 2763, 2764, 2765, 2766, 2771, 2779, 2784, 2795, 2796, 2798, 2800, 2803, 2808, 2812, 2813, 2814, 2815, 2816, 2818, 2820, 2825, 2826, 2827, 2830, 2834, 2835, 2836, 2837, 2839, 2843, 2847, 2848, 2851, 2852, 2860, 2865, 2867, 2873, 2879, 2881, 2882, 2885, 2889, 2890, 2891, 2892, 2895, 2897, 2899, 2900, 2901, 2907, 2912, 2918, 2920, 2926, 2927, 2928, 2933, 2937

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी	:	2753, 2775, 2778, 2781, 2785, 2788, 2793, 2797, 2805, 2811, 2817, 2823, 2824, 2832, 2833, 2838, 28346, 2850, 2863, 2870, 2876, 2877, 2878, 2880, 2888, 2894, 2896, 2910, 2911, 2916, 2917, 2938, 2939, 2940
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण	:	2756, 2760, 2767, 2776, 2809, 2810, 2819, 2821, 2829, 2844, 2849, 2861, 2866, 2869, 2883, 2921, 2923, 2925, 2934, 2935
रक्षा	:	2752, 2762, 2768, 2772, 2773, 2777, 2783, 2786, 2787, 2789, 2790, 2792, 2794, 2804, 2822, 2828, 2840, 2841, 2842, 2845, 2853, 2854, 2855, 2857, 2858, 2871, 2872, 2875, 2884, 2886, 2887, 2903, 2904, 2906, 2908, 2909, 2913, 2922, 2932, 2936
श्रम और रोजगार	:	2769, 2770, 2791, 2799, 2801, 2802, 2806, 2831, 2856, 2859, 2874, 2915, 2919, 2924
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम	:	2780, 2807, 2893, 2905, 2929, 2931
जल संसाधन	:	2755, 2761, 2774, 2782, 2862, 2864, 2868, 2898, 2902, 2914, 2930

अतारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका (5.9.07)

प्रधान मंत्री	:	
परमाणु ऊर्जा	:	2978, 3076, 3103, 3134
कोयला	:	2960, 2971, 2976, 2987, 2997, 3008, 3016, 3020, 3085, 3092, 3101, 3120, 3122, 3133, 3143
उत्तर-पूर्व क्षेत्र विकास	:	
पर्यावरण और वन	:	2946, 2950, 2952, 2954, 2963, 2965, 2977, 2981, 2982, 2985, 2988, 2991, 2993, 2998, 3004, 3006, 3013, 3014, 3015, 3017, 3021, 3025, 3026, 3028, 3033, 3036, 3038, 3047, 3048, 3049, 3054, 3060, 3061, 3073, 3074, 3079, 3095, 3099, 3106, 3108, 3125, 3136
विदेश	:	2979, 2986, 2994, 2999, 3032, 3050, 3089, 3119, 3124, 3127, 3128, 3129, 3138, 3142, 3144
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण	:	2941, 2947, 2949, 2956, 2957, 2959, 2961, 2966, 2967, 2989, 2995, 2996, 3005, 3007, 3009, 3011, 3018, 3019, 3030, 3035, 3037, 3039, 3040, 3041, 3042, 3043, 3045, 3051, 3053, 3055, 3057, 3059, 3063, 3066, 3067, 3068, 3071, 3075, 3080, 3081, 3084, 3086, 3088, 3094, 3097, 3100, 3104, 3110, 3014, 3117, 3121, 3130, 3131, 3135, 3139, 3140, 3141
प्रवासी भारतीय कार्य	:	2942, 2958, 2962, 3062, 3065, 3105, 3115, 3146

पंचायती राज	:	3072, 3077, 3112, 3113
कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन	:	2974, 2975, 3003, 3137
योजना	:	2944, 2964, 2968, 2969, 2990, 2992, 3001, 3052, 3126
पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग	:	2945, 2948, 2955, 2972, 2980, 2983, 2984, 3000, 3002, 3010, 3012, 3022, 3023, 3024, 3027, 3029, 3044, 3046, 3058, 3064, 3070, 3078, 3082, 3083, 3087, 3090, 3093, 3096, 3111, 3116, 3118, 3123, 3132, 3145
अंतरिक्ष	:	3034, 3109
सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन	:	3056, 3102
युवक कार्यक्रम और खेल	:	2943, 2951, 2953, 2970, 2973, 3031, 3069, 3091, 3098, 3107.

इंटरनेट

लोक सभा की सत्रावधि के प्रत्येक दिन के वाद-विवाद का मूल संस्करण भारतीय संसद की निम्नलिखित वेबसाइट पर उपलब्ध है:

http:#www.parliamentofindia.nic.in

लोक सभा की कार्यवाही का सीधा प्रसारण

लोक सभा की संपूर्ण कार्यवाही का लोक सभा टी.वी. चैनल पर सीधा प्रसारण किया जाता है। यह प्रसारण सत्रावधि में प्रतिदिन प्रात: 11.00 बजे लोक सभा की कार्यवाही शुरू होने से लेकर उस दिन की सभा समाप्त होने तक होता है।

लोक सभा वाद-विवाद बिक्री के लिए उपलब्ध

लोक सभा वाद-विवाद के हिन्दी संस्करण और अंग्रेजी संस्करण की प्रतियां तथा संसद के अन्य प्रकाशन, विक्रय फलक, संसद भवन, नई दिल्ली-110001 पर बिक्री हेतु उपलब्ध हैं।

पी.एल.एस.–48/29/14/2007 (एन०)
232

© 2007 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय
लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (बारहवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अंतर्गत प्रकाशित और मैसर्स जैनको आर्ट इंडिया, नई दिल्ली द्वारा मुद्रित।